भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
हर भारतीय का बैंक
THE BANKER TO EVERY INDIAN

एक स्मार्ट बैंक,
बढ़ते भारत के लिए...

वार्षिक रिपोर्ट | 2015-16

विषय सूची

सूचना 01

भारतीय स्टेट बैंक के बारे में 02

भारतीय स्टेट बैंक की उपलब्धिपूर्ण यात्रा 03

आगे बढ़ते भारत का स्मार्ट बैंक 04

रेटिंग्स 09

एसबीआई समूह संरचना 10

निष्पादन संकेतक 12

पिछले 10 वर्षों का वित्तीय प्रदर्शन 14

केंद्रीय निदेशक बोर्ड 16

बोर्ड की समितियां/स्थानीय बोर्ड के सदस्य/
केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य/बैंक के लेखा-परीक्षक 18

अध्यक्ष की कलम से 22

निदेशकों की रिपोर्ट 30

(i) आर्थिक पृष्ठभूमि एवं बैंकिंग परिवेश 30

(ii) वित्तीय निष्पादन 33

(iii) प्रमुख परिचालन 34

राष्ट्रीय बैंकिंग समूह 34

वैयक्तिक बैंकिंग 35

वैकल्पिक चैनल 39

लघु एवं मध्यम उद्यम 46

ग्रामीण बैंकिंग 50

अन्य नई व्यवसाय पहल 52

सरकारी व्यवसाय 53

दक्षता एवं लागत नियंत्रण 54

कॉरपोरेट बैंकिंग समूह 55

कॉरपोरेट बैंकिंग 55

लेनदेन बैंकिंग इकाई 56

परियोजना, वित्त एवं पट्टा 58

मध्य कॉरपोरेट बैंकिंग 59

अंतरराष्ट्रीय परिचालन 60

दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन 65

राजकोषीय परिचालन 68

(iv) सहायक एवं नियंत्रण परिचालन 71

मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण 71

सूचना प्रौद्योगिकी 76

जोखिम प्रबंधन 81

राजभाषा 87

सतर्कता तंत्र 89

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व 89

(v) सहयोगी एवं अनुषंगियां 94

कॉरपोरेट अभिशासन 104

व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट के बारे में 127

वित्तीय विवरण 128

तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

भारतीय स्टेट बैंक (एकल) 128

भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) 202

स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित) 252

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक
(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित)

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की 61 वीं वार्षिक महासभा "वाई.बी. चव्हाण ऑडिटोरियम", वाई.बी. चव्हाण केन्द्र, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 (महाराष्ट्र) में गुरुवार, 30 जून 2016 को अपराह्न 3.00 बजे निम्नलिखित कार्य के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी :

"स्टेट बैंक का 31 मार्च 2016 तक का तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि खाता तथा इस लेखा अवधि की स्टेट बैंक की कार्य-प्रणाली और कार्यकलापों पर केन्द्रीय बोर्ड की रिपोर्ट एवं तुलन-पत्र और लेखों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट, पर चर्चा करना और उसे स्वीकार करना।"

कारपोरेट केंद्र
स्टेट बैंक भवन
मादाम कामा रोड
मुंबई - 400 021

(अरुंधति भट्टाचार्य)
अध्यक्ष

दिनांक : 23 मई, 2016

महत्त्वपूर्ण सूचना

घोषित लाभांश :	₹2.60 रुपए प्रति शेयर
लाभांश भुगतान की तारीख :	22.06.2016
बहीबंदी की अवधि :	07.06.2016 से 11.06.2016
रिकॉर्ड-तारीख :	06.06.2016

भारतीय स्टेट बैंक के बारे में

वर्ष 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में स्थापित भारत का सबसे पहला बैंक बाद में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। 200 वर्षों से अधिक की समृद्ध परंपरा वाला यह भारतीय उप-महाद्वीप का पहला वाणिज्यिक बैंक राष्ट्र की हजार खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के सशक्तीकरण और इसकी विशाल जनसंख्या की आकांक्षाओं की पूर्ति में निरंतर सेवारत है।

भारतीय स्टेट बैंक परिसंपत्तियों, जमाराशियों, लाभ, शाखा, ग्राहक और कर्मचारी संख्या में देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। यह करोड़ों ग्राहकों के निरंतर विश्वास के साथ आज हर भारतीय का बैंक है।

भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और यह अपनी विभिन्न शाखाओं और आउटलेटों, संयुक्त उद्यमों, अनुषंगियों तथा सहयोगी कंपनियों के माध्यम से व्यक्तियों, वाणिज्यिक उद्यमों, बड़े कॉरपोरेटों, सार्वजनिक निकायों और संस्थात्मक ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध कराता है।

हमारा विज़न

- मेरा भारतीय स्टेट बैंक।
- मेरा ग्राहक सर्वोपरि।
- मेरा एसबीआईः ग्राहक संतुष्टि में प्रथम।

हमारा मिशन

- हम अपने ग्राहकों के प्रति तत्पर, विनम्र एवं संवेदनशील रहेंगे।
- हम युवा भारत की भाषा बोलेंगे।
- हम ऐसी सेवाएं बनाएंगे जो हमारे ग्राहकों के सपनों को पूरा कर सकें।
- हम कर्तव्य से आगे जाकर अपने ग्राहकों को यह एहसास कराएंगे कि वे महत्वपूर्ण हैं।
- हम देश के सुदूर भागों में भी सेवाएं प्रदान करेंगे।
- विदेश-स्थित लोगों को हम वैसी ही सर्वोत्कृष्ट सेवा प्रदान करेंगे, जैसी भारतवासियों को प्रदान करते हैं।
- उत्कृष्टता प्राप्ति के लिए हम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाएंगे।

हमारा मूल्य

- हम सदा ईमानदार, निश्छल और नीतिप्रिय रहेंगे।
- हम अपने ग्राहकों एवं सहकर्मियों का सम्मान करेंगे।
- ज्ञान हमारा मार्गदर्शक होगा।
- हम सीखने की प्रक्रिया जारी रखेंगे और प्राप्त ज्ञान का प्रसार करेंगे।
- हम कभी सुविधावादी मार्ग नहीं अपनाएंगे।
- जिस समाज में हम कार्य करते हैं उसके उत्थान हेतु हम हर संभव प्रयास करेंगे।
- हम भारत में गर्व का विकास करेंगे।

भारतीय स्टेट बैंक की उपलब्धिपूर्ण यात्रा

1 No.
देश का सबसे बड़ा बैंक (जमाराशियां, अग्रिम, शाखाएं और कर्मचारी)

59,000+
देश भर में एटीएम

23.30 करोड़+
स्टेट बैंक समूह डेबिट कार्ड धारक

1.77 करोड़+
ग्रीन रेमिट कार्ड

30.12 करोड़+
सक्रिय ग्राहक आधार

64,628
व्यवसाय प्रतिनिधि और ग्राहक सेवा केन्द्र

2.55 करोड़+
इंटरनेट बैंकिंग प्रयोक्ता

1,03,565
समस्त भारत में गांवों को सेवा

31.90 लाख करोड़+
व्यवसाय आकार

7.22 करोड़+
कोर बैंकिंग लेनदेन (दैनिक औसत लेनदेन)

4.09 लाख+
संपर्क केंद्र में प्रतिदिन औसत कॉल

4.21 करोड़+
रुपे डेबिट कार्ड

36,000
मर्चेंट बैंकिंग गठजोड़

1.16 करोड़+
प्रति दिन औसत एटीएम लेनदेन

3.00 लाख+
पीओएस मशीनें

5.32 करोड़+
प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते

एसबीआई ऑनलाइन विश्व में देखी जाने वाली आठवीं सबसे बड़ी बैंकिंग साइट है।

डिजिटल विस्तार की स्थिति

इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन (करोड़)

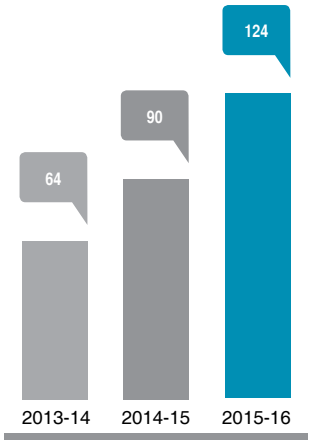

मोबाईल बैंकिंग लेनदेन (लाख)

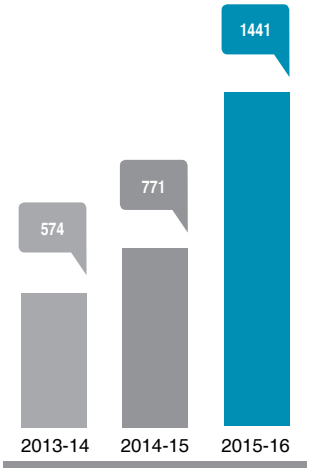

पीओएस लेनदेन (लाख)

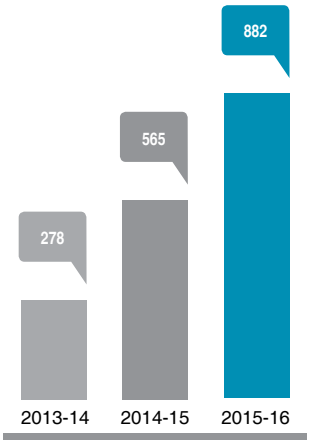

आगे बढ़ते भारत का स्मार्ट बैंक

डिजिटल अर्थव्यवस्था फल-फूल रही है। भारतीय स्टेट बैंक डिजिटल मॉडल को अपनाते हुए इसका विकास कर रहा है। इसने अपनी प्रौद्योगिकी और चैनल प्लेटफॉर्म को पर्याप्त रूप से उन्नत किया है।

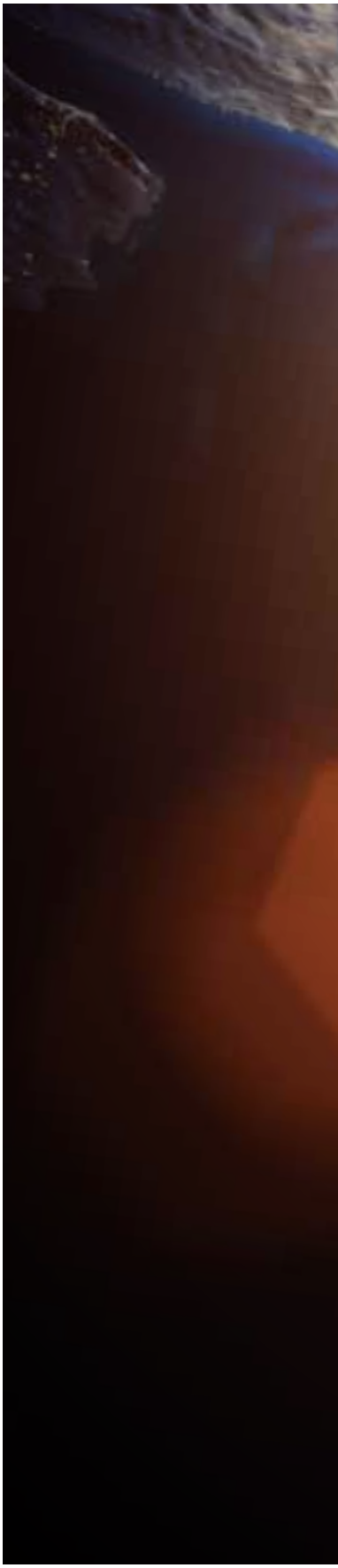

भारत प्रथम विश्व का देश बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज़, भारतनेट आदि जैसे नए अवसरों पर इसका ध्यान केंद्रित है। परिणामस्वरूप, इंटरनेट, सोशल मीडिया और स्मार्ट फोन के माध्यम से बैंकिंग करने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ती जा रही है। वे चाहते हैं कि मोबाइल, आइपैड या पी सी के माध्यम से बैंकिंग करते समय उन्हें प्रारंभ से अंत तक की सभी सुविधाएँ अविरल प्राप्त हों। इसी प्रकार कारपोरेट, लघु एवं मध्यम उद्यम और सरकारी संस्थान अपने कामकाज में दक्षता और मितव्ययिता के लिए इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। व्यवसाय की नई क्रांति के कारण रोजमर्रा के उबाऊ कार्यों को निपटाने का लोगों का तरीका बिलकुल बदल रहा है। ग्रामीण भारत भी इस यात्रा में पीछे नहीं छूटना चाहता। करोड़ों ग्रामीण वित्तीय रूप से साक्षर बन चुके हैं और अपने धन की सुरक्षा तथा सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था सधे हुए कदमों के साथ निरंतर कदम बढ़ा रही है और उसके साथ भारत भी निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है।

भारत के सबसे बड़े बैंक के रूप में हम हजारों वाणिज्यिक इकाइयों और करोड़ों व्यक्तियों के जीवन से एकाकार हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था के फलने-फूलने के साथ-साथ भारतीय स्टेट बैंक ने भी अपनी प्रौद्योगिकी और चैनल प्लेटफॉर्मों को उसी अनुरूप उन्नत किया है। कुछ मामलों में तो वह आगे भी रहा है। भारतीय स्टेट बैंक चाहता है कि ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएँ उंगलियों के इशारों पर प्राप्त होने लगे। हम मानते हैं कि बैंकिंग का मतलब है कि ग्राहकों का धन उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहे। हमारे ग्राहक चाहते हैं कि उनके लेनदेन पहले से ज्यादा शीघ्रता, त्रुटिहीनता और आसानी से हों। उनकी इसी आकांक्षा के अनुरूप हमने स्वयं को इस प्रकार तैयार किया है कि हम ग्राहकों के नए रुझानों को पूरा कर सकें और "स्मार्ट" बैंक के रूप में हमारी सेवाओं का स्तर "आगे बढ़ते भारत" की आवश्यकताओं के अनुरूप कर सकें।

हमारा अनुमान है कि मोबिलिटी, सोशल मीडिया, क्लाउड और डेटा विश्लेषण से डेटा में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। भारतीय स्टेट बैंक डिजिटल व्यवसाय मॉडल को पूरे उत्साह और सामर्थ्य से अपना रहा है। हमारे द्वारा तैयार विभिन्न प्लेटफॉर्म के बनिस्पत हमने अपना एक अलग स्थान बना लिया है, जहाँ हमारे ग्राहक सदा हमसे जुड़े रहते हैं और हम सदा उनके लिए उपलब्ध रहते हैं। डिजिटल माध्यम अपनाने के प्रति अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता से हमें विश्वास है कि हम अत्यंत प्रतिस्पर्धी, प्रासंगिक और सुस्थापित बने रहेंगे तथा संपूर्ण बैंकिंग उद्योग को आगे ले जाएंगे।

इसी उत्साह के आधार पर हमने पिछले वर्ष बताया था कि हम किस प्रकार "डिजिटल भारत के बैंकर" बने। हमारी यह यात्रा वित्त वर्ष 2016 में भी इसी प्रकार जारी रही और हमने प्रौद्योगिकी में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को आत्मसात किया। उचित ही है कि हमारी वार्षिक रिपोर्ट उन महत्वपूर्ण पड़ावों पर केंद्रित हैं, जिन्हें "आगे बढ़ते भारत का स्मार्ट बैंक" बनने की राह में हमने पार किया है।

एक स्मार्ट बैंक,
बढ़ते भारत के लिए...

नई पीढ़ी के लिए स्मार्ट बैंक

इस समय 122 "एसबीआई इनटच" शाखाओं में हजारों ग्राहक नए प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त करने का अनुभव कर चुके हैं।

122 एसबीआई इनटच शाखाएं
और इनकी संख्या बढ़ रही हैं

35.97% मोबाइल बैंकिंग में
बाजार अंश - राशि के अनुसार

बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप अपने विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं को अपनाने की परंपरा का पालन करते हुए, भारतीय स्टेट बैंक यथा संभव हमारी युवा पीढ़ी से जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देश के 70 जिलों में हमारी एसबीआई इनटच शाखाओं के विस्तार के साथ, हमने शाखा बैंकिंग में नए आदर्श बनाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए। आज, दो वर्षों की अल्प अवधि में ही हमारी 122 "एसबीआई इनटच शाखाएं" हैं, जिनका हमारे हजारों ग्राहकों ने पहले ही अनुभव किया है। "एसबीआई इनटच" बैंक व्यवस्था के विशाल नेटवर्क और डिजिटल/मोबाइल प्लेटफॉर्मों को एकीकृत करने के हमारे विजन को साकार किया है, ताकि ग्राहकों को विश्वस्तरीय बैंकिंग अनुभव उपलब्ध कराया जा सके। ये आउटलेट अति-आधुनिक गैजेट एवं मशीनों से सुसज्जित हैं, जो ग्राहकों को साइट एवं दूरस्थ विशेषज्ञ की सहायता से स्वयं सेवा पद्धति में ही लेनदेन करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

मोबाइल स्मार्ट फोन के कारण भी हमारे कार्य एवं सामाजिक व्यवहार में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। भारतीय स्टेट बैंक में हम अपने ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने, मजबूत संबंध बनाने, व्यय कम करने और अपने ब्रांड को मजबूत बनाने के लिए मोबाइल बैंकिंग सुविधाएं ग्राहकों के हाथ में देने पर ध्यान दे रहे हैं। बैंक इस समय 1.77 करोड़ प्रयोक्ताओं एवं लेनदेनों की राशि की दृष्टि से 35.97% बाजार अंश के साथ भारत में मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के मामले में अग्रणी है।

इसी प्रकार, भारतीय स्टेट बैंक ने बहुत पहले ही नकदी रहित समाज की ओर जाने की आवश्यकता को समझा और प्लास्टिक मनी की व्यवस्था बनाने की दिशा में सबसे आगे रहने के लिए प्रयास किए हैं। आज उसके पास कार्डों के जरिए भुगतान स्वीकार करने के लिए सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक संरचना उपलब्ध है। बाजार में तीन लाख से भी अधिक पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल लगाए जाने के साथ हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच अत्यधिक मर्चेंट संबंधों के साथ भारत के चार शीर्ष लेनदेन एक्वायरों में से आगे है। जहाँ तक अपने ग्राहकों को अपने संयुक्त उद्यम एसबीआईसीपीएसएल के जरिए कार्ड जारी करने की बात है, 35 लाख प्रयोक्ता आधार एवं व्यय की गई राशि की दृष्टि से 12% बाजार अंश के साथ भारतीय स्टेट बैंक समूह क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली तीसरी बड़ी कंपनी है। जहाँ तक डेबिट कार्डों का संबंध है, केवल भारतीय स्टेट बैंक के 23 करोड़ से भी अधिक प्रयोक्ता हैं।

कारपोरेटों और सरकारों का "स्मार्ट" बैंक

ई-वाणिज्य के क्षेत्र में हम पूरे देश के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। वित्त वर्ष 2016 में हमारे माध्यम से 67 करोड़ ई-कॉमर्स लेनदेन हुए।

36,000
मर्चेंट बैंकिंग गठजोड़

2,250 **कॉरपोरेट**
यूज ई-ट्रेड पोर्टल

पहले कहा जाता था कि पैसे से दुनिया में सब कुछ मिलता है, किंतु अब ऑनलाइन व्यापार और लेनदेन से दुनिया में सब कुछ पहले से ज्यादा तेजी से मिलता है।

हमारा ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म onlinesbi.com खुदरा, कारपोरेट और संस्थात्मक ग्राहकों को भरोसेमंद और ग्राहक-अनुकूल सेवाएँ प्रदान करता है, जिनमें सरकारी उपक्रम और सरकारी एजेंसियाँ भी शामिल हैं। इस किफायती चैनल पर वित्त वर्ष 2016 में 124 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए, जो पिछले वर्ष से 39% अधिक हैं। हमने प्रत्यक्ष रूप से या स्टेट बैंक कलेक्ट और ई-वाणिज्य समूहकों के मार्फत 36,000 से ज्यादा व्यापारिक गठजोड़ किए हैं, जिनके माध्यम से वित्त वर्ष 2016 में हुए 67 करोड़ से अधिक लेनदेनों ने हमें इस क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया है।

एसबीआई का ई-ट्रेड एक वेब आधारित पोर्टल है। इसके माध्यम से हमारे ग्राहक व्यापार वित्त संबंधी सुविधाएँ अधिक तीव्रता और कुशलता से प्राप्त कर सकते हैं। इस समय लगभग 2,250 कारपोरेट इस पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं। हम अपने ई-वी एफएस/ई-डीएफएस के माध्यम से उनके आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों को भी ऋण प्रदान कर रहे हैं, जिससे वे अपने कार्यशील पूंजी चक्र का कुशलता से प्रबंधन कर निरंतर वृद्धि करते हुए बेहतर लाभप्रदता प्राप्त कर रहे हैं। पूरे देश के 182 से ज्यादा उद्योग अग्रणी अपने लगभग 3,900 विक्रेताओं और 12,900 से अधिक व्यापारियों के साथ हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं।

एसबीआई ने अपनी डिजिटल अवसंरचना के उपयोग में लंबे डग भरे हैं, जिनसे ई-गवर्नेन्स में कुशलता और उत्पादकता के नए प्रतिमान स्थापित हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की जरूरत की ई-सुविधाएँ सृजित करने में बैंक अग्रणी रहा है, जिससे सरकारों को अपने लेनदेन ऑनलाइन करने की क्षमता प्राप्त हुई है और इनकी कार्यप्रणाली में कुशलता तथा पारदर्शिता आई है।

इस समय एसबीआई ई-पे भारत में किसी भी बैंक की पहली और एकमात्र समूहक सेवा है। भुगतान की अन्य विधियों और अन्य उपयोगकर्ताओं को भी इस प्लेटफॉर्म पर लाने की योजना है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों तथा नगर निगमों पर विशेष ध्यान रहेगा।

ग्राहकों और कर्मचारियों को "स्मार्ट" बनाए रखना

ग्राहक और कर्मचारीगण प्रौद्योगिक परिवेश में हो रहे परिवर्तन के साथ कदम मिलाकर चल सकें, इस हेतु उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए हम काफी परिश्रम करते हैं।

385
प्रौद्योगिकी ज्ञानार्जन केंद्र

279,000
प्रशिक्षित सहभागी

"स्मार्ट" बैंक होना और मल्टिपल डिजिटल चैनल रखना ही काफी नहीं है। कई लोग हैं, जो तेज गति से हो रहे परिवर्तनों से घबरा जाते हैं और प्रौद्योगिकी को आसानी से अपना नहीं पाते। कई ग्राहक अपने हर कार्य के लिए शाखा में आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में उलझन या जोखिम है। हम चाहते हैं कि हम जिस तेज गति की सेवाएँ उपलब्ध करा रहे हैं, उसे अपनाने के लिए हमारे ग्राहक भी उसी गति से तैयार हो सकें।

भारतीय स्टेट बैंक मानता है कि ग्राहकों को उनके आसपास मौजूद प्रौद्योगिकी के बारे में शिक्षित करने की जिम्मेदारी उसकी है, ताकि वे किसी भी दिन किसी भी समय अपना बैंकिंग कामकाज बिना किसी की मदद के कर सकें और उनका जीवन अधिक सुकर बने। आम आदमी को वित्तीय रूप से साक्षर और वित्तीय सेवाओं के प्रभावी उपयोग में सक्षम बनाने के मुख्य प्रयोजन से हमने देश के विभिन्न स्थानों में 385 प्रौद्योगिकी ज्ञानार्जन केंद्र (टी एल सी) स्थापित किए हैं, जहाँ बैंक के विभिन्न प्रौद्योगिकी आधारित चैनलों के बारे में संवादात्मक सत्र और प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। अब हमारे हजारों ग्राहक डिजिटल चैनलों का प्रयोग पहले से ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं।

दूसरी ओर, डिजिटल बैंकिंग में अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखने के लिए नवीनतम प्रवृत्तियों, पद्धतियों और नए प्रकार की प्रौद्योगिकी से अपने कर्मचारियों को अवगत कराना भी उतना ही आवश्यक है। इस दिशा में कार्य करते हुए भारतीय स्टेट बैंक ज्ञान का प्रसार करने और अपने कार्यबल को शिक्षित करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का समुचित उपयोग कर रहा है। वर्ष के दौरान हमने ऑन लाइन पाठ्यक्रमों की संख्या में और वृद्धि की। इस माध्यम से हम 2,79,000 से अधिक सहभागियों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। इन पाठ्यक्रमों में ई-लेसन, मोबाइल नगेट्स्, ई-कैप्सूल, प्रकरण अध्ययन और हमारे ज्ञानार्जन पोर्टल 'ज्ञानोदय' पर ई-प्रकाशन शामिल हैं। अब भारतीय स्टेट बैंक के प्रत्येक कर्मचारी के लिए निर्धारित अवधि का ई-प्रशिक्षण अनिवार्य कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हम अपने परिचालन क्षेत्र की सर्वोत्तम बैंकिंग प्रथाओं से पूर्णतः परिचित रहें और उन्हीं के अनुसार कार्य करें।

रेटिंग्स 31 मार्च, 2016 को

	रेटिंग	रेटिंग एजेंसी
बैंक रेटिंग	पोजिटिव/बीएए 3/पी-3/बीए1	मूडीस
	बीबीबी-/ स्टेबल/ए-3	एस एण्ड पी
	बीबीबी-/एफ़ 3/ स्टेबल	फिच
लिखत		
नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत	एएए/ स्टेबल	क्रिसिल
	केयर एएए	केयर
उच्चतर टियर II गौण ऋण	एएए/ स्टेबल	क्रिसिल
	केयर एएए	केयर
निम्नतर टियर II गौण ऋण	एएए/ स्टेबल	क्रिसिल
	केयर एएए	केयर
	(आईसीआरए) एएए	आईसीआरए
बेसल III टियर II	एएए/स्टेबल	क्रिसिल
	केयर एएए	केयर
	(आईसीआरए) एएए (एचवाईबी)	आईसीआरए

केयर : क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड
आईसीआरए : आईसीआरए लिमिटेड
क्रिसिल : क्रिसिल लिमिटेड
एस एंड पी : स्टेंडर्ड एण्ड पुअर

एसबीआई समूह संरचना 27 मई, 2016 को

एसबीआई

देशीय बैंकिंग अनुषंगियाँ

- 75.07% स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
- 100% स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
- 90% स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
- 100% स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
- 79.09% स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

गैर- बैंकिंग अनुषंगियाँ / संयुक्त उद्यम

- 100% एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.
  - एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लि.
  - एसबीआई कैप वेंचर्स लि.
  - एसबीआई कैप (यू के लि.)
  - एसबीआई कैप ट्रस्टीज कंपनी लि.
  - एसबीआई कैप (सिंगापुर लि.)
- 63.78% एसबीआई डीएफएचआई लि.
- 100% एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
- 100% एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
- 86.18% एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
- 60% एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.
- 63% एसबीआई फंड्स मैनेजमैंट प्रा. लि.
  - एसबीआई फंडस मैनेजमैंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि .
- 60% एसबीआई काड्र्स एण्ड पेमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि.

(स्वामित्व अंश %)

विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम

74%	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
65%	एसबीआई- एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेस प्रा. लि.
74%	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि .
49%	सी-एज टेक्नोलोजीज लि.
40%	जी ई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमैंट सर्विसेस प्रा. लि.
45%	मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
	मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.
45%	एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
45%	एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.
50%	ओमान इंडिया ज्याइंट इन्वेस्ट्मेंट फंड मैनेजमैंट कंपनी प्रा. लि.
50%	ओमान इंडिया ज्याइंट इन्वेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
100%	एसबीआई फाउंडेशन

100%	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (केलिफोर्निया)
100%	एसबीआई कनाडा बैंक
60%	कामर्शियल इंडो बैंक एल एल सी. मास्को
96.60%	एसबीआई मॉरिशस लि.
99.00%	बैंक एसबीआई इंडोनेशिया
55.10%	नेपाल एसबीआई बैंक लि.
100%	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.
20%	बैंक ऑफ भूटान लि.

निष्पादन संकेतक

कुल आय (₹ करोड़ में)

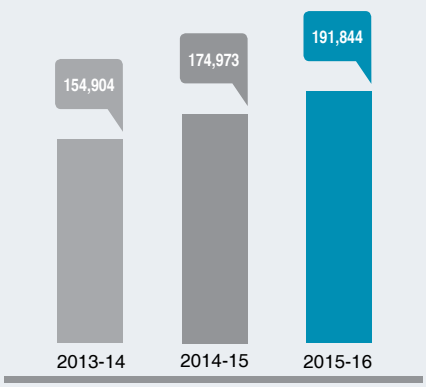

परिचालन लाभ (₹ करोड़ में)

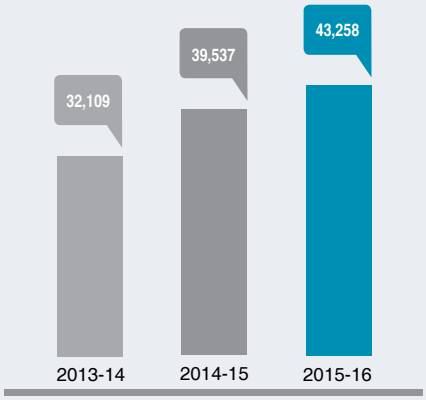

निवल लाभ (₹ करोड़ में)

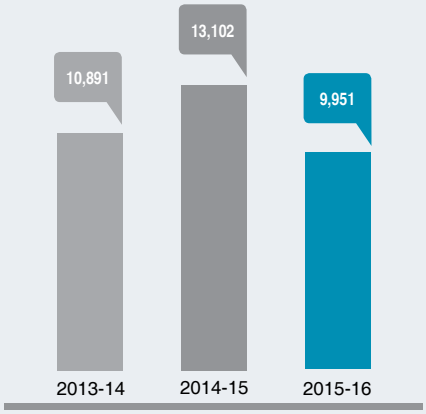

निवल ब्याज आय (₹ करोड़ में)

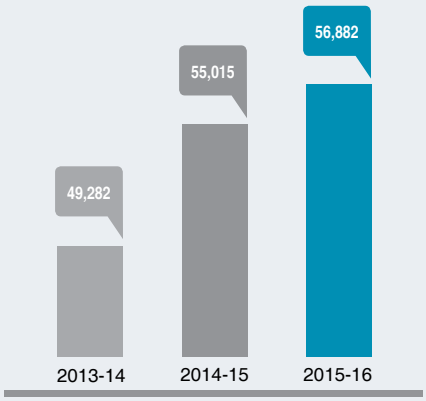

अन्य आय (₹ करोड़ में)

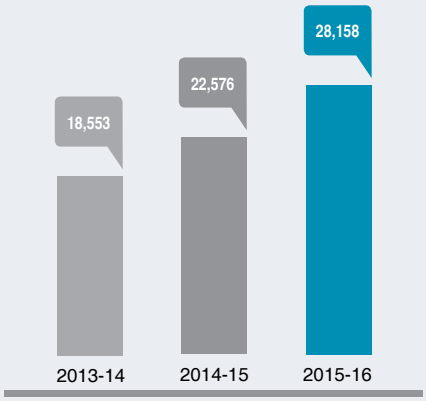

आय की तुलना में खर्च अनुपात %

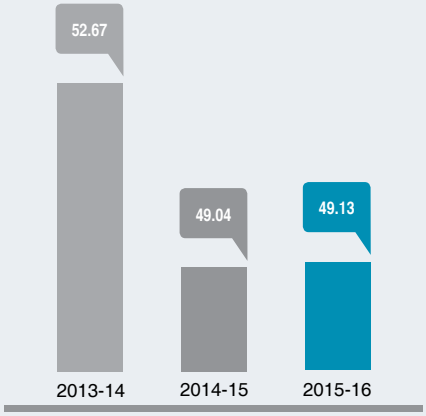

निवल ब्याज मार्जिन %

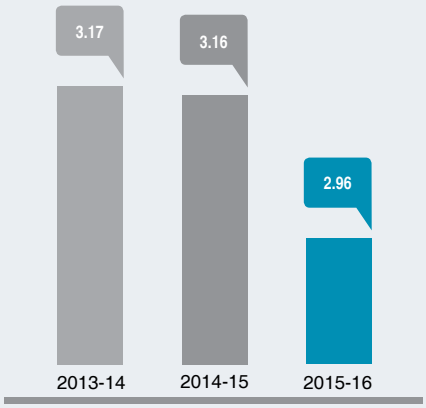

आस्तियों पर आय %

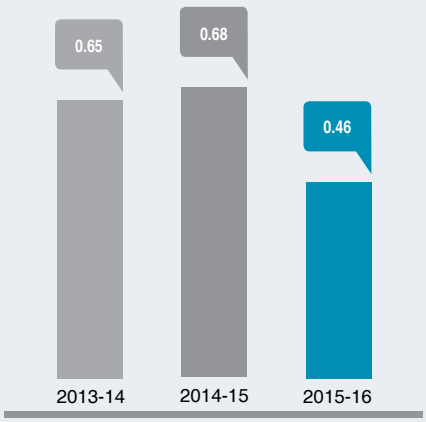

ईक्विटी पर आय %

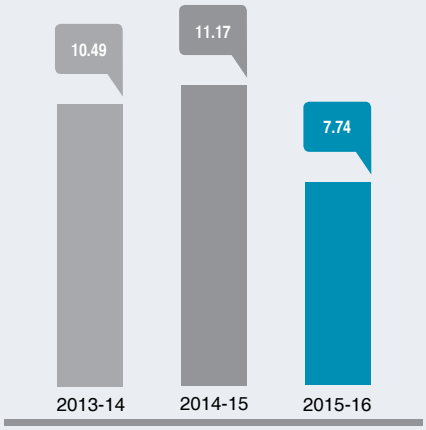

प्रति शेयर आय*

(₹)

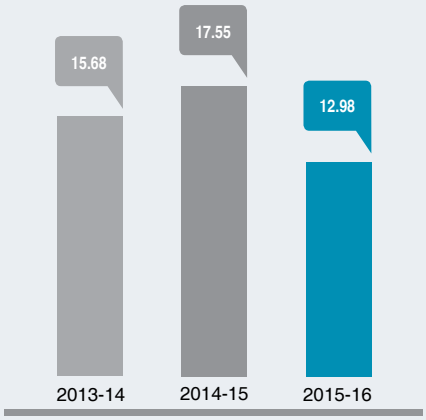

सकल एनपीए अनुपात

%

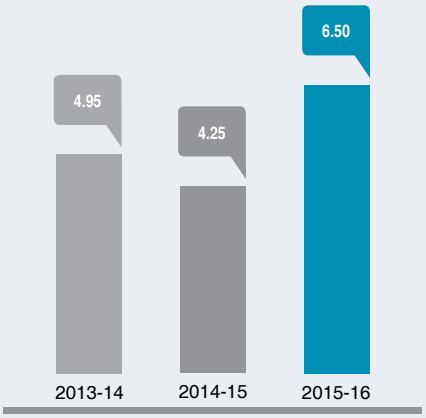

निवल एनपीए अनुपात

%

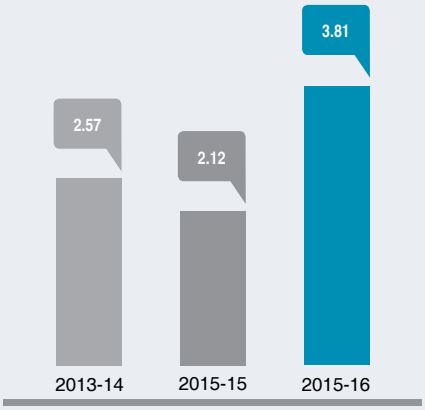

जमाराशियां और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

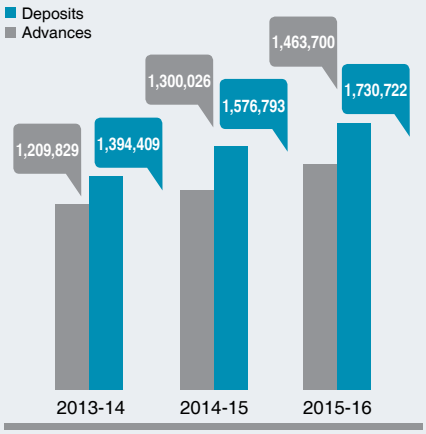

प्रति शेयर बही मूल्य*

(₹)

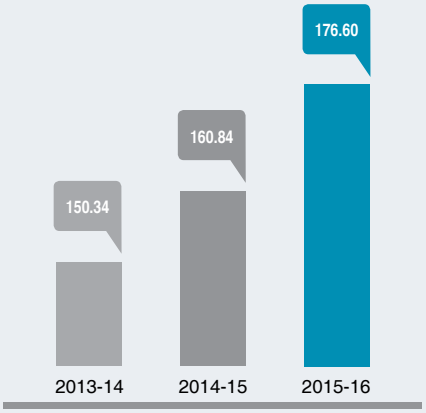

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

%

वित्त वर्ष 2015-16 में अर्जन

%

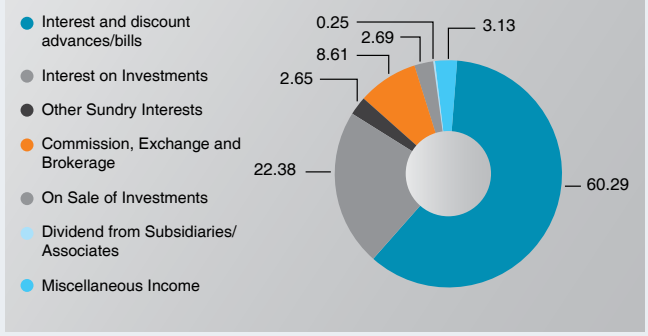

वित्त वर्ष 2015-16 में खर्च

%

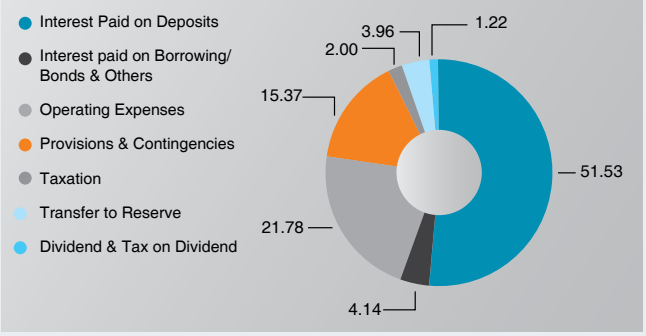

बैंक के शेयर के अंकित मूल्य को 22 नवंबर 2014 से 10 रुपए प्रति शेयर से 1 रुपए प्रति शेयर किया गया। प्रत्येक अवधि के लिए प्रस्तुत सभी सूचना में इसके प्रभाव को दर्शाया गया है।

पिछले 10 वर्षों का वित्तीय प्रदर्शन

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
देयताएं										
पूंजी (करोड़ ₹)	526	631	635	635	635	671	684	747	747	776
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष (करोड़ ₹)	30,772	48,401	57,313	65,314	64,351	83,280	98,200	1,17,536	1,27,692	1,43,498
जमाराशियां (करोड़ ₹)	4,35,521	5,37,404	7,42,073	8,04,116	9,33,933	10,43,647	12,02,740	13,94,409	15,76,793	17,30,722
उधारियां (करोड़ ₹)	39,704	51,728	53,713	1,03,012	1,19,569	1,27,006	1,69,183	1,83,131	2,05,150	2,24,191
अन्य (करोड़ ₹)	60,042	83,362	1,10,698	80,337	1,05,248	80,915	95,404	96,927	1,37,698	1,59,876
कुल (करोड़ ₹)	**5,66,565**	**7,21,526**	**9,64,432**	**10,53,414**	**12,23,736**	**13,35,519**	**15,66,211**	**17,92,748**	**20,48,080**	**22,59,063**
आस्तियां										
निवेश (करोड़ ₹)	1,49,149	1,89,501	2,75,954	2,85,790	2,95,601	3,12,198	3,50,878	3,98,800	4,81,759	4,77,097
अग्रिम (करोड़ ₹)	3,37,337	4,16,768	5,42,503	6,31,914	7,56,719	8,67,579	10,45,617	12,09,829	13,00,026	14,63,700
अन्य आस्तियां (करोड़ ₹)	80,079	1,15,257	1,45,975	1,35,710	1,71,416	1,55,742	1,69,716	1,84,119	2,66,295	3,18,266
कुल (करोड़ ₹)	**5,66,565**	**7,21,526**	**9,64,432**	**10,53,414**	**12,23,736**	**13,35,519**	**15,66,211**	**17,92,748**	**20,48,080**	**22,59,063**
निवल ब्याज आय (करोड़ ₹)	15,058	17,021	20,873	23,671	32,526	43,291	44,329	49,282	55,015	56,882
एनपीए के लिए प्रावधान (करोड़ ₹)	1,429	2,001	2,475	5,148	8,792	11,546	11,368	14,224	17,908	26,984
परिचालन परिणाम (करोड़ ₹)	10,000	13,108	17,915	18,321	25,336	31,574	31,082	32,109	39,537	43,258
कर-पूर्व निवल लाभ (करोड़ ₹)	7,625	10,439	14,181	13,926	14,954	18,483	19,951	16,174	19,314	13,774
निवल लाभ (करोड़ ₹)	4,541	6729	9121	9,166	8,265	11,707	14,105	10,891	13,102	9,951
औसत आस्तियों से आय (%)	0.84	1.01	1.04	0.88	0.71	0.88	0.97	0.65	0.68	0.46
ईक्विटी से आय (%)	14.24	17.82	15.07	14.04	12.84	14.36	15.94	10.49	11.17	7.74
आय की तुलना में व्यय (%) (निवल आय की तुलना में परिचालन व्यय)	54.18	49.03	46.62	52.59	47.6	45.23	48.51	52.67	49.04	49.13
प्रति कर्मचारी लाभ (000 ₹)	237	373	474	446	385	531	645	485	602	470
प्रति शेयर आय (₹)	86.1	126.62	143.77	144.37	130.16	184.31	210.06	156.76	17.55	12.98
प्रति शेयर लाभांश (₹)	14	21.5	29	30	30	35	41.5	30	3.5	2.60
एसबीआई शेयर (एनएससी में मूल्य) (₹)	994.45	1,600.25	1,067.10	2,078.20	2,765.30	2,096.35	2,072.75	1,917.70	267.05	194.25
लाभांश भुगतान अनुपात %(₹)	16.22	20.18	20.19	20.78	23.05	20.06	20.12	20.56	20.21	20.28
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)										
बासेल-II (₹करोड़ में)	N.A.	N.A.	85,393	90,975	98,530	1,16,325	1,29,362	1,45,845	1,54,491	1,81,800
बासेल-II (%)			14.25	13.39	11.98	13.86	12.92	12.96	12.79	13.94
टियर I (₹करोड़ में)	N.A.	N.A.	56,257	64,177	63,901	82,125	94,947	1,12,333	1,22,025	1,35,757
टियर I (%)			9.38	9.45	7.77	9.79	9.49	9.98	10.1	10.41
टियर II (₹करोड़ में)	N.A.	N.A.	29,136	26,798	34,629	34,200	34,415	33,512	32,466	46,043
टियर II (%)			4.87	3.94	4.21	4.07	3.43	2.98	2.69	3.53
बासेल-III (₹करोड़ में)	N.A.	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	1,40,151	1,46,519	1,75,903
बासेल-III (%)								12.44	12	13.12
टियर I (₹करोड़ में)	N.A.	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	1,09,547	1,17,157	1,33,035
टियर I (%)								9.72	9.6	9.92
टियर II (₹करोड़ में)	N.A.	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	30,604	29,362	42,868
टियर II (%)								2.72	2.4	3.20
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%)	1.56	1.78	1.79	1.72	1.63	1.82	2.1	2.57	2.12	3.81
देश में शाखाओं की संख्या	9,231	10,186	11,448	12,496	13,542	14,097	14,816	15,869	16,333	16,784
विदेश-स्थित शाखाओं/कार्यालयों की संख्या	83	84	92	142	156	173	186	190	191	198

*22 नवंबर 2014 से (रेकार्ड तिथि 21.11.2014) बैंक के शेयर के अंकित मूल्य को 10 रुपए प्रति शेयर से 1 रुपया प्रति शेयर किया गया। वर्ष 2014-15, 2015-16 के लिए आँकड़ें 1 रुपए प्रति शेयर और शेष वर्ष के लिए 10 रुपए प्रति शेयर के अनुसार हैं।

बचत@एसबीआई
भारतीय स्टेट बैंक
हर भारतीय का बैंक
मेरा बचत खाता मुझे अपने डीमैट खाते और ट्रेडिंग खाते से भी जोड़ता है!
वाह! निवेश करना वाक़ई इतना आसान है!
डीमैट सेवाएं
जी हाँ! एसबीआई में बचत खाते को डीमैट और ट्रेडिंग खाते से भी जोड़ा जा सकता है। आप ऑन-लाइन प्रतिभूतियों को हस्तांतरित/गिरवी/गिरवी रहित कर सकते हैं। अन्य लाभों में 24x7 ग्राहक सेवा, सलाहकारी सेवाएं, ई-खाता विवरण और मोबाइल अलर्ट शामिल हैं। अतः आज ही बचत खाता खोलें... और हमसे अधिक की उम्मीद करें।
भारतीय स्टेट बैंक यानी अधिक सुविधाएं।
बचत खाते की मूल्यवर्धित विशेषताएं: • डेबिट कार्ड • इंटरनेट बैंकिंग
• मोबाइल बैंकिंग • व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा • स्वास्थ्य बीमा • क्रेडिट कार्ड
सहायता के लिए, हमारी 24x7 हेल्पलाइन नंबर 080-26599990 या
टोल फ्री नंबर 1800 11 2211 /1800 425 3800 पर कॉल करें या अधिक जानकारी के लिए www.sbi.co.in लॉग-ऑन करें।

केंद्रीय निदेशक बोर्ड

27 मई, 2016 को

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

श्री बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक

श्री वी. जी. कन्नन
प्रबंध निदेशक

श्री रजनीश कुमार
प्रबंध निदेशक

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक

श्री संजीव मल्होत्रा
शेयरधारक निदेशक

श्री एम. डी. माल्या
शेयरधारक निदेशक

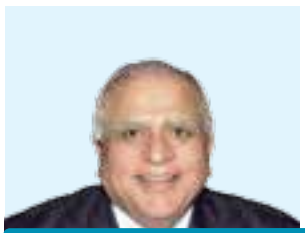

श्री सुनील मेहता
शेयरधारक निदेशक

श्री दीपक आई. अमिन
शेयरधारक निदेशक

श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ. गिरीश के. आहुजा
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ. पुष्पेंद्र रॉय
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

सुश्री अंजुली चिब दुग्गल
सचिव, डीएफएस
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ. ऊर्जित आर. पटेल
उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

अध्यक्ष
श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य

प्रबंध निदेशक
श्री बी. श्रीराम
श्री वी. जी. कन्नन
श्री रजनीश कुमार
श्री पी. के. गुप्ता

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(ग) के अंतर्गत निर्वाचित निदेशक
श्री संजीव मल्होत्रा
श्री एम. डी. माल्या
श्री सुनील मेहता
श्री दीपक आई. अमिन

कार्यकाल: 3 वर्ष तथा फिर से 3 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र

अधिकतम कार्यकाल: 6 वर्ष

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(घ) के अंतर्गत निदेशक
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी
डॉ. गिरीश के. आहूजा
डॉ. पुष्पेंद्र रॉय

कार्यकाल: 3 वर्ष तथा पुनर्नियुक्ति/पुनर्नामांकन हेतु पात्र, परंतु अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(ङ) के अंतर्गत निदेशक
सुश्री अंजुली चिब दुग्गल

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(च) के अंतर्गत निदेशक
डॉ. ऊर्जित आर. पटेल

बोर्ड की समितियां

27 मई, 2016 को

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी)

अध्यक्ष
श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य

प्रबंध निदेशक,
श्री बी. श्रीराम, श्री वी. जी. कन्नन,
श्री रजनीश कुमार और श्री पी. के. गुप्ता

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती), अर्थात डॉ. ऊर्जित आर. पटेल और भारत में हो रही बैठक-स्थल के निवासी या बैठक के समय उस स्थान पर उपस्थित सभी या अन्य कोई निदेशक।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी)

श्री सुनील मेहता, निदेशक-समिति के अध्यक्ष
श्री एम. डी. माल्या, निदेशक-सदस्य
श्री दीपक आई अमिन, निदेशक-सदस्य
डॉ. गिरीश आहूजा, निदेशक-सदस्य
सुश्री अंजुली चिब दुग्गल, भारत सरकार की नामिती-सदस्य
डॉ. ऊर्जित आर पटेल, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती-सदस्य
श्री बी. श्रीराम, प्रबंध निदेशक (कारपोरेट बैंकिंग समूह)-सदस्य (पदेन)
श्री पी. के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक-सी एवं आर-सदस्य (पदेन)

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)

श्री बी. श्रीराम, प्रबंध निदेशक-कारपोरेट बैंकिंग समूह-सदस्य-(पदेन) समिति के अध्यक्ष
श्री पी.के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक-सी एवं आर-सदस्य (पदेन)
श्री संजीव मल्होत्रा, निदेशक-सदस्य
श्री एम.डी.माल्या, निदेशक-सदस्य
श्री सुनील मेहता, निदेशक-सदस्य
श्री दीपक आई अमिन, निदेशक-सदस्य
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी, निदेशक-सदस्य
डॉ. पुष्पेंद्र रॉय, निदेशक-सदस्य

बोर्ड की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)

श्री एम. डी. माल्या, निदेशक-समिति के अध्यक्ष
श्री सुनील मेहता, निदेशक-सदस्य
डॉ. गिरीश के आहूजा, निदेशक-सदस्य
श्री वी. जी. कन्नन, प्रबंध निदेशक (सहयोगी एवं अनुषंगी)-(पदेन)
श्री रजनीश कुमार, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बैंकिंग समूह-सदस्य (पदेन)

बड़ी राशि की धोखाधड़ी की निगरानी करने के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ)

श्री रजनीश कुमार, प्रबंध निदेशक (राष्ट्रीय बैंकिंग समूह)-सदस्य (पदेन)- समिति के अध्यक्ष
श्री पी.के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक (सी एंड आर)-सदस्य (पदेन)
श्री संजीव मल्होत्रा, निदेशक-सदस्य
श्री एम. डी. माल्या, निदेशक-सदस्य
श्री सुनील मेहता, निदेशक-सदस्य
श्री दीपक आई. अमिन, निदेशक-सदस्य
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी, निदेशक-सदस्य
डॉ. गिरीश के आहूजा, निदेशक-सदस्य

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

श्री बी श्रीराम, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (कारपोरेट बैंकिंग समूह)-सदस्य (पदेन)-समिति के अध्यक्ष
श्री रजनीश कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग समूह)-सदस्य (पदेन)
श्री एम. डी. माल्या, निदेशक-सदस्य
श्री सुनील मेहता, निदेशक-सदस्य
श्री दीपक आई. अमिन, निदेशक-सदस्य
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी, निदेशक-सदस्य
डॉ. पुष्पेंद्र रॉय, निदेशक-सदस्य

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आईटीएससी)

श्री दीपक आई. अमिन, सदस्य (पदेन)-समिति के अध्यक्ष
श्री संजीव मल्होत्रा, निदेशक-सदस्य
श्री एम. डी. माल्या, निदेशक-सदस्य
श्री सुनील मेहता, निदेशक-सदस्य
श्री बी श्रीराम, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (कॉरपोरेट बैंकिंग समूह)-सदस्य (पदेन)
श्री पी.के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक (सी एंड आर)-सदस्य (पदेन)

कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआर)

श्री वी. जी. कन्नन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी)-सदस्य (पदेन)-समिति के अध्यक्ष
श्री रजनीश कुमार, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बैंकिंग समूह-सदस्य (पदेन)
श्री संजीव मल्होत्रा, निदेशक-सदस्य
श्री सुनील मेहता, निदेशक-सदस्य
श्री दीपक आई. अमिन, निदेशक-सदस्य
डॉ. पुष्पेंद्र रॉय, निदेशक-सदस्य

बोर्ड की पारिश्रमिक समिति (आरसीबी)

सुश्री अंजुली चिब दुग्गल, भारत सरकार के नामिती-सदस्य (पदेन)
डॉ. ऊर्जित आर.पटेल, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती-सदस्य (पदेन)
श्री एम डी माल्या, निदेशक-सदस्य
श्री दीपक आई. अमिन, निदेशक-सदस्य

बोर्ड की वसूली निगरानी समिति (बीसीएमआर)

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष
श्री बी. श्रीराम, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (कॉरपोरेट बैंकिंग समूह)-सदस्य
श्री वी. जी. कन्नन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी)-सदस्य
श्री रजनीश कुमार, प्रबंध निदेश एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग समूह)-सदस्य
सुश्री अंजुली चिब दुग्गल, भारत सरकार के नामिती-सदस्य (पदेन)

इरादतन चूककर्ता/असहयोगी ऋणियों के निर्धारण हेतु समीक्षा समिति

प्रबंध निदेशक - कॉरपोरेट बैंकिंग समूह (सीबीजी) - समिति के अध्यक्ष
बैंक के अन्य दो स्वतंत्र निदेशक

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 21 (1) (क) के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा नामित स्थानीय बोर्डों के सदस्य, प्रबंध निदेशक (राष्ट्रीय बैंकिंग समूह) से भिन्न 27 मई, 2016 को

अहमदाबाद
श्री संजीव नौटियाल
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

बेंगलूरु
श्रीमती रजनी मिश्रा
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

भोपाल
श्री के. टी. अजित
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री अनिल गर्ग

भुवनेश्वर
श्री बी. वी. जी. रेड्डी
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री शरत चंद्र भद्र

चंडीगढ़
श्री अनिल किशोरा
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री अनिल अरोड़ा

चेन्नई
श्री बी. रमेश बाबु
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

हैदराबाद
श्री हरदयाल प्रसाद
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री एम. वी. रंगनाथ

कोलकाता
श्री प्रशांत कुमार
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

लखनऊ
श्री गौतम सेनगुप्ता
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री मुनीश कुमार जैन

मुंबई
श्री दीपंकर बोस
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री संजीव मल्होत्रा*
श्री एम.डी. माल्या*
श्री सुनील मेहता*
श्री दीपक आई अमिन*

दिल्ली
श्री पल्लव महापात्र
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी*
श्री दिनेश कुमार
डॉ. गिरीश के आहूजा*
डॉ. पुष्पेंद्र रॉय*

उत्तर पूर्वी
श्री पी.वी.एस.एल.एन. मूर्ति
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

पटना
श्री अजित सूद
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

केरल
श्री बादल चंद्र दास
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री ए.गोपालकृष्णन

* भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 21 (1) (ख) के अनुसार स्थानीय बोर्डों में नामित केंद्रीय बोर्ड के निदेशक

केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य दिनांक 27 मई, 2016 की स्थिति के अनुसार

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

श्री बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट बैंकिंग समूह)

श्री वी. जी. कन्नन
प्रबंध निदेशक
(सहयोगी एवं अनुषंगी)

श्री रजनीश कुमार
प्रबंध निदेशक
(राष्ट्रीय बैंकिंग समूह)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(अनुपालन एवं जोखिम)

श्री एन. कृष्णमाचारी
उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य परिचालन अधिकारी

श्री अश्विनी मेहरा
उप प्रबंध निदेशक एवं कॉरपोरेट विकास अधिकारी

श्री सुनील श्रीवास्तव
उप प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट लेखा समूह)

श्री सिद्धार्थ सेनगुप्ता
उप प्रबंध निदेशक
(अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह)

श्रीमती अंशुला कांत
उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी

डॉ. एम. एस. शास्त्री
उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य जोखिम अधिकारी

श्री मृत्युंजय महापात्रा
उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य सूचना अधिकारी

डॉ. एम. जी. वैद्यन
उप प्रबंध निदेशक
(तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह)

श्री शशी कुमार सी. आर.
उप प्रबंध निदेशक
(निरीक्षण एवं प्रबंधन लेखा-परीक्षा)

श्री जे. पकरीसामी
उप प्रबंध निदेशक
(मिड कॉरपोरेट ग्रुप)

श्री शेखर कर्णम
उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य ऋण अधिकारी

श्रीमती मंजु अग्रवाल
उप प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट कार्यनीति एवं नव व्यवसाय)

Smt Arundhati Bhattacharya
Chairman

Shri B. Sriram
Managing Director
(Corporate Banking Group)

Shri V.G. Kannan
Managing Director
(Associates & Subsidiaries)

Shri Rajnish Kumar
Managing Director
(National Banking Group)

Shri P.K. Gupta
Managing Director
(Compliance & Risk)

Shri N. Krishnamachari
Deputy Managing Director & Chief Operating Officer

Shri Ashwini Mehra
Deputy Managing Director & Corporate Development Officer

Shri Sunil Srivastava
Deputy Managing Director
(Corporate Accounts Group)

Shri Siddhartha Sengupta
Deputy Managing Director
(International Banking Group)

Smt Anshula Kant
Deputy Managing Director & Chief Financial Officer

Dr M. S. Sastry
Deputy Managing Director & Chief Risk Officer

Shri Mrutyunjay Mahapatra
Deputy Managing Director & Chief Information Officer

Dr M.G. Vaidyan
Deputy Managing Director
(Stressed Assets Management Group)

Shri Sasikumar C.R.
Deputy Managing Director
(Inspection and Management Audit)

Shri J. Packirisamy
Deputy Managing Director
(Mid Corporate Group)

Shri Sekar Karnam
DMD & Chief Credit Officer

Smt Manju Agarwal
Deputy Managing Director
(Corporate Strategy and New Businesses)

बैंक के लेखा-परीक्षक

मेसर्स वर्मा एंड वर्मा कोचि	**M/s Varma & Varma** Kochi
मेसर्स मेहरा गोयल एंड कंपनी नई दिल्ली	**M/s Mehra Goel & Co.** New Delhi
मेसर्स एस आर आर के शर्मा एसोशिएट्स बेंगलूरु	**M/s S R R K Sharma Associates** Bangalore
मेसर्स वी शंकर अय्यर एंड कंपनी मुंबई	**M/s V Sankar Aiyar & Co.** Mumbai
मेसर्स एस एन मुखर्जी एंड कंपनी कोलकाता	**M/s S N Mukherji & Co.** Kolkata
मेसर्स बी छावछरिया एंड कंपनी कोलकाता	**M/s B Chhawchharia & Co.** Kolkata
मेसर्स मनुभाई एंड शाह, एल एल पी अहमदाबाद	**M/s Manubhai & Shah LLP** Ahmedabad
मेसर्स एम.भास्कर राव एंड कंपनी हैदराबाद	**M/s M. Bhaskara Rao & Co.** Hyderabad
मेसर्स जीएसए एंड एसोशिएट्स नई दिल्ली	**M/s GSA & Associates** New Delhi
मेसर्स चटर्जी एंड कंपनी कोलकाता	**M/s Chatterjee & Co.** Kolkata
मेसर्स बंसल एंड कंपनी नई दिल्ली	**M/s Bansal & Co.** New Delhi
मेसर्स अमित रे एंड कंपनी इलाहाबाद	**M/s Amit Ray & Co.** Allahabad
मेसर्स एस एल छाजड एंड कंपनी भोपाल	**M/s S L Chhajed & Co.** Bhopal
मेसर्स मित्तल गुप्ता एंड कंपनी कानपुर	**M/s Mittal Gupta & Co.** Kanpur

अध्यक्ष की कलम से

मुझे वित्त वर्ष 2015-16 में आपके बैंक के प्रदर्शन के उल्लेखनीय तथ्यों की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। आपके बैंक की उपलब्धियों और नए प्रयासों की विस्तृत जानकारी वर्ष 2015-16 की संलग्न वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है।

प्रिय शेयरधारक,

मुझे वित्त वर्ष 2015-16 में आपके बैंक के प्रदर्शन के उल्लेखनीय तथ्यों की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। आपके बैंक की उपलब्धियों और नए प्रयासों की विस्तृत जानकारी वर्ष 2015-16 की संलग्न वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है।

आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2015 विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए एक और चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा, जब आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार आर्थिक वृद्धि की दर सिर्फ 3.1% रह गई। विकसित देशों की आर्थिक वृद्धि दर जरूर मामूली सी बढ़ी। आगे बढ़ रहे और विकासशील देशों की आर्थिक वृद्धि दर में ब्राजील, रूस जैसे देशों के नरम प्रदर्शन और चीन की लगातार धीमी होती अर्थव्यवस्था के कारण गिरावट आई। तेल और जरूरी चीजों की नीची कीमतों और नरम वित्तीय स्थिति ने जोखिम बढ़ा दिए।

इस कैलेंडर वर्ष की पहली तिमाही में विश्व स्तर पर आर्थिक वृद्धि दर लगातार नीची बनी रही। अमेरिका में कारोबार के लिए माहौल सुस्त रहने के कारण वृद्धि दर बढ़ाने वाली संस्थाओं की प्रगति भी लगभग पहले जैसी ही बनी रही। यूरोज़ोन की वृद्धि भी पिछली तिमाही के समान ही रही। जापान में भी वृद्धि दर लगातार कमजोर बनी रही। पर हाल ही में तेल की कीमतें बढ़ने और जरूरी चीजों की कीमतों के मामूली सा बढ़ने के कारण विश्व स्तर पर आर्थिक गतिविधियां कुछ तेज हुई। आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2016 में विश्व अर्थव्यवस्था के 3.2% की दर से बढ़ने और इसके वर्ष 2017 में और बढ़कर 3.5% होने की संभावना है। आगे बढ़ रहे एवं विकासशील देशों की वृद्धि दर 4.1 % तक पहुंच जाने और विकसित देशों के 1.9 % की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

दुनिया भर की कमजोर अर्थव्यवस्था के चलते भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 16 में 7.6% की अच्छी दर से बढ़ी। यह पिछले वित्त वर्ष में 7.2% बढ़ी थी। यद्यपि, सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) आधार पर, अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर वित्त वर्ष 15 की 7.1% के मुकाबले वित्त वर्ष 16 में 7.2% रही। इस साल मानसून के सामान्य से अधिक और लंबे समय तक चलने के कारण 106% रहने के अनुमान को देखते हुए वृद्धि दर और अधिक बढ़ सकती है। जीडीपी की वृद्धि (एसबीआई के अनुमान के अनुसार) वित्त वर्ष 17 में 7.8% रहने की उम्मीद है। जहां तक विदेश का संबंध है, चालू खाते के घाटे का कम होना लगातार जारी है। वित्त वर्ष 16 की तीसरी तिमाही में यह और घटकर जीडीपी का सिर्फ 1.3% रह गया, जो वित्त वर्ष 15 की तीसरी तिमाही में जीडीपी का 1.5% रहा था। ऐसा व्यापार घाटे में कमी आने के कारण हुआ। चालू खाते के घाटे के वित्त वर्ष 17 में निरंतर 1%-1.5% के ठीकठाक स्तर पर रहने की उम्मीद है।

आपके बैंक का प्रदर्शन

जमाराशियां

वर्ष 2015-16 में कुल जमाराशियां पिछले वर्ष के स्तर ₹15,76,793 करोड़ से 9.76% बढ़कर ₹17,30,722 करोड़ पर पहुंच गई। आपके बैंक की जमाराशियां सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल वृद्धि के मुकाबले अधिक रही, जिससे मार्च 2016 में मार्केट शेयर 57 आधार बिंदु बढ़कर 17.57% हो गया। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण वैयक्तिक जमाराशियों में पहले से अधिक वृद्धि होना रहा। यह वृद्धि खास तौर से कम लागत वाली कासा जमाराशियों में हुई। बैंक का कासा अनुपात बढ़कर 43.84% हो गया, जो पिछले वर्ष के स्तर 42.88% से 96 आधार अंक अधिक है। इस बीच बचत बैंक जमाराशियों में 13.17% की वृद्धि हुई और ये वित्त वर्ष 16 में ₹5,81,564 करोड़ के स्तर पर पहुंच गईं। चालू खाता जमाराशियों में 9.62% की वृद्धि हुई और ये वित्त वर्ष 16 में ₹1,35,768 करोड़ पर जा पहुंची।

अग्रिम राशियां

आपके बैंक की अग्रिम राशियां ₹15,00,000 करोड़ के स्तर को पार कर गई। ये पिछले वर्ष ₹13,35,424 करोड़ रहीं थी, जो 13.04% वृद्धि के साथ मार्च 2016 में ₹15,09,500 करोड़ के स्तर पर जा पहुंची। हमारे अग्रिमों में इंडस्ट्री की तुलना में अधिक वृद्धि होने के कारण वर्ष 2015-16 में मार्केट शेयर 34 आधार अंक बढ़कर 16.30% हो गया। देश में खुदरा ऋणों में इस दौरान 20.06 % की अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस बढ़ोतरी का बैंक के कुल जारी खुदरा ऋणों में हुई बढ़ोतरी में सबसे बड़ा हिस्सा रहा। इस क्षेत्र में चुकौती में चूक के मामले नगण्य रहे। इससे बैंक की इन दोनों क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ने की नीति को बल मिला। खुदरा ऋण कारोबार में भी वाहन ऋणों में 19.91% की अच्छी खासी वृद्धि दर्ज की गई और ये वित्त वर्ष 15 के ₹32,149 करोड़ के स्तर से बढ़कर वित्त वर्ष 2016 में ₹38,549 करोड़ के हो गए। इसके अतिरिक्त, ₹1,59,237 करोड़ के गृह ऋण वित्त वर्ष 16 में 19.67% वृद्धि के साथ ₹1,90,552 करोड़ पर पहुंच गए। आपके बैंक के खुदरा ऋणों में आवास ऋण का हिस्सा 60% है। इसके अतिरिक्त आपके बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में 25.52% मार्केट शेयर के साथ देश में सबसे ज्यादा गृह ऋण देने वाले बैंक के अपने स्थान को बरकरार रखा।

इसके अलावा, बड़े कॉरपोरेटों को ऋण देने में वित्त वर्ष 16 में 16.69% की वृद्धि हुई और ऋणों की राशि बढ़कर ₹3,29,026 करोड़ पर पहुंच गई, जो पिछले वर्ष ₹2,81,977 करोड़ के स्तर पर थी। यह बढ़ोतरी ज्यादातर पुनर्वित्त उपलब्ध करवाने के अवसरों का ठीक से लाभ उठाए जाने और निवेशयोग्य परियोजनाओं में समुचित ऋण दिए जाने के कारण हुई। वित्त वर्ष 16 की एक अच्छी बात यह रही कि उस वर्ष आपके बैंक ने मझौले कॉरपोरेटों और छोटे एवं मझौले दर्जे के

उद्यमों को संभलकर उधार दिए। वित्त वर्ष 16 में एसएमई क्षेत्र को दिए गए ऋणों में देने में 4.44% की वृद्धि हुई और इनकी राशि बढ़कर 1,89,536 करोड़ पर और मझौले कॉरपोरेटों को दिए गए ऋणों में 6.93% की वृद्धि हुई और इनकी राशि ₹2,32,626 करोड़ पर पहुंच गई। इन दोनों का हिस्सा वित्त वर्ष 15 के अंत के 30% के स्तर के मुकाबले लगातार घटकर 27% रहा। परंतु, एसएमई क्षेत्र में कम जोखिम वाले उत्पादों के कारण इस क्षेत्र में अच्छी खासी वृद्धि हुई और एसएमई ऋणों में इसका हिस्सा वित्त वर्ष 15 के 36% से बढ़कर वित्त वर्ष 16 में 41% पर पहुंच गया। कृषि क्षेत्र को आपके बैंक ने सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्य से अधिक ऋण देना जारी रखा और वित्त वर्ष 16 के लिए निर्धारित लक्ष्य ₹89,781 करोड़ के मुकाबले ₹1,25,387 करोड़ के ऋण जारी किए।

शाखा विस्तार

451 नई शाखाएं खुलने से आपके बैंक की शाखाओं की संख्या मार्च 2016 में 16,784 पर जा पहुंची है। इनमें 65% ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। उच्च निवल मालियत वाले व्यक्तियों को शाखा के अलावा एक अतिरिक्त, सुविधाप्रद सेवा माध्यम उपलब्ध करवाने के लिए आपके बैंक ने 16 नवंबर 2015 को बेंगलूरू में एक प्रॉयर्टी बैंकिंग सेंटर शुरू किया है। इसमें प्रतिष्ठित ग्राहकों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिये व्यक्तिगत स्तर पर सेवाएं दी जाती हैं। इनके द्वारा वे कारोबार के बढ़ाए गए समय सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कैश को छोड़कर सभी प्रकार के लेनदेन कर सकते हैं।

इसके अलावा, आपके बैंक का लक्ष्य इनके माध्यम से स्थानीय लोगों से भी जुड़ना है। इससे हम वास्तव में एक अंतरराष्ट्रीय बैंक बनने के अपने ध्येय को पा सकेंगे। इस समय बैंक के विदेश में 198 कार्यालय हैं, जो सभी महाद्वीपों के 37 देशों में फैले हैं। इन कार्यालयों में 55 शाखाएं, 20 अन्य कार्यालय, 7 प्रतिनिधि कार्यालय और विदेश स्थित 8 सहायक अनुषंगियो के और 113 कार्यालय हैं। वित्त वर्ष 16 के दौरान आपके बैंक ने युनाइटेड किंग्डम में 2 नई शाखाएं, बांग्ला देश में 4 भारतीय वीजा ऐप्लीकेशन सेंटर खोले हैं और सिओल प्रतिनिधि कार्यालय को एक पूरी शाखा में तबदील किया गया है।

शाखा पुनर्रचना

शाखा में भीड़भाड़ कम करने और लोगों को ज्यादा इंतज़ार न करना पड़े, उनको कम समय में सेवा मिल जाए (कम समय में उनका लेनदेन का काम पूरा हो जाए) इसके लिए आपके बैंक ने ग्राहकों को शाखा में उत्कृष्ट सेवा देने के एक प्रोजेक्ट सीईईपी की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट में वित्त वर्ष 16 के दौरान बहुत तेजी से काम हुआ। वित्त वर्ष 16 में प्रोजेक्ट सीईईपी के तहत 2674 शाखाएं चुनी गईं और यह संख्या मार्च 2016 के अंत में 3006 पर पहुंच गई। प्रोजेक्ट सीईईपी में ग्राहक को बेहतर सेवा देने के लिए अपनाई गई नई टेक्नोलॉजी की जानकारी संक्षेप में नीचे दी गई है:

- सर्व-समय उपलब्ध मशीनें, जैसे- एटीएम, सीडीएम/री-साइक्लर, ऑटोमेटिक चेक ड्रॉप बॉक्स मशीन (एसीडीएम), स्वयम् बार कोडेड पासबुक प्रिंटर और इंटरनेट से जुड़ा पीसी प्रिंटर, ऐसी चुनी हुई शाखाओं में ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा जिनमें बहुत ज्यादा भीड़भाड़ रहती है।
- इन शाखाओं में आपस में जुड़ा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम और ग्राहक सेवा के बारे में राय देने के लिए टैब उपलब्ध करवाया गया है। इससे भीड़भाड़ वाली शाखाओं में लेनदेन के समय दी जा रही सेवाओं पर नजर रखकर बेहतर ढंग से कामकाज निपटाने और भीड़भाड़ के समय शाखा में आने वाले ग्राहकों की आवश्यकताओं को जानने की व्यवस्था लागू की गई है।
- ग्राहक मित्रों की नियुक्ति की गई है, जिससे टोकन जारी करने और ग्राहकों को सर्व-समय माध्यमों का उपयोग करने की सलाह देने का काम आसानी से हो सके।
- शाखाओं में सिंगल विंडो ऑपरेटरों के लिए एकसमान काम निर्धारित किए गए हैं। ऐसे सर्विस डेस्कों की स्थापना की गई है, जिन पर कैश-रहित लेनदेन संपन्न हो सकें।
- खाता खोलने की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से खाता खोलने के लिए अलग से कक्ष स्थापित किए गए हैं।
- उत्पादों की बिक्री और क्रॉस सेलिंग का कार्य ठीक से हो सके, इसके लिए सभी शाखाओं में एकसमान प्रक्रिया लागू की गई है।

टेक्नोलॉजी

आपके बैंक ने स्मार्ट बैंकिंग की आवश्यकता को बहुत पहले से ही समझ लिया था, ताकि वह हर भारतीय का बैंक बन सके। आपका बैंक अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निरंतर प्रयास करता रहा है, ताकि अपने सेवा माध्यमों से ग्राहकों को समय पर सेवा दी जा सके। इसके लिए बड़ी संख्या में ग्राहकों को स्टेट बैंक डेबिट कार्ड जारी किए गए, जिससे वे अपने घर-द्वार के निकट कैश प्राप्त कर सकें।

31 मार्च 2016 को 23 करोड़ से अधिक डेबिट कार्डों के साथ आपका बैंक देश में कार्ड जारी करने में लगातार सबसे आगे बना हुआ है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारे देश के 20 % लोगों के खाते एसबीआई में हैं और कुल डेबिट कार्डों में लगभग 38 % आपके बैंक ने ही जारी किए हैं।

भारत सरकार द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था स्थापित करने पर अधिक ध्यान देने को देखते हुए आपके बैंक के डेबिट कार्ड ज्यादा से ज्यादा जगह पर स्वीकार किए जाएं इसके लिए बड़ी संख्या में पॉइट ऑफ सेल टर्मिनल स्थापित किए गए हैं। पिछले वर्ष तक इनकी संख्या में 50 % वृद्धि हुई है और अब यह संख्या 3.02 लाख के ऊपर हो गई है। देश भर में स्थित ऐसे टर्मिनलों में 21.70 % आपके

बैंक के हैं। वित्त वर्ष 16 के दौरान आपके बैंक ने इन पर किए गए लेनदेनों की संख्या में 56 % और राशि में 60 % वृद्धि दर्ज की है।

ग्राहकों को सर्वोत्तम सुरक्षा, शांति और विश्वास प्रदान करने के लिए आपके बैंक ने सभी मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्डों के स्थान पर ईएमवी सह मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड जारी किए हैं। साथ ही स्किमिंग रोकने के लिए आधुनिकतम उपकरण लगाने के अलावा टर्मिनलों की सुरक्षा बढ़ा दी है, एसएमएस अलर्ट भेजे जा रहे हैं। और सभी भौगोलिक क्षेत्रों में पिन आधारित डेबिट कार्ड अधिकृत सुरक्षा प्रणाली कार्यान्वित की गई।

जैसा कि आप सभी जानते हैं वित्त वर्ष 15 में आपके बैंक ने 'एसबीआई इनटच' शाखाओं को आधुनिकतम प्रौद्योगिकी वाले उपकरण/किओस्क लैस किया है जिससे युवा पीढ़ी और स्मार्ट समृद्ध ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग से व्यवस्था हो। शाखा में और दूर बैठे विशेषज्ञों की हाई डेफिनेशन वीडियो कॉन्फ्रेन्स के जरिये सलाह देने की व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है। इन शाखाओं में निरंतर बहुउद्देशीय चैनल उपलब्ध रहते हैं। लेनदेन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अलग से स्थान और सलाह करने के लिए अलग से कक्ष उपलब्ध करवाए गए हैं। देश भर में 115 एसबीआई इनटच शाखाएं खोली गई हैं, जिनसे 70 जिलों में आपके बैंक की डिजिटल उपस्थिति बढ़ी है।

आपका बैंक भारत में मोबाइल बैंकिंग सेवाओं में मार्केट लीडर है (लेनदनों की संख्या में मार्केट शेयर 35.5% है)। बैंक की मोबाइल बैंकिंग सेवा 'स्टेट बैंक फ्रीडम' के तहत कम लागत, रात-दिन, तत्काल बैंकिंग सेवा प्रदान की जा रही है, जिसमें ग्राहक की सुविधा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। वर्ष के दौरान बैंक ने युग परिवर्ती मोबाइल बैंकिंग ऐप्लिकेशन 'स्टेटबैंक एनीव्हेयर सरल' और 'स्टेट बैंक एनीव्हेयर कारपोरेट' क्रमशः एसएमई और कॉरपोरेट ग्राहकों को ध्यान में रखकर शुरू किए हैं। एसबीआई क्विक (मिस्ड कॉल बैंकिंग) भी प्रारंभ की है, जिसमें बैंक को रोजाना औसतन 4 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हो रहे हैं।

'डिजिटल भारत का बैंक' होने के अपने प्रयास के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन की सुविधा और ऋण आवेदन की स्थिति जानने की सुविधा ग्राहकों को दी गई है। इससे ऋण प्रस्ताव की नवीनतम जानकारी प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है और ऋण आवेदनों का तेजी से निपटान होने लगा है।

आपके बैंक और इसके सहयोगी बैंकों का मार्च 2016 में विश्व में सबसे बड़ा 59,000 एटीएमों का नेटवर्क किओस्क कैश डिपॉजिट मशीनों और रीसाइक्लर्स के साथ ग्राहकों की सुविधा के लिए मौजूद है। अपने नवीनतम प्रयास में आपके बैंक ने 4,953 रीसाइक्लर्स (सहयोगी बैंकों को मिलाकर 5,768) लगाए हैं, जिससे ग्राहकों को 24x7 कैश निकालने और कैश जमा करने की सुविधा मिल सके।

आपके बैंक ने अपनी शाखाओं में और शाखाओं से दूर लॉबियों में 6000 से अधिक स्वयम् (बारकोड आधारित पासबुक प्रिंटिंग किओस्क) मशीने लगाई हैं। इन किओस्कों पर ग्राहक बारकोड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके स्वयं अपनी पास बुक प्रिंट कर सकते है। इन किओस्क में 2 करोड़ से अधिक लेनदेन दर्ज हुए।

आपके बैंक के ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म में अपने रिटेल और कॉरपोरेट दोनों ग्राहकों को अचूक और उपयोग करने में सरल नेट बैंकिंग सेवाएं दी जा रही है। इस कम खर्चीले चैनल से वित्त वर्ष 16 के दौरान 124 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 38% अधिक है।

आपका बैंक पहला ऐसा बैंक है, जिसकी अपनी पेमेंट एग्रीगेटर सेवाएं हैं। एक बैंक और एक पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में 'एसबीआईईपे' के लिए 41 बैंकों के साथ पहले से गठजोड़ किया जा चुका है, जिससे ग्राहकों को तत्काल भुगतान करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग विकल्प उपलब्ध हुआ है। एसबीआईईपे में एक नया चैनल पे पल भी जोड़ा गया है।

लाभप्रदता

वित्त वर्ष के दौरान लाभप्रदता के दो कारणों से दबाव में रहने की उम्मीद थी। एक तो बेस रेट में 70 आधार अंकों (बीबीएस) के संशोधन से बैंक की ब्याज आय पर बुरा असर पड़ा। वित्त वर्ष 16 के दौरान ब्याज आय 2.96% की मामूली दर से बढ़ी। दूसरा, तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के असेट क्वालिटी रिव्यू के कारण शुरू में ही प्रावधान करने पड़े, जिससे बैंक के शुद्ध लाभ पर बुरा असर पड़ा।

ऑपरेटिंग लाभ वित्त वर्ष 16 की चौथी तिमाही में 11.22% बढ़कर ₹14,192 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 15 की चौथी तिमाही में ₹12,760 करोड़ था। पूरे वित्त वर्ष का ऑपरेटिंग लाभ 9.41% बढ़कर ₹43,258 करोड़ रहा। दूसरी ओर शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 15 के ₹13,102 करोड़ के मुकाबले 24.05% घटकर वित्त वर्ष 16 में ₹9,951 करोड़ रह गया। सारे समूह का कुल लाभ भी 28.1% घटकर वित्त वर्ष 16 में ₹12,224 करोड़ रह गया। परंतु, लाभप्रदता में कमी को गैर ब्याज आय में अच्छा प्रदर्शन करके कुछ हद तक रोका गया। गैर ब्याज आय वित्त वर्ष 15 के ₹22,576 करोड़ से 24.73% बढ़कर वित्त वर्ष 16 में ₹28,158 करोड़ हो गई।

लाभप्रदता में कमी के कारण बैंक के शुद्ध ब्याज दर मार्जिन यानी निवल ब्याज दर मार्जिन पर बुरा असर नहीं हुआ। बैंक 3.27% की अच्छी निवल ब्याज दर मार्जिन बरकरार रख सका। बैंक कासा अनुपात में 96 आधार अंकों (बीपीएस) की वृद्धि के चलते इसके 43.84% हो जाने के कारण इस मार्जिन को बनाए रख सका।

अध्यक्ष की कलम से

एसेट क्वालिटी

भारतीय रिज़र्व बैंक के असेट क्वालिटी रिव्यू के तहत बैंक को सूचित किया गया था कि वह कुछेक अग्रिमों के संबंध में पुनर्वर्गीकरण करें और या प्रोविजनिंग बढ़ाए। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों से आगे बढ़कर अपनी ओर से खाता-दर-खाता ऋण बही की समीक्षा की है। इस कारण अलाभकारी आस्ति (एनपीए) प्रावधान (प्रोविजनिंग) वित्त वर्ष 16 में ₹9,076 करोड़ से बढ़कर ₹26,984 करोड़ करने पड़े। एनपीए के प्रावधान में लोन लॉस प्रोविजन के अलावा बैंक को ₹3,383 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान (प्रोविजनिंग) करने पड़े। इसके अलावा बैंक ने इस वर्ष के दौरान एनपीए के खास प्रावधान करने के लिए ₹1149 करोड़ के काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर का भी उपयोग किया।

सकल एनपीए वित्त वर्ष 16 में 225 आधार अंक (बीपीएस) बढ़कर 6.50% पर पहुँच गए, जो वित्त वर्ष 15 में 4.25% थे। दूसरी तरफ निवल एनपीए वित्त वर्ष 16 में 169 आधार अंक बढ़कर 3.81% पर पहुंच गए, जो वित्त वर्ष 15 में 2.12% थे। प्रोविजन में सामान्य वृद्धि के बावजूद लोन बुक की कुछ पॉकेट्स में उल्लेखनीय सुधार हुआ। असेट क्वालिटी नॉन-कॉरपोरेट बुक में बेहतर हुई, क्योंकि वित्त वर्ष 15 के 0.93% के मुकाबले सकल एनपीए अनुपात वैयक्तिक ऋणों में वित्त वर्ष 16 में घटकर 0.75% पर आ गया। कृषि ऋणों का सकल एनपीए अनुपात वित्त वर्ष 15 के 8.90% से घटकर वित्त वर्ष 16 में 6.93% पर आ गया। एसएमई ऋणों में सकल एनपीए अनुपात लगभग 7.8% पर पहले सा बना रहा।

कुल मिलाकर नेट असेट इम्पेयर्ड असेट रेशो (नेट एनपीए + नेट स्टैंडर्ड रीस्ट्रक्चर्ड) में मामूली वृद्धि हुई और यह 6.18%से 6.40% हो गई। प्रोविजन कवरेज रेशो अब 60.7% पर है।

पूंजी संरचना

पिछले वित्त वर्ष की चुनौतियों के बावजूद आपके बैंक की पूंजी की स्थिति अच्छी रही और यह भविष्य के झटकों को सह सकती है तथा भविष्य में वृद्धि की अपनी गति को बरकरार रख सकती है। बेसल III में बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात मार्च 16 में सुधरकर 13.12% रहा, जो मार्च 15 में 12.00% था।

वित्त वर्ष 16 के दौरान सरकार ने ₹5393 करोड़ की पूंजी दी और बैंक ने भी टियर 2 बांड जारी करके ₹10,500 करोड़ की पूंजी जुटाई। रियल एस्टेट असेट्स के पुनर्मूल्यांकन को पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणनाओं में अभी शामिल किया जाना है। रियल एस्टेट रीवैल्यूएशन अनुमान में सीईटी 1 में वृद्धि ₹10,000 करोड़ से अधिक है। बैंक नॉन कोर इनवेस्टमेंट्स/सब्सिडियरीज में विनिवेश पर भी विचार कर रहा है। इससे ₹3,000 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी जुटाकर अपनी उपलब्ध पूंजी को इष्टतम (आप्टीमाइज) किया जा सकेगा।

लाभांश

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके बैंक के निदेशक बोर्ड ने ₹1 के अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर ₹2.60 प्रति शेयर का लाभांश घोषित किया है।

नए प्रयास

वित्त वर्ष 16 में आपके बैंक ने अपने प्रत्येक व्यवसाय क्षेत्र अर्थात गृह ऋण, वाहन ऋण, एसएमई, ग्रामीण व्यवसाय आदि में कई नई पहल की हैं।

- हमारा लक्ष्य रहा है "ग्राहक सर्वप्रथम"। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर आपके बैंक ने ग्राहकों को इनाम देने की एक बड़ी योजना स्टेट बैंक रिवाड्र्ज़ शुरू की है। इस योजना में ऐसे ग्राहकों को रिवार्ड प्वाइंट दिए जाते हैं, जो निरंतर बैंक से विभिन्न प्रकार की सेवाएं ले रहे हैं।
- पर्सनल बैंकिंग व्यवसाय में आपके बैंक ने वित्त वर्ष 16 में अनेक नई शुरुआत की हैं। इनमें कुछ प्रमुख हैं: (i) थॉमस कुक की साझेदारी में हॉलिडे सेविंग्स अकाउंट (सारा कार्य ऑनलाइन हो जाता है) (ii) व्यक्तियों के लिए फ्लेक्सीपे होम लोन (होम लोन सुविधानुसार चुकौती करने की सुविधा के साथ और कॉरपोरेट होम लोन (कॉरपोरेट/इंस्टीट्यूशंस के लिए होम लोन, जिससे वे अपने कर्मचारियों/निदेशकों के लिए बड़ी संख्या में आवास बना सकें), और (iii) प्रोजेक्ट तत्काल, यह होम लोन मार्केटिंग को बेहतर करने और बेहतर प्रोसेसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
- इसके अलावा, गृह तारा अभियान प्रत्येक स्टाफ सदस्यों को कम से कम एक होम लोन प्रस्ताव लाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि 75,000 से अधिक स्टाफ सदस्य वर्ष के दौरान ₹32,500 करोड़ से अधिक राशि के 1.5 लाख से अधिक होम लोन प्रस्ताव लाए हैं।
- इसके अतिरिक्त उच्चतर शिक्षा के वास्ते विदेश जाने वाले छात्रों के लिए एसबीआई ग्लोबल एड-वॉंटेज स्कीम शुरू की हई है, जिसके तहत ₹1.5 करोड़ तक के ऋण दिए जाते हैं।
- आपके बैंक ने 'एसबीआईई-फॉरेक्स' प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत की है। इसके तहत ग्राहक विदेशी मुद्रा में अपने निवेश की सुरक्षा के लिए फॉरेक्स रेट पर सौदे बुक कर सकते हैं।
- एसएमई बिजनेस का जहां तक संबंध है, प्रोजेक्ट शिखर ई-कॉमर्स के क्षेत्र में पहले शुरुआत करने का लाभ लेने के लिए प्रारंभ किया गया है। इस प्रोजेक्ट में बैंक आर्थिक क्षेत्र में नए प्रयास शुरू करने पर कार्य कर रहा है, जिससे यह नए बिजनेस मॉडलों के साथ भागीदारियों में ऋण देने में पहले शुरुआत करने का लाभ ले सके। नई पहल करते हुए एक नया उत्पाद 'ई-स्मार्ट एसएमई' ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिये अपने उत्पाद बेचने वाले मर्चेंटों को वित्त उपलब्ध करवाने के लिए शुरू किया गया है।

- आपके बैंक ने एक अलग तरह का उत्पाद 'एसबीआईएक्सक्लुसिफ' डिजाइन, डेवलप और शुरू किया है। इसके तहत उच्च मालियत वाले ग्राहकों को वेल्थ मैनेजमेंट सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। वर्तमान में केवल निवासी व्यक्ति इस उत्पाद के लिए पात्र हैं। परंतु आपका बैंक अनिवासी भारतीय और कॉरपोरेटों/ट्रस्टों के लिए भी शीघ्र ही इसकी सेवा उपलब्ध करवा देगा।
- स्टेट बैंक बडी मोबाइल वॉलेट टेक्नोलॉजी पसंद देश की नई युवा पीढ़ी के लिए तैयार किया गया है। इस बडी ऐप के जरिए यूज़र अनेक प्रकार के ऑनलाइन लेनदेन जैसे मोबाइल रीचार्ज, उपभोक्ता बिल भुगतान, ऑनलाइन टिकट खरीदने के अलावा अन्य खरीददारी भी कर सकता है।
- आपके बैंक ने 'स्टेट बैंक समाधान' नाम से एक मोबाइल ऐप शुरू किया है, जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यह एक सेल्फ-हेल्प ऐप है, जिससे एसबीआई के ग्राहक अनेक प्रकार की सेवाएं, सामान्य जानकारी शाखा में जाए बिना ले सकते हैं। यह ऐप जमाराशियों, अग्रिमों, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ईएमआई कैलकुलेशन, एसबीआई शाखा, एटीएम लोकेशंस, एसबीआई हॉलिडेज की जानकारी देने के साथ साथ विभिन्न मोबाइल ऐपों जैसे एसबीआई फ्रीडम, एसबीआई ऐनीव्हेयर, एसबीआई बडी, एसबीआई क्विक आदि के सीधे उपयोग की सुविधा भी प्रदान करता है। इस ऐप की एक विशेषता यह भी है कि एसबीआई का ग्राहक मांग पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और आवास ऋण तथा शिक्षा ऋण का ब्याज प्रमाण पत्र अपने ईमेल पते पर सुरक्षित ढंग से 24X7 प्राप्त कर सकता है। ग्राहक इस ऐप के द्वारा अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।
- 'स्टेट बैंक नो क्यू' मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है, जिसके द्वारा ग्राहक चुनिंदा शाखाओं में कुछ चुनी हुई बैंकिंग सेवाओं का उपभोग करने के लिए स्वयं ई-टोकन प्राप्त कर सकता है। इससे शाखाओं में कम समय में लेनदेन हो जाता है और भीड़भाड़ भी कम रहती है, क्योंकि टोकन ग्राहक को शाखा पहुंचने के पहले ही मिल जाता है।
- एचआर के क्षेत्र में आपके बैंक ने फ्लेक्सी टाइमिंग/फ्लेक्सी ऑवर स्कीम कुछ सीमित जगहों पर शुरू की है। इस स्कीम में कर्मचारी मैनेजमेंट द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर अपने काम के घंटे परिवार और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के आधार पर चुन सकता है। इसके अलावा बैंक ने कर्मचारियों के लिए परफारमेंस अप्रेजल (करियर डेवल्पमेंट सिस्टम-सीडीएस) की एक नई व्यवस्था लागू की है, जो उद्देश्यपरक और पारदर्शी है। यह सारी व्यवस्था आईटी से संचालित होती है और बैंक के सभी कर्मचारियों को केआरए दिए गए हैं और करीब 90% पदों को बजटरी या मेजरेबल बना दिया गया है।
- पूंजी संरक्षण और पूंजी पर अधिकतम प्रतिलाभ सुनिश्चित करने पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए आपके बैंक ने जोखिम आधारित बजटिंग की शुरुआत की है। आपके बैंक ने जोखिम समायोजित पूंजी प्रतिलाभ संरचना ग्राहक और पोर्टफोलियो दोनों स्तरों पर शुरू की है।
- एनपीए के समाधान/वसूलियों के लिए आपके बैंक ने कुछ नए तरीके अपनाए हैं। अखिल भारतीय आधार पर संपत्तियों की बड़े पैमाने पर ई-नीलामी की व्यवस्था करने, फौजदारी की कार्रवाई शुरू करने, उधारकर्ताओं/गारंटीदाताओं की भारमुक्त संपत्तियों का पता लगाने और कोर्ट में संपत्तियों को कुर्क करवाने की व्यवस्था करने जैसे क्षेत्रों में बैंक को सबसे पहले कार्रवाई करने का लाभ दिलाया जा सकेगा।

सहयोगी और सहायक कंपनियाँ

एसबीआई के पांच सहयोगी बैंकों का 31 मार्च 2016 को पूरे बैंकिंग उद्योग की जमाराशियों में 5.30% और अग्रिमों में लगभग 5.33% हिस्सा रहा। उनका शुद्ध लाभ ₹1,640 करोड़ है। बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसके तहत आपके बैंक में इसके पांच सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के विलय पर वार्ता शुरू करने के लिए भी सरकार से अनुमति मांगी जाएगी। इस विलय से आपका बैंक और अधिक दक्षतापूर्वक सभी तालमेल व्यवस्थाओं का अधिक बेहतर ढंग से लाभ उठा सकेगा और बैंकिंग क्षेत्र में अपने प्रमुख स्थान को और बेहतर कर सकेगा।

गैर-बैंकिंग सहायक कंपनियों में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (एसबीआई कैप) भारत का सबसे प्रमुख इन्वेस्टमेंट बैंक है। इसने अपनी 5 सहायक कंपनियों के साथ वित्त वर्ष 16 के दौरान ₹279 करोड़ का कर पश्चात लाभ (PAT) दर्ज किया है। एसबीआई लाइफ ने वित्त वर्ष 16 में ₹861 करोड़ का कर पश्चात लाभ (PAT) दर्ज किया, जबकि वित्त वर्ष 15 में ₹820 करोड़ का कर पश्चात लाभ (PAT) हुआ था। एसबीआई लाइफ ने 'असेट्स अंडर मैनेजमेंट' में साल-दर-साल 13% वृद्धि दर्ज की। वित्त वर्ष 16 में इनकी राशि ₹83,429 करोड़ पर पहुंच गई। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज (प्रा.) लि. प्रयुक्त कार्डों के मामले में सारी इंडस्ट्री में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। पूरी इंडस्ट्री में इसका हिस्सा 15% है। वित्त वर्ष 16 में इसने ₹284 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जबकि वित्त वर्ष 15 में इसका लाभ ₹267 करोड़ रहा था। एसबीआई कार्ड के जरिये खरीददारी के मामले में कंपनी का स्थान चौथा और कार्डों के जरिये कुल खरीददारियों में 12% बाजार हिस्सा है। एसबीआई डीएफएचआई लि. ने वित्त वर्ष 16 में ₹72 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया। बाजार में यह कारोबार कर रही सभी कंपनियों में एसबीआईडीएफएचआई का हिस्सा 3.46% और 31 मार्च 2015 को यह कारोबार अकेले कर रही प्राइमरी डीलर कंपनियों में इसका 20.37% हिस्सा रहा है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि. ने वित्त वर्ष 16 में ₹165 करोड़ का कर पश्चात लाभ (PAT) दर्ज किया, जो वित्त वर्ष 15 में ₹163 करोड़ था। कंपनी के औसत एसेट्स

अंडर मैनेजमेंट वित्त वर्ष 16 में ₹1,06,781 करोड़ थे और इसका मार्केट शेयर 7.89% था। एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड (SBIGFL) ने वित्त वर्ष 16 में ₹0.86 करोड़ का कर पश्चात लाभ दर्ज किया। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. ने GWP में साल-दर-साल 29.4% वृद्धि दर्ज की जबकि पूरे उद्योग की वृद्धि दर 13.8% रही। एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि. के 31 मार्च 16 को असेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) ₹46,019 करोड़ (साल-दर-साल 48% वृद्धि) जबकि मार्च 2015 में ये ₹31,407 करोड़ के थे। कंपनी ने सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में AUM के मामले में पेंशन फंड मैनेजर्स में अपना अग्रणी स्थान बरकरार रखा है।

सम्मान और पुरस्कार

मुझे आपको यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि आपके बैंक को इस साल बहुत-से पुरस्कार मिले हैं। टेक्नोलॉजी पर जोर देने के बेहतर नतीजे सामने आए हैं। बैंक द्वारा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत से अवार्ड जीतना इसका प्रमाण है। इन अवार्डों में कुछ प्रमुख हैं - फिनोविटी द्वारा सर्वश्रेष्ठ एनेलिटिक्स अवार्ड, आईडीआरबीटी बैंकिंग टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस अवार्ड्स के तहत वर्ष 2016 में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम और आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने के लिए बड़े सरकारी और गैर-सरकारी बैंकों में सर्वश्रेष्ठ बैंक, सिबिल डेटा क्वालिटी अवार्ड 2016 के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सर्वश्रेष्ठ डेटा क्वालिटी के लिए मिला। 200 देशों में ऑनलाइन बैंकिंग और वित्त साइटों में एकसमान वेब के संबंध में डिजिटल मार्केट इंटैलिजेंस फर्म द्वारा कराए गए सर्वे में 'onlinesbi.com' को आठवीं सर्वाधिक लोकप्रिय ऑनलाइन बैंकिंग साइट घोषित किया गया। इस पर जनवरी 15-जनवरी 16 की अवधि में 846.6 मिलियन औसत मासिक विजिट्स दर्ज हुए। देश में भी 'onlinesbi.com' आईआरसीटीसी और फ्लिपकार्ट के बाद तीसरी सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली साइट है।

टेक्नोलॉजी अवार्डों के अलावा एसबीआई को न्यूयॉर्क की ग्लोबल फिनैंस मैग्जीन द्वारा लगातार चौथी बार सर्वश्रेष्ठ ट्रेड फिनैंस बैंक-इंडिया का अवार्ड दिया गया। बिजनेस वर्ल्ड द्वारा सर्वश्रेष्ठ बड़ा बैंक और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बैंक का भी अवार्ड दिया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स द्वारा एसबीआई को पहल (डीबीटीएल) स्कीम में योगदान करने के लिए अवार्ड दिया गया, जिसका एसबीआई एकमात्र प्रायोजक है। आपके बैंक को सुप्रतिष्ठित हेलन केलर अवार्ड 2015 भी दिया गया। यह पुरस्कार 7वें प्राइड अवार्ड्स के तहत सर्वश्रेष्ठ वित्तीय सेवाएं देने वाली रोल मॉडल कंपनी और सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय सरकारी क्षेत्र उपक्रम होने पर दिया गया।

बैंक के सहयोगियों और सहायक कंपनियों ने भी वर्ष भर कई प्रतिष्ठित अवार्ड जीते। एसबीबीजे का वर्ष 2015 की 500 शीर्ष कंपनियों में शुमार रहा। 'बिजनेस टुडे' पत्रिका द्वारा 'बेस्ट मिड साइज इंडियन बैंक' श्रेणी में 5वां स्थान रहा। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद को केरला बैंकर्स क्लब द्वारा दूसरा सर्वश्रेष्ठ सरकारी क्षेत्र बैंक का अवार्ड दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर को सीएसआर और बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी अवार्ड इन क्षेत्रों में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा बैंक होने पर 'एमएसएमई बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड्स 2015' दिया गया।

बैंक की सहायक कंपनियों में एसबीआई कार्ड्स को बहुत से अवार्ड मिले। इनमें प्रमुख हैं - रीडर्स डाइजेस्ट कस्टमर सर्वे के तहत क्रेडिट कार्ड श्रेणी में मोस्ट ट्रस्टेड ब्रैंड का अवार्ड मिला। एसबीआई लाइफ ने वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस द्वारा लोकमत बीएफएसआई अवार्ड्स 2015 के तहत बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी (प्राइवेट सेक्टर) का अवार्ड भी जीता। इसके अलावा दि इकनॉमिक टाइम्स से भी 'मोस्ट ट्रस्टेड प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस ब्रैंड', लगातार पांचवें वर्ष ब्रैंड इक्विटी एंड नीलसन सर्वे 2015 भी दिया गया।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

आपका बैंक भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में कॉरपोरेट सामाजिक दयित्व (सीएसआर) के क्षेत्र में सबसे आगे रहा है। हमारा मानना है कि समाज के वंचित और अल्प सुविधा प्राप्त लोगों के प्रति हमारा एक बड़ा दायित्व है कि हम उनके जीवन में सामाजिक बदलाव लाएं। स्टेट बैंक समूह की सीएसआर गतिविधियों को एकसाथ बड़े पैमाने पर संचालित करने के लिए उन्हें मजबूत बनाने के उद्देश्य से आपके बैंक ने एसबीआई फाउंडेशन की स्थापना की है, जो एक नॉन प्रॉफिट सहायक संस्था है और इसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत किया गया है। एसबीआई फाउंडेशन स्टेट बैंक समूह की सीएसआर गतिविधियों के लिए अलग से संसाधन इकट्ठे करके एक साथ सीधे बड़े पैमाने पर समूह के विजन के अनुरूप खर्च करेगी।

इसके अलावा आपके बैंक का वित्त वर्ष 16 का सीएसआर पर खर्च ₹143.92 करोड़ रहा। लगातार चौथे वर्ष हमारा सीएसआर खर्च ₹100 करोड़ से अधिक रहा।

भावी परिदृश्य

अक्तूबर 2013 में जब मैंने अध्यक्ष का पदभार संभाला था, तब मैंने एसबीआई के लिए छह प्रमुख लक्ष्य रखे थे। ये लक्ष्य थे - एनपीए में कमी लाना, जोखिम कम करना, खर्च नियंत्रित रखना, सेवा का स्तर बेहतर बनाना, गैर-ब्याज आय बढ़ाना और बैंक में बेहतर टेक्नोलॉजी लाना। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो पिछले वर्षों में सभी क्षेत्रों में निरंतर अच्छी प्रगति देखती हूँ।

एनपीए के कारण जोखिम पिछले वर्ष तमाम चुनौतियों के बावजूद कम रह, किंतु देश में लगातार दो सूखों के कारण वित्त वर्ष 2016 के दौरान हमें एसेट क्वालिटी की समस्या का फिर से सामना करना पड़ा। मौसम की मार ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया और इन्हें हल करने में भी अनेक चुनौतियों से रूबरू होना पड़ा। परंतु हाई कोर्ट एक्ट 2015 के तहत कमर्शियल कोर्टों, कमर्शियल डिवीजन और कमर्शियल ऐपिलेट डिवीजन बनने से कुछ राहत मिली। इनकी जरूरत

बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी, जो इनके बनने से कुछ हद तक पूरी हो पाई। उम्मीद है कि इससे वसूली की प्रक्रिया तेज होगी।

बैंक में बेसल III मानदंड अपनाने में आगे बढ़ने के कारण जोखिम कम करने के बेहतर तरीकों को लागू करने का काम समय पर चल रहा है। आपके बैंक का प्रयास रहा है कि भावी विकास की योजनाएं भी चलती रहें और खर्च भी नियंत्रित रहे। गैर-ब्याज आय बढ़ाने में वित्त वर्ष में बैंक का प्रदर्शन संतोषजनक रहा। अलग अलग स्रोतों से आय बढ़ाने के हमारे प्रयास चलते रहेंगे।

टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सभी कार्य समय पर कर लिए जाने और ग्राहकों द्वारा भी इन्हें पसंद किए जाने पर मैं काफी संतुष्ट हूँ। आने वाले वर्षों में हमारा लक्ष्य अपने इन उत्साहवर्धक डिजिटल क्षेत्र के प्रयासों को और जोरदार तरीके से चलाना है। आपके बैंक द्वारा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किए जा रहे नए नए प्रयासों का एक सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हम ग्राहकों को अपने साथ बनाए रख पाएंगे। इससे प्रौद्योगिकी में रुचि रखने वाले, उच्चतर आय वाले और अधिक लाभप्रद ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने में मदद मिलेगी। युवा और समृद्ध ग्राहक डिजिटल बैंकिंग की सुविधा चाहते हैं। वे ऐसे बैंकों के साथ जुड़ना चाहेंगे जो उन्हें ये सुविधाएं दे सकें।

वित्त वर्ष 17 में उम्मीद है कि यह वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले और बेहतर होगा, क्योंकि स्पष्ट व स्थायी नीति अब दिखाई दे रही है। सरकार भविष्य को ध्यान में रखकर कई नए क्षेत्रों को आगे बढ़ाने पर भी काफी जोर दे रही है। इन नए क्षेत्रों में तटवर्ती जहाज परिवहन, पवन ऊर्जा, रक्षा उपकरणों के निर्माण रेलवे एवं सस्ते आवासों से काफी उम्मीदें हैं।

बैंकिंग क्षेत्र का स्वरूप युवा भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप बदल रहा है और इसका रुझान और अधिक टेक्नोलॉजी की ओर हो रहा है। आपके बैंक के डिजिटल क्षेत्र में निवेश के बड़े लाभ हमें मिलने लगेंगे जैसे ही एसेट क्वालिटी की समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

मैं अपने सभी शेयरधारकों की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी शक्तियों और क्षमताओं पर अपना भरोसा बरकरार रखा है। ग्राहकों से भी हमें बहुमूल्य समर्थन प्राप्त हुआ है और उनका निरंतर हममें विश्वास बना हुआ है। मैं बैंककर्मियों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करती हूँ, जिनके अथक प्रयासों से ही हम आपके बैंक के लक्ष्यों को पूरा कर पा रहे हैं।

आपकी शुभचिंतक,

(अरुंधति भट्टाचार्य)

निदेशकों की रिपोर्ट

जिसमें प्रबंधन द्वारा किए गए विचार-विमर्श और विश्लेषण भी शामिल हैं

I. आर्थिक पृष्ठभूमि एवं बैंकिंग परिवेश

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए यह वर्ष एक और कठिन वर्ष रहा। विकसित अर्थव्यवस्थाओँ की वृद्धि दर ज्यों की त्यों रही और उभरती हुई तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में यह कम हो गई, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2015 में 3.1% की मामूली वृद्धि हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर संभाव्यता से कम रही, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में 2015 की चौथी तिमाही में 1.4% की और पूरे वर्ष में 1.9% की कमी आई। यूरो क्षेत्र में 2015 में 1.6% की वृद्धि हुई, जिसमें प्रमुख योगदान निजी उपभोग का था। पर, इस क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि दर अंतिम तीन तिमाहियों में अपरिवर्तित रही अर्थात् 1.6% बनी रही। वर्ष 2016 में भी निराशाजनक स्थिति बनी हुई है। यूरो क्षेत्र और युनाइटेड किंगडम में सेवा क्षेत्र के निष्पादन में कमी तथा विदेशी मांग कमजोर रहने का असर जर्मन कारखानों को मिलने वाले आदेशों पर पड़ रहा है।

जापान में सरकार के सक्रिय हस्तक्षेप के बावजूद अर्थव्यवस्था संकुचित हो रही है। वर्ष 2015 की अंतिम तिमाही में यह -1.1% संकुचित हो गई। पूरे वर्ष में संकुचन का प्रतिशत 0.5% रहा। इससे मौद्रिक स्थिति संभालने वाले प्राधिकारियों को इस वर्ष जनवरी में ऋणात्मक ब्याज दर का आश्रय लेना पड़ा।

इसी मध्य, वर्ष 2015 में उभरते बाजारों वाली अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर 4% के रूप में उत्साहहीन रही। ब्राजील और रूस में अपेक्षा से ज्यादा गिरावट आई। चीन की वृद्धि दर भी मंद रही। जिंसों की कीमतों में हाल ही में आई मजबूती से जिंस निर्यात करने वाली उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को संबल मिलेगा, पर घरेलू कठिनाइयों और विदेशों में मांग कमजोर रहने से वृद्धि दर अधोमुखी ही रहेगी।

वर्ष 2015 में लगातार चौथे वर्ष वैश्विक व्यापार वृद्धि दर 3% से कम रही। इसका कुप्रभाव विकसित अर्थव्यवस्थाओं से ज्यादा उभरते हुए और विकासशील देशों पर पड़ा। वर्ष 2016 में भी व्यापार में मंदी बनी रहेगी। केवल विकसित विश्व से आयात में थोड़ी मांग पैदा होगी। इसी मध्य चीन में तेजी से उतार और अत्यधिक विदेशी ऋणों के बोझ से नाजुक स्थिति में पहुंच चुके देशों में वित्तीय अस्थिरता बढ़ने तथा विनिमय दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण व्यापार पर दबाव बना रहेगा। जहाँ तक स्फीति की बात है, अलग-अलग प्रवृत्तियाँ देखने को मिलेंगी। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि होगी और विकसित देशों में कीमतों में कमी आएगी।

जहाँ तक वित्तीय अस्थिरता का प्रश्न है, उभरते हुए बाजारों की भूमिका में वृद्धि हुई है। हाल ही में वैश्विक ईक्विटी कीमतों और मुद्रा बाजारों पर इसका असर दिखाई देने लगा है। अच्छी बात तो यह है कि वर्ष 2016 में उथल-पुथल भरी शुरुआत देखने के बाद हाल के महीनों में बाजार का रुख काफी सुधरा है।

भारत का आर्थिक परिदृश्य

कई प्रकार की आंतरिक और विदेशी प्रतिकूलताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था उत्तम रही। वित्त वर्ष 2016 में इसके 7.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2015 में इसमें 7.2% की और वित्त वर्ष 2014 में 6.6% की दर से वृद्धि हुई थी। सकल-मूल्य-संयोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2016 में 7.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वर्ष 2015 में यह 7.1% और वित्त वर्ष 2014 में 6.3% रही थी। इस सुदृढ़ वृद्धि में मुख्य योगदान सेवा-क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र का रहा, जो वित्त वर्ष 2016 में क्रमशः 8.9% और 7.4% रहा।

दो वर्ष तक लगातार कम वर्षा के बाद इस वर्ष भारतीय मौसम विभाग ने दीर्घावधि औसत के आधार पर सामान्य से अधिक 106% वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। 94 प्रतिशत संभावना यह है कि इस वर्ष सामान्य से अधिक वर्षा होगी। दिलचस्प बात तो यह है कि वर्ष 1999 से (जब भारतीय मौसम विभाग ने 108 प्रतिशत वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया था) यह उसके द्वारा व्यक्त की गई वर्षा से सबसे अधिक है। सूखाग्रस्त राज्यों में अच्छी वर्षा होने की संभावना के साथ वर्षा का वितरण ठीक होगा। पर उत्तर भारत के उत्तर-पूर्व एवं दक्षिण पूर्व के बीच विशेषकर तमिलनाडु में सामान्य से कम वर्षा होगी।

कृषि मंत्रालय के तीसरे पूर्वानुमान में कहा गया है कि जलाशयों में जलस्तर बहुत कम होने, सर्दियों का मौसम अपेक्षाकृत गर्म रहने और उत्तर-पूर्वी मानसून में कमी के बावजूद रबी उत्पादन पिछले वर्ष से इतना अधिक रहा है कि खरीफ उत्पादन में रही कमी की कुछ सीमा तक क्षतिपूर्ति कर सके। वित्त वर्ष 2016 में सकल खाद्यान्न उत्पादन 252.23 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2015 के 252.02 मिलियन टन के उत्पादन से थोड़ा अधिक है। वित्त वर्ष 2017 के लिए सरकार ने 270.10 मिलियन टन का लक्ष्य रखा है।

औद्योगिक उत्पादन, जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई आई पी) के आधार पर गिना जाता है, आधारिक वृद्धि को अक्तूबर 2015 में बनाए नहीं रख सका और उसके बाद गिरता गया। हाल ही के महीनों में आई आई पी में गिरावट का मुख्य कारण रहा विनिर्माण क्षेत्र में हुई गिरावट। बिजली उत्पादन लचीला बना रहा। ताप विद्युत की आपूर्ति में सुधार से इसका निष्पादन पहले की तरह हो जाने की आशा है। आधारभूत प्रभावों के अनुकूल होने से टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं

का उत्पादन बढ़ेगा। देश में निवेश का वातावरण भी सुधरा है, क्योंकि रुकी हुई परियोजनाओं में फँसे हुए निवेश के स्टॉक में कमी आई है।

थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोनों में पूरे वित्त वर्ष 2016 में स्फीति नियंत्रण में बनी रही। थोक मूल्य सूचकांक की स्फीति पूरे वित्त वर्ष में नकारात्मक रही। औसत थोक मूल्य सूचकांक वित्त वर्ष 2016 में -2.5% रहा, जबकि वित्त वर्ष 2015 में यह 2.1% था। ईंधन की कीमतों में भारी गिरावट से थोक मूल्य सूचकांक ऋणात्मक हुआ। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की स्फीति में भी भारी कमी आई। वित्त वर्ष 2015 की 6.0% की तुलना में वित्त वर्ष 2016 में यह 4.9% (औसत) रही। अप्रैल 2016 में थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोनों में वृद्धि हुई, पर हम आशा करते हैं कि यह अस्थायी एवं मौसमी होगी।

विदेश व्यापार के क्षेत्र में चालू अनुपात घाटा (सीएडी) वित्त वर्ष 2016 की तीसरी तिमाही में कम होकर 7.1 बिलियन डॉलर (सकल घरेलू उत्पाद का 1.3%) हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2015 की तीसरी तिमाही में यह 7.7 बिलियन डॉलर (सकल घरेलू उत्पाद का 1.5%) और उससे दूसरी तिमाही में 8.7 बिलियन डॉलर (सकल घरेलू उत्पाद का 1.7%) था। चालू खाते के घाटे में कमी का प्रमुख कारण था निर्यात और आयात में कमी के कारण व्यापार घाटे का कम होना। पूरे वित्त वर्ष में निर्यात एवं आयात दोनों में नकारात्मक वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2016 में वैश्विक मांग कमजोर होने और जिंसों की कीमतें नीची होने के कारण निर्यात में 15.8% की कमी आई और यह पाँच वर्ष के न्यूनतम स्तर पर पहुँचकर 261.1 बिलियन डॉलर रह गया। आयात भी 15.3% कम होकर 379.6 बिलियन डॉलर हो गया और व्यापार घाटा 118.5 बिलियन डॉलर रहा।

बैंकिंग परिवेश

वित्त वर्ष 2016 में बैंकिंग व्यवसाय में आमतौर पर गिरावट रही। आर्थिक कार्यकलापों में कमजोरी, कतिपय क्षेत्रों में तनाव से ऋण की मांग में कमी जैसे कई कारण इसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। ब्याज दरें अपेक्षाकृत ऊँची रहने के बावजूद समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल जमाराशियों की बढ़त वित्त वर्ष 2016 में (18 मार्च 2016 को समाप्त पखवाड़े में) 9.9% रही। वित्त वर्ष 2015 में (20 मार्च 2015 को समाप्त पखवाड़े में) यह 10.7% थी। किंतु कुल राशि की बात करें तो वित्त वर्ष 2016 में जमाराशियों में 8.4 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जबकि वित्त वर्ष 2015 में ये 8.2 लाख करोड़ रुपये थीं। हो सकता है कि जमाराशियों की वृद्धि दर में गिरावट अर्थतंत्र में मुद्रा संचलन बढ़ने, बाह्य धन-प्रेषण बढ़ने और उच्च आधारभूत प्रभाव के कारण हुई हो।

इसी मध्य वित्त वर्ष 2016 की पहली छमाही में ऋणों में 9-10% के दायरे में वृद्धि होती रही। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दर में (दो बार में कुल 75; जून 2015 में 25 तथा सितंबर 2015 में 50) आधार बिंदुओं की कमी किए जाने के कारण बैंकों ने भी अपनी अपनी आधार दर में 55 से 70 आधार बिंदुओं तक की कमी की। इससे दूसरी छमाही में ऋण की मांग बढ़ी और फरवरी 2016 में इसने 11.6% के उच्चतम स्तर को छू लिया। कुल मिलाकर वर्षानुवर्ष आधार पर वित्त वर्ष 2015 (20 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार) की 9.0% की वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2016 में (18 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार) ऋण 11.3% की उच्चतर दर से बढ़े। ऋणों में यह वृद्धि मुख्यतया वैयक्तिक ऋणों से, विशेषकर आवास और मुद्रा ऋणों से हुई। यह जानना रोचक होगा कि सरकार की ओर से महत्व दिए जाने तथा बैंकों के प्रयत्नों के फलस्वरूप अब मुद्रा ऋणों की राशि समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण संविभाग का 1.7% हो गई है।

चलनिधि की स्थिति दिसंबर 2015 के मध्य से ही तंग थी। सरकार द्वारा सामान्य से अधिक नकदी शेष संचित करने, मुद्रा की मांग असामान्य रूप से और लगातार ज्यादा रहने तथा पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष इस अवधि में बैंक ऋण में वृद्धि होने, जमाराशि-संग्रहण कम होने के कारण चलनिधि की तंगी और बढ़ गई। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन दबावों को कम करने के लिए चलनिधि परिचालन प्रारंभ किए। सामान्य परिचालनों के अनुपूरक के रूप में खुले बाजार के परिचालनों, परिवर्ती दर पुनर्क्रय नीलामी के माध्यम से चलनिधि प्रवाहित की गई।

इसी बीच, प्रधानंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत बैंकों ने अब तक 21.51 करोड़ खाते खोले हैं, जिनमें 36,600 करोड़ रुपये की राशि जमा है। अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में से शून्य शेष खातों की संख्या लगातार घटती जा रही है। सितंबर 2015 में यह 45% थी और जो मार्च 2016 में घटकर 27% हो गई। इसके अतिरिक्त जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत बैंकों ने मार्च 2016 तक संचयी रूप से कुल मिलाकर 12.6 करोड़ आवेदक नामांकित किए। इनमें से 2.3 करोड़ आवेदक अकेले भारतीय स्टेट बैंक ने नामांकित किए। इस पहल को और आगे ले जाते हुए सरकार आधार प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर इन खातों के जरिए आर्थिक सहायता की राशि संवितरित करने के लिए बैंकिंग चैनलों का इस्तेमाल कर रही है।

देश में वित्तीय सेवाओं के प्रसार को और बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2015 में कुल 23 नई बैंकिंग लाइसेंस (2 यूनिवर्सल बैंक, 11 भुगतान बैंक एवं 10 लघु वित्त बैंक) जारी किए हैं। बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य रहा। 2 यूनिवर्सल बैंकों ने वर्ष 2015 में अपने परिचालन शुरू किए और अप्रैल 2016 में भारत के प्रथम लघु वित्त बैंक के रूप में पूंजी स्थानीय क्षेत्र बैंक ने अपने परिचालन शुरू किए। पूंजी स्थानीय क्षेत्र बैंक के अलावा दूसरे जिन्हें लघु वित्त बैंक शुरू करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन मिला है, भी सितंबर 2016 में अपने परिचालन शुरू करने की तैयारी में लगे हैं, जो कि अप्रैल 2017 की समय-सीमा से काफी पहले है। 11 भुगतान बैंकों को सैद्धांतिक अनुमोदन मिला है और वे भारतीय रिज़र्व बैंक से औपचारिक लाइसेंस प्राप्त करने की दिशा में हैं। परंतु रिपोर्ट में बताया गया है कि इनमें से चार ने उद्यम को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है।

भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप, अधिकांश बैंक अपने उत्पाद एवं योजनाएं ऑनलाइन प्लैटफार्म पर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा, नकदी रहित अर्थव्यवस्था के नजदीक जाने के कदम के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ मिलकर नेशनल पेमेंट कारपोरेशन

ऑफ इंडिया ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस शुरू किया है। सिंगल आइडेंटिफायर जो कि वर्चुअल एड्रेस के रूप में कार्य करेगा और जिससे वित्तीय लेनदेन के समय बैंक खता क्रमांक जैसी संवेदनशील सूचना के आदान-प्रदान की जरूरत समाप्त हो जाएगी, के इस्तेमाल से ग्राहकों को विभिन्न बैंकों के बीच निधियों का तुरंत अंतरण करने की सुविधा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से मिलती है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को शुरू करने से यह आशा की जा रही है कि खुदरा भुगतानों पर इसका महत्वपूर्ण असर उस समय भी होगा, जब मोबाइल बैंकिंग भी तेजी से बढ़ रहा है।

ऐसा लगता है कि बैंकिंग प्रणाली में बढ़ते तनाव के संकेत भी समाप्त हो गए हैं, क्योंकि अधिकांश तनाव को पहले ही पहचान लिया गया है और आगामी वर्षों में अपेक्षित तनाव की पहचान की गई है तथा उस पर गहन निगरानी की जा रही है। तनावग्रस्त खातों के समाधान के लिए बड़े कारपोरेट उधारदाताओं द्वारा यथासंभव सभी उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों से बैंकिंग प्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। अलाभकारी आस्तियों के बढ़ने के कारण अधिकांश बैंकों के निवल लाभ उच्चतर प्रावधान के कारण घट गए हैं। इसके परिणामस्वरूप उनकी आस्तियों पर आय एवं ईक्विटी पर आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

भावी परिदृश्य

आगामी वित्त वर्ष कई कारणों से चुनौती भरा और आकर्षक रहेगा। वैश्विक आर्थिक संवृद्धि धीरे-धीरे वसूली की तरफ प्रवृत्त हो रही है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के कारण बैंकिंग के क्षेत्र में लगातार नए अवसर सृजित हो रहे हैं, जिनके कारण न केवल बैंकिंग एवं सेवा की सुपुर्दगी की लागत कम होगी, बल्कि ग्राहक अनुभव में भी पर्याप्त सुधार होगा। डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने से भारत अथवा विदेश में सभी बैंकों के बीच गति बढ़ेगी। मौसम की घटनाएं जिनका वैश्विक संवृद्धि की बहाली पर विघटनकारी प्रभाव रहा, मंद हो रही हैं और वर्ष 2016 की समाप्ति तक एल निनो स्थितियां निस्तेज होने की संभावना है। कुछ मॉडलों से अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश के मौसम के अंतिम चरण में ला नीना की स्थितियां होंगी, जिनसे बेहतर वर्षा की संभावना और बढ़ जाएगी।

इस पृष्ठभूमि में भारत की संवृद्धि का मूल आधार अक्षुण्ण है। मौसम संबंधी जोखिम अब समाप्त होने की संभावना है। इसके परिणामस्वरूप नीतिगत क्षेत्र व्यापक हो गया है और सरकार ऑफशोर वाइंड एवं तटीय नौपरिवहन आदि जैसे ग्रीन फील्ड क्षेत्रों में नए निवेश बढ़ा सकता है। पूँजीगत वस्तुओं, रेल्वे, रक्षा एवं आवास जैसे वर्तमान ब्राउन फील्ड क्षेत्रों में व्यापक नीतिगत क्षेत्र को युक्तिसंगत बनाया गया है। इन उपायों से बैंकों के लिए पर्याप्त संख्या में अवसर खुलेंगे और अपने निवेश के विविधीकरण में उन्हें सहायता मिलेगी।

पिछले वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति में सुधार के कारण परिवारों की वास्तविक आय में वृद्धि हुई है। इससे वैयक्तिक खंड जहां पिछले वर्ष अच्छी संवृद्धि हुई है, में बैंक के ऋण की मांग बढ़ने की संभावना है। द रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) बिल, 2016 पारित होने के साथ इन प्रवृत्तियों को और बल मिलेगा। दिनांक 1 अप्रैल 2016 से बैंकों ने आधार दर प्रणाली के बदले सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) अपना ली है। इससे यह आशा की जाती है कि घटते ब्याज दर परिवेश में भी ऋण लेने की लागत घट जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक का रुख घाटे की पद्धति में चलनिधि से तटस्थ पद्धति में चलनिधि की ओर बदलने से बैंकों को भी फायदा होने की संभावना है।

दिवालिया कानून पारित हो जाने से तनावग्रस्त ऋणों के समाधान में तेजी आने तथा देश में अत्यंत चलायमान कारपोरेट बांड बाजार आ जाने की संभावना है। इसी प्रकार, व्यष्टि, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने व्यष्टि, लघु एवं मध्यम उद्यमों के पुनरुज्जीवन एवं पुनर्वास के लिए ढांचा तैयार किया है।

कुल-मिलाकर, मौद्रिक एवं राजकोषीय दोनों नीतियां स्थायी आर्थिक वृद्धि के लिए अनुकूल होंगीं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भविष्य में नीतियों को उदार रखने का संकेत दिया है और अप्रैल 2016 में पुनर्खरीद दर में 25 आधार बिंदुओं की कमी की है। वर्तमान राजकोषीय वर्ष में हमें दोनों नीतियों में से किसी भी नीति के रुख में कोई महत्वपूर्ण विचलन देखने को मिलता नहीं।

II. वित्तीय निष्पादन

आस्तियाँ एवं देयताएँ

बैंक की कुल आस्तियाँ मार्च 2016 के अंत में 10.30% बढ़कर 22,59,063.03 करोड़ रुपये हो गईं। मार्च 2015 में ये 20,48,079.80 करोड़ रुपये थीं। इस अवधि में ऋण संविभाग 12.59% बढ़कर 13,00,026.39 करोड़ रुपये से 14,63,700.42 करोड़ रुपये हो गया। निवेश 0.97% घटे और 4,81,758.75 करोड़ रुपये से मार्च 2016 में 4,77,097.28 करोड़ रुपये हो गए। ज्यादातर निवेश घरेलू बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए हैं।

बैंक की कुल देयताएँ (पूंजी और आरक्षित निधियों को छोड़कर) 10.17% बढ़ीं। ये मार्च 2015 में 19,19,641.57 करोड़ रुपये थीं और मार्च 2016 में 21,14,788.60 करोड़ रुपये हो गईं। देयताओं में वृद्धि मुख्य रूप से जमाराशियों और उधार में वृद्धि से हुई। जमाराशियाँ मार्च 2016 में 9.76 % बढ़कर 17,30,722.44 करोड़ रुपये हो गईं, जो मार्च 2015 में 15,76,793.24 करोड़ रुपये थीं। उधार राशियाँ 9.28% बढ़ीं। ये मार्च 2015 के अंत में 2,05,150.29 करोड़ रुपये थीं और मार्च 2016 के अंत में 2,24,190.59 करोड़ रुपये हो गईं। यह वृद्धि मुख्य रूप से भारत की अन्य संस्थागत एजेंसियों से उधार ली गई राशियों और भारत के बाहर से पुनर्वित्त के कारण हुई।

ब्याज आय और व्यय

भारत में दिए गए अग्रिमों पर ब्याज से प्राप्त आय वित्त वर्ष 2015 में 1,52,397.07 करोड़ रुपये थी, जो वित्त वर्ष 2016 में 1,63,685.31 करोड़ रुपये हो गई अर्थात् 7.41 % की वृद्धि ऋणों की अधिक मात्रा के कारण हुई। भारत में दिए गए अग्रिमों से प्राप्त औसत आय (दैनिक औसत के आधार पर) वर्ष 2015 के 10.55% की तुलना में वर्ष 2016 में 10% रही। भारत में राजकोषीय परिचालनों में लगाए गए संसाधनों से प्राप्त आय में 20.17% की वृद्धि हुई। यह वृद्धि संसाधनों की मात्रा बढ़ाए जाने के कारण हुई। औसत आय भी घटी। यह वित्त वर्ष 2015 के 7.98% से वित्त वर्ष 2016 में 7.92% हो गई।

वैश्विक परिचालनों पर कुल ब्याज व्यय वित्त वर्ष 2015 के 97,381.82 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2016 में 1,06,803.49 करोड़ रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2015 के दौरान जमाराशियों पर ब्याज व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 10.90% की वृद्धि हुई। जमाराशियों की औसत लागत (दैनिक औसत शेष के आधार पर) वित्त वर्ष 2015 के 6.39% से घटकर वित्त वर्ष 2016 में 6.22% हो गई, जबकि भारत में जमाराशियों का औसत स्तर 14.16% बढ़ा।

ब्याज से भिन्न आय एवं व्यय

वित्त वर्ष 2016 में ब्याज से भिन्न आय 24.73% बढ़कर 28,158.36 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2015 में 22,575.89 करोड़ रुपये थी। वर्ष के दौरान बैंक को सहयोगी बैंकों/अनुषंगियों और भारत तथा विदेशों के संयुक्त उपक्रमों से लाभांश के रूप में 475.83 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2015 में 677.03 करोड़ रुपये) एवं निवेशों के विक्रय से लाभ के रूप में 5,168.80 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2015 में 3,618.05 करोड़ रुपये) की आय प्राप्त हुई।

स्टाफ लागत में 6.70 % की वृद्धि हुई। यह वित्त वर्ष 2015 के 23,537.07 करोड़ रुपये से वित्त वर्ष 2016 में 25,113.83 करोड़ रुपये हो गई। अन्य परिचालन व्ययों में 14.82% की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से किराया, कर, बिजली, मरम्मत और रखरखाव तथा विविध व्ययों में वृद्धि के कारण हुई।

परिचालन लाभ

बैंक ने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वर्तमान वित्त वर्ष के परिचालन लाभ में वृद्धि दर्ज की। बैंक का वित्त वर्ष 2016 का परिचालन लाभ 43,257.81 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2015 में 39,537.28 था अर्थात 9.41% की वृद्धि। वित्त वर्ष 2015 के 13,101.57 करोड़ रुपये के निवल लाभ की तुलना में वित्त वर्ष 2016 में बैंक ने 9,950.65 करोड़ रुपये का निवल लाभ दर्ज किया अर्थात् 24.05% की कमी। अनर्जक आस्तियों के लिए अधिक प्रावधान करने के कारण यह हुआ।

प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

वित्त वर्ष 2016 में किए गए प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:
अनर्जक आस्तियों के लिए 26,984.14 करोड़ रुपये (प्रतिलिखित राशि घटाने के बाद) (वित्त वर्ष 2015 में 17,908.06 करोड़ रुपये), मानक आस्तियों के लिए 2,157.55 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2015 में 2,435.38 करोड़ रुपये), 3,823.41 करोड़ रुपये का कर प्रावधान (वित्त वर्ष 2015 में 6,212.39 करोड़ रुपये)। निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान में से 149.56 करोड़ रुपये प्रतिलिखित किए गए (वित्त वर्ष 2015 में 590.07 करोड़ रुपये)।

आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष

सांविधिक आरक्षित निधियों में 2,985.20 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई (वित्त वर्ष 2015 में 4,029.08 करोड़ रुपये)। पूंजीगत आरक्षित निधि में 345.27 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई (वित्त वर्ष 2015 में 105.50 करोड़ रुपये)। अन्य आरक्षित निधियों में 4,267.35 करोड़ रुपयों की राशि अंतरित की गई (वित्त वर्ष 2015 में 5,889.06 करोड़ रुपये)।

राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों में 31 मार्च 2016 को 6,056.25 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि शामिल है (31 मार्च 2015 को 6,172.35 करोड़ रुपये)।

III. प्रमुख परिचालन

राष्ट्रीय बैंकिंग समूह

राष्ट्रीय बैंकिंग समूह बैंक का सबसे बड़ा व्यवसाय समूह है। दिनांक 31 मार्च 2016 को देश की कुल जमाराशियों का 96.04% और देश के कुल अग्रिमों का 53.57% अंश इस समूह का रहा। यह समूह छह कार्यनीतिक व्यवसाय इकाइयों से मिलकर बना है और शाखा नेटवर्क तथा मानव संसाधनों की दृष्टि से सबसे बड़ा व्यवसाय समूह है।

निरंतर नई प्रौद्योगिकी के आगमन और ग्राहकों की पसंद में परिवर्तन के कारण खुदरा बैंकिंग परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। बैंकिंग में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने में आपका बैंक सदा अग्रणी रहा है। बैंकिंग को ग्राहकों के लिए अधिकाधिक सुविधापूर्ण बनाने के लिए नए-नए उत्पाद और साधन अस्तित्व में लाए जाते रहे हैं। बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए बैंक के कई चैनल हैं, क्योंकि ग्राहकों को उनके इच्छित समय और स्थान पर उनकी पसंद के चैनल से सेवा प्राप्त हो सके, यह बैंक की कार्यनीति है। इन सभी पहलों से बैंक की प्रकिया एवं साधनों की पुनर्संरचना हुई, जिससे ग्राहक के लिए व्यवसाय करना आसान हो गया है। बैंक की यह भी कोशिश होती है कि ग्राहकों की भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर उन आवश्यकताओं को प्रौद्योगिकी आधारित साधनों से पूरा किया जाए। वित्त वर्ष 2016 में बैंक ने डिजिटल शाखाओं, मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया आदि विभिन्न चैनलों के जरिए अपनी सेवाओं का विस्तार किया।

खुदरा बैंकिंग नए ग्राहक बनाने में भी बड़ी भूमिका निभा रही है, जिससे देयताओं की तरफ चालू एवं बचत खाता (कासा) जमाराशियों में वृद्धि हो रही है। आपके बैंक को खुदरा जमाराशि वाले नए ग्राहकों को बनाए रखने और उसके कारण खुदरा जमाराशि के आधार में भारी वृद्धि देखने को मिली। साथ ही,

प्रदर्श 01 : शाखा विस्तार

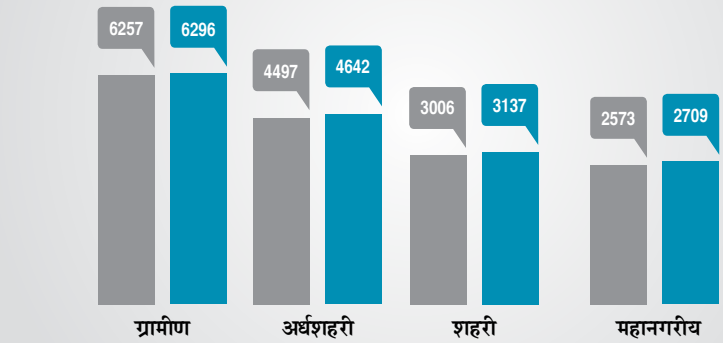

प्रदर्श 02 : शाखा विस्तार प्रवृत्ति

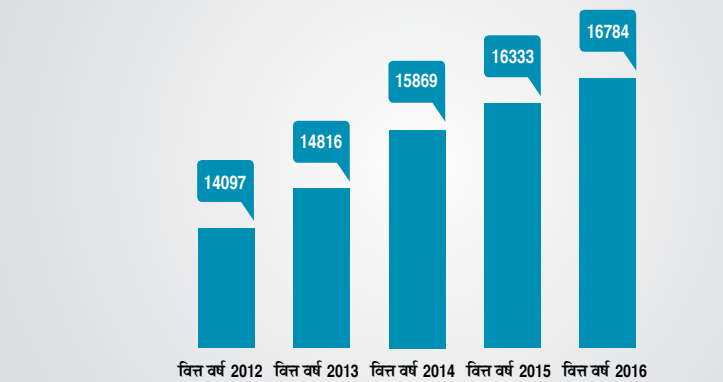

इस बढ़ते ग्राहक आधार की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए खुदरा ऋणों को इस प्रकार बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है कि वे बैंक के कुल अग्रिमों का काफी बड़ा हिस्सा बन सकें। इसी उद्देश्य से खुदरा ऋण उत्पादों और प्रक्रियाओं को ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है और उनकी सुपुर्दगी में प्रौद्योगिकी का इस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है कि ग्राहकों को अधिक आसानी हो। हमारे विज़न 'भारत का स्मार्ट बैंक बनने की राह पर' आगे बढ़ते हुए वर्ष के दौरान Loans@SBI को शुरू किया गया, जिससे ऑनलाइन पर आवास ऋणों, वाहन ऋणों एवं अन्य खुदरा ऋणों के आवेदनों की सोर्सिंग की जा सके और उसके बाद ऐसे आवेदनों की अनुवर्ती कार्रवाई पर निगरानी रखी जा सके। ग्राहक अब इंटरएक्टिव पात्रता निर्धारण टूल का उपयोग कर अपनी पात्रता एवं योजना के विवरण जान सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ग्राहकों को ऋण संस्वीकृत होने तक उसकी स्थिति जानने की भी सुविधा दी गई है।

क. वैयक्तिक बैंकिंग

1. आवास ऋण

बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ा आवास ऋण संविभाग भारतीय स्टेट बैंक का है। समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में इसका बाजार अंश 25% से भी अधिक है। दिनांक 31 मार्च 2016 को बैंक के कुल अग्रिमों में आवास ऋण संविभाग का अंश 15.33% रहा।

प्रदर्श 03: आवास ऋण स्तर (₹ करोड़ में)

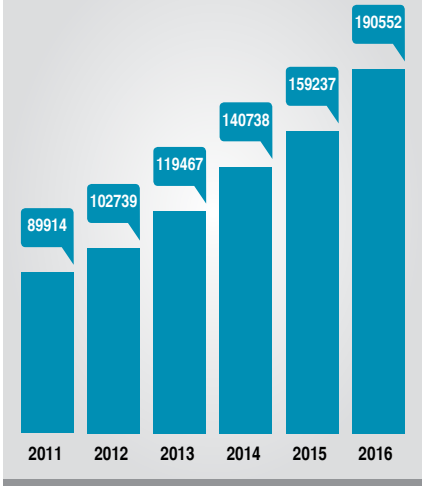

प्रदर्श 04: आवास ऋण सकल अलाभकारी आस्ति स्तर (₹ करोड़ में)

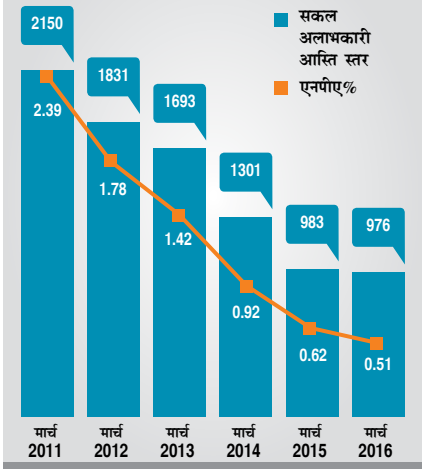

पिछले 5 वर्षों में आवास ऋण संविभाग दुगुना से अधिक हो गया है, परंतु उसी अवधि में अलाभकारी आस्तियों के स्तर राशि की दृष्टि से आधे से अधिक कम हो गए हैं और प्रतिशत की दृष्टि से एक चौथाई कम हो गए हैं। 31 मार्च 2016 को कुल आवास ऋण एवं आवास संबंधित ऋण संविभाग 2,01,755 करोड़ रुपए रहा।

अपने आवास ऋणों को और बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2016 में बैंक ने अनेक नए कार्य किए। इनमें से कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

- **प्रोजेक्ट तत्काल:** आवास ऋण की सुपुर्दगी में संपूर्ण बदलाव के लिए विपणन और प्रसंस्करण की बिलकुल नई संरचना प्रोजेक्ट तत्काल के रूप में प्रारंभ की गई। इसका लक्ष्य है हमारे आवास ऋण ग्राहकों को प्रदान की जा रही सेवाओं को सुदृढ़ करना, ताकि आवास ऋण की मंजूरी/संवितरण में लगने वाले समय में कमी लाई जा सके।

- **ऑनलाइन ग्राहक अर्जन सॉफ्टवेअर (ओकास)** प्रारंभ किया गया। इसके माध्यम से आवास ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन भेजा जा सकता है और आवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी की जा सकती है। ऋण लेने के इच्छुक ग्राहक अपनी पात्रता, योजना का विवरण आदि देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें पात्रता मूल्यांकन की संवादात्मक सुविधा का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऋण मंजूर होने तक ग्राहक अपने आवेदन पत्र की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।

- **गृहतारा अभियान** प्रारंभ किया गया, ताकि हमारे प्रत्येक स्टाफ सदस्य को आवास ऋण का एक प्रस्ताव लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यह अभियान बहुत सफल रहा। हमारे लगभग 35% स्टाफ सदस्यों ने इसमें सहभागिता की। इस अभियान से 32,501 करोड़ रुपये के आवास ऋणों के 1.5 लाख से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए। व्यवसाय विकास के साथ ही इस अभियान से ग्राहक सेवा का स्तर उन्नत करने में भी सहायता मिली।

- आवास ऋण के निम्नलिखित नए प्रकार के उत्पादों का शुभारंभ:

  - **फ्लेक्सि पे आवास** ऋण (चुकौती में लचीलेपन का विकल्प देने वाले आवास ऋण)

▶ **कारपोरेट आवास ऋण** (कारपोरेटों/संस्थानों को आवास ऋण, ताकि वे अपने कर्मचारियों/निदेशकों को आवास सुविधा प्रदान कर सकें)

■ निम्नलिखित आवास ऋण लीड अग्रेगेटर/सेवा प्रदाताओं के साथ **समझौता ज्ञापन/गठबंधन**

▶ **एसबीआइ कैप सिक्युरिटीज़ लि. (एस एस एल)** : एस एस एल के विक्रय दल का प्रयोग करने के लिए गठजोड़ किया गया, ताकि विपणन के लिए ज्यादा व्यक्ति मिल सकें और प्रमुख बाजारों में उपस्थिति बढ़े तथा मूल्यवान ग्राहकों को घर-पहुँच सेवा दी जा सके।

▶ **बैंकबाजार.कॉम और पैसाबाजार.कॉम**: हमारी ऑनलाइन उपस्थिति बढ़ाने और बढ़िया गुणवत्ता वाले आवास ऋणों की लीड प्राप्त करने के लिए गठजोड़ किया गया।

▶ **प्रॉपटाइगर एवं लिएसेस फोरास**: आवास ऋण बाजारों की सभी चालू परियोजनाओं के बारे में शोधपूर्ण डेटा, समुचित सूचीबद्धता, नई शुरू होने वाली परियोजनाओं की बुनियादी जानकारी, कीमतों का उतार-चढ़ाव और आवास उपलब्धता की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए गठजोड़।

2. वाहन ऋण

भारतीय स्टेट बैंक की कार ऋण योजना अब ऑनलाइन पर उपलब्ध है। प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दर, "ऑन रोड कीमत" पर ऋण, चुकौती की सबसे लंबी अवधि 7 वर्ष, समय पूर्व अधिक भुगतान करने/ऋण समाप्त करने पर कोई दंड न होने, ई एम आइ अग्रिम रूप से न लेने और ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध होने के कारण यह ग्राहकों के लिए सर्वोत्तम योजना है। आपके बैंक ने आवास ऋण लेने वाले ऋणियों के लिए लॉयल्टी कार ऋण योजना भी प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत ब्याज दर में रियायत दी जाती है और ऑन रोड कीमत का 100% ऋण दिया जाता है। बैंक ने वाहन ऋण उत्पादों के विपणन के लिए एस बी आइ कैप सिक्युरिटीज़ लि. के साथ अपनी कारपोरेट एजेंसी के रूप में गठबंधन किया है और वर्ष के दौरान मारुति कारों के नंबर एक वित्तप्रदाता बना।

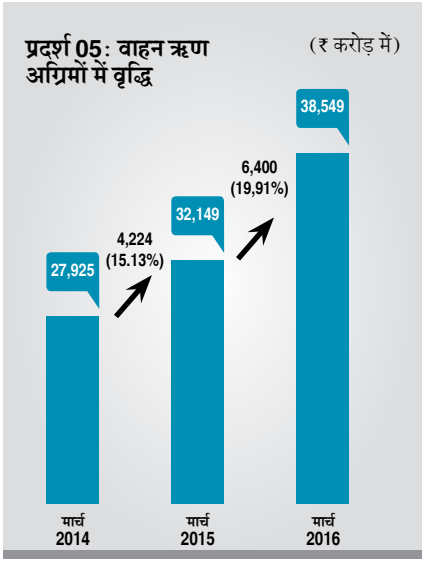

3. शिक्षा ऋण

बैंक का कुल एक्सपोज़र 15,177 करोड़ रुपये और समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में बाजार अंश 23% रहा। भारत सरकार ने 7.5 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋणों के लिए और कौशल ऋण योजना के लिए ऋण गारंटी योजना की शुरुआत की है तथा विद्यार्थियों को एक ही स्थान पर सभी सेवाएँ प्रदान करने के लिए विद्या लक्ष्मी पोर्टल प्रारंभ किया है। आपके बैंक ने उक्त योजनाओं को अपनाया/कार्यान्वित किया तथा अबाधित सेवा के लिए इसे अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के साथ एकीकृत किया। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले विद्यार्थियों के लिए 1.5 करोड़ रुपये तक की ऋण सीमा वाली एस बी आइ ग्लोबल एड्-वांटेज योजना हाल ही में प्रारंभ की गई है, जो बहुत तेजी से लोकप्रिय होती जा रही है।

4. वैयक्तिक ऋण

असुविधा रहित और अबाध बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए अपनी डिजिटल यात्रा जारी रखते हुए बैंक ने वित्त वर्ष 2016 में निम्नलिखित कार्य प्रारंभ किए:

■ इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर सावधि जमाराशि पर ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा।

■ शेयरों पर ऋण के लिए प्रारंभ से अंत तक डिजिटल प्रसंस्करण, जिसमें शाखा में आए बगैर ग्राहक को ऋण प्राप्त हो जाता है।

■ एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन, जिसमें दस्तावेज अपलोड करने/ बैंक द्वारा किसी को भेजकर मंगाने की सुविधा है। साथ ही, निवल मासिक आय की कंप्यूटर द्वारा ही गणना की जाती है।

■ ग्राहकों की सुविधा के लिए ऋण मंजूरी से पहले और बाद की निरीक्षण प्रक्रिया का टेबलेट के माध्यम से डिजिटलीकरण।

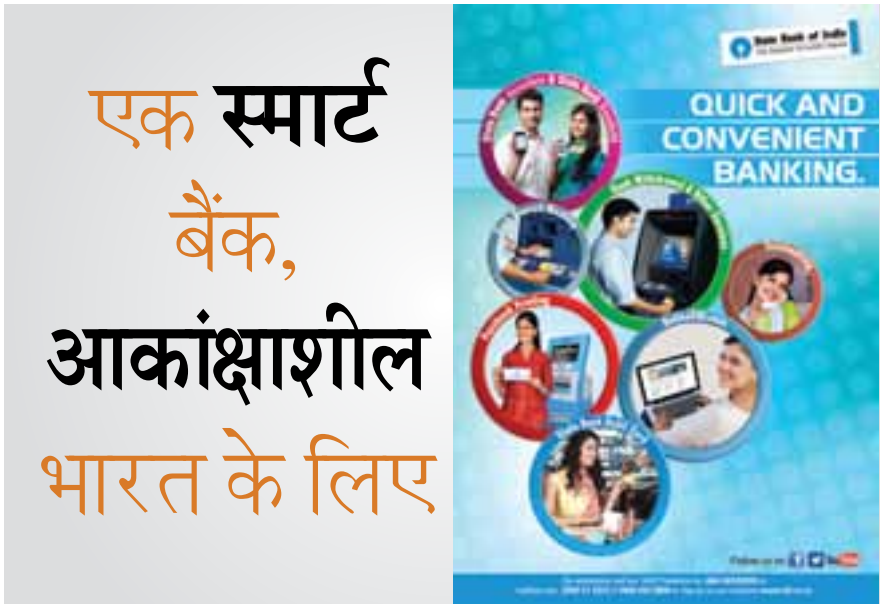

प्रसंस्करण प्रक्रिया को सरल बनाने पर निरंतर ध्यान देने का सुफल है कि वित्त वर्ष 2016 में वैयक्तिक ऋणों में 14,152 करोड़ रुपये (वर्षानुवर्ष 25%) की जबर्दस्त बढ़त हुई।

प्रदर्श 06: वैयक्तिक ऋण अग्रिमों में वृद्धि (₹ करोड़ में)

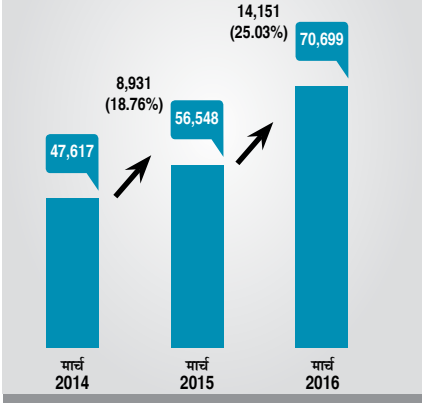

5. देशीय जमाराशियाँ

वित्त वर्ष 2016 के दौरान देशीय जमाराशि संविभाग में 10.09% की वृद्धि हुई। देशीय बचत बैंक जमाराशियों में वर्षानुवर्ष आधार पर 13.17% (वित्त वर्ष 2015 में 9.51%) वृद्धि हुई। चालू खाते की जमाराशियाँ 9.62% बढ़ीं। ब्याज दर में गिरावट के बावजूद सावधि जमा संविभाग में वित्त वर्ष 2016 में 8.20% की वृद्धि दर्ज हुई। जमाराशियों में बैंक का बाजार अंश मार्च 2015 के 17% से मार्च 2016 में 17.57% हो गया।

प्रदर्श 07: वैयक्तिक देशीय जमाराशियों में वृद्धि (₹ करोड़ में)

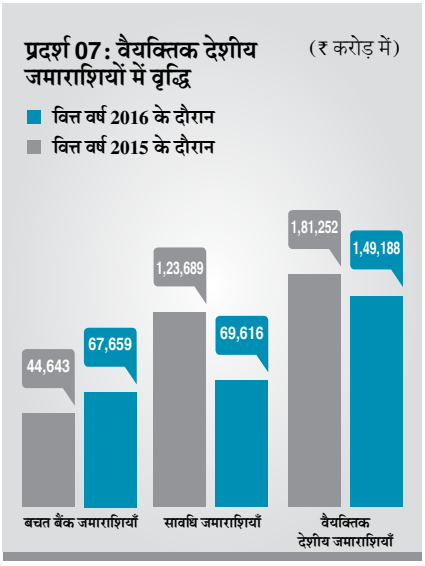

वित्त वर्ष 2016 के दौरान ग्राहकों के लिए निम्नलिखित डिजिटल सेवाएँ प्रारंभ की गईं:

- खाता खोलने के फॉर्मों को पूरी तरह विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (फटका), सामान्य रिपोर्टिंग मानदंड (सीआरएस) और अपने ग्राहक को जानिए केंद्रीय रजिस्ट्री मानदंडों के अनुरूप बनाया गया है।
- बचत बैंक के सभी उत्पादों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है। बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बी एस बी डी ए) तथा लघु खाता भी इसमें शामिल हैं।
- ई-वाणिज्य : थॉमस कुक के साथ भागीदारी में अवकाश बचत खाता (जिसमें प्रारंभ से अंत तक के सभी कार्य ऑनलाइन हो सकते हैं) फरवरी 2016 में शुरू किया गया।
- "एस बी आइ क्विक" की शुरुआत : इसमें खाते का शेष जानने, ए टी एम कार्ड ब्लॉक करने, कार/आवास ऋण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मोबाइल से मिस्ड कॉल कर सकते हैं। अब तक 70 लाख से ज्यादा ग्राहक इस सुविधा के लिए पंजीकृत हो चुके हैं और 4 लाख से ज्यादा कॉल प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं।

6. अनिवासी भारतीय व्यवसाय

हमारे लिए हर्ष का विषय है कि 17 लाख से ज्यादा अनिवासी भारतीय हमारे ग्राहक हैं। उनकी सेवा के लिए मार्च 2016 में ऐसी 81 विशेषीकृत शाखाएँ थीं, जो केवल उनके लिए सेवारत थीं और 100 शाखाओं में उनकी बहुतायत थी।

प्रदर्श 08: अनिवासी भारतीय जमाराशियों (₹ करोड़ में)

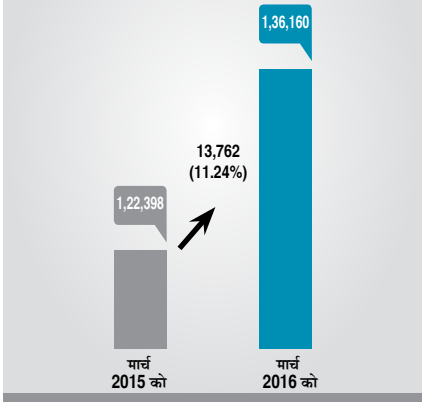

प्रदर्श 09: अनिवासी भारतीय अग्रिम (₹ करोड़ में)

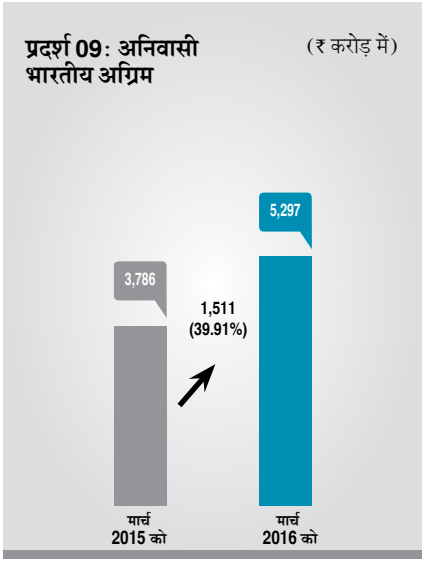

अनिवासी भारतीय ग्राहकों के लिए वर्ष 2016 में निम्नलिखित ग्राहक केंद्रित उपाय शुरू किए गए:

- ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन।
- खाता खोलने के फॉर्मों को पूरी तरह विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (फटका), सामान्य रिपोर्टिंग मानदंड (सीआरएस) और अपने ग्राहक को जानिए केंद्रीय रजिस्ट्री मानदंडों के अनुरूप बनाया गया है।
- एन आर ई/एन आर ओ जमा खातों पर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ओवरड्राफ्ट सुविधा का सृजन।
- एन आर आइ ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से डेबिट कार्ड का एक्टिवेशन।
- एन आर ई/एन आर ओ खातों से सभी शाखाओं के जरिए विदेशी मुद्रा भेजने की सुविधा।
- यू ए ई एक्सचेंज सेंटर और यू ए ई में कार्यरत अंसारी एक्सचेंज में पदस्थ हमारे संबंध प्रबंधकों के माध्यम से तत्काल एन आर आइ खाता खोलने की सुविधा।

7. वेतन खाता गठ-जोड़

वित्त वर्ष 2016 के दौरान वेतन खाता रखने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़कर 82.04 लाख हो गई। इनमें अग्रणी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कर्मचारी भी हैं। रक्षा, अर्ध सैनिक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पुलिस के वेतन पैकेज इसके अतिरिक्त हैं। वर्ष के दौरान वेतन खातों के लिए ऑनलाइन आवेदन सुविधा शुरू की गई।

प्रदर्श 10: हमारे कारपोरेट और संस्थात्मक गठजोड़ व्यवसाय में वृद्धि (₹ करोड़ में)

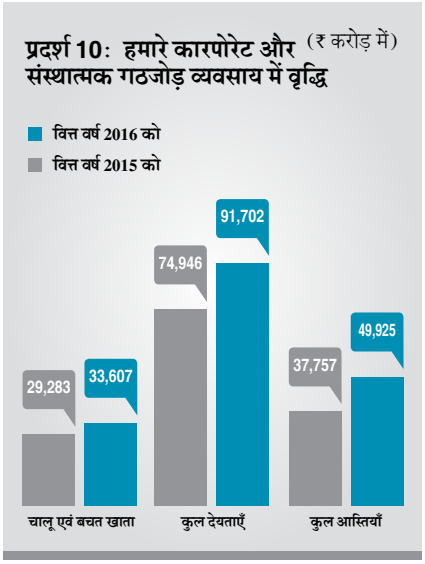

8. प्रीमियर बैंकिंग

वैयक्तिक बैंकिंग व्यवसाय के अंतर्गत उच्च मालियत व्यक्ति (एच एन आइ) खंड में 31% की वृद्धि हुई। 31 मार्च 2016 में इसकी औसत जमाराशियाँ 229,749 करोड़ रुपये रही । इस खंड के ग्राहकों को शाखा के अतिरिक्त अन्य सुविधाजनक सेवा चैनल उपलब्ध कराने के लिए आपके बैंक ने नवंबर 2015 में बेंगलुरु में प्राथमिक बैंकिंग केंद्र प्रारंभ किया है। यह केंद्र पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से व्यक्ति आधारित सेवाएँ प्रदान करता है। इससे ग्राहक नकदी रहित सभी लेनदेन कर सकते हैं। लेनदेन का समय भी बढ़ाकर सुबह 8.00 बजे से रात 8.00 बजे तक किया गया है। स्टेट बैंक समूह के अन्य उत्पाद, जैसे म्युचुअल फंड, बीमा और क्रेडिट कार्ड भी इस केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं।

प्रदर्श 11: भारतीय स्टेट बैंक के एच एन आइ व्यवसाय की वृद्धि (₹ करोड़ में)

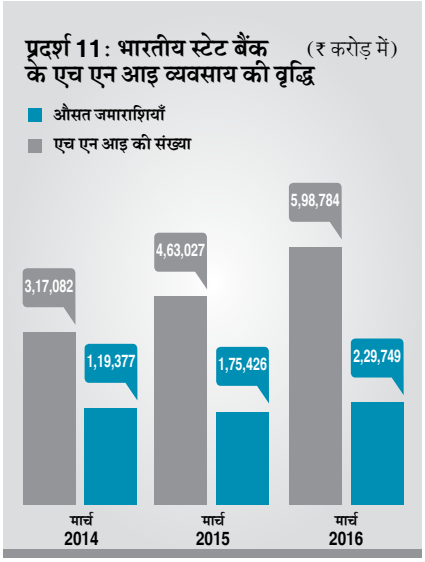

9. सॉवरिन स्वर्ण बांड

निवेश के लिए सोने की भौतिक रूप में मांग को कम करने के लिए वित्त वर्ष 2016 के दौरान भारत सरकार ने सॉवरिन स्वर्ण बांड योजना प्रारंभ की। बैंक ने वर्ष के दौरान जारी तीनों श्रृंखलाओं में सहभागिता की और कुल मिलाकर 210.85 करोड़ रुपयों की राशि संग्रहित की, जो 777 किलोग्राम स्वर्ण के बराबर है। सभी सहभागियों में हमारा बाजार अंश सर्वाधिक 15.83% रहा।

ख. वैकल्पिक चैनल

निम्नलिखित दिनांक को	ए टी एम	किओस्क (एमएफके और एसएसके)	नकदी जमा मशीन, रिसाइकलर्स	कुल एसबीआय
31.03.2014	40768	2583	1516	44867
31.03.2015	42454	2595	1849	46898
31.03.2016	42740	2595	5753	51088

1. ए टी एम/रिसाइकलर

भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों का ए टी एम नेटवर्क विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसमें 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार 59,000 से ज्यादा ए टी एम हैं। इनमें किओस्क, नकदी जमा मशीने और रिसाइकलर शामिल हैं।

प्रदर्श 12: समूह के ए टी एम की संख्या

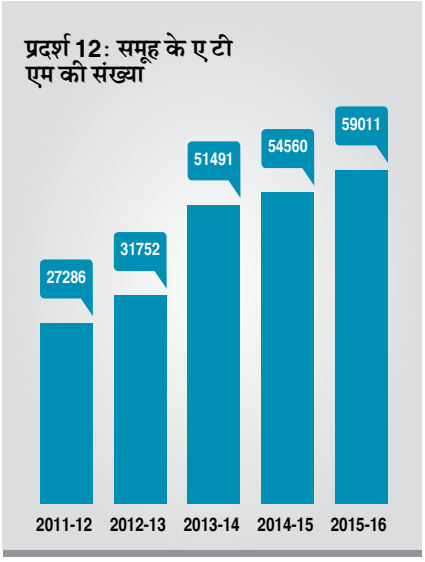

वित्त वर्ष 2016 में बैंक ने 4220 ए टी एम और रिसाइकलर इंस्टाल किए। जनसंख्या समूह की दृष्टि से बैंक के ए टी एम का अनुपात महानगरीय/शहरी क्षेत्रों और अर्धशहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में 50:50 है। वैकल्पिक चैनलों से होने वाले लेनदेनों का 56% और बैंक के कुल वित्तीय लेनदेनों का 43% ए टी एम चैनल के माध्यम से होता है। स्टेट बैंक समूह के ए टी एम नेटवर्क का बाजार अंश 29.66% होते हुए भी देश के कुल ए टी एम लेनदेनों के 50.83% लेनदेन हमारे ए टी एम पर होते हैं। (दिसंबर 2015 की स्थिति)। हमारे ए टी एम नेटवर्क पर औसतन 11.61 मिलियन लेनदेन प्रतिदिन होते हैं। प्रत्येक ए टी एम पर प्रतिदिन होने वाले लेनदेन का औसत 214 है। स्टेट बैंक समूह के डेबिट कार्डों की संख्या 23.34 करोड़ है। हमारे समूह के ए टी एम प्रतिदिन औसत 3039 करोड़ रुपये की नकदी वितरित करते हैं।

प्रदर्श 13: एटीएमों में स्टेट बैंक समूह का हिस्सा

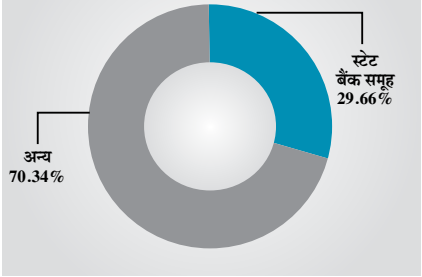

प्रदर्श 14: एटीएम लेनदेनों में स्टेट बैंक समूह का हिस्सा

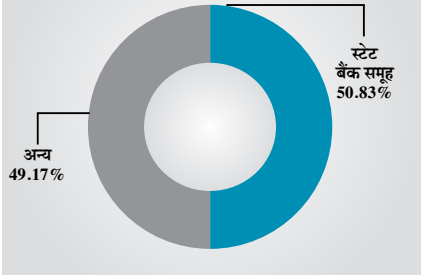

बैंक ने अब तक 4953 (स्टेट बैंक में समूह में 5768) रिसाइकलर लगाए हैं, जो ग्राहकों को 24X7 नकदी निकालने और जमा करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

पूरे देश में 1200 से अधिक ई-कॉर्नर स्थापित किए गए हैं, जहाँ ग्राहक नकदी आहरण, नकदी जमा, लघु विवरण, शेष संबंधी पूछताछ, पिन परिवर्तन, दान, शुल्क भुगतान, पासबुक प्रिंटिंग आदि सभी प्रकार की सेवाएँ इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी मास्टर कार्डधारकों के लिए बैंक ने डाइनैमिक करंसी कन्वर्शन (डी सी सी) नामक मूल्यवर्धित सेवा प्रारंभ की है, जिससे ये कार्डधारक देश के एटीएम से धन आहरित करते समय बाजार में जारी मुद्रा परिवर्तन दर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

दृष्टि बाधित ग्राहकों की सुविधा के लिए वित्त वर्ष 2016 में 1153 से अधिक एटीएम को बोलते ए टी एम के रूप में परिवर्तित किया गया है। इस प्रकार 31 मार्च 2016 को बोलते एटीएम की कुल संख्या 9753 हो गई हैं। नई लगने वाली हर मशीन में यह सुविधा प्रारंभ से है।

शारीरिक चुनौती प्राप्त व्यक्तियों का ध्यान रखना भी हमारी प्राथमिकता है। हमारे 3734 ए टी एम में रैंप की सुविधा है, ताकि शारीरिक चुनौती प्राप्त व्यक्तियों को ए टी एम तक जाने में कठिनाई न हो। जहाँ-जहाँ संभव है, रैंप या रैलिंग की सुविधा दी जा रही है। हमारे 1156 से ज्यादा एटीएम सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है। ए टी एम प्रयोक्ताओं की सुरक्षा की भी हमें चिंता है। देखभाल के लिए व्यक्तियों को रखे जाने के साथ ही वर्ष के दौरान 3000 ए टी एम को इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में लाया गया है। बैंक की योजना है कि वित्त वर्ष 2017 में 8000 और एटीएम को इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में लाया जाए।

2. स्वयं : बारकोड आधारित पासबुक प्रिंटर किओस्क

बैंक ने 6,000 से ज्यादा स्वयं किओस्क (बारकोड आधारित पासबुक प्रिंटिंग किओस्क) शाखाओं में / शाखाओं से भिन्न स्थानों पर प्रारंभ किए हैं। इन किओस्क पर ग्राहक बारकोड प्रौद्योगिकी से अपनी पासबुक स्वयं प्रिंट कर सकते हैं।

प्रदर्श 15 : स्वयं लेनदेन (₹ करोड़ में)

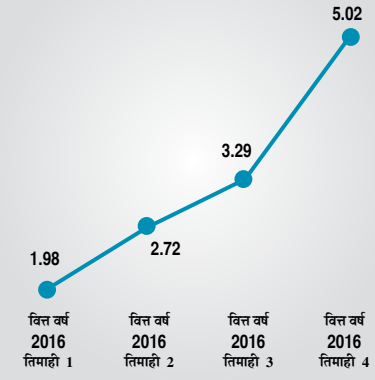

3. ग्रीन चैनल काउंटर (जी सी सी)

बैंक की सभी खुदरा शाखाओं में जी सी सी काउंटर प्रारंभ किए जा चुके हैं। इन काउंटरों से औसत 7.40 लाख लेनदेन प्रतिदिन हो रहे हैं। जी सी सी काउंटर पर होने वाले लेनदेन का प्रतिशत मार्च 2015 में 20.08% था, जो मार्च 2016 में बढ़कर 27.64% हो गया है।

प्रदर्श 16: जी सी सी: लेनदेन (₹ करोड़ में)

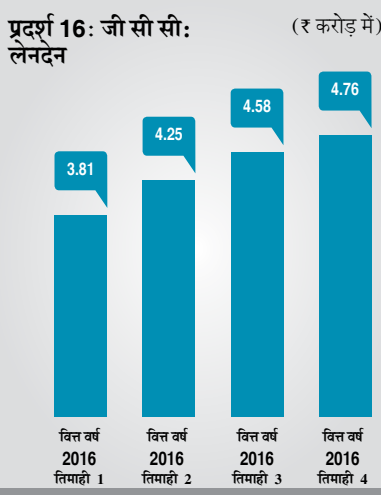

4. ग्रीन रेमिट कार्ड (जी आर सी)

वित्त वर्ष 2016 के दौरान जी आर सी के माध्यम से लगभग 3.91 करोड़ लेनदेन हुए, जबकि वित्त वर्ष 2015 में इन लेनदेनों की संख्या 3.48 करोड़ थी। ग्रीन रेमिट कार्ड से होने वाले दैनिक औसत लेनदेन वित्त वर्ष 2015 के 1.16 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2016 में 1.37 लाख हो गए। इस पहल को 2015 में प्रौद्योगिकी उत्पाद श्रेणी में स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ।

5. इंटरनेट बैंकिंग एवं ई-कॉमर्स

हमारी नेट बैंकिंग साइट 'www.onlinesbi.com' विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय वित्तीय साइटों में आठवें स्थान पर है। विश्व की शीर्ष 10 वित्तीय साइटों में भारत की इसी साइट को स्थान प्राप्त हुआ है (स्रोत: आइ आइ एफ एल)। यह चैनल अति सुरक्षित और किफायती है। वित्त वर्ष 2016 में इस चैनल से 124 करोड़ लेनदेन हुए, जो पिछले वर्ष से 39% अधिक है।

बैंक के खुदरा और कारपोरेट ग्राहकों को सुदृढ़ और ग्राहक-अनुकूल सेवाएँ इसके माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। साथ ही, ग्राहकों की भावी आवश्यकताओं पर भी निरंतर नजर रखी जाती है और उसके अनुरूप नए-नए डिजिटल चैनल प्रारंभ किए जाते हैं। इसी के अनुसरण में वित्त वर्ष 2016 में बैंक ने 'onlinesbi' पोर्टल को निरंतर अपग्रेड कर इस प्रकार बनाया कि वह ग्राहकों को अधिक सुविधाप्रद प्रतीत हो। साथ ही उसमें नए फीचर भी जोड़े गए, ताकि ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों का विस्तार हो। इन पहलुओं के उदारहरण हैं - सावधि जमा रसीद/विशेष सावधि जमा रसीद पर ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा, नामांकन ऑनलाइन दर्ज/निरस्त करना या उसके बारे में पूछताछ, कारपोरेट नेट बैंकिंग प्रयोक्ताओं के लिए द्वितीय फैक्टर प्राधिकरण के रूप में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र, खुदरा और कारपोरेट इंटरनेट बैंकिंग के ऑनलाइन पंजीकरण, प्राप्तकर्ता का नाम पंजीकृत कराए बगैर 5,000 रुपये तक का 'द्रुत अंतरण' और प्राप्तकर्ता के ई-मेल आइ डी या मोबाइल नंबर के माध्यम से धन भेजने के लिए 'स्टेट बैंक एम कैश'।

कार्यनीतिक सहभागिता द्वारा ई-वाणिज्य प्रणाली को नवजीवन प्रदान करने के लिए हमारी डिजिटल सुविधाओं को निरंतर उन्नत बनाया जाता है, ताकि सरकारी विभाग/सरकारी उपक्रम/बड़े और मझौले कारपोरेटों की ई-संविदा, ई-नीलामी, ई-उगाही और थोक भुगतान जैसी आवश्यकता पूरी हो सकें। वित्त वर्ष 2016 में बैंक ने 18,000 नए व्यापारिक गठजोड़ प्रत्यक्ष रूप से या स्टेट बैंक कलेक्ट के माध्यम से या ई-वाणिज्य समूहकों के माध्यम से किए, जिसके परिणामस्वरूप 67 करोड़ ई-वाणिज्य लेनदेन संभव हुए।

6. कांटैक्ट सेंटर के माध्यम से ग्राहक सेवा

बैंक के कांटैक्ट सेंटर के माध्यम से निःशुल्क फोन नंबर 1800 425 3800 या 1800 11 22 11 के माध्यम से ग्राहकों को सेवाएँ दी जा रही हैं। एक अन्य नंबर है 080-26599990। यह सेवा प्रदान करने का सशक्त माध्यम बन चुका है। औसत 4 लाख कॉल प्रतिदिन कॉल सेंटर को प्राप्त होते हैं। ये सेंटर वडोदरा, बेंगलुरु, आगरा और कोलकाता आदि कई स्थानों से परिचालन कर रहे हैं और ग्राहकों को 12 भाषाओं में सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

अब कांटैक्ट सेंटर को 19 अंतरराष्ट्रीय निःशुल्क नंबरों पर विदेशों से भी कॉल प्राप्त हो रहे हैं और 20 देशों के ग्राहकों को सेवा प्रदान की जा रही है। पेंशन भुगतानों एवं प्रधानमंत्री जनधन योजना से संबंधित पूछताछ के लिए एक नंबर (1800110009) बिलकुल अलग रखा गया है। बैंक के कारपोरेट ई-मेल आइ-डी contactcentre@sbi.co.in तथा 'customercare.homeloans@sbi.co.in' पर प्राप्त मेल के उत्तर भी सेंटर द्वारा दिए जाते हैं।

ग्राहकों के खातों और बैंक के उत्पादों से संबंधित पूछताछ का जवाब देने के अलावा कांटैक्ट सेंटर प्रौद्योगिकी आधारित अन्य चैनलों को भी उल्लेखनीय सहयोग प्रदान कर रहा है। इनके उदाहरण हैं - डेबिट कार्ड की हॉट लिस्टिंग और स्थिति, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग तथा मोबाइल वालेट में आने वाली कठिनाइयों का समाधान, नेफ्ट/आर टी जी एस और

एस बी आइ एक्सप्रेस रेमिटेंस की स्थिति, शिकायत दर्ज करना आदि। फोन-बैंकिंग के लिए पंजीकरण कराए ग्राहकों को बैंक लेनदेन सेवाएँ भी प्रदान कर रहा है। जैसे - भारतीय स्टेट बैंक में धन का अंतरण, सावधि जमा, चेक (चेकों) का भुगतान रोकना और खातों का विवरण।

आपके बैंक ने निम्नलिखित सेवाएँ प्रारंभ की हैं, जिनसे ग्राहकों को अधिक सुविधा और सहयोग प्राप्त हो सकेगा:

- ए टी एम पिन जनरेट करना।
- मोबाइल नंबर बदलने के लिए इंटरनेट बैंकिंग से प्राप्त अनुरोध का सत्यापन।
- आवास ऋण, शिक्षा ऋण तथा जमा खातों पर ब्याज का प्रमाणपत्र।
- खाता विवरण: ई-मेल के माध्यम से।
- कांटेक्ट सेंटर के माध्यम से फोन बैंकिंग तथा स्टेट बैंक ए टी एम के लिए पंजीकरण।
- टि-पिन ग्राहकों को फोन बैंकिंग पर माइग्रेट करना (जिनके मोबाइल नंबर बैंक में पंजीकृत हों)।

ग्रामीण, अर्धशहरी और शहरी सभी क्षेत्रों के समाज के सभी वर्गों में कांटेक्ट सेंटर लोकप्रिय है। इसीलिए भारतीय स्टेट बैंक इसकी निरंतर निगरानी करता है तथा इसको अधिक आसान और प्रभावी बनाने के लिए इसकी कार्यविधियों की समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी, अवसंरचना और सूचना-सुरक्षा पर अत्यधिक बल दिया जाता है।

कांटेक्ट सेंटर अवसंरचना का पूरा-पूरा उपयोग करने और बैंक के लिए राजस्व प्राप्त करने के लिए इसने अपने कार्यकलापों का महत्वपूर्ण विस्तार करते हुए निम्नलिखित प्रयोजनों से कॉल करना प्रारंभ किया है :

- वैयक्तिक और कृषि खंड के बकायादारों से सॉफ्ट रिकवरी
- वैयक्तिक खंड के ऋणों के आवेदन पत्रों की ऑनलाइन पूर्ति
- प्रतिविक्रय एवं लीड जनरेशन

7. हाल ही के अन्य पहल

वर्ष के दौरान **"स्टेट बैंक नो क्यू"** नामक मोबाइल एप लाया गया। इस एप से ग्राहक चुनी हुई शाखाओं में कुछ निश्चित प्रकार की बैंक सेवाओं के लिए ई-टोकन स्वयं ही जनरेट कर सकते हैं। इससे ग्राहक का प्रतीक्षा समय कम हो जाता है। इससे शाखा में भीड़भाड़ भी कम हो जाती है, क्योंकि ग्राहक के शाखा में पहुँचने से पहले ही टोकन जनरेट हो जाता है।

एसबीआई क्विक को सभी गैर-वित्तीय लेनदेनों के एकमात्र एप्लिकेशन के रूप में शुरू किया गया। अब ग्राहक एसबीआई क्विक पर लॉगइन कर मिस्ड कॉल बैंकिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं/डी-रजिस्टर कर सकते हैं, शेष राशि की पूछताछ कर सकते हैं, लघु विवरण प्राप्त कर सकते हैं, आवास/कार ऋण के आवेदन कर सकते हैं और प्रधानमंत्री की समाजिक सुरक्षा योजनाओं को देख सकते हैं।

ग्राहक अनुभूति उत्कृष्टता परियोजना (सी ई ई पी): वित्त वर्ष 2016 में बैंक ने ग्राहक अनुभूति उत्कृष्टता परियोजना (सी ई ई पी) पर कार्यान्वयन और भी तेज किया। वर्ष के दौरान इस कार्यनीति के अंतर्गत 2674 शाखाओं में सी ई ई पी को कार्यान्वित किया गया। इससे 31 मार्च 2016 को सी ई ई पी शाखाओं की संख्या 3006 हो गई। सी ई ई पी का मूल ध्येय है भीड़ प्रबंधन में सुधार, प्रतीक्षा समय और सेवा-समय (प्रक्रिया समय) में कमी लाना, ग्राहकों को ए टी एम, सी डी एम, रिसाइकलर, स्वयं, इलेक्ट्रॉनिक चेक जमा मशीन आदि वैकल्पिक चैनलों के प्रयोग की ओर ले जाना तथा खाता खोलने की प्रक्रिया को कारगर बनाना।

सी ई ई पी के अंतर्गत प्रारंभ किए गए कुछ कार्य इस प्रकार हैं :

- जिन चुनिंदा शाखाओं में ग्राहक ज्यादा संख्या में आते हैं, उनमें लेनदेन के लिए ए टी एम, सी डी एम/रिसाइकलर, ऑटोमैटिक चेक ड्रॉप बॉक्स मशीन (ए सी डी एम), स्वयं (बार कोडेड पासबुक

प्रिंटर) आदि सभी वैकल्पिक चैनल मशीनें लगाना और ऑनलाइन खाता खोलने के लिए इंटरनेट युक्त पी सी प्रिंटर सहित उपलब्ध कराना।

- उक्त शाखाओं में एकीकृत पंक्ति प्रबंधन प्रणाली (क्यू एम एस) और ग्राहक प्रतिसूचना टैब, उपलब्ध कराना, ताकि तत्क्षण निगरानी और शाखा कोरियोग्राफी द्वारा भीड़-प्रबंधन किया जा सके और अत्यधिक भीड़-भाड़ में व्यवस्था बनाई रखी जा सके।
- ग्राहकों को टोकन जारी करने और उन्हें वैकल्पिक चैनलों के प्रयोग की ओर ले जाने के लिए ग्राहक-मित्र जैसे कदम की शुरुआत।
- शाखाओं में सिंगल विंडो ऑपरेटर की मानकीकृत भूमिकाएँ और गैर नकदी लेनदेनों के लिए सेवा-डेस्क।
- खाता खोलने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए खाता खोलने का कक्ष।
- विक्रय प्रबंधन और प्रतिविक्रय के लिए मानक प्रक्रिया।

8. डिजिटल बैंकिंग - "एस बी आइ इनटच"

"भारत की गतिशीलता" को चरितार्थ कर रहे हैं भारत के नागरिक, चाहे युवा हो या वृद्ध, जो नई प्रौद्योगिकी को तेजी से अपना रहे हैं और अपने दैनिक जीवन के अनेक कार्यों में डिजिटल चैनलों का बड़ी आसानी से प्रयोग कर रहे हैं। बैंक की "स्मार्ट" नामक कार्यनीति ऐसे लोगों को अत्याधुनिक शाखाओं के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग का अनुभव कराने के लिए बनाई गई है। इन शाखाओं को "एस बी आइ इनटच" का सब-ब्रांड कहा जा सकता है। इन शाखाओं में अत्याधुनिक उपकरण/ किओस्क लगे हैं, जिनसे ग्राहक अपने लेनदेन स्वयं-सेवा पद्धति से कर सकेंगे। कठिनाई होने पर विशेषज्ञ ग्राहकों की सहायता करेंगे, जो या तो वहीं उपस्थित होंगे या हाइ डेफिनिशन वीडियो कांफरेंस के जरिए उपलब्ध होंगे।

इन शाखाओं में कई चैनल और लेनदेन प्रक्रिया केंद्र (स्वयं सेवा क्षेत्र), सूचना और विचार-विमर्श केंद्र तथा परामर्श कक्ष होंगे। इनमें खाता खोलने से लेकर दूरस्थ विशेषज्ञों से परामर्श, और बैंक तथा अनुषंगियों के सभी उत्पादों और सेवाओं की सुपुर्दगी सुलभ होगी। खाता खोलने में इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसे वैकल्पिक चैनलों से लेनदेन करने और व्यक्तिकृत डेबिट कार्ड जारी होना शामिल है। जहाँ तक उत्पादों और सेवाओं का प्रश्न है, बैंक के साथ ही लाइफ इंश्युरेंस, जनरल इंश्युरेंस, म्युचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड और एस बी आइ सिक्युरिटीज़ के माध्यम से ई-ट्रेड उपलब्ध हैं।

115

वित्त वर्ष 2016 में खोली गई "एसबीआई इनटच" शाखाएँ

"एस बी आइ इनटच" नामक सब-ब्रांड के अंतर्गत 7 "एस बी आइ इनटच" शाखाओं का उद्घाटन 1 जुलाई 2014 को हुआ था। ये नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै, अहमदाबाद और बेंगलुरु में प्रायोगिक तौर पर खोली गई थीं। वित्त वर्ष 2016 में आपके बैंक ने 115 "एस बी आइ इनटच" शाखाएँ खोले। जो डिजिटल अनुभूति वित्त वर्ष 2015 में केवल 7 शहरों तक सीमित थी, अब 70 जिलों में प्राप्त की जा सकती है। डिजिटल छाप छोड़ते जाने की बैंक की यह यात्रा पूरे भारत में और भी जोर-शोर से जारी रहेगी।

9. मोबाइल बैंकिंग

भारतीय स्टेट बैंक डिजिटल भारत का बैंक है। इसने अपने ग्राहकों के बैंकिंग करने के तरीके को बदल कर रख दिया है। ग्राहक और बैंक के बीच की दूरी मिटाते हुए भारतीय स्टेट बैंक के नवोन्मेषी एप्लीकेशन बैंकिंग को 'गतिशील' ग्राहक के करीब ले आए हैं।

ग्राहकों को प्राप्त हो रहे उत्कृष्ट अनुभव और भारतीय स्टेट बैंक में भरोसे के कारण हम मोबाइल बैंकिंग क्षेत्र में पूरे बैंकिंग उद्योग में अग्रणी बन गए हैं। लेनदेन की राशि की दृष्टि से भारतीय स्टेट बैंक प्रथम स्थान पर आ गया है। इसके बाजार-अंश में जबर्दस्त वृद्धि हुई है। मार्च 2015 के 9.82% से दिसंबर 2015 में यह 35.97% पर आ गया है। मात्रा की दृष्टि से दिसंबर 2015 में 38.44% बाजार-अंश के साथ यह अपना पहला स्थान बनाए हुए है।

प्रदर्श 17: मोबाइल बैंकिंग में बाजार-अंश (लेनदेनों की संख्या) आरबीआई के अनुसार

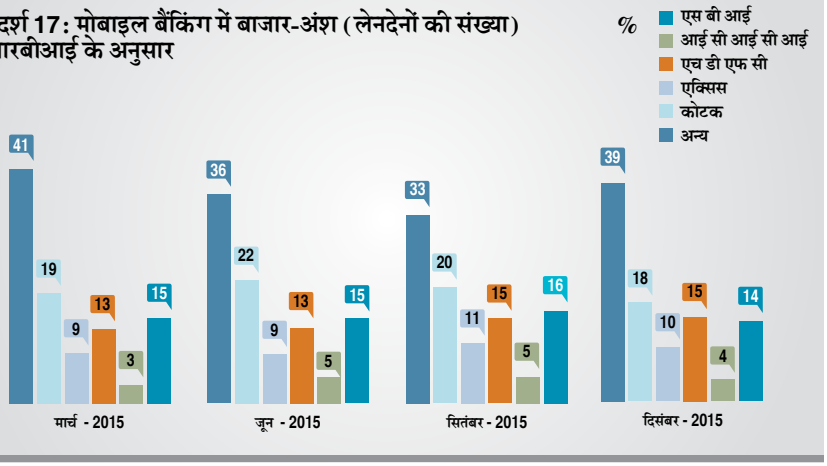

प्रदर्श 18: मोबाइल बैंकिंग में बाजार-अंश (लेनदेनों का मूल्य) आरबीआई के अनुसार

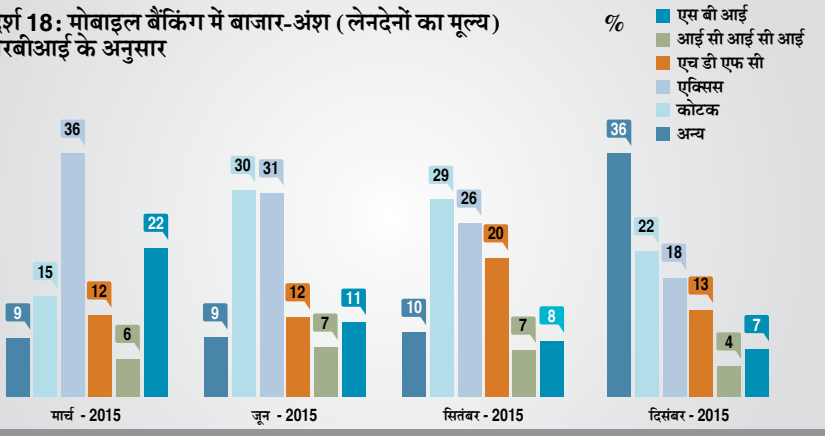

मोबाइल बैंकिंग के सभी पहलुओं में वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2016 में अत्यधिक प्रगति हुई। लेनदेनों की मात्रा में 86.87% और लेनदेनों की राशि में तो कई गुना (721%) वृद्धि हुई।

प्रदर्श 19: लेनदेनों की मात्रा में हुई वृद्धि

(करोड़ में)

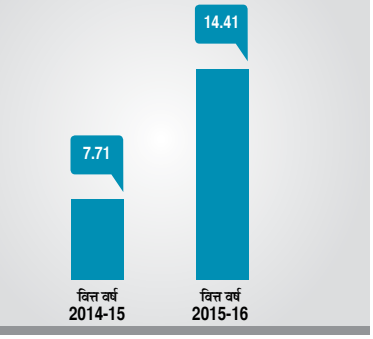

प्रदर्श 20: लेनदेनों की राशि में हुई वृद्धि

(₹ करोड़ में)

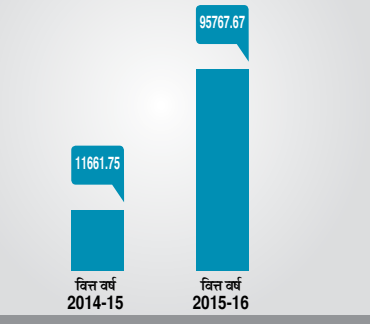

वर्ष के दौरान बैंक ने एस एम ई और कारपोरेट ग्राहकों के लिए क्रांतिकारी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन प्रारंभ किए। इनके नाम हैं - "स्टेट बैंक कहीं भी सरल" और "स्टेट बैंक कहीं भी कारपोरेट"। इन एप्लीकेशनों से ग्राहक अपने समस्त बैंकिंग लेनदेन कर सकते हैं, जैसे - खाते के बारे में पूछताछ, लघु विवरण, उपयोगी सेवाओं के बिलों का भुगतान, कर्मचारी भविष्य निधि का भुगतान, सावधि जमा करना आदि। कारपोरेट ग्राहकों को कुछ और प्रकार की सुविधाएँ भी प्राप्त होती हैं, जैसे - आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान, ई-चेक अधिकृत करना, खाते के लेनदेन चेक के अनुसार और संदर्भ क्रमांक के अनुसार मालूम करना आदि।

10. स्टेट बैंक बडि बैंक की प्रौद्योगिक सौगातों में नवीनतम सौगात है इसका मोबाइल वॉलिट "स्टेट बैंक बडि"। शुभारंभ के 7 माह की अवधि में ही इसके लिए पंजीकरण करने वालों की संख्या 26.60 लाख से अधिक हो गई है। इसके माध्यम से 31 मार्च 2016 तक 230.71 करोड़ रुपयों के 48 लाख लेनदेन हुए, जिनमें से 11.47 करोड़ रुपये के व्यापारिक लेनदेन हुए। वास्तव में यह उत्पाद देश की प्रौद्योगिकी निष्णात युवा पीढ़ी के लिए है, जो मोबाइल के जरिए पूरी दुनिया से जुड़ी रहती है। इसका उपयोग करने वाला केवल मोबाइल नंबर की जानकारी होने पर "धन मंगा और भेज" सकता है, मोबाइल/डी टी एच रिचार्ज करा सकता है, उपयोगी सेवाओं के बिलों का भुगतान कर सकता है, फ्लाइट, बस, होटल और सिनेमा के टिकिट खरीद सकता है, भोजन-नाश्ता

कोलकाता में एसबीआई बड्डी का प्रचार

मंगा सकता है तथा ऑनलाइन उपहार खरीद सकता है। बडि को गर्व है कि ई-वाणिज्य उद्योग के सबसे बड़े और लोकप्रिय नामों के साथ उसकी भागीदारी है।

स्टेट बैंक के विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन "स्टेट बैंक एप कार्ट" पर देखे जा सकते हैं और वहीं से डाउनलोड किए जा सकते हैं। स्टेट बैंक एप कार्ट आइ ओ एस तथा एंड्राइड दोनों पर उपलब्ध है।

11. विपणन और प्रतिविक्रय

भारतीय स्टेट बैंक एस बी आइ लाइफ इंश्युरेंस कं. लि. और एस बी आइ जनरल इंश्युरेंस कं. लि. का कारपोरेट एजेंट है। साथ ही, एस बी आइ म्युचुअल फंड, एस बी आइ कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेस प्रा.लि. और एस बी आइ कैप सिक्युरिटीज़ लि. के साथ उसका वितरण करार है, जिसके अंतर्गत वह इन इकाइयों के उत्पाद वितरित करता है। बैंक यू टी आइ म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड, एल एंड टी म्यूचुअल फंड, आइसीआइसीआइ म्यूचुअल फंड और एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड के उत्पादों का वितरण भी करता है। इसके अतिरिक्त नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत पेंशन खाते खोलने के लिए अब सभी शाखाएं प्राधिकृत हैं।

निष्पादन की उल्लेखनीय विशेषताएं

- प्रतिविक्रय आय मार्च 2015 में 388.28 करोड़ रुपये थी, जो मार्च 2016 में 489.04 करोड़ हो गई। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वर्षानुवर्ष आधार पर यह वृद्धि 25.95% है।
- एस बी आइ लाइफ से मार्च 2015 के अंत में 244.62 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई थी, जो मार्च 2016 के अंत में 337.18 करोड़ हो गई। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में यह 37.84% वृद्धि है।
- एस बी आइ जनरल से मार्च 2015 के अंत में 56.64 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई थी, जो मार्च 2016 के अंत में 73.09 करोड़ रुपये हो गई। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में यह 29.04% वृद्धि है।
- म्युचुअल फंड से जुटाई गई कुल राशि वित्त वर्ष 2015 में 20,313 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर वित्त वर्ष 2016 में 39,577 करोड़ रुपए हो गई। इसके अलावा, प्रणालीबद्ध निवेश योजना (एस आइ पी) खातों की संख्या में 52.80% की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वित्त वर्ष में एस आइ पी की संख्या 1,57,076 से बढ़कर 2,40,009 हो गई।
- बैंक ने वित्त वर्ष 2016 में एस बी आइ जनरल की 1.46 करोड़ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसियों का और 4.88 लाख स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों का विपणन किया। जारी किए गए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की संख्या में 82% वृद्धि हुई, जबकि प्रीमियम राशि 43.62% बढ़कर 106.06 करोड़ रुपये हो गई।
- स्टेट बैंक कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड : वित्त वर्ष 2016 में हमारी शाखाओं के माध्यम से 1.94 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए गए।
- वित्त वर्ष 2016 में बैंक को एसबीआई कैप सिक्यूरिटीस लिमिटेड से 0.34 करोड़ रुपए की कमीशन आय प्राप्त हुई। वित्त वर्ष 2015 में खोले गए 2.68 लाख डीमेट खातों की तुलना में वित्त वर्ष 2016 में 2.87 लाख डीमेट खाते खोले गए।
- वित्त वर्ष 2016 में नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत 35,043 खाते खोले गए। पिछले वर्ष इनकी संख्या 13,477 थी।

12. संपदा प्रबंधन

बैंक ने अपने उच्च मालियत ग्राहकों को संपदा प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक अनूठा "एस बी आइ एक्स्क्ल्यूसिफ" सेवा-समूह की अभिकल्पना की और उसे तैयार तथा प्रारंभ 14 जनवरी 2016 में किया। इस समय केवल निवासी ग्राहक इस हेतु पात्र हैं, किंतु बहुत शीघ्र हम इसे अनिवासी भारतीयों और कारपोरेटों/न्यासों के लिए भी प्रारंभ करेंगे।

इस पेशकश के कुछ उल्लेखनीय तथ्य इस प्रकार हैं :

- भारत का पहला ई-वेल्थ सेंटर
- हमारे संपदा प्रबंधन के प्रौद्योगिक घटक बैंक का प्रमुख डिजिटाइजेशन प्रयास है।
- केवल यही कार्य करने वाले संबंध प्रबंधक वॉइस/वीडियो/चैट के माध्यम से उपलब्ध।

- बैंकिंग समय के पहले/बाद में सेवाएँ उपलब्ध।
- निपुण निवेश सलाहकारों के माध्यम से वैश्विक श्रेणी की सलाहकार सेवाएँ उपलब्ध।
- ओपन प्लेटफॉर्म, जिसमें अपनी श्रेणी के सर्वोत्तम उत्पादों का समूह है।
- 15 आस्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) में 4,500 से भी ज्यादा योजनाओं में एमएफ आदेश निष्पादित करने की क्षमता।
- आस्ति आबंटन और सभी श्रेणियों की आस्तियों पर एक साथ नजर डालने की सुविधा।
- जोखिम प्रोफाइलिंग, वित्तीय नियोजन और संविभाग विश्लेषण जैसे अत्याधुनिक साधन।
- सुदृढ़ अवसंरचना, जो संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है।
- हर लेनदेन को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लेनदेन प्राधिकृत करने की 2 फैक्टर व्यवस्था।
- विक्रय-गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण के लिए मिडिल ऑफिस अनुपालन दल।

ग. लघु और मध्यम उद्योग (एस एम ई)

एस एम ई वित्तपोषण में बैंक अग्रदूत और बाजार में अग्रणी रहा है। एक मिलियन से ज्यादा ग्राहकों और 31 मार्च 2016 को 1,89,534 करोड़ रुपयों के अग्रिमों के साथ एस एम ई संविभाग बैंक के कुल अग्रिमों का 12% है। बाजार का रुख अनुकूल होने और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होने से एस एम ई इकाइयों की वृद्धि और व्यवहार्यता पर तेजी से ध्यान गया है। सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलें - मेक इन इंडिया, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए गारंटी न्यास, मुद्रा - एस एम ई क्षेत्र के लिए नया वरदान सिद्ध हो रही हैं।

एस एम ई वृद्धि के लिए बैंक के प्रयासों के तीन आधार स्तंभ हैं :

क) ग्राहकों को सुविधा

ख) जोखिम में कमी लाना

ग) प्रौद्योगिकी आधारित डिजिटल उत्पाद

वित्त वर्ष 2016 में बैंक ने **पारितंत्र वित्तीयन (प्रोजेक्ट शिखर)** प्रारंभ किया, ताकि अर्थव्यवस्था में ई-वाणिज्य के बढ़ते कदमों का लाभ उठाया जा सके। हमारा ध्यान डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर होने से हमने एस एम ई के लिए प्रौद्योगिकी आधारित अनेक सुविधाएँ प्रारंभ की हैं, जैसे - ई-टेलर विक्रेता वित्तीयन के अंतर्गत तत्काल स्वतः ऋण मंजूरी के लिए ऋण जोखिम मॉडल, जो वास्तव में धमाकेदार पेशकश है, क्योंकि केवल एक बटन पर क्लिक करते ही विक्रेता को ऋण मिल जाता है। टैक्सी समूहकों को तत्काल ऋण मंजूर करने के लिए आंतरिक 'डिजिटल टूल' का प्रयोग किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक चेतावनी संकेत पकड़ने के लिए भी बैंक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। इस हेतु इकाइयों का डिजिटल निरीक्षण प्रारंभ किया गया है। कुल मिलाकर चाहे व्यवसाय प्राप्त करना हो, उत्पाद को डिज़ाइन करना हो, कार्यविधि को सरल बनाना हो, सुपुर्दगी या निगरानी में सुधार करना हो, अनुवर्तन करना हो, हर प्रकार के कार्य में भारतीय स्टेट बैंक प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है।

अपने एस एम ई संविभाग की जोखिम कम करने के लिए बैंक ने अनेक उपाय किए हैं और (1) उत्पादों के प्रकार, (2) प्रसंस्करण (3) सुपुर्दगी में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं।

(i) उत्पादों के प्रकार :

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए तैयार सभी उत्पादों को सुदृढ़ तथा असुविधा रहित बनाया गया है। दस लाख रुपये तक के ऋणों के लिए स्कोरिंग मॉडल प्रारंभ किए गए हैं। आस्ति आधारित ऋण जैसे नए उत्पादों की समीक्षा कर उन्हें भलीभाँति समुन्नत किया गया है। विनिर्माण उपकरण ऋण, चिकित्सा उपकरण ऋण आदि क्षेत्र-निर्दिष्ट उत्पाद कीमत मैट्रिक्स और स्कोरिंग मॉडेल के साथ प्रारंभ किए गए हैं। उद्योग के शीर्षक्रम पर आने वाली इकाइयों को अपना ग्राहक बनाने के लिए समूह-विशिष्ट उत्पाद भी प्रारंभ किए गए हैं। बैंक ने एक सरलीकृत नकदी ऋण उत्पाद भी प्रायोगिक तौर पर चेन्नई और हैदराबाद मंडलों में प्रारंभ किया है।

(ii) प्रसंस्करण :

ऋण की सुपुर्दगी से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने सुविस्तृत 'मानक परिचालन प्रक्रिया' प्रारंभ की है। परिचालन में कार्यरत सभी अधिकारियों के लिए यह सुलभ संदर्भ का कार्य करेगी।

लोन ओरिजिनेशन एंड लोन लाइफ मेनेजमेंट सॉफ्टवेअर (एल ओ एस एवं एल एल एम एस) में सभी उत्पादों को शामिल किया गया है। ऋण संविभाग की मंजूरी पूर्व प्रक्रिया को कैप्चर करने और ऋण सुपुर्दगी की गुणवत्ता तथा एक समान मानक सुनिश्चित करने पर इस सॉफ्टवेअर में विशेष ध्यान दिया गया है। रिकॉर्ड और सूचनाएँ पुनः प्राप्त करने की इसमें सुदृढ़ व्यवस्था है।

इसी पहल के अंतर्गत वित्त वर्ष 2016 में बैंक ने टैब और मोबाइल के माध्यम से डिजिटल निरीक्षण एप्लीकेशन प्रारंभ किया है, जो एस एम ई इकाइयों को मंजूरी पूर्व तथा मंजूरी पश्चात् की प्रक्रिया का एवं समर्थक जमानत का डिजिटीकरण है, जिसमें संपत्ति/व्यवसाय स्थल की अवस्थिति को कैप्चर किया जाता है।

(iii) सुपुर्दगी :

एस एम ई ऋणों के सुपुर्दगी मॉडेल को नया रूप देने के लिए बैंक ने वित्त वर्ष 2015 में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं के साथ **प्रोजेक्ट विजय** हाथ में लिया था, ताकि यह क्षेत्र आगे बढ़े और ग्राहकों की वचनबद्धता में सुधार हो।

- एस एम ई ग्राहकों की सेवा के लिए 1,000 से ज्यादा संबंध प्रबंधकों की तैनाती।
- नए ग्राहक बनाने के लिए विशाल डेटा और विश्लेषण आधारित लीड का लाभ उठाना।
- आंतरिक प्रक्रियाओं और प्रलेखन आवश्यकताओं में सुधार, जिससे ग्राहक का कार्य पूरा करने में लगने वाले समय में 50% कमी।

- कम जोखिम वाले प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादों पर ज्यादा फोकस। नया आस्ति आधारित ऋण उत्पाद, वाहन बेड़े का वित्तीयन, ई-डीएफएस और ई-वीएफएस आदि उत्पाद इसके उदाहरण हैं।
- ऑनलाइन लीड का पता लगाने और संबंध प्रबंधकों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए विजयपथ नामक टूल का प्रयोग।

लेनदेन में लगने वाला समय कम होने, सरलीकृत दस्तावेजीकरण एवं समर्पित संबंध प्रबंधकों की उपलब्धता के कारण ग्राहकों का जुड़ाव बढ़ गया है। आपका बैंक जोखिम कम वाले वित्तीयन पर ज्यादा ध्यान दे रहा है।

प्रदर्श 21:

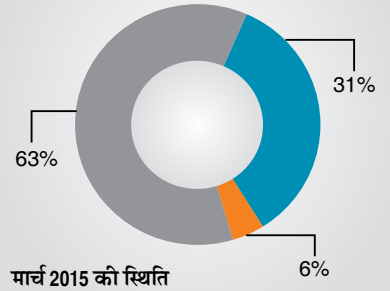

मार्च 2015 की स्थिति

प्रदर्श 22:

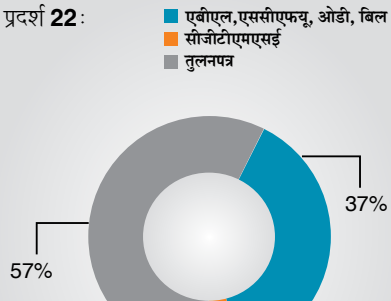

मार्च 2016 की स्थिति

प्रदर्श 23: एबीएल के अंतर्गत निष्पादन (₹ करोड़ में)

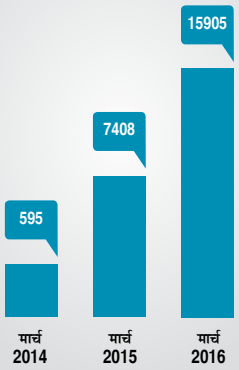

आपूर्ति श्रृंखला वित्तीयन

अपनी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर भारतीय स्टेट बैंक कारपोरेट जगत की आपूर्ति श्रृंखला में सहभागी बनने के लिए उनके साथ अपने संबंधों को और सुदृढ़ करने पर ध्यान दे रहा है।

पिछले वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने 57 नए ई-डीएफएस और ई-वीएफएस गठजोड़ किए, जिससे इस प्रकार के कुल गठजोड़ की संख्या 193 हो गई।

गठजोड़ के फलस्वरूप ई-डीएफएस संविभाग में वर्षानुवर्ष 40% की वृद्धि हुई।

प्रदर्श 24: ई-डीएफएस में वृद्धि (₹ करोड़ में)

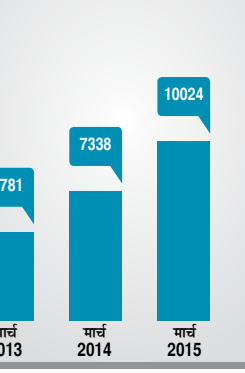

प्रदर्श 25: ई-वीएफएस में वृद्धि (₹ करोड़ में)

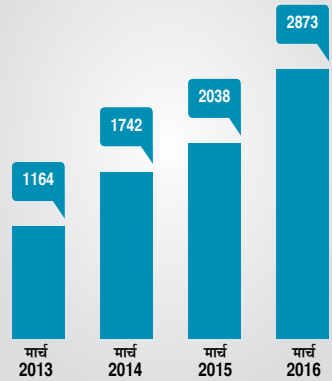

ई-डीएफएस संविभाग में काफी विविधीकरण हुआ। संविभाग की क्षेत्र-वार स्थिति नीचे बताई गई है :

प्रदर्श 26: ईडीएफएस का क्षेत्र-वार अंश %

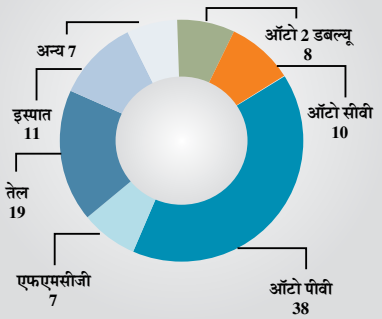

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास तथा मुद्रा के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ऋण

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा व्यापार इकाइयों को सहयोग देने में बैंक सदा अग्रणी रहा है। सी जी टी एस एम ई गारंटी के अंतर्गत बैंक 1.00 करोड़ रुपयों तक का ऋण समर्थक जमानत के बिना प्रदान कर रहा है। पचास लाख रुपये तक की कार्यशील पूंजी सुविधा के लिए गारंटी सुरक्षा का खर्च बैंक द्वारा वहन किया जाता है। सी जी एम टी एस एम ई के अंतर्गत बैंक का संविभाग 11,030 करोड़ रुपयों का है। मुद्रा ऋण के अंतर्गत बैंक 12,281 करोड़ रुपये के ऋण संवितरित करने में सफल रहा, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित 13,325 करोड़ रुपये के लक्ष्य का लगभग 92% होता है।

वित्त वर्ष 2016 के दौरान किए गए कार्य

ई-वाणिज्य क्षेत्र में प्रथम प्रवेशकर्ता का लाभ लेने के लिए **प्रोजेक्ट शिखर** प्रारंभ किया गया। ई-वाणिज्य में हुई जबर्दस्त वृद्धि ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अवसरों के नए द्वार खोल दिए हैं। बाजार में नए खिलाड़ियों का प्रवेश हो गया है और व्यवसायी से व्यवसायी तथा व्यवसायी से उपभोक्ता क्षेत्र में मांग बढ़ती जा रही है।

इस परियोजना के अंतर्गत नए व्यवसाय मॉडलों द्वारा भागीदारी के माध्यम से ऋणान्वयन की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बैंक अनेक उपायों पर कार्य कर रहा है। एस एम ई क्षेत्र की तीन प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये हैं - ई-वाणिज्य, टैक्सी समूहक एवं फ्रैंचाइस ऋण।

(i) ई-वाणिज्य

बैंक ने ई-वाणिज्य में सक्रिय स्टार्टअप इकाइयों के लिए विशेष उत्पाद तैयार किए हैं। ऐसे ही नवोन्मेषी उत्पाद का नाम है "ई-स्मार्ट एस एम ई"। इसे ई-वाणिज्य प्लेटफॉर्म के जरिए बिक्री करने वाले व्यापारियों को ऋण देने के लिए शुरू किया गया है। ई-वाणिज्य की अग्रणी कंपनियों स्नैपडील और फ्लिपकार्ट के साथ इस वर्ष गठजोड़ किए गए। इस नवोन्मेषी उत्पाद द्वारा तुलनपत्र आधारित ऋणान्वयन के स्थान पर नकदी प्रवाह के आधार पर ऋण दिया जाता है। इसके अंतर्गत ऋण-पात्रता का मूल्यांकन करने के लिए आंतरिक रूप से तैयार प्रोप्राइटरी क्रेडिट मॉडल का उपयोग किया जाता है, जो प्लेटफॉर्म और सरोगेट डेटा पर आधारित होता है। पूरी प्रक्रिया स्वचलित है। केवल एक बटन क्लिक करना होता है। ऑनलाइन आवेदन, प्रलेखों की अपलोडिंग, प्रसंस्करण और मंजूरी सारे कार्य एक मिनिट में पूरे हो जाते हैं। भारत के बैंकिंग इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। इस उत्पाद का शुभारंभ स्टेट बैंक के चेयरमैन और स्नैपडील के सी ई ओ ने 15 जनवरी 2016 को किया था।

स्नैपडील के साथ व्यवसाय गठजोड़। ई-स्मार्ट एसएमई ई-कॉमर्स लोन के शुभारंभ के अवसर पर बैंक की अध्यक्ष महोदया श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य और स्नैपडील के सीईओ, श्री कुनाल बहल।

इस ऋण सुविधा के लिए विक्रेता को तुलनपत्र, लाभ-हानि विवरण जैसे पारंपरिक वित्तीय विवरण या आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। बैंक ने ऐसा डिजिटल टूल भी बनाया है कि स्ट्रेस की जानकारी ई-वाणिज्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऋणी के डेटा के माध्यम से प्रारंभिक स्थिति में ही मिल जाए।

(ii) टैक्सी समूहक

टैक्सी समूहक भारतीयों की दैनिक यात्रा के तरीकों में जबर्दस्त बदलाव ला रहे हैं। इनके साथ गठजोड़ कर बैंक मामूली ड्राइवरों को कार खरीदने में मदद कर लघु उद्यमी बना रहा है। इसके अंतर्गत बैंक ने ओला और उबेर इंडिया दोनों के साथ गठजोड़ कर इनके प्लेटफॉर्म से जुड़े ड्राइवर और परिचालकों को वाहन ऋण प्रदान किए हैं। संपूर्ण प्रक्रिया को स्वचालित करने और तत्काल मंजूरी को संभव बनाने के लिए बैंक द्वारा एक डिजिटल

टूल आंतरिक रूप से तैयार किया गया है। इस टूल का संयुक्त रूप से शुभारंभ बैंक के चेयरमैन और उबेर के एशिया पैसिफिक प्रेसिडेंट द्वारा 15 मार्च 2016 को किया गया।

ऋण संवितरण में तेजी लाने के लिए प्रलेखन आवश्यकताओं को अत्यंत सरल बनाया गया है। ओला के साथ वित्त वर्ष 2015 में हुए गठजोड़ के अंतर्गत 5 शहरों में 1,000 से ज्यादा ऋण वितरित किए गए हैं।

(iii) फ्रैंचाइज़ वित्त

भारत के खुदरा उपभोक्ता क्षेत्र में फ्रैंचाइजिंग मॉडल तेजी से पनप रहा है। इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक व्यापक उत्पाद श्रृंखला तैयार की गई है। फ्रैंचाइज़ ऋण और उसके साथ डीलर के लिए इलेक्ट्रॉनिक वित्त से बड़े-बड़े उद्योगों को व्यापक एवं प्रतिस्पर्धी सुविधा प्राप्त हो जाएगी।

फ्रैंचाइज़ी की प्रारंभिक पूंजी निवेश, कार्यशील पूंजी तथा लेनदेन संबंधी आवश्यकताओं के वित्तीय समाधान के लिए इस उत्पाद श्रृंखला में व्यवस्था की गई है। बैंक बड़े और प्रतिष्ठित फ्रैंचाइज़र से गठजोड़ कर रहा है, ताकि उनके नए तथा वर्तमान फ्रैंचाइज़ी को यह सुविधा दी जा सके। फ्रैंचाइजर से संबद्धता और चुकौती सुविधा के कारण ये ऋण कम जोखिम के होंगे। फ्रैंचाइजर द्वारा डेटा निरंतर साझा किए जाने से इस व्यवसाय मॉडल का आर्थिक मूल्यांकन हो सकेगा तथा फ्रैंचाइज़ी के आर्थिक संकट की जानकारी प्रारंभिक स्थिति में ही हो जाएगी।

वर्ष के दौरान 5 गठजोड़ किए गए। ये गठजोड़ फिलिप्स, मेडप्लस फार्मेसी, एनिटाइम फिटनेस, लक्मे सेलून और रेमंड के साथ हुए।

(iv) डेबिट कार्ड और एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर (मर्चेन्ट अक्वायरिंग बिजनेस)

भारतीय स्टेट बैंक ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि डिजिटल भारत् का बैंकर बनने का लक्ष्य पूरा करने के लिए स्मार्ट बैंकिंग करनी होगी। पिछले कई वर्षों से बैंक को ग्राहक तो अधिक संख्या में प्राप्त हो रहे हैं, किंतु उनसे प्राप्त व्यवसाय कम रहा है। बैंक निरंतर गंभीरतापूर्वक प्रयास कर रहा है कि उसकी प्रौद्योगिकी उत्तम श्रेणी की हो और वह ऐसे सुपुर्दगी परिवेश तैयार कर सके कि सभी सुपुर्दगी चैनलों से लगभग जेआइटी (जस्ट इन टाइम) स्तर की सेवाएँ दी जा सकें।

दिनांक 31 मार्च 2016 को 23 करोड़ से अधिक डेबिट कार्ड के साथ बैंक देश में क्रेडिट कार्ड जारी करने में लगातार आगे बना हुआ है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि बैंक से जुड़ी जनसंख्या में से 20% के खाते भारतीय स्टेट बैंक में है और देश में जारी कुल डेबिट कार्ड में से 37% कार्ड भारतीय स्टेट बैंक के हैं। बैंक ने प्रयास किया है कि ग्राहक अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से "कहीं भी कभी भी बैंकिंग" का आनंद ले सके। इससे आपका बैंक डेबिट कार्ड क्षेत्र में प्रभुत्व बनाए हुए है। आपको यह जानकर भी हर्ष होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आवधिक रूप से जारी किए जाने वाले आँकड़ों के अनुसार डेबिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च के मामले में भी बैंक के बाजार-अंश में सुधार हुआ है। यह मार्च 2015 के 25.07% से बढ़कर मार्च 2016 में 26.29% हो गया, जो कि आरबीआई डाटा के अनुसार बैंकों के मामले में सबसे अधिक है।

अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने के भारत सरकार के फोकस के अनुरूप डेबिट कार्ड द्वारा भुगतान की अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए बैंक **पॉइंट ऑफ सेल (पी ओ एस)** टर्मिनल स्थापित करने पर बहुत बल दे रहा है। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप इनकी संख्या 3.02 लाख से अधिक हो गई है, जो पिछले वर्ष से 50% अधिक है। पी ओ एस टर्मिनल में बैंक का बाजार-अंश 21.70% हो गया है। वित्त वर्ष 2016 में डेबिट कार्ड से हुए लेनदेनों की संख्या में 56% की और लेनदेन की राशि में 60% की वृद्धि हुई। अधिक से अधिक डेबिट कार्डधारक पी ओ एस टर्मिनलों और ई-वाणिज्य वेबसाइटों का प्रयोग करें, इस हेतु जागरूकता अभियान निरंतर चलाए जा रहे हैं। इन उपायों से पी ओ एस और ई-वाणिज्य में स्टेट बैंक समूह के डेबिट कार्ड से व्यय की राशि वित्त वर्ष 2016 में 41,500 करोड़ हो गई, जो पिछले वर्ष से 36% अधिक है और बाजार-अंश 26% पर पहुँच गया।

बैंक ने कई नवोन्मेषी कार्य भी किए हैं, जैसे एस बी आइ इनटच कांटेक्टलेस डेबिट कार्ड, मुंबई मेट्रो डेबिट कार्ड आदि। इसके अतिरिक्त आक्रामक विपणन अभियान चलाए गए तथा डेबिट कार्ड जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन सबसे डेबिट कार्ड से होने वाले व्ययों में बैंक शीर्ष पर पहुँच गया।

"हरित" बनने की दिशा में आगे बढ़ते हुए बैंक अब "पेपरलेस" मोबाइल पी ओ एस टर्मिनल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ऐसे 30,000 से अधिक एम-पी ओ एस स्थापित हैं। वित्त वर्ष 2016 में बैंक ने कांटेक्टलेस (एन एफ सी) पी ओ एस टर्मिनल भी प्रारंभ किए और अब ऐसे 30,000 से ज्यादा टर्मिनल स्थापित हो चुके हैं। वित्त वर्ष 2016 में एक्सेप्टेंस एमेक्स कार्ड की सुविधा भी एसबीआई के पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनलों पर दी गई। अपने टर्मिनलों पर मूलभूत सुविधाओं के साथ ही साथ बैंक ने मूल्यवर्धित सेवाएँ भी दी हैं, जैसे:

- डेबिट कार्डधारकों को पी ओ एस से नकदी प्राप्त करने की सुविधा
- डाइनैमिक करेंसी कन्वर्शन - डी ओ सी
- ई एम आइ सुविधा

बैंक ने सरकार की विभिन्न पहलों में भी हाथ बँटाते हुए सभी भूभागों में ग्राहक सेवा केंद्रों (सी एस सी) पर भुगतान स्वीकार करने की अवसंरचना उपलब्ध कराई है।

घ. ग्रामीण बैंकिंग

भारतीय स्टेट बैंक को ग्रामीण भारत की संभावनाओं में हमेशा विश्वास रहा है। वह मानता है कि भारत के आर्थिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के लिए इस क्षेत्र की प्रगति अनिवार्य है। अपने विभिन्न नवोन्मेषी चैनलों, उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से बैंक ने सदा इस क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया है। गैर-कृषि से प्राप्त आय बढ़ने, उपभोक्ताओं की पसंद बदलने और ग्रामीण उपभोक्ताओं में जागरूकता आने के कारण अर्थव्यवस्था में हो रहे संरचनात्मक बदलावों के कारण भारत के ग्रामीण बाजार में भी आमूलचुल परिवर्तन हो रहे हैं। कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ने, संरचनात्मक विकास होने और व्यवसाय के नए अवसर उभरने जैसे घटकों से भी इस परिवर्तन में तेजी आ रही है।

इस समय भारतीय स्टेट बैंक 1.09 करोड़ से ज्यादा कृषक ऋणियों को कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सेवा दे रहा है और ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्र में गहरे तक पैठ बनाए हुए है। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरी करने में सदा आगे रहने वाले आपके बैंक ने पिछले वर्षों की तरह वित्त वर्ष 2016 में भी कृषि ऋण के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पार कर लिया है। नीचे दी गई तालिका से यह स्पष्ट होता है:

प्रदर्श 27: कृषि क्षेत्र को ऋण (राशि करोड़ रुपयों में)

वर्ष	लक्ष्य	संवितरण	उपलब्धि का %
वित्त वर्ष 2014	73,500	74,970	102%
वित्त वर्ष 2015	84,500	86,193	102%
वित्त वर्ष 2016	89,781	102,423	114%

कृषि व्यवसाय के प्रति स्मार्ट दृष्टिकोण

ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों को प्रौद्योगिकी समर्थ बनाने में बैंक सबसे आगे रहता है। वहाँ कोर बैंकिंग सुविधा के साथ-साथ ए टी एम, नकदी जमा मशीनें, विक्रय केंद्र (पी ओ एस) और माइक्रो ए टी एम लगाए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने कृषकों के जीवन को सुविधाप्रद बनाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित अनेक सुविधाएँ और उत्पाद प्रारंभ किए। इनसे कृषि ऋणों के प्रबंधन में परिचालन दक्षता भी बढ़ी। इस क्षेत्र में किए गए प्रमुख कार्यों में से कुछ का विवरण इस प्रकार है:

1. **केसीसी-एटीएम-रु-पे कार्ड** : परिचालन में आसानी और सुविधा के लिए 31 मार्च 2016 तक 26.77 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड ऋणियों को रुपे कार्ड जारी किए गए। केसीसी रुपे कार्ड ए टी एम और पी ओ एस पर अबाधित रूप से कार्य करता है, जिससे कृषक कृषि संबंधी सामान 24x7 क्रय कर सकते हैं।

2. **कृषकों के लिए नए उत्पाद** : वर्ष के दौरान प्रारंभ नए उत्पादों में ये भी शामिल हैं-

- **प्रीमियम किसान गोल्ड कार्ड (आस्ति समर्थित कृषि ऋण)** : उच्च तकनीक वाली कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप अपनाने वाले उभरते हुए कृषि उद्यमियों को वित्त उपलब्ध कराने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत ब्याज दरों को प्रतिस्पर्धात्मक रखा गया है।
- **तत्काल ट्रैक्टर ऋण** : इसके अंतर्गत ट्रैक्टर खरीदने के लिए लागत के 100% बंधक मुक्त ऋण प्रदान किए जाते हैं। किसी प्रकार का प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाता और 48 घंटों में ऋण मंजूर किया जाता है।
- **स्त्री शक्ति ट्रैक्टर ऋण योजना** : महिलाओं के सह-ऋणी होने पर बंधक मुक्त ट्रैक्टर ऋण कम ब्याज दर पर देने की यह योजना बाजार की प्रवृत्तियों के अनुरूप संशोधित की गई थी।

3. **कारपोरेट गठ-जोड़** : कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों को अधिक वहनीय (सस्टेनेबल) बनाने और इस संविभाग की जोखिम को कम करने के लिए बैंक गठ-जोड़ के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला वित्त पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

4. **भंडारगृहों की रसीद पर ऋण** : किसानों को अपनी उपज मजबूरी में न बेचनी पड़े और उन्हें अच्छे भाव मिल सके, इस हेतु बैंक ने कोलेटरल प्रबंधकों से गठ-जोड़ कर किसानों को भंडारगृहों में रखी उनकी उपज पर ऋण देने की पेशकश की है।

कृषकों के साथ संबंध

भारत की ग्रामीण आबादी के जीवनस्तर में सुधार लाने और संपूर्ण वित्तीय समावेशन हासिल करने के लिए वित्त वर्ष 2008 से 'एस बी आइ का अपना गाँव' योजना के अंतर्गत गाँवों को समग्र विकास के लिए अपनाया जाता रहा है। वित्त वर्ष 2016 तक इस प्रकार अपनाए हुए गाँवों की संख्या 1,426 हो गई है। कृषक समुदाय के साथ अपने संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के लिए बैंक ग्राम स्तर पर किसान क्लब भी स्थापित करता रहा है। इस समय ऐसे क्लबों की संख्या 10,719 तक पहुँच चुकी है। अपनाए गए गाँवों में चलाई जाने वाली प्रमुख गतिविधियाँ हैं - स्वच्छता की दृष्टि से सामुदायिक वर्मि-कंपोस्ट इकाइयों और स्वच्छ शौचालयों का निर्माण, सौर ऊर्जा द्वारा गाँव में प्रकाश की व्यवस्था तथा मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम।

वित्तीय समावेशन

देश में वित्तीय समावेशन के लिए किए जा रहे कार्यों में भारतीय स्टेट बैंक सदा आगे रहा है। व्यवसाय प्रतिनिधि (बी सी) मॉडल पहले पहल भारतीय स्टेट बैंक ही लेकर आया। यह ऐसा वैकल्पिक मॉडल है, जो शहरों और गाँवों दोनों के ऐसे ग्राहकों तक बैंकिंग सेवाएँ पहुँचाता है, जिनके लेनदेन की राशि बहुत कम होती है। इस मॉडल के अंतर्गत पूरे देश में 64,628 से अधिक ग्राहक सेवा केंद्र (सी एस पी) हैं, जहाँ से बचत बैंक, सावधि जमा, अति लघु ऋण, धन-प्रेषण, ऋण की चुकौती और अति लघु पेंशन जैसी सेवाएँ और उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं। वित्तीय समावेशन के प्रसार के लिए बैंक ने प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक प्रयोग करते हुए इंटरनेट आधारित किओस्क बैंकिंग, कार्ड आधारित और मोबाइल फोन मेसेज आधारित चैनल प्रारंभ किए हैं।

प्रधानमंत्री जनधन योजना (पी एम जे डी वाई) को सबसे ज्यादा आपके बैंक ने ही कार्यान्वित किया है। बैंक ने 31 मार्च 2016 तक 5.32 करोड़ खाते खोले और 4.21 करोड़ पात्र ग्राहकों को रु-पे डेबिट कार्ड जारी किए। इनमें बहुत सारे कार्ड देश के सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण भाग में जारी किए गए। वित्त वर्ष 2015 में इनकी संख्या 7.29 करोड़ थी, जो वित्त वर्ष 2016 में 9.28 करोड़ हो गई। व्यवसाय प्रतिनिधियों के माध्यम से होने वाले लेनदेन की कुल राशि में 49% की वृद्धि हुई। यह वित्त वर्ष 2015 में 38,973 करोड़ रुपये थी और वित्त वर्ष 2016 में 58,217 करोड़ रुपये हो गई। वर्ष 1992 में प्रारंभ स्वयं सहायता समूह - बैंक ऋण संबद्धता योजना के प्रारंभ से ही बैंक इसमें सक्रिय सहभागिता करता रहा है। दिनांक 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार स्वयं सहायता समूह को ऋण देने में बैंक बाजार में अग्रणी रहा है। बैंक ने 3.6 लाख स्वयं सहायता समूहों को 5,495 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किए हैं। इनमें से 91% महिला स्वयं सहायता समूह हैं। ग्रामीण जनसंख्या को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी सक्षम नवीन चैनलों के विकास पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने के प्रयास के कारण आधार समर्थित भुगतान प्रणाली, स्वचालित ई-के वाई सी, आइ एम पी एस, सूक्ष्म ए टी एम, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बचत बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण/ एल पी जी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भुगतान आदि के रूप में प्रतिफलित हुए हैं।

इन सभी उपायों से भविष्य में नकदी रहित समाज व्यवस्था का उदय होगा, जो समाज के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा।

व्यवसाय प्रतिनिधि नेटवर्क और हब-एंड-स्पोक मॉडल

बैंक ने 1,03,565 गाँवों को 52,522 ग्रामीण ग्राहक सेवा केंद्रों (सी एस पी) से संबद्ध किया है, ताकि ग्राहकों को आस्ति-देयता उत्पाद उपलब्ध कराए जा सकें। इसमें बैंक सेवा से वंचित दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले ग्राहकों के ऋण खातों में राशि जमा करना भी शामिल है। ये सी एस पी निकटस्थ शाखा से जुड़े

अध्यक्ष महोदया, श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य ने 'स्टेट बैंक रुपे प्लैटिनम रुपे कार्ड' का शुभारंभ किया।

रहते हैं, जो इन्हें सहयोग प्रदान करती है और साथ ही इनकी निगरानी करती है।

ग्रामीण युवाओं का सशक्तिकरण

देश के ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी और अल्प रोजगारी को कम करने के लिए बैंक के 116 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आर-सेटि) में व्यक्तित्व और कौशल विकास का व्यापक प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान आवास की व्यवस्था भी बैंक द्वारा की जाती है। ऐसे कुछ संस्थान देश के भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण स्थानों पर होने के बावजूद 'मेक इन इंडिया' और 'स्किल इंडिया' अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बैंक के इन संस्थानों ने 12,840 कार्यक्रमों के माध्यम से 3,40,688 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया, जिनमें से 1,60,607 प्रशिक्षणार्थी आर्थिक रूप से स्थापित हो चुके हैं।

प्रदर्श 28: आर-सेटि द्वारा प्रशिक्षित ग्रामीण युवा उम्मीदवार

वित्त वर्ष 2013	वित्त वर्ष 2014	वित्त वर्ष 2015	वित्त वर्ष 2016
160,378	207,419	265,688	340,688

ऋण वसूली एजेंटों के लिए प्रशिक्षण (डी आर ए)

बैंक की बकाया राशियों की वसूली के लिए बैंक के आंतरिक संसाधनों के अनुपूरक के रूप में बैंक अपने व्यवसाय प्रतिनिधियों/ग्राहक सेवा केंद्रों से ऋण वसूली एजेंटों के रूप में कार्य ले रहा है। इसके लिए बैंक उन्हें अनिवार्य प्रशिक्षण अपने खर्च पर आर-सेटि के माध्यम से प्रदान कर रहा है। वित्त वर्ष 2016 के दौरान लगभग 5000 व्यवसाय प्रतिनिधियों/ ग्राहक सेवा केंद्रों के ऋण वसूली एजेंट का प्रशिक्षण दिया गया।

वित्तीय साक्षरता प्रदान करना

वित्त वर्ष 2016 में भारतीय स्टेट बैंक ने 232 वित्तीय साक्षरता केंद्र स्थापित किए हैं, जिनका मुख्य ध्येय है वित्तीय साक्षरता प्रदान करना और वित्तीय सुविधाओं का समुचित उपयोग करने में आम आदमी को समर्थ बनाना। वित्त वर्ष 2016 के दौरान वित्तीय साक्षरता केंद्रों ने देश भर के गाँवों में 8,855 वित्तीय साक्षरता शिविर लगाए।

प्रदर्श 29 वित्तीय साक्षरता शिविरों के संचित आँकड़े

वर्ष	वित्त वर्ष 2013	वित्त वर्ष 2014	वित्त वर्ष 2015	वित्त वर्ष 2016
शिविरों की संख्या	2723	7913	28879	37734

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

बैंक ने 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किए हैं, जिनकी 15 राज्यों के 155 जिलों में 3955 शाखाएँ हैं। इन 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ईक्विटी में बैंक ने 479.82 करोड़ रुपये तथा गैर-ईक्विटी में 23.62 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सी बी एस प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रहे हैं। सरकारी बैंकों में उपलब्ध सूचना प्रौद्योगिकी आधारित विभिन्न सुविधाएँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में उपलब्ध हैं, जैसे - आर टी जी एस, नेफ्ट, रु-पे कार्ड, आइ एम पी एस, किओस्क बैंकिंग, आधार भुगतान पूरक प्रणाली, आधार समर्थित भुगतान प्रणाली, राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह, चेक ट्रंकेशन सिस्टम आदि। प्रधानमत्री जनधन योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 68.68 लाख खोते खोले और 29.85 लाख खातेदारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल किया।

ङ. अन्य नई व्यवसाय पहल

डिजिटल रूप से समर्थित नए लोगों के आ जाने से बैंकिंग प्रणाली के समक्ष अपने पारंपरिक व्यवसाय क्षेत्र में नई चुनौतियां आ रही हैं। स्मार्ट फोन का उपयोग, ई-वाणिज्य के बढ़ने तथा कई अच्छे नवोन्मेषी उत्पाद/मोबाइल एप्प शुरू किए जाने के कारण भुगतान प्रणालियां बैंकिंग व्यवसाय का अत्यंत आवश्यक पहलू है। भुगतान बैंक एवं लघु वित्त बैंक आने वाले हैं। प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य गहन होता जा रहा है और उसमें तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं।

स्टेट बैंक समूहक मॉड्यूल (एस बी आइ ई-पे)

भारतीय स्टेट बैंक पहला और एकमात्र बैंक है, जो भुगतान समूहक सेवाएँ प्रदान कर रहा है। बैंक और भुगतान समूहक के रूप में एस बी आइ ई-पे की 41 बैंकों के साथ साझेदारी हो चुकी है, ताकि ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग विकल्प अबाधित रूप से उपलब्ध रहें। एसबीआइ ई-पे के नए चैनल के रूप में पे-पॉल को भी जोड़ा गया है।

उपभोक्ता से सरकार तक (बी2जी) तथा व्यवसाय से सरकार तक (बी2जी) पर ध्यान केंद्रित करने के कारण बैंक सरकार की डिजिटल पहलों के अंतर्गत अल्प नकदी या नकदी रहित समाज की आकांक्षा में योगदान देने में सक्षम है।

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों की ऑनलाइन प्राप्तियों के लिए लेखा महानियंत्रक का गैर कर राजस्व पोर्टल (एन टी आर पी) एसबीआइ ई-पे समर्थित है। इसका उद्घाटन 15 फरवरी 2016 को माननीय वित्त मंत्री ने किया था। **एसबीआइ ई-पे** ने महाराष्ट्र और राजस्थान को सरकारी प्राप्ति एवं भुगतान सेवाओं (जी आर ए एस) के लिए समूहक सेवाएँ देना पहले ही प्रारंभ कर दिया है और असम, गुजरात तथा पुदुच्चेरी राज्यों के साथ इस बारे में समझौता हुआ है। भारतीय रेल की ई-अधिप्राप्ति प्रणाली ने अपने ऑनलाइन अधिप्राप्ति भुगतानों के लिए एसबीआइ ई-पे का चयन किया है।

एस बी आइ ई-पे के ग्राहकों में एच पी सी एल, आइ ओ सी एल तथा गैल गैस लि. जैसे प्रमुख सरकारी उपक्रम शामिल हैं। वे एल पी जी रिफिल के भुगतान और नए गैस कनेक्शन के लिए इसका उपयोग करते हैं। सरकार की सभी ऑनलाइन प्राप्तियों की प्रोसेसिंग का समस्त कार्य एक ही स्थान पर होने की सुविधा प्रदान करना तथा सी2जी और बी2जी क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाना एसबीआइ ई-पे का लक्ष्य है।

एंटरप्राइज़ वाइड लॉयल्टी प्रोग्राम : स्टेट बैंक रिवार्ड्स

ग्राहक को सर्वोपरि रखने के हमारे लक्ष्य-कथन के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके बैंक ने एंटरप्राइज़ वाइड लॉयल्टी प्रोग्राम - स्टेट बैंक रिवार्ड्स प्रारंभ किया, ताकि अनेक प्रकार की सेवाओं का उपयोग करने वाले ग्राहकों को उनके द्वारा प्रदर्शित विश्वास के लिए पुरस्कृत किया जा सके। ग्राहकों द्वारा निरंतर प्रदर्शित विश्वास तथा बैंक के साथ सुदीर्घ संबंध बनाए रखने के लिए बैंक उनकी सराहना कर उनके साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करना चाहता है।

इस समय ग्राहक डेबिट कार्ड से भुगतान, इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन, मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग, वैयक्तिक बैंकिंग, डीमैट खाते, कृषि व्यवसाय, आवास ऋण तथा चालू खाते से लेनदेन के लिए ग्राहकों को रिवार्ड पॉइन्ट प्राप्त होते हैं। इन रिवार्ड पॉइन्ट को रिडीम करने के अनेक विकल्प दिए गए हैं, जैसे -एस बी आइ गिफ्ट कार्ड, विभिन्न वस्तुएँ, फोन या डी2एच का रिचार्ज, सिनेमा-बस-हवाई जहाज के टिकिट बुक करना आदि।

इस कार्यक्रम का सबसे उल्लेखनीय पहलू है स्टेट बैंक रिवार्ड्स नामक मोबाइल एप से इसका आसानी से प्रयोग। यह एप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ग्राहकों को और अधिक सुविधा के लिए ये रिवार्ड पाइन्ट कुछ चुने हुए व्यापारी भागीदारों के आउटलेट पर रिडीम करने का विकल्प भी दिया गया है।

च. सरकारी व्यवसाय

केंद्र सरकार के बड़े मंत्रालयों और विभागों तथा अधिकांश राज्य सरकारों के प्रत्यायित बैंकर के रूप में भारतीय स्टेट बैंक सरकारी व्यवसाय में अपना अग्रणी स्थान बनाए हुए है। सेवा की परंपरा को जारी रखते हुए आपके बैंक ने भारत सरकार और अनेक राज्य सरकारों के लिए उनकी आवश्यकता की ई-सुविधाएँ प्रदान की, जिससे केंद्र/राज्य सरकारें अपने लेनदेन को ऑनलाइन कर सकीं। फलस्वरूप उनकी प्रणाली अधिक दक्ष और पारदर्शी हुई। बैंक के कुल सरकारी का व्यवसाय का 66% से अधिक भाग ई-मोड पर लाया जा चुका है, जिससे औसत निपटान अवधि और नकदी लेनदेनों में भारी कमी हुई है।

प्रदर्श 30: सरकारी टर्नओवर सरकारी कमीशन

(राशि करोड़ रुपयों में)

	वित्त वर्ष 2015	वित्त वर्ष 2016
टर्नओवर	3555835	3993377
कमीशन	1968	2095

ई-अभिशासन को आसान बनाने और अधिक दक्षता लाने के लिए वर्ष के दौरान निम्नलिखित उपाय किए गए :

- **पेंशन भुगतान** : अपने 14 केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्रों के माध्यम से बैंक 40 लाख से ज्यादा पेंशनरों को पेंशन भुगतान का प्रबंध कर रहा है। इस वर्ष बैंक ने 'समान रेंक समान पेंशन' (ओ आर ओ पी) की बकाया राशि का परिवार एवं शौर्य पुरस्कार प्राप्त पेंशनरों सहित 8.04 लाख रक्षा पेंशनरों को सफलतापूर्वक भुगतान किया। इसके लिए सभी ओर से आपके बैंक की प्रशंसा की गई।
- **वेतन/विक्रेताओं के भुगतान के लिए सी एम पी का उपयोग** : राज्य सभा, रेल्वे और असम, मणिपुर तथा मिजोरम सरकार के वेतन/विक्रेताओं के भुगतान सी एम पी प्लेटफॉर्म पर लाने से सरकारी भुगतान में अधिक दक्षता और मानकीकरण आया है।

■ **ऑनलाइन शुल्क संग्रहण** : बैंक ने उत्तर प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु सरकारों तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, प्रसार भारती आदि को प्रमुख भर्ती परीक्षाओं का शुल्क और अन्य प्राप्य राशियाँ ऑनलाइन संग्रहित करने की सुविधा प्रदान की।

■ **भारत सरकार का गैर कर प्राप्ति पोर्टल**: भारत सरकार के समस्त गैर कर राजस्व के ऑनलाइन संग्रहण के लिए "एन टी आर पी पोर्टल" के साथ एस बी आइ ई-पे को एकीकृत किया गया।

■ **ई-संविदा की सुविधा** : कोंकण रेल्वे तथा दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन को यह सुविधा प्रदान की गई।

■ **राज्य सरकारों के लिए ई-गवर्नेन्स** : विभिन्न राज्य सरकारों के लिए 29 ई-इनिशिएटिव प्रारंभ किए गए।

■ **आगमन पर वीज़ा** : यह सुविधा जापान के नागरिकों को 6 केंद्रों पर प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त ई-टूरिस्ट वीजा सुविधा, जो पिछले वर्ष 44 देशों के लिए प्रारंभ की गई थी, बढ़ाकर 150 देशों के लिए कर दी गई है। वीजा शुल्क एस बी आइ ई-पे के माध्यम से संग्रहित की जाती है।

■ **एल पी जी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना** : आपका बैंक एल पी जी सबसिडी प्रोसेस करने वाला एकमात्र बैंक है। वर्ष के दौरान 112.29 करोड़ लेनदेनों के माध्यम से 21,769 करोड़ रुपयों की राशि संवितरित की गई।

■ **अन्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण** : वित्त वर्ष 15-16 के दौरान बैंक ने 34,797 करोड़ रुपये के 12.94 करोड़ सबसिडी लेनदेन प्रोसेस किए।

■ **लघु बचत योजनाएँ** : बैंक 60 लाख से अधिक लोक भविष्य निधि खातों, 3.85 लाख सुकन्या समृद्धि खातों (जो कि प्राधिकृत बैंकों में सबसे अधिक है) को सेवा प्रदान कर रहा है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 5 लाख से ज्यादा नए पी पी एफ खाते खोले गए।

छ. दक्षता एवं लागत नियंत्रण

दावों के निपटान के लिए संवर्धित कुशलता, बेहतर शर्तों एवं कवरेज के साथ किफायती दरों पर बैंक की आस्तियों के लिए बीमा पॉलसियां खरीदने हेतु कारपोरेट केंद्र में बैंक के बीमा कक्ष का गठन किया गया है। बैंक ने 99.50 प्रतिशत की सीमा तक यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड (यूसीआईसी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का अनुपालन भी किया है। परिचालन लागत कम करने की दृष्टि से बैंक ने करेंसी चेस्ट को युक्तिसंगत बनाना शुरू किया है, जिसमें से वित्त वर्ष 2016 के दौरान 105 करेंसी चेस्टों को बंद किया गया, जिसके कारण प्रति वर्ष लगभग 50 करोड़ रुपए की आवर्ती खर्चे से बचत होती है।

बैंक की सीपीसी रीडिजाइन एवं अन्य परियोजनाएं (पूर्व की बीपीआर परियोजनाएं) कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए जोखिम निर्धारण एवं चुनौतियों एवं बैंक के विभिन्न उत्पादों व सेवाओं की सुपुर्दगी सहित प्रक्रिया में परिवर्तन एवं रीडिजाइन पर लगातार कार्य कर रही हैं।

पर्याप्त लागत नियंत्रण एवं घटाव हासिल करने के लिए बैंक ने रजिस्टरों एवं फार्मों की खरीदियों को भी केंद्रीकृत एवं युक्तिसंगत बनाया है और लेखनसामग्री प्रबंधन के लिए आउटसोर्सिंग मॉडल शुरू किया है। घटी हुई वेस्टेज एवं संवर्धित कुशलता की दृष्टि से थोक खरीदी का इष्टतम लाभ उठाने के लिए लेखनसामग्री मदों की आंतरिक आपूर्ति के स्थान पर वेब आधारित लेखनसामग्री प्रबंधन के आउटसोर्सिंग मॉडल को लागू किया जा रहा है। इस पहल से परिसर के किराये, भंडारण के प्रबंधन, अप्रचलित लेखनसामग्री की मदों, श्रमशक्ति एवं परिवहन आदि पर इस समय हो रहे व्यय को कम करने में सहायता मिलेगी। मार्च 2016 में प्रायोगिक परियोजना दो मंडलों में शुरू की गई।

डिजिटाईजेशन एवं खाता खोलने के फार्मों के आसान रिट्रीवल के लिए वर्ष के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई। खाता खोलने के फार्मों के डिजिटाईजेशन का उद्देश्य खाता खोलने के फार्म को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने और सभी 14 एलसीपीसी में उनके चित्र को रिट्रीव करना है। यह

पैन इंडिया आधार पर वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान पूरा होने की संभावना है।

चेक बुकों की मुद्रण लागत एवं एलसीपीसी के स्थापना व्यय को कम करने के लिए चेक बुक मुद्रण का केंद्रीयकरण करने की प्रक्रिया शुरू की गई है और इसे आज की तारीख तक 8 मंडलों के 2 केंद्रों में लागू किया गया है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को बैंक के बेस सिक्यूरिटी प्रिंटर के सुरक्षित परिवेश में पूरा किया गया है, यह वर्तमान प्रक्रिया जहाँ दो प्रिंटरों के साथ अतिरिक्त लेयर शामिल है, के स्थान पर है।

उपर्युक्त पहलों के परिणामस्वरूप, बैंक मानकीकरण, कुशलता एवं वित्त मान का लाभ उठाते हुए लगातार ग्राहक लेनदेन की संख्या बढ़ा पा रहा है।

कारपोरेट बैंकिंग समूह

थोक बैंकिंग व्यवसाय के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक कारपोरेट ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप वित्तीय सुविधा प्रदान कर रहा है, ताकि वे भारत में और साथ ही विदेशों में कुछ चुने हुए स्थानों पर व्यवसाय कर सकें। यह समूह अपने ग्राहकों की व्यावसायिक और वित्तीय आवश्यकताओं के विश्लेषण में विशेषज्ञता प्राप्त है और कार्यशील पूंजी ऋण, निर्यात वित्त, व्यापार, लेनदेन एवं वाणिज्यिक बैंकिंग तथा रुपया एवं विदेशी मुद्रा सावधि ऋण आदि उत्पादों के माध्यम से उन्हें सुविधाएँ प्रदान करता है। भारतीय स्टेट बैंक में थोक बैंकिंग व्यवसाय के लिए कई टीम हैं, जो अपने-अपने विशेष क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित रखती हैं, ताकि बैंक के ग्राहकों को अपनी विशेषज्ञता का लाभ दे सकें तथा उनकी आवश्यकता के अनुरूप उत्पाद उन्हें प्रस्तुत कर सकें। वित्त वर्ष 2016 में थोक बैंकिंग व्यवसाय चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिवेश के कारण अपने संविभाग की अग्रसक्रिय निगरानी पर केंद्रित रहा, तथापि इसके वाणिज्यिक और लेनदेन बैंकिंग व्यवसाय में वृद्धि होती रही। आने वाले समय में बैंक नया व्यवसाय प्राप्त करने और आय के नए स्रोत सृजित करने का प्रयास करेगा। साथ ही, जोखिम कम करने और लाभप्रदता पर ध्यान केंद्रित रखते हुए कारपोरेट ग्राहकों को व्यापक वित्तीय सुविधाएँ प्रदान करता रहेगा।

कारपोरेट बैंकिंग

कारपोरेट लेखा समूह (सी ए जी) बैंक के 'बृहद् ऋण' संविभाग का प्रत्यक्ष नियंत्रण करता है। छह क्षेत्रीय केंद्रों - मुंबई, दिल्ली, चेन्नै, कोलकाता, हैदराबाद और अहमदाबाद में सी ए जी के 8 कार्यालय हैं। सी ए जी का व्यवसाय मॉडल संबंध प्रबंधन संकल्पना पर केंद्रित है और प्रत्येक ग्राहक एक संबंध प्रबंधक से संबद्ध होता है। यह संबंध प्रबंधक कार्यकारी ग्राहक सेवा टीम का नेतृत्व करता है। संबंधपरक कार्यनीति में सबसे महत्वपूर्ण है ग्राहक तक समन्वित और व्यापक वित्तीय सुविधाएँ संरचित उत्पादों के माध्यम से निश्चित समयावधि में उपलब्ध कराना। इस कार्यनीति का प्रमुख ध्येय है भारतीय स्टेट बैंक को शीर्ष कारपोरेटों की पहली पसंद बनाना।

प्रदर्श 31 : सी ए जी का व्यवसाय निष्पादन (राशि करोड़ रुपयों में)

सुविधा	मार्च 15	मार्च 16	वाइ टी डी वृद्धि
निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित	4,56,138	5,27,970	16%
निधि आधारित	2,71,778	3,29,026	21%

सीएजी की निधि आधारित बकाया राशियाँ बैंक के कुल ऋण संविभाग का 22% है। लगभग सीएजी के 85%

बैंक द्वारा वित्तपोषित 'चंबल फर्टिलाइजर केमिकल्स लिमिटेड संयंत्र

ऋण निवेश श्रेणी एवं उससे ऊपर की श्रेणी वाली कंपनियों को दिए जाते हैं और कई क्षेत्रों को इसका संवितरण संतुलित होता है।

बैंक का 58% आंतरिक विदेशी मुद्रा व्यवसाय सी ए जी के माध्यम से होता है। वर्ष के दौरान इस समूह ने निजी एवं सरकारी दोनों क्षेत्रों के शीर्ष ग्राहकों के बड़ी राशियों के अनेक सौदों का प्रबंध किया।

परिचालन में सुविधा लाने तथा परिचालन जोखिम को कम से कम करने के लिए बैंक निरंतर प्रौद्योगिक सुविधाएँ बढ़ाने हेतु प्रयास कर रहा है। ऐसे ही प्रयासों में एक है कारपोरेट इंटरनेट बैंकिंग (स्टेट बैंक कहीं भी) का मोबाइल वर्शन, जिससे कारपोरेट प्रयोक्ता अपने मोबाइल से लेनदेन कर सकते हैं और उसे प्राधिकृत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ई-ट्रेड तथा अनेक भुगतान एवं समाधान उपलब्ध हैं।

वर्ष के दौरान बैंक ने एल एल एम एस (लोन लाइफ-साइकल मेनेजमेंट सिस्टम) को सुस्थापित किया। यह ऋण प्रस्तावों की ऋण-जोखिम का आकलन करने का वेब आधारित पोर्टल है, जो आंतरिक ऋण-श्रेणी-निर्धारण का कार्य भी करता है। ऋण प्रबंधन संबंधी अन्य कार्यकलापों के लिए भी इस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा।

बैंक द्वारा वित्तपोषित 'प्रयाग पॉवर संयंत्र

लेनदेन बैंकिंग इकाई (टी बी यू)

लेनदेन बैंकिंग इकाई कारपोरेटों, सरकारी विभागों और वित्तीय संस्थानों को अनेक प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराती हैं। इनमें नकदी प्रबंधन, व्यापार वित्त और आपूर्ति श्रृंखला (व्यापारी/विक्रेता) ऋण शामिल हैं। इस इकाई के व्यवसाय में पिछले तीन वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

क. नकदी प्रबंधन उत्पाद (सी एम पी)

नकदी प्रबंधन सेवाओं में संग्रहण, भुगतान और चलनिधि प्रबंधन सब कुछ शामिल होता है। बैंक जो सेवाएँ उपलब्ध करा रहा है, वे इस प्रकार हैं - चेक और नकदी संग्रहण (जिसमें द्वारस्थ बैंकिंग शामिल है), सार्वजनिक निर्गमों (आइ पी ओ/बांड) के लिए संग्रहण, ई-संग्रहण (जिसमें वर्चुअल खाता क्रमांक सुविधा शामिल है), ई-भुगतान, मेंडेट एवं अन्य कागजी प्रलेखों जैसे कि लाभांश वारंट, रिफंड और ब्याज वारंट, सममूल्य पर जारी कारपोरेट चेक तथा बहुनगरीय चेक का प्रबंधन। कारपोरेट और संस्थात्मक ग्राहकों को संग्रहण की सुविधा प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म 'एसबीआइ एफ ए एस टी' (अल्पतम समय में निधि की उपलब्धता) पर देश भर की 1854 प्राधिकृत शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है, वहीं हमारी 16,400 से अधिक शाखाओं का संपूर्ण नेटवर्क बड़े मध्य कारपोरेटों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, संस्थात्मक ग्राहकों, म्युचुअल फंडों और बीमा कंपनियों को संग्रहण की सुविधा विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए उत्पादों के माध्यम से उपलब्ध कराता है, जिनके उदाहरण हैं ईज़ी कलेक्ट, पॉवर ज्योति, प्री लोड आदि। बैंक ई-भुगतान के विभिन्न उत्पाद भी उपलब्ध कराता है, जिनकी प्रक्रिया सुरक्षित होती है और जो होस्ट-टू-होस्ट सुविधा वाले अनन्य पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। इस व्यवसाय में पिछले तीन वर्षों से वृद्धि हो रही है।

प्रदर्श 32: नकदी प्रबंधन शुल्क (₹ करोड़ में)
आय में वृद्धि

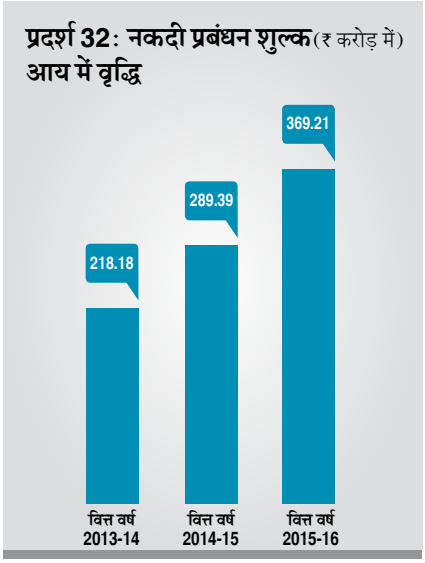

सी एम पी केंद्र केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी बी डी टी) का 'एकमात्र रिफंड बैंकर' है। इस केंद्र ने रक्षा मंत्रालय, यू एम ई ए के अंतर्गत आने वाले सिविल मंत्रालयों और अनेक राज्य सरकारों की भुगतान प्रणालियों का बैंक की कोर बैंकिंग अवसंरचना के साथ एकीकरण भी किया है। इस हेतु केंद्रीकृत ई-भुगतान सुविधा प्रदान की गई है, ताकि राष्ट्रीय ई-सरकार परियोजना (एनईजीपी) के अंतर्गत सरकारी विभाग अपने-अपने ध्येय तक पहुँच सकें। सी एम पी से रेल्वे के केंद्रीकृत भुगतान की शुरुआत उत्तर रेल्वे के दिल्ली मंडल से हुई। 'रेल शक्तिट परियोजना के अंतर्गत रेल्वे स्टेशनों से नकदी और चेक के द्वारस्थ संग्रहण की सुविधा भारतीय रेल को प्रदान की गई है। भारत के लेखा महानियंत्रक के पोर्टल भारतकोष के माध्यम से भारत सरकार के कर से भिन्न संग्रहण की शुरुआत भी सी एम पी द्वारा की गई है।

ख. व्यापार वित्त

(क) ई-ट्रेड एस बी आई : भारतीय स्टेट बैंक ने अपने व्यापार वित्त व्यवसाय के लिए श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी और परिचालन संरचना तैयार की है। ई-ट्रेड एस बी आइ वेब आधारित पोर्टल है, जिसे बैंक ने मार्च 2011 में प्रारंभ किया था। इसे लगातार उन्नत बनाया जाता रहा है, ताकि ग्राहक व्यापार वित्त सेवाएँ शीघ्र और आसानी से प्राप्त कर सकें तथा विश्व के किसी भी कोने में साखपत्र प्रस्तुत करने, बैंक गारंटी प्राप्त करने, बिलों की उगाही/परक्रामण आदि कार्य पूरे कर सकें। दिनांक 31 मार्च 2016 को ई-ट्रेड एस बी आइ में 2250 कारपोरेट पंजीकृत थे।

(ख) विक्रेता एवं व्यापारी का ऑनलाइन वित्तीयन (ई-वीएफएस)

उक्त दो उत्पादों के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला साझेदारों के वित्तीयन के फलस्वरूप कारपोरेट जगत से हमारे संबंध और सुदृढ़ हुए हैं। ये उत्पाद पूर्णतः स्वचालित, सुरक्षित और सुदृढ़ हैं। दिनांक 31 मार्च 2016 को देश भर के 182 उद्योग प्रमुख 3867 विक्रेताओं और 12993 व्यापारियों के साथ ई-वी एफ एस (इलेक्ट्रॉनिक विक्रेता वित्तीयन योजना)/ई-डी एफ एस (इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी वित्तीयन योजना) प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट हो चुके थे। यह संख्या क्रमशः 115% और 64% की वृद्धि दर्शाती है।

ग. वित्तीय संस्थान व्यवसाय इकाई

वित्तीय संस्थान व्यवसाय इकाई बैंकों, म्युचुअल फंडों, बीमा कंपनियों, दलाली फर्मों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जैसे वित्तीय संस्थानों के संभावित व्यवसाय को प्राप्त करने के लिए स्थापित की गई इकाई है। इन संस्थानों के नकदी प्रबंधन को आसान बनाने के लिए संग्रहण और भुगतान के विभिन्न उत्पाद उपलब्ध कराने के अलावा बीमा कंपनियों को 'ईज़ि कलेक्ट' सुविधा दी गई है, जिसके अंतर्गत प्रीमियम का संग्रहण सभी शाखाओं में हो सकता है। मोचन भुगतान में आसानी के लिए म्युचुअल फंडों को 'इंट्रा-डे लिमिट' सुविधा प्रदान की गई है। पूंजी बाजार व्यवसाय करने वाले ग्राहकों और दलालों की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए पूंजी बाजार शाखा (सी एम बी), जो विशेष प्रकार की शाखा है, मुंबई में कार्यरत है। वित्त वर्ष 2016 में सी एम बी ने 119 बांडों/एफ पी ओ/आइ पी ओ का प्रबंध किया और निर्गम के बैंकर (बी आइ टी) के रूप में 29,307 करोड़ रुपये (कासा) का संग्रहण किया। प्राथमिक बाजार क्षेत्र (ऋण सार्वजनिक निर्गम, बोलियाँ - बैंक) और प्राथमिक बाजार क्षेत्र (ईक्विटी-आइ पी ओ/एफ पी ओ बोलियाँ - बैंक) में बी एस ई के 3 शीर्ष निष्पादकों में से एक का स्थान सी एम पी को वित्त वर्ष 2016 में (वित्त वर्ष 2015 के लिए) प्राप्त हुआ।

परियोजना वित्त और पट्टा

वित्त वर्ष 2016 में परियोजना वित्त परिवेश चुनौतीपूर्ण बना रहा। इसका मुख्य कारण था कारपोरेटों द्वारा नई परियोजनाओं के लिए वचनबद्धताओं में कमी। इसके अतिरिक्त चालू परियोजना निवेशों में कार्यान्वयन और परिचालन संबंधी मुद्दों का भी प्रभाव पड़ा।

परियोजना वित्त एवं पट्टा (पी एफ एस बी यू) के नाम से जानी जाने वाली बैंक की विशेष व्यवसाय इकाई बिजली, दूरसंचार, सड़क, बंदरगाह और विमानपत्तन जैसे अवसंरचनात्मक क्षेत्रों की बड़ी परियोजनाओं का मूल्यांकन और उनके लिए निधियों का प्रबंध करती है। यह धातु, सीमेंट, तेल और गैस आदि गैर-अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को भी शामिल करती है बशर्ते उनकी लागत न्यूनतम सीमा में आती हो। अन्य समूहों के बड़ी राशि के सावधि ऋण प्रस्तावों की उपयुक्तता निर्धारित करने में भी यह इकाई सहायता प्रदान करती है। अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए नीति नियामक संरचना को सुदृढ़ बनाने हेतु भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, योजना आयोग और भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचना देने का कार्य भी यह इकाई करती है। यह सूचना नई नीतियों, मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट्स् और अवसंरचना हेतु वित्तीयन में मोटे तौर पर उभरने वाले मुद्दों के बारे में ऋणप्रदाता के दृष्टिकोण के रूप में दी जाती है।

प्रदर्श 33 : परियोजना वित्त एवं पट्टा व्यवसाय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपयों में)

	वित्त वर्ष 2015	वित्त वर्ष 2016
परियोजना लागत	167551	77227
परियोजना ऋण	112981	59094
संस्वीकृत राशि	19718	18125
समूहन राशि	8845	18082

दिनांक 31 मार्च 2016 को पी एफ एस बी यू के नियंत्रण में जिन अवसंरचनात्मक परियोजनाओं पर कार्य चल रहा था, वे इस प्रकार हैं - कुल 43,536.50 मेगावाट की क्षमता की बिजली परियोजनाएँ, 190 मिलियन से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करने वाली दूरसंचार परियोजनाएँ, 5,000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़क परियोजनाएँ, हैदराबाद में मेट्रो परियोजना के अतिरिक्त इस्पात, सीमेंट और नगरीय अवसंरचनाओं की अनेक परियोजनाएँ। वर्ष 2016 में कुल 7,249 करोड़ रुपयों (वर्ष 2015 में 12,090 करोड़ रुपये) की निधि आधारित और गैर निधि आधारित ऋण-सुविधाएँ इन परियोजनाओं के लिए प्रदान की गईं।

अवसंरचनात्मक और गैर अवसंरचनात्मक दोनों ही श्रेणियों की परियोजनाओं में बैंक पर्यावरण की वहनीयता पर भी बल दे रहा है। वित्त वर्ष 2016 में बैंक ने 30 नई संस्वीकृतियाँ प्रदान की, जिनकी कुल राशि (निधि आधारित और गैर निधि आधारित मिलाकर) 15,848 करोड़ रुपये होती है। ये संस्वीकृतियाँ बिजली (पवन, सौर, कोयला, पन बिजली एवं ट्रांसमिशन), सड़क और पुल, तेल और गैस तथा उर्वरक आदि विभिन्न क्षेत्रों में दी गईं।

एक **स्मार्ट** बैंक, आगे बढ़ते **कॉरपोरेट** भारत के लिए

मध्य कारपोरेट बैंकिंग

ऐसी मध्यम आकार की इकाइयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, जिन्हें ₹50 करोड़ से अधिक और ₹500 करोड़ तक की (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित) ऋण सीमाओं की जरूरत होती है, बैंक का मध्य कारपोरेट समूह (एम सी जी) अपने 14 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कारोबार करता है। ये कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नै (2), हैदराबाद, इन्दौर, कोलकाता (2), मुंबई (2), नई दिल्ली (2) और पुणे में स्थित हैं। इनके अंतर्गत 31 मार्च 2016 को 54 शाखाएँ थीं, जिनमें से 20 शाखाएँ महानगरीय केंद्रों में और 34 शाखाएँ अन्य शहरों में स्थित हैं।

एम सी जी ऋण संविभाग (खाद्येतर देशीय)

(राशि करोड़ रुपयों में)

31-03-2015	31.03.2016
2,27,756	2,32,638

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एम सी जी की निवेश श्रेणी वाली आस्तियाँ बढ़ीं। इनमें वस्त्र, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, सीआरई, रसायन और थोक उद्योग प्रमुख हैं।

यह समूह अपने ग्राहकों को भारत में अपने कारोबार का विस्तार करने में निरंतर सहयोग दे रहा है और विदेश स्थित आस्तियों या कंपनियों को अधिगृहीत करने में भी योगदान कर रहा है। इस हेतु विदेशी अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों को (चुकौती आश्वासन पत्र, आपाती साखपत्र समर्थित) ऋण भी दिया जाता है।

दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार उद्योग वार अग्रिम

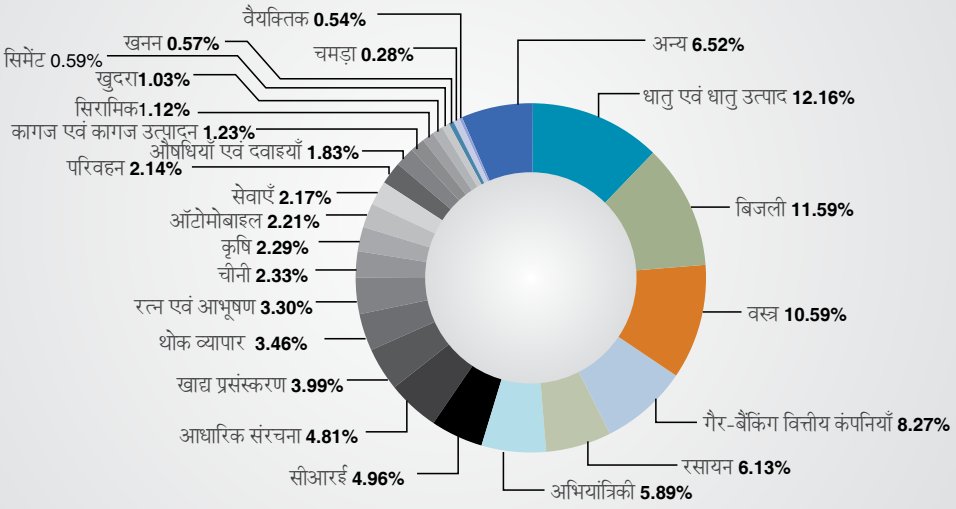

अंतरराष्ट्रीय परिचालन-अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह

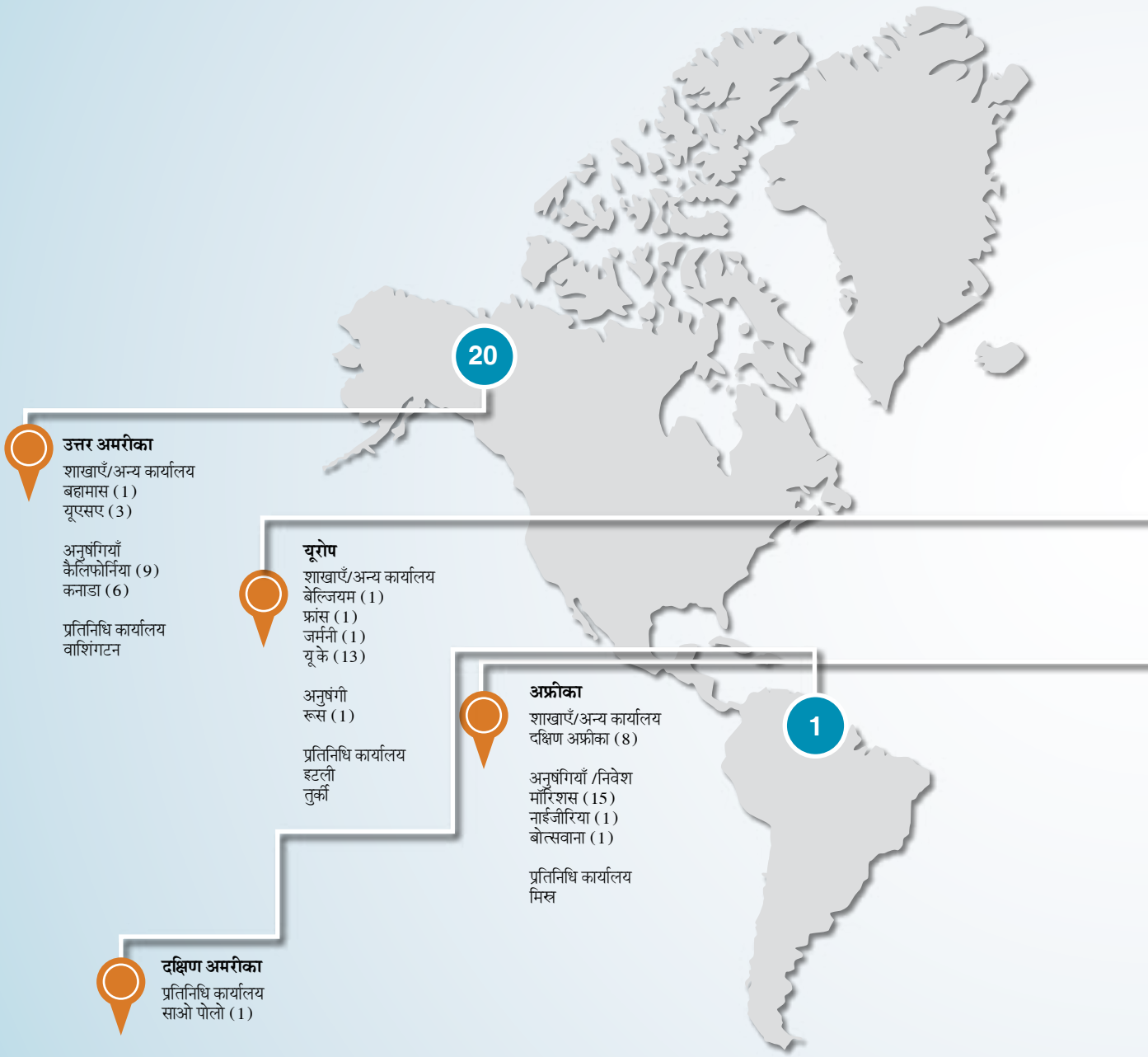

37 देशों में स्थित 198 कार्यालयों का अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग नेटवर्क

पूर्व और दक्षिण एशिया

शाखाएँ/अन्य कार्यालय
बांग्लादेश (13)
चीन (2)
हांगकांग (2)
जापान (2)
मालदीव (3)
श्रीलंका (6)
सिंगापुर (7)

अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम
इंडोनेशिया (14)
नेपाल (66)
भूटान (1)

प्रतिनिधी कार्यालय
फिलीपिंस
दक्षिण कोरिया
म्यांमार

मध्य पूर्व

शाखाएँ/अन्य कार्यालय
बहरीन (4)
इजरायल (1)
ओमान (1)
कतर (1)
साउदी अरेबिया (1)
यूएई (2)

प्रतिनिधि कार्यालय
इरान

प्रबंधनाधीन विनिमय कंपनियाँ
ओमन

ऑस्ट्रेलिया

शाखाएँ/अन्य कार्यालय
ऑस्ट्रेलिया (1)

अंतरराष्ट्रीय परिचालन

आपके बैंक के अंतरराष्ट्रीय परिचालन का प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत है - विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कार्यरत भारतीय कारपोरेटों और भारतीय मूल के लोगों की सहायता करना। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय बैंक बनने के अपने लक्ष्य के अनुरूप बैंक स्थानीय निवासियों को भी सेवा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है।

वैश्विक उपस्थिति

इस समय बैंक के विदेश में स्थित कार्यालयों की संख्या 198 है। ये सभी महाद्वीपों के 37 देशों में कार्यरत हैं। इनमें 55 शाखाएँ हैं, 20 अन्य कार्यालय हैं और 7 प्रतिनिधि कार्यालय हैं। इनके अतिरिक्त 8 विदेशी अनुषंगियों के 113 कार्यालय हैं। इस तरह बैंक की विस्तार गतिविधियों की आधारशिला है परिचालन संरचना में विभिन्नता। वित्त वर्ष 2016 के दौरान बैंक ने युनाइडेट किंगडम में 2 नई शाखाएँ और बांग्लादेश में 4 भारतीय वीजा आवेदन केंद्र खोले तथा सिओल में प्रतिनिधि कार्यालय का विस्तार कर एक संपूर्ण शाखा बनाया। अपनी अनुषंगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटाडा के माध्यम से बैंक ने साओ पाउलो, ब्राज़ील में प्रतिनिधि कार्यालय प्रारंभ किया। बैंक की अन्य अनुषंगी नेपाल एसबीआई बैंक लि. ने इसी अवधि में 3 शाखाएँ और एक एक्सटेंशन काउंटर खोला। बैंक का डसलडर्फ मार्केटिंग आफिस, एसबीआई (केलिफोर्निया) की बेकर्सफील्ड शाखा और एसबीआई (कनाडा) बैंक की अबॉट्स्फोर्ड शाखा वर्ष के दौरान बंद कर दी गईं।

प्रदर्श 34 : बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों का ब्योरा

	वित्त वर्ष 2015	वर्ष के दौरान खोले गए कार्यालय	वर्ष के दौरान बंद किए गए कार्यालय	वित्त वर्ष 2016
शाखाएँ/ उप कार्यालय/ अन्य कार्यालय	69	7	1	75
अनुषंगियाँ / संयुक्त उद्यम	(7)	(1)	-	(8)
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों के कार्यालय	110	5	2	113
प्रतिनिधि कार्यालय	8	-	1*	7
सहयोगी / प्रबंधित विनिमय कंपनियाँ / निवेश	4	0	1	3
योग	**191**	**12**	**5**	**198**

*दक्षिण कोरिया में सिओल प्रतिनिधि कार्यालय को अपग्रेड कर संपूर्ण शाखा बनाया गया।

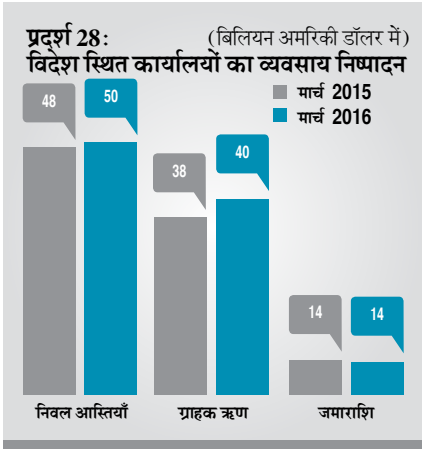

विस्तृत अंतरराष्ट्रीय परिचालनों को सपोर्ट देने के लिए समूह ने ऋण और अनर्जक आस्ति प्रबंधन, अनुपालन, जोखिम, राजकोष, खुदरा और विदेशी अनुषंगियाँ, मानव संसाधन, परिचालन, सामान्य बैंकिंग आदि विभाग बनाए हैं। अपने विभिन्न व्यावसायिक कार्यों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह बैंक और प्रमुख हितधारकों को सहयोग प्रदान करता है। इसका विवरण इस प्रकार है:

कॉरपोरेट

1. मर्चेन्ट बैंकिंग

आपका बैंक भारतीय कारपोरेटों को बाह्य वाणिज्यिक उधार के रूप में विदेशी मुद्रा ऋण जुटाने में सहायता करता है। यह कार्य अन्य भारतीय एवं विदेशी बैंकों के साथ मिलकर और साथ ही द्विपक्षीय व्यवस्था द्वारा भी किया जाता है।

उल्लेखनीय तथ्य

- वित्त वर्ष 2016 के दौरान प्रमुख समूह-ऋण व्यवस्थापक तथा हामीदार
- कुल 2.674 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 9 ऋण-समूहन,
- भारतीय कारपोरेटों को द्विपक्षीय आधार पर 3.510 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 14 द्विपक्षीय ऋण

2. अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह - ऋण

विदेश स्थित शाखाओं में गुणवत्तापूर्ण ऋण एवं अग्रिम संविभाग का सृजन आईबीजी-ऋण की जिम्मेदारी है, जिसे कई प्रकार के ऋण उत्पादों द्वारा पूरा किया जाता है। ऋण उत्पादों में अन्य के साथ साथ द्विपक्षीय और समूहित ऋण भी शामिल हैं।

उल्लेखनीय तथ्य

- विदेश स्थित सभी कार्यालयों में लोन लाइफसाइकल मेनेजमेंट सिस्टम प्रारंभ, ताकि ऋण खातों की तत्परतापूर्वक निगरानी, बेहतर नियंत्रण और पर्यवेक्षण हो सके।
- भारत-जापान सहयोग बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में जापान डेस्क की स्थापना।

3. आईबीजी रिटेल एवं धन-प्रेषण

विशेष धन-प्रेषण उत्पादों के माध्यम से बैंक विश्व के विभिन्न कोनों में निवास कर रहे अनिवासी भारतीयों को 'विंडो टू इंडिया' उपलब्ध कराता है। भारतीय मूल के लोगों की पर्याप्त संख्या वाले कुछ देशों में बैंक भारतीयों और स्थानीय निवासियों दोनों के लिए खुदरा बैंकिंग कार्य भी करता है।

उल्लेखनीय तथ्य

- बैंक ने मालदीव के अपने परिचालनों में यू एस डी ट्रैवल कार्ड प्रारंभ किया गया।

4. वित्तीय संस्थान समूह

यह समूह एक ओर प्रतिनिधि बैंकों, विदेशों की सरकारी एजेंसियों एवं विकासात्मक वित्तीय संस्थानों, इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स आदि अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के बीच संबद्धता सृजित करता है, वहीं दूसरी ओर मध्य कारपोरेट समूह, कॉरपोरेट बैंकिंग समूह, वैश्विक बाजार आदि अन्य समूहों और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह के बीच मेलजोल का कार्य करता है।

उल्लेखनीय तथ्य

- प्रतिनिधि संबंध कार्य, जो पहले वैश्विक बाजार इकाई, कोलकाता द्वारा किया जाता था, के समेकन के लिए वित्तीय संस्थान समूह का पुनर्विन्यास।
- सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार कार्य करने की हमारी कार्यनीति के अनुरूप बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए संबंध प्रबंधन संकल्पना की शुरुआत।
- बैंकों/वित्तीय संस्थानों से संबंधों के समग्र अवलोकन के लिए भारतीय स्टेट बैंक सी आर एम सुविधा प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

5. वैश्विक व्यापार विभाग

वैश्विक व्यापार विभाग बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों में व्यापार वित्त संविभाग को गतिशील बनाए रखने में सहायता करता है। यह विभाग नीतियाँ बनाता है और बदलते हुए विनियामक मानदंडों एवं बाजार

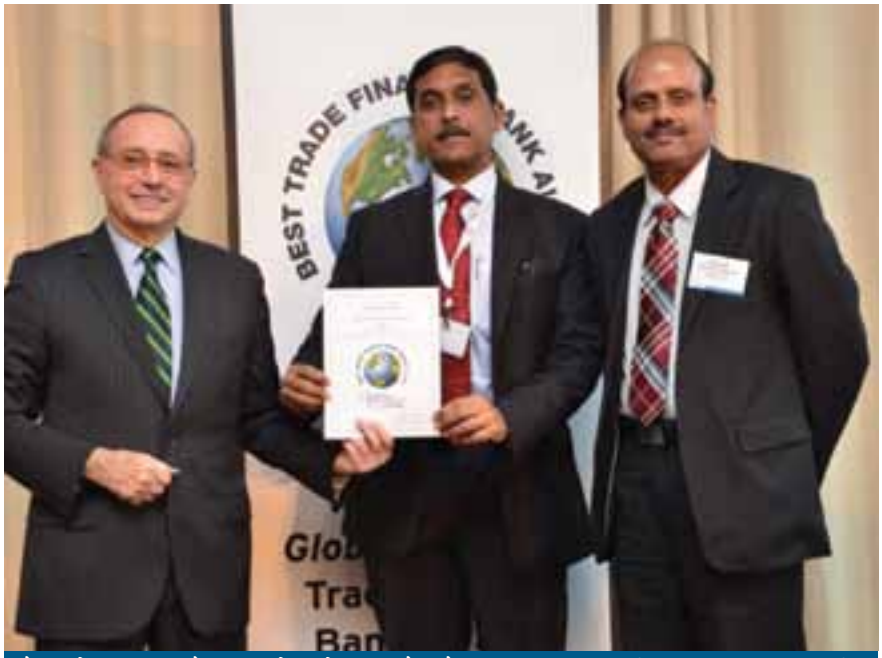

बैंक को लगातार चौथी बार बेस्ट ट्रेड फाइनैंस बैंक-इंडिया का अवार्ड प्राप्त हुआ। यह अवार्ड ग्लोबल फाइनैंस पत्रिका ने प्रदान किया।

की मांग के अनुसार उत्पादों में नवीनता लाता है। साखपत्र, बैंक गारंटी और व्यापारिक धन-प्रेषण आदि व्यापार उत्पादों में सेवा संबंधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकी लाने में यह विभाग अग्रणी भूमिका निभाता है। अधिकतम प्रतिफल के लिए देशीय एवं विदेशी कार्यालयों के बीच मेलजोल में भी इस विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

उल्लेखनीय तथ्य

- दिनांक 31 मार्च 2016 को व्यापार वित्त आस्तियाँ 14.614 बिलियन अमेरिकी डॉलर थीं, जो अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह के निवल ग्राहक ऋण का 36.29% होता है। हमारे विदेशी कार्यालयों द्वारा 10.377 बिलियन अमेरिकी डॉलर का गैर-निधि आधारित व्यवसाय किया गया।
- व्यापार की आय में होने वाले धन-शोधन को रोकने के लिए व्यापार वित्त की बहुलता वाले विदेश स्थित सभी कार्यालयों में अतिरिक्त स्क्रीनिंग की सुविधा प्रारंभ की गई।
- वित्त वर्ष 2016 के दौरान अत्याधुनिक व्यापार वित्त समाधान प्राप्त किया गया। चीन और मालदीव में इसे प्रायोगिक तौर पर लगाया गया है। आशा है कि दिसंबर 2016 तक यह सभी देशों में लग जाएगा।
- ग्लोबल फिइनैंस नामक पत्रिका ने जनवरी 2016 में लगातार चौथे वर्ष भारतीय स्टेट बैंक का चयन बेस्ट ट्रेड फाइनैंस बैंक - इंडिया के रूप में किया।

6. वैश्विक संपर्क सेवाएँ

वैश्विक संपर्क सेवाएँ (जीएलएस) एक विशेषीकृत इकाई है, जो निर्यात बिल उगाही, चेक उगाही और ऑनलाइन आवक धनप्रेषण की केंद्रीकृत प्रोसेसिंग का कार्य करती है।

उल्लेखनीय तथ्य

- आवक धनप्रेषण बैंक के माध्यम से कराने के लिए 31 विनिमय कंपनियों और मध्य पूर्व के सात देशों के बैंकों के साथ गठ-जोड़।
- वित्त वर्ष 2016 के दौरान जीएलएस ने कुल 14.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 67,577 निर्यात बिलों और 65,619 विदेशी मुद्रा चेकों की उगाही का प्रबंध किया।
- वित्त वर्ष 2016 के दौरान जीएलएस ने 6.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 99,08,361 ऑनलाइन आवक धनप्रेषण लेनदेनों का प्रबंध किया, जो संपूर्ण विश्व से प्राप्त हुए थे।

7. अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग - देशीय

अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग - देशीय (आईबीडी) नया विभाग है, जो वित्तीय संस्थान समूह के अंतर्गत बनाया गया है। देशीय अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय संबंधी सभी मामलों के लिए विदेश स्थित कार्यालय तथा प्रतिनिधि बैंकों को इसी एक विभाग से संपर्क करना पर्याप्त है। भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजी जाने वाली सभी विवरणियों की समय पर प्रस्तुति तथा फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) अनुपालन की जिम्मेदारी भी इसी विभाग को दी गई है।

8. विनियामक

अपने सभी विदेशी परिचालनों में विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में जरा भी चूक बर्दाश्त न करने के प्रति आपका बैंक प्रतिबद्ध है। विनियामकों / लेखापरीक्षकों द्वारा इस बारे में व्यक्त चिंता पर तत्काल ध्यान दिया जाता है। सुधार की स्थिति बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को बताई जाती है।

आपके बैंक ने देशीय एवं अंतरराष्ट्रीय कारोबार के लिए स्वतंत्र जोखिम अभिशासन संरचना अपनाई है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप देशगत प्रबंधन नीति अस्तित्व में है। देश-वार और बैंक-वार जोखिम सीमाओं की निरंतर निगरानी और समीक्षा की जाती है।

9. सूचना-प्रौद्योगिकी संबंधी विभिन्न पहल

वास्तविक डिजिटल बैंक के रूप में, बैंक ने सूचना-प्रौद्योगिकी में सर्वांगीण दृष्टिकोण अपनाते हुए डेटा को कैप्चर कर आसान वर्चुअल संगठन में बदलने की नवोन्मेषी प्रक्रिया अपनाई है। इससे डेटा हर ग्राहक को हर स्थान पर दिखाई देता है और ग्राहक की रुचि, आवश्यकता तथा पसंद के अनुसार उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं।

विदेश स्थित कार्यालयों में किए गए पहल इस प्रकार हैं:

- चौबीस देशों में फिनेकल 7.6 के स्थान पर फिनेकल 10.2 लगाने का कार्य आपके बैंक ने पूरा कर लिया है। इससे अनेक प्रकार के एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और धन प्रबंधन में सहयोग मिलेगा तथा मोबाइल बैंकिंग सुविधाएँ बढ़ेंगी।
- मिसीज़ पीएलसी - यू के से प्राप्त व्यापार वित्त सुविधा ई-ट्रेड चीन और मालदीव में शुरू की गई। इससे ग्राहक विदेश स्थित कार्यालयों में व्यापार वित्त संबंधी सभी आवश्यकताओं के बारे में 24X7 पोर्टल के माध्यम से इंटरफेस कर सकेंगे।
- धनशोधन रोधी सुविधा (एमलॉक) पूरे विश्व में प्रदान की गई। इससे धनशोधनरोधी प्रक्रिया स्वचालित हो गई है और यह डिजिटल चेतावनियाँ देती रहती हैं। 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड के अनुपालन को अनुकूलतम बनाने के लिए एसीई पेलिकन सॉफ्टवेअर ने वाचलिस्ट स्क्रीनिंग को एकीकृत/स्वचालित कर दिया है।
- बैंक ने एक प्रिडिक्टिव टूल (फिन-एश्युअर) सभी 24 देशों में लगाया है, जो सभी महत्वपूर्ण एप्लीकेशन, नेटवर्क और अवसंरचना के कामकाज की निगरानी करता है, ताकि अप्रत्याशित भार का सक्रियता से प्रबंध हो सके।
- बहुप्रशंसित ऑनलाइन एस बी आई (इंटरनेट बैंकिंग सुविधा) दो और देशों में प्रदान की गई। ये देश हैं-बहरीन और बोत्सवाना। डिजिटल चैनल से

जुड़ाव और नकदी रहित लेनदेन को बढ़ाने के लिए डेबिट कार्ड के प्रयोग तथा इंटरनेट बैंकिंग द्वारा धन-प्रेषण हेतु लॉयल्टी प्रोग्राम सिंगापुर में प्रारंभ किया गया।

- ग्राहकों को सर्वोत्तम सुरक्षा, शांति और भरोसा दिलाने के लिए बैंक ने सभी मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड के बदले ई एम वी सह मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड जारी किए हैं। सभी देशों में एंटि स्किमिंग के उन्नत उपकरण लगाए गए हैं, टर्मिनल सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके अतिरिक्त एस एम एस अलर्ट, आउट ऑफ ज़ोन संकल्पना और डेबिट कार्ड को पिन के आधार पर प्राधिकृत किया जाना आदि लागू किया गया है।

इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, चयन, उपयोगिता एवं सुविधा, मोबिलिटि एवं परिधेयता बढ़ाने के लिए ओपन बैंकिंग जैसी कई प्रकार की प्रौद्योगिकी शुरू करने हेतु लगातार नए सिरे से काम करना बैंक की डिजिटल बैंकिंग कार्यनीति रही है।

- एंटरप्राइज़ प्रोजेक्ट मेनेजमेंट टूल, जहाँ प्रत्येक सूचना-प्रौद्योगिकी परियोजना का पता लगाया जा सकता है।
- बैंक स्तर पर सी आर एम सुविधा, ताकि ग्राहक की आवश्यकता, व्यवहार की पूरी जानकारी कम से कम बाहरी सहयोग से प्राप्त हो सके।
- विशाल डेटा के विश्लेषण की सुविधा, ताकि ग्राहक को उसकी पसंद के उत्पाद प्रस्तुत किए जा सकें और पता चल सके कि ग्राहक किन उत्पादों का निरंतर प्रयोग कर रहा है, जिससे ग्राहक को अपने साथ बनाए रखा जा सके।
- बैंक ने कुछ गिन-चुने निजी क्लाउड का उपयोग शुरू किया है। रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में कैप्चर करने के लिए डॉक्यूमेंट मेनेजमेंट सॉल्यूशन की योजना है।
- ए डी एफ से अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी (आई बी एस), बैंक-वार जोखिम और देश-वार जोखिम की नियामक और अन्य रिपोर्टें सीधे कोर डेटा से तैयार करना।

दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन

अनर्जक आस्तियों का प्रबंधन बैंकिंग क्षेत्र के सम्मुख आज सबसे बड़ी चुनौती है। अनर्जक आस्तियों में वृद्धि का बैंक के संपूर्ण ऋण संविभाग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन आस्तियों से बैंक को कोई आय नहीं होती और भारतीय रिज़र्व बैंक के आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार इनके लिए प्रावधान करना पड़ता है।

किसी भी क्षेत्र में अनर्जक आस्तियों की मात्रा बढ़ने और नई अनर्जक आस्तियों के निम्नलिखित कारण होते हैं:

- वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण बाजार में विश्वास की कमी, वैश्विक वित्तीय बाजारों की नकारात्मकता का असर, आंतरिक वृद्धि दर पर्याप्त न होना और निर्यात में कमी।
- अवसंरचात्मक बाधाओं, सरकारी अनुमोदन में विलंब, भूमि प्राप्त होने में समस्याएँ और माल-सामान की आपूर्ति में रुकावटों के कारण परियोजनाएँ ठप होना।
- कोयला खंडों का आबंटन निरस्त होना और क्रय क्षमता में कमी के कारण डिस्कॉम्स (बिजली वितरण कंपनियों) द्वारा सीमित उठाव।
- श्रम कानूनों संबंधी समस्याएँ और कपड़ा, बिजली, चीनी, इस्पात तथा उड्डयन आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दबाव की स्थिति।
- मांग में कमी के कारण प्राप्य राशियों की वसूली में विलंब।
- कानूनी प्रक्रिया द्वारा अनर्जक आस्तियों के समाधान में विलंब।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (ए क्यू आर) किए जाने के बाद अधिक प्रावधान करने से बैंक के लाभ में बहुत कमी आई। अल्पावधि में आर्थिक वृद्धि कमजोर रहने की संभावना को देखते हुए ऐसा लगता है कि कुछ और तिमाहियों तक बैंकिंग क्षेत्र दबाव की स्थिति में बना रहेगा।

प्रदर्श 35: अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव और अपलिखित खातों में वसूली

(करोड़ रुपए में)

	वित्त वर्ष 2013	वित्त वर्ष 2014	वित्त वर्ष 2015	वित्त वर्ष 2016
सकल एनपीए	51,189	61,605	56,725	98,173
सकल एनपीए %	4.75%	4.95%	4.25%	6.50%
निवल एनपीए	2.1%	2.57%	2.12%	3.81%
नई गिरावटें	31,993	41,516	29,444	64,198
नकदी वसूली / कोटि उन्नयन	14,885	17,924	13,011	6,985
अपलेखन	5,594	13,176	21,313	15,763
अपलिखित खातों में वसूली	1,066	1,543	2,359	2,859

अनर्जक आस्तियों के समाधान/वसूली पर ध्यान केंद्रित करते हुए दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह (एसएएमजी) उच्च मूल्य की अनर्जक आस्तियों के सफल समाधान के लिए समर्पित एवं विशेषीकृत समूह के रूप में कार्य कर रहा है। इसके प्रमुख उप प्रबंध निदेशक हैं। वे दो मुख्य महाप्रबंधकों के साथ समस्त कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं। इस समूह के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। हर कार्यालय के प्रधान महाप्रबंधक हैं। वसूली अधीन ऋण खातों (औका) के प्रबंधन और समाधान का कार्य अनन्य रूप से महाप्रबंधक (औका) देखते हैं। इसके

अतिरिक्त आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को विक्रय तथा व्यवहार्य कंपनी कर्ज पुनर्रचना प्रस्तावों के प्रबंध के लिए महाप्रबंधक (एस एंड आर एंड सी डी आर) को रखा गया है। इस प्रकार यह समूह अनर्जक आस्तियों के समाधान हेतु उत्कृष्टता केंद्र बन गया है। मार्च 2016 में पूरे देश में इस समूह की 19 दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखाएँ (एस ए एम बी) तथा 44 दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखाएँ (एस ए आर बी) थीं। वसूली के लिए कठोर कदम उठाने के अलावा एस ए एम जी ने कुछ नवोन्मेषी उपाय भी प्रारंभ किए हैं और इन्हें सबसे पहले करने का लाभ बैंक को प्रदान किया है। ये हैं: बहुत सारी संपत्तियों की पूरे भारत में मेगा ई-बोली, आपराधिक कार्रवाई की शुरुआत, ऋणियों/गारंटीकर्ताओं की भार रहित संपत्तियों की पहचान और न्यायालय से निर्णय से पहले संपत्तियाँ जब्त करने की व्यवस्था। मई 2015 में राष्ट्रव्यापी बैंक अदालत के रूप में ऋण समाधान सप्ताह मनाया गया। इस आयोजन की सूचना एन पी ए ऋणियों को पर्याप्त समय पहले लिखित रूप में दे दी गई थी ताकि वे इसमें उपस्थित होकर निपटान के लिए बातचीत कर सकें। प्रिंट और सोशल मीडिया में राष्ट्रव्यापी विज्ञापन से इसका प्रचार करने के साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यालयों में वार रूम्स स्थापित कर इसकी निगरानी की गई।

बकाया ऋणों की वसूली कर एनपीए को कम करने के गंभीर प्रयासों में बैंक को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इनके कुछ उदाहरण हैं - कानूनी अड़चने, रणनीतिक निवेशकों की अनुपलब्धता, नीलाम की जाने वाली संपत्तियों के खरीदारों का अभाव आदि। विधिक अवरोधों के लिए बैंक ने भारतीय बैंक संघ के ज्ञान संगम जैसे उपयुक्त स्तरों और संबंधित मंचों पर अपनी बात रखी है। इन अवरोधों के बावजूद समाधान के लिए प्रारंभ सभी कार्रवाइयों पर निरंतर ध्यान दिया जाता है और अनर्जक आस्तियों के तेजी से समाधान के लिए कार्यनीतियों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

"स्मार्ट" उपाय

दबावग्रस्त आस्ति खंड द्वारा प्रौद्योगिकी के स्तर पर निम्नलिखित पहल की हैं:

1. मुकदमा प्रबंधन प्रणाली (एल एम एस) द्वारा सभी ऋणों (एन पी ए/औका) के संबंध में बैंक के पक्ष-विपक्ष में दायर मुकदमों की देखभाल की जाती है। यह प्रणाली सभी मौजूदा तथा नए कानूनी प्रकरणों का प्रभावी प्रबंध करती है। वकीलों, मूल्यांककों और रेजोलूशन एजेंटों आदि के संपर्क सूत्र संचित रखती है, प्रकरणों पर हुए व्ययों का पता लगा सकती है। एलएमएस सिस्टम के माध्यम से मॉनीटरिंग करके अदालत में चल रहे सभी मुकदमों का सुनवाई में हमारे अधिकारी और वकील की उपस्थिति सुनिश्चित हो जाती है और सुनवाई के परिणाम तत्काल प्राप्त हो जाते हैं।

2. लोन लाइफ साइकल मैनेजमेंट सिस्टम (एल एल एम एस) ऑनलाइन ऋण प्रोसेसिंग सॉफ्टवेअर है। यह बैंक द्वारा निर्धारित सभी ऋण प्रस्तावों का प्रारंभ से अंत तक (मंजूरी से पहले, मंजूरी और मंजूरी के बाद) की सभी कार्रवाई का प्रसंस्करण करता है। इसे दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखाओं में लगाया गया है। यह डाइनैमिक एम आई एस रिपोर्टें जनरेट करने, खाते की निगरानी शुरुआत से ही करने आदि का कार्य करता है।

3. अर्ली वार्निंग सिस्टम (ई डब्ल्यू एस) ऐसा सॉफ्टवेयर है, जो दबावग्रस्त होने जा रहे खातों की प्रारंभिक अवस्था में यानी चूककर्ता होने से पहले पहचान करने में सहायता करता है, जिससे समय पर कार्रवाई कर उनकी गुणवत्ता में गिरावट को रोका जा सकता है।

4. इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मेनेजमेंट सिस्टम (ईडीएमएस) महत्वपूर्ण प्रलेखों, लेनदेनों, लेखा-परीक्षा संकेतों, लेखांकन रिपोर्टों, कार्यप्रवाह प्रक्रियाओं, अनुपालन प्रलेखों आदि का इलेक्ट्रॉनिक भंडारगृह है। सभी प्रलेखों को इस स्थान पर सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है और जब भी आवश्यकता हो आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

5. एनपीए1 पोर्टल से दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखाओं द्वारा की गई वसूली पर निरंतर निगरानी रखी जा सकती है और इस कार्य में संलग्न समस्त कार्यबल के मध्य हर शाखा की वसूली की तुलनात्मक स्थिति मालूम हो सकती है। एन पी ए/औका खातों के बारे में मानक सूचना और उनकी हलचल के बारे में पूरी जानकारी इस एक ही स्थान से प्राप्त हो जाती है।

एनपीए प्रबंधन के लिए कार्य योजना

एनपीए में नई वृद्धि न होने देने और मौजूदा एनपीए के समाधान के लिए बैंक ने दोहरी कार्यनीति अपनाई है:

क. एनपीए में नई वृद्धि पर नियंत्रण

1. समस्याओं का पता उनकी प्रारंभिक स्थिति में ही लगा लेना और अनियमितता के कारणों का विश्लेषण करना तथा समयबद्ध कार्रवाई के लिए उपयुक्त कार्यनीति तय करना ताकि इन्हें एन पी ए बनने से रोका जा सके।

2. उद्योगवार ऋण-जोखिम सीमाएँ तय की गई हैं, ताकि ऋणों में विविधता रहे और जोखिम कम से कम रहे।

3. ऋणों की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है।

4. खाता निगरानी केंद्र स्थापित किए गए, हैं ताकि खातों को एनपीए श्रेणी में जाने से रोका जा सके।

5. किस्तों के अतिदेय होने/खाते में अनियमितता होने पर फोन करने/व्यक्तिशः संपर्क करने/एस एमएस एलर्ट भेजने/नोटिस भेजने आदि कार्य स्वतः करने की प्रणाली अपनाई जा रही है।

ख. एन पी ए के समाधान में वृद्धि:

1. वसूली के आसान उपायों से परिणाम प्राप्त न होने पर विधिक कार्रवाई की जाती है। इसके उदाहरण हैं - सरफेसी के अंतर्गत कार्रवाई, प्रकरण की स्थिति के अनुसार ऋण वसूली प्राधिकरण और अन्य न्यायालयों में मुकदमा दाखिल करना, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय आदि की शरण में जाना आदि।

2. कृषि ऋणों की वसूली में व्यवसाय प्रतिनिधियों, व्यवसाय सुलभकर्ताओं और स्वयं सहायता समूहों का सहयोग लेना।

3. वसूली के लिए बैंक अदालत लगाना और लोक अदालतों में सक्रिय सहभागिता करना।

4. नोडल अधिकारी डीआरटी प्रकरणों की निगरानी करते हैं और डीआरटी अधिकारियों के संपर्क में बने रहते हैं। वकीलों के सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं और डीआरटी प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए वकीलों के निष्पादन पर निरंतर नजर रखी जाती है।

5. मंडल विधि अधिकारी/विधि अधिकारी/ उप महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक स्वयं वकीलों के निष्पादन पर नजर रखते हैं। इससे प्रकरणों से निपटने और अंतिम क्षमता तक वसूली के लिए प्रयास करने में बैंक का संकल्प प्रकट होता है।

6. जानबूझकर ऋण न चुकाने वाली कंपनियों और प्रवर्तकों के नामों की पहचान और सिबिल, इक्विफैक्स, सी आर आई एफ हाइमार्क, एक्सपेरिअन आदि ऋण सूचना-प्रदाता कंपनियों की वेबसाइट पर इन नामों के प्रदर्शन की व्यवस्था।

7. एनपीए की नियमित अंतरालों पर विभिन्न स्तरों पर समीक्षा की जाती है।

8. बीआईएफआर प्रकरणों पर पूरा ध्यान दिया जाता है।

9. अधिक पारदर्शिता और ज्यादा मूल्य प्राप्त करने के लिए ई-नीलामी की जाती है।

10. चुनिंदा मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को विक्रय की संभावना की भी तलाश की जाती है।

11. दबावग्रस्त आस्तियों के अधिग्रहण के लिए कार्यनीतिक निवेशक का चयन और उसके साथ मिलकर कार्य करना। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार चुनिंदा व्यवहार्य प्रकरणों में कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना का विकल्प भी तलाशा जाता है।

12. ऋणियों के साथ एकबारगी समझौता किया जाता है।

13. बैंक को बंधक में दी गई संपत्तियों का कब्जा लेने और उनकी नीलामी करने के लिए रेज़ोलूशन एजेंटों की सेवाओं का उपयोग करना।

14. कुछ प्रकरणों में ऋण आस्ति अदला-बदली पर विचार करना।

15. प्रवर्तकों और गारंटीकर्ताओं की भार रहित आस्तियों का पता लगाने के लिए अन्वेषक एजेंसियों की सेवा लेने और न्यायालय के निर्णय से पहले इन संपत्तियों की कुर्की कराना।

16. आवश्यक होने पर चूककर्ताओं के फोटो समाचार पत्र में प्रकाशित कराना।

17. दबावग्रस्त बड़े कारपोरेट ग्राहकों पर दबाव डालना कि वे अपनी गैर मूलभूत आस्तियाँ बेच दें, अपनी शेयरधारिता में कमी करें और कार्यनीतिक निवेशकों को लेकर आएँ, ताकि ऋणों में कमी हो तथा अर्थक्षमता बढ़े।

18. बैंक प्रत्येक केलेंडर तिमाही में "मेगा ई-नीलामी" आयोजित करता है।

19. नीलामी के लिए उपलब्ध संपत्ति "प्रॉपर्टी मॉल" में प्रदर्शित की जाती हैं। प्रख्यात स्थानों में शॉपिंग मॉल में इनके चित्र/वीडियो आदि प्रदर्शित किए जाते हैं।

20. दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह के मौजूदा वाणिज्यिक एवं उपभोक्ता संविभाग की स्थिति का परीक्षण करने के सिबिल के प्रस्ताव पर अमल करने के लिए भी बैंक संभावना तलाश रहा है, ताकि हमारी आस्तियों की गुणवत्ता में वृद्धि हो।

21. एसेट ट्रेकिंग एंड मॉनिटरिंग (एट@एम) नामक वेब आधारित सॉफ्टवेएर से सभी हितधारक खाता स्तर तक की स्थिति समान स्तर पर देख सकते हैं। इसमें एसएमए खाते के साथ-साथ वैयक्तिक, एसएमई और कृषि क्षेत्र के अवमानक खाते शामिल हैं। जोखिम श्रेणी स्तर-1 पर सभी ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट भेजा जाता है और और बाद में एसएमएस द्वारा अनुस्मारक भेजे जाते हैं।

22. गिरावट रोकने हेतु खुदरा और स्थायी संपदा क्षेत्र के दबावग्रस्त खातों को स्वयं होकर कॉल करने के लिए बैंक ने जीई कैपिटल के साथ गठजोड़ किया है।

23. मंडल स्तर पर स्थापित आस्ति अनुसरण केंद्र एसएमई और कृषि क्षेत्रों के संभावित एनपीए खातों (दबावग्रस्त आस्ति-प्रबंधन आस्तियों) का पता लगाकर उन पर नजर रखते हैं और वसूली के लिए ग्राहकों को फोन करते हैं।

राजकोषीय परिचालन

देशीय

बाजार की दशाएँ अपेक्षाकृत प्रतिकूल होने के बावजूद आपके बैंक के राजकोष ने इस वर्ष पुनः सराहनीय निष्पादन किया है। वित्त वर्ष 2016 में ब्याज आय वर्षानुवर्ष 20.5% बढ़ीं। निवेशों के विक्रय से प्राप्त लाभ भी वर्षानुवर्ष 44.19% बढ़कर 4,900 करोड़ रुपये हो गया। विदेशी मुद्रा क्षेत्र में बैंक ने अपनी प्रमुख स्थिति बनाए रखी। विदेशी मुद्रा व्यवसाय तथा व्युत्पन्नों से प्राप्त लाभ वित्त वर्ष 2016 में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 19.5% बढ़ा।

प्रदर्श 36: 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों से आय (%)

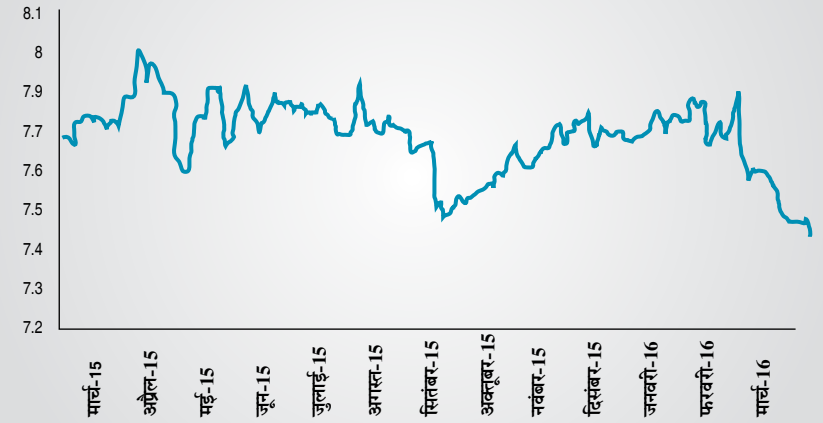

प्रदर्श 37: एनएसई निफ्टी 50

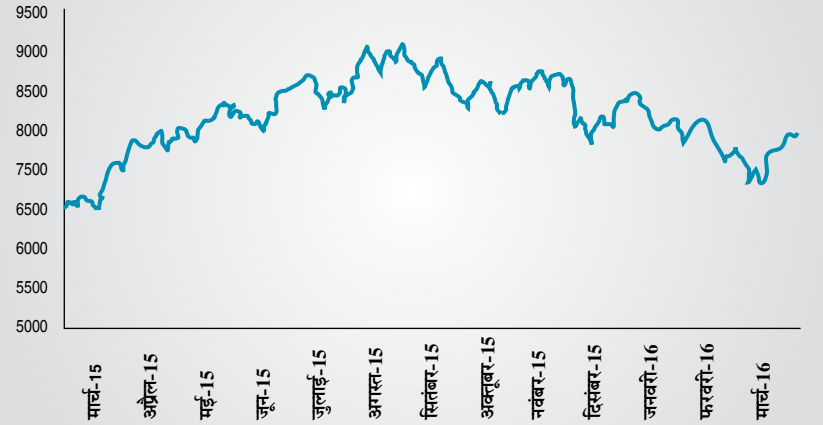

आपके बैंक का वैश्विक बाजार समूह बैंक में सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। चलनिधि प्रबंधन की जिम्मेदारी भी इसकी ही है, जिसमें प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखना और चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए उच्च गुणवत्ता की चल आस्तियाँ बनाए रखना शामिल है। बांड संविभाग में पिछले वर्ष आय के उतार से जो अनुकूलता उपलब्ध हुई थी, वह इस वर्ष उपलब्ध नहीं थी। बेंचमार्क मानी जाने वाली 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार 28 फरवरी 2016 तक भी 7.78% पर हो रहा था, जबकि 31 मार्च 2015 में यह दर 7.76% थी। मार्च 2016 में ही यह कम होकर 7.46% पर आई। इस तरह वित्त वर्ष 2016 में इसमें केवल 30 आधार बिंदुओं की कमी हुई जबकि वित्त वर्ष 2015 में यह 100 से भी ज्यादा आधार बिंदु कम हुई थी। फिर भी आपके बैंक ने अस्थायी गिरावटों का लाभ ब्याज दर संविभाग में उठाते हुए वित्त वर्ष 2015 की तुलना में 49.27% की वृद्धि दर्ज की।

संविभाग से प्राप्त आय को बढ़ाने और कारपोरेट बांड तथा वाणिज्यिक पत्र बाजार में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए बैंक ने वित्त वर्ष 2016 के दौरान चुनिंदा पत्रों में समय पर निवेश किया। चलनिधि प्रबंधन में हमने आरक्षित नकदी निधि अनुपात का पहले से अधिक दक्षतापूर्वक प्रबंधन कर उद्योग-औसत की तुलना में लागत में बचत की।

ईक्विटी संविभाग में इस वर्ष काफी प्रतिकूलता रही, क्योंकि बेंचमार्क निफ्टी सूचकांक मार्च में तेजी से सुधार के बावजूद वित्त वर्ष 2016 में 8.86% गिर गया। इतने पर भी आपका बैंक सही समय पर प्रवेश-निर्गम कर पूरे वर्ष बेंचमार्क को पीछे छोड़ता रहा और वित्त वर्ष 2016 में वर्षानुवर्ष आधार पर लाभ में 4.59% की वृद्धि दर्ज की। इसके अतिरिक्त, पारदर्शिता बढ़ाने और जोखिम प्रबंधन को उन्नत बनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ईक्विटी बाजार सौदों को ऑनलाइन ट्रेड राउटिंग सिस्टम से करना प्रारंभ कर दिया है, जिससे आदेशों की

निगरानी और निष्पादन ऑनलाइन हो जाता है। इस प्रणाली से हमारे आदेश दलालों के न्यूनतम हस्तक्षेप के बिना पूरे हो सकते हैं, जिससे जोखिम कम करने में मदद मिलती है। ज्यादातर सौदे/लेनदेन ऑनलाइन प्रणाली पर माइग्रेट कर दिए गए हैं।

वैश्विक बाजार समूह ग्राहकों को मुद्रा प्रवाह और बचाव जोखिमों का प्रबंधन ऑप्शन्स, अदला-बदली और वायदा के माध्यम से करने के लिए विदेशी मुद्रा सुविधाएँ भी उपलब्ध कराता है। बैंक के एफसीएनआर (बी) जमा मूलनिधि का प्रबंध भी यह समूह करता है और ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में लदान पूर्व ऋण/पुनर्बट्टाकृत निर्यात बिल के लिए विदेशी मुद्रा में एफसीएनआर (बी) ऋण एवं निर्यात वित्त उपलब्ध कराता है। विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव्स आपके बैंक को अच्छा लाभ प्रदान करने वाले व्यवसाय बने रहे। देश के कुल व्यापार में गिरावट के बावजूद इनसे प्राप्त लाभ में 19.5% की वृद्धि हुई।

प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्राहकों को अधिक सुविधा प्रदान करने के प्रयासों को जारी रखते हुए आपके बैंक ने 18 जून 2015 को ऑनलाइन विदेशी मुद्रा दर बुकिंग प्लेटफॉर्म "एस बी आई फॉरेक्स" प्रारंभ किया। इस प्लेटफॉर्म पर ग्राहक अमेरिकी डॉलर, यूरो और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में विदेशी मुद्रा की दरें बुक कर इसकी अंतर्निहित सीमा निगरानी (इनबिल्ट लिमिट मॉनिटरिंग) व्यवस्था से एक्सपोज़र से बचाव कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर नकदी, हाजिर और वायदा दरें बुक करने के अलावा ग्राहक बैंक में अपनी प्रतिरक्षा की समग्र स्थिति भी देख सकते हैं।

जैसाकि पिछले वर्ष बताया गया था, बैंक ने अपनी सभी शाखाओं में 'एफ एक्स-आउट' लगाने का कार्य पूरा कर दिया है। इससे अब कोई भी शाखा विदेशी मुद्रा धनप्रेषण का कार्य कर सकती हैं। उन्हें इसके लिए विदेशी मुद्रा कारोबार के लिए अधिकृत शाखाओं को माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं रही है। इसे और अधिक सुविधाजनक बनाते हुए अमेरिकी डॉलर, यूरो और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में विदेशी मुद्रा बाहरी धनप्रेषण के लिए "रेम-एक्स-आउट" नाम से इंटरनेट आधारित सुविधा www.onlinesbi.com के माध्यम से प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, बैंक के विदेशी मुद्रा के विशाल परिचालनों को सरल और कारगर बनाने के लिए वैश्विक बाजार इकाई, कोलकाता में एक समन्वित वैश्विक बैक-ऑफिस प्रारंभ किया गया है।

हमारी क्षेत्रीय राजकोष विपणन इकाइयाँ ग्राहकों से निरंतर विचार-विमर्श कर हमारे स्थायी आय एवं विदेशी मुद्रा व्यापारियों को आवश्यक विपणन सहयोग प्रदान करती हैं। उन्हें समष्टि आर्थिक एवं बाजार अनुसंधान में लगी हमारी आंतरिक टीमों से भरपूर सहयोग मिलता है। वे ग्राहकों को बाजार की हलचल से अवगत कराते हैं और उन्हें मिले-जुले उत्पादों का चयन करने में सहायता करते हैं, ताकि हर ग्राहक की निर्दिष्ट आवश्यकताएँ पूरी हो सकें। इस वर्ष बैंक ने अंतर बैंक बाजार टीम बनाकर अनेक एफपीआई ग्राहकों से लेनदेन प्रारंभ किया, ताकि हमारे विशाल ऋण संविभाग और विदेशी मुद्रा बाजार में हमारी सुदृढ़ स्थिति का लाभ मिल सके। राजकोषीय विपणन के अपने प्रयासों में बैंक ने सूचना-प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग करने के लिए भी कदम उठाए। इस हेतु एक स्वचालित लीड रिपोर्टिंग एवं मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग प्रारंभ किया गया।

निजी ईक्विटी/जोखिम पूंजी निधि क्षेत्र में 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निजी ईक्विटी निधि के प्रबंधन के लिए वर्ष 2008 में मैक्वेरी और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के साथ स्थापित संयुक्त उद्यम ने अपने कुल पूंजी वचनबद्धताओं का लगभग 96% निवेश कर दिया है। यह निवेश अवसंरचनात्मक आस्तियों में किया गया है, जैसे दूरसंचार टॉवर, विमानपत्तन, ताप विद्युत, पनबिजली और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़कें आदि।

वर्ष 2010 में स्टेट जनरल रिज़र्व फंड ऑफ ओमान की भागीदारी से स्थापित ओमान भारत संयुक्त निवेश निधि (ओआईजेआईएफ) ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की निधि-1 का निवेश पूरा कर दिया है। इसके अतिरिक्त इस निधि ने निवेश की गई कंपनियों में एक पूर्ण एग्जिट और एक आंशिक एग्जिट किया है। निधि-1 की सफलता के आधार पर दोनों भागीदारों (भारतीय स्टेट बैंक तथा एसजी

आरएफ) ने 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मूलनिधि से निधि-2 प्रारंभ करने का निर्णय किया है। अब तक प्रायोजकों ने निधि-2 में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वचन दिया है और शेष राशि उगाहने की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ निधि-2 शीघ्र ही शुरू किए जाने की संभावना है।

वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने सिडबी-एन एस सी आइ एल (एनएसई की अनुषंगी) द्वारा प्रवर्तित व्यापारिक प्राप्य राशि ई-डिस्काउंटिंग प्रणाली (टीआरईडीएस) में निवेश करने का वचन दिया है। यह प्लेटफॉर्म इस बात को लक्ष्य में रखकर बनाया गया है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को परिपक्वता के पूर्व अपनी प्राप्य राशियों को नकदी में बदलने की सुविधा मिल सके। इस प्लेटफॉर्म पर अनेक वित्तपोषक बाजार द्वारा निर्धारित दरों पर बीजकों की फैक्टरिंग के लिए बोली लगा सकेंगे। प्लेटफॉर्म के कार्यरत होने पर बैंक को अपने ग्राहकों और साथ ही अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों के बिलों के वित्तपोषण के लिए बोली लगाने का अवसर मिल सकेगा।

संविभाग प्रबंधन सेवाओं से भारतीय स्टेट बैंक की प्रबंधन अधीन आस्तियाँ वर्षानुवर्ष 1.69% बढ़कर 3,22,732 करोड़ रुपये हो गईं। एसबीआईपीएमएस को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कोल माइन्स भविष्य निधि संगठन के निधि प्रबंधकों के रूप में पुनः नियुक्त किया गया और सबसे अधिक 35% अंश प्रबंधन के लिए सुपुर्द किया गया।

लाभ कमाने, प्रक्रियाओं को उन्नत बनाने और ग्राहकों तक पहुँचने के निरंतर प्रयासों के अतिरिक्त आपके बैंक ने उन्नत जोखिम प्रबंधन प्रणाली का उपयोग भी प्रारंभ किया है। बैंक के आंतरिक लेखा-परीक्षकों ने इन विशेषताओं की सराहना करते हुए हाल ही में संपन्न लेखा-परीक्षा में वैश्विक बाजार समूह को सर्वोच्च अंक प्रदान किए।

अंतरराष्ट्रीय

वित्त वर्ष 2016 के दौरान समूहित उधार, द्विपक्षीय ऋण और राष्ट्रोपरि इकाइयों से ऋण की व्यवस्था की गई। वर्ष के दौरान परिपक्व लगभग 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एम टी एन बांड के प्रतिस्थापन के लिए विदेश स्थित कार्यालयों के चलनिधि के कुछ स्रोत इस प्रकार हैं:

- बहुपक्षीय एजेंसियों से दीर्घावधि बहुपक्षीय ऋण
- प्रतिनिधि बैंकों से मध्यम अवधि के बहुपक्षीय ऋण
- मध्यम एवं दीर्घ अवधि के समूहित ऋण
- पुनर्क्रय व्यवस्था
- बैंकरों की स्वीकृति के आधार पर व्यवसाय

वित्त वर्ष 2016 में अंतरराष्ट्रीय राजकोषीय निवेश संविभाग 5,551 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा और इन निवेशों से 192 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्याज आय प्राप्त हुई। इसी अवधि में बैंक ने 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विनिवेश आय भी प्राप्त की।

लिमा में 'वार्षिक विश्व बैंक समूह-आईएमएफ बैठक-2015 में सहभाग करने वाले गणमान्य व्यक्तियों के साथ चर्चा करती हुई अध्यक्ष महोदया, श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य

4. सहायक एवं नियंत्रण परिचालन

1. मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण

1.1 मानव अत्यंत मूल्यवान संसाधन

आपका बैंक यह मानता है कि मानव संसाधन प्रबंधन संगठन की प्रभावशीलता का महत्वपूर्ण अंग है। तदनुसार हमारा बैंक कार्यनीतिक व्यवसाय भागीदार के तौर पर मानव संसाधन विभाग की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास कर रहा है। इसके लिए बैंक अपने विश्वसनीय एवं समर्पित कर्मचारियों का पालन-पोषण कर रहा है, जिन्होंने वर्ष-दर-वर्ष बैंक के लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण और दूरगामी योगदान दिया है।

इसके लिए बैंक ने व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। बड़ी संख्या में युवा एवं योग्य उम्मीदवारों की भर्ती, विभिन्न समूह/हित के कर्मचारियों की कार्यपरक स्थितियों/सेवा शर्तों में सुधार, प्रशिक्षण, कार्यशाला, संगोष्ठी, वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उनकी कुशलता बढ़ाना, अपने निष्पादन को मापने हेतु वैज्ञानिक एवं वस्तुपरक दृष्टिकोण उपलब्ध कराकर कॅरियर के विकास में कर्मचारियों की सहायता करना, उत्कृष्ट निष्पादन देने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना, महत्वपूर्ण पदों की कुशलता/क्षमता निर्माण के लिए व्यवस्थित संरचना उपलब्ध कराना, कुशल कर्मचारियों को अपने साथ बनाए रखने के लिए विभिन्न उपाय करना आदि इनमें शामिल हैं। अत्यंत संतोषप्रद कार्य माहौल बनाने में इन सभी उपायों का योगदान रहा है, जहां कर्मचारी अपने कार्य के संबंध में प्रसन्नता, संबद्धता और उत्साह का अनुभव कर सकें तथा बैंक के व्यावसायिक हितों और ख्याति को बढ़ाने में सकारात्मक कार्य कर सकें।

प्रदर्श 38: भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों की संख्या

श्रेणी	2013-14	2014-15	2015-16
अधिकारी	80531	78540	80818
सहायक	101648	94455	88606
अधीनस्थ अन्य	24799	23404	21477
सुरक्षा	15831	16839	16838
कुल	**222809**	**213238**	**207739**

कर्मचारी जुड़ाव के मामले में हमारा प्रबंधन सक्रिय रहा, जो कि संवृद्धि के साथ लाभ बनाए रखने के वास्ते बैंक के लिए जरूरी है। वित्त वर्ष 2016 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण पहल की गईं, जिनका विवरण इस प्रकार है।

कॅरियर डेवलपमेंट सिस्टम (सीडीएस)

वित्त वर्ष 2016 के दौरान बैंक ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से कर्मचारियों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिए (जिसे कॅरियर डेवलपमेंट सिस्टम नाम दिया गया है) एक नई प्रणाली शुरू की है। यह संपूर्ण प्रणाली सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है। बैंक के सभी कर्मचारियों को प्रमुख परिणाम क्षेत्र (केआरए) आबंटित किए गए हैं और लगभग 90 प्रतिशत पदों को बजट आधारित और मूल्यांकन योग्य बनाया गया है। प्रणाली द्वारा केआरए के लिए अपेक्षित व्यवसाय आंकड़ें प्राप्त किए जाते हैं और अंकों की गणना की जाती है। सभी कर्मचारियों का आकलन उनके निष्पादन के आधार पर किया जाता है। इन अंकों से पदोन्नति एवं अन्य पुरस्कार एवं मान्यता के लिए मदद मिलती है।

सक्षमता निर्धारण के जरिए प्रत्येक कर्मचारी की विकासात्मक जरूरतों का पता लगाने का भी प्रावधान प्रणाली में है।

श्रमशक्ति आयोजना एवं भर्ती

शाखाओं में स्टाफ की जरूरत का आकलन करने के लिए वैज्ञानिक मॉडल विकसित किया गया है, जिससे कि कई प्रकार की शाखाओं को ज्यादा से ज्यादा स्टाफ उपलब्ध कराया जा सके। मानव संसाधन श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए अल्पावधि ठेके पर 23 शीर्ष बिजनेस स्कूलों के 160 युवा स्नातकों की नियुक्ति मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में की गई। ये अधिकारी विशेषीकृत क्षेत्र में कुशलताएं बढ़ाने में बैंक के वर्तमान प्रयासों की सहायता करेंगे। बैंक लैटरल आधार पर संपदा प्रबंधन विशेषज्ञ, जोखिम प्रबंधन एवं अनुपालन विशेषज्ञ, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे कतिपय विशेष पद पर भर्ती भी कर रहा है, जिससे कि आंतरिक ज्ञान बढ़ें।

कर्मचारी जुड़ाव

- **देखभाल अवकाश:** कर्मचारियों की जरूरतों पर पूरा ध्यान देते हुए बैंक के महिला एवं एकल पुरुष कर्मचारियों, उनके बच्चों तथा/अथवा बुजुर्ग माता-पिता सहित, को संवर्धित सुविधाओं के साथ देखभाल अवकाश का प्रावधान किया गया है।
- **वेकेशन पॉलिसी:** संवेदनशील पदों पर नियुक्त बैंक के अधिकारियों एवं अवार्ड स्टाफ सदस्यों को प्रत्येक वित्त वर्ष में एक बार एकसाथ दस कार्यदिवसों का अवकाश लेने की अनिवार्य शर्त के साथ वेकेशन पॉलिसी शुरू की गई है। अन्य बातों के साथ-साथ यह अवकाश लेने से कार्य कुशलता/उत्पादकता बढ़ेगी एवं जोखिम कम होगी।
- **फ्लेक्सी टाइम योजना:** बैंक ने छोटे पैमाने पर फ्लेक्सी टाइमिंग/फ्लेक्सी ऑवर योजना शुरू की है, जहां कर्मचारी अपने परिवार एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखने के आधार पर प्रबंधन द्वारा तय सीमाओं के भीतर अपने कार्य के घंटें चुनने के लिए स्वतंत्र होगा। यह सुविधा कर्मचारी अनुकूल माहौल सृजित करने और स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन सृजित करने के उद्देश्य से कल्याण उपाय के रूप में शुरू की गई है।
- **महिला कर्मचारियों के लिए चुमेरी आवास:** ग्रामीण/अर्ध-शहरी/शहरी क्षेत्रों में पदस्थ श्रेणी 5 तक की महिला अधिकारियों को चुमेरी आवास की सुविधा प्रदान की गई है। यह सुविधा उन्हें झंझटमुक्त वातावरण में अनिवार्य एसाइनमेंट पूरा करने के लिए दी गई है।
- **सतर्कता पुरस्कार :** सतर्कता पुरस्कार योजना के क्षेत्र को मान्यता एवं पुरस्कार तक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत उन कर्मचारियों को 5000 रुपए से 200000 रुपए तक का नकद पुरस्कार दिया जाता है, जो धोखाधड़ी को रोकने/पहचानने/नाकाम करने तथवा नियर मिस ईवेंट्स जिनमें संभावित भयंकर नुकसान सहित परिचालनात्मक जोखिम होती है, में सतर्कता दिखाते हैं।
- **सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए समूह चिकित्सा बीमा:** सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए दो अलग समूह चिकित्सा बीमा योजनाएं शुरू की गईं हैं। पॉलसी ए के अंतर्गत वर्तमान एसबीआई आरईएमबीएस सदस्यों को शामिल किया जाएगा, जहां बीमारियों एवं उपचार की पद्धति को विस्तृत किया गया है और जहां प्रीमियम का भुगतान बैंक द्वारा किया जाएगा। पॉलसी बी के अंतर्गत भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों एवं एसबीआई आरईएमबीएम के गैर-सदस्यों को शामिल किया जाएगा, जहां 3 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक की 8 बीमा योजनाएं हैं और जहां प्रीमियम का भुगतान सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

कर्मचारी उत्पादकता में सुधार

पिछले 4 से 5 वर्षों में अगली पीढ़ी के अत्यंत योग्यताप्राप्त कर्मचारियों की भर्ती किए जाने के कारण, शाखाओं में ग्राहक संपर्क और सेवाओं के प्रति स्टाफ के दूरगामी दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। इससे बैंक के व्यवसाय और लाभप्रदता में वृद्धि हुई है। प्रति कर्मचारी व्यवसाय में 14.34 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि हुई, जिससे यह 31 मार्च 2015 के 1,234 लाख रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2016 में 1,411 लाख रुपए रहा। इसके अलावा, कार्य संतुष्टि एवं कार्य के प्रति गौरव को बढ़ाकर कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने एवं उनके जुड़ाव को मजबूत करने की दृष्टि से लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों को सहयोगी (ग्राहक सहायता एवं विक्रय) का नाम दिया गया है, जिनकी संख्या बैंक के कुल कार्यबल में लगभग 43 प्रतिशत है।

द्विपक्षीय समझौता एवं वेतन समझौता

25 मई 2015 को भारतीय बैंक संघ ने प्रतिनिधि संघों, कामगार एवं अधिकारी संघों के साथ उद्योग स्तरीय द्विपक्षीय समझौता/संयुक्त नोट (1 नवंबर 2012 से प्रभावी) पर हस्ताक्षर किए, जिस कारण महाप्रबंधक स्तर तक के कर्मचारियों के वेतन में 15 प्रतिशत वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। इस समझौते के अंतर्गत दूसरे एवं चौथे शनिवार को अवकाश घोषित किया गया और अन्य सभी शनिवारों को पूर्ण कार्य दिवस घोषित किया गया, जिससे पारिवारिक जिम्मेदारी वाले कर्मचारियों को अपेक्षित राहत मिलेगी।

रोजगार में प्रतिनिधित्व

भारत सरकार के निदेशों के अनुसार बैंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराता है। आरक्षण नीति से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

के कर्मचारियों की शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए कॉरपोरेट केंद्र, मुंबई के साथ-साथ बैंक के सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों में संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

प्रदर्श 39: बैंक में अनुसूचित जाति/जनजाति/अशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

श्रेणी	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अशक्त व्यक्ति
अधिकारी	80,818	13,681 (16.93%)	5,996 (07.42%)	912 (01.13%)
सहायक	88,606	14,018 (15.82%)	7,898 (08.91%)	1,772 (02.00%)
अधीनस्थ	38,315	9,905 (25.85%)	2,648 (06.91%)	198 (00.52%)
कुल	**2,07,739**	**37,604 (18.10%)**	**16,452 (07.96%)**	**2,882 (01.39%)**

कुल कर्मचारियों में महिला कर्मचारी :

31 मार्च 2016 को बैंक के कुल कर्मचारियों में महिला कर्मचारियों की संख्या 44,585 (12884 अधिकारी, 28944 लिपिक, 2757 अधीनस्थ) रही है, जो कुल 2,07,739 कर्मचारी की संख्या का 21.46 प्रतिशत है।

प्रदर्श 40: पिछले तीन वर्षों में महिला कर्मचारी

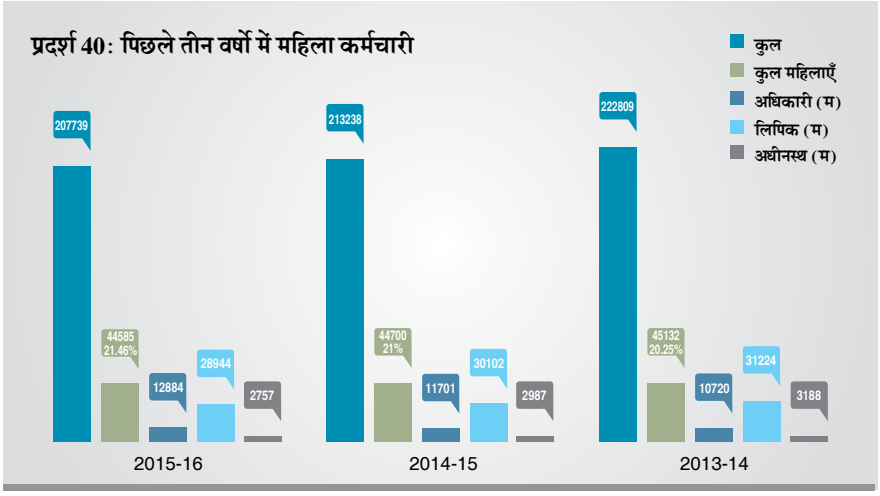

यौन उत्पीड़न:

बैंक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को बिलकुल बरदाश्त नहीं करता और महिलाएं अपना कार्य आत्म-सम्मान और निडर भाव से कर सकें इसके लिए कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों को रोकने और उनका निवारण करने के लिए बैंक ने समुचित व्यवस्था लागू की है।

वित्त वर्ष 2016 के दौरान, महिलाओं के यौन उत्पीड़न की 27 शिकायतें दर्ज हुई, उनमें से 23 मामलों का निपटान उसी समय किया गया।

औद्योगिक संबंध

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की शिकायतों को समझने एवं उनका समाधान करने के लिए सकारात्मक बातचीत सुनिश्चित करने हेतु बैंक ने संघों के साथ नियमित परामर्शक बैठकें आयोजित की। ये बातचीत कारपोरेट केंद्र एवं मंडलों दोनों जगह पर की गईं। संघों द्वारा उठाए गए कई मामलों की जाँच उनके गुणों के आधार पर की गई और उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई।

1.2 कार्यनीतिक प्रशिक्षण इकाई

संगठन को कार्य का उत्कृष्ट स्थान बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बैंक वैयक्तिक विकास एवं संगठनात्मक प्रभावकारिता के लिए सुनियोजित एवं सक्रिय प्रशिक्षण प्रक्रिया को जारी रख रहा है। साथ ही विश्व के सभी भागों के देशों से तकनीक, प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षण पद्धतियों का आयात किया जा रहा है, जिससे ज्ञान देने/ज्ञान प्राप्त करने का कार्य जारी रहे, ताकि गुणवत्ता बढ़े और कर्मचारी ज्ञानवान बनकर इसका लाभ ग्राहक संतोष सृजित करने में व्यतीत कर सकें। हमारी प्रशिक्षण प्रणाली एसटीयू के समग्र पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में कार्य करती है तथा हमारे प्रशिक्षण तंत्र में 5 शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान और 45 स्टेट बैंक ज्ञानार्जन केंद्र हैं। हमारा बैंक अपने संगठन के अंदर ही एक वेर्चुअल नॉलेज यूनिवर्सिटी का सृजन कर पाया है, जहाँ एक दिन में बैंकिंग, अर्थव्यवस्था, नेतृत्व, नैतिकता, विपणन, प्रशासन एवं सॉफ्ट स्किल जैसे सभी क्षेत्रों का प्रशिक्षण 3350 कर्मचारियों को दिया जा सकता है।

ज्ञानार्जन गतिविधियों को संचालित करने वाले सिद्धांत

- सेवा में प्रवेश के समय से लेकर सेवानिवृत्ति के समय तक ज्ञानार्जन की सतत प्रक्रिया।
- संगठन में स्व-ज्ञानार्जन की संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाए, जो किफायती हो और दीर्घावधि में सुविधाजनक हो।
- प्रभावकारी ई-लर्निंग के लिए सुदृढ़ ई-लर्निंग प्लैटफार्म पूरी तरह से कार्य कर रहा है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यवसाय इकाइयों की वर्तमान कारपोरेट प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाया गया है।
- हमारी प्रशिक्षण सामग्री में लगातार कोटि उन्नयन कर उसे और ज्ञानर्जन को विश्व की उत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाया गया।
- आरोहण जो कि हमारा सामूहिक जागरूकता कार्यक्रम है, के दौरान सृजित ऊर्जा एवं उत्साह का उपयोग करने के लिए आरोहण कंटिन्नम कैप्सूल तैयार किया गया है और संकाय सदस्य शाखाओं में स्वयं जाकर इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं।

डिजिटल ज्ञानार्जन

ई-लर्निंग: अपने कर्मचारियों के बीच स्व-ज्ञानार्जन की संस्कृति विकासित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने सुदृढ ई-लर्निंग प्लेटफार्म ज्ञानोदय विकसित किया है। ई-लाईब्रेरी के अंतर्गत पोर्टल केस स्टडीस, शोध परियोनाएँ एवं ई-प्रकाशन के अलावा 50-60 मिनट अवधि के 600 ई-लेसन, 412 ई-कैप्सूल (अल्पावधि के ई-लेसन) एवं 601 मोबाइल नगेट उपलब्ध हैं। वित्त वर्ष 2016 के दौरान 90 लाख प्रयासों में कर्मचारियों द्वारा 28.48 लाख परीक्षा उर्त्तीण किए गए।

हार्वर्ड मैनेज मेंटर ऑनलाइन ज्ञानार्जन, निष्पादन सहायता एवं सहयोग प्लेटफॉर्म है, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय का है। 44 प्रबंधन विषयों के व्यवसाय विषय-वस्तु के लिए हमारे बैंक का गठजोड़ है और यह वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए अनिवार्य है, जिसके कारण भारतीय स्टेट बैंक एवं हार्वर्ड मैनेज मेंटर के बीच प्रमाणीकरण संभव होता है।

शाखाओं की मेंटरिंग :

अनवरत आधार पर ग्राहक सेवा में सुधार करने पर लगातार ध्यान सुनिश्चित करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक ने शाखाओं का परामर्शन शुरू किया है और यह परामर्शन के पारंपरिक अर्थ से भी बढ़कर है। बैंक की योजना के अंतर्गत बैंक के शीर्ष कार्यपालकों, उप महाप्रबंधक एवं उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए प्रत्येक को चार शाखाओं का परामर्शन का कार्य दिया गया है।

शाखा के परामर्शन के प्राथमिक उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- ग्राहक सेवा में निरंतर सुधार हासिल करने के लिए शाखाओं की सहायता करना।
- व्यवसाय संवृद्धि हासिल करने में शाखाओं की सहायता करना।
- अपनी संपूर्ण संभाव्यता को समझने में टीम की सहायता करना।

परामर्शन प्रक्रिया के दौरान, परामर्शदाता अपनी प्रशासनिक भूमिका से अलग होकर विकासात्मक परिप्रेक्ष्य से शाखाओं को देखता है। परामर्शदाता शाखा के ग्राहकों से भी बातचीत करता है और समाधान ढूंढ़ने में शाखा की टीम की सहायता करता है। इस समय 2869 शाखाओं के लिए 724 सक्रिय परामर्शदाता उपलब्ध हैं।

पर्याप्त ऋण कुशलताएँ विकसित करने और हर समय उन्हें अद्यतन रखने के लिए श्रेणी 1 से 5 के अधिकारियों के लिए ऋण पर प्रमाणीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह अग्रिमों के संपूर्ण ऋण चक्र को संभालने के लिए अपेक्षित वाणिज्यिक ऋण कुशलताओं पर ध्यान केंद्रित करता है।

बैंक प्रशिक्षण संसाधन, आधारिक संरचना एवं शैक्षिक गतिविधियों की दृष्टि से अपने स्टेट बैंक ज्ञानार्जन केंद्रों के लिए गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति के लिए लगातार कार्य कर रहा है। इस प्रयास में इस वर्ष बैंक को भारी सफलता मिली, जिसके कारण वित्त वर्ष 2015 के दौरान 23 स्टेट बैंक ज्ञानार्जन केंद्रों को आइएसओ 9001:2008 प्रमाणीकरण मिला। इसके साथ इस समय कुल 45 स्टेट बैंक ज्ञानार्जन केंद्रों में से यह प्रमाणीकरण प्राप्त स्टेट बैंक ज्ञानार्जन केंद्रों की कुल संख्या 27 हो गई है।

प्रशिक्षण पहल

सीमा को बढ़ाने एवं कैंपस से कारपोरेट के बीच की दूरी कम करने के लिए कार्यनीति तैयार करने हेतु नए भर्ती हुए सहायकों के लिए बाहरी फिनिशिंग स्कूलों/संस्थानों द्वारा सॉफ्ट स्किल्स पर 138 एक-दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इससे वास्तविक जगत की चुनौतियों एवं मांगों का सामना करने में उन्हें मदद मिली।

तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ बैंक के अधिकारियों को अपना भौतिक एवं वित्तीय स्वास्थ्य विकसित करने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि वे योगदान करने वाले नागरिक बन सकें। मजबूत सिद्धांतों एवं नैतिकता से युक्त प्रशिक्षण प्रणाली उनके कार्यक्रमों में मजबूत मूल्य को बढ़ावा देती है। बैंक द्वारा नए परिवीक्षा अधिकारियों (बैच 2015) के लिए 'एसबीआई स्टेपअप' नामक फेसबुक पृष्ठ शुरू किया गया है। इसका उपयोग कर्मचारी जुड़ाव एवं नए भर्ती हुए कर्मचारियों में समूह की भावना सृजित करने के लिए किया जा रहा है।

'एसबीआई बडी'- साथी नामक कार्यक्रम शुरू किया गया, जो आरंभिक दिनों की तकनीकी एवं प्रशासनिक गतिविधियों से संबंधित परिवीक्षा अधिकारियों की शंकाओं का समाधान करता है।

वर्ष के दौरान, कार्यनीतिक प्रशिक्षण इकाई की वेबसाइट को पूर्णरूपेण नया बनाया गया, जिससे कि

इंट्रानेट एवं इंटरनेट के जरिए सभी शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों एवं स्टेट बैंक ज्ञानार्जन केंद्रों को एक ही जगह ज्ञानार्जन से संबंधित सभी सामग्री उपलब्ध हो। ज्ञान संगम 2 के अवसर पर वित्त राज्य मंत्री माननीय श्री जयंत सिन्हा द्वारा इसका उद्घाटन स्टेट बैंक अकादमी, गुड़गांव में किया गया।

हमारे बैंक की प्रशिक्षण की उपस्थिति समावेशी एवं वैश्विक बनती जा रही है। बैंक ने सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंक अधिकारियों और अन्य सरकारी विभागों सहित अन्य बाहरी संगठनों के लिए अपनी प्रशिक्षण प्रणाली के द्वार खोल दिए हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कार्यनीतिक प्रशिक्षण इकाई ने बैंक की विदेश स्थित शाखाओं के स्टाफ सदस्यों के लिए समय प्रबंधन एवं तनाव प्रबंधन पर प्रशिक्षण सत्र लिए हैं।

राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका के तहत वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने साक्षर भारत/राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए भी योगदान दिया, जहां प्रत्येक स्टेट बैंक ज्ञानार्जन केंद्र ने विभिन्न महाविद्यालयों, विद्यालयों एवं सरकारी एजेंसियों में विभिन्न साक्षरता एवं वित्तीय समावेशन पर सत्र लिया।

1.3 दृष्टि एवं श्रवण बाधित कर्मचारियों को जोड़ना

वर्ष के दौरान विकलांग कर्मचारियों के लिए समावेशन केंद्र का गठन किया गया। विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय समावेशन, प्रशिक्षण, साधिकारिता प्रदान करना एवं उनकी कुशलताओं का कोटि उन्नयन करना इसका उद्देश्य है।

भारतीय स्टेट बैंक में शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों सहित दृष्टि बाधित 722 एवं श्रवण बाधित 276 कर्मचारी हैं। दृष्टि/श्रवण बाधित 73 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्ष के दौरान गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी के साथ प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रदर्श 41 : प्रशिक्षित दृष्टि बाधित/ श्रवण बाधित कर्मचारियों की संख्या

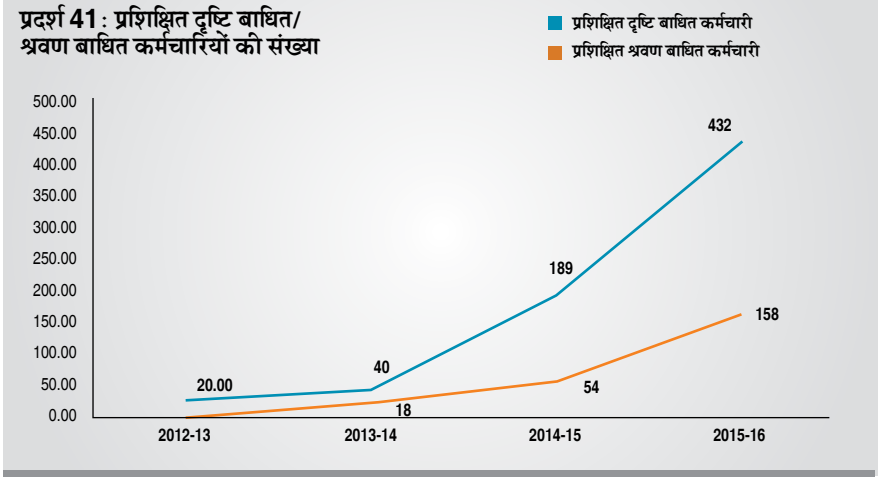

बैंक को हेलन केलर अवार्ड 2015 प्राप्त हुआ। यह अवार्ड राष्ट्रीय अशक्त व्यक्ति रोजगार प्रावधान केन्द्र द्वारा प्रदान किया गया

हेलन केलर अवार्ड 2015

दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण पहल के कारण आपके बैंक को 'हेलन केलर अवार्ड 2015' दिया गया। यह अवार्ड नेशनल सेंटर फॉर प्रोविजन ऑफ इम्प्लॉयमेंट विद डिसएबिलिटीज (एनसीपीईडीपी) द्वारा 'विकलांग लोगों को समान रोजगार देने में प्रतिबद्ध रोल मॉडल कंपनी/गैर-सरकारी संगठन/संस्थान' श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ रहने पर दिया गया।

2. सूचना प्रौद्योगिकी

भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को सुविधाएं देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग करने का प्रबल पक्षधर रहा है। बैंक किसी भी समय पर और कहीं से भी बैंकिंग लेनदेन सुगम बनाने के उद्देश्य से अपने ग्राहकों को नवोन्मेषी एवं बेहतर से बेहतर उत्पाद उपलब्ध करा रहा है। बैंक की प्रौद्योगिकी आधारित कार्यनीति सामाजिक सहयोग, मोबिलिटी की वर्तमान उपभोक्ता रुझान, क्लाउड़ बेस्ड प्लैटफॉर्म एवं व्यापक आंकड़ा विश्लेषण के अनुरूप है। ग्राहकों को सुविधा देने के मामले में परिचालनों का डिजिटाइजेशन एवं उत्कृष्टता बैंक की कार्यनीति का अहम हिस्सा रहा है। इसके परिणामस्वरूप लेनदेन कम समय में पूरा हो जाता है और बैंक के ग्राहकों को इसका लाभ मिला है।

बैंक का कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) परिवेश एक ऐसी संरचना पर आधारित है, जहां एक अरब खाते रखे जा सकते हैं, प्रतिदिन 250 मिलियन से भी अधिक लेनदेन किए जा सकते हैं और जहां प्रति सेकंड 17,000 से भी अधिक लेनदेन प्रविष्ट किए जा सकते हैं। शाखाओं में सभी कोर बैंकिंग समाधान के प्रयोक्ताओं के लिए द्वितीय प्रमाणीकरण के रूप में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को लागू किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न जोखिमों की आकलन, निर्धारण, मापन, निगरानी और न्यूनीकरण के लिए सुव्यवस्थित एवं परिपूर्ण प्रक्रिया आरंभ की गई है।

1. एटीएम

एटीएम में नई प्रगति

1. सक्रिय जोखिम प्रबंधन (पीआरएम): समय रहते जोखिम का आकलन करने का उपकरण धोखाधड़ी के मामलों पर नजर रखने के लिए एटीएम स्विचेस के साथ जोड़ा गया है।

2. रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव घटाना: रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव अर्थात् आवश्यकता होने पर बेस 24 स्विच के लिए डिसास्टर रिकवरी साइट से जुड़ने में लगने वाले समय को 180 मिनट से घटाकर 60 मिनट कर दिया गया है। इसके लिए स्क्रिप्टों का इस्तेमाल कर गतिविधियों एवं अर्ध - स्वचालन को समानांतर किया गया है।

3. बेस 24 एटीएम स्विच अपग्रेडेशन : समय-सीमा के भीतर सीपीयू एवं एचएसएम की खरीद एवं इंस्टालेशन के साथ एटीएम बेस 24 स्विच का अपग्रेडेशन किया गया। इससे बैंक को एटीएम की संख्या 90,000 तक बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इससे इलेक्ट्रा स्विच के साथ बेस 24 स्विच के एकीकरण का रास्ता प्रशस्त होगा।

4. चिप समर्थित ईएमवी कार्ड का उपयोग: 1 दिसंबर 2015 को सभी प्रकार के कार्डों के मामले में ईएमवी कार्ड के उपयोग का कार्य पूरा कर लिया गया। फरवरी 2016 में विनियामक परामर्श के विरुद्ध हमारा बैंक भारतीय बैंकिंग उद्योग में ऐसा करने वाला प्रथम बैंक है।

5. एटीएम के जरिए टेलिबैंकिंग पंजीकरण की सुविधा दी गई।

6. एटीएम के जरिए कार्ड से खाते में कैश ट्रांस्फर शुरू किया गया।

7. इंटरनेट बैंकिंग के जरिए एटीएम कार्डों का डी-हॉटलिस्टिंग शुरू किया गया।

8. ग्रीन व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन)-आईवीआर, इंटरनेट बैंकिंग जैसे विभिन्न चैनलों के जरिए तत्काल डेबिट कार्ड पिन जनरेट करने की आसान प्रक्रिया स्टेट बैंक डेबिट कार्डधारक के लिए शुरू की गई है।

परियोजना से कई लाभ हैं, जिनमें ये भी शामिल हैं:

- बैंक के लिए - मुद्रण एवं प्रेषण व्यय में लगभग 100 करोड़ रुपए की बचत।
- ग्राहक के लिए - सुविधाजनक, कम प्रतीक्षा समय विशेषकर अनिवासी भारतीय ग्राहकों के लिए।
- शाखाओं के लिए - पिन की अभिरक्षा करने की जरूरत नहीं (जोखिम में कमी/न्यूनीकरण)।
- ग्रीन बैंकिंग - कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कागजरहित बैंकिंग की शुरुआत।
- बचाई गई परिचालन मानव शक्ति का इस्तेमाल अन्य लाभदायक परिचालनात्मक विश्लेषण के लिए किया जा सकता है।
- तत्काल मनी ट्रांसफर कार्ड रहित आहरण-लाभार्थी ग्राहक, जिसके पास कार्ड नहीं है, संरक्षक से पिन प्राप्त करने के बाद एटीएम से नकदी का आहरण कर सकता है।
- क्विक कैश - अंतिम ग्राहक के लिए क्विक कैश की सुविधा प्रदान की गई। इस सुविधा से ग्राहक जब भी एटीएम जाने पर पूर्व निर्धारित राशि आहरित कर सकता है।
- निःशुल्क लेनदेन दर्शाना - अंतिम ग्राहक को एटीएम मशीन पर शेष निःशुल्क लेनदेनों की संख्या की सूचना दी जाएगी।

2. इंटरनेट बैंकिंग

कारपोरेट इंटरनेट बैंकिंग छोटे, मझौले और बड़े कॉरपोरेट के लिए बहुत उपयुक्त है। यह सरकारी कोष एवं लेखा विभागों के साथ तालमेल बनाने के साथ साथ संस्थागत कॉरपोरेट एवं सरकारी विभागों के लिए फीस/फंड्स ऑनलाइन कलेक्ट करने में भी बहुत सफल सिद्ध हुई है। यह सेवा विभिन्न एग्रीगेटरों के जरिये मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम, स्टेट बैंक कलेक्ट और मर्चेंट एक्वीजीशन एजेंसियों के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हो जा रही है। इंटरनेट आधारित सॉल्यूशन भी ई-टेंडरिंग, ई-ऑक्शन और सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/बड़े और मझौले कॉरपोरेट की जरूरतों, थोक भुगतान की आवश्यकता को भी पूरा करते हैं।

वित्त वर्ष 2016 के दौरान नेट बैंकिंग में शुरू की गई कुछ नई विशेषताएँ ये हैं-

- onlinesbi.com के जरिए टीडीआर/एसटीडीआर/ई-टीडीआर/ई एसटीडीआर पर ओवरड्राफ्ट।
- इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पीएमजेजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई का पंजीकरण (सरकारी पहलों को समर्थन देना)।

- इंटरनेट बैंकिंग के जरिए मोबाइल फोन कैप्चर करना/परिवर्तन करना।
- भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा पर प्रोफाइल पासवर्ड की रीसेटिंग करना (पहले यह केवल होम ब्रांच में किया जाता था)
- खुदरा इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल के जरिए टॉपअप/रीचार्ज करना।
- एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का नवीकरण।
- खुदरा इंटरनेट बैंकिंग के लिए स्मार्ट ओटीपी।
- इंटरनेट बैंकिंग के जरिए एटीएम कार्ड का एक्टिवेशन।
- onlinesbi.com (लघु अंतरण) पर एसबीआई क्विक अंतरण (लाभार्थी का नाम जोड़े बिना)।
- वाणिज्यिक इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन पंजीकरण।
- वाणिज्यिक इंटरनेट बैंकिंग सरल- डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र समर्थित ऑनलाइन भुगतान।
- थॉमस कुक आवर्ती जमा-हॉलिडे बचत खाते का सृजन।
- एसबीआई एक्सक्लूसिफः संपदा प्रबंधन-माइल्स पोर्टल की सुविधा एवं संपदा प्रबंधन ग्राहकों के लिए वीडियो सहायता।
- इंटरनेट बैंकिंग के जरिए डेबिट कार्ड जारी करना।
- डायमंड व प्लैटिनम प्रकार के सीएसपी खाताधारकों के लिए ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट का सृजन।
- पहला कदम पहली उड़ान-(इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अवयस्कों को ई-टीडीआर/ई-एसटीडीआर/ई-आरडी की अनुमति देना)।

3. टैब बैंकिंग

बचत बैंक खाता खोलना

बैंक ने ऑफलाइन मोड में टैब के उपयोग से खाता खोलने के लिए टैब बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं। स्टाफ टैब के उपयोग से फोटोग्राफ लेने, केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने सहित खाता खोलने से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी करेंगे। उसके बाद खाता खोलने के विवरण सीबीएस प्लेटफार्म में लोड किए जाएंगे और ग्राहक को खाता क्रमांक की सूचना दी जाएगी।

आवास एवं वाहन ऋण के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन

आवास एवं वाहन ऋण के सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए टैब ऐप। स्थानीय बिक्री टीम के सदस्य ग्राहक के स्थान का दौरा करते हैं, टैब में स्टाफ केवाईसी विवरण, आय, कटौती एवं प्रस्तावित संपत्ति के विवरण प्रविष्ट करते हैं। प्रस्तुत आँकड़ें और परियोजना लागत के आधार पर ग्राहक को ऋण और मासिक किस्त की अनुमानित राशि सूचित की जाती है।

डिजिटल निरीक्षण एप्लिकेशन (डीआईए)

सात उत्पादों के लिए ग्राहक के संस्वीकृति-पूर्व एवं संस्वीकृति पश्चात निरीक्षण रिकार्ड करने के लिए टैब ऐप शुरू किया गया हैं। डिजिटल निरीक्षण एप्लिकेशन का एकीकरण एलओएस, सीबीएस एवं एचआरएमएस के साथ किया जाता है, जहां ग्राहकों के आंकड़े पहले से होते हैं और फील्ड स्टाफ को उधारकर्ताओं के फोटो, संपार्श्विक, कारखाना, तिथि सहित स्टॉक, समय एवं जियो कोऑर्डिनेट्स कैप्चर करना होता है। निरीक्षण रिपोर्टें फील्ड स्टाफ को उनके ईएमएस मेल आईडी पर स्वतः भेजी जाती है। एप्लिकेशन में आगामी संस्वीकृति पश्चात निरीक्षण, स्टॉक एवं बीमा सुरक्षा समाप्ति की तारीख आदि के अनुस्मारक होते हैं।

डिजिटल निरीक्षण एप्लिकेशन-मोबाइल एवं डेस्कटॉप के लिए लाइट वर्जन

एसएमई के लिए मोबाइल फोन के डिजिटल निरीक्षण ऐप लाइट वर्जन शुरू किया गया है। मोबाइल ऐप का प्रयोग कर फील्ड अधिकारी तिथि, समय एवं जियो कोआर्डिनेट के साथ फोटोग्राफ कैप्चर कर सकते हैं तथा उसके बाद डेस्कटॉप साइट में निरीक्षण के लिए डाटा एंट्री कर सकते हैं। टैब में उपलब्ध सभी विशेषताएं डेस्कटॉप साइट के लिए भी उपलब्ध होंगीं।

4. विदेश स्थित कार्यालय (आईटीएफओ)

- फिनैकल कोर माइग्रेशन परियोजनाः वित्त वर्ष 2016 के दौरान सभी 26 देश फिनैकल वर्जन 7.6.1 से नवीनतम एवं शक्तिशाली वर्जन 10.2.13 में सफलतापूर्वक परिवर्तित हुए।
- विदेश स्थित कार्यालयों के लिए ई-व्यापार : वित्त वर्ष 2016 के दौरान विदेश स्थित सभी कार्यालयों के लिए व्यापार वित्त के लिए अलग एवं समर्पित सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म सफलतापूर्वक शुरू किया गया।
- फिनएश्योरः विदेश स्थित कार्यालयों के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों की निगरानी करने के लिए फिनएश्योर नामक समर्पित सक्रिय निगरानी सेवा शुरू की गई है।

बैंक की अध्यक्ष महोदया श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य 'स्टेट बैंक नो क्यू' एक नए मोबाइल एप्प का शुभारंभ करते हुई

- एसबीआई, दक्षिण कोरिया: वित्त वर्ष 2016 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक की विदेश स्थित 194वीं शाखा शुरू की गई।
- ईओडी स्वचालन: 12 देशों में विदेश स्थित कार्यालयों के लिए ईओडी परिचालन हेतु स्वचालित समाधान शुरू किया गया।
- धनशोधन निवारक समाधान एमलॉक: विदेश स्थित सभी कार्यालयों के लिए सफलतापूर्वक शुरू किया गया।
- बिजनेस कंटिन्यूइटी प्लान (बीसीपी) आइएसओ 22301: बिजनेस कंटिन्यूइटी प्लान आईएसओ 22301 के लिए प्रमाणित।
- अनुपालन: स्थानीय एवं विदेशी विनियामकों द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानदंड बढ़ाने हेतु।

5. भुगतान प्रणाली समूह

प्री-पेड कार्ड्स: भारतीय स्टेट बैंक भारतीय रुपयों एवं विदेशी मुद्रा दोनों में प्री-पेड कार्ड्स जारी करता है। भारतीय रुपए में ईजी पे कार्ड, गिफ्ट कार्ड, स्मार्ट पे-आउट कार्ड, क्विक पे कार्ड, इंप्रेस्ट कार्ड, अचीवर कार्ड आदि कई प्रकार के प्री-पेड कार्ड वैयक्तिक और कारपोरेट ग्राहकों को जारी किए जाते हैं। स्टेट बैंक विदेश यात्रा कार्ड आठ विदेशी मुद्राओं में उपलब्ध हैं। इन मुद्राओं के नाम हैं-जापानी येन, कनाड़ाई डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, सऊदी रियाल, सिंगापुर डॉलर, यूएस डॉलर, यूरो और ब्रिटिश पौंड। यह कार्ड विदेश यात्रा करने वालों को निरापदता, सुरक्षा और सुविधा प्रदान करते हैं। वित्त वर्ष 2016 के दौरान हमने 27,220 विदेश यात्रा कार्ड और लगभग 2,01,900 भारतीय रुपया प्री-पेड कार्ड जारी किए।

निधि अंतरण एवं निपटान: बैंक अपनी शाखाओं में तथा इंटरनेट बैंकिंग के जरिए योग्य लेनदेनों के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) एवं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) निधि अंतरण सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा एनईएफटी सेवा बैंक की मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के जरिए प्रदान की जाती है। एनईएफटी एवं आरटीजीएस आज भी धनप्रेषण की बहुत ही किफायती एवं समय कुशल पद्धति है। एनईएफटी के जरिए किए जाने वाले बाहरी निधि अंतरण की मात्रा में वित्त वर्ष 2015 के 8.17 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2016 में 31 मार्च 2016 तक 50.84 प्रतिशत वृद्धि हुई। राजकोषीय वर्ष 2015 एवं 2016 में क्रमशः 187.4 मिलियन एवं 282.7 मिलियन एनईएफटी निधि अंतरण हुए। 31 जनवरी 2016 तक 24.60 प्रतिशत बाजार हिस्से के साथ बैंक एनईएफटी में अग्रणी रहा (भारतीय रिज़र्व बैंक के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, फरवरी एवं मार्च के आँकड़े प्रकाशित किए जाने हैं) तथा 29 फरवरी 2016 तक आरटीजीएस में 10.54 प्रतिशत बाजार हिस्सा रहा (भारतीय रिज़र्व बैंक के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, मार्च के आंकड़ें प्रकाशित किए जाने हैं)। बैंक की मोबाइल बैंकिंग सेवा के जरिए एनईएफटी निधि अंतरण में भी हाल ही के वर्षों में भारी वृद्धि हुई है।

6. नेटवर्किंग

स्टेट बैंक कनेक्ट बैंक का सुरक्षित और सुदृढ़ प्रमुख कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म है और संपूर्ण प्रौद्योगिकी संरचना की रीढ़ है। स्टेट बैंक कनेक्ट की प्राथमिक पॉइंट टु पॉइंट लिंक को हाल ही में एमपीएलएस आर्किटेक्चर पर लाया गया है, ताकि बैंडविड्थ का उच्चतर अपटाइम और डायनैमिक उन्नयन सुरक्षित हो सके।

बेहतर ग्राहक सेवा के लिए अपने सभी कार्यालयों को सुविधाजनक बैंडविड्थ उपलब्ध कराने हेतु, बैंक ने थोक बैंडविड्थ परियोजना पर भरोसा किया है और अभी तक 10,235 शाखाओं के बैंडविड्थ का अद्यतन किया है एवं दिसंबर 2016 तक सभी शाखाओं को शामिल करने की संभावना है।

7. विकास चैनल

परियोजना सीबीएस रूपांतर: बैंक ने सीबीएस रूपांतर नामक परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य वर्तमान प्रक्रियाओं में सुधार के साथ-साथ टेलरों द्वारा लेनदेन करने हेतु अपेक्षित डाटा एंट्री एवं कदम कम करना है, जिससे उनकी कार्य-कुशलता बढ़े और समय एवं संसाधन दोनों की दृष्टि से खर्च कम हो सकें।

पासबुक व्याख्याओं का मानकीकरण: ग्राहकों की सुविधा के लिए पासबुक में मुद्रित व्याख्याओं का मानकीकरण किया गया है।

सीआईएफ का डी-डुप्लिकेशन: डुप्लिकेट सीआईएफ बनाने से रोकने के लिए नए सीआईएफ के सृजन के समय डुप्लिकेट सीआईएफ के लिए ऑनलाइन सर्च सुविधा शाखाओं को दी गई है।

एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ लिंकेज: निवेशक संबंधी ब्यौरे प्राप्त करने के लिए म्यूचुअल फंड सर्वर के साथ जोड़कर सीबीएस में म्यूचुअल फंड निवेशों की वसूली की सुविधा दी गई है।

उच्च मूल्य के चेकों की ग्राहक द्वारा पुष्टि: मेकर स्तर पर चेक प्रविष्टि स्क्रीन पर फोन/मोबाइल नंबर दर्शाने के लिए अतिरिक्त फील्ड सहित फेच बटन उपलब्ध कराया गया है, जिससे ग्राहक से संपर्क करने/उच्च मूल्य के चेकों का भुगतान करते समय पुष्टि प्राप्त करने के लिए टेलर द्वारा प्रणाली में उपलब्ध चेक के आहरणकर्ता के फोन नंबर देखे जा सकें।

धनी ग्राहकों के बारे में फ्लैगिंग : धनी ग्राहकों की पहचान करने के लिए सीआईएफ स्तर के विकास कार्य को पूरा किया गया है, जिससे सभी वेल्थ फ्लैग वाले खातों के लिए दूरस्थ आरएम केंद्र एवं वेल्थ क्लब से सीआईएफ स्तरीय परिवर्तन किए जा सके।

धोखाधड़ीकर्ताओं के खातों की फ्लैगिंग : धोखाधड़ीकर्ता के खाते को धोखाधड़ीकर्ता के खाते के रूप में फ्लैग किया जाएगा और जब कभी इन खातों तक पहुँचा जाता है, तो सावधान-संदिग्ध धोखाधड़ीकर्ता चेतावनी संदेश फ्लैश किया जाएगा।

8. कार्यकारी सहायता प्रणाली (एक्जीक्यूटिव स्पोर्ट सिस्टम)

सोशल मीडिया

युवा पीढ़ी के ग्राहकों से जुड़ने के कारण बाहरी सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने के बाद द फिनैंशियल ब्रैंड की पॉवर ऑफ 100 रैंक्स-बैंकस क्यू 1 2016 की सूची में हम विश्व स्तर पर सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले शीर्ष 100 बैंकों में से प्रथम स्थान पर है। हमने आक्रामक सोशल मीडिया कार्यनीति अपनाई है, जिससे न केवल भारतीय बाजार में बल्कि विश्वस्तर पर सोशल स्पेस पर हमारी उपस्थिति मजबूत हुई है। भारतीय स्टेट बैंक विश्व के बैंकों में से फेसबुक पर सबसे अधिक फैन-आधार वाला बैंक है। यह भारतीय बैंकों में लिंकेडिन एवं पिंटरेस्ट चार्ट पर सबसे आगे है।

9 जुलाई 2015 को इकनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक सोशल मीडिया पर ग्राहकों की शिकायतों एवं प्रश्नों का समाधान करने वाले सबसे सक्रिय बैंकों में से एक है। उस लेख में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक दिन शेयर किए जाने वाले पोस्टों की अत्यधिक संख्या के हिसाब से हम फेसबुक पर अत्यंत सक्रिय बैंक है।

भारतीय स्टेट बैंक का फेसबुक पेज जिसे 7 नवंबर 2013 को शुरू किया गया, आज 5 मिलियन से भी अधिक फॉलोअर के साथ सभी भारतीय बैंकों में अत्यंत लोकप्रिय पृष्ठ है। हमने अपने नवीनतम उत्पादों एवं सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाया है और हमने इस प्लेटफॉर्म पर प्राप्त असंख्यक टिप्पणियों का जवाब भी दिया है। हमारा बैंक भारत में फेसबुक पर महत्वपूर्ण घटनाओं का सीधा प्रसारण शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया है।

सदस्यता आधार की दृष्टि से हमारे बैंक का यू ट्यूब चैनल सभी भारतीय बैंकों में सबसे आगे है, 220 से भी अधिक वीडियो अपलोड किए गए हैं, जिन्हें 10 मिलियन से भी अधिक लोगों ने देखा है, जो कि डिजिटल उपयोगकर्ताओं की प्रशंसा का परिचायक है।

बैंक की ट्विटर एवं इंस्टाग्राम पर भी जबरदस्त उपस्थिति है।

एस्पिरेशंस

बैंक ने अपने कर्मचारियों के बीच बेहतर उत्पादकता, समाधान के साथ उन्हें प्रतीकात्मक कार्य संस्कृति प्रस्तुत करने के लिए एक आंतरिक सशक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एसबीआई एस्पिरेशंस भी शुरू किया है। बैंक का प्रयास रहता है कि उसके कर्मचारी अधिकाधिक नवोन्मेषी, उत्पादनशील एवं ज्ञानवान बनें।

सभी कर्मचारियों से सीधे बातचीत करने के लिए भी इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा (अध्यक्ष सहित) किया जाता है।

9. एनेलिटिक्स

खर्च कम करने के अलावा व्यवसाय एवं आय सृजित करने के लिए कार्यात्मक ज्ञान से ग्राहक को बेहतर रूप से समझने एवं उसकी सेवा करने के लिए आपका बैंक एनेलिटिक्स का व्यापक प्रयोग करता है। क्रॉससेल, अपसेल एवं ग्राहक को अपने साथ बनाए रखकर ग्राहक आय बढ़ाने के उद्देश्य से बाजार खंडीकरण (सेग्मेंटेशन) एवं एनेलिटिक्स के जरिए प्रमुख व्यवसाय निर्णय लेने के लिए ग्राहक एनेलिटिक्स का प्रयोग किया जाता है।

समेकित आँकड़ा कार्यनीति, प्रोसेसिंग एवं प्रबंधन (आईडीएसपीएम): हमारा डेटा वेयरहाउस अत्यंत आधुनिक है, जिसमें 200 टीबी से अधिक का डेटा है और 50 मिलियन लेनदेनों से प्रतिदिन 400 जीबी का डेटा इसमें जुड़ जाता है। आँकड़ों का उपयोग आपके बैंक में रिपोर्टों एवं विवरणियों की निगरानी करने के लिए किया जाता है और इंटरएक्टिव एवं विजुअल डैश बोर्ड सहित व्यवसाय प्रयोक्ताओं को ग्राफिकल एवं अंतर्दर्शी तरीके से दिया जाता है।

व्यवसाय आसूचना: भारतीय स्टेट बैंक में व्यवसाय आसूचना निर्णय लेने का केंद्र बिंदु है और यह जोखिम भारित पूंजी आस्ति अनुपात का इष्टतम उपयोग करने में मदद करता है। यह आँकड़ों का अंतिम मूल्य बढ़ाता हैं और आपके बैंक में यह प्रमुख रिर्पोटिंग एवं विश्लेषण का मुख्य स्रोत है। केंद्रीकृत प्रोजेक्ट गंगा बैंक की आँकड़ा क्लीनसिंग युटिलिटि है, जिससे रिपोर्ट की गई 97 प्रतिशत त्रुटियों को सुधारा जा सका, जिसके परिणामस्वरूप आँकड़ों की गुणवत्ता में भारी सुधार हुआ है।

सूचना प्रौद्योगिकी बजट एवं लागत नियंत्रण: आपके बैंक ने अपने सूचना प्रौद्योगिकी बजट के अधिकांश हिस्से का स्वचालन किया है और कुशल प्रबंधन एवं वित्तीय नियंत्रण हेतु संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करता है। कॉरपोरेट संस्कृति में आरओआई को और पक्का बनाने के लिए चार्ज बैक मॉडल की शुरुआत वर्टिकल द्वारा की गई है।

10. बैक ऑफिस स्वचालन

परियोजना सूचना प्रौद्योगिकी- आस्ति प्रबंधन समाधान: आपके बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी आस्ति प्रबंधन समाधान को लागू किया है, जो सही माल सूची, लाइसेंस जानकारी बनाए रखने, संगठन में प्रयुक्त हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेअर आस्तियों के अनुरक्षण एवं संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण व्यवसाय प्रक्रिया है।

डेटा सेंटर एवं डीआर सेंटर : व्यवसाय परिचालनों के समर्थन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की उपलब्धता प्रौद्योगिकी के उपयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बैंक ने मजबूत आपदा सुधार व्यवस्था तैयार की है, ताकि प्राथमिक सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना उपलब्ध न होने पर भी व्यवसाय परिचालन सुनिश्चित हो। प्रत्येक सूचना प्रौद्योगिकी एप्लिकेशन की अभिकल्पना इस तरह से की गई है कि उसके उत्पादन परिवेश के बराबर का वैकल्पिक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित संरचना व्यवस्था हो। प्राथमिक एवं वैकल्पिक साइटों के बीच मूवमेंट की प्रक्रियाओं की नियमित जांच की जाती है, जिससे सुलभता सुनिश्चित हो।

प्रोजेक्ट सिंगल साइन ऑन (एसएसओ): बैंक समयबद्ध तरीके से सिंगल साइन ऑन लागू करने के लिए एक्टिव डाईरेक्टरी सर्विसेस इन्फ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर एक्टिव डाइरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेस का इस्तेमाल कर रहा है। सिंगल साइन ऑन से प्रयोक्ता को कई प्रकार के एप्लिकेशन के लिए एक ही सेट के यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग करने की सुविधा मिलती है।

प्रोजेक्ट कमांड सेंटर: कमांड सेंटर ग्राहक से जुड़ने से लेकर, बैंकों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एप्लिकेशन की प्रोसेसिंग एवं लेनदेन पूरा होने पर ग्राहकों को पावती देने तक सभी लेनदेनों की निगरानी करने की क्षमता आपके बैंक को देता है। कमांड सेंटर वर्तमान उपयोग एवं भविष्य की जरूरतों के लिए 18 एलईडी डिस्प्ले पैनल युक्त अत्याधुनिक संरचना है।

11. कोर बैंकिंग स्वचालन

वैकल्पिक डिसास्टर रिकवरी साइट (हॉट साइट): कोर बैंकिंग एप्लिकेशन की अत्यावश्यकता को देखते हुए बैंक ने संपूर्ण प्रोसेसिंग परिवेश के साथ एवं 1 घंटे के कम समय में कोर बैंकिंग परिचालन फिर से शुरू करने के लिए कार्य स्थल के पास वैकल्पिक डिसास्टर रिकवरी साइट स्थापित की है।

डीबी लेयर रिफ्रेश एवं ऑल फ्लैश स्टोरेज : हमने प्राथमिक एवं डिसास्टर रिकवरी दोनों साइटों पर नवीनतम प्रोसेसर इंटेल चिप 9560 सुपरडोम के साथ कोर बैंकिंग एप्लिकेशन की डेटाबेस लेयर को रिफ्रेश किया है। हमने पुराने स्पिनिंग डिस्क की जगह ऑल-फ्लैश स्टोरेज को रखकर उत्पादन परिवेश को भी बदला है। ऑल फ्लैश स्टोरेज की नई तकनीक शुरू करने से बैच जॉब्स में 30 प्रतिशत, लेनदेन प्रतिक्रिया समय में 40 प्रतिशत का फायदा मिला तथा नई संरचना से भारतीय स्टेट बैंक के 750 मिलियन से भी अधिक खातों की व्यवसाय जरूरतें पूरी होंगी।

प्रदर्श 42: वित्त वर्ष 2016 के दौरान प्राप्त प्रौद्योगिकी पुरस्कारों की सूची

पुरस्कार	श्रेणी
आईएमसी आईटी पुरस्कार 2015	• ऐनालिटिक्स
आईडीआरबीटी बैंकिंग प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार वित्त वर्ष 2015	• इलेक्ट्रानिक पेमेन्ट सिस्टम (बड़े सरकारी एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच) • मैनेजिंग आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (बड़े सरकारी एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच)
गार्टनर फाइनैंशिएल सर्विसेज कूल बिजनेस अवार्ड	• मोस्ट इनोवेटिव डिजिटल कस्टमर सर्विस एनहैन्समेंट एसबीआई इनटच (विजेता) डिजिटल शाखा • सर्वोत्तम नवोन्मेषी नया डिजिटल उत्पाद एसबीआई क्विक (रनर अप)
स्कॉच स्मार्ट टेक्नॉलजी अवार्ड 2015	• बेस्ट स्मार्ट टेक्नॉलजी 2015 (एसएसके एण्ड जीआरसी) 2 अवार्ड्स • बेस्ट डिजिटल बैंकिंग 2015 (एसबीआई डिजिटल इन-टच शाखा) • बेस्ट फाइनैंशियल इन्क्लूजन टेक्नॉलजी 2015 (किओस्क बैंकिंग एवं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) 2 अवार्ड्स
आईडीसी इनसाइट्स अवार्ड	• एक्सिलेंस इन इनोवेशंन (इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से तुरंत ओवरड्राफ्ट सुविधा)
आईबीए बैंकिंग टेक्नॉलजी अवार्ड्स, 2016	• सर्वोत्तम वित्तीय समावेशन पहल • बेस्ट जोखिम प्रबंधन, धोखाधड़ी एवं साइबर सुरक्षा पहल • वर्ष का सर्वोत्तम टेक्नॉलजी बैंक (रनर अप)

बैंक ने Linkedin पर अपनी अग्रणी भूमिका दर्ज की। हमारी सोशल मीडिया टीम का सम्मान करती हुई अध्यक्ष महोदया, श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य

3. जोखिम प्रबंधन

क. जोखिम प्रबंधन का विहंगावलोकन

भारतीय स्टेट बैंक ने एक ऐसा सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन मॉडल विकसित किया है, जिसकी प्रभावकारिता प्रमाणित हो गई है, जो विनियामक मानदंडों एवं अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है तथा जो अपनी गतिविधियों के पैमाने व जटिलता के अनुपात के अनुसार है। बैंक को ऐसे विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है, जो किसी भी बैंकिंग व्यवसाय का अभिन्न अंग होती हैं। ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, चलनिधि जोखिम एवं परिचालन जोखिम प्रमुख जोखिम हैं, जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम भी शामिल है। बैंक के पास अपने सभी संविभागों में इन जोखिमों के मापन, उनकी निगरानी एवं इनके सुव्यवस्थित प्रबंधन के लिए नीतियां और कार्यविधियां मौजूद हैं। ऋण, बाजार एवं परिचालन जोखिम के अंतर्गत एडवांस्ड एप्रोच को लागू करने के मामले में बैंक अग्रणी रहा। विश्व की सर्वोत्कृष्ट प्रथाओं को अपनाने के उद्देश्य से बैंक ने उद्यम एवं समूह जोखिम प्रबंधन परियोजनाएं भी शुरू की हैं। बाहरी परामर्शकों की सहायता से ये परियोजनाएँ लागू की जा रही है।

बेसल-III पूंजी विनियमों से संबंधित आरबीआई दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन किया गया है और आपके बैंक में बेसल-III की वर्तमान अपेक्षाओं के अनुरूप पूंजी लगाई गई है। जोखिम मापन, निगरानी और नियंत्रण कार्यों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने और कर्तव्यों को अलग करने के संदर्भ में, अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रथाओं के अनुरूप एक स्वतंत्र जोखिम अभिशासन संरचना लागू की गई है। इस संरचना में परिचालन स्तर पर व्यवसाय इकाइयों को ज्यादा अधिकार दिए दिखाई देते हैं जिससे प्रौद्योगिकी जो प्रमुख संचालक है, की सहायता से जोखिम की उद्गम स्थल पर पहचान एवं प्रबंधन किया जा सकेगा।

कार्यकारी स्तरीय समितियों तथा बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा उनकी नियमित बैठकों में बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक समूह में विद्यमान विभिन्न जोखिमों की निगरानी एवं समीक्षा की जाती है। परिचालन इकाई एवं व्यवसाय इकाई स्तर पर भी जोखिम प्रबंधन समितियां उपलब्ध हैं।

प्रदर्श 43: जोखिम प्रबंधन संरचना

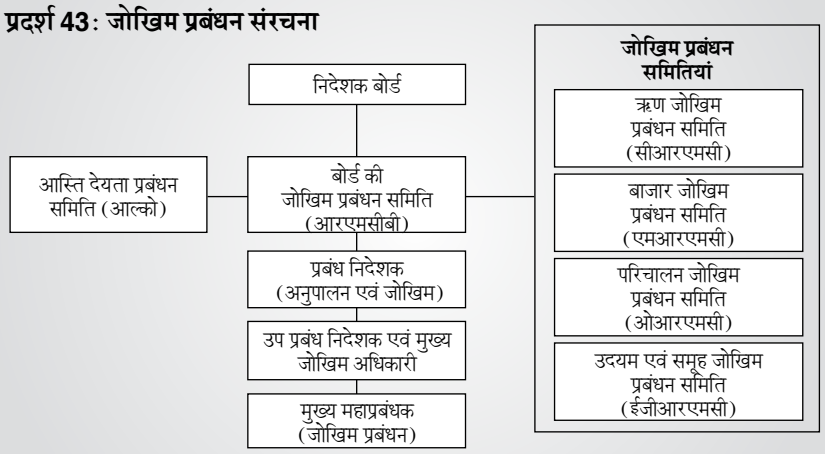

जोखिम प्रबंधन में नई पहल:

आपके बैंक ने अपने जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने के मामले में कई नई जोखिम पहल किए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख निम्नानुसार हैं:

- लोन ओरिजिनेटिंग सॉफ्टवेयर/ऋण लोन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सिस्टम (एलओएस/एलएलएमएस) के माध्यम से ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए एक आईटी प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। इसकी क्षमता को धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है, जिससे संपूर्ण ऋण संविभाग को इसमें शामिल किया जा सके। इस प्लेटफॉर्म में सिबिल और आरबीआई की चूककर्ता सूची उपलब्ध कराई गई है।
- एलओएस/एलएलएमएस की रिपोर्टिंग एवं एमआईएस क्षमताओं में वृद्धि की जा रही है, जिससे कि आपके बैंक की उद्योग/ऋण-जोखिम सीमा की वास्तविक आधार पर निगरानी रखी जा सके।
- ₹1.00 करोड़ से ₹5.00 करोड़ के बीच की ऋण जोखिम वाले सभी ऋणों के लिए एक शीघ्र संस्वीकृति समीक्षा के माध्यम से और ₹5.00 करोड़ से अधिक के ऋणों के लिए ऋण समीक्षा प्रणाली के माध्यम से सभी संस्वीकृतियों की फिर से एक निष्पक्ष जांच की जा रही है।
- पूंजी संरक्षण और पूंजी पर अधिकतम आय प्राप्त करने पर अधिक ध्यान देने के लिए, आपके बैंक ने जोखिम आधारित बजट निर्धारित करना शुरू किया है। ऋण जोखिम पूंजी पर आय के आधार पर जोखिम में कमी और पूंजी पर आय का मापन किया जाता है। बजट अग्रिमों के स्तर की प्राप्ति विशिष्ट लीवरों की प्राप्ति के अध्यधीन रहेगी। वित्त वर्ष 2016 से पूंजी पर जोखिम समायोजित आय (आरएआरओसी) रूपरेखा को लागू किया गया है। ग्राहक स्तरीय आरएआरओसी गणना को भी डिजिटाइज्ड किया गया है। खुदरा उधारकर्ता के निष्पादन की निगरानी तथा स्कोरिंग के लिए बिहेवियर मॉडल विकसित किए गए हैं और ऋण जोखिम डाटा मार्ट पर इन्हें रखा जा रहा है।
- इंटर्नल लॉस डेटा, एक्सटर्नल लॉस डेटा, जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए), प्रमुख जोखिम संकेतांक (केआरआई) और परिदृश्य विश्लेषण अब बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन परियोजना का एक अभिन्न अंग हैं, जिन्हें आरबीआई का अंतिम अनुमोदन प्राप्त होने के बाद अंत में एएमए में हस्तांतरित किया जाएगा।
- दैनिक कार्य में विशेष रूप से ऋण एवं परिचालन जोखिमों के क्षेत्र में जोखिम निगरानी एवं जोखिम रोकने की प्रथाओं को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए, बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा परिचालन स्तर पर जोखिम जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें 1.97 लाख कर्मचारियों ने भाग लिया।
- 1 सितंबर को जोखिम जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया।
- आपके बैंक ने डिजिटल प्रक्रिया और केन्द्रीकृत निगरानी के माध्यम से पूर्व-जांच और संस्वीकृति पश्चात अनुपालन के लिए अपने आंतरिक नियंत्रण परिवेश को सुदृढ़ किया है।
- जोखिम संस्कृति को ई-लर्निंग पाठ्यक्रमों के माध्यम से सभी स्तर के स्टाफ के प्रशिक्षण से जोड़ा जा रहा है।
- उच्च मूल्य के ऋण प्रस्तावों की स्वतंत्र समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र जोखिम परामर्शक समिति की स्थापना की जा रही है।
- आकस्मिक जोखिम, संकेंद्रीकरण जोखिम, कार्यनीतिक जोखिम एवं ख्याति जोखिम संकेतों से समूह जोखिम का मापन किया जाता है।
- सभी स्रोत प्रणालियों (सीबीएस/मुरेक्स/फिनाकल) के आंकड़ों को एक प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे मानक माप पद्धति के अधीन पूंजी कंप्यूटेशन हो सके।

1. ऋण जोखिम

किसी प्रत्यक्ष चूक का संविभाग मूल्य में कमी के कारण ऋणियों या अन्य पक्षों की ऋण गुणवत्ता में गिरावट से जुड़ी हानि की आशंका को ऋण जोखिम कहा जाता है। बैंक द्वारा किसी व्यक्ति, गैर-कारपोरेट, कारपोरेट, बैंक, वित्तीय संस्थान या संप्रभुसत्ता के साथ किए जाने वाले लेनदेन से जोखिम पैदा होती है।

न्यूनीकरण उपाय

- बैंक में ऋण मूल्यांकन और जोखिम निर्धारण की सुदृढ़ परंपराएं विद्यमान हैं। इनसे ऋण से जुड़े जोखिमों और उनकी मात्रा की जानकारी मिलती है और उन पर निगरानी और नियंत्रण भी किया जाता है। विभिन्न खंडों की जोखिम के निर्धारण के लिए बैंक स्वनिर्मित ऋण जोखिम निर्धारण मॉडल और स्कोर कार्डों का उपयोग करता है। बैंक की आंतरिक श्रेणियां व्यापक श्रेणीकरण वैधीकरण ढांचे के अध्यधीन होती हैं।

- आपके बैंक की व्यवसाय इकाइयां उद्योग अध्ययन दल द्वारा उल्लिखित उद्योगों/क्षेत्रों की प्रगति, संभावना एवं जोखिम की जानकारी से सुसज्जित हैं। 37 प्रमुख उद्योगों/क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति और मध्यावधि के पास की संभावनाओं की निगरानी इस दल द्वारा की जाती है। उद्योग-वार ऋण सीमाओं का निर्धारण संबंधित उद्योग की संभावनाओं और उस संबंधित उद्योग के प्रति बैंक की ऋण संबद्धता के आधार पर किया जाता है।

- उद्योग की प्रगति के विश्लेषण की जानकारी वार्षिक समीक्षा, तिमाही अपडेट एवं उद्योगों/क्षेत्रों की मासिक स्नैपशॉटस के जरिए परिचालन पदाधिकारियों को दी जाती है। कच्चे तेल के दामों में गिरावट, यॉन का अवमूल्यन, बाल्टिक ड्राई सूचकांक में गिरावट, स्पेक्ट्रम व्यापार, उज्जवल डिस्कॉम एश्यूरेंस योजना आदि प्रमुख घटनाओं के असर के निर्धारण के लिए शोध पत्र तैयार किए जाते हैं। इस वर्ष आंतरिक परिचालन हेतु विशेषकर पण्य बाजार (तेल, इस्पात, एल्यूमिनियम, चीनी, कपास, खाद्य तेल) की घटनाओं एवं बैंक के निवेश पर उनके संभावित असर की जानकारी देने के लिए कमॉडिटी वॉच नामक पत्रिका शुरू की गई।

- ऋण जोखिम के उन्नत दृष्टिकोण के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को फाउंडेशन इंटर्नल रैटिंग्स बैस्ड (एफआईआरबी) के लिए समानांतर संचालन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी है। इससे प्राप्त डाटा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाता है।

- चूक की संभावना (पीडी), लॉस गिवन डिफॉल्ट (एलजीडी) और एक्सपोज़र एट डिफॉल्ट (ईएडी) का अनुमान लगाने के मॉडल आंतरिक रूप से तैयार किए गए हैं। आईआरबी पूंजी की गणना के लिए बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली बाहर से खरीदी है।

- एकल ऋणियों और ऋणियों के समूह के लिए विवेकपूर्ण जोखिम मानदंड, पर्याप्त जोखिम मानदंड अप्रतिभूत जोखिम मानदंड और अप्रतिभूत जोखिमों की निरंतर निगरानी की जा रही है।

- अपने ऋण संविभाग के लिए बैंक निरंतर स्ट्रेस टेस्ट करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों, बैंकिंग उद्योग की सर्वोत्तम परंपराओं और समष्टि स्तर पर आर्थिक परिवर्तन लाने वाले कारकों में परिवर्तनों के अनुरूप स्ट्रेस परिदृश्य को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

2. बाजार जोखिम

विनिमय दर, ब्याज दर और ईक्विटी की कीमत आदि बाजार-परिवर्तनकारी कारकों में परिवर्तन से बैंक के व्यापार संविभाग के मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण बैंक को जो हानि हो सकती हो, उसे बाजार जोखिम कहते हैं।

न्यूनीकरण उपाय

- बैंक के बाजार जोखिम प्रबंधन में जोखिम और उसकी मात्रा की पहचान, प्रतिरोधक उपायों, निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली शामिल है।

- बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ अन्य के साथ-साथ बाजार जोखिम प्रबंधन, विदेशी मुद्रा व्यापार, व्युत्पन्न, ब्याज दर प्रतिभूति, ईक्विटी, म्यूचुअल फंड और सीमा प्रबंधन ढांचे के लिए विद्यमान हैं।

- बाजारगत जोखिम को नियंत्रित करने का कार्य विभिन्न सीमाएं बांधकर किया जाता है। नेट ओवरनाइट ओपन पोजिशन, मोडिफाइड ड्यूरेशन, पीवी 01, स्टॉप लॉस, अप्पर मेनेजमेंट एक्शन ट्रिगर, लोअर मैनेजमेंट एक्शन ट्रिगर, कंसेंट्रेशन एंड एक्सपोज़र लिमिट्स ऐसी सीमाओं के उदाहरण हैं।

- व्यापार संविभाग के लिए बैंक ने आस्तियों की श्रेणीवार जोखिम सीमाएँ तय की हैं, जिन पर निरंतर निगाह भी रखी जाती है।

- वर्तमान में बाजारगत जोखिम पूंजी की गणना मानकीकृत मापन विधि (एसएसएम) से की जाती है। बैंक ने बाजारगत जोखिमों के लिए उन्नत

दृष्टिकोणों के अंतर्गत आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आईएमए) पर माइग्रेट करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक को आशय पत्र भेजा है।

- वैल्यू एट रिस्क (वीएआर) बैंक के व्यापार संविभाग की जोखिम पर निगरानी रखने का साधन है। इस कार्यप्रणाली के अनुपूरक के रूप में व्यापार संविभाग का हर तिमाही स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है।

- बाजार जोखिम के लिए वैल्यू एट रिस्क (वीएआर) एवं तनावग्रस्त वैल्यू एट रिस्क का निर्धारण दैनिक आधार पर किया जाता है।

- उद्यम स्तर के वैल्यू एट रिस्क एवं तनावग्रस्त वैल्यू एट रिस्क की गणना दैनिक आधार पर की जाती है और बैक टेस्टिंग भी दैनिक आधार पर किया जाता है।

3. परिचालन जोखिम

आंतरिक प्रक्रियाओं, कर्मचारियों और प्रणालियों की अपर्याप्तता या असफलता से होने वाली हानि की जाखिम को परिचालन जोखिम कहते हैं।

न्यूनीकरण उपाय

- बैंक के परिचालन जोखिम प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य हैं- प्रणालियों और नियंत्रण व्यवस्थाओं की निरंतर समीक्षा, समस्त बैंक में परिचालन जोखिम के प्रति जागरूकता लाना, जोखिम का उत्तरदायित्व तय करना, जोखिम प्रबधन गतिविधियों का व्यावसायिक नीतियों के साथ ताल-मेल बैठाना और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना। बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति के ये प्रमुख तत्व हैं।

- समानांतर रन आधार पर परिचालन जोखिम पूंजी चार्ज की गणना करने हेतु परिचालन जोखिम के उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए) पर माइग्रेट करने के लिए भारतीय रिज़र्व ने बैंक को सैद्धांतिक अनुमोदन (एकल आधार पर) दिया गया है।

- एएमए पर अंतिम रूप से माइग्रेशन करने के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन तंत्र (ओआरएमएफ) से संबंधित नीतियां, मैनुअल एवं ढांचागत प्रलेख भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं

- वित्त वर्ष 2016 के लिए बैंक ने स्टैंड एलोन आधार पर बेसिक इंडिकेटर एप्रोच (बीआईए) के अनुसार परिचालन जोखिम के लिए पूंजी रखी है। समानांतर रन आधार पर उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए) के अनुसार पूंजी प्रभार की गणना की गई है।

4. उद्यम जोखिम

उद्यम जोखिम प्रबंधन परियोजना का लक्ष्य है- विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए व्यापक ढांचा तैयार करना। जोखिम निर्वहन (रिस्क अपेटाइट), जोखिम समूहन (रिस्क एग्रिगेशन) और जोखिम आधारित निष्पादन प्रबंधन प्रणाली जैसी विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं का इसमें समावेश है।

न्यूनीकरण उपाय

जोखिम प्रबंधन परियोजन के अंतर्गत बैंक ने उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) माड्यूल की शुरुआत की है, ताकि जोखिम की भूमिका को बदला जा सके और उसे व्यावसायिक ध्येय से जुड़ा रणनीतिक कार्य बनाया जा सके। बोर्ड द्वारा अनुमोदित ईआरएम नीति में जोखिम प्रबंधन के लिए विभिन्न समितियों/अधिकारियों की भूमिका और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं।

व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति बैंक में विद्यमान हैं। चलनिधि जोखिम, बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी), संकेंद्रण जोखिम आदि पिलर 2 जोखिमों और समग्र जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के साथ ही सामान्य और दबावपूर्ण दोनों दशाओं में पूंजी की पर्याप्तता का निर्धारण इस नीति के अनुसार किया जाता है।

5. समूह जोखिम

समूह जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य है समूह की इकाइयों से जोखिम प्रबंधन की मानक प्रक्रियाओं को पूरा करना।

न्यूनीकरण उपाय

- समूह जोखिम प्रबंधन, निकटवर्ती समूह और अंतर्समूह लेनदेनों तथा ऋण जोखिमों की नीतियां विद्यमान हैं।

- बड़े ऋण जोखिमों और पूंजी बाजार जोखिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के बताए अनुसार जोखिम सीमाएं पूरे समूह द्वारा अपनाई गई है। इनके अलावा, अप्रतिभूत जोखिमों, स्थावर संपदा और अंतर्समूह जोखिमों के लिए बैंक ने अपनी सीमाएं निर्धारित की हैं।

- समेकित विवेकपूर्ण जोखिमों और समूह जोखिम घटकों की निगरानी भी नियमित रूप से की जाती है।

- ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम और चलनिधि जोखिम आदि के लिए जोखिम आधारित मापदंडों की तिमाही समीक्षा समूह जोखिम प्रबंधन समिति/बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को प्रस्तुत की जाती है।

- समूह की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (ग्रुप आईसीएएपी) प्रलेख में समूह की इकाइयों द्वारा चिह्नित जोखिमों का निर्धारण, आंतरिक नियंत्रण और जोखिम न्यूनीकरण उपाय तथा सामान्य एवं दबावपूर्ण दशाओं में पूंजी निर्धारण सम्मिलित है। समूह की सभी इकाइयाँ जहां भारतीय स्टेट बैंक का हिस्सा 20 प्रतिशत से अधिक है, जिनमें गैर-बैंकिंग इकाइयाँ भी शामिल हैं, समूह आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया पूरी करती हैं और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए समूह आईसीएएपी नीति विद्यमान है।

6. सूचना सुरक्षा जोखिम

सूचना सुरक्षा जोखिम के तहत यह अपेक्षा की जाती है कि डाटा को नष्ट होने और खतरों से बचाने के लिए मजबूत सूचना-सुरक्षा-संरचना तैयार की जाए।

न्यूनीकरण उपाय

- बैंक ने मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना सुरक्षा नीति को लागू किया है। ये नीतियां अंतरराष्ट्रीय उत्तम प्रथाओं के अनुरूप हैं। इनकी आवधिक समीक्षा की जाती है और उभरते खतरों को दूर करने के लिए इन्हें उपयुक्त रूप से सुदृढ़ किया जाता है।

- सुरक्षा सुनिश्चित करने और इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सुरक्षा कवायद तथा कर्मचारी जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। बैंक के वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र में व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) का कार्यान्वयन किया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक अपनी सूचना प्रौद्योगिकी आधारिक संरचना पर होने वाले विभिन्न आक्रमण एवं खतरों की चौबीसों घंटे और सातों दिन निगरानी के लिए आंतरिक सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) का गठन करने के मामले में सबसे आगे रहा।

- बैंक का सुरक्षा परिचालन केंद्र पूरे विश्व के बैंकिंग क्षेत्र के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है, क्योंकि बैंक (देश एवं विदेश दोनों) तथा सहयोगी बैंकों के कुल-मिलाकर 20,000 से ज्यादा कार्यालयों का मजबूत नेटवर्क इसमें शामिल है। एसओसी में निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

- प्रति सेकंड 60,000 कार्य संभालने की क्षमता है, जिसे प्रति सेकंड 5 लाख तक बढ़ाया जा सकता है।

- बैंक के अंदर उत्पन्न या बाहर से आने वाली जोखिमों पर निगाह रखता है और घटना की रिपोर्टिंग तथा प्रबंधन में सुधार करता है।

- व्यवसाय निरंतर प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के अंतर्गत आपदा सुधार (डिसैस्टर रिकवरी) कवायद नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। बैंक की महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियां अंतरराष्ट्रीय बीसीएमएस मानक-आईएसओ 22301:2012 के अनुरूप हैं।

- एप्लिकेशन सेटअप को शुरू करने से पूर्व उसकी सुरक्षा समीक्षा की जाती है। साथ ही आवधिक समीक्षा भी की जाती है।

- भारतीय स्टेट बैंक स्टाफ एवं सामान्य जनता दोनों के लिए जागरूकता अभियान को काफी महत्ता देता है। समाचार-पत्रों में विज्ञापन एवं टीवी व रेडियो अभियान के अलावा, भारतीय स्टेट बैंक ने मुंबई पुलिस एवं नवी मुंबई पुलिस के सहयोग से नागरिक जागरूकता अभियान का आयोजन भी किया है।

नागरिक जागरूकता अभियान का उद्घाटन करती हुई बैंक की अध्यक्ष महोदया श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य। इस अभियान का आयोजन भारतीय स्टेट बैंक ने मुंबई पुलिस और नवी मुंबई पुलिस के सहयोग से किया

ख. आंतरिक नियंत्रण

तेजी से हो रहे डिजिटाइजेशन के साथ कदम मिलाकर बैंक ने विभिन्न प्रकार की लेखा-परीक्षा कार्य में प्रौद्योगिकी का प्रयोग शुरू किया है और लेखा-परीक्षा प्रक्रिया में स्वचालन की ओर बढ़ रहा है। कुछ प्रमुख पहलों में ये भी शामिल हैं:

- पूर्णतया स्वचालित वेब आधारित प्लेटफॉर्म SBI eTHIC को शामिल कर बैंक की संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली की पुनर्संरचना की गई है।

- मैनुअल मंडल लेखा-परीक्षा के स्थान पर वेब आधारित आंतरिक सत्यापन लेखा-परीक्षा शुरू की गई है।

- लेनदेनों में पाए गए अपवादों की निगरानी के लिए अन्यत्र (ऑफसाइट) लेनदेन निगरानी प्रणाली (ओटीएमएस)।

- 5 करोड़ रुपए से अधिक के ऋणों की संस्वीकृति प्रक्रिया की समीक्षा करने तथा 50 लाख रुपए तक के और उससे अधिक तथा 5 करोड़ रुपए तक के ऋण प्रस्तावों की शीघ्र संस्वीकृति समीक्षा करने के लिए वेब आधारित ऋण समीक्षा तंत्र शुरू किया गया है।

- वर्ष 2016-17 से जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए वेब आधारित मॉड्युलर संरचना शुरू की जा रही है, जो संवर्धित स्वचालन स्तर एवं ग्रेन्युलर जोखिम निर्धारण के साथ लचीली, मापने योग्य एवं विस्तारित करने योग्य हो।

बैंक में एक अंतर्निहित नियंत्रण प्रणाली है, जिसमें हर स्तर पर उत्तरदायित्व स्पष्ट किए गए हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत निरीक्षण एवं प्रबंधन लेखा-परीक्षा विभाग के माध्यम से आंतरिक लेखा-परीक्षा की जाती है। बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी) निरीक्षण एवं प्रबंधन लेखा-परीक्षा विभाग के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करती है। निरीक्षण प्रणाली आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्यों के माध्यम से जोखिमों की पहचान, नियंत्रण और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। बैंक में मुख्य रूप से दो प्रकार की लेखा-परीक्षा होती है-जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरएफआइए) और प्रबंधन लेखा-परीक्षा। इनमें आंतरिक लेखा-परीक्षा के विभिन्न पहलुओं का समावेश हो जाता है। बैंक की लेखा इकाइयों की जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा-परीक्षा की जाती है। बैंक की प्रबंधन लेखा-परीक्षा के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यालय शामिल हैं और इसके तहत नीतियों एवं कार्यविधियों के साथ-साथ उनके कार्यान्वयन की जांच भी की जाती है।

इसके अतिरिक्त, यह विभाग ऋण लेखा-परीक्षा, सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा (केंद्रीकृत सूचना प्रौद्योगिकी संस्थापनाएं एवं शाखाएं), होम ऑफिस लेखा-परीक्षा (विदेश स्थित कार्यालयों की लेखा-परीक्षा) आंतरिक सत्यापन लेखापरीक्षा, आपके बैंक की आउटसोर्स गतिविधियों की लेखा परीक्षा और व्यय लेखा-परीक्षा (प्रशासनिक कार्यालयों में) करता है और समवर्ती लेखा-परीक्षा (भारत स्थित और विदेश स्थित कार्यालयों में) तथा मंडल लेखा-परीक्षा संबंधी नीति और उसके कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करता है। अनियमितताओं के सुधार की स्थिति का सत्यापन करने के लिए कुछ शाखाओं में अनुपालन लेखा-परीक्षा भी की जाती है। वित्त वर्ष 2016 की अवधि के दौरान 9,888 देशीय शाखाओं/बीपीआर इकाइयों की लेखा-परीक्षा जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा-परीक्षा के अंतर्गत की गई।

जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरएफआईए)

निरीक्षण एवं प्रबंधन लेखा-परीक्षा विभाग लेखापरीक्षित इकाइयों के समस्त परिचालनों की विवेचनात्मक समीक्षा आरएफआईए के माध्यम से करता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताए गए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण का योजक है। व्यवसाय के प्रकार और जोखिम के आधार पर देशीय शाखाओं को मोटे तौर पर तीन समूहों (समूह-1, 2 और 3) में रखा गया है। समूह-1 की शाखाओं की लेखा-परीक्षा केंद्रीय लेखा-परीक्षा इकाई (सीएयू) द्वारा की जाती है, जिसके अध्यक्ष महाप्रबंधक होते हैं। समूह-2 और 3 श्रेणी की शाखाओं और व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर) इकाइयों की लेखा-परीक्षा 13 आंचलिक निरीक्षण कार्यालयों द्वारा की जाती है। इन कार्यालयों के अध्यक्ष महाप्रबंधक होते हैं।

फेमा लेखा-परीक्षा

आरएफआईए के तहत फेमा लेखा-परीक्षा को अलग लेखा-परीक्षा बनाया गया है।

प्रबंधन लेखा-परीक्षा

कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाएं/मंडलों के स्थानीय प्रधान कार्यालय/शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान, सहयोगी बैंक और बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) प्रबंधन लेखा-परीक्षा के दायरे में आते हैं। प्रबंधन लेखा-परीक्षा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए इसकी आवधिकता को वर्तमान तीन वर्ष से कम कर दो वर्ष कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2016 की अवधि के दौरान 50 संस्थापनाओं/प्रशासनिक कार्यालयों की प्रबंधन लेखा-परीक्षा की गई।

ऋण लेखा-परीक्षा

बैंक के वाणिज्यिक ऋण संविभाग की गुणवत्ता में निरंतर निखार लाना ऋण लेखा-परीक्षा का उद्देश्य है। दस करोड़ रुपए और इससे अधिक के हर एक वाणिज्यिक ऋण के विवेचनात्मक परीक्षण द्वारा इस उद्देश्य को पूरा किया जाता है। ऋण लेखा-परीक्षा प्रणाली इकाई के ऋण संविभाग की गुणवत्ता के बारे में व्यवसाय इकाइयों को चेतवानी संकेतों के रूप में प्रतिसूचना देते हुए ऋण लेखा-परीक्षा प्रणाली सुधार के उपाय भी सुझाती है। वित्त वर्ष 2016 की अवधि के दौरान 8,879 खातों की ऋण लेखा-परीक्षा की गई।

ऋण समीक्षा तंत्र (एलआरएम)

उच्च मूल्य के ऋण क्षेत्र की लेखा-परीक्षा में भी संस्वीकृति/संवर्धन/नवीकरण के छह महीनों के अंदर 5 करोड़ रुपए से अधिक के अलग-अलग अग्रिमों की संस्वीकृति-पूर्व एवं संस्वीकृति प्रक्रिया का ऑफसाइट तंत्र उपलब्ध है (ऋण समीक्षा तंत्र)।

मंजूरी के शीघ्र बाद समीक्षा (ईएसआर)

लेखा-परीक्षा के अंतर्गत सितंबर 2014 को 50 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक की मंजूरियों की समीक्षा करने के लिए मंजूरी के शीघ्र बाद की समीक्षा शुरू की गई। ईएसआर के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- मंजूर प्रस्तावों में यदि कोई खास जोखिम हो, तो उसे आरंभिक चरण में ही पकड़ना और उसे जल्दी से जल्दी कम करने के लिए नियंत्रकों को सूचित करना।
- इस श्रेणी में आने वाली ऋण जोखिमों की मंजूरी पूर्व प्रक्रियाओं/मंजूरियों की गुणवत्ता बढ़ाना।
- ऋण प्रस्तावों के सोर्सिंग में गुणवत्ता लाना।
- 31 मार्च 2016 तक की अवधि के दौरान ईएसआर के अंतर्गत 9,650 खातों की समीक्षा की गई।

सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा (आईएस लेखा-परीक्षा)

शाखा की जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरएफआइए) के तहत सभी शाखाओं की सूचना प्रणाली (आईएस) की लेखा-परीक्षा कर सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जोखिमों का आकलन किया

जाता है। केंद्रीकृत सूचना प्रौद्योगिकी संस्थापनाओं की आईएस लेखापरीक्षा अर्हताप्राप्त अधिकारियों/बाहरी विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। वित्त वर्ष 2016 की अवधि के दौरान, 99 केंद्रीकृत आईटी संस्थापनाओं की सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा की गई।

विदेश स्थित कार्यालयों की लेखा-परीक्षा-होम ऑफिस लेखा-परीक्षा

वित्त वर्ष 2016 की अवधि के दौरान 3 शाखाओं की होम ऑफिस लेखा-परीक्षा, 9 प्रतिनिधि कार्यालय/कंट्री हेड कार्यालय और 4 अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों की प्रबंधन लेखा-परीक्षा की गई।

संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली

संगामी लेखा-परीक्षा मौलिक रूप से नियंत्रण की एक प्रक्रिया है, जो आंतरिक सुदृढ़ लेखा कार्यों को सुव्यवस्थित तथा नियत्रण को प्रभावी बनाती है और परिचालनों का निरंतर पर्यवेक्षण करती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली की निरंतर समीक्षा की जाती है, जिसमें नियामक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए अनुसार बैंक के अग्रिमों और अन्य जोखिमों का समावेश हो जाता है। निरीक्षण एवं प्रबंधन लेखा-परीक्षा विभाग शाखाओं और बीपीआर इकाइयों में संगामी लेखा-परीक्षा करने हेतु प्रक्रियाएं, दिशा-निर्देश और फार्मेट निर्धारित करता है। संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली पुनःनिर्धारित की गई। इसके साथ हर वेब आधारित समाधान प्रारंभ किया गया तथा कुछ स्थानों पर बाह्य लेखा-परीक्षकों को समवर्ती लेखा-परीक्षकों (बाह्य सनदी लेखाकार कंपनियां) के रूप में नियुक्त किया गया।

आंतरिक सत्यापन लेखा-परीक्षा

आंतरिक सत्यापन लेखा-परीक्षा जिसे पिछले वर्ष तक प्रत्यायोजित किया गया था, को और प्रभावी बनाने के लिए निरीक्षण एवं प्रबंधन लेखा-परीक्षा विभाग द्वारा लिया गया है। इसमें छोटे मूल्य के ऋण क्षेत्र आते हैं, और इसे दो आरएफआईए के बीच किया जाता है। इससे लेखा-परीक्षा की जाने वाली इकाई को आरएफआईए के लिए बेहतर रूप से तैयार होने में सुविधा होती है। वित्त वर्ष 2016 की अवधि के दौरान आंतरिक सत्यापन लेखा-परीक्षा विभाग द्वारा 9,094 इकाइयों की लेखा-परीक्षा की गई।

अन्यत्र लेनदेन निगरानी प्रणाली (ओटीएमएस)

ऑफ साइट ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम (ओटीएमएस) नाम का वेब आधारित समाधान प्रारंभ किया गया है, जो विपथनों को पकड़कर सुधार की कार्रवाई करता है। कतिपय व्यवसाय नियमों के आधार पर डाटा वेअरहाउस द्वारा अपवादात्मक डाटा निकाला जाता है। इस समय 14 प्रकार के विपथनों पर नजर रखी जा रही है और सत्यापन हेतु शाखाओं को भेजा जाता है।

विधिक लेखा-परीक्षा

सभी व्यवसाय समूहों में विधिक लेखा-परीक्षा की शुरुआत जून 2014 में की गई थी। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए और इससे अधिक के समग्र जोखिम (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित) वाले खातों के ऋण और बंधक से संबंधित सभी प्रलेखों की लेखा-परीक्षा की जाती है। 31 मार्च 2016 को 8696 पात्र खातों में यह लेखा-परीक्षा प्रारंभ की गई और 7997 खातों में यह पूरी हो गई।

आउटसोर्स की गई गतिविधियों की लेखा-परीक्षा

बैंक ने अनेक प्रकार की 56 गतिविधियां लगभग 6014 विक्रेताओं को आउटसोर्स की हैं। निरीक्षण एवं प्रबंधन लेखा-परीक्षा विभाग के पास बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित नीति है और 37 संस्थाओं की 12 गतिविधियों की लेखा-परीक्षा पूरी की गई है। बैंक की आउटसोर्स की गई गतिविधियों की लेखा-परीक्षा की निगरानी करने के लिए महाप्रबंधक की अध्यक्षता में एक समर्पित आउटसोर्सड लेखा-परीक्षा विभाग की स्थापना की जा रही है।

4. राजभाषा

बैंक भारत सरकार की राजभाषा नीति एवं वार्षिक कार्यक्रम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। हमने राजभाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को बैंक में प्रोत्साहित करने के अपने प्रयास जारी रखे। कुछ प्रमुख प्रयास निम्नानुसार हैं:

राजभाषा विभाग की नई वेबसाइट का शुभारंभ

बैंक के अपने राजभाषा एवं सिस्टम अधिकारियों द्वारा राजभाषा विभाग की नई वेबसाइट तैयार की गई है। इस वेबसाइट का लोकार्पण हमारी अध्यक्ष महोदया द्वारा हाल ही में एसबीआईआरडी, हैदराबाद में संपन्न अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारी वार्षिक सम्मेलन में वीडियो कान्फ्रेन्सिन्ग के द्वारा किया गया।

'सुगम मराठी' आदि पुस्तकों का प्रकाशन

भारत सरकार की बदले परिवेश में यह अपेक्षा रही है कि स्थानीय लोगों और उनकी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझे जाने के लिए बैंककर्मियों को क्षेत्रीय भाषाओं की भी कुछ जानकारी होनी चाहिए जिससे उन्हें और बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस आवश्यकता को समझकर हमारे राजभाषा विभाग द्वारा निम्नलिखित प्रकाशन तैयार किए गए हैं:

1. **'आइए सीखें'** (हिंदी से बंगला सीखने के लिए)
2. **'सुगम मराठी'** (हिंदी से मराठी सीखने के लिए)
3. **'हमारा रास्ता ग्राहक का रास्ता, हमारी भाषा ग्राहक की भाषा'** (हिंदी से तमिल सीखने के लिए)
4. **'चलो सीखें गुजराती'** (हिंदी से गुजराती सीखने के लिए)

हमने हिंदी से तेलुगु, ओड़िया, असमिया, पंजाबी और कन्नड़ भाषाएं सीखने के लिए पुस्तकें तैयार करने हेतु संबंधित मंडलों को कहा है।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रतिदिन हिंदी में सुविचार

वर्ष के दौरान प्रतिदिन सुबह 11 बजे सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली (पब्लिक एड्रेस सिस्टम) पर हिंदी में विचार प्रस्तुत करने की नई पहल शुरू की गई।

हिंदी भाषा इतर स्टाफ के लिए द्वैमासिक बाक्य रचना प्रतियोगिता

वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने गैर-हिंदी भाषी स्टाफ के लिए द्वैमासिक हिंदी वाक्य निर्माण प्रतियोगिता शुरू की। इस प्रतियोगिता में स्टाफ ने काफी उत्साह दिखाया।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट की ऑनलाइन प्रस्तुति हेतु वेब एप्लिकेशन

तिमाही प्रगति रिपोर्ट की ऑनलाइन पर प्रस्तुति के लिए हमारे बैंक के प्रणाली एवं राजभाषा अधिकारियों द्वारा एक नया एप्लिकेशन विकसित एवं कार्यान्वित किया गया है।

सुप्रसिद्ध कवि नीरज और कवि स्वर्गीय श्री निदा फ़ाज़ली का सम्मान

सितंबर माह में 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों में राजभाषा मास तथा 'ग' अर्थात अहिंदी भाषी क्षेत्र में 7 से 14 सितंबर 2015 को राजभाषा सप्ताह मनाया गया। आपके बैंक के कॉरपोरेट केन्द्र में हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर सुप्रसिद्ध कवि डॉ. गोपाल दास नीरज एवं सुप्रसिद्ध हिंदी-उर्दू के कवि स्वर्गीय श्री निदा फ़ाज़ली को सम्मानित किया गया।

अखिल भारतीय ऑन-लाइन प्रश्नमंच प्रतियोगिता

भारतीय स्टेट बैंक ने राजभाषा माह में विभिन्न एलिमिनेशन राउंड के साथ अखिल भारतीय ऑनलाइन हिंदी प्रश्नमंच शुरू किया। पूरे बैंक के लगभग 11000 से भी अधिक स्टाफ-सदस्यों ने काफी उत्साह से इसमें भाग लिया।

विश्व हिंदी दिवस

जिम्मेदार कॉरपोरेट के रूप में बैंक के विदेश स्थित सभी कार्यालयों द्वारा 11 जनवरी 2016 (10 जनवरी अवकाश होने के कारण) विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए अनुकूल परिवेश सृजित और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार अपने दैनंदिन कार्य में हिंदी का प्रयोग करने के लिए स्टाफ को प्रोत्साहित करना रहा। विदेशी नागरिकों की सहभागिता इन देशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए प्रोत्साहक संकेत रहा। इस दिन आयोजित प्रतियोगिता में कई विदेशी स्टाफ सदस्यों ने पुरस्कार जीते।

आरबीआई बैंकिंग शब्दावली समिति की बैठक

बैंकिंग उद्योग में बैंकिंग शब्दावली की समानता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्वावधान में गठित स्थायी समिति की बैठक कॉरपोरेट केंद्र, मुंबई में 28 एवं 29 जनवरी 2016 को हमारे बैंक द्वारा आयोजित की गई। 737 बैंकिंग शब्दों के लिए हिंदी पर्यायों को अंतिम रूप देने के साथ बैठक समाप्त हुई, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा कार्य था। इस अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के ऑनलाइन बैंकिंग शब्दावली पोर्टल भी दिखाया गया। पहले सत्र में बैंक द्वारा प्रकाशित 'आइए सीखें' (हिंदी के जरिए बांगला) पुस्तिका मुख्य अतिथि एवं अन्य सहभागियों को भेंट की गई।

ग्राहक सूचना संकलन (द्विभाषी रूप में)

स्टाफ सदस्यों को बैंक के दैनंदिन कार्य में विभिन्न प्रक्रियापरक साहित्य देखना होता है। वर्ष के दौरान ग्राहक सूचना का संकलन द्विभाषी रूप में निकाला गया, जिसमें चेक वसूली नीति, शिकायत समाधान नीति, सुरक्षा रीपोजेशन, जमाकर्ताओं के अधिकार, ग्राहक अधिकार नीति जैसे नीतिगत दस्तावेज शामिल थे।

'बैंकिंग ब्रीफ्स का द्विभाषी में प्रकाशन'

बैंक की प्रशिक्षण सामग्री के द्विभाषीकरण के उद्देश्य से हमारे स्टाफ कॉलेज द्वारा 1040 पृष्ठों का बैंकिंग ब्रीफ्स (बैंकरों के लिए प्रासंगिक लेखों का संकलन) प्रकाशित किया गया। प्रशिक्षण हैंडआउट तैयार करने के लिए सभी शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों एवं ज्ञानार्जन केंद्रों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। इस बृहत् प्रकाशन को बैंक के इंट्रानेट पर भी अपलोड किया गया।

'स्टेट बैंक बडि' भारत की 13 प्रमुख भाषाओं में

बैंक के मोबाइल एप्प स्टेट बैंक बडि का माननीय वित्त, कारपोरेट मामले तथा सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री द्वारा 13 प्रमुख भाषाओं में शुरू किया गया। यह एप्प भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों के सभी ग्राहकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है।

एसबीआई क्विक सेवा हिंदी में भी

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा एसबीआई क्विक सेवा हिंदी में भी शुरू की गई। ग्राहक एसबीआई क्विक सेवा के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण कराने के बाद अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से एसएमएस हिंदी भेजकर अपने खाते की शेष के बारे में जान सकते हैं और हिंदी में एसएमएस के जरिए मिनी स्टेटमेंट प्राप्त कर सकते हैं।

पुरस्कार

- बैंक की तिमाही हिंदी गृहपत्रिका प्रयास का भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उत्कृष्ट पत्रिका के रूप में चयन किया गया और भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा यह पुरस्कार दिया गया।
- बैंक की तिमाही हिंदी गृहपत्रिका प्रयास को साहित्यिक-सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन आशीर्वाद द्वारा उत्कृष्ट पत्रिका का पुरस्कार दिया गया।

- बैंक की तिमाही हिंदी गृहपत्रिका प्रयास को शैलजा नायर फाउंडेशन द्वारा इनहाउस कम्यूनिकेशन एक्सलेंस पुरस्कार 2015 दिया गया।
- कई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां जिनकी अध्यक्षता हमारे बैंक के पास है, को संबंधित राज्यों के राज्यपालों द्वारा पुरस्कार दिया गया।

5. सतर्कता तंत्र

भारतीय स्टेट बैंक में सतर्कता कार्य के तीन पहलू हैं-निवारक, दंडात्मक एवं सहभागी। इस वर्ष के अच्छे अभिशासन के उपकरण के रूप में निवारक सतर्कता विषय के अनुरूप तथा 26 से 31 अक्तूबर 2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित करने के साथ निवारक सतर्कता को अधिक महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि इससे कर्मचारियों में ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा की भावना जागृत होती है और दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के नियंत्रण के लिए आंतरिक प्रणालियां एवं कार्यविधियां मजबूती होती है। निवारक सतर्कता समिति की बैठकें शाखाओं में नियमित तिमाही अंतरालों पर आयोजित की जाती है।

व्हिसल ब्लोअर की संकल्पना निवारक सतर्कता का एक और प्रभावी उपकरण है। हमारे बैंक में सुपरिभाषित व्हिसल ब्लोअर नीति है, जो धोखाधड़ी करने वाले कर्मचारियों को रोकने का कार्य करती है। मुखबीर आमतौर पर संगठन का ही व्यक्ति होता है, जो साथी कामगार अथवा उच्च अधिकारी के गलत कार्यों की पूरी जानकारी रखता है, जो अपराधी कर्मचारी के विरुद्ध सबूत प्रस्तुत कर सकता है। मुखबीर की गोपनीयता रखी जाती है और उसे संपूर्ण संरक्षण दिया जाता है, जिससे वे बिना डर के गलत कार्यों के विरुद्ध प्रभावी साधन साबित हो सके।

जहाँ पर गंभीर प्रकृति की कमियां पाई जाती हैं, ऐसी शाखाओं की पहचान स्वतः जांच के लिए की जाती है, ताकि धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों की जांच की जा सकें और उपचारात्मक उपाय किए जा सके। वित्त वर्ष 2016 के दौरान कुल 1459 मामलों (993 नए मामले) की जांच की गई, जिनमें से 1049 मामलों को बंद किया गया।

6. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

भारतीय स्टेट बैंक भारतीय बैंकिंग इको प्रणाली के अंदर कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के मामले में अग्रणी रहा है। बैंक का मानना है कि समाज के सुविधाओं से वंचित एवं अल्प-सुविधाप्राप्त लोगों के जीवन में भली-भाँति रूप से सामाजिक परिवर्तन लाने का कर्तव्य उसका है। सामाजिक उत्तरदायित्व उसके व्यवसाय का अभिन्न अंग है और वर्ष 1973 से यह अपनी कॉरपोरेट कार्यनीति का अहम हिस्सा है। बैंक अपने निवल लाभ की 1% राशि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों के लिए अलग रखता है और उसके कॉरपोरेट सामाजिक उत्तर पहलों से अल्पसुविधा प्राप्त समुदायों के जीवन में वास्तव में अंतर आया है। बैंक सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक निम्नलिखित पर विशेष ध्यान देता है:

- स्वास्थ्य में सहयोग
- शिक्षण में सहयोग
- शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को सहयोग
- कुशलता विकास एवं जीविकोपार्जन में सहयोग
- पर्यावरणीय संरक्षण

वित्त वर्ष 2016 में बैंक ने सीएसआर पर 143.92 करोड़ रुपए की राशि खर्च की। यह लगातार चौथा वर्ष है, जब बैंक द्वारा सीएसआर पर खर्च की गई राशि 1000 मिलियन रुपए का निशान पार कर गई। वित्त वर्ष 2016 के दौरान क्षेत्र-वार खर्च की राशि का विवरण निम्नानुसार है:

प्रदर्श 44: प्रत्येक क्षेत्र-वार व्यय की गई राशि

क्र	श्रेणी	राशि (रुपए करोड़ में)
1	स्वास्थ्य सुविधाएं	56.00
2	शिक्षा	19.50
3	निपुणता विकास	44.66
4	स्वच्छता	4.04
5	असमर्थता	5.41
6	पर्यावरण	4.78
7	स्पोर्ट्स	2.21
8	सांस्कृतिक	1.20
9	प्राकृतिक आपदाएं	2.16
10	अन्य	1.98
11	अनुसंधान एवं विकास निधि	1.98
योग		**143.92**

प्रदर्श 45: राशि

(₹ करोड़ में)

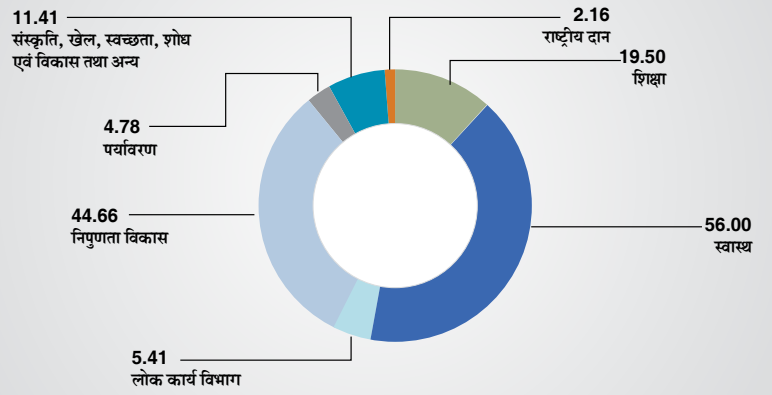

प्रदर्श 46: प्रत्येक क्षेत्र-वार व्यय की गई राशि %

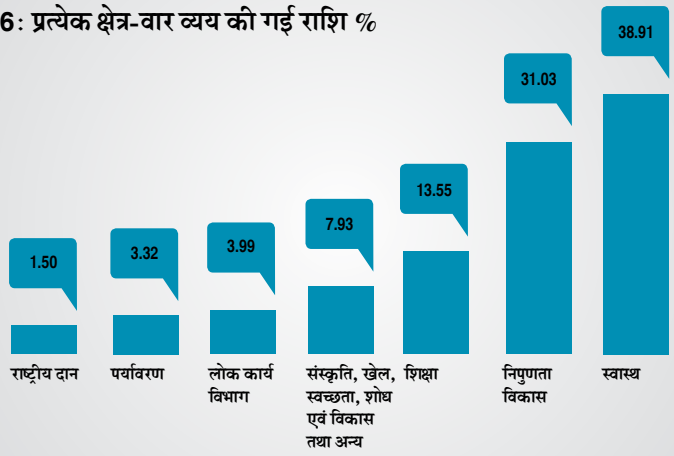

स्वास्थ्य सुविधाओं में सहयोग

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के महत्वपूर्ण घटक हैं। भारत में स्वास्थ्य सुविधा उपेक्षित क्षेत्र है। अभी भी समाज के कई वर्गों, विशेषकर समाज के अत्यधिक गरीब एवं सुविधा से वंचित वर्गों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। खरीदने की शक्ति न होना, अनुपलब्धता एवं जागरूकता का अभाव भारत में स्वास्थ्य सुविधा अभाव के प्रमुख कारण हैं।

आम आदमी की स्थितियों के लिए मूल आधारिक संरचना उपलब्ध कराना हमेशा से ही प्रमुख ध्यान रहा है। समाज के अल्प-सुविधाप्राप्त एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बैंक ने काफी संख्या में अस्पतालों को सहायता दी है।

आपके बैंक ने पूरे देश में काफी संख्या में अस्पतालों को 18,761 व्हील चेयर एवं 17,958 स्ट्रेचर ट्रॉली दान में दिए हैं । बैंक ने 57 एंबुलेंस एवं मेडिकल वैन खरीदने के लिए 50 से अधिक धार्मादाय संगठनों को 8.24 करोड़ रुपए की राशि दान में दी है।

कई चिकित्सा/सर्जिकल उपकरण खरीदने के लिए 63 धर्मार्थ संगठनों/अस्पतालों को 24.20 करोड़ रुपए की राशि दान में दी है। इससे ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद रोगियों की सेवा करने के लिए अस्पतालों की क्षमता एवं संभावना बढ़ गई है। बैंक ने रोटरी चैरिटबल ट्रस्ट, बेंगलूर एवं नीडी हार्ट फाउंडेशन के जरिए 150 हृदय सर्जरी प्रायोजित कर समाज के गरीब एवं अल्प-सुविधाप्राप्त वर्ग की सहायता की है। बैंक ने ओल्ड एज होम्स को सहायता देने के लिए 98 लाख रुपए दान में दिया है।

महिला स्वास्थ्य : देश भर की महिलाओं के लिए बैंक ने वनिता आरोग्य संपदा नामक 100 निःशुल्क स्वास्थ्य जांच सह जागरूकता शिविर का अयोजन कर सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

आमतौर पर यह कहा जाता है कि स्वस्थ देश हमेशा धनवान देश होता है। खेल हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेल के विकास विशेषकर देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 2.21 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई।

शिक्षण में सहयोग : किसी व्यक्ति के जीवन स्तर को सुधारने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और इसे सामुदायिक विकास के जरिए सामाजिक परिवर्तन लाने के प्रभावी उपकरण के रूप में देखा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक सुदूरस्थ, अभेद्य एवं कम विकसित क्षेत्रों के कमजोर सामाजिक समूह की शिक्षा हेतु सहायता करने का प्रयास करता है।

सामाजिक सेवा : बैंक ने रोटी, मकान एवं शिक्षा के प्रायोजन के खर्च पर 2.59 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके अलावा, ग्रामीण स्कूलों में विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने के लिए कंप्यूटर, उपकरण और फर्नीचर सहायता तथा एक लाख नोट बुक प्रिन्ट करके उन्हें निःसहाय छात्रा विद्यार्थियों के बीच वितरित करने पर बैंक ने 3.22 रुपए करोड़ की राशि भी खर्च की है। बैंक ने 63 स्कूल बसों/वाहनों की खरीद पर 8.24 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को अल्प-सुविधाप्राप्त बच्चों को स्कूल आने ओर जाने के लिए आसान परिवहन उपलब्ध कराया जा सके।

ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) : देश में बेरोजगारी एवं बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के पास 116 ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान हैं। ये संस्थान औपचारिक व्यायवसायिक प्रशिक्षण, हैंड होल्डिंग, आवधिक कुशलता उन्नयन, क्षमता निर्माण, वहनयोग्य आय सृजन, फार्वार्ड एवं बैकवार्ड लिकेज उपलब्ध कराते हैं। ग्रामीण युवाओं को नौकरी दिलाना अथवा लाभप्रद व्यष्टि उद्यम शुरू करना इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है। बैंक ने 9 आरसेटी भवन का निर्माण करने और 12 आरसेटी को अन्य आधारिक संरचना उपलब्ध कराने के लिए 9.60 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है। बैंक के पूरे देशभर के 116 आरसेटी में युवाओं के लिए कुशलता विकास कार्यक्रम आयोजित करने पर 28.69 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई। सिलाई एवं निटिंग मशीन, बस एवं वैन, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, कल्याण गतिविधियों के लिए युटिलिटी वाहन जैसे उपकरण कुशलता विकास हेतु खरीदने तथा नेत्रहीन लड़कियों के लिए कॉल सेंटर प्रशिक्षण सुविधा देने हेतु बैंक ने इस क्षेत्र के प्रसिद्ध गैर-सरकारी संगठनों को 3.03 करोड़ रुपए की राशि दान में दी है।

Youth for India
FUEL CHANGE
A State Bank of India Initiative

भारत फेलोशिप कार्यक्रम एसबीआई युवा: बढ़ रहे शहरी-ग्रामीण अंतर को कम करने तथा युवा को संगठित करने के लिए बैंक द्वारा वर्ष 2011-12 में एक अद्वितीय सीएसआर कार्यक्रम शुरू किया गया। यह शहरी शिक्षित युवाओं को स्वैच्छिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न विकास परियोजनाओं से जुड़ने की सुविधा देती है। इस पहल के अंतर्गत बैंक ने नवोन्मेषी परियोजनाएं जिनमें युवा हिस्सा लेते हैं, तैयार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य से जुड़े प्रख्यात गैर-सरकारी संगठनों से भागीदारी की। आपके बैंक द्वारा इन युवाओं को मासिक फेलोशिप के रूप में सहायता प्रदान की गई। इस समय चौथा बैच 12 राज्यों के 23 स्थानों पर कार्य कर रहा हैं।

क्रिसचियन हॉस्पिटल, सेरकान, मिजोरम को सहायतार्थ दी गई बस को हरी झंडी दिखाते हुए बैंक के प्रबंध निदेशक श्री बी. श्रीराम

स्वच्छ भारत: स्वच्छता के लिए जन आंदोलन के राष्ट्रीय मिशन को सहायता देते हुए बैंक ने स्वच्छ भारत-स्वच्छ विद्यालय अभियान पहल के लिए सहायता प्रदान की है। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2016 में भारत के ग्रामीण विद्यालयों में 278 से अधिक शौचालय बनाने और अतिरिक्त जल सुविधा के लिए 3.90 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है।

अशक्त व्यक्तियों को सहायता: भारतीय स्टेट बैंक हमेशा से ही अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों एवं प्रतिष्ठा के संरक्षण एवं संवर्धन में आगे रहा है। कुछ विशिष्ट कार्यों का विवरण इस प्रकार हैं :

- इस क्षेत्र में कार्यरत प्रसिद्ध गैर-सरकारी संगठनों को 5.41 करोड़ रुपए का दान निम्नलिखित के लिए दिया गया-
- लगभग 4200 लाभार्थियों को वितरित करने के लिए कृत्रिम अवयव, कैलिपर, व्हील चेयर
- अशक्त व्यक्तियों को अन्य उपकरणों का संवितरण
- मानसिक/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना

पर्यावरण एवं वहनशीलता : पर्यावरणीय वहनशीलता की परिभाषा प्राकृतिक संसाधनों की क्षीणता एवं अवक्रण को रोकने तथा पर्यावरण की दीर्घावधि गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पर्यावरण के साथ जिम्मेदार प्रतिक्रिया के रूप में दी गई है। सौर बिजली परियोजना, सोलर लैंप, सोलर वाटर हीटर और सोलार स्ट्रीट लाइट खरीदने, लगवाने एवं बनाए रखने के लिए बैंक ने 4.78 करोड़ रुपए खर्च किए। बैंक ने पशुओं के लिए एक एंबुलेंस दिया है और घायल जानवरों के लिए एक ऑपरेशन थियेटर भी बनवाया है।

ग्लोबल वार्मिंग एवं नवीकरणीय ऊर्जा: बैंक ग्लोबल वार्मिंग एवं नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित मामलों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जारी रखा है। इस दिशा में बैंक ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता एवं पहल तथा पर्यावरणीय चिंताओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कई तरीकें अपनाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महाराष्ट्र, गुजरात एवं तमिलनाडु स्थित बैंक की शाखाओं/कार्यालयों द्वारा स्वच्छ बिजली के कैप्टिव उपयोग के लिए कुल 15 मेगावॉट क्षमता की विंडमिल की स्थापना, एलईडी लाइटों को अपनाने, स्टार श्रेणी के एसी के इंस्टालेशन, सोलर पॉवर्ड वाटर हीटिंग जैसे कई अन्य आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने के पहल इस दिशा में उल्लेखनीय रहे। किए गए अन्य उपायों में बैंक के परिसरों में ग्रीन बिल्डिंग मानदंड अपनाना, बारिश की पानी से सिंचाई, वेस्ट डिस्पोजल का प्रबंधन, कंपोस्टिंग आदि शामिल हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र के दृष्टिकोण एवं प्रतिबद्धता के अनुरूप बैंक ने एनर्जी एफीशिएंसी फाइनैंस पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के विवरण का समर्थन किया है, जिसे यूरोपियन बैंक फॉर रीकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा नवंबर-दिसंबर 2015 में पैरिस में आयोजित क्लाइमेट चेंज कांफरेंस में प्रस्तुत किया गया। नवीकरणीय ऊर्जा के वित्तपोषण में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए बैंक को भारत सरकार से उत्कृष्ट निष्पादन पुरस्कार-2015 प्राप्त हुआ।

राष्ट्रीय दान (प्राकृतिक आपदाओं के समय सहायता): प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त राज्यों को सहयोग करने में आपका बैंक सदा अग्रणी रहा है। वर्ष के दौरान निम्नलिखित दान दिए गए।

- असम बाढ़ राहत उपायों के लिए मुख्यमंत्री राहत निधि को 1.00 करोड़ रुपए।
- चेन्नई बाढ़ राहत उपायों के लिए मुख्यमंत्री राहत निधि को 1.16 करोड़ रुपए।

अनुसंधान एवं विकास निधि: बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ मिलकर संयुक्त रूप से वर्ष 2007 में इंडिया अब्सरवेटरी एंड आईजे पटेल चेयर नाम से एशिया रिसेर्च सेंटर, लंदन स्कूल ऑफ ईकॉनामिक्स में एक पीठ (चेयर) की स्थापना की है। वर्ष के दौरान 200,000 जीबीपी राशि दी गई है।

एसबीआई बाल कल्याण निधि: बैंक ने वर्ष 1983 में न्यास के रूप में एसबीआई बाल कल्याण निधि बनाई, जो अनाथ एवं निस्सहाय जैसे अल्प-सुविधाप्राप्त बच्चों के कल्याण से जुड़ी शैक्षिक संस्थानों को सहायता प्रदान करता है। इस निधि में स्टाफ सदस्यों द्वारा अंशदान किया जाता है और फिर उतनी ही राशि का अंशदान बैंक द्वारा किया जाता है। वित्त वर्ष 2016 के दौरान विभिन्न शैक्षिक संस्थानों को 29.52 लाख रुपए की राशि दी गई।

पुरस्कार: बैंक को वित्त 2016 के दौरान अपनी सीएसआर पहलों के लिए 10 पुरस्कार मिले हैं:

क्र	पुरस्कार का नाम	श्रेणी	पुरस्कार प्रदाता
1	सीएसआर एवं सस्टेनबिलिटी में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार	सीएसआर में सर्वोत्तम समग्र उत्कृष्टता	वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस
2	सीएसआर एवं सस्टेनबिलिटी में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार	संस्टेनबिलिटी में सर्वोत्तम समग्र निष्पादन	वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस
3	एशियन बैंकिंग, फाइनैंशिएल सर्विसेज एंड इंशोरेंस उत्कृष्टता पुरस्कार	सर्वोत्तम सीएसआर प्रथाएं	वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस
4	एशियन बैंकिंग, फाइनैंशिएल सर्विसेज एंड इंशोरेंस उत्कृष्टता पुरस्कार	वर्ष का बिजिनेस सस्टेनबिलिटी पहल	वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस
5	लोकमत बैंकिंग, फाइनैंशिएल सर्विसेज एंड इंशोरेंस उत्कृष्टता पुरस्कार	सर्वोत्तम बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र)	वर्ल्ड सीएसआर दिवस
6	एबीपी न्यूज सीएसआर लीडरशिप पुरस्कार	एसबीआइ फाउंडेशन को सर्वोत्तम सीएसआर प्रथाएं	वर्ल्ड सीएसआर दिवस
7	10-इंडीज पुरस्कार	एसबीआइ फाउंडेशन को सर्वोत्तम सीएसआर प्रथाएं	फन एंड जॉय एट वर्क
8	एबीपी न्यूज बैंकिंग, फाइनैंशिएल सर्विसेज एंड इंशोरेंस पुरस्कार	एसबीआइ फाउंडेशन को	वर्ल्ड सीएसआर दिवस
9	ब्लू स्टार: गलोबल सीएसआर एक्सलेंस एंड लीडरशिप पुरस्कार	सर्वोत्तम सीएसआर प्रथाएं	वर्ल्ड सीएसआर दिवस
10	सीएसआर में उत्कृष्टता एवं नेतृत्व के लिए गोल्डन ग्लोब टाइगर पुरस्कार	सर्वोत्तम सीएसआर प्रथाएं	वर्ल्ड सीएसआर दिवस

हमारी अध्यक्ष महोदया श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य ने मेरी कॉम बॉक्सिंग रीजनल फाउंडेशन, मणिपुर को वित्तीय सहायता प्रदान की।

V. सहयोगी एवं अनुषंगियां

परिचय एवं निष्पादन विशेषताएं

संपूर्ण भारत में सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के मिशन के रूप में स्टेट बैंक समूह अपनी विभिन्न अनुषंगियों के माध्यम से जीवन बीमा, मर्चेंट बैंकिंग, ट्रस्टी बिजनेस, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, फैक्टरिंग, सिक्युरिटी ट्रेडिंग, पेंशन फंड प्रबंधन, अभिरक्षा सेवाएं, साधारण बीमा (गैर-जीवन बीमा) और मुद्रा बाजार में प्राथमिक डीलरशिप सहित विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है।

सहयोगी बैंक

भारतीय स्टेट बैंक के पाँच सहयोगी बैंकों का 31 मार्च 2016 को जमा-राशियों में बाजार अंश लगभग 5.30% और अग्रिमों में बाजार अंश 5.33% रहा। सहयोगी बैंकों की शाखाओं की संख्या 6,798 और एटीएमों की संख्या 8,964 रही।

प्रदर्श 47: 31 मार्च 2016 को सहयोगी बैंकों के निष्पादन की उल्लेखनीय उपलब्धियां (₹ करोड़ में)

क्र.	बैंक का नाम	एसबीआई का स्वामित्व		कुल आस्तियां	कुल जमाराशियां	कुल अग्रिम	परिचालन लाभ	निवल लाभ	ऋण-जमा अनुपात	सीएआर %	सकल एनपीए %	निवल एनपीए %	इक्विटी पर आय %
		निवेश	%										
1	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	676.12	75.07	110336	93320	74743	2305.03	850.60	80.09	11.06	4.82	2.75	13.34
2	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	367.55	100.00	164597	139334	114369	3292.66	1064.93	81.56	11.62	5.75	3.37	10.65
3	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	628.63	90.00	82975	70244	55418	1251.53	357.85	78.89	12.43	6.56	4.18	7.92
4	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	2459.10	100.00	131036	105806	85941	1827.64	-972.39	81.22	11.50	7.87	3.98	-12.85
5	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	885.11	79.09	114507	100473	67004	1798.33	337.73	66.69	11.60	4.78	2.77	6.24

पुरस्कार एवं सम्मान

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा वर्ष के दौरान किए गए प्रमुख सामाजिक पहल में ये भी शामिल हैं: राजस्थान की स्कूलों में महिला छात्राओं के लिए 88 शौचालय एवं 78 सामान्य शौचालय बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। भूकंप से प्रभावित नेपाल के लोगों तथा चेन्नई में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करना। वर्ष के दौरान स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा वर्ष के दौरान जीते गए पुरस्कारों में ये भी शामिल हैं:बिजनेस टुडे के मध्य आकार के सर्वोत्तम बैंकों में पाँचवा स्थान, उभरते बैंक के लिए सर्वोत्तम व्यष्टि, लघु एवं मध्यम उद्यम बैंक पुरस्कार के अंतर्गत भारतीय व्यष्टि, लघु एवं मध्यम का रनर अप पुरस्कार, जो श्री पीयुष गोयल, ऊर्जा, कोयला, नव एवं नवीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिया गया।

एसबीबीजे : मध्यम श्रेणी के बेस्ट सोशल बैंक के रूप में रनर-अप अवार्ड। श्री जयंत सिन्हा, वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार ने यह अवार्ड प्रदान किया

वर्ष के दौरान स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद द्वारा जीते गए उल्लेखनीय पुरस्कारों में स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार शामिल है, जो मराठवाड़ा क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार को उपलब्ध कराए गए ई-भुगतान समाधान के लिए स्मार्ट टेक्नॉलाजी अवार्ड्स 2015 में दिया गया। इसी अवसर पर इकॉनामिक वैल्यू एड श्रेणी के अंतर्गत ड्रॉप फोल्डर युटिलिटि परियोजना पुरस्कार तथा केरल बैंकर्स क्लब का दूसरा सर्वोत्तम सार्वजनिक क्षेत्र बैंक का पुरस्कार।

वर्षके दौरान स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की उल्लेखनीय उपलब्धियों में 752 बिजनेस करेस्पांडेंटों की सहायता से सभी गाँवों में 100 प्रतिशत कवरेज, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 12 लाख से भी अधिक खाते खोलना, इन खातों से 161.30 करोड़ रुपए की जमा-राशियां जुटाना, इसी योजना के तहत खोले गए 94% से अधिक खातों के लिए रु-पे कार्ड जारी करना तथा बैंक के 99वें संस्थापना दिवस पर पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ में आयोजित "रन एगेन्स्ट ड्रग्स"।

वर्ष के दौरान स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर की प्रमुख उपलब्धियों में कई अवार्ड शामिल हैं, जैसे केरल राज्य कुदुमबाश्री मिशन द्वारा दिया गया अवार्ड। यह अवार्ड केरल राज्य में संयोजन ऋण के रूप में एनएचजीओ को दी गई सहायता के आधार पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों में प्रथम स्थान पर रहने पर दिया गया। ईको-टेक सैवी बैंक के लिए उभरते हुए बैंक के रूप में "एमएसएमई बैंकिंग एक्सिलेंस अवार्ड-2015", स्कोच अवार्ड-क) केरल सरकार ई-टेंडर/ई-प्रोक्यूरमेंट, ख) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व, सामाजिक क्षेत्र, ग) ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान और घ) ओएफएसी फिल्टरिंग इन रेमिटैंसेज।

अनुषंगियां

प्रदर्श 48: गैर-बैंकिंग अनुषंगिया (रुपए करोड़ में)

क्र.	अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (स्टेट बैंक का हित)	स्वामित्व का प्रतिशत	वित्त वर्ष 2016 के लिए निवल लाभ (हानियां)
1	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (समेकित)	58.03	100	278.88
2	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	139.15	63.78*	72.19
3	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	0.1	100	0.33
4	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	137.79	86.18	0.86
5	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	18	60*	0.51

* एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड में एसबीआई समूह की धारिता 100% है (एसबीआई 60%, म्यूचुअल फंड और एसबीआई कैपिटल प्रत्येक का 20%) तथा एसबीआई डीएफएचआई में स्टेट बैंक की धारिता 72.17% (एसबीआई 63.78%, सहयोगी बैंक 5.27% तथा एसबीआई कैपिटल 3.12%) है।

प्रदर्श 49: गैर-बैंकिंग अनुषंगियां: संयुक्त उद्यम (₹ करोड़ में)

क्र.	अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (स्टेट बैंक का हित)	स्वामित्व का प्रतिशत	वित्त वर्ष 2016 के लिए निवल लाभ (हानियां)
1	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लि.	31.50	63	165.36
2	एसबीआई कार्ड्स एवं पेमेंट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	471.00	60	283.96
3	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	740.00	74	861
4	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्यूरिटीज सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	52.00	65	8.66
5	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	150.22	74	(120)
6	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	9.44	40	38.52

क. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (एसबीआईकैप)

एसबीआई कैप भारत का प्रमुख निवेश बैंक है, जो कि विभिन्न ग्राहक वर्गों को तीन उत्पादों के समूहों-आधारिक संरचना, ईक्विटी पूंजी बाजार एवं ऋण पूंजी बाजार में वित्तीय परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इन सेवाओं में परियोजना परामर्शी सेवाएं, ऋण समूहन, स्ट्रक्चर्ड ऋण नियोजन, विलयन एवं अधिग्रहण, निजी ईक्विटी, पुनर्संरचनात्मक परामर्शी सेवाएं, तनावग्रस्त आस्ति समाधान, आईपीओ, एफपीओ, अधिकार निर्गम, ऋण एवं हाइब्रिड पूंजी जुटाना शामिल हैं।

31 मार्च 2016 को समाप्त हुई अवधि के दौरान, एसबीआईकैप ने 425.29 करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ दर्ज किया जबकि वित्त वर्ष 2015 के दौरान इसने 507.90 करोड़ रुपए का कर-पूर्व लाभ दर्ज किया था और 31 मार्च 2016 को इसने 283.39 करोड़ रुपए का कर-पश्चात लाभ कमाया है, जबकि वित्त वर्ष 2015 में यह राशि 338 करोड़ रुपए रही थी।

31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि के दौरान एसबीआईकैप ने 320% लाभांश घोषित किया, जबकि वित्त वर्ष 2015 में इसने 430% लाभांश घोषित किया था।

एसबीआई कैप को अपने क्षेत्र में अग्रणी भूमिका के सम्मान स्वरूप कुछ प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें ये कुछ निम्नानुसार हैं:

- एशिया पैक एक्स-जपान में अबान होल्डिंग्स लिमिटेड (7) एवं ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड (ओपीएएल) (9) शीर्ष 10 सौदों की सूची में।
- ओपीएएल का सौदा एशिया-पैक एक्स-जपान के 10 शीर्ष ऋणों की सूची में, देश का सबसे बड़ा सौदा।
- एयरसेल समूह की 137.29 बिलियन रुपया निधीयन सुविधा को एसेट ट्रिपल ए एशिया इनफ्रास्ट्रक्चर पुरस्कार 2015 में वर्ष का टेलिकॉम सौदा पुरस्कार।

1. एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लिमिटेड (एसएसएल)

एसएसएल, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी है। यह खुदरा एवं संस्थागत ग्राहकों को नकद एवं वायदा विकल्प सौदों में ईक्विटी बैंकिंग प्रदान करने के अलावा, म्यूचुअल फंड, कर मुक्त बांड, आवास ऋण, ऑटो ऋण, ट्रैक्टर ऋण जैसे अन्य वित्तीय उत्पादों के विक्रय और वितरण कार्य में लगा हुआ है।

एसएसएल की 100 से अधिक शाखाएं हैं और यह खुदरा एवं संस्थागत दोनों प्रकार के ग्राहकों को डीमेट, ई-ब्रोकिंग, ई-आईपीओ एवं ई-एमएफ सेवाएं उपलब्ध कराती है। एसएसएल के पास इस समय 10 लाख से अधिक ग्राहक हैं। 31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि के दौरान इस कंपनी को 160.82 करोड़ रुपए की सकल आय हुई, जबकि वित्त 2015 के दौरान यह 114.02 करोड़ रुपए रही।

2. एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड (एसवीएल)

एसवीएल एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी है। डीएफआईडी (डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट) ने भारतीय स्टेट बैंक समूह के साथ मिलकर 'नीव फंड' स्थापित किया है, जिसका प्रबंधन एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड (एसवीएल) करेगा। एसवीएल आस्ति प्रबंधन कंपनी के रूप में कार्य कर रही है।

'नीव फंड' की प्रारंभिक पेशकश 10 अप्रैल 2015 को समाप्त हुई और इस फंड का वर्तमान कारपस 469.39 करोड़ रुपए है। फंड का निवेश भारत के 8 चुनिंदा राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओड़िशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल) में नवीकरणीय ऊर्जा, जल एवं स्वच्छता, कृषि सप्लाई चेन जैसे आधारि संरचना क्षेत्रों में किया जाएगा। एसवीएल ने प्रबंधन शुल्क अर्जित करना शुरू किया है।

3. एसबीआई कैप (यूके) लिमिटेड (एसयूएल)

एसयूएल एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी है। एसयूएल यूके और यूरोप में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के लिए एक रिलेशनशिप इकाई के रूप में अपने को मजबूत बना रही है। व्यवसाय उत्पादों का विपणन करने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों, वित्तीय संस्थाओं, विधि फर्मों, लेखा फर्मों आदि के साथ संबंध बनाए जा रहे हैं।

4. एसबीआई कैप (सिंगापुर) लिमिटेड (एसएसजीएल)

एसबीआई कैप सिंगापुर लिमिटेड जो एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है, ने दिसंबर 2012 से अपना व्यवसाय आरंभ किया है। एसबीआई कैप के व्यवसाय उत्पादों का विपणन करने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों, वित्तीय संस्थाओं, विधि फर्मों, लेखा फर्मों आदि के साथ संबंध बनाए जा रहे हैं। इसे विदेशी मुद्रा वाले बांडों की मार्केटिंग और एसबीआईकैप सिक्युरिटीज के लिए ग्राहक जुटाने के कार्य में विशेषज्ञता प्राप्त है।

5. एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)

एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल) एसबीआई कैपिटल मार्केट्स की एक पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी है। एसटीसीएल ने 1 अगस्त 2008 में प्रतिभूति न्यासी व्यवसाय शुरू किया है। 31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि के दौरान इसे 13.35 करोड़ रुपए का निवल लाभ हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2015 के दौरान यह 11.16 करोड़ रुपए रहा। एसटीसीएल ने व्यक्तियों के लिए 'माई विल सर्विस ऑनलाइन' नामक ऑनलाइन विल क्रियेशन सर्विस सफलतापूर्वक शुरू की है। उसने अपनी 'ट्रस्टी एंटरप्राइस मैनेजमेंट सिस्टम' जो कि न्यासी संबंधी सभी परिचालनों के समाधान से संबद्ध प्रणाली है, भी सफलतापूर्वक शुरू की है और इस तरह न्यासी संबंधी सभी परिचालनों का संपूर्ण स्वचालन करने वाली भारत की पहली एवं एकमात्र कंपनी बन गई है।

ख. एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड (एसबीआई डीएफएचआई)

एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड एकमात्र सबसे बड़ी स्टैंड अलोन प्राथमिक डीलर (पीडी) कंपनी है, जिसकी देश भर में उपस्थिति है। प्राथमिक डीलर के रूप में इसके लिए प्राथमिक नीलामियों में बुक बिल्डिंग प्रक्रिया में सहयोग करना और सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में द्वितीयक बाजारों के लिए व्यापक सुविधाएं और चलनिधि उपलब्ध कराना आवश्यक किया गया है। सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा यह मनी मार्केट लिखत, गैर-सरकारी प्रतिभूति ऋण लिखत आदि में भी व्यवसाय करती है। प्राथमिक डीलर के रूप में इसकी व्यावसायिक गतिविधियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित/विनियमित होती है।

एसबीआई समूह की इस कंपनी में 72.17 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्त वर्ष में कंपनी को 72.19 करोड़ रुपए का निवल लाभ हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2015 की समान अवधि में इसे 92.55 करोड़ रुपए का निवल लाभ हुआ था।

31 मार्च 2016 को एसबीआई डीएफएचआई का बाजार अंश सभी बाजार सहभागियों में 3.46 प्रतिशत और अकेले कारोबार कर रहे प्राथमिक डीलरों में 20.37 प्रतिशत रहा।

ग. एसबीआई काड्र्स एवं पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआई सीपीएसएल)

एसबीआई सीपीएसएल भारत में अकेले क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी है, जो कि भारतीय स्टेट बैंक जीई कैपिटल कारपोरेशन के बीच एक संयुक्त उपक्रम है तथा एसबीआई की इसमें 60 प्रतिशत भागीदारी है।

दिसंबर 2015 की स्थिति के अनुसार एसबीआई सीपीएसएल 34.68 लाख कार्ड आधार और 15 प्रतिशत बाजार अंश के साथ सक्रिय कार्डों से पूरे उद्योग जगत में तीसरे स्थान पर है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कार्ड आधार में 17 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। इसके कार्ड के माध्यम से खर्च की गई राशि की दृष्टि से 12 प्रतिशत बाजार अंश के साथ यह पाँचवे स्थान से चौथे स्थान पर आ गया है। कार्ड से व्यय की जानेवाली राशि में वृद्धि जारी है और उद्योग में 26% की वृद्धि की तुलना में इसने 35% की दर से उच्चतम वृद्धि दर्ज की है।

यह कंपनी दृढ़ रूप से लाभ-वृद्धि के पथ पर अग्रसर है और वर्ष 2010-11 से लाभ कमा रही है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 21% वृद्धि की दर से कंपनी का कर पूर्व लाभ 438 करोड़ रुपए रहा (वित्त वर्ष 2014-15 एकमात्र ऐसा वर्ष रहा, जब कंपनी को लेखा समायोजन करने पड़े थे)। वित्त वर्ष 2015-16 में कंपनी का कर पश्चात लाभ 284 करोड़ रुपए रहा जबकि वित्त वर्ष 2014-15 की समान अवधि में यह 267 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2014-15 में 54.1 करोड़ रुपए के एकबारगी आस्थगित कर और वर्ष में संचित हानि के कारण कर पश्चात लाभ वृद्धि कम रही। कंपनी ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए 10 प्रतिशत की दर से लाभांश की पेशकश की है जो पिछले वर्ष 5 प्रतिशत थी।

वर्तमान वर्ष में कंपनी ने ऑनलाइन सक्रिय युवा ग्राहकों, फेडरल बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, कैपिटल वन तथा मुंबई मेट्रो के साथ को-ब्रांडेड कार्डों पर ध्यान देते हुए सिंप्ली क्लिक कार्ड शुरू किया है।

नई प्रौद्योगिकी के अनुसार कंपनी ने कांटैक्टलेस प्रयोग के लिए एनएफसी टेक्नॉलजी पर पे-वेव सिग्नेचर कार्ड शुरू किया है।

वर्तमान वर्ष के दौरान एसबीआई काड्र्स को निम्नलिखित पुरस्कार मिले:

- सिंप्ली क्लिक कार्ड को कस्टमर फेस्ट अवार्ड्स 2016 के तहत वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कार्ड प्रोडक्ट/प्रोग्राम का अवार्ड और मास्टर कार्ड इनोवेशंस अवार्ड्स 2016 में सर्वश्रेष्ठ क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम श्रेणी में प्राप्त हुआ।
- प्रतिभा प्रबंधन में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक एवं बाजार अग्रणी प्रथाओं के लिए को वार्षिक पुरस्कार समारोह 2015 में एसबीआई कार्ड दिल्ली मैनेजमेंट एशोसिएशन का पुरस्कार दिया गया।
- एसबीआई काड्र्स लर्निंग टूल 'लिटल मास्टर' ने नेशनल आईटी एक्सीलेंस अवार्ड जीता। यह अवार्ड कारोबार बढ़ाने में सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग करने के लिए दिया गया।
- एसबीआई कार्ड को वर्ष 2015-16 में एनबीएफसी खंड में सर्वश्रेष्ठ डेटा गुणवत्ता के लिए आठवीं वार्षिक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कॉन्फ्रेन्स में पुरस्कार दिया गया।
- एसबीआई कार्ड - फ्लेक्सीपे अभियान को 2015 डीएमए एशिया ईको अवार्ड में 2015 के लिए ईको लीडर चुना गया।
- एसबीआई कार्ड को रीडर्स डाइजेस्ट ट्रस्टिड ब्राडं अवाड्र्स 2015 के तहत सर्वाधिक विश्वसनीय ब्राडं का अवार्ड मिला
- एसबीआई कार्ड ने कार्डवन सीआरएम टूल के लिए सर्वोत्तम नवोन्मेषी टेक्नोलॉजी लीगेसी ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड अंतरराष्ट्रीय गार्टनर अवार्ड के तहत जीता।

घ. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआई लाइफ)

एसबीआई लाइफ इंश्योरंस कंपनी लिमिटेड भारतीय स्टेट बेंक और बीएनपी परिबास कार्डिफ के बीच संयुक्त उद्यम है, जिसमें एसबीआई की भागीदारी 74 प्रतिशत है। बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए एसबीआई लाइफ के पास एक विशेष बहु-वितरण मॉडल है, जिसमें बीमा उत्पादों के संवितरण के लिए बैंक इंश्योरेंस, रिटेल एजेंसी, वैकल्पिक, समूह कारपोरेट और ऑनलाइन चैनल शामिल हैं।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2016 में एक बार फिर दिखा दिया कि वह बाजार अग्रणी है। इस अवधि में उसकी वृद्धि दर उद्योग की वृद्धि से भी अधिक रही। निजी उद्योग की 18 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में कंपनी के नए व्यवसाय प्रीमियम में 29 प्रतिशत वृद्धि परिलक्षित हुई। मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार सभी निजी प्लेयरों में एसबीआई लाइफ नए व्यवसाय प्रीमियम का बाजार हिस्सा पिछले वर्ष की 15.9 प्रतिशत की तुलना में 17.3 प्रतिशत रहा। नए व्यवसाय प्रीमियम के मामले में निजी उद्यम में कंपनी का पहला स्थान है। इसके अलावा कंपनी ने इंडिविजुअल एडजस्टिड प्रीमियम इक्विलेंट में 37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि प्राइवेट इंडस्ट्री की वृद्धि 14 प्रतिशत रही।

एसबीआई लाइफ को वित्त वर्ष 2016 में 861 करोड़ रुपए का कर-पश्चात लाभ हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2015 में यह 820 करोड़ रुपए था। आस्तियों में 13 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि हुई, जिससे ये 31 मार्च 2016 को 83,429 करोड़ रुपए रही।

अपने 774 कार्यालय नेटवर्क के माध्यम से अपनी व्यापक पहुंच का उपयोग करते हुए, एसबीआई लाइफ ने व्यवस्थित ढंग से व्यापक ग्रामीण क्षेत्रों को बीमा सुविधाएं उपलब्ध कराई। वित्त वर्ष 2016 में कंपनी ने कुल पालिसियों में से 24 प्रतिशत पालिसियां इस खंड में बेची। कंपनी ने अल्पसुविधा प्राप्त सामाजिक क्षेत्र में 285,027 लोगों का बीमा किया। यह कंपनी न्यूनतम सामाजिक और ग्रामीण नियामक मानदंडों के लक्ष्यों से कहीं अधिक लक्ष्य प्राप्त करती रही है।

बीएनपी पारीबास कार्डिफ ने एसबीआई से उनकी 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदकर अपनी हिस्सेदारी में वृद्धि करने की मंशा व्यक्त की है। एसबीआई के इस विनिवेश प्रस्ताव को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर किया गया है।

एसबीआई लाइफ ने अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के लक्ष्यों के अनुरूप देश के विभिन्न भागों में बाल कल्याण कार्यक्रम के रूप में अपने आउटरीज प्रयासों को सुदृढ़ किया है। वह स्वास्थ्य सुविधा सेवाओं, शैक्षिक, आधारिक संरचनात्मक सुधार एवं ग्रामीण विकास के जरिए बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा समुदायों को जोड़ने की दिशा में योगदान देने पर ध्यान दे रहा हैं। राष्ट्रीय और स्थानीय संगठनों के साथ भागीदारी में सामाजिक कार्यों से जुड़कर शिक्षा के क्षेत्र में की गई सहायता से देश के एक लाख से अधिक बच्चे लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा कंपनी ने देश भर में 500 से अधिक शिक्षा संस्थाओं और संगठनों को सहायता प्रदान की है।

एसबीआई लाइफ ने ग्राहक केंद्रित अपने गुणवत्तापूर्ण प्रयासों, प्रतिबद्धता और कारोबारी उत्कृष्टता के चलते बहुत से अवार्ड जीते। वर्ष के दौरान प्राप्त पुरस्कारों एवं सम्मानों में शामिल हैं:

- एसबीआई लाइफ ने जीवन बीमा की कम पहुंच वाली मार्केट में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए द इंडियन इंश्योरेंस पुरस्कार 2015 जीता (बड़ी कंपनी श्रेणी में)
- वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस दवारा लोकमत बीएफएसआई पुरस्कार 2015 में सर्वोत्तम जीवन बीमा कंपनी (निजी क्षेत्र) का पुरस्कार।
- छठे सीएमओ एशिया पुरस्कारों में ब्रांडिंग एवं विपणन में उत्कृष्टता के लिए वर्ष का विपणन अभियान पुरस्कार जीता।

एसबीआई-ईटीए, एनईएफटी और एसबीआई सेंसेक्स-ईटीएफ के माध्यम से इक्विटी में ईपीएफओ का शुभारंभ।

- टीआईएसएस लीपवॉल्ट प्रोग्राम सीएलओ अवार्ड 2015 बिक्री बढ़ाने में सर्वश्रेष्ठ प्रोग्राम तैयार करने के लिए मिला।
- 14वें एशिया पेसिफिक एचआरएम कांग्रेस में नॉलेज मैनेजमेंट के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण पद्धतियों के उपयोग के लिए नॉलेज मैनेजमेंट लीडरशिप पुरस्कार 2015।
- द इकनॉमिक टाइम्स, ब्रांड ईक्विटी एवं नीलसन सर्वे 2015 में लगातार पाँचवीं बार 'अत्यंत विश्वनसीय निजी जीवन बीमा ब्रांड' का पुरस्कार।
- 'सर्वश्रेष्ठ विज्ञापन' के लिए बीमा श्रेणी में IndiAA अवार्ड 2015 जीता।
- वर्ल्ड मार्केटिंग कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत जीवन बीमा (प्राइवेट सेक्टर) श्रेणी में ब्रैंड एक्सीलेंस अवार्ड, 2015 जीता।
- वर्ष 2015 के लिए जोखिम प्रबंधन का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता।
- इनस्पाइरिंग वर्क प्लेसेस सम्मेलन 2015 में सर्वोत्तम मानव संसाधन प्रौद्योगिकी का पुरस्कार जीता।
- आरोग्य हेल्थी वर्कप्लेस पुरस्कार 2015 में गोल्ड पुरस्कार मिला।
- द इकॉनमिक टाइम्स सर्वोत्तम कारपोरेट बांड्स 2016 का खिताब।
- एसबीआई लाइफ ने प्राइम टाइम अवार्ड 2015 (कांस्य) जीता। यह अवार्ड ग्रेट एड विज्ञापन अभियान चलाने के लिए दिया गया। अवार्ड बीएफएसआई सेक्टर में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक अभियान - सिंगल विज्ञापन या अभियान श्रेणी में मिला।
- एसबीआई लाइफ ने जीवन बीमा में उत्कृष्टता के लिए स्टार्स ऑफ दि इंडस्ट्री अवार्ड जीता।
- एसबीआई लाइफ को 'गोल्डन पीकॉक नेशनल क्वालिटी अवार्ड' वर्ष 2015 के लिए दिया गया। यह अवार्ड आईओडी इंडिया के '26वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑन लीडरशिप फॉर बिजनेस एक्सीलेंस एंड इनोवेशन' में दिया गया।

वित्त वर्ष 2016 में ऐसे उत्पादों की डिजाइनिंग पर जोर दिया गया, जिनसे बाजार की बदलती आवश्यकताओं और नियामक की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। ग्राहक की आवश्यकताओं और वर्तमान उत्पाद पोर्टफोलियो, का विश्लेषण करके नए क्षेत्रों का पता लगाया गया और नए उत्पाद बाजार में उतारे गए। इन सभी को जारी करने के पीछे लक्ष्य कतिपय आवश्कताओं को पूरा करना और उत्पादों को और व्यापक स्तर पर लोकप्रिय बनाने में योगदान करना था।

ङ. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआई एफएमपीएल)

एसबीआईएफएमपीएल एसबीआई म्यूचुअल फंड की आस्ति प्रबंधन कंपनी है। यह औसत प्रबंधन अधीन आस्तियों के मामले में 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। इसके 4.7 मिलियन से अधिक निवेशक है और यह बाजार में सबसे आगे है। एसबीआईएफएमपीएलने वर्ष 2016 में 165.36 करोड़ रुपए का कर पश्चात लाभ दर्ज किया है, जबकि वित्त वर्ष 2015 में इसने 163.43 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया था। मार्च 2016 को समाप्त तिमाही के दौरान कंपनी की औसत प्रबंधन अधीन आस्तियां 1,06,781 करोड़ रुपए रही और बाजार अंश 7.89 प्रतिशत रहा, जो मार्च 2015 में समाप्त तिमाही के दौरान 6.30 प्रतिशत था। कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी अनुषंगी है, अर्थात एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मॉरीशस में स्थित है और विदेशी फंड का प्रबंध करती है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआईएफएमपीएल की 100% की अनुषंगी है।

SBI FMAwards

AsianInvestor	▪ **The Best Fund House in India**
MONEY	▪ **The Best Long Term Equity Asset Management House**
Outlook Money Awards 2015	▪ **Runner up for Best Debt fund house**
2016 THOMSON REUTERS LIPPER FUND AWARD INDIA	▪ **Lipper Award (Best Group Over 3 Years)** ▪ SBI FM has won a Fund Family Award for the **mixed asset classes**. ▪ **Lipper Fund Awards** ▪ SBI Magnum Gilt Fund-Long Term-Growth won the Best Bond Award in the 3 years in Bond Indian Rupee – Government ▪ SBI Small & Midcap-Growth won the best Equity Award in the 3 years category in Equity India
MORNINGSTAR	▪ **Morningstar Fund Category Award** ▪ SBI Bluechip is the winner in the Large Cap Category. The award recognizes the fund for strong 3 year and 5 year returns after adjusting for risk, in addition to outperformance of its peers in 1 year.

SBI MUTUAL FUND

च. एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड (एसबीआईजीएफएल)

एसबीआईजीएफएल देश-विदेश में व्यापार के लिए फैक्टरिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में सबसे आगे है, कंपनी में एसबीआई समूह की 86.18 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। कंपनी की सेवाएं एमएसएमई ग्राहकों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हैं और इनमें बही ऋणों में फंसी राशियां अन्यत्र उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाती है। फैक्टर्स चेन इंटरनेशनल (एफसीआई) की अपनी सदस्यता के कारण यह कंपनी 2 फैक्टर मॉडल में निर्यात से प्राप्त होने वाली राशियों के ऋण जोखिम के साथ तालमेल बैठा पाती है।

कंपनी का वित्त वर्ष 2015-16 में कायापलट हुआ। कम्पनी ने ₹ 2.53 करोड़ का कर पूर्व लाभ हासिल किया (जबकि पिछले वर्ष ₹ 59.21 करोड़ की हानि हुई थी) और ₹ 0.86 करोड़ का कर पश्चात लाभ हासिल किया (जबकि पिछले वर्ष ₹ 46.23 करोड़ की हानि हुई थी)। कंपनी का टर्नओवर वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान ₹2,500 करोड़ को पार कर ₹ 2,532 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष का टर्नओवर ₹2,226 करोड़ रहा था, जो 13.75 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। एफआईयू स्तर 31 मार्च 2016 को ₹1,000 करोड़ के स्तर को पार कर गया और यह पिछले वर्ष के ₹921 करोड़ के स्तर की तुलना में ₹1,008 करोड़ रहा, जो 9.45 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

31.03.2016 को कंपनी के सकल एनपीए के स्तर को घटाकर ₹297 करोड़ पर लाया गया और निवल एनपीए के स्तर को ₹30 करोड़ पर लाया गया, जबकि 31.03.2015 को सकल एनपीए का स्तर ₹363 करोड़ और निवल एनपीए का ₹91 करोड़ पर था। निवल एनपीए का स्तर दिनांक 31.03.2016 को कुल एफआईयू के 3% से नीचे था। पिछले 2 वर्षों के नए स्लिपेज, अर्थात वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 85.02 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2013-14 के ₹108.83 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2015-16 की अवधि में घटाकर 3.79 करोड़ रुपए पर लाया गया।

फैक्टर-2 मॉडल के तहत निर्यात फैक्टरिंग टर्नओवर 32.80 मिलियन यूरो (238 करोड़ रुपए) के बराबर रहा, जबकि वर्ष 2014-15 में यह 18.55 मिलियन (138 करोड़ रुपए) रहा। एसबीआईजीएफएल को 2015 में सिंगापुर में फैक्टर्स चेन इंटरनेशनल से सर्वोत्तम सेवा गुणवत्ता सुधार के लिए मान्यता प्रमाणपत्र दिया गया।

कंपनी के पास पर्याप्त पूंजी है और इसके उधार कार्यक्रमों को रेटिंग एजेंसियों से एएए/ए1 + रेटिंग प्राप्त है।

छ. एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआईपीएफ)

एसबीआईपीएफ पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त तीन पेंशन निधि प्रबंधकों में से एक है, जिसे केंद्र सरकार (सशक्त बलों को छोड़कर) और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था (एनपीएस) के तहत पेंशन निधियों का प्रबंध सौंपा गया है। एसबीआईपीएफ स्टेट बैंक समूह की एक पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी है, जिसने अपना कारोबार अप्रैल 2008 में शुरू किया था। 31 मार्च 2016 को कंपनी की प्रबंध अधीन आस्तियों की कुल राशि 46,019 करोड़ रुपए रही (वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 47 प्रतिशत), जबकि मार्च 2015 में यह राशि 31,407 करोड़ रुपए रही थी।

यह कंपनी सरकारी और निजी क्षेत्रों दोनों में एयूएम के मामले में पेंशन निधि प्रबंधकों में अपना स्थान सबसे आगे बनाए हुए है। निजी क्षेत्र में समग्र एयूएम बाजार अंश 69 प्रतिशत था, जबकि सरकारी क्षेत्र में यह 35 प्रतिशत रहा था। कंपनी ने निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों में अपनी नंबर 1 स्थिति को बनाए रखा है। कंपनी को आउटलुक मनी द्वारा वर्ष 2015 के लिए एनपीएस के तहत सर्वश्रेष्ठ पेंशन फंड हाउस घोषित किया गया।

ज. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआईजीआईसी)

एसबीआईजीआईसी भारतीय स्टेट बैंक और आईएजी ऑस्ट्रेलिया के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें एसबीआई की हितधारिता 74 प्रतिशत है। कंपनी वाजिब कीमत निर्धारण, निष्पक्ष और पारदर्शी दावा प्रबंधन व्यवहारों पर ज्यादा ध्यान देती है। कंपनी की संवृद्धि की आकांक्षा बैंका चैनल पर निर्भर है और यह ऐसे चुनिंदा वैकल्पिक चैनल और उत्पाद विकसित कर रही है, जो हमारे व्यवसाय के उद्देश्यों लाभप्रद वृद्धि को पूरा कर सकें। कंपनी ने मोटर संविभाग में संवृद्धि हासिल करने के लिए तीन बड़े कार उत्पादनकर्ताओं के साथ कार्यनीतिक गठजोड़ किया है।

वित्त वर्ष 2016 में सकल प्रत्यक्ष लिखित प्रीमियम 2039.8 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम में वर्ष-दर-वर्ष 29.4 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की है, जबकि उद्योग क्षेत्र की संवृद्धि 13.8 प्रतिशत रही। सभी सामान्य बीमा कंपनियों के बीच समग्र बाजार अंश 1.9 प्रतिशत से बढ़कर 2.1 प्रतिशत हुआ और निजी क्षेत्र की अन्य कंपनियों के क्षेत्र में 4.5 प्रतिशत से बढ़कर 5.1 प्रतिशत हुआ। एसबीआईजीआईसी वित्त वर्ष 2016 में समग्र बाजार रैंकिंग में 2015 के 14वें स्थान से आगे बढ़कर 13वें स्थान पर रही और निजी क्षेत्र में 2015 के 9वें स्थान से आगे बढ़कर 2016 में 8वें स्थान पर पहुंच गई है। एसबीआईजीआईसी उद्योग और निजी प्लेयरों में वैयक्तिक दुर्घटना में दूसरे स्थान पर है। कंपनी का प्राइवेट बीमाकर्ताओं में आग के मामले में 2रा और इंडस्ट्री में 6ठा स्थान है। आईएजी एसबीआई की हिस्सेदारी खरीदकर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 23 प्रतिशत करना चाहता है। एसबीआई के इस विनिवेश के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुमति प्रदान कर दी है।

वर्ष के दौरान प्राप्त पुरस्कारों में इंडिया इंश्यूरेंस पुरस्कार का वर्ष 2015 का मार्केटिंग इनीशिएटिव पुरस्कार तथा वर्ल्ड मार्केटिंग कांग्रेस का 50 अत्यंत प्रभावकारी डिजिटल मीडिया व्यवसायी पुरस्कार शामिल हैं।

झ. एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआईएसजी):

एसबीआईएसजी भारतीय स्टेट बैंक और सोसाइटी जनरल के बीच का संयुक्त उद्यम है, जिसकी स्थापना किसी वित्तीय घराने द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं को पूरा करने में उच्च स्तरीय अभिरक्षा और निधि प्रबंधन के लिए की गई थी। एसबीआईएसजी द्वारा अभिरक्षा सेवाओं का कारोबार मई 2010 में और फंड अकाउंटिंग का सितंबर 2010 में शुरू किया गया था। वित्त वर्ष 2016 में कंपनी का निवल लाभ 8.66 करोड़ रुपए रहा, जबकि वित्त वर्ष 2015 में यह 5.69 करोड़ रुपए था।

31 मार्च 2016 को अभिरक्षाधीन आस्तियां बढ़कर 2,20,902 करोड़ रुपए हो गई, जबकि 31 मार्च 2015 को ये 69,587 करोड़ रही थीं और मार्च 2016 को प्रबंधन अधीन आस्तियां 1,32,152 करोड़ रुपए रही, जबकि मार्च 2015 में ये 79,090 करोड़ रुपए रहीं।

एसबीआई-एसजी ने भारत में सब-कस्टोडियन के ग्लोबल इनवेस्टर सर्वे में अपनी रैंकिंग को बेहतर कर लिया। वर्ष 2016 में यह 3रे से 2रे स्थान पर आ गई। एसबीआई-एसजी को ग्लोबल फाइनैंस मैग्जीन 2015 द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ सब कस्टोडियन अवार्ड्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ सब कस्टोडियन घोषित किया गया। एसबीआई-एसजी ने नई उभर रही मार्केट में सब कस्टोडियन के लिए कराए गए ग्लोबल कस्टोडियन सर्वे में पहली बार भाग लिया और यह टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 2रे और रिपोर्टिंग के क्षेत्र में 3रे स्थान पर रही।

ञ. एसबीआई फाउंडेशन (एसबीआईएफ)

आपके बैंक, इसके सहयोगियों और सहायक कंपनियों की सीएसआर गतिविधियों को बड़े पैमाने पर एकसाथ सुनियोजित और योजनाबद्ध एवं प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए धारा 8 के तहत एक अलग संस्था स्थापित करने पर विचार किया गया। एसबीआई फाउंडेशन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत भारतीय स्टेट बैंक की 100 प्रतिशत की सहायक कंपनी के रूप में स्टेट बैंक समूह की सीएसआर गतिविधियों को संचालित करने के लिए स्थापित की गई। फाउंडेशन का गठन करते समय यह विचार किया गया कि एसबीआई समूह की सभी संस्थाएं अपनी सीएसआर गतिविधियों में से इसके लिए योगदान करेंगी। फाउंडेशन को अपनी गतिविधियों का संचालन करने के लिए एमओसीए के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हो गया है। इसे हाल ही में आय कर अधिनियम 1961 की धारा 12ए और 80जी के तहत रजिस्टर कर लिया गया है।

आपके बैंक के सीएसआर दर्शन का उद्देश्य आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों के जीवन में सार्थक और मात्रात्मक बदलाव लाना है। आपका बैंक ऐसे प्रयास भी बढ़ाना चाहता है, जिनसे पर्यावरण संरक्षण, सुधार और संवर्धन हो सके, पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जा सके और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सके और स्वच्छता और रोगमुक्ति को बढ़ावा दिया जा सके। आपका बैंक अच्छा कॉरपोरेट गवर्नेंस तथा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के महत्व को समझता है और यह जानता है कि इससे अपने हितधारकों और सारे समाज के विश्वास को बढ़ाने और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इसका मिशन समाज के सबसे वंचित वर्गों को सीधे संसाधन उपलब्ध कराना और सामाजिक एवं विकास कार्यों में संलग्न संस्थाओं के साथ भागीदारी/सहयोग करके सर्वाधिक पारदर्शी तरीके से निरंतर समावेशी विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए।

फाउंडेशन निम्नलिखित क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी :

- स्वास्थ्य रक्षा और स्वच्छता
- शिक्षा, आजीविका और कौशल विकास
- महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल
- निर्वाह और पर्यावरण
- ग्रामीण विकास

VI. उत्तरदायित्व वक्तव्य :

निदेशक बोर्ड एतद्द्वारा सूचित करता है कि :

i. वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू लेखा मानकों का समुचित अनुपालन किया गया है और महत्वपूर्ण विचलनों की स्थिति में समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

ii. उन्होंने ऐसी लेखा नीतियों का चयन एवं उनका निरंतर प्रयोग किया है और ऐसे निर्णय किए हैं तथा प्राक्कलन किए हैं, जो 31 मार्च 2016 को बैंक के कार्यकलाप और उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ एवं हानि की सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाने के लिए पर्याप्त एवं विवेक सम्मत है;

iii. उन्होंने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड रखने हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;

iv. उन्होंने वार्षिक लेखों को वर्तमान और भावी सतत अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया है;

v. बैंक द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए हैं तथा ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं; और

vi. सभी प्रयोज्य कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली तैयार की गई है तथा ऐसी प्रणाली पर्याप्त है और प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

VII. आभार

वर्ष के दौरान डॉ. राजीव कुमार, श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह और श्री एस. के. मुखर्जी अपना कार्यकाल समाप्त होने के कारण क्रमशः दिनांक 5 अगस्त, 23 सितंबर और 3 अक्तूबर 2015 को बोर्ड से निवृत्त हो गए। श्री पी. प्रदीप कुमार, प्रबंध निदेशक - कॉरपोरेट बैंकिंग समूह 31 अक्तूबर 2015 को अपनी अधिवर्षिता की आयु पूर्ण होने पर निवृत्त हो गए। डॉ. हसमुख आढ़िया 2 सितंबर 2015 को निवृत्त हो गए और सुश्री अंजुली चिब दुग्गल 3 सितंबर 2015 से उनके स्थान पर भारत सरकार की नामिती निदेशक के रूप में नामित किए गए।

श्री रजनीश कुमार और श्री पी. के. गुप्ता धारा 19 (ख) के तहत क्रमशः 26 मई और 2 नवंबर 2015 से नियुक्त किए गए तथा डॉ. गिरीश के. आहूजा और डॉ. पुष्पेंद्र राय धारा 19 (घ) के तहत दिनांक 28 जनवरी 2016 से बोर्ड में निदेशकों के रूप में नामित किए गए।

निदेशक बोर्ड ने पदमुक्त हुए निदेशकों अर्थात डॉ. राजीव कुमार, श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह, श्री एस. के. मुखर्जी, डॉ. हसमुख आढ़िया और श्री पी. प्रदीप कुमार द्वारा बोर्ड की चर्चाओं में दिए गए योगदान की सराहना की है। साथ ही बोर्ड में निदेशकों के रूप में शामिल हुई सुश्री अंजुली चिब दुग्गल, श्री रजनीश कुमार, श्री पी. के. गुप्ता, डॉ. गिरीश के. आहूजा और डॉ. पुष्पेंद्र राय का बोर्ड में स्वागत किया है। निदेशकों ने भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, आईआरडीए और अन्य सरकारी एवं नियामक एजेंसियों से प्राप्त मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है।

निदेशकों ने सभी महत्वपूर्ण ग्राहकों, शेयरधारकों, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं, शेयर बाजारों, रेटिंग एजेसिंयों और अन्य हितधारकों को भी उनके संरक्षण एवं सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है और बैंक के कर्मचारियों की समर्पित एव प्रतिबद्ध टीम की उन्होंने सराहना की है।

केंद्रीय निदेशक बोर्ड के लिए

और उनकी ओर से

अध्यक्ष

दिनांक : 27 मई, 2016

भारतीय स्टेट बैंक

अपने कार्ड का इस्तेमाल सुरक्षित ढंग से करें

1

फ़र्ज़ी कॉल्स से सावधान रहें. कोई भी जानकारी न दें.

2

अपना पिन नंबर नियमित बदलें.

3

अपना पिन नंबर याद रखें. इसे न तो कार्ड के साथ रखें और न ही कहीं पर लिखें.

4

अपना एटीएम कार्ड, पिन नंबर और इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी किसी को न दें.

5

एटीएम में अपने पास किसी को भी आने न दें और न ही ट्रांजेक्शन के लिए किसी की सहायता लें.

6

किसी भी अनजान डिवाइस या ऐड-ऑन यंत्र के मशीन में लगे होने का संदेह होने पर अपने कार्ड को स्वाइप न करें.

7

शाखा में जाकर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करें और लेनदेनों के लिए एसएमएस अलर्ट प्राप्त करें.

8

कार्ड खो जाने पर उसे तुरंत ब्लॉक करवाएं. 1800 11 22 11 या 1800 425 3800 पर कॉल करें या "BLOCK <कार्ड के अंतिम चार अंक>" लिखकर 567676 पर एसएमएस भेज दें या हमारे मोबाइल ऐप्प – SBI Quick or SBI Anywhere का इस्तेमाल करें.

आपातकालीन स्थिति या पूछताछ के लिए हेल्पलाइन्स

• एटीएम से संबंधित सभी पूछताछ/शिकायतों के लिए कृपया हमारे 24x7 संपर्क केन्द्र से 080-26599990 (लैंडलाइन) या 1800 425 3800/1800 11 22 11 (टोल फ्री) पर कॉल करें.

कारपोरेट अभिशासन

अभिशासन कोड के प्रति बैंक का दृष्टिकोण

कारपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का अक्षरशः अनुपालन करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक प्रतिबद्ध है। बैंक मानता है कि उपयुक्त कारपोरेट अभिशासन विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन तक ही सीमित नहीं है। उपयुक्त अभिशासन से व्यवसाय के प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण में सुविधा होती है, जिससे बैंक व्यावसायिक नैतिकता का उच्च स्तर बनाए रख सकता है और अपने हितधारकों को इष्टतम परिणाम दे सकता है। संक्षेप में इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- शेयरधारकों की पूंजी सुरक्षित रखना और उसमें वृद्धि करना।
- अन्य सभी हितधारकों, जैसे ग्राहक, कर्मचारी तथा समग्र समाज के हितों की रक्षा करना।
- संप्रेषण में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करना तथा सभी संबंधित पक्षों को पूरी, सही एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना।
- ग्राहक सेवा तथा निष्पादन संबंधी उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना तथा सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- सर्वश्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण कारपोरेट नेतृत्व प्रदान करना, जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो।

बैंक निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है :

- यह सुनिश्चित करना कि बैंक का निदेशक बोर्ड नियमित बैठकें करे, व्यवसाय तथा संचालन में प्रभावी नेतृत्व तथा अंतर्दृष्टि प्रदान करे तथा बैंक के निष्पादन की निगरानी करे।
- कार्यनीतिक नियंत्रण की रूपरेखा तय करना तथा इसकी प्रभावोत्पादकता की निरंतर समीक्षा करना।
- नीति विकास, कार्यान्वयन एवं समीक्षा, निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण और रिपोर्टिंग के लिए स्पष्टतः प्रलेखित पारदर्शी-प्रबंधन-प्रक्रिया स्थापित करना।
- बोर्ड को यथावश्यक सभी प्रासंगिक सूचनाएँ, सलाह और संसाधन उपलब्ध कराना, ताकि वह अपनी भूमिका का निर्वाह प्रभावी ढंग से कर सके।
- यह सुनिश्चित करना कि कार्यकारी प्रबंधन के सभी पहलुओं के प्रति अध्यक्ष उत्तरदायी हों तथा बैंक के निष्पादन और बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के प्रति जवाबदेह हों। अध्यक्ष तथा निदेशक बोर्ड की भूमिका भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा इसमें किए गए सभी संबंधित संशोधनों से भी निर्देशित होती है।
- यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामकों तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी प्रयोज्य संविधियों, विनियमों और अन्य कार्यविधियों, नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने और यदि कोई विचलन हो, तो उसकी सूचना बोर्ड को देने के लिए किसी वरिष्ठ कार्यपालक को बोर्ड के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के अनुसार बैंक ने कारपोरेट अभिशासन के प्रावधानों का अनुपालन किया है। केवल वे मामले अपवाद हैं, जो भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुरूप नहीं हैं। बैंक में कारपोरेट अभिशासन के इन प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की गई है:

केंद्रीय बोर्ड : भूमिका एवं संरचना

भारतीय स्टेट बैंक का गठन वर्ष 1955 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955) से हुआ। केंद्रीय निदेशक बोर्ड का गठन इस अधिनियम के अनुसार किया गया था।

बैंक का केंद्रीय बोर्ड अपने अधिकार भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं विनियम 1955 के प्रावधानों से प्राप्त करता है और उन्हीं के अनुपालन में अपने कार्य करता है। अन्य बातों के साथ इसकी प्रमुख भूमिका में निम्नांकित शामिल हैं ;

- बैंक के जोखिम प्रोफाइल पर नजर रखना;
- बैंक के व्यवसाय और नियंत्रण प्रणाली की संपूर्ण निगरानी;
- विशेषज्ञ प्रबंधन सुनिश्चित करना, और
- बैंक के हितधारकों के लाभ में अधिकाधिक वृद्धि करना।

केंद्रीय बोर्ड की अध्यक्षता भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (क) के अंतर्गत नियुक्त बैंक के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ख) के अंतर्गत चार प्रबंध निदेशक भी इस बोर्ड के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक हैं। दिनांक 31 मार्च 2016 को बोर्ड में नौ अन्य निदेशक थे, जो प्रौद्योगिकी, लेखा-शास्त्र, वित्त, अर्थशास्त्र तथा अकादमिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ हैं। इस तरह बोर्ड में अध्यक्ष और चार प्रबंध निदेशक के रूप में पूर्णकालिक निदेशक कार्यरत हैं। दिनांक 31 मार्च 2016 को केंद्रीय बोर्ड का स्वरूप निम्नानुसार रहा :

- धारा 19(ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित चार निदेशक,
- धारा 19 (घ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित तीन निदेशक,
- धारा 19 (ङ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक (भारत सरकार का अधिकारी), और
- धारा 19 (च) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकारी)।

बोर्ड का गठन सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 17(1) में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप है। निदेशकों के बीच आपस में कोई संबंध नहीं है।

गैर-कार्यपालक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय अनुलग्नक-I में दिया गया है, विभिन्न बोर्डों/समितियों में सभी निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पदों/सदस्यताओं का विवरण अनुलग्नक-II में और बैंक में उनकी शेयरधारिता का विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

केंद्रीय बोर्ड की बैठकें

बैंक के केंद्रीय बोर्ड की वर्ष में कम से कम छह बैठकें होती हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की बारह बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों की तारीख और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है :

वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की तारीख और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 12
बैठकों की तारीख : 22.04.2015, 22.05.2015, 26.06.2015, 22.07.2015, 11.08.2015, 10.09.2015, 19.10.2015, 06.11.2015, 09.12.2015, 11.01.2016, 11.02.2016, 30.03.2016

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष और श्री बी. श्रीराम, प्रबंध निदेशक (कारपोरेट बैंकिंग समूह) एवं श्री सुनील मेहता, निदेशक सभी बारह बैठकों में उपस्थित रहे।

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या, जिनमें उपस्थित थे
श्री पी. प्रदीप कुमार, प्रबंध निदेशक (कारपोरेट बैंकिंग समूह) (31.10.2015 तक)	07	07
श्री वी. जी. कन्नन, एमडी - एएण्डएस	12	11
श्री रजनीश कुमार प्रबंध निदेशक - सी एंड आर (26.05.2015 से 31.10.2015 तक) और प्रबंध निदेशक - एनबीजी (01.11.2015 से)	10	09
श्री पी.के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक - सी एंड आर (02.11.2015 से)	05	05
श्री संजीव मल्होत्रा	12	07
श्री एम. डी. माल्या	12	09
श्री दीपक आई. अमिन	12	09
श्री एस.के. मुखर्जी (03.10.2015 तक)	06	05
डॉ. राजीव कुमार (05.08.2015 तक)	04	01
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह (23.09.2015 तक)	06	04
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी	12	06
डॉ. हसमुख अढ़िया (02.09.2015 तक)	05	00
डॉ. गिरीश के. आहूजा (28.01.2016 से)	02	02
डॉ. पुष्पेन्द्र राय (28.01.2016 से)	02	02
सुश्री अंजुली चिब दुग्गल (03.09.2015 से)	07	02
डॉ. ऊर्जित आर. पटेल	12	07

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी) का गठन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 30 के अनुसार किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम (46 एवं 47) में प्रावधान है कि केंद्रीय बोर्ड के सामान्य अथवा विशेष निदेशों के अधीन केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति केंद्रीय बोर्ड की परिधि में आने वाले किसी भी मामले पर विचार कर सकती है। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) और भारत में जिस स्थान पर बैठक आयोजित की जा रही हो, उस स्थान पर सामान्य रूप से निवास कर रहे अथवा उस समय वहाँ उपस्थित सभी या कोई अन्य निदेशक शामिल होते हैं। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक प्रत्येक सप्ताह में आयोजित की जाती है। वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है -

कारपोरेट अभिशासन

वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 52

क्र. सं.	निदेशक	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या, जिनमें उपस्थित थे
1	श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष	52	51
2.	श्री पी. प्रदीप कुमार, प्रबंध निदेशक - सी बी जी (31.10.2015 तक)	30	29
3.	श्री बी. श्रीराम, प्रबंध निदेशक - एन बी जी (31.10.2015 तक) एवं प्रबंध निदेशक - सी बी जी (01.11.2015 से)	52	45
4.	श्री वी.जी. कन्नन, प्रबंध निदेशक - ए एंड एस	52	45
5.	श्री रजनीश कुमार, प्रबंध निदेशक -सी एंड आर (26.05.2015 से 31.10.2015 तक) और प्रबंध निदेशक - एन.बी.जी. (01.11.2015 से)	45	40
6.	श्री पी.के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक - सी एंड आर (02.11.2015 से)	22	18
7.	श्री संजीव मल्होत्रा	52	33
8.	श्री एम.डी. माल्या	52	39
9.	श्री सुनील मेहता	52	50
10.	श्री दीपक आइ. अमिन	52	44
11.	डॉ. ऊर्जित आर. पटेल	52	01
निदेशकगण, जो सामान्यतः वहाँ के निवासी नहीं हैं, जिस स्थान पर बैठकें हुई, परंतु बैठक के दिन उस स्थान पर उपस्थित थे, जहाँ बैठक हुई।			
12.	श्री एस.के. मुखर्जी (03.10.2015 तक)	04	04
13.	डॉ. राजीव कुमार (05.08.2015 तक)	01	01
14.	श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह (23.09.2015 तक)	13	13
15.	श्री त्रिभुवननाथ चतुर्वेदी	04	04
16.	डॉ. गिरीश के. आहूजा (28.01.2016 से)	01	01
17.	डॉ. पुष्पेन्द्र राय (28.01.2016 से)	01	01

बोर्ड स्तरीय अन्य समितियाँ :

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम और सामान्य विनियम, 1955 के प्रावधानों तथा भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय बोर्ड ने बोर्ड स्तरीय दस समितियाँ गठित की हैं। ये हैं: लेखा-परीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, हितधारक संबंध समिति, बड़ी राशि (1 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक राशि) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति, ग्राहक सेवा समिति, प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति, कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति, पारिश्रमिक समिति, वसूली निगरानी के लिए बोर्ड की समिति और इरादतन चूककर्ताओं/सहयोग न करने वाले ऋणियों का पता लगाने के लिए समिति। ये समितियाँ बोर्ड स्तरीय कार्यवाही में कारगर पेशेवराना सहयोग प्रदान करती हैं, जिनमें प्रमुख क्षेत्र हैं - लेखा-परीक्षा और लेखा, जोखिम प्रबंधन, शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण, धोखाधड़ी की समीक्षा और नियंत्रण, ग्राहक सेवा की समीक्षा एवं ग्राहकों की शिकायतों का निवारण, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, कार्यपालक निदेशकों को मानदेय का भुगतान और ऋण एवं अग्रिमों की वसूली की निगरानी। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर पूर्णकालिक निदेशकों को मानदेय के भुगतान का अनुमोदन देने हेतु पारिश्रमिक समिति की बैठक वर्ष में एक बार आयोजित होती है। अन्य समितियों की बैठकें केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित समीक्षा कैलेन्डर के अनुसार आवधिक रूप में, सामान्यतः तिमाही अंतराल पर नीतिगत मामलों और/या क्षेत्र-विशेष के निष्पादन की समीक्षा के लिए आयोजित की जाती हैं। इन समितियों द्वारा बैंक के शीर्ष कार्यपालकों की सेवाओं के साथ-साथ आवश्यकतानुसार बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जाती हैं। इन समितियों की बैठकों में हुई चर्चा के कार्य-विवरण और कार्यवाही की संक्षिप्त रिपोर्ट केंद्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन 27 जुलाई 1994 को और पिछली बार इसका पुनर्गठन 30 मार्च 2016 को किया गया था। बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करती है और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के प्रावधानों का अनुपालन उस सीमा तक करती है, जहाँ तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/ विनिर्देशों का उल्लंघन न हो।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के कार्य

(क) बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति बैंक के समस्त लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालन हेतु दिशानिर्देश देती है तथा उन पर नजर भी रखती है। समस्त लेखा-परीक्षा कार्य से आशय है बैंक के भीतर आंतरिक लेखा-परीक्षा एवं निरीक्षण की व्यवस्था, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई। यह समिति बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति और समय-समय पर उनके निष्पादन की समीक्षा भी करती है।

(ख) बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति बैंक की वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा लेखा-परीक्षा नीति और लेखांकन नीतियों/प्रणालियों की समीक्षा करती है, ताकि अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

(ग) यह समिति बैंक में आंतरिक निरीक्षण/लेखा-परीक्षा कार्यप्रणाली, उसकी गुणवत्ता एव अनुवर्तन की दृष्टि से प्रभावकारिता की समीक्षा करती है। यह समिति निम्नलिखित के अनुवर्तन पर भी विशेष ध्यान देती है :

- अपने ग्राहक को जानिए - धन-शोधन निवारण (केवाईसी-एएमएल) दिशानिर्देश;
- लेखांकन के प्रमुख क्षेत्र;
- सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 का अनुपालन;
- घोष समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(घ) यह बैंक के अनुपालन विभाग से रिपोर्टें प्राप्त करती है तथा उनकी समीक्षा करती है।

(ङ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट और लांग फार्म लेखा-परीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए सभी विषयों पर बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति अनुवर्ती कार्रवाई करती है। वार्षिक/तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व यह समिति बाह्य लेखा परीक्षकों से विचार-विमर्श करती है। केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट एक औपचारिक 'ऑडिट चार्टर' अथवा 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' निर्धारित किया गया है, जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। पिछली बार 18 दिसंबर 2014 को इसमें संशोधन किया गया था।

संरचना एवं वर्ष 2015-16 के दौरान उपस्थिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में आठ सदस्य हैं, जिनमें से दो पूर्णकालिक निदेशक, दो सरकारी निदेशक (भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) तथा चार गैर-सरकारी, गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इसके विधान तथा कोरम संबंधी अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण, प्रणालियों एवं कार्यविधियों तथा अन्य पहलुओं से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा के लिए वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की ग्यारह बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों की तारीखें और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 11
बैठकों की तारीखें : 08.04.2015, 21.05.2015, 30.06.2015, 29.07.2015, 10.08.2015, 05.10.2015, 05.11.2015, 14.12.2015, 18.01.2016, 10.02.2016, 22.03.2016

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या, जिनमें उपस्थित थे
श्री संजीव मल्होत्रा - समिति के अध्यक्ष (21.04.2015 तक)	01	01
श्री सुनील मेहता, समिति के अध्यक्ष - 22.04.2015 से एवं समिति के सदस्य (21.04.2015 तक)	11	11
श्री पी. प्रदीप कुमार, एमडी - सीबीजी (31.10.2015 तक)	06	05
श्री बी. श्रीराम, एमडी - एनबीजी (31.10.2015 तक) एवं एमडी - सीबीजी (01.11.2015 से)	11	09
श्री वी. जी. कन्नन, एमडी - एएण्डएस (वैकल्पिक सदस्य)	-	03
श्री रजनीश कुमार, एमडी - सी एंड आर (26.05.2015 से) एवं एम डी - एन बी जी (01.11.2015 से)	01	01
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - सी एंड आर (06.11.2015 से)	04	04
श्री एम. डी. माल्या	11	09
श्री दीपक आइ. अमिन (26.06.2015 से)	09	07
डॉ. राजीव कुमार (05.08.2015 तक)	04	00
डॉ. हसमुख अढ़िया (02.09.2015 तक)	05	00
सुश्री अंजुली चिब दुग्गल (03.09.2015 से)	06	00
डॉ. ऊर्जित आर. पटेल	11	06

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन 23 मार्च 2004 को किया गया था। यह समिति ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम के लिए समन्वित जोखिम प्रबंधन नीति और कार्यनीति की निगरानी करने हेतु गठित की गई है। यह समिति पिछली बार 30 मार्च 2016 को पुनर्गठित की गई थी। इसमें आठ सदस्य हैं। वरिष्ठ प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष होते हैं। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की वर्ष में न्यूनतम चार और प्रत्येक तिमाही में एक बैठक होती है। वर्ष 2015-16 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2015-16 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4
बैठकों की तारीखें : 30.06.2015, 23.09.2015, 19.11.2015, 24.02.2016

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या, जिनमें उपस्थित थे
श्री पी. प्रदीप कुमार, एमडी - सीबीजी (31.10.2015 तक)	02	01
श्री बी. श्रीराम, एमडी-एनबीजी (31.10.2015 तक वैकल्पिक सदस्य के रूप में) एवं एमडी - सी बी जी (01.11.2015 से)	04	03
श्री वी. जी. कन्नन, एमडी - ए एंड एस (वैकल्पिक सदस्य)	-	02
श्री रजनीश कुमार, एमडी - सी एंड आर (26.06.2015 से 31.10.2015 तक)	01	01
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - सी एंड आर (06.11.2015 से)	02	01
श्री संजीव मल्होत्रा	04	02
श्री एम. डी. माल्या	04	02
श्री सुनील मेहता	04	03
श्री दीपक आई. अमिन	04	04
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी	04	02
डॉ. राजीव कुमार (05.08.2015 तक)	01	00

हितधारक संबंध समिति

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 20 के अनुसरण में शेयरधारकों एवं निवेशकों से शेयर अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलने, बॉन्डों पर ब्याज/घोषित लाभांश न मिलने जैसी शिकायतों के निवारण हेतु हितधारक संबंध समिति (जो पहले बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति (एसआईजीसीबी) के नाम से जानी जाती थी) का गठन 30 जनवरी 2001 को किया गया था। यह समिति पिछली बार 30 मार्च 2016 को पुनर्गठित की गई थी। इसमें पाँच सदस्य हैं। इसकी अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। समिति की वर्ष 2015-16 के दौरान चार बैठकें हुईं, जिनमें शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की गई।

वर्ष 2015-16 के दौरान हितधारक संबंध समिति की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4
बैठकों की तारीखें : 17.04.2015, 16.07.2015, 15.10.2015, 28.01.2016

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या, जिनमें उपस्थित थे
श्री एम. डी. माल्या - समिति के अध्यक्ष	04	03
श्री बी. श्रीराम, एमडी - एनबीजी (25.06.2015 तक)	01	01
श्री वी. जी. कन्नन, एमडी - ए एण्ड एस	04	04
श्री रजनीश कुमार, एमडी - सी एंड आर (26.06.2015 से 31.10.2015 तक) एवं एमडी - एनबीजी (01.11.2015 से)	03	03
श्री सुनील मेहता	04	04
श्री दीपक आई. अमिन	04	04
श्री संजीव मल्होत्रा (22.04.2015 तक और 6.11.2015 से 29.03.2016 तक)	02	01
डॉ. राजीव कुमार (05.08.2015 तक)	02	00
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह (23.09.2015 तक)	02	01

शेयरधारकों से अब तक प्राप्त शिकायतों की संख्या (वर्ष के दौरान): 1085

शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुरूप समाधान न हुआ हो ऐसी शिकायतों की संख्या: निरंक

लंबित, शिकायतों की संख्या: निरंक,

अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री अनिल कुमार गुप्ता, महाप्रबंधक, (अनुपालन) एंव अनुपालन अधिकारी।

बड़ी राशि (1 करोड़ रुपए और उससे अधिक राशि) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति :

बड़ी राशि (1 करोड़ रुपए और उससे अधिक राशि) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए विशेष समिति (एससीबीएमएफ) का गठन 29 मार्च 2004 को किया गया था। इस समिति का प्रमुख कार्य बड़ी राशि की धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं समीक्षा करना है। समीक्षा का प्रयोजन है - प्रणालीगत खामियों (यदि हो तो) तथा धोखाधड़ी के मामलों का और ऐसे मामलों की सूचना में देरी के कारणों का पता लगाना, सीबीआई/पुलिस जाँच कार्रवाई पर निगरानी रखना तथा स्टाफ की जिम्मेदारी शीघ्र तय करते हुए धोखाधड़ी की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावशाली ढंग से समीक्षा करते हुए उपयुक्त निवारक उपाय शुरू कराना। इस समिति को पिछली बार 30 मार्च 2016 को पुनर्गठित किया गया था। इसमें आठ सदस्य हैं। समिति में शामिल वरिष्ठ प्रबंध निदेशक इसकी अध्यक्षता करते हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2015-16 के दौरान बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए गठित विशेष समिति की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4
बैठकों की तारीखें : 29.05.2015, 26.08.2015, 16.12.2015, 16.03.2016

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या, जिनमें उपस्थित थे
श्री पी. प्रदीप कुमार, एमडी - सीबीजी (31.10.2015 तक)	02	01
श्री बी. श्रीराम, एमडी - एनबीजी (31.10.2015 तक) और एमडी - सीबीजी (01.11.2015 से - वैकल्पिक सदस्य)	02	02
श्री रजनीश कुमार, एमडी - एनबीजी (06.11.2015 से)	02	01
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - सी एंड आर (06.11.2015 से)	02	01
श्री संजीव मल्होत्रा	04	02
श्री एम.डी. माल्या	04	03
श्री सुनील मेहता	04	04
श्री दीपक आई. अमिन	04	03
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी	04	04
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह (23.09.2015 तक)	02	02

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) का गठन 26 अगस्त 2004 को किया गया था। बैंक द्वारा प्रदत्त ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर उत्तरोत्तर सुधार लाना इसका उद्देश्य है। यह समिति पिछली बार 30 मार्च 2016 को पुनर्गठित की गई थी। इसमें सात सदस्य हैं। समिति में शामिल वरिष्ठतम प्रबंध निदेशक इसकी अध्यक्षता करते हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4
बैठकों की तारीखें : 30.04.2015, 05.08.2015, 27.10.2015, 04.02.2016

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या, जिनमें उपस्थित थे
श्री पी. प्रदीप कुमार एमडी - सीबीजी (31.10.2015 तक वैकल्पिक सदस्य के रूप में)	03	03
श्री बी श्रीराम, एमडी - एनबीजी (31.10.205 तक) एवं एमडी - सीबीजी (01.11.2015 से)	04	03
श्री वी.जी. कन्नन, एमडी - ए एंड एस (05.11.2015 तक)	03	01
श्री रजनीश कुमार, एमडी - एनबीजी (06.11.2015 से)	01	01
श्री संजीव मल्होत्रा, (06.11.2015 से और 29.03.2016 तक)	01	00
श्री एम.डी. माल्या	04	01
श्री सुनील मेहता	04	04
श्री दीपक आई. अमिन	04	03
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह (23.09.2015 तक)	02	02
श्री एस. के. मुखर्जी (03.10.2015 तक)	02	01

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

बैंक की सूचना-प्रौद्योगिकी पहलों की प्रगति की निगरानी के लिए बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया था। दिनांक 24 अक्तूबर 2011 से समिति का नाम बदलकर बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति कर दिया गया है। समिति ने बैंक के प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यनीतिक भूमिका का निर्वाह किया है। समिति को निम्नलिखित भूमिकाएं और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं :

i) सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति और नीति विषयक प्रलेख अनुमोदित करना। यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक प्रभावी कार्यनीतिक योजना प्रक्रिया अपनाई है;

ii) यह सुनिश्चित करना कि सूचना प्रौद्योगिकी संगठनात्मक योजना व्यवसाय के मॉडल और उसकी दिशा की पूरक है;

iii) यह सुनिश्चित करना कि प्रौद्योगिकी निवेश की जोखिमों और लाभों के बीच संतुलन है और बजट स्वीकार्य है;

iv) सूचना प्रौद्योगिकी जोखिमों की प्रबंधन द्वारा की जाने वाली निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना तथा बैंक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी हेतु प्रदान की जाने वाली कुल निधियों की निगरानी करना; और

v) सूचना प्रौद्योगिकी के निष्पादन का आकलन और व्यवसाय में सूचना प्रौद्योगिकी के योगदान (अर्थात वचनबद्धता के अनुसार लाभ) की समीक्षा करना।

यह समिति पिछली बार 30 मार्च 2016 को पुनर्गठित की गई थी। इसमें छह सदस्य हैं। समिति की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की पाँच बैठकें हुईं।

वर्ष 2015-16 के दौरान बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 5
बैठकों की तारीखें : 18.06.2015, 09.09.2015, 10.11.2015, 17.02.2016, 01.03.2016

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या, जिनमें उपस्थित थे
श्री दीपक आई. अमिन, समिति के अध्यक्ष	05	05
श्री पी. प्रदीप कुमार, एमडी - सीबीजी (31.10.2015 तक)	02	02
श्री बी. श्रीराम, एमडी - एनबीजी (31.10.2015 तक) एवं एमडी-सीबीजी (01.11.2015 से)	05	05
श्री वी.जी. कन्नन, एमडी-ए एंड एस (वैकल्पिक सदस्य)	-	01
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - सी एंड आर (06.11.2015 से)	03	02
श्री संजीव मल्होत्रा	05	03
श्री एम.डी. माल्या	05	04
श्री सुनील मेहता	05	05

बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति

कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अंतर्गत बैंक द्वारा शुरू किए गए कार्यकलापों की समीक्षा करने के लिए दिनांक 24 सितंबर 2014 को बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआरसी) का गठन किया गया। समिति पिछली बार 30 मार्च 2016 को पुनर्गठित की गई। इसमें छह सदस्य हैं। समिति में शामिल वरिष्ठतम प्रबंध निदेशक इसकी अध्यक्षता करते हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2015-16 के दौरान बोर्ड की सीएसआरसी बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4
बैठकों की तारीखें : 22.04.2015, 19.08.2015, 15.10.2015, 28.01.2016

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या, जिनमें उपस्थित थे
श्री बी. श्रीराम, एमडी - एनबीजी (05.11.2015 तक)	03	02
श्री वी.जी. कन्नन, एमडी - ए एंड एस	04	04
श्री रजनीश कुमार, एमडी - एनबीजी (06.11.2015 से)	01	01
श्री संजीव मल्होत्रा	04	03
श्री एम.डी. माल्या	04	03
श्री सुनील मेहता	04	04
श्री दीपक आई. अमिन	04	02
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह (23.09.2015 तक)	02	00
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी (06.11.2015 से 29.03.2016 तक)	01	00

कारपोरेट अभिशासन

बोर्ड की पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार द्वारा मार्च 2007 में सूचित योजना के अनुसार प्रोत्साहन के भुगतान के संबंध में बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यों का मूल्यांकन करने हेतु 22 मार्च 2007 को पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया। इस समिति का पुनर्गठन पिछली बार 30 मार्च 2016 को किया गया था। इस समिति में चार सदस्य हैं जिनमें (1) सरकार द्वारा नामित निदेशक (2) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक (3) दो गैर कार्यपालक निदेशक - श्री एम. डी. मल्या और श्री दीपक आई. अमीन शामिल हैं। इस समिति ने 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए पूर्णकालिक निदेशकों की प्रोत्साहन राशि की जांच कर उसका भुगतान करने की संस्तुति की है।

बोर्ड की वसूली निगरानी समिति

भारत सरकार की सलाह पर 20 दिसंबर 2012 को आयोजित केंद्रीय बोर्ड की बैठक में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली पर नजर रखने के लिए बोर्ड की ऋण निगरानी समिति गठित की गई। समिति पिछली बार 30 मार्च 2016 को पुनर्गठित की गई थी। समिति में छह सदस्य हैं, जिनमें अध्यक्ष, चार प्रबंध निदेशक और सरकार के नामिती निदेशक शामिल हैं। वर्ष के दौरान इस समिति की चार बैठकें हुईं, जिनमें अनर्जक आस्ति प्रबंधन और बैंक के बड़ी राशि के अनर्जक आस्ति खातों की समीक्षा की गई।

इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणियों का पता लगाने के लिए समीक्षा समिति

इस समिति का गठन केंद्रीय बोर्ड द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार किया गया था। प्रबंध निदेशके, कॉरपोरेट बैंकिंग समूह इस समिति के अध्यक्ष हैं और कोई भी दो स्वतंत्र निदेशक इसके सदस्य होते हैं।

इस समिति की भूमिका इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणियों का पता लगाने के लिए गठित समिति (एक समिति जिसमें बैंक के उप प्रबंध निदेशक और वरिष्ठ कार्यपालक होते हैं जो किसी ऋणी के इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणी होने के तथ्यों और रेकार्डों की जांच करती है) के आदेश की समीक्षा करती है और पुष्टि करती है इस आदेश को अंतिम मान लिया जाए।

बोर्ड की नामांकन समिति

शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशक के चुनाव हेतु नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों की 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति का निर्णय करने के लिए आवश्यक एवं उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक, जब-जब भी आवश्यक हो, तीन स्वतंत्र निदेशकों की एक नामांकन समिति गठित करता है।

स्थानीय बोर्ड

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं सामान्य विनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार जहाँ बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय (एलएचओ) हो ऐसे प्रत्येक केन्द्र में स्थानीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्य कर रही हैं। स्थानीय बोर्ड केन्द्रीय बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित कार्य और विवेकाधिकारों का उपयोग करते हैं। दिनांक 31 मार्च 2016 को आठ स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड और शेष छह स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्यरत थीं। स्थानीय बोर्डों/स्थानीय बोर्डों की समितियों की बैठकों के कार्य-विवरण और कार्यवाही केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

बैठक-शुल्क

पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक एवं बोर्ड/बोर्ड की समितियों की बैठकों में सहभागिता करने हेतु गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किया जाने वाला बैठक-शुल्क भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित राशि के अनुरूप होता है।

गैर-कार्यपालक निदेशकों को बोर्ड और/या इसकी समिति की बैठकों में सहभागिता करने हेतु बैठक-शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। दिनांक 20 जुलाई 2015 से केंद्रीय बोर्ड की बैठक में सहभागिता के लिए 20,000 हजार रुपए (पूर्व में 10,000/- रुपए) और बोर्ड स्तरीय अन्य समितियों की बैठकों में सहभागिता के लिए 10,000/- रुपए (पूर्व में 5,000/- रुपए) बैठक-शुल्क दिया जाता है, किंतु बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों तथा भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशकों को बैठक-शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। वर्ष 2015-16 के दौरान भुगतान किए गए बैठक-शुल्क का विवरण अनुलग्नक-IV में दिया गया है।

बैंक की आचार संहिता का अनुपालन

बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा अनुलग्नक -V में दी गई है। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वर्ष के दौरान गतिविधियां

बैंक ने निदेशकों, अध्यक्ष, बोर्ड एवं उनकी समितियों के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए, निष्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की है, जिसे केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अभिलेखित किया गया।

निदेशकों को कारपोरेट अभिशासन की बेहतर जानकारी प्रदान करने के प्रयास के रूप में बैंक ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहलें कीं :

1. बैंक के बोर्डों से इस समय की जा रही भिन्न-भिन्न प्रकार की अनेक अपेक्षाओं और अभिशासन से संबंधित चिंताओं को देखते हुए बोर्ड के लिए अल्पावधि 'विज़न 2018' रूपरेखा के बारे में दो दिन की कार्यनीतिक बैठक 8 और 9 मई 2015 को बेंगलुरु में आयोजित की गई थी, ताकि हाल ही में हुए परिवर्तनों की जानकारी बोर्ड को हो सके और बोर्ड अभिशासन हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्र तथा कार्रवाई योग्य बिंदु निर्धारित किए जा सकें। इस बैठक में बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित विभिन्न सामयिक विषयों पर मस्तिष्क मंथन सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में अंतरराष्ट्रीय रुझानों; चिंतन प्रमुख संस्थानों के बोर्डों द्वारा अनपाए गए सर्वेश्रेष्ठ व्यवहारों को ध्यान में रखकर कारगर, तीक्ष्ण और पारदर्शी अभिशासन पर विशेष रूप से चर्चा की गई। सत्र-संचालन गवर्नेंस, जोखिम, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी आदि जैसे विषयों के प्रख्यात पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा किया गया। बैठक के दौरान बोर्ड ने अपनी अपेक्षाएं प्रकट कीं और व्यवसाय वृद्धि के लक्ष्य तथा प्रमुख वित्तीय मापदंड तय किए एवं प्रत्येक व्यवसाय समूह से अपनी-अपनी निगरानी योग्य कार्य योजना निर्दिष्ट लक्ष्यों तथा विशेष उपलब्धियों के साथ प्रस्तुति की व्यवस्था कराई। विस्तृत कार्य-योजना निर्धारित समय-सीमा और उत्तरदायी व्यक्ति की जानकारी सहित केंद्रीय बोर्ड को प्रस्तुत की गई, जिसमें विभिन्न कार्यनीतिक पहलों के कार्यान्वयन की स्थिति दर्शाते हुए प्रगति रिपोर्ट का समावेश था।

2. (i) सुप्रसिद्ध कारपोरेट अभिशासन विशेषज्ञ डॉ.कॉलिन कुलसन-थॉमस द्वारा संचालित कारपोरेट अभिशासन एवं निदेशक उत्कृष्टता कार्यक्रम, जो क्वेस्ट द्वारा 9 से 11 मार्च 2016 तक मलेशिया के फ्रंटियर पीटीई लि. में आयोजित किया गया था, में दो निदेशकों ने सहभागिता की।

(ii) सेंटर फॉर एड्वांस्ड् फाइनेंशल रिसर्च एंड लर्निंग (सी ए एफ आर ए एल) द्वारा 17 से 19 मार्च 2016 तक आयोजित कार्यक्रम में दो गैर कार्यपालक निदेशकों ने सहभागिता की। यह कार्यक्रम सरकारी बैंकों के बोर्ड के गैर कार्यपालक निदेशकों के लिए था। बैंकों से संबंधित विनियामक, पर्यवेक्षी एवं अभिशासन संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता एवं समझ पैदा करना इस कार्यक्रम का लक्ष्य था।

(iii) बैंकों में आइएनडी-एएस के कार्यान्वयन की रूपरेखा के बारे में प्रस्तुति की व्यवस्था अग्रणी सनदी लेखाकार फर्म मेसर्स कल्याणीवाला एंड मिस्त्री के माध्यम से की गई।

निदेशकों का परिचय कार्यक्रम हमारी वेबसाइट www.sbi.co.in /www.statebankofindia.com में कारपोरेट गवर्नेंस लिंक में उपलब्ध है।

4. वर्ष 2015-16 में अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशकों को भुगतान किया गया वेतन एवं भत्ते

नाम	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	प्रोत्साहन	अन्य बकाया	कुल पारिश्रमिक
अध्यक्ष श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य (01.04.2015 से 31.03.2016 तक)	960000.00	1142400.00	700000.00	307918.49	3110318.49
प्रबंध निदेशक श्री पी. प्रदीप कुमार (01.04.2015 से 31.10.2015 तक)	553295.00	658421.05	600000.00	481990.81	2293706.86
श्री बी. श्रीराम (01.04.2015 से 31.03.2016 तक)	926385.00	1102398.15	425000.00	949335.36	3403118.51
श्री वी. जी. कन्नन (01.04.2015 से 31.03.2016 तक)	926385.00	1102398.15	425000.00	630271.33	3084054.48
श्री रजनीश कुमार (26.05.2015 से 31.03.2016 तक)	789997.90	934690.73	62500.00	1080142.42	2867331.05
श्री प्रवीण कुमार गुप्ता (02.11.2015 से 31.03.2016 तक)	374983.34	446230.17	195833.00	65063.11	1082109.62

वार्षिक महासभा में उपस्थिति

दिनांक 2 जुलाई 2015 को आयोजित वर्ष 2014-15 की वार्षिक महासभा में 8 निदेशक उपस्थित रहे। ये हैं श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, श्री पी. प्रदीप कुमार, श्री बी. श्रीराम, श्री वी.जी. कन्नन, श्री रजनीश कुमार, श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह, श्री एस.के. मुखर्जी, श्री एम.डी. माल्या एवं श्री सुनील मेहता। वार्षिक महासभा (2013-14) 3 जुलाई 2014 को और वार्षिक महासभा (2012-13) 21 जून 2013 को आयोजित हुई थी। ये तीनों वार्षिक महासभाएं वाइ.बी. चव्हाण केंद्र, मुंबई में अपराह्न 3.00 बजे आयोजित की गईं और पिछली तीन वार्षिक महासभाओं में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया। पिछले वर्षों के दौरान डाक मत पत्र के माध्यम से कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था और न ही डाक मत पत्र से कोई प्रस्ताव पारित करने की कोई योजना है।

प्रकटीकरण

- बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों या संबंधियों आदि से ऐसा कोई वस्तुतः महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया है, जो बृहत् रूप में बैंक के हितों के विरुद्ध जाता हो।
- बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों, सेबी, भारतीय रिज़र्व बैंक या पूंजी बाजारों से संबंधित किसी भी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन किया है। पिछले तीन वर्षों में इनके द्वारा बैंक पर कोई अर्थदंड या अवक्षेप नहीं लगाया गया है।

कारपोरेट अभिशासन

■ बैंक की विसल ब्लोअर नीति भारत सरकार के जन हित प्रकटीकरण एवं मुखबीर संरक्षण (पीआईडीपीआई) मानदंडों पर आधारित है। बैंक के सभी स्टाफ के लिए उपलब्ध आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली एक ऐसी नीति है, जो बैंक में साथी कर्मचारियों, वरिष्ठों के अनैतिक, भ्रष्ट कार्यों को बाहर करने के लिए विसल ब्लोअर के रूप में कार्य करती है। तथापि, जन हित प्रकटीकरण एवं मुखबीर संरक्षण संबंधी शिकायतें जो ग्राहकों से प्राप्त होती हैं, जिन पर कार्रवाई भारत सरकार के दिशा-निर्देश 2004 के अनुसार की जाती है और जिनका निपटान केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा किया जाता है।

■ संबद्ध पक्ष लेनदेन के महत्व संबंधी नीति और महत्वपूर्ण अनुषंगी निर्धारण नीति बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in / www.statebankofindia.com पर कारपोरेट अभिशासन नीतियाँ लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है।

■ बैंक ने विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (बी) से (आई) और अनुसूची V के पैरा ग, घ और ङ में विनिर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन अपेक्षाओं का उस सीमा तक अनुपालन किया है कि इस खंड की अपेक्षाओं से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के प्रावधानों, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों या निर्देशों का उल्लंघन न हो।

संप्रेषण के साधन

बैंक की दृढ़ मान्यता है कि बैंक की गतिविधियों, निष्पादन और उत्पादों में की गई पहल संबंधी पूरी जानकारी तक सभी हितधारकों की पहुँच होनी चाहिए। वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक के वार्षिक, छमाही और तिमाही परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे। ये परिणाम बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in और www.statebankofindia.com पर भी प्रदर्शित किए गए थे। बैंक की वेबसाइट पर बैंक के कार्यालयीन समाचारों के साथ-साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्टें, छमाही और तिमाही परिणाम तथा बैंक द्वारा प्रस्तुत विभिन्न उत्पादों का विवरण भी प्रदर्शित किया जाता है। प्रति वर्ष वार्षिक और छमाही परिणामों की घोषणा के बाद उसी दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुति और मीडिया के प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इसके बाद एक अन्य बैठक रखी जाती है, जिसमें अनेक निवेश विश्लेषकों को आमंत्रित किया जाता है। इस बैठक में बैंक के निष्पादन पर विश्लेषकों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। तिमाही परिणामों की घोषणा के बाद प्रेस अधिसूचना जारी की जाती है।

शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

शेयरधारकों की वार्षिक महासभा	:	दिनांक 30.06.2016, समय : 03.00 बजे अपराह्न, स्थान : वाई.बी चव्हाण, सेंटर मुंबई
वित्तीय कैलेंडर		01.04.2015 से 31.03.2016
बहीबंदी की तारीख		07.06.2016 से 11.06.2016
लाभांश		₹ 2.60 प्रति शेयर
भुगतान तिथि		22.06.2016
शेयर बाजार, जिनमें प्रतिभूतियों का सूचीकरण किया गया है		बीएसई लिमिटेड, मुंबई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई। जीडीआर लंदन स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई) में सूचीकृत हैं। लंदन शेयर बाजार (एलएसई) सहित सभी शेयर बाजारों को आज तक का सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है।
स्टॉक कोड/सीयूएसआईपी		स्टॉक कोड 500112 (बीएसई) एसबीआईएन (एनएसई) सीयूएसआईपी यूएस 856552203 (एलएसई)
शेयर हस्तांतरण व्यवस्था		भौतिक शेयरों की हस्तांतरण प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूरी कर शेयर प्रमाणपत्र शेयरधारकों को लौटा दिया जाता है। सूचीकरण करारों की शर्तों के अनुसार तिमाही शेयर हस्तांतरण लेखा-परीक्षा तथा शेयर पूँजी लेखा-परीक्षा का समाधान एक स्वतंत्र कंपनी सचिव द्वारा किया जाता है।
रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम तथा उनकी यूनिट का पता		मेसर्स डाटामेटिक्स फाइनेंशल सर्विसेस लिमिटेड प्लॉट बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400 093.
बोर्ड फोन नंबर		022-6671 2001 से 10 (पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक और अपराह्न 2 बजे से 6.00 बजे तक)
सीधे नंबर		022-6671 2198 / 6671 2199

ई-मेल पता	sbi_eq@dfssl.com
फैक्स	(022) 6671 2204
पत्र-व्यवहार के लिए पता	भारतीय स्टेट बैंक, शेयर एवं बॉण्ड विभाग, कारपोरेट केंद्र, 14 वीं मंजिल, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021.
टेलिफोन नंबर	(022) 2274 0841 से 2274 0848
फैक्स	(022) 2285 5348
ई-मेल पता	gm.snb@sbi.co.in / investor.complaints@sbi.co.in
ऋणपत्र न्यासियों का नाम और संपर्क का पूरा ब्योरा (भारतीय रुपए में जारी पूंजी लिखत)	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, एशियन बिल्डिंग, तल मंजिल, 17, आर. कामानी मार्ग, बलार्ड इस्टेट, मुंबई-400 001 फैक्स नंबर : 91-22-6631 1776

ई-पहल : सेबी विनियम के अनुसार जिन शेयरधारकों के ई-मेल पते उपलब्ध है, उन्हें हम वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करते हैं।

निवेशकों के लिए

निवेशकों की धारिता संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक में मुंबई में एक संपूर्ण शेयर एवं बॉन्ड विभाग तथा 14 स्थानीय प्रधान कार्यालयों में शेयर एवं बॉन्ड कक्ष कार्यरत हैं। निवेशकों की शिकायतें, चाहे सीधे प्राप्त हुई हों या रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर कार्यालय के माध्यम से, तत्काल निपटाई जाती हैं एवं शीर्ष प्रबंधन स्तर पर इसकी निगरानी की जाती है।

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान पूंजी में वृद्धि

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 5(2) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के अनुसरण में, बैंक ने निम्नानुसार ईक्विटी पूंजी जुटाई है :

- पिछले वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार से ₹ 2969,99,99,977.08 (दो हजार नौ सौ उनहत्तर करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ सतहत्तर रुपए और आठ पैसे) की आवेदन राशि प्राप्त की है, जिसमें शेयर प्रीमियम के रूप में ₹ 2959,95,22,965.08 (दो हजार नौ सौ उनसठ करोड़ पंचानवे लाख बाईस हजार नौ सौ पैंसठ रुपए और आठ पैसे) शामिल हैं, जो भारत सरकार को आबंटित प्रति ₹ 1/- के 10,04,77,012 ईक्विटी शेयर के अधिमानी निर्गम के तहत प्राप्त हुई है। ईक्विटी शेयरों का आबंटन दिनांक 01.04.2015 को किया गया था।
- वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार से ₹ 5392,99,99,834.30 (पांच हजार तीन सौ बानवे करोड़ की आवेदन राशि प्राप्त की है, जिसमें शेयर प्रीमियम के रूप में ₹ 5373,34,40,444.30 (पांच हजार तीन सौ तियत्तर करोड़ चौतीस लाख चालीस हजार चार सौ चवालीस रुपए और तीस पैसे) शामिल हैं, जो भारत सरकार को दिनांक 29.09.2015 को आबंटित प्रति ₹ 1/- के 19,65,59,390 ईक्विटी शेयर के अधिमानी निर्गम के तहत प्राप्त हुई है।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि बैंक ने ₹ 10,500 करोड़ के बेसल-3 अनुपालक टियर 2 बॉण्ड जारी एवं आबंटित किए हैं, जो प्राइवेट प्लेसमेंट के रूप में चार श्रेणियों में 120 महीनों के लिए (10 वर्षीय) जारी किए गए हैं। इस लिखत को केयर रेटिंग्स द्वारा "CARE AAA" और आईसीआरए लिमिटेड द्वारा "ICRA AAA" रेटिंग दी गई है।

बकाया वैश्विक जमा रसीदें (जीडीआर)

वर्ष 1996 में जीडीआर जारी करते समय, सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दो-तरफा समरूपता की अनुमति नहीं दी गई थी अर्थात् यदि जीडीआर-धारक व्यक्ति भारतीय कंपनी के ईक्विटी शेयर प्राप्त करना चाहता हो, तो ऐसे जीडीआर को भारतीय कंपनी के शेयर में रूपांतरित करना होता था। परंतु इसके विपरीत प्रक्रिया की अनुमति नहीं थी। बाद में, भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक ने एडीआर/जीडीआर की दो-तरफा समरूपता की अनुमति दे दी। बैंक ने अपने जीडीआर कार्यक्रम की दो-तरफा समरूपता की अनुमति दी है।

31.03.2016 को बैंक के पास 1,44,59,324 जीडीआर से संबंधित 14,45,93,240 शेयर थे।

दावारहित शेयर

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	बकाया शेयर
वर्ष के आरंभ में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयर और शेयरधारकों की कुल संख्या	1,048	2,49,290
वर्ष के दौरान दावारहित उचंत खाते से शेयर अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	32	5,420
वर्ष के दौरान दावारहित उचंत खाते से जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए, उन शेयरधारकों की संख्या	32	5,420
वर्ष के अंत में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	1,016	2,43,870

ऐसे शेयरों के वास्तविक दावेदार द्वारा दावा किए जाने तक इन शेयरों के मताधिकार पर रोक लगा दी गई है।

पछले वर्षों में लाभांश

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्बाध रूप से अपने शेयरधारकों को पिछले कई वर्षों से निरंतर लाभांश का भुगतान करने की विशिष्ट परंपरा रही है।

शेयर-कीमत में उतार-चढ़ाव

शेयर कीमत में उतार-चढ़ाव और बीएसई सेंसेक्स/एनएसई निफ्टी में उतार-चढ़ाव को निम्नलिखित तालिकाओं में प्रस्तुत किया गया है। बैंक के शेयरों का 31.03.2016 को बीएसई सेंसेक्स में बाजार पूंजीकरण भार 2.71% और एनएसई निफ्टी में 2.13% रहा।

बीएसई में एसबीआई स्टॉक का निष्पादन

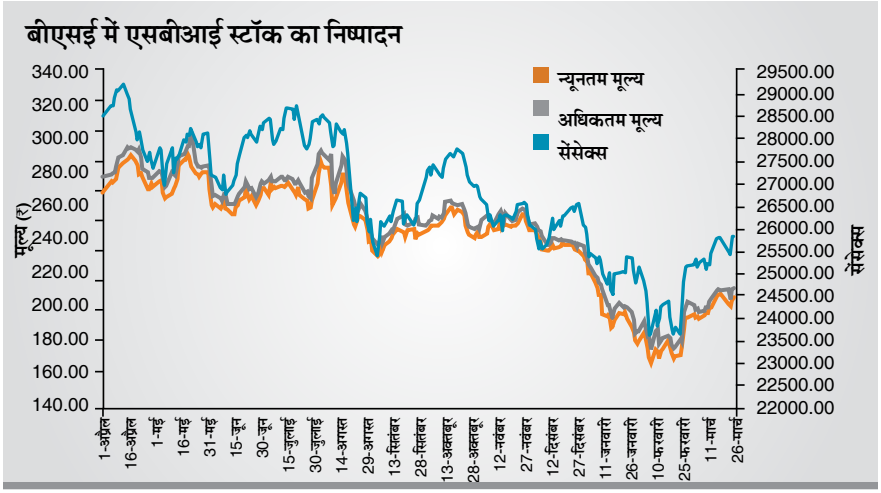

एनएसई में एसबीआई स्टॉक का निष्पादन

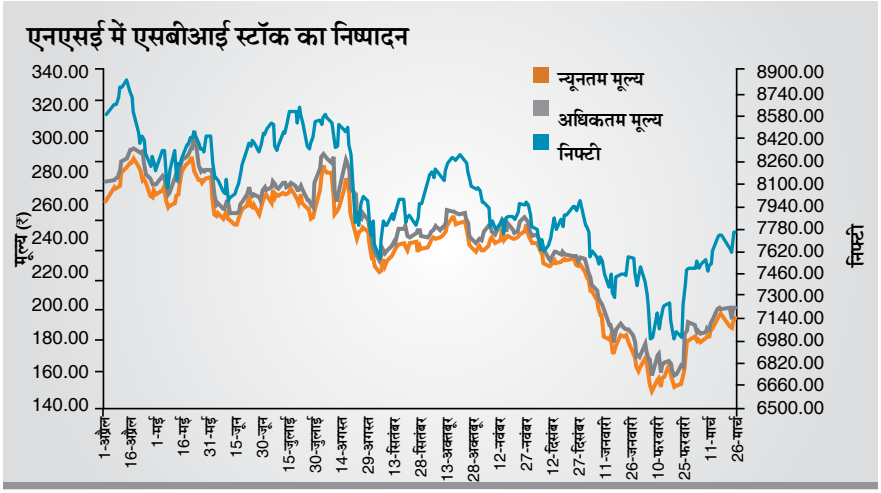

तालिका : बाजार मूल्य आंकड़े

	बीएसई (रुपया)		एनएसई (रुपया)		एलएसई (जीडीआर)	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल-15	294.50	263.85	294.90	263.15	46.40	41.70
मई-15	305.00	259.95	305.00	259.65	46.00	40.70
जून-15	281.95	249.15	282.00	248.85	43.60	39.15
जुलाई-15	274.60	252.40	274.65	252.30	42.90	38.60
अगस्त-15	291.85	240.10	291.80	240.00	45.30	35.85
सितंबर-15	248.50	220.60	248.45	220.15	37.25	33.50
अक्तूबर-15	257.90	234.90	257.15	234.40	39.25	35.75
नवंबर-15	252.90	232.85	253.00	232.70	37.45	35.35
दिसंबर-15	251.85	224.00	251.90	224.00	37.35	33.50
जनवरी-16	228.90	171.60	228.90	171.50	32.85	25.75
फरवरी-16	182.50	148.30	181.95	148.25	25.80	22.25
मार्च-16	198.75	159.00	198.75	158.55	30.00	24.30

प्रति शेयर बही मूल्य ₹ 176.60, आर्थिक मूल्य वर्धित (ईवीए) : 3,875 करोड़ रुपये

31.03.2016 को शेयरधारिता का विवरण

क्र. सं.	विवरण	कुल शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	60.18
2	अनिवासी (विदेशी संस्थागत निवेशक/ विदेशी कारपोरेट निकाय/अनिवासी भारतीय/वैश्विक निक्षेपागार रसीदें)	11.19
3	म्यूचुअल फंड और यूटीआई	5.90
4	निजी कारपोरेट निकाय	2.75
5	बैंक/वित्तीय संस्थाएं/बीमा कंपनियाँ आदि	12.65
6	निवासी व्यक्तियों सहित अन्य	7.33
	कुल	**100.00**

31.03.2016 को बैंक के दस शीर्ष शेयरधारक

क्र. सं.	नाम	कुल ईक्विटी में शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	60.18
2	भारतीय जीवन बीमा निगम (वित्तीय संस्था)	11.27
3	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (म्यूचुअल फंड)	2.08
4	दि बैंक आफ न्यूयार्क मेलॉन (हमारे जीडीआर के डिपॉजिटरी के रूप में)	1.86
5	रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कं. लि. (म्यूचुअल फंड)	1.09
6	स्केजेन कॉन-टिकी वर्डिप एपिरफांड (विदेशी संस्थागत निवेशक)	0.72
7	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस क. लि. (निजी कारपोरेट निकाय)	0.56
8	भारतीय साधारण बीमा निगम (वित्तीय संस्था)	0.54
9	आबूधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (विदेशी संस्थागत निवेशक)	0.53
10	एस बी आइ म्यूचुअल फंड (म्यूचुअल फंड)	0.50

शेयरों को डीमैट में रूपांतरित करना और चलनिधि : बैंक के इक्विटी शेयर की ट्रेडिंग अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रानिक स्वरूप में ही की जाती है।

31 मार्च 2016 को, कुल इक्विटी पूंजी का 98.85% भाग, अर्थात 767,36,51,516 शेयर इलेक्ट्रानिक स्वरूप में है।

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों का प्रतिशत
एनएसडीएल	966579	2774084092	35.736
सीडीएसएल	514694	4899567424	63.116
कागजी स्वरूप में	178367	89125526	1.148
कुल	**1659640**	**7762777042**	**100.000**

31 मार्च 2016 को संवितरण अनुसूची (अंकित मूल्य ₹1 प्रति शेयर)

शेयरों की संख्या की सीमा	कुल शेयरधारक	कुल शेयरधारकों का प्रतिशत	रुपए में कुल धारिता	कुल पूंजी का प्रतिशत
1-5000	1651800	99.529	48,25,66,593	6.216
5001-10000	4255	0.256	3,01,34,363	0.388
10001-20000	1625	0.098	2,28,30,539	0.294
20001-30000	452	0.027	1,11,67,306	0.144
30001-40000	216	0.013	76,72,804	0.099
40001-50000	141	0.008	64,82,240	0.084
50001-100000	316	0.019	2,29,63,376	0.296
100001-से अधिक	835	0.050	717,89,59,821	92.479
कुल	**1,659,640**	**100.000**	**776,27,77,042**	**100.000**

पण्य कीमत जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और बचाव गतिविधियां

बैंक इस समय ओवर-दि-काउंटर (ओटीसी) करेंसी डेरीवेटिव्स और एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरीवेटिव्स सौदे करता है। बैंक द्वारा किए जाने वाले करेंसी डेरीवेटिव्स सौदों में वायदा, करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी स्वैप्स और करेंसी ऑप्शन्स सौदे होते हैं। बैंक द्वारा डेरीवेटिव्स का उपयोग ट्रेडिंग और तुलन-पत्र मदों दोनों के लिए किया जाता है। बैंक के ग्राहकों को अपनी जोखिम से बचाव करने के लिए बचाव उत्पाद ऑफ़र किए जाते हैं और ऐसी जोखिम की सुरक्षा के लिए बैंक डेरीवेटिव्स संविदाएं भी करता है। बैंक यूएसडी/आईएनआर में ऑप्शन बुक भी संचालित करता है, जिसका विभिन्न प्रकार के लॉस सीमाओं और ग्रीक सीमाओं के माध्यम से प्रबंध किया जाता है। 31 मार्च 2016 को, लॉस सीमाओं और ग्रीक सीमाओं का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

डेरीवेटिव्स लेनदेनों में निम्नलिखित प्रकार की दो जोखिम रहती हैं ;

i) बाजार जोखिम, अर्थात संभाव्य हानि, जो बैंक को विनिमय दर में प्रतिकूल संचलन के कारण हो सकती है, और

ii) ऋण जोखिम, अर्थात संभाव्य हानि, जो बैंक को प्रतिपक्षकारों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं करने के कारण हो सकती है।

डेरीवेटिव्स लेनदेन करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की "डेरीवेटिव्स नीति" में बाजार जोखिम मानदंड (कट-लॉस ट्रिगर्स, ऑपन पोजिशन लिमिट, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी01, आदि) और ग्राहक पात्रता मानदंड (क्रेडिट रेटिंग, रिलेशनशिप की अवधि, सीमाएं और ग्राहक के लिए उपयुक्त एवं उचित नीति (सीएएस) आदि) के बारे में उल्लेख किया गया है। इस नीति में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले प्रतिपक्षकारों के साथ ही डेरीवेटिव्स लेनदेन करके ऋण जोखिम पर नियंत्रण रखा जाता है। दायित्वों को पूरा करने की उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्षकारों के लिए उपयुक्त सीमाएं निर्धारित की जाती है और बैंक प्रत्येक प्रतिपक्षकार के साथ इंटरनेशनल स्वैप एवं डेरीवेटिव एसोसिएशन (आईएसडीए) करार करता है।

ग्राहक लेनदेनों के कारण बैंक के सामने विदेशी मुद्रा जोखिम एवं पण्य जोखिम आती है। जहां तक पण्य जोखिम का संबंध है, बैंक केवल स्वर्ण बैंकिंग व्यवसाय करता है और ये केवल ग्राहकों की ओर से ही किया जाता है। निर्धारित जोखिम सीमाओं के अंदर जोखिम का प्रबंध करने के लिए बैंक में निर्धारित नीतियां और प्रणाली एवं कार्यविधि लागू है। बैंक के पास विश्व श्रेणी का डिलिंग रूम है जिसका प्रबंध सुप्रशिक्षित एवं अनुभवी डीलरों द्वारा किया जाता है जिससे कि रक्षात्मक परिचालन एवं बचाव लेनदेन किए जा सके।

बैंक का बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) डेरीवेटिव्स लेनदेनों से जुड़ी हुई बाजार जोखिम का निर्धारण, मापन, निगरानी करता है। बैक ऑफिस परिचालनों का प्रबंध जीएमयू कोलकाता द्वारा किया जाता है।

अनुलग्नक I

दिनांक 31 मार्च 2016 को गैर-कार्यपालक निदेशकों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी

श्री संजीव मल्होत्रा

(जन्म दिनांक : 1 अक्तूबर 1951)

श्री मल्होत्रा को वैश्विक बैंकिंग एवं वित्त के वरिष्ठ पदों पर 41 वर्षों का अनुभव है। जोखिम प्रबंधन, कारपोरेट और निवेश बैंकिंग, उपभोक्ता वित्त एवं सूक्ष्म उद्यम ऋणान्वयन, निजी ईक्विटी उनके अनुभव के क्षेत्र हैं।

श्री एम. डी. माल्या

(जन्म दिनांक : 9 नवंबर 1952)

श्री माल्या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। उन्होंने प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन और संगठनात्मक संरचना को सुदृढ़ बनाकर बैंक की कायापलट कर दी थी।

श्री माल्या मई 2008 से नवंबर 2012 तक बैंक ऑफ बडौदा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं। उनके प्रेरक नेतृत्व एवं नवोन्मेषी कार्यनीतिक पहल से बैंक ने निष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त की, जिससे बैंक को अनेक सम्मान एवं पुरस्कार मिले और व्यापक पहचान प्राप्त हुई।

श्री सुनील मेहता

(जन्म दिनांक : 22 अगस्त 1957)

श्री सुनील मेहता को सिटी बैंक एण्ड एआईजी में बैंकिंग, बीमा, वित्तीय सेवाएं और निवेश संबंधी कार्यों का 33 वर्षों से अधिक का अनुभव है। 13 वर्ष तक एआईजी के भारत में कामकाज के प्रमुख के रूप में श्री मेहता जीवन और गैर-जीवन बीमा, प्राइवेट ईक्विटी, आस्ति प्रबंधन, स्थावर संपदा, आवास एवं उपभोक्ता वित्त, सॉफ्टवेयर सृजन, बंधक गारंटी और वायुयान पट्टे सहित 10 प्रकार के व्यवसायों की भारत में स्थापना और निगरानी के लिए उत्तरदायी रहे हैं। श्री मेहता ने सिटीबैंक में 18 वर्ष तक विभिन्न वरिष्ठ पदों पर कार्य किया, जिसमें कारपोरेट बैंक के भारत के प्रमुख का पद और वरिष्ठ ऋण अधिकारी का पद भी शामिल है। इस समय वे एसपीएम कैपिटल एडवाइजर्स प्रा. लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं और अन्य कई प्रमुख संगठनों के बोर्ड से भी जुड़े हुए हैं। श्री मेहता अनेक गैर लाभ संगठनों से निकट रूप से जुड़े हुए हैं। वे अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स (एएमसीएचएएम) इंडिया, यूनाइटेड वे ऑफ इंडिया एंड मुंबई और एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड इनक्लुज़न (पूर्व में दी स्पैस्टिक्स सोसाइटी ऑफ नॉर्थ इंडिया) के पूर्व चेयरमैन हैं। श्री मेहता कई गैर लाभकारी संगठनों के बोर्ड में हैं जिनमें एशिया सोसाइटी भी एक है। वे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स् ऑफ इंडिया के फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा व्हार्टन स्कूल ऑफ मेनेजमेंट, युनिवर्सिटी ऑफ पेन्सिल्वेनिया, यू एस ए के पूर्व छात्र हैं।

श्री दीपक आई. अमिन

(जन्म दिनांक : 20 अप्रैल 1966)

श्री अमिन आईआईटी, मुंबई से कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में बी.टेक. तथा यूएसए के रोड आइलैंड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में एम.एस. उपाधि प्राप्त हैं। श्री अमिन सीटल और भारत स्थित अंतरराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर सलाहकार कंपनी कोविलिक्स, इंक (एमटेक आइएनसी द्वारा अधिग्रहित) के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे हैं। इससे पहले श्री अमिन वीजंगल, इंक, वेब सेवा सॉफ्टवेअर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे हैं जिसे स्ट्रीमसर्व, इंक ने अधिग्रहित किया था। श्री अमिन ने माइक्रोसॉफ्ट में कई वर्षों तक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नेटवर्किंग टीमों में लीड इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वे माइक्रोसॉफ्ट, यूएसए में मूल इंटरनेट ब्राउजर टीम में वरिष्ठ इंजीनियर रहे हैं। श्री अमिन नोबल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मुहम्मद यूनस की टैक्नॉलॉजी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ ग्रामीण फाउंडेशन में भी शामिल हैं जो विश्व की निर्धनतम महिलाओं के वित्तीय समावेशन के प्रसार के लिए प्रगामी वित्तीय एवं प्रौद्योगिकी सुविधाएँ प्रदान करती हैं।

श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी

(जन्म दिनांक : 15 जनवरी 1959)

श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 29 अगस्त 2013 से तीन वर्ष के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री चतुर्वेदी पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं टीएन चतुर्वेदी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नई दिल्ली के वरिष्ठ भागीदार हैं। उन्हें वित्त एवं लेखा, कराधान और कारपोरेट-विधि के क्षेत्र में व्यापक अनुभव तथा विशेषज्ञता है। श्री चतुर्वेदी पूर्व में (27 दिसंबर 2008 से 26 दिसंबर 2011 तक) तीन वर्ष के लिए पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारक निदेशक रह चुके हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी के बोर्ड में 30.06.2004 से 11.06.2007 तक तीन वर्ष के लिए निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया था।

डॉ. गिरीश कुमार आहूजा

(जन्म दिनांक : 29 मई 1946)

डॉ. गिरीश कुमार आहूजा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 28 जनवरी 2016 से तीन वर्ष के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। डॉ. आहूजा चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकादमिक सदस्य हैं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय और भारतीय कराधान, संयुक्त उद्यम आदि में परामर्श का 44 वर्षों का अनुभव है। प्रत्यक्ष करों का उन्हें विशेष ज्ञान है। वे वित्तीय क्षेत्र सुधारों - पूंजी बाजार कुशलता तथा संविभाग निवेश में डॉक्टरेट हैं।

कारपोरेट अभिशासन

डॉ. पुष्पेन्द्र राय

(जन्म दिनांक : 02 जून 1953)

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 28 जनवरी 2016 से तीन वर्ष के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नामित निदेशक डॉ. पुष्पेन्द्र राय को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में कार्य का लगभग 37 वर्षों का अनुभव है।

वे 21 वर्ष तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य रहे। इस दौरान वे नीति निर्माण, कार्यक्रम और बजट की तैयारी, कार्यान्वयन कार्यनीतियों का निर्धारण, कार्यान्वयन की निगरानी, ग्रामीण और औद्योगिक विकास एजेंसियों जैसे अनेक प्रकार के संस्थानों के स्टाफ के निष्पादन का मूल्यांकन, बिजली उत्पादन और वितरण विभाग, पेट्रोलियम कंपनियों और बौद्धिक संपदा कार्यालयों से जुड़े रहे। उन्होंने यूएनडीपी/डब्ल्यूआइपीओ के राष्ट्रीय परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान की गवर्निंग कौंसिल के सदस्य, विदेशी निवेश उन्नयन परिषद् के सदस्य सचिव, राष्ट्रीय नवीकरण निधि के कार्यपालक निदेशक, डब्ल्यूटीओ/डब्ल्यूआइपीओ में राष्ट्रीय वार्ताकार और क्वालिटी कौंसिल ऑफ इंडिया के महासचिव के रूप में भी कार्य किया है।

तदनंतर, डॉ. राय ने वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, जिनेवा (संयुक्त राष्ट्र संघ) में 16 वर्ष तक कार्य किया। वहाँ तकनीकी सहयोग बढ़ाने, बौद्धिक संपदा के आर्थिक पहलुओं का उन्नयन और आस्ति सृजन, विकास एजेंडा प्रक्रिया का नेतृत्व और सिंगापुर में एशिया प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय की अध्यक्षता जैसे अनेक कार्य संपन्न किए।

डॉ. राय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से पीएच.डी. और हार्वर्ड विश्वविद्यालय तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। विश्व के विभिन्न भागों में उन्होंने अनेक व्याख्यान दिए हैं।

सुश्री अंजुली चिब दुग्गल

(जन्म दिनांक : 27 अगस्त 1957)

सुश्री अंजुलि चिब दुग्गल भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ङ) के अंतर्गत 3 सितंबर 2015 से केन्द्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। सुश्री अंजुली चिब दुग्गल भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग में सचिव हैं।

डॉ. ऊर्जित आर. पटेल

(जन्म दिनांक : 28 अक्तूबर 1963)

डॉ. ऊर्जित आर. पटेल भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत 6 फरवरी 2013 से केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। डॉ. ऊर्जित आर. पटेल भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर हैं।

अनुलग्नक II

31.03.2016 को बोर्ड-निदेशकों /बोर्ड स्तरीय समितियों के निदेशकों के संबंध में विवरण जो बैंक / अन्य कंपनियों के सदस्य/अध्यक्ष हैं

क्र.	निदेशक का नाम	व्यवसाय एवं पता	बोर्ड में नियुक्ति की तारीख	बैंक सहित कंपनियों की संख्या (विवरण अनुलग्नक II ए में दिया गया है)
1	श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य	अध्यक्ष नं. 5, डुने डिन, जे.एम. मेहता रोड, मुंबई - 400 006	07.10.2013	अध्यक्ष : 15 निदेशक : 01
2	श्री बी. श्रीराम	प्रबंध निदेशक एम-2 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड मुंबई-400 006	17.7.2014	निदेशक :01 समिति सदस्य : 01
3	श्री वी. जी. कन्नन	प्रबंध निदेशक डी-11, किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड मुंबई-400 006	17.07.2014	निदेशक : 19 समिति सदस्य :06
4	श्री रजनीश कुमार	प्रबंध निदेशक डी-10 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	26.05.2015	निदेशक : 03 समिति सदस्य : 01
5	श्री पी. के. गुप्ता	प्रबंध निदेशक एम-1 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	02.11.2015	निदेशक :01 समिति सदस्य : 01
6	श्री संजीव मल्होत्रा	चार्टर्ड अकाउंटेंट 6 मोटाभाई मेंशन, 130 महर्षि कर्वे मार्ग, चर्चगेट, मुंबई - 400020	26.06.2014	निदेशक : 01
7	श्री एम. डी. माल्या	सेवानिवृत्त बैंक कार्यपालक सी-601, अशोक टावर्स, डॉ. एस.एस. राव मार्ग, एम.जी. हास्पिटल के सामने, परेल, मुंबई - 400012	26.06.2014	निदेशक : 12 समिति के अध्यक्ष : 03 समिति के सदस्य : 05
8	श्री सुनील मेहता	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एस पी एम कैपिटल एडवाइजर्स प्रा. लि. 203-ए, विवारिया साने गुरुजी मार्ग, महालक्ष्मी (पूर्व), मुंबई - 400 011	26.06.2014	निदेशक : 04 समिति के अध्यक्ष : 01 समिति के सदस्य : 01
9	श्री दीपक आई. अमिन	सलाहकार 104 नील कंठ तीर्थ 6ठा रोड, चेम्बूर मुंबई - 400 071	26.06.2014	निदेशक :02 समिति सदस्य : 01
10	श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी	चार्टर्ड अकाउंटेंट मेसर्स टीएन चतुर्वेदी एंड कंपनी, 406, चिरंजीव टावर, 43 नेहरू प्लेस नई दिल्ली-110 019	29.08.2013	निदेशक : 01
11	डॉ. गिरीश के. आहूजा	चार्टर्ड अकाउंटेंट मेसर्स जी.के. आहूजा एंड कंपनी, ई-6ए, एलजीएफ, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली - 110 048	28.01.2016	निदेशक : 05 समिति सदस्य : 02
12	डॉ. पुष्पेन्द्र राय	विकास विशेषज्ञ (भूतपूर्व राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय सरकारी नौकरशाह) 50, पश्चिमी मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली-110 057	28.01.2016	निदेशक : 01
13	सुश्री अंजुली चिब दुग्गल (भारत सरकार की नामिती)	सचिव (वित्तीय सेवाएं), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (बैंकिंग प्रभाग), जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001	03.09.2015	निदेशक : 03 समिति सदस्य : 01
14	डॉ. ऊर्जित आर. पटेल (भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती)	उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई-400001	06.02.2013	निदेशक : 03 समिति सदस्य : 02

कारपोरेट अभिशासन

अनुलग्नक II ए

बैंक @/ उन अन्य कंपनियों की कुल संख्या जिनमें 31.03.2016 को बोर्ड-निदेशक /बोर्ड स्तरीय समितियों के निदेशक सदस्य/अध्यक्ष हैं

(@सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 26(1) के अनुसार केवल लेखापरीक्षा समिति एवं शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति की सदस्यताओं/अध्यक्षताओं को ही दर्शाया गया है)

1. श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	सदस्य/निदेशक/अध्यक्ष
1	भारतीय स्टेट बैंक	अध्यक्ष
2	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	अध्यक्ष
3	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	अध्यक्ष
4	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	अध्यक्ष
5	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	अध्यक्ष
6	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	अध्यक्ष
7	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	अध्यक्ष
8	एसबीआई पेंशन फंड्स पी. लि.	अध्यक्ष
9	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	अध्यक्ष
10	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट पी. लिमिटेड	अध्यक्ष
11	एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	अध्यक्ष
12	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	अध्यक्ष
13	एसबीआई डीएफएचआई लि.	अध्यक्ष
14	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	अध्यक्ष
15	एसबीआई फाउंडेशन	अध्यक्ष
16	भारतीय निर्यात-आयात बैंक	निदेशक

2. श्री बी. श्रीराम

क्र सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य@
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य

3. श्री वी. जी. कन्नन, प्रबंध निदेशक

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	बोर्ड की हितधारक संबंध समिति - सदस्य
2	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	निदेशक	-
3	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	निदेशक	-
4	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	निदेशक	-
5	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	निदेशक	-
6	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	निदेशक	-
7	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति- सदस्य
8	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लि.	निदेशक	
9	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति- सदस्य
10	एसबीआई डीएफएचआई लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति- सदस्य
11	एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	निदेशक	
12	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति- सदस्य
13	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	निदेशक	लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य
14	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	निदेशक	
15	एसबीआईकैप वेंचर्स लि.	निदेशक	
16	एसबीआई कैप (यूके) लिमिटेड	निदेशक	
17	एसबीआई कैप सिंगापुर लि.	निदेशक	
18	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	निदेशक	
19	एसबीआई फाउंडेशन	निदेशक	

4. श्री रजनीश कुमार

क्र सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	हितधारक संबंध समिति - सदस्य
2	एसबीआई लाइफ इंश्योरंस कं. लि.	निदेशक	
3	एसबीआई फाउंडेशन	निदेशक	

5. श्री. पी. के. गुप्ता

क्र सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य

6. श्री संजीव मल्होत्रा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	

7. श्री एम. डी. माल्या

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य@ हितधारक संबंध समिति - अध्यक्ष
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	शेयरधारक संबंध समिति - अध्यक्ष बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य
2	इंडिया इंफ्राडेट लिमिटेड	निदेशक	लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य
3	नीतेश इस्टेट्स लि.	निदेशक	लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य
4	ईमामी लिमिटेड	निदेशक	-
5	नीतेश हाउसिंग डेवलपर्स (प्रा.) लि.	निदेशक	-
6	नीतेश अर्बन डेवल्पटमेंट (प्रा.) लि.	निदेशक	-
7	नीतेश इंदिरानगर रिटेल (प्रा.) लि.	निदेशक	-
8	आईएफएमआर रूरल चैनल एण्ड सर्विसेज (प्रा.) लि.	निदेशक	लेखा-परीक्षा समिति - अध्यक्ष
9	सेवन आइलैंड्स शिपिंग लि.	निदेशक	लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य
10	पुदुआरु फाइनैंशियल सर्विसेज लि.	निदेशक	लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य
11	इंटरग्लोब एविएशन लि.	निदेशक	लेखा-परीक्षा समिति - अध्यक्ष
12	कॉफी डे एंटरप्राइजेस लि.	निदेशक	-

8. श्री सुनील मेहता

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	- बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - अध्यक्ष हितधारक संबंध समिति - सदस्य
2	आईएलएण्डएफएस एएमसी ट्रस्टी लि.	निदेशक	
3	एशिया सोसायटी इंडिया सेंटर (धारा 25 कंपनी)	निदेशक	-
4	एसपीएम कैपिटल एडवाइजर्स प्रा. लि.	अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक	-

9. श्री दीपक आई. अमिन

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य
2	रेडियन एडवाइजर्ज प्रा. लि.	निदेशक	-
3	फाइव विलेजेस एंटरप्राइजेस एलएलपी (भागीदारी फर्म)	भागीदार	-

10. श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	-

11. डॉ. गिरीश कुमार आहूजा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति - सदस्य हितधारक संबंध समिति - सदस्य
2	फ्लेयर पब्लिकेशंस प्रा.लि.	निदेशक	-
3	देवयानी इंटरनेशनल लि.	निदेशक	-
4	वरुणा बिवरेजेस लि.	निदेशक	-
5	देवयानी फूड स्ट्रीट प्रा. लि.	निदेशक	-

12. डॉ. पुष्पेन्द्र राय

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	

13. सुश्री अंजुली चिब दुग्गल

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य
2	भारतीय रिज़र्व बैंक	निदेशक	-
3	नेशनल फाइनेंशल होल्डिंग्स कंपनी लि.	निदेशक	-

14. डॉ. ऊर्जित आर. पटेल

क्र .सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय रिज़र्व बैंक	निदेशक	-
2	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य
3	नेशनल हाउसिंग बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य

अनुलग्नक - III

31.03.2016 को बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की शेयरधारिता का विवरण

क्र. सं.	निदेशक का नाम	31.03.2016 को शेयरों की संख्या
1	श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य	2000
2	श्री बी. श्रीराम	500
3	श्री वी. जी. कन्नन	3855
4	श्री रजनीश कुमार	निरंक
5	श्री प्रवीण कुमार गुप्ता	4900
6	श्री संजीव मल्होत्रा	8800
7	श्री एम. डी. माल्या	5000
8	श्री सुनील मेहता	5000
9	श्री दीपक आई. अमिन	5000
10	श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी	2000
11	श्री गिरीश के. आहूजा	2000
12	डॉ. पुष्पेन्द्र राय	निरंक
13	सुश्री अंजुली चिब दुग्गल	निरंक
14	डॉ. ऊर्जित आर. पटेल	निरंक

अनुलग्नक IV

वर्ष 2015-16 के दौरान केंद्रीय बोर्ड एवं बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए निदेशकों को भुगतान की गई बैठक फीस का विवरण

क्र.	निदेशक का नाम	केंद्रीय बोर्ड की बैठकें (₹)	अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकें (₹)	कुल (₹)
1	श्री संजीव मल्होत्रा	130000	415000	545000
2	श्री एम. डी. माल्या	150000	565000	715000
3	श्री सुनील मेहता	210000	735000	945000
4	श्री दीपक आई. अमिन	150000	630000	780000
5	डॉ. राजीव कुमार	10000	5000	15000
6	श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी	100000	90000	190000
7	श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह	60000	135000	195000
8	श्री एस.के. मुखर्जी	70000	25000	95000
9	डॉ. गिरीश के आहूजा	40000	20000	60000
10	डॉ. पुष्पेन्द्र राय	40000	20000	60000

अनुलग्नक V

भारतीय स्टेट बैंक

घोषणा

बैंक की आचार संहिता (2015-16) के अनुपालन की पुष्टि

मैं घोषणा करती हूँ कि बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

दिनांक : 18 अप्रैल 2016

प्रकटीकरण अपेक्षाएं

(सेबी सूचीकरण दायित्व विनियम, 2015 का विनियम 27)

1. **दि बोर्ड** - चूंकि बैंक में एक कार्यपालक अध्यक्ष है, इसलिए यह लागू नहीं है।
2. **शेयरधारकों के अधिकार** - बैंक प्रमुख राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में अपने अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रकाशित करता है। अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणाम और महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी बैंक की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। तथापि, बैंक प्रत्येक शेयरधारक के पते पर अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणाम नहीं भेजता है।
3. **लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित विकल्प** - 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय विवरणों में कोई लेखा-परीक्षा संशोधन नहीं है।
4. **अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का अलग पद** - अध्यक्ष और चार प्रबंध निदेशक भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार है।
5. **आंतरिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टिंग** - आंतरिक लेखा-परीक्षक (उप प्रबंध निदेशक - निरीक्षण एवं प्रबंधन लेखा-परीक्षा) सीधे बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं।

कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी लेखा-परीक्षकों का प्रमाणपत्र

प्रति,
सदस्यगण,
भारतीय स्टेट बैंक

हमने, वर्मा एण्ड वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेन्ट (फर्म रजिस्ट्रेशन सं. : 004532S), और भारतीय स्टेट, इसका कॉरपोरेट केन्द्र स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड़, मुंबई, महाराष्ट्र, पिन-400 021 में स्थित है, के सांविधिक लेखा-परीक्षकों के रूप में, 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है, जो 1 अप्रैल 2015 से 30 नवंबर 2015 तक की अवधि के लिए भारत में शेयर बाजारों के साथ बैंक के सूचीकरण करार के खंड 49 में निर्धारित की गई है और 1 दिसंबर 2015 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए सूचीकरण विनियम के विनियम 15(2) में यथा संदर्भित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार है।

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन वर्ग की है। हमारी जाँच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन के प्रमाणन संबंधी मार्गदर्शी नोट के अनुसार की गई है और यह कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यविधियों तथा उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो लेखा-परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरण पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और जहाँ तक हमें जानकारी है, उसके अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त यथा प्रयोज्य सूचीकरण करार में निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का, सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश करते हुए अनुपालन किया है।
हम यह भी सूचित करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में आश्वासन है, न ही उस कुशलता अथवा प्रभावकारिता से संबंधित है, जिसके द्वारा प्रबंधन वर्ग ने बैंक के कारोबार का संचालन किया है।

कृते एवं की ओर से
वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 004532S

चेरीयन के. बेबी
भागीदार
सदस्यता सं. 16043

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 27 मई 2016

व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट के बारे में:

बैंक की व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट वित्त वर्ष 2012-13 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है और यह 4थी रिपोर्ट है। सेबी परिपत्र क्र. सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/10/2015 दिनांक 4 नवंबर 2015 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम के विनियम 34(2)(एफ) के अनुसार उन कंपनियों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट को शामिल करना अनिवार्य है, जिन्होंने बीएसई और एनएसई में बाजार पूंजीकरण (प्रति वित्त वर्ष 31 मार्च को परिकलन किया जाता है) के आधार पर शीर्ष 500 कंपनियों की सूची में स्थान पाया है। बैंक की संवहनीयता रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट समाविष्ट है, को बैंक की वेबसाइट पर www.sbi.co.in/ www.statebankofindia.com पर एक अलग लिंक http://www.sbi.co.in/portalweb/ corporate-governance/sr2016 के अंतर्गत रखा गया है। कोई भी शेयरधारक जो इसकी हार्ड प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, वे हमें इस पते पर लिख सकते हैं या ई-मेल कर सकते हैं: महाप्रबंधक शेयर एवं बॉण्ड विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, कॉरपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड मुंबई - 400 021. ई-मेल पता : gm.snb@sbi.co.in

भारतीय स्टेट बैंक

तुलन-पत्र 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची संख्या	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी और देयताएँ			
पूंजी	1	776,27,77	746,57,31
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	2	143498,15,83	127691,65,34
जमाराशियाँ	3	1730722,43,61	1576793,24,50
उधार-राशियाँ	4	224190,58,61	205150,29,26
अन्य देयताएँ और प्रावधान	5	159875,57,46	137698,03,57
योग		**2259063,03,28**	**2048079,79,98**
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ	6	129629,32,53	115883,84,35
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	7	37838,33,12	38871,93,86
निवेश	8	477097,27,65	481758,74,78
अग्रिम	9	1463700,41,75	1300026,39,29
अचल आस्तियाँ	10	10389,27,72	9329,16,42
अन्य आस्तियाँ	11	140408,40,51	102209,71,28
योग		**2259063,03,28**	**2048079,79,98**
आकस्मिक देयताएँ	12	971956,00,58	1000627,25,78
उगाही के लिए बिल	-	92211,64,83	92795,24,84
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	17		
लेखा -टिप्पणियाँ	18		

ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ तुलनपत्र का एक अभिन्न भाग है।

हस्ताक्षरी:

पी. के. गुप्ता
एम.डी. (सी एण्ड आर)

वी. जी. कन्नन
एम.डी. (ए एण्ड एस)

बी. श्रीराम
एम.डी. (सी बी जी)

निदेशक:
श्री संजीव मल्होत्रा
श्री एम. डी. माल्या
श्री दीपक आई. अमिन
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी
डॉ.गिरीश कुमार आहूजा
डॉ.पुष्पेन्द्र राय
श्री सुनील मेहता

अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मे. वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार

चेररीयन के बेबी
भागीदार: स.सं. 016043
फर्म पंजी. सं. 004532 S

कृते मे. वी. शंकर अय्यर एंड कं.
सनदी लेखाकार

अजय गुप्ता
भागीदार: स.सं.: 090104
फर्म पंजी. सं.: 109208 W

कृते मे. मनुभाई एंड शाह एल एल पी
सनदी लेखाकार

हितेश एम पोमल
भागीदार: स.सं.: 106137
फर्म पंजी. सं.: 106041W/W100136

कृते मे. चटर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस के चटर्जी
भागीदार: स.सं.: 003124
फर्म पंजी. सं.: 302114 E

कृते मे. एस एल छाजड एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस. एन. शर्मा
भागीदार: स.सं.: 071224
फर्म पंजी. सं.: 000709 C

कृते मे. मेहरा गोयल एंड कं.
सनदी लेखाकार

आर के मेहरा
भागीदार: स.सं.: 006102
फर्म पंजी. सं.: 000517 N

कृते मे. एस.एन. मुखर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार

सुदीप मुखर्जी
भागीदार: स.सं.: 013321
फर्म पंजी. सं.: 301079 E

कृते मे. एम. भास्कर राव एंड कं.
सनदी लेखाकार

एम वी रमण मूर्ति
भागीदार: स.सं.: 206439
फर्म पंजी. सं.: 000459 S

कृते मे. बंसल एंड कं.
सनदी लेखाकार

डी एस रावत
भागीदार: स.सं.: 083030
फर्म पंजी. सं.: 001113 N

कृते मे. मित्तल गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

अक्षय कुमार गुप्ता
भागीदार: स.सं.: 070744
फर्म पंजी. सं.: 001874 C

कृते मे. एसआरआरके शर्मा एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

एस आर आर के शर्मा
भागीदार: स.सं.: 18088
फर्म पंजी. सं.: 003790 S

कृते मे. बी छावछरिया एंड कं.
सनदी लेखाकार

क्षितिज छावछरिया
भागीदार: स.सं.: 061087
फर्म पंजी. सं.: 305123 E

कृते मे. जीएसए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

सुनील अग्रवाल
भागीदार: स.सं.: 083899
फर्म पंजी. सं.: 000257 N

कृते मे. अमित रे एंड कं.
सनदी लेखाकार

बासुदेव बनर्जी
भागीदार: स.सं.: 070468
फर्म पंजी. सं.: 000483 C

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 27 मई, 2016

अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी: 5000,00,00,000 शेयर ₹1 प्रति शेयर (पिछले वर्ष 5000,00,00,000 शेयर ₹ 1 प्रति शेयर)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी: 776,35,98,072 इक्विटी शेयर, प्रति ₹ 1(पिछले वर्ष 746,65,61,670 इक्विटी शेयर, ₹ 1 प्रति इक्विटी शेयर)	776,35,98	746,65,61
अभिदत्त और संदत्त पूंजी: 776,27,77,042 इक्विटी शेयर प्रति ₹1, (पिछले वर्ष 746,57,30,920 इक्विटी शेयर प्रति ₹1) [उपर्युक्त में प्रति ₹1 के 14,45,93,240 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रति ₹1 के 16,04,31,560 ईक्विटी शेयर) सम्मिलित हैं जो 1,44,59,324 (पिछले वर्ष 1,60,43,156) वैश्विक निक्षेपागाार रसीदों के रूप में हैं]	776,27,77	746,57,31
योग	**776,27,77**	**746,57,31**

अनुसूची - 2 आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I	**सांविधिक आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	47839,40,98		43810,33,00	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	2985,19,61		4029,07,98	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			50824,60,59		47839,40,98
II	**पूंजी आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	1849,51,49		1744,01,05	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	345,27,46		105,50,44	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			2194,78,95		1849,51,49
III	**शेयर प्रीमियम**				
	अथशेष	41444,68,60		41444,68,60	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	8333,44,99		-	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	8,65,88		-	
			49769,47,71		41444,68,60
IV	**विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	6172,34,71		6040,01,00	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	757,82,36		158,29,42	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	873,92,35		25,95,71	
			6056,24,72		6172,34,71

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
V	**राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां***				
	अथशेष	30385,37,08		24496,31,52	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	4267,35,10		5889,05,56	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			34652,72,18		30385,37,08
VI	**लाभ और हानि खाते की शेष राशि**		31,68		32,48
	* टिप्पणी : राजस्व व अन्य आरक्षितियों में शामिल है (i) इसमें एकीकरण और विकास निधि (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 36 के अंतर्गत रखी गई) के ₹5,00,00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹5,00,00 हज़ार), (ii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षितियाँ ₹8499,18,16 हज़ार (पिछले वर्ष ₹6719,06,15 हज़ार)				
योग			**143498,15,83**		**127691,65,34**

अनूसूची - 3 जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क.	**I. माँग जमाराशियाँ**		
	(i) बैंकों से	5735,58,63	5941,51,45
	(ii) अन्य से	134071,44,66	118630,78,84
	II. बचत बैंक जमाराशियाँ	597746,06,02	527332,81,84
	III. सावधि जमाराशियाँ		
	(i) बैंकों से	6818,59,65	9179,86,77
	(ii) अन्य से	986350,74,65	915708,25,60
	योग	1730722,43,61	1576793,24,50
ख.	I. भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	1636424,58,65	1487236,32,78
	II. भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	94297,84,96	89556,91,72
योग		**1730722,43,61**	**1576793,24,50**

अनुसूचियाँ

अनूसूची 4 - उधार-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I	**भारत में उधार-राशियाँ**				
	(i) भारतीय रिज़र्व बैंक		-		2595,00,00
	(ii) अन्य बैंक		-		674,52,05
	(iii) अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण		1902,52,33		3490,55,76
	(iv) पूंजीगत लिखत				
	क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)	2165,00,00		2165,00,00	
	ख) गौण ऋण	42374,23,80		36471,39,60	
			44539,23,80		38636,39,60
योग			**46441,76,13**		**45396,47,41**
II.	**भारत के बाहर से उधार-राशियाँ**				
	(I) भारत के बाहर से उधार राशियाँ और पुनर्वित		173607,88,73		155847,56,85
	(II) पूंजीगत लिखत				
	नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)		4140,93,75		3906,25,00
योग			**177748,82,48**		**159753,81,85**
कुल योग			**224190,58,61**		**205150,29,26**
उपरोक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार-राशियाँ			8046,77,79		4581,96,92

अनुसूची - 5 अन्य देयताएँ और प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	संदेय बिल	18438,45,65	20184,69,67
II.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	36843,46,74	39061,18,75
III.	प्रोद्भूत ब्याज	24934,79,20	20560,45,58
IV.	आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	2684,95,65	2353,11,87
V.	अन्य (प्रावधान सहित)*	76973,90,22	55538,57,70
योग		**159875,57,46**	**137698,03,57**

इसमें मानक आस्तियों के लिए विवेकपूर्ण प्रावधान राशि ₹11188,59,82 हजार (पिछले वर्ष ₹9018,36,10 हजार शामिल है।

अनुसूची - 6 नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं)	15080,91,89	14943,22,17
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ		
(i) चालू खाते में	114548,40,64	100940,62,18
(ii) अन्य खातों में	-	-
योग	**129629,32,53**	**115883,84,35**

अनुसूची - 7 बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में		
(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
(क) चालू खातों में	151,94,16	193,75,88
(ख) अन्य जमा खातों में	-	-
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि		
(क) बैंकों में	2972,00,00	2240,00,00
(ख) अन्य संस्थाओं में	-	-
योग	**3123,94,16**	**2433,75,88**
II. भारत के बाहर		
(i) चालू खातों में	24084,90,46	21059,05,65
(ii) अन्य जमा खातों में	1144,46,21	1946,13,70
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	9485,02,29	13432,98,63
योग	**34714,38,96**	**36438,17,98**
कुल योग (I एवं II)	**37838,33,12**	**38871,93,86**

अनुसूचियाँ

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I भारत में निवेश :			
(I) सरकारी प्रतिभूतियाँ		360398,87,65	377654,15,03
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		-	-
(iii) शेयर		4327,90,22	4336,48,56
(iv) डिबेंचर और बांड		41126,76,36	30527,76,51
(v) अनुषंगियाँ और / अथवा संयुक्त उद्यम (इसमें सहयोगियाँ सम्मिलित)		8784,23,26	7596,50,49
(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड के यूनिट्, कमर्शियल पेपर इत्यादि)		23022,78,82	31286,82,34
योग		**437660,56,31**	**451401,72,93**
II भारत के बाहर निवेश			
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं)		9969,94,18	5758,32,99
(ii) विदेशों में स्थापित अनुषंगियाँ और / अथवा संयुक्त उद्यम		2591,72,94	2185,68,69
(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर इत्यादि)		26875,04,22	22413,00,17
योग		**39436,71,34**	**30357,01,85**
कुल योग (I एवं II)		**477097,27,65**	**481758,74,78**
III. भारत में निवेश			
(i) निवेशों का सकल मूल्य		437955,05,62	451634,98,40
(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान / मूल्यह्रास		294,49,31	233,25,47
(iii) निवल निवेश (ऊपर I के अनुसार)	**योग**	**437660,56,31**	**451401,72,93**
IV. भारत के बाहर निवेश			
(i) निवेशों का सकल मूल्य		39496,32,30	30603,67,21
(ii) घटाएँ: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास		59,60,96	246,65,36
(iii) निवल निवेश (ऊपर II के अनुसार)	**योग**	**39436,71,34**	**30357,01,85**
कुल योग (III एवं IV)		**477097,27,65**	**481758,74,78**

अनुसूची 9 - अग्रीम

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क)	I. क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	94360,70,33	95605,93,62
	II. कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय ऋण	589442,33,19	538576,40,18
	III. सावधि ऋण	779897,38,23	665844,05,49
योग		**1463700,41,75**	**1300026,39,29**
ख)	I. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित हैं)	1086206,36,64	988275,84,14
	II. बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	61714,99,56	52640,93,65
	III. अप्रतिभूत	315779,05,55	259109,61,50
योग		**1463700,41,75**	**1300026,39,29**
ग)	I. भारत में अग्रिम		
	(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	328551,49,99	288952,35,26
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	144401,91,16	99444,50,78
	(iii) बैंक	1473,74,93	261,94,79
	(iv) अन्य	725604,44,16	678592,56,54
योग		**1200031,60,24**	**1067251,37,37**
ग)	II. भारत के बाहर अग्रिम		
	(i) बैंकों से प्राप्य	71628,62,37	49656,27,37
	(ii) अन्यों से प्राप्य		
	(क) सक्रिय किए गए और बट्टाकृत बिल	15179,05,89	28459,86,93
	(ख) सिंडीकेट ऋण	88579,38,30	73482,21,58
	(ग) अन्य	88281,74,95	81176,66,04
योग		**263668,81,51**	**232775,01,92**
कुल योग (ग - I एवं ग - II)		**1463700,41,75**	**1300026,39,29**

अनुसूचियाँ

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. परिसर				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	3419,39,11		3112,45,97	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	215,18,89		312,37,37	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		5,44,23	
अद्यतन मूल्यह्रास	491,08,22		447,32,80	
		3143,49,78		2972,06,31
II. अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	17542,35,45		15573,29,35	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2280,58,65		2758,28,85	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	271,74,06		789,22,75	
अद्यतन मूल्यह्रास	12875,53,82		11472,61,90	
		6675,66,22		6069,73,55
III. पट्टाकृत आस्तियाँ				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	208,70,20		233,62,47	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान कटौतीयाँ	208,70,20		24,92,27	
प्रावधानों सहित आज तक का मूल्यह्रास	-		208,70,20	
		-		-
IV निर्माणाधीन आस्तियां (परिसर सहित)		570,11,72		287,36,56
योग (I, II, III एवं IV)		**10389,27,72**		**9329,16,42**

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
(i) अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	-	-
(ii) प्रोद्भूत ब्याज	16227,95,80	15020,62,03
(iii) अग्रिम रूप से प्रदत कर / स्रोत पर काटा गया कर	12698,28,68	9257,46,09
(iv) आस्थगित कर आस्तियों (निवल)	472,51,88	365,98,57
(v) लेखन सामग्री और स्टांप	102,67,31	104,48,23
(vi) दावों के निपटान से प्राप्त की गईं गैर-बैंकिंग आस्तियाँ	3,91,00	4,25,91
(vii) अन्य*	110903,05,84	77456,90,45
योग	**140408,40,51**	**102209,71,28**

* इसमें नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी के पास रखी गई जमाराशियाँ ₹52401,25,93 हजार (पिछले वर्ष ₹33374,16,90 हजार) शामिल है

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	12347,03,03	14132,87,81
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	154,55,16	463,08,37
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता	506354,87,97	568894,47,16
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
(क) भारत में	135811,51,97	123711,14,64
(ख) भारत के बाहर	82799,97,90	63673,91,98
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	106928,52,26	97765,09,54
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है*	127559,52,29	131986,66,28
योग	**971956,00,58**	**1000627,25,78**

* इसमें ड़ेरीवेटिव्स ₹125856,86,50 हजार (पिछले वर्ष ₹130178,19,69 हजार) शामिल है

भारतीय स्टेट बैंक

लाभ और हानि खाता 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची सं.	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. **आय**			
अर्जित ब्याज	13	163685,30,61	152397,07,42
अन्य आय	14	28158,36,01	22575,89,26
योग		**191843,66,62**	**174972,96,68**
II. **व्यय**			
व्यय किया गया ब्याज	15	106803,49,21	97381,82,36
परिचालन व्यय	16	41782,36,65	38053,87,14
प्रावधान और आकस्मिक व्यय		33307,15,39	26435,69,98
योग		**181893,01,25**	**161871,39,48**
III. लाभ			
निवल लाभ (वर्ष के लिए)		9950,65,37	13101,57,20
अग्रानीत लाभ		32,48	32,48
योग		**9950,97,85**	**13101,89,68**
IV. विनियोजन			
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण		2985,19,61	4029,07,98
पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण		345,27,46	105,50,44
राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण		4267,35,10	5889,05,56
वर्ष के दौरान पिछले वर्ष हेतु लाभांश (लाभांश पर कर सहित)		80	-
चालू वर्ष हेतु लाभांश		2018,32,20	2648,17,28
चालू वर्ष हेतु लाभांश पर कर		334,51,00	429,75,94
तुलनपत्र में ले जाई गई शेषराशि		31,68	32,48
योग		**9950,97,85**	**13101,89,68**
प्रति शेयर मूल आय		₹ 12.98	₹ 17.55
प्रति शेयर कम की गई आय		₹ 12.98	₹ 17.55
विशिष्ट लेखा नीतियां	17		
लेखा - टिप्पणियाँ	18		

ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ लाभ एवं हानि खाते का एक अभिन्न भाग है।

हस्ताक्षरी:

पी. के. गुप्ता
एम.डी. (सी एण्ड आर)

वी. जी. कन्नन
एम.डी. (ए एण्ड एस)

बी. श्रीराम
एम.डी. (सी बी जी)

निदेशक:
श्री संजीव मल्होत्रा
श्री एम. डी. माल्या
श्री दीपक आई. अमिन
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी
डॉ.गिरीश कुमार आहूजा
डॉ.पुष्पेन्द्र राय
श्री सुनील मेहता

अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मे. वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार

चेरीयन के बेबी
भागीदार: स.सं. 016043
फर्म पंजी. सं. 004532 S

कृते मे. वी. शंकर अय्यर एंड कं.
सनदी लेखाकार

अजय गुप्ता
भागीदार: स.सं.: 090104
फर्म पंजी. सं.: 109208 W

कृते मे. मनुभाई एंड शाह एल एल पी
सनदी लेखाकार

हितेश एम पोमल
भागीदार: स.सं.: 106137
फर्म पंजी. सं.: 106041W/W100136

कृते मे. चटर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस के चटर्जी
भागीदार: स.सं.: 003124
फर्म पंजी. सं.: 302114 E

कृते मे. एस एल छाजड एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस. एन. शर्मा
भागीदार: स.सं.: 071224
फर्म पंजी. सं.: 000709 C

कृते मे. मेहरा गोयल एंड कं.
सनदी लेखाकार

आर के मेहरा
भागीदार: स.सं.: 006102
फर्म पंजी. सं.: 000517 N

कृते मे. एस.एन. मुखर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार

सुदीप मुखर्जी
भागीदार: स.सं.: 013321
फर्म पंजी. सं.: 301079 E

कृते मे. एम. भास्कर राव एंड कं.
सनदी लेखाकार

एम वी रमण मूर्ति
भागीदार: स.सं.: 206439
फर्म पंजी. सं.: 000459 S

कृते मे. बंसल एंड कं.
सनदी लेखाकार

डी एस रावत
भागीदार: स.सं.: 083030
फर्म पंजी. सं.: 001113 N

कृते मे. मित्तल गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

अक्षय कुमार गुप्ता
भागीदार: स.सं.: 070744
फर्म पंजी. सं.: 001874 C

कृते मे. एसआरआरके शर्मा एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

एस आर आर के शर्मा
भागीदार: स.सं.: 18088
फर्म पंजी. सं.: 003790 S

कृते मे. बी छावछरिया एंड कं.
सनदी लेखाकार

क्षितिज छावछरिया
भागीदार: स.सं.: 061087
फर्म पंजी. सं.: 305123 E

कृते मे. जीएसए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

सुनील अग्रवाल
भागीदार: स.सं.: 083899
फर्म पंजी. सं.: 000257 N

कृते मे. अमित रे एंड कं.
सनदी लेखाकार

बासुदेव बनर्जी
भागीदार: स.सं.: 070468
फर्म पंजी. सं.: 000483 C

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 27 मई, 2016

अनुसूचियाँ

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	115666,01,22	112343,91,20
II. निवेशों पर आय	42303,97,93	35353,64,24
III. भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	621,06,84	505,12,35
IV. अन्य	5094,24,62	4194,39,63
योग	**163685,30,61**	**152397,07,42**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	14415,98,00	13172,83,13
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ/ (हानि) (निवल)	5168,79,59	3618,04,99
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि) (निवल)	(151,67,43)	-
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / (हानि) (निवल)	(16,69,37)	(42,74,99)
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ / (0हानि) (निवल)	2112,34,08	1935,95,56
VI. विदेश / भारत में स्थापित अनुषंगियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांशों आदि के रूप में अर्जित आय	475,82,57	677,03,43
VII. वित्तीय पटटे से आय	-	5,75
VIII. विविध आय*	6153,78,57	3214,71,39
योग	**28158,36,01**	**22575,89,26**

*विविध आय में अपलिखित खातों में की गई वसूलियाँ 2858,61,51 हजार (पिछले वर्ष 2358,98,09 हजार शामिल है।

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज	98864,98,84	89148,45,02
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधार-राशियों पर ब्याज	4154,29,59	3972,04,27
III. अन्य	3784,20,78	4261,33,07
योग	**106803,49,21**	**97381,82,36**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	25113,82,46	23537,06,76
II. भाड़ा, कर और बिजली खर्च	3709,15,28	3406,94,48
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री	376,81,38	373,50,46
IV. विज्ञापन और प्रचार	307,64,06	284,63,61
V. (क) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पट्टाकृत आस्तियों के अतिरिक्त)	1700,30,45	1116,49,32
(ख) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास	-	-
VI. निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	63,37	60,71
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	197,04,21	178,99,93
VIII. विधि प्रभार	179,50,08	191,62,37
IX. डाक व्यय, तार और टेलीफोन आदि	609,35,30	656,82,87
X. मरम्मत और अनुरक्षण	598,08,43	545,07,28
XI. बीमा	1718,03,67	1594,35,89
XII. अन्य व्यय	7271,97,96	6167,73,46
योग	**41782,36,65**	**38053,87,14**

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. तैयार करने का आधार:

बैंक के वित्तीय विवरण, जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत लेखा की उपचय पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं और वे भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी); जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के नियामक मानदंडों/ दिशा-निर्देश, बैंककारी विनियमन अधिनियम-1949, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक और भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएँ शामिल होती है, के अनुरूप हैं।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग:

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशि तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन यथोचित एवं पर्याप्त है। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

ग. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1. राजस्व निर्धारण:

1.1 जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, आय और व्यय को उपचय आधार पर लेखे में लिया गया है। बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में आय एवं व्यय को उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार शामिल किया गया है जिस देश में वह कार्यालय स्थित है।

1.2 ब्याज आय का लाभ और हानि खाते में उपचय आधार पर निर्धारण किया गया है सिवाय इनके जहाँ (i) अग्रिमों, पट्टों और निवेशों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों (एनपीए) से आय, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक/ विदेश स्थित कार्यालयों के मामलों में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) निवेशों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज, (iii) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय जिसे वसूली के आधार पर लेखे में लिया गया है, को "ट्रेडिंग" नाम दिया गया है।

1.3 निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ तथा हानि खाते में दिखाया जाता है। तथापि "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी वाले निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ के समतुल्य राशि को (प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली निवल राशि) "आरक्षित पूंजी खाते" में विनियोजित किया जाता है।

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि से अधिक अवधि के पट्टे में बकाया निवल निवेश पर पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर लगाकर किया गया है। 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल निवेश के समान राशि को आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 19 - पट्टा के अनुसार अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है। पट्टों का किराया मूल राशि और वित्त आय में संविभाजित है जो कि वित्त पट्टों के संबंध में बकाया निवल निवेशों के नियत आवधिक प्रतिफल के परावर्ती नमूने पर आधारित है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल निवेश की शेष राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

1.5 "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज को छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नवत स्वीकृत किया गया है :

क) ब्याज-प्राप्त करने वाली प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/शोधन के समय मान्य किया गया है।

ख) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.6 जहाँ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार प्रमाणित है, वहाँ लाभांश को उपचय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.7 समस्त अन्य कमीशन एवं शुल्क आय का निर्धारण उनके वसूली पर किया जाता है सिवाय अधोलिखित के: (i) आस्थगित भुगतान गारंटियों पर गारंटी कमीशन जोकि गारंटी की पूरी अवधि के लिए है और (ii) सरकारी व्यवसाय पर कमीशन एवं ए टी एम इंटरचेंज फीस जो कि उपचय आधार पर मान्य होते हैं, तथा (iii) पुनर्संरचित खातों पर एकमुश्त फीस, जो कि पुनर्संरचना अवधि के दौरान प्रभाजित किया जाता है।

1.8 विशेष आवास ऋण योजना (दिसम्बर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम को 15 वर्ष की अवधि के औसत ऋण पर परिशोधित किया गया है।

1.9 बॉन्ड एवं जमापत्र जारी करने के लिए भुगतान / खर्च की गई दलाली/ कमीशन को संबंधित बॉन्ड एवं जमापत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है एवं इन्हें जारी करने पर हुए खर्च को एकमुश्त प्रभारित किया गया है।

1.10 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है,:-

i. जब बैंक अपने वित्तीय आस्तियों का विक्रय प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को करती है तो इसे अपने खातों से हटा देती है ।

ii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) (बही मूल्य से प्रावधानों को घटा कर) से कम है तो कमी की इस राशि को बिक्री की तिमाही से 8 समान तिमाहियों में लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाता है ।

iii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा हैं तो अतिरिक्त प्रावधान को आरबीआई की अनुमति के अनुसार राशि को उसके प्राप्त होने वाले वर्ष में ही वापस कर लिया जाता है।

2 निवेश:

सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन को "नपिटान तिथि" ((सेटलमेंट डेट) पर दर्ज किया गया है ।

सरकारी प्रतिभूतियों से इतर निवेशों को "सौदे की तिथि" (ट्रेड - डेट) पर दर्ज किया गया है ।

2.1 वर्गीकरण :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के अनुसार निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)", "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और "व्यवसाय के लिए धारित (एचएफटी)"।

2.2 वर्गीकरण का आधार :

i. निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है, को "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. निवेश जिन्हें क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर सिद्धांततः पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है, को "व्यवसाय के लिए रखे गए (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii. निवेश जिन्हें उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, को "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. किसी निवेश को इसके क्रय के समय "परिपक्वता तक धारित", "विक्रय के लिए उपलब्ध" या "व्यवसाय के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तत्पश्चात विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप श्रेणियों में रखा गया है।

v. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में किए गए निवेश को "परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3 मूल्यांकन :

i. किसी निवेश की अधिग्रहण-लागत का निर्धारण करने में:

(क) अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।

(ख) निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) आदि को उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।

(ग) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/ आय माना गया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

(घ) लागत का निर्धारण, "विक्रय के लिए उपलब्ध" एवं "व्यवसाय के लिए रखे गए" श्रेणी के तहत निवेश हेतु भारित औसत लागत प्रणाली के अनुसार एवं 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के लिए फिफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) आधार पर किया गया है।

ii. प्रतिभूतियों को एचएफटी/ एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में अंतरण, अंतरण की तिथि पर अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/ बाजार मूल्य, इन तीनों में से न्यूनतम के आधार किया जाता है और ऐसे अंतरण पर हुआ मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो उस हेतु पूर्णतया प्रावधान किया गया है। परंतु एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य किया गया है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है एवं किसी भी प्रकार के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है ।

iii. ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत आधार पर किया गया है।

iv. **"परिपक्वता तक धारित" श्रेणी:**

क) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों को अधिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है जब तक कि उसका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक न हो, जिसमें प्रीमियम को बची हुई परिपक्वता अवधि के लिए नियत आय आधार पर परिशोधित किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को "निवेश पर ब्याज" शीर्ष के अन्तर्गत आय के सापेक्ष समायोजित किया गया है।

(ख) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (देश और विदेश दोनों) में निवेश को ऐतिहासिक लागत पर मूल्यांकित किया गया है। अस्थायी से इतर प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग, कमी की पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश जिसे रखाव लागत (यानी बही मूल्य) आधार पर मूल्यांकित किया गया है।

v. **विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए धारित श्रेणियाँ:** एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों के तहत रखे गए निवेशों का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से सम्बद्ध प्रत्येक समूह (जैसे (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (iii) शेयर (iv) बांड एवं ऋणपत्र (v) अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम और (vi) अन्य) के सिर्फ निवल मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है। मूल्यह्रास के प्रावधान पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार के बही - मूल्य के अनुसार अंकन के पश्चात् अपरिवर्तित रहा है ।

vi. प्रतिभूति रसीद जारी करने के बदले प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को अनर्जक आस्तियां (वित्तीय आस्तियां) बेचे जाने के मामले में प्रतिभूति रसीद (एसआर) में निवेश को i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य मे से प्रावधान घटा कर) ii) प्रतिभूति के मोचन, दोनों में जो भी कम हो, मान्य किया जाता है। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के मूल्य को नॉन एस एल आर के लिए लागू दिशा निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। तदनुसार, जिन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में निवल आस्ति मूल्य, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त, की गणना ऐसे निवेश के मूल्यन के लिए की गई है।

vii. देशीय कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर निवेश को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशी कार्यालयों के निवेश निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं:

क) ब्याज/ किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।

ख) इक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण शेयरों को ₹ 1 प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे इक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

ग) यदि इकाई द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में उसी इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को और जारीकर्ता द्वारा निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

घ) उपर्युक्त, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

ङ) ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जो अग्रिम प्रकृति के माने गए हैं, उन पर भी अनर्जक निवेश के वही मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते हैं।

च) विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों जो अधिक सख्त हो, के अनुसार किया गया है।

viii. रेपो/ रिवर्स रेपो लेनदेन (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन के अलावा) का लेखाकरण:

क) रेपो/रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय/क्रय की गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋण लेनदेन के रूप में लेखांकित किया गया है । तथापि एकमुश्त विक्रय/क्रय लेनदेन मामलों की तरह प्रतिभूतियों को अंतरित किया गया है एवं इस तरह के अंतरणों को रेपो/रिवर्स रेपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करते हुए दर्शाया गया है। इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है। लागत एवं आय को यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है। रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 4 (उधार लेना) एवं रिवर्स रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 7 (बैंकों में शेष तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत श्रेणीबद्ध किया गया है।

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय/विक्रय की गई प्रतिभूतियों को निवेश खाते में नामे/जमा किया गया है और उनको लेनदेन की परिपक्वता की तिथि पर प्रतिवर्तित किया गया है। उन पर व्यय/अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान :

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शनों/दिशा-निर्देशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है। ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँ:

i. सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है ;

ii. ओवरड्राफ्ट या नकद-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता "असंगत" "(आउट ऑफ आर्डर)" रहता है, अर्थात यदि बकाया शेष राशि निरन्तर 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या तुलनपत्र की तिथि को निरन्तर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं ;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं ;

iv. कृषि अग्रिमों के संबंध में जब (अ) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल- ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं एवं (ब) दीर्घावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं।

3.2 अनर्जक आस्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

i. अवमानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है।

ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक वर्ग में रही है।

iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि की जानकारी हो गई है किन्तु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा - निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं :

अवमानक आस्तियाँ :
- i. कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान
- ii. ऋण जोखिमों, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है)
- iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिम खातों, जहाँ कुछ बचाव उपाय, जैसे एस्क्रो खाते आदि उपलब्ध है, से सम्बंधित प्रतिभूति-रहित ?ण जोखिम - 20 %

संदिग्ध आस्तियाँ:
प्रतिभूत भाग
- i. एक वर्ष तक - 25%
- ii. एक से तीन वर्ष तक - 40%
- iii. तीन वर्ष से अधिक - 100%

अप्रतिभूत भाग : 100%
हानिप्रद आस्तियाँ: 100%

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक सख्त हो, के अनुसार किया गया है।

3.5 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर किए गए हानिप्रद प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।

3.6 पुनर्संरचनागत/पुनः निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप पुर्नसंरचना के पहले एवं बाद में हुए ऋण/अग्रिम के उचित मूल्य का अंतर प्रावधान के तौर पर संबंधित ऋण/अग्रिम के लिए व्यवस्था की जाती है। उपरोक्त मामलों में अंकित मूल्य में कमी (डीएफवी) का एवं त्याग किए गए ब्याज के लिए यदि कोई अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है। तो वह राशि अग्रिम से घटा दी जाती है ।

3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण वसूल किए गए वर्ष में आय के रूप में किया गया है।

3.9 भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं एवं

निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

4. अस्थिर प्रावधान:

बैंक में अग्रिमों, निवेश तथा सामान्य प्रयोजनों हेतु पृथक रूप से अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग हेतु एक नीति है। सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का निर्धारण वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है। इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के अधीन सिर्फ आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाएगा.

5. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक् देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान बनाए गए है। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा - नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। यह प्रावधान तुलन-पत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरीवेटिव्स:

6.1 बैंक तुलन-पत्र की/तुलन-पत्र इतर आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने या इनके क्रय-विक्रय के प्रयोजन से डेरीवेटिव्स संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली, परस्पर मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार निष्पादित करता है। तुलन-पत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो। इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखे में लिया जाता है।

6.2 बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को उपचय आधार पर अंकित किया गया है। बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों।

6.3 उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई है। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए हैं। डेरीवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक अतिदेय हैं, को लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता कुल प्राप्य" में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरिवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती हैं और यदि ये डेरिवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गया हो, तो भावी आगमों से संबंधित सकारात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता सकारात्मक एमटीएम" में प्रतिवर्तित किया जाता है ।

6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर (ओटीसी) ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

6.5 सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरीवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दिए गए प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

7. अचल आस्तियाँ मूल्यह्रास और परिशोधन:

7.1 अचल आस्तियों का अंकन लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन घटा कर किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई प्रोफेशनल शुल्क शामिल है। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय/व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं।

7.3 इन देशीय परिचालनों के संबंध में मूल्यह्रास की दरें और मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति	मूल्यह्रास/ परिशोधन दर
1	कंप्यूटर	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग है	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
3	कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में शामिल न होने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर परिवर्धन की लागत	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
	ऑटोमेटेड टेलर मशीन/ कैश डिपॉजिट मशीन /सिक्का डिस्पेंसर / सिक्का वेंडिंग मशीन	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
5	सर्वर	सीधी रेखा पद्धति	25.00% प्रति वर्ष
6	नेटवर्क उपस्कर	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
7	अन्य अचल आस्तियां	सीधी रेखा पद्धति	अचल आस्तियों के मुख्य वर्ग का अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार है।
			परिसर- 60 वर्ष
			वाहन - 5 वर्ष
			सुरक्षित जमा लॉकर- 20 वर्ष
			फर्निचर व फिक्सचर- 10 वर्ष

7.4 वर्ष के दौरान देशीय परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास वर्ष में आस्ति का उपयोग करने के दिनो के अनुपात के आधार पर प्रभारित किया गया है।

7.5 आस्तियाँ जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1000 से कम हो उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो, तो को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराये को उसी वर्ष प्रभारित किया गया है।

7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है।

7.8 विदेश स्थित कार्यालयों में धारित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

8. पट्टे :

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड, जैसा कि उपरोक्त पैरा 3 में दिया गया है, वित्तीय पट्टों पर भी लागू है।

9. आस्तियों की अपसामान्यता :

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि की वसूली संदिग्ध है तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयोग की गई अन्य वित्तीय आस्तियों की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति के रखाव राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है, तो अपसामान्यता का माप-अभिज्ञान उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति के रखाव राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव :

10.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम (तत्काल/वायदा) दरों का प्रयोग करे।

iii. विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेन-देन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम तत्काल दर का प्रयोग करके दी गई है।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर पुनः मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरें आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उपचय हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।

viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की आरंभिक स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन :

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन :

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को तिमाही की औसत एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम दर पर परिवर्तित किया गया है।

iii. निवल निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उपचय विनिमय अंतर - राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है ।

iv. विदेशी कार्यालयों की आस्तियां और देयताएं (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) तुलनपत्र की को तिथि लागू हाजिर दर का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया है।

ख. समाकलन परिचालन :

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि की सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित (स्पॉट/फॉरवाड) अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयताएं हाजिर दर पर रूपांतरित की गई हैं।

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रेनित विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके दी गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ:

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

11.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजना

क. बैंक एक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है, बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार है। बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है।बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो, तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है।

ख. बैंक, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है।

(i) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या नौकरी के दौरान या मृत्यु हो जाने या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य राशि या ₹10 लाख की अधिकतम राशि होती है। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

(ii) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और यह भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। निहितीकरण नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में सम्पन्न होता है । बैंक एसबीआई पेंशन फंड नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का मासिक अंशदान करता है। पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है एवं बैंक आवश्यक होने पर पेंशन विनियम के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए इस निधि में अतिरिक्त अंशदान आवधिक आधार पर करता है।

ग. नियत हितलाभ-प्रावधान-लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रेनित बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया गया है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

ii. नियत अंशदान योजनाएँ:

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है एवं नये कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं है। इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10% की राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे एवं इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाएगा एवं इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा। बैंक इन अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को संबंधित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृति खाता संख्या(पीआरएएन) की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ:

क) बैंक का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा-रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार की दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है।

ख) अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया गया है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को संबंधित देशों के स्थानीय विधियों/विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया गया है।

12. आय पर कर :

बैंक द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर तथा आस्थगित कर प्रभार की कुल राशि आय कर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 तथा लेखा मानक 22, जो आय पर कर के लेखा से संबंधित है, ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुए परिवर्तन भी समाविष्ट है। आस्थगित कर - आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष के कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रनीत हानि के बीच के अवधिगत विभेद के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है। आस्थगित कर आस्तियां और देयताएं को कर दर और कर नियमों द्वारा आंका जाता है जिसे तुलन-पत्र के दिन या उसके बाद अधिनियमन किया गया हो। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंधन के विवेक के आधार पर किया जाता है कि क्या उनकी वसूली होने की संभावना है/होना निश्चित है। यदि विश्वास योग्य प्रमाण से वास्तव में यह निश्चित हो जाता है कि ऐसी आस्थगित कर आस्तियों को भावी लाभ के सामने वसूल किया जा सकता है, तभी आगे ले जाई गई अनवशोषित मूल्यह्रास और कर हानियों पर आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण किया जाता है ।

13. प्रति शेयर आय:

13.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को प्राप्य उस वर्ष के करोपरांत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना इक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियां :

14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 के अनुसार जारी " प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ" में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता

है, संसाधनों के संभावित बहिर्गमन का परिणामस्वरूप दायित्व के निपटान आर्थिक लाभ के समाविष्ट पर, इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन किया जा सकता है।

14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है:

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि :-

क) यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

ख) दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता. ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है।

इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता, के अलावा प्रावधान किया गया है।

14.3 बैंक के डेबिट कार्ड धारकों को दिये जाने वाले रिवार्ड पॉइंट्स के लिए प्रावधान बीमांकक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

14.4 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

15. सर्राफा लेनदेन:

बैंक अपने ग्राहकों को बेचने के लिए परेषण आधार पर बहुमूल्य धातु बारों समेत सर्राफा का आयात करता है। ये आयात सामान्यता दुतरफा आधार पर होते हैं एवं ग्राहकों के लिए इनकी कीमत आपूर्तिकर्ता के द्वारा मांगी गई कीमत के आधार पर तय होती है। बैंक इस तरह के सर्राफा लेनदेन पर कुछ फीस के रूप में आय प्राप्त करता है। इस फीस की गणना कमीशन आय के अंतर्गत होती है। बैंक खुदरा ग्राहकों को भी सर्राफा मदें बेचता है। बैंक सोना जमा करने के लिए लेता है इस पर उधार भी देता है, जिसे जमा/ अग्रिम (जो भी हो) माना जाता है। इसमें भुगतान किए गए/ प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। स्वर्ण जमाओं, बहुमूल्य धातु (मेटल) ऋण अग्रिमों और अंतिम स्वर्ण शेषों का मूल्य तुलन-पत्र की तिथि को उपलब्ध बाजार दर के आधार पर निकाला जाता है।

16. विशेष आरक्षित निधि :

राजस्व एवं अन्य निधियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि भी शामिल है। बैंक के निदेशक बोर्ड ने एक संकल्प पारित कर इस आरक्षित निधि के सृजन के लिए अनुमोदन किया है और यह भी पुष्टि की है कि उसका इस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने की कोई मंशा नहीं है।

17. शेयर जारी करने का व्यय :

शेयर जारी करने के व्यय शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाये गए हैं।

अनुसूची- 18

लेखा-टिप्पणियाँ

18.1 पूंजी:

1. पूंजी अनुपात:

बेसल - II के अनुसार (राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मदें	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	अप्रयोज्य	
(ii)	टियर 1 पूंजी-अनुपात (%)	10.41%	10.10%
(iii)	टियर 2 पूंजी-अनुपात (%)	3.53%	2.69%
(iv)	कुल पूंजी-अनुपात- (%)	13.94%	12.79%

बेसल - III के अनुसार

क्र. सं.	मदें	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	9.81%	9.31%
(ii)	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	9.92%	9.60%
(iii)	टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	3.20%	2.40%
(iv)	कुल पूंजी अनुपात (%)	13.12%	12.00%
(v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	60.18%	58.60%
(vi)	भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों की संख्या*	4,67,16,34,652	4,37,45,98,250
(vii)	जुटाई गई इक्विटी पूंजी	5,393.00	2,970.00*
(viii)	अतिरिक्त टियर - 1 (एटी 1) पूंजी द्वारा उगाही गई राशि में सम्मिलित है क) पीएनसीपीएस: ख) पीडीआई:	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
(ix)	टियर - 2 पूंजी द्वारा उगाही गई राशि में सम्मिलित क) ऋण पूंजी लिखत ख) प्रिफरेंस शेयर पूंजी लिखत: बेमियादी संचयी प्रिफरेंस शेयर (पीसीपीएस)/प्रतिदेय असंचयी प्रिफरेंस शेयर (आरएनसीपीएस)/प्रतिदेय संचयी प्रिफरेंस शेयर (आरसीपीएस)	 10,500.00 शून्य	 शून्य शून्य

1 अप्रैल 2015 को आबंटित शेयर (एटी 1 के तहत विचार किए गए) बैंक ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए उक्त गणना में इस विकल्प को काम में लिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र क्र. डीबीआर सं बीपी. बीसी. 83/ 21.06.201/2015-16 दिनांक 1 मार्च 2016 के द्वारा बैंकों को यह विवेकाधिकार दिया है कि ''विदेशी मुद्रा ट्रांसलेसन रिज़र्व'' और आस्थगित कर आस्ति पूंजी पर्याप्तता की गणना सीईटी-1 पूंजी अनुपात के रूप में की जाए।

2. शेयर पूंजी

क) वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार से ₹5,393.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,970 करोड़) की आवेदन राशि प्राप्त है जिसमें शेयर प्रीमियम के रूप में ₹ 5373.34 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,959.95 करोड़) शामिल हैं जो प्रति ₹1/- के 19,65,59,390 (पिछले वर्ष 10,04,77,012) इक्विटी शेयर के अधिमानी निर्गम के तहत प्राप्त हुई है। इक्विटी शेयरों का आबंटन 29.09-2015 को किरया गया।

ख) बैंक को ₹ 2,970.00 करोड़ की शेयर आवेदन राशि ₹2,959.95 करोड़ के शेयर प्रीमियम सहित प्रति ₹ 1 के 10,04,77,012 इक्विटी शेयर के प्रीफरेंसियल इश्यू के बदले में भारत सरकार से दिनांक 31.03.2015 को प्राप्त हुई। इक्विटी शेयर दिनांक 01.04.2015 को आबंटित किए गए।

ग) अधिकार निर्गम-2008 के भाग के रूप में दिनांक 16.07.2015 को प्रति ₹1/- के ऐसे 9,720.00 इक्विटी शेयर जारी किए गए थे, जिनका आबंटन प्रास्थगित कर दिया गया था और ₹9,720 की राशि पूंजीगत खाते में जमा की गई और ₹15,35,760 की राशि शेयर प्रीमियम खाते में जमा की गई। जारी किए गए परंतु आबंटित नहीं किए गए ऐसे प्रति ₹ 1 के शेष शेयरों की संख्या 8,21,030 रही (पिछले वर्ष 8,30,750 इक्विटी शेयर), क्योंकि उनका हक विवादित या निर्णयाधीन है।

घ) शेयर जारी करने से संबंधित खर्च: ₹8.66 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) शेयर प्रीमियम खाते में नामे किए गए।

3. नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)

संमिश्र टियर-I पूंजी के अंतर्गत आने वाले एवं बकाया आईपीडीआई का ब्योरा निम्नानुसार है :

क) विदेशी

(₹ करोड़ में)

विवरण	निर्गम तिथि	अवधि	राशि	31.03.16 को रुपए के समतुल्य	31.03.15 को रुपए के समतुल्य
एमटीएन कार्यक्रम के तहत जारी बॉण्ड - 12वीं श्रृंखला*	15.02.2007	बेमियादी नॉन-काल 10.25 वर्ष	400 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2,650.20	2,500.00
एमटीएन कार्यक्रम के तहत जारी बॉण्ड - 14वीं श्रृंखला #	26.06.2007	बेमियादी नॉन-काल 10 वर्ष और एक दिन	225 मिलियन अमेरिकी डॉलर	1,490.74	1,406.25
योग			625 मिलियन अमेरिकी डॉलर	4,140.94	3,906.25

* यदि बैंक 15 मई 2017 तक कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं करता है, तो ब्याज दर बढ़ाई जाएगी और स्थिर दर को अस्थिर दर में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

यदि बैंक 27 जून 2017 तक कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं करता है, तो ब्याज दर बढ़ाई जाएगी और स्थिर दर को अस्थिर दर में परिवर्तित किया जाएगा।

ये बॉण्ड अप्रतिभूत बॉण्ड हैं और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए गए हैं (एसजीएक्स-बॉण्ड बोर्ड)।

ख) देशीय: (₹ करोड़ में)

क्रम संख्या.	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि	वार्षिक ब्याज की दर %
1	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2009-10 (टियर 1) श्रृंखला I	1,000.00	14.08.2009	9.10
2	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2009 (टियर 1) श्रृंखला II	1,000.00	27.01.2010	9.05
3	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2007-08	165.00	28.09.2007	10.25
योग		**2,165.00***		

* इसमें वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान बाजार से लिए गए ₹2,000 करोड़ शामिल हैं जिसमें एसबीआई कर्मचारी पेंशन निधि द्वारा किए गए ₹550 करोड़ के निवेश को आरबीआई के अनुदेशों के अनुसार टियर-1 पूंजी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

4. गौण ऋण

बॉण्ड समतुल्य पर अप्रत्याभूत, दीर्घावधि, अपरिवर्तनीय एवं रिडीम योग्य होते हैं।

बकाया गौण ऋण का ब्योरा निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन की तारीख	वार्षिक ब्याज की दर %	परिपक्वता अवधि माह में
1	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) ाबॉण्ड - 2006 (IX) (निम्न टियर II)	1,500.00	28.03.2007 27.06.2016	9.85	111
2	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2006-07 एसबीएस (श्रृंखला II) (निम्न टियर II)	225.00	30.03.2007 30.06.2016	9.80	111
3	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09 (IV) (निम्न टियर II)	1,000.00	06.03.2009 06.06.2018	8.95	111
4	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09 (II) (निम्न टियर II)	1,500.00	29.12.2008 29.06.2018	8.40	114
5	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2006 (उच्च टियर II)	2,327.90	05.06.2006 05.06.2021	8.80	180
6	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2006 (II) (उच्च टियर II)	500.00	06.07.2006 06.07.2021	9.00	180
7	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2006 (III) (उच्च टियर II)	600.00	12.09.2006 12.09.2021	8.96	180
8	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2006 (IV) (उच्च टियर II)	615.00	13.09.2006 13.09.2021	8.97	180
9	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2006 (V) (उच्च टियर II)	1,500.00	15.09.2006 15.09.2021	8.98	180
10	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2006 (VI) (उच्च टियर II)	400.00	04.10.2006 04.10.2021	8.85	180
11	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2006 (VII) (उच्च टियर II)	1,000.00	16.10.2006 16.10.2021	8.88	180

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन की तारीख	वार्षिक ब्याज की दर %	परिपक्वता अवधि माह में
12	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2006-07 एसबीआईएन (श्रृंखला IV) (उच्च टियर II)	100.00	29.12.2006 29.12.2021	8.95	180
13	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2006 (VIII) (उच्च टियर II)	1,000.00	17.02.2007 17.02.2022	9.37	180
14	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2006-07 एसबीआईएन (श्रृंखला V) (उच्च टियर II)	200.00	22.03.2007 22.03.2022	10.25	180
15	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2007-08 (I) (उच्च टियर II)	2,523.50	07.06.2007 07.06.2022	10.20	180
16	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2007-08 (II) (उच्च टियर II)	3,500.00	12.09.2007 12.09.2022	10.10	180
17	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09 (I) (उच्च टियर II)	2,500.00	19.12.2008 19.12.2023	8.90	180
18	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2013-14 (टियर II)	2,000.00	02.01.2014 02.01.2024	9.69	120
19	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09 (III) (उच्च टियर II)	2,000.00	02.03.2009 02.03.2024	9.15	180
20	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09 (V) (उच्च टियर II)	1,000.00	06.03.2009 06.03.2024	9.15	180
21	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09 - एसबीआईएन (श्रृंखला VII) (उच्च टियर II)	250.00	24.03.2009 24.03.2024	9.17	180
22	एसबीआई पब्लिक इश्यू ऑफ लॉअर टियर II - अपरिवर्तनीय बॉण्ड 2010 (श्रृंखला - II)	866.92	04.11.2010 04.11.2025	9.50	180
23	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत (निजी प्लेसमेंट) बेसल - III अनुपालक टियर- 2 बॉण्ड्स 2015-16 (श्रृंखला I)	4,000.00	23.12.2015 23.12.2025	8.33	120
24	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत (निजी प्लेसमेंट) बेसल - III अनुपालक टियर- 2 बॉण्ड्स 2015-16 (श्रृंखला II)	3,000.00	18.02.2016 18.02.2026	8.45	120
25	एसबीआई पब्लिक इश्यू ऑफ लॉअर टियर II - अपरिवर्तनीय बॉण्ड 2011 रिटेल (श्रृंखला - 4)	3,937.60	16.03.2011 16.03.2026	9.95	180
26	एसबीआई पब्लिक इश्यू ऑफ लॉअर टियर II - अपरिवर्तनीय बॉण्ड 2011 नॉन-रिटेल (श्रृंखला - 4)	828.32	16.03.2011 16.03.2026	9.45	180
27	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत (निजी प्लेसमेंट) बेसल - III अनुपालक टियर- 2 बॉण्ड्स 2015-16 (श्रृंखला III)	3,000.00	18.03.2016 18.03.2026	8.45	120
28	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत (निजी प्लेसमेंट) बेसल - III अनुपालक टियर- 2 बॉण्ड्स 2015-16 (श्रृंखला IV)	500.00	21.03.2016 21.03.2026	8.45	120
	योग	**42,374.24**			

18.2 निवेश

1. बैंक के निवेशों तथा निवेशों पर हुए मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों के उतार-चढ़ाव का ब्योरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
1. निवेशों का मूल्य		
i) निवेशों का सकल मूल्य		
(क) भारत में	4,37,955.05	4,51,634.98
(ख) भारत से बाहर	39,496.32	30,603.67
ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
(क) भारत में	294.49	233.25
(ख) भारत से बाहर	59.61	246.65
iii) निवेशों का निवल मूल्य		
(क) भारत में	4,37,660.56	4,51,401.73
(ख) भारत से बाहर	39,436.71	30,357.02
2. निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
i) वर्ष के प्रारंभ में शेष	479.90	1,547.81
ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	610.39	168.29
iii) घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग किए गए प्रावधान	293.72	511.13
iv) जोड़ें: विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यांकन समायोजन	18.36	33.29
v) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन	460.83	758.36
vi) वर्ष की समाप्ति पर शेष	354.10	479.90

टिप्पणियां :

क) चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत उपयोग में लाए गए ₹67,154 करोड़ (पिछले वर्ष ₹36,761 करोड़) और भारतीय रिजर्व बैंक में मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा (एमएफएस) के तहत काम में ली गई ₹32,000 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ शून्य) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश शामिल नहीं है।

ख) ₹2,827.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹13,779.33 करोड़) की प्रतिभूतियाँ क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि./ एनएससीसीएल/एमसीएक्स/यूएसईआ ईएल के पास प्रतिभूति सेटलमेंट हेतु रखी गयी है।

ग) वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी अनुषंगियों में अतिरिक्त पूंजी लगाई है, अर्थात i) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में ₹799.99 करोड़, ii) एसबीआई फाउंडेशन में ₹ 1 करोड़, iii) नागालैण्ड रूरल बैंक में ₹0.97 करोड़ और iv) इलाकाई देहाती बैंक में ₹ 8.90 करोड़।

घ) वर्ष के दौरान स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर ने प्रति ₹10 के इक्विटी शेयर ₹390 के प्रीमियम पर बैंक को ₹379.26 करोड़ की राशि के राइट इश्यू के अतर्गत 94,81,518 इक्वटी शेयर आबंटित किए और जिससे बैंक का हित 78.91% से बढ़कर 79.09% हो गया।

ङ) वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹108 करोड़ के लाभ पर सीसीआईएल के 24,00,000 इक्विटी शेयर बेच दिए। जिससे बैंक का हित 26.00% से घटकर 21.20% हो गया।

2. रेपो लेनदेन (तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहित):

वर्ष के दौरान एलएएफ सहित रेपो और प्रत्यावर्तित रेपो के अधीन विक्रय एवं क्रय की गई प्रतिभूतियों का ब्योरा निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण		वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया राशि	31 मार्च 2016 को शेष राशि
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ					
i)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	- (-)	99,581.36 (54,102.00)	17,406.51 (9,789.59)	99,581.36 (37,603.23)
ii)	कंपनी ऋण प्रतिभूतियाँ	- (-)	1,314.24 (516.56)	571.47 (258.28)	1,254.07 (-)
रिवर्स रेपो के अधीन क्रय की गई प्रतिभूतियाँ					
i)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	- (-)	55,000.00 (22,010.12)	4,692.95 (2,434.51)	- (-)
ii)	कंपनी ऋण प्रतिभूतियाँ	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

3. गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन - एसएलआर) निवेश पोर्टफोलियो

क) गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन एसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता - संरचना:

बैंक के गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन - एसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	निर्गमकर्ता	राशि	प्राइवेट प्लेसमेंट की सीमा (राशि)	''निम्न निवेश श्रेणी'' वाली प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*	''बिना रेटिंग वाली'' प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*	''असूचीबद्ध'' प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*
(i)	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	19,718.43 (14,751.97)	9,452.46 (3,445.03)	341.83 (419.01)	176.49 (418.76)	541.78 (719.01)
(ii)	वित्तीय संस्थाएं	29,826.69 (15,395.58)	18,998.39 (8,484.47)	- (-)	- (-)	200.00 (200.00)
(iii)	बैंक	15,398.01 (22,060.06)	1,256.40 (9,963.70)	1,118.15 (798.34)	23.62 -	23.62 -
(iv)	निजी कारपोरेट	23,905.24 (30,846.04)	12,464.90 (16,654.33)	2,299.54 (1,594.50)	499.93 (933.07)	78.67 (238.39)
(v)	अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम**	11,379.03 (9,785.06)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
(vi)	अन्य	16,825.10 (11,745.76)	- (-)	1,219.73 (719.38)	1,147.88 (852.70)	- (749.36)
vii)	मूल्यह्रास के लिए रखा गया प्रावधान	354.10 (479.90)	- (-)	31.97 (6.05)	- (93.72)	- (62.67)
	योग	**1,16,698.40 (1,04,104.57)**	**42,172.15 (38,547.53)**	**4,947.28 (3,525.18)**	**1,847.92 (2,110.81)**	**844.07 (1,844.09)**

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

* इक्विटी, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, नियत आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ, केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों और एआरसीआईएल में किए गए निवेशों को इन श्रेणियों के अंतर्गत इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें रेटिंग/लिस्टिंग दिशा-निर्देशों से छूट मिली हुई है।

** अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में निवेशों को विभिन्न वर्गों में इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उक्त मदें नहीं आती हैं।

ख) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन-एसएलआर) निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक शेष	401.72	935.24
वर्ष के दौरान वृद्धि	52.36	48.11
वर्ष के दौरान कमी	307.84	581.63
अंतिम शेष	146.24	401.72
रखे गए कुल प्रावधान	**126.68**	**394.17**

ग) एचटीएम श्रेणी से / को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण

एचटीएम श्रेणी से / को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं है।

18.3 डेरीवेटिव्स:

क) वायदा दर करार / ब्याज दर विनिमय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
i) विनिमय करारों की आनुमानिक मूल राशि#	1,30,624.90	92,965.61
ii) प्रतिपक्षों द्वारा करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर होने वाली हानियां	2,080.00	1,945.78
iii) विनिमय में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	शून्य	शून्य
iv) विनिमय से उद्भूत ऋण-जोखिम का केन्द्रीकरण	कोई महत्वपूर्ण नहीं	कोई महत्वपूर्ण नहीं
v) विनिमय-बही का उचित मूल्य	946.31	996.24

बैंक के अपने कार्यालयों के साथ प्रविष्ट आईआरएस/एफआरए की ₹11,232.11 करोड़ (पिछले वर्ष ₹14,072.53 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है एवं बाजार के लिए चिन्हित भी नहीं की गई है।

ख) बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की वर्ष के दौरान आनुमानिक मूल राशि		
क	ब्याज दर वायदे	शून्य	शून्य
ख	10 वर्षीय भारत सरकार की प्रतिभूतियां	235.74	19,014.13
2	31 मार्च 2016 को बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की बकाया आनुमानिक मूल राशि		
क	ब्याज दर वायदे	शून्य	शून्य
ख	10 वर्षीय भारत सरकार की प्रतिभूतियां	शून्य	2.00
3	बाजार(एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज उर्ञ्र डेरीवेटिव्स की आनुमानिक मूल राशि जो बकाया है और" अत्यधिक प्रभावी" नहीं है	लागू नहीं	लागू नहीं
4	बाजार(एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स का अंकित बाजार मूल्य जो बकाया है और" अत्यधिक प्रभावी" नहीं है	लागू नहीं	लागू नहीं

ग) डेरीवेटिव्स में जोखिम प्रकटीकरण (एक्सपोज़र)

(क) गुणात्मक जोखिम प्रकटीकरण (एक्सपोज़र)

i बैंक वर्तमान में ओवर द काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर और मुद्रा डेरीवेटिव्स तथा ब्याज दर का लेनदेन करता है. बैंक द्वारा जिन ब्याज दर डेरीवेटिव्स का लेनदेन किया गया उनमें, रुपया ब्याज दर विनिमय, विदेशी मुद्रा ब्याज दर विनिमय और वायदा दर करार शामिल हैं. बैंक द्वारा जिन मुद्रा डेरीवेटिव्स का लेनदेन किया गया उनमें, मुद्रा विनिमय, रुपया डालर ऑप्शन और परस्पर-मुद्रा ऑप्शन शामिल हैं. बैंक के ग्राहकों को उत्पादों के विक्रय-प्रस्ताव, उनके निवेशों की बचाव-व्यवस्था करने के लिए दिए जाते हैं और बैंक ऐसे निवेशों हेतु बचाव-व्यवस्था करने के लिए डेरीवेटिव्स संविदाएं निष्पादित करता है. बैंक द्वारा डेरीवेटिव्स का प्रयोग क्रय-विक्रय के साथ-साथ तुलन-पत्र की मदों के लिए बचाव-व्यवस्था करने हेतु भी किया जाता है. बैंक इस प्रकार के सामान्य लिखतों का भी लेनदेन करता है. बैंक ने ग्राहकों से विकल्प सौदे और संरचनागत उत्पाद-विक्रय का लेनदेन किया है। बैंक यूएसडी/आईएनआर में विकल्प की स्थिति रखता है जिसका प्रबंधन विविध प्रकार की हानि सीमाओं और ग्रीक सीमाओं के माध्यम से किया जाता है।

ii. डेरीवेटिव्स लेनदेन में बाजार जोखिम शामिल होते हैं, अर्थात ब्याज दरों/विनिमय दरों/इक्विटी दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक को भविष्य में हानि उठानी पड़ सकती है, साथ ही ऋण जोखिम, अर्थात यदि प्रतिपक्षों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया गया तो बैंक को ऋण जोखिम के रूप में भविष्य में हानि उठानी पड़ सकती है. बोर्ड द्वारा यथाविधि अनुमोदित बैंक की "डेरीवेटिव्स नीति" में बाजार जोखिम (हानि कम करने के लिए सतर्कता बिन्दु, आंरभिक राशि सीमा, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी01, आदि) के मानदंड निर्धारित किए गए हैं. इस नीति के अंतर्गत ग्राहक पात्रता मानदंड (ऋण पात्रता निर्धारण, ऋण अवधि, सीमाएं ग्राहक सटीकता तथा नीति की उपयुक्तता (सीएएस) आदि) भी निर्धारित किए गए हैं. केवल इस नीति में निर्धारित मानदंडों पर खरें उतरने वाले प्रतिपक्षों से ही डेरीवेटिव लेनदेन करके ऋण जोखिम पर नियंत्रण किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक वीएआर आधारित सीमाओं को आधार बनाने की प्रक्रिया में है। बाध्यताओं को पूरा करने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए समुचित ऋण-सीमा निर्धारित किया जाता है एवं बैंक ऐसे प्रत्येक प्रतिपक्ष के साथ आइएसडीए करार भी करता है।

iii. उपरोक्त जोखिमों के कुशल प्रबंधन पर बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) निगरानी रखती है। ट्रेजरी स्थित बैंक का मिड-ऑफिस एवं जोखिम नियंत्रण विभाग (एमओआरसी) जो कि अब बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) कहलाता है, डेरीवेटिव लेनदेन से सम्बद्ध बाजार जोखिम का स्वतंत्र रूप से अभिनिर्धारण, आकलन तथा अनुवर्तन करता है एवं इन जोखिमों को नियंत्रित एवं न्यूनीकृत करने में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) की सहायता करता है। साथ ही बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नीतिगत उपाय सुझाने के साथ-साथ नियमित अंतराल पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

iv. डेरीवेटिव्स के लिए लेखा-नीति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसका ब्योरा वित्त वर्ष 2015-16 की प्रमुख लेखानीति (पीएपी) : अनुसूची-17 में दिया गया है।

v. विदेशी कार्यालयों में ब्याज दर विनिमय का उपयोग मुख्यतः आस्ति और देयताओं की बचाव-व्यवस्था हेतु किया जाता है।

vi. बचाव- व्यवस्था विनिमय के अतिरिक्त, विदेशी कार्यालयों के विनिमयों में, हमारे विदेशी कार्यालयों में जाने वाले परस्पर मुद्रा-विनिमय, जो ग्लोबल मार्केट्स, कोलकाता में मुख्यतः विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (एफसीएनआर) जमा राशियों की बचाव-व्यवस्था हेतु निष्पादित होते हैं, शामिल हैं।

vii. हमारे अधिकांश विनिमय प्रथम टियर के प्रतिपक्षी बैंकों के साथ निष्पादित होते थे।

(ख) मात्रात्मक जोखिम प्रकटीकरण (एक्सपोज़र):

(₹ करोड़ में)

मद	मुद्रा डेरीवेटिव्स		ब्याज दर डेरीवेटिव्स	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(I) डेरीवेटिव्स (आनुमानिक मूल राशि)				
(क) हेड्जिंग केलिए	17,713.28@	4,450.61 @	55,699.48 #	69,056.07 #
(ख) क्रय-विक्रय के लिए*	2,32,714.53	2,42,870.49	74,925.42	62,128.01
(II) बाजार के बही-मूल्य के अनुसार स्थिति				
(क) आस्ति	3,971.40	3,152.45	1,642.57	979.00
(ख) देयता	2,145.05	2,280.85	369.89	667.47
(III) ऋण जोखिम	7,960.90	11,206.42	3,487.84	3,774.49
(IV) ब्याज दर (100*पीवी01) में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभाव्य प्रभाव				
(क) बचाव-व्यवस्था डेरीवेटिव्स पर	-0.04	0.02	-63.09	-92.42
(ख) क्रय-विक्रय डेरीवेटिव्स पर	2.68	2.88	20.34	24.44
(V) वर्ष के दौरान (100*पीवी01 का अधिकतम एवं न्यूनतम				
(क) हेड्जिंग पर - अधिकतम	0.08	0	34.14	-79.11
- न्यूनतम	-0.04	-0.03	-44.36	-88.24
(ख) क्रय-विक्रय पर - अधिकतम	0.67	6.22	0.9	0.38
- न्यूनतम	0	0.039	-0.05	0.2225

@ बैंक के अपने विदेश स्थित कार्यालयों के साथ प्रविष्ट स्वेप्स की ₹7811.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8,486.92 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है एवं बाजार के लिए चिन्हित भी नहीं की गई है।

बैंक के अपने कार्यालयों के साथ प्रविष्ट आईआरएस/एफआरए की ₹11,232.11 करोड़ (पिछले वर्ष ₹14,072.53 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है एवं बाजार के लिए चिन्हित भी नहीं की गई है।

* बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों से किए गए वायदा लेनदेन इसमें शामिल नहीं है। करेंसी डेरीवेटिव्स- शून्य (पिछले वर्ष ₹7,757.17 करोड़) और ब्याज दर डेरिएटिव्स शून्य (पिछले वर्ष ₹ 62.39 करोड़)।

1. मार्च 31, 2016 तक ग्लोबल मार्केट्स यूनिट और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग ग्रुप डिपार्टमेंट के बीच डेरीवेटिव्स व्यापार की बकाया अनुमानित राशि ₹ 19,043.28 करोड़ (पिछले वर्ष ₹30,379.01 करोड़) है और 31 मार्च 2016 तक भारतीय स्टेट बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के बीच किए गए डेरीवेटिव्स व्यापार की राशि ₹18,071.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹14,995.17 करोड़) है।

2. ब्याज दर डेरीवेटिव्स की बकाया आनुमानिक राशि, जो बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकित नहीं की गई है, किन्तु जहाँ 31 मार्च 2016 तक विचाराधीन आस्ति/देयताओं, जिनका बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकन नहीं किया गया है, की राशि ₹66,453.24 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,29,113.66 करोड़) है।

18.4 आस्ति-गुणवत्ता

क) अनर्जक आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
i) कुल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	3.81%	2.12%
ii) अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव (कुल)		
(क) प्रारंभिक शेष	56,725.34	61,605.35
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि (नई अनर्जक आस्तियाँ)	64,198.49	29,435.02
उप-योग (I)	120,923.83	91,040.37
घटाएं:		
(ग) वर्ष के दौरान अपग्रेडेशन के कारण कमी	2,598.59	3,776.15
(घ) वसूलियों के कारण कमी (अपग्रेडेड खातों से की गई वसूलियों को छोड़कर)	4,389.18	9,235.42
ङ) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाता	शून्य	शून्य
(च) वर्ष के दौरान अपलेखन के कारण कमी	15,763.26	21,303.46
उप- योग (II)	22,751.03	34,315.03
(च) अंतिम शेष(I-II)	98,172.80	56,725.34
iii) निवल अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव		
(क) प्रारंभिक शेष	27,590.58	31,096.07
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	36,192.76	9,504.61
(ग) वर्ष के दौरान कमी	7,976.32	13,010.10
(घ.) अंतिम शेष	55,807.02	27,590.58
iv) निवल अनर्जक आस्तियों की प्रावधान राशि में उतार-चढ़ाव		
(क) प्रारंभिक शेष	29,134.76	30,509.28
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	28,005.73	19,930.41
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का अपलेखन/प्रतिलेखन	14,774.71	21,304.93
(घ) अंतिम शेष	42,365.78	29,134.76

प्रारंभिक शेष एवं अंतिम शेष में प्राप्त एवं स्थगित ईसीजीसी दावे शामिल हैं और बकाया समायोजन राशि क्रमशः ₹ 62.64 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 69.30 करोड़) और ₹ 67.27 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 62.64 करोड़) है।

ख) पुनर्संरचित खाते

क्र. सं.	पुनर्संरचना के तरीके		सीडीआर व्यवस्था के अधीन (1)					एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अधीन (2)				
	आस्ति वर्गीकरण मानक		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिप्रद	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिप्रद	कुल
	विवरण											
1	1 अप्रैल 2015 तक पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	121	7	47	2	177	315	90	107	11	523
			(110)	(13)	(40)	(3)	(166)	(483)	(35)	(78)	(9)	(605)
		बकाया राशि	25,079.31	999.76	5,035.94	477.48	31,592.49	3,325.56	369.03	2,202.13	85.28	5,982.00
			(21,134.61)	(836.09)	(5,066.44)	(499.74)	(27,536.80)	(3,834.26)	(251.71)	(1,209.96)	(86.17)	(5,382.10)
		संबंधित प्रावधान	1,847.05	103.90	183.40	47.65	2,182.00	121.85	9.95	71.77	-	203.58
			(1636.32)	(60.34)	(520.73)	(0.10)	(2217.49)	(117.21)	(22.89)	(169.89)	(0.04)	(310.03)
2	चालू वित्त वर्ष के दौरान नए पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताओं की सं.	2	-	3	-	5	22	5	10	1	38
			(47)	(4)	(8)	(-)	(59)	(97)	(29)	(20)	(1)	(147)
		बकाया राशि	1,679.91	2.46	393.89	92.71	2,168.97	143.57	12.54	28.47	-	184.58
			(8208.93)	(839.32)	(648.19)	(-)	(9696.44)	(1616.65)	(194.15)	(364.74)	(1.14)	(2176.68)
		संबंधित प्रावधान	-183.63	-5.69	46.15	2.58	-140.59	4.18	1.17	1.65	-	7.00
			(664.08)	(90.44)	(14.81)	(-)	(769.33)	(82.76)	(6.98)	(2.67)	(-)	(92.40)
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में अपग्रेड होना	उधारकर्ताओं की सं.	2	-	-1	-1	-	5	-	-5	-	-
			(5)	(-2)	(-3)	(-)	(-)	(2)	(-)	(-2)	(-)	(-)
		बकाया राशि	217.44	-	107.47	-324.91	-	58.68	-14.62	-44.06	-	-
			(699.09)	(-38.09)	(-660.99)	(-)	(-)	(3.87)	(-)	(-3.87)	(-)	(-)
		संबंधित प्रावधान	6.05	-	23.27	-29.32	-	2.25	-0.03	-2.22	-	-
			(29.74)	(-1.49)	(-28.26)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	ऐसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त प्रावधान तथा/ अथवा जोखिम प्रभार रखने की आवश्यकता नहीं रह गई हो उनको अगले वित्त वर्ष के पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखने की आवश्यकता नहीं है।	उधारकर्ताओं की सं.	-16	-	-	-	-16	-79	-	-	-	-79
			(-20)				(-20)	(-68)				(-68)
		बकाया राशि	-968.10				-968.10	-612.91				-612.91
			(-1800.54)				(1800.54)	(-243.42)				(-243.42)
		संबंधित प्रावधान	-41.87				-41.87	-1.77				-1.77
			(-76.29)				(-76.29)	(-3.12)				(-3.12)

क्र. सं.	पुनर्संरचना के तरीके		सीडीआर व्यवस्था के अधीन (1)					एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अधीन (2)				
	आस्ति वर्गीकरण मानक		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिप्रद	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिप्रद	कुल
	विवरण											
5	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउन ग्रेडेसन	उधारकर्ताओं की सं.	-35	-3	34	4	-	-31	-7	29	9	-
			(-16)	(-4)	(17)	(3)	(-)	(-90)	(39)	(43)	(8)	(-)
		बकाया राशि	-9,512.83	-760.38	10,252.24	20.97	-	-588.47	223.45	303.16	61.86	-
			(-2,725.7)	(-268.98)	(2,517.19)	(477.49)	(-)	(-1,177.97)	(23.53)	(904.13)	(250.32)	(-)
		संबंधित प्रावधान	-537.57	-80.29	637.83	-19.97	-	-33.32	13.96	19.36	-	-
			(-122.91)	(-12.37)	(87.62)	(47.66)	(-)	(-31.35)	(-10.32)	(24.32)	(17.35)	(-)
6	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेखन	उधारकर्ताओं की सं.	-12	-1	-9	-2	-24	-46	-42	-18	-10	-116
			(-5)	(-4)	(-15)	(-4)	(-28)	(-109)	(-13)	(-32)	(-7)	(-161)
		बकाया राशि	-2,309.70	-22.41	-1,744.12	-30.02	-4,106.25	-579.50	-145.41	-341.16	-115.58	-1,181.65
			(-437.08)	(-368.57)	(-2,534.90)	(-499.74)	(3,840.28)	(-707.83)	(-100.36)	(-272.82)	(-252.35)	(-1,333.36)
		संबंधित प्रावधान	-310.88	-4.28	-478.76	-	-793.92	-43.70	-6.81	13.65	-	-36.86
			(-283.90)	(-33.03)	(-411.51)	(-0.10)	(-728.53)	(-43.64)	(-9.59)	(-125.10)	(-17.39)	(-195.73)
7	31 मार्च 2016 तक कुल पुनर्संरचना खाते (अंतिम स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	62	3	74	3	142	186	46	123	11	366
			(121)	(7)	(47)	(2)	(177)	(315)	(90)	(107)	(11)	(523)
		बकाया राशि	14,186.03	219.43	14,045.42	236.23	28,687.11	1,746.93	444.99	2,148.54	31.56	4,372.02
			(25,079.31)	(999.76)	(5,035.94)	(477.49)	(31,592.49)	(3,325.56)	(369.03)	(2,202.13)	(85.28)	(5,982.00)
		संबंधित प्रावधान	779.15	13.64	411.89	0.94	1,205.62	49.49	18.24	104.21	-	171.95
			(1,847.05)	(103.90)	(183.40)	(47.66)	(2,182.00)	(121.85)	(9.95)	(71.77)	(-)	(203.58)

क्र. सं.	पुनर्संरचना के तरीके		अन्य (3)					योग (1+2+3)				
	आस्ति वर्गीकरण मानक		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिप्रद	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिप्रद	कुल
	विवरण											
1	1 अप्रैल 2015 तक पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	676	1,273	1,351	463	3,763	1,112	1,370	1,505	476	4,463
			(3771)	(1088)	(750)	(77)	(5686)	(4364)	(1136)	(868)	(89)	(6457)
		बकाया राशि	27,437.97	770.82	5,140.13	305.27	33,654.17	55,842.83	2,139.61	12,378.20	868.03	71,228.67
			(18081.60)	(1,829.00)	(5,942.25)	(165.81)	(26,018.68)	(43,050.49)	(2,916.8)	(12,218.66)	(751.72)	(58,937.66)
		संबंधित प्रावधान	1,095.69	12.58	138.97	5.73	1,252.98	3,064.59	126.43	394.15	53.39	3,638.56
			(662.79)	(173.87)	(283.00)	(3.66)	(1,123.32)	(2,416.31)	(257.10)	(973.62)	(3.81)	(3,650.84)
2	चालू वित्त वर्ष के दौरान नए पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताओं की सं.	105	252	73	19	449	129	257	86	20	492
			(364)	(288)	(580)	(119)	(1351)	(508)	(321)	(608)	(120)	(1557)
		बकाया राशि	6,497.48	65.63	284.39	102.82	6,950.32	8,320.96	80.63	706.75	195.54	9,303.88
			(14,711.51)	(374.93)	(1,343.34)	(469.19)	(16,898.97)	(24,537.09)	(1,408.40)	(2,356.27)	(470.33)	(28,772.09)
		संबंधित प्रावधान	15.54	4.62	3.25	0.18	23.59	-163.92	0.10	51.04	2.77	-110.01
			(713.32)	(16.16)	(302.36)	(47.07)	(1,078.90)	(1,460.15)	(113.58)	(319.84)	(47.07)	(1,940.63)
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में अपग्रेड होना	उधारकर्ताओं की सं.	13	1	4	-18	-	20	1	-2	-19	-
			(7)	(-3)	(-3)	(-1)	(-)	(14)	(-5)	(-8)	(-1)	(-)
		बकाया राशि	373.49	-2.06	-322.69	-48.74	-	649.61	-16.67	-259.29	-373.65	-
			(273.81)	(-229.23)	(-0.05)	(-44.52)	(-)	(976.76)	(-267.32)	(-664.92)	(-44.52)	(-)
		संबंधित प्रावधान	13.90	-	-10.94	-2.96	-	22.20	-0.03	10.11	-32.28	-
			(-)	(1.17)	(-1.17)	(-)	(-)	(29.74)	(-0.32)	(-29.43)	(-)	(-)
4	ऐसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त प्रावधान तथा / अथवा जोखिम प्रभार रखने की आवश्यकता नहीं रह गई हो उनको अगले वित्त वर्ष के पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखने की आवश्यकता नहीं है।	उधारकर्ताओं की सं.	-51	-	-	-	-51	-146	-	-	-	-146
			(-385)				(-385)	(-473)				(-473)
		बकाया राशि	-3,065.11				-3,065.11	-4,646.12				-4,646.12
			(-1,301.54)				(-1,301.54)	(-3,345.5)				(-3,345.5)
		संबंधित प्रावधान	-117.18				-117.18	-160.82				-160.82
			(-34.20)				(-34.20)	(-113.61)				(-113.61)

5	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउन ग्रेडेसन	उधारकर्ताओं की सं.	-203	-832	1,132	-97	-	-269	-842	1,195	-84	-
			(-1112)	(465)	(302)	(345)	(-)	(-1218)	(500)	(362)	(356)	(-)
		बकाया राशि	-5,583.94	291.06	5,332.77	-39.89	-	-15,685.24	-245.88	15,888.18	42.94	-
			(-2,429.7)	(-285.92)	(2,479.08)	(236.53)	(-)	(-6,333.37)	(-531.37)	(5,900.40)	(964.34)	(-)
		संबंधित प्रावधान	-256.08	5.21	253.79	-2.92	-	-826.97	-61.12	910.99	-22.90	-
			(-58.40)	(0.24)	(54.22)	(3.94)	(-)	(-212.65)	(-22.45)	(166.16)	(68.95)	(-)
6	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेखन	उधारकर्ताओं की सं.	-239	-174	-224	-277	-914	-297	-217	-251	-289	-1,054
			(-1,969)	(-565)	(-278)	(-77)	(-2,889)	(-2,083)	(-582)	(-325)	(-88)	(-3,078)
		बकाया राशि	-2,537.47	-546.72	-1,223.85	-173.28	-4,481.31	-5,426.67	-714.53	-3,309.13	-318.91	-9,769.24
			(-1,897.74)	(-917.96)	(-4,624.5)	(-521.74)	(-7,961.95)	(-3,042.65)	(-1,386.89)	(-7,432.22)	(-1,273.83)	(-1,3135.59)
		संबंधित प्रावधान	-348.84	-15.28	-354.53	(-)	-718.65	-703.40	-26.36	-819.66	-0.00	-1,549.42
			(-187.81)	(-178.86)	(-499.44)	(-48.93)	(-915.04)	(-515.35)	(-221.48)	(-1,036.05)	(-66.43)	(-1,839.30)
7	31 मार्च 2016 तक कुल पुनर्संरचना खाते (अंतिम स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	301	520	2,336	90	3,247	549	569	2,533	104	3,755
			(676)	(1,273)	(1,351)	(463)	(3,763)	(1,112)	(1,370)	(1,505)	(476)	(4,463)
		बकाया राशि	23,122.42	578.73	9,210.75	146.17	33,058.07	39,055.37	1,243.16	25,404.71	413.95	66,117.19
			(27,437.97)	(770.82)	(5,140.13)	(305.27)	(33,654.17)	(55,842.83)	(2,139.61)	(12,378.20)	(868.03)	(71,228.67)
		संबंधित प्रावधान	403.03	7.13	30.54	0.03	440.73	1,231.68	39.02	546.63	0.98	1,818.31
			(1,095.69)	(12.58)	(138.97)	(5.73)	(1,252.98)	(3,064.59)	(126.43)	(394.14)	(53.39)	(3,638.56)

टिप्पणी :

1. वर्ष के दौरान वर्तमान पुनर्संरचित ऋणियों को ₹4,731.20 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3,491.65 करोड़) की अतिरिक्त संस्वीकृति दी गयी है।
2. ₹4,398.11 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3794.15 करोड़) की बंदी और ₹4,413.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3827.03 करोड़) की बकाया शेष में घटाई गयी राशि को बट्टे खाते में शामिल किया गया है।
3. उच्च प्रावधान के लिए निकाली गई मानक आस्तियाँ कुल योग के कॉलम में शामिल नहीं की गयी है।

ग) तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खाते और उनके संबंध में की गई वसूलियों का ब्योरा :

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i) 1 अप्रैल को तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खातों का प्रारंभिक शेष	शून्य	शून्य
ii) योग :तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते	शून्य	शून्य
iii) उप कुल (क)	शून्य	शून्य
iv) घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले तकनीकि / विवेकपूर्ण बट्टे खातों से की गई वसूली (ख)	शून्य	शून्य
v) 31 मार्च तक अंतिम शेष (क - ख)	शून्य	शून्य

घ) आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/ पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों का ब्योरा

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i) खातों की संख्या	46,399	5,904
ii) प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी (एससी/आरसी) को बिक्री किए गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	1,500.88	6,981.42
iii) समग्र प्रतिफल*	1,007.63	4,406.07
iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
v) निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ/(हानि)#	(493.25)	(2,575.35)

*भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रतिफल के भाग स्वरूप प्राप्त प्रतिभूति रसीदों को निवल बही मूल्य/अंकित मूल्य कीमत से कम आंका गया है।

इसमें ₹ 0.52 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7.52 करोड़) की राशि जो खर्च/ (ब्याज) खाता में जमा किया गया है, भी शामिल है।

ङ) प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) / पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बेची गई अनर्जक आस्तियों के सामने प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेश का ब्योरा।

(₹ करोड़ में)

	बैंक द्वारा अंतर्निहित स्वरूप में बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा संरक्षित		अंतर्निहित स्वरूप में अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा संरक्षित		योग	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
31 मार्च 2016 तक प्रतिभूति प्राप्ति में निवेशों का बही-मूल्य	5,425.63	4,703.28	27.19	30.07	5,452.82	4,733.35
वर्ष के दौरान प्रतिभूति प्राप्ति में किए निवेशों का बही-मूल्य	783.92	3,337.48	2.65	2.05	786.57	3,339.53

च) प्रतिभूतीकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई अनर्जक आस्तियों के कारण हुए लाभ एवं हानि खाते में प्रतिवर्तित किया गया अतिरिक्त प्रावधान

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
अनर्जक आस्तियों की बिक्री के मामले में लाभ एवं हानि खाते में प्रतिवर्तित किया गया अतिरिक्त प्रावधान	11.70	177.42

छ) क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा :

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) (क) वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की सं.	शून्य	शून्य
(ख) कुल बकाया राशि	शून्य	शून्य
2) (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचनागत खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) कुल बकाया राशि	शून्य	शून्य

ज) बिक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा :

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) बिक्री किए गए खातों की सं.	45,331	1,825
2) कुल बकाया राशि	2,168.54	10,852.55
3) प्राप्त की गई कुल प्रतिफल राशि	955.62	4,294.60

झ) मानक आस्तियों पर प्रावधान :

बैंक द्वारा मानक आस्तियों पर किया गया प्रावधान निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान	11,188.59	9,018.36

ञ) व्यवसाय अनुपात:

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय का प्रतिशत	7.27%	7.61%
ii. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याजेतर आय का प्रतिशत	1.25%	1.13%
iii. कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ का प्रतिशत	1.92%	1.94%
iv. आस्तियों पर आय*	0.46%	0.68%
v. प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा राशियाँ एवं अग्रिम जोड़कर) (₹ करोड़ में)	14.11	12.34
vi. प्रति कर्मचारी लाभ (₹ हजार में)	470.27	602.00

* (निवल आस्ति आधार पर)

ट) आस्ति देयता प्रबंधन : 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

	1 दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 मास	3 मास से अधिक किंतु 6 मास तक	6 मास से अधिक किंतु 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
जमाराशियाँ	32,254.69	31,224.38	18,964.10	26,786.00	91,505.07	1,42,701.27	3,29,433.98	4,06,204.54	1,59,306.39	4,92,342.02	17,30,722.44
	(57,851.81)	(26,454.50)	(18,078.37)	(26,277.89)	(93,336.98)	(1,39,455.40)	(2,28,347.53)	(3,74,749.76)	(1,68,526.42)	(4,43,714.53)	(15,76,793.25)
अग्रिम	81,248.64	10,318.80	8,806.38	17,512.55	89,543.50	51,218.22	66,019.16	6,65,803.22	1,75,530.67	2,97,699.28	14,63,700.42
	(93,953.48)	(6,324.43)	(11,181.43)	(16,981.77)	(68,614.55)	(73,835.91)	(85,919.15)	(6,42,058.59)	(1,27,338.29)	(1,73,818.79)	(13,00,026.39)
निवेश	0.70	639.94	1,023.78	1,589.66	12,513.13	10,767.42	19,519.25	89,293.75	57,136.04	2,84,613.61	4,77,097.28
	(-)	(829.89)	(3,679.12)	(5,522.64)	(17,160.51)	(15,385.63)	(17,946.26)	(69,307.56)	(80,867.00)	(2,71,060.14)	(4,81,758.75)
उधार-राशियाँ	2,111.64	9,264.22	3,753.41	16,751.13	55,712.26	25,352.81	17,601.19	31,350.48	16,574.17	45,719.28	2,24,190.59
	(11,052.35)	(14,325.60)	(3,967.91)	(14,275.11)	(43,859.71)	(24,441.00)	(19,666.56)	(20,958.59)	(16,620.43)	(35,983.03)	(2,05,150.29)
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ#	78,671.10	1,495.59	990.85	7,330.95	30,412.64	19,118.60	20,894.87	59,109.37	65,118.64	47,100.93	3,30,243.54
	(81,569.01)	(1,910.62)	(2,541.70)	(7,449.89)	(17,120.90)	(28,290.16)	(21,562.61)	(49,095.23)	(44,185.46)	(39,850.95)	(2,93,576.53)
विदेशी मुद्रा देयताएँ	28,569.54	9,803.31	4,293.14	20,231.25	62,665.39	36,463.27	52,236.94	59,586.10	32,578.57	10,116.16	3,16,543.67
	(33,991.88)	(14,174.37)	(4,943.86)	(17,085.47)	(52,563.89)	(34,153.04)	(39,677.83)	(52,273.23)	(34,428.42)	(7,999.68)	(2,91,291.67)

विदेशी मुद्रा आस्तियाँ, अग्रिम एवं निवेश (उनकी प्रावधान राशि को घटाकर) को दर्शाते हैं

$ विदेशी मुद्रा देयताएँ, ऋण एवं जमा को दर्शाते हैं

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 31 मार्च 2015 के हैं)

18.5 एक्सपोजर

बैंक उन क्षेत्रों को ऋण प्रदान कर रहा है, जिनके आस्ति मूल्य में उतार-चढ़ाव होता रहताहै।

क) स्थावर संपदा क्षेत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
I) प्रत्यक्ष ऋण-जोखिम		
i) आवासीय बंधक	2,06,765.40	1,83,082.23
ऋण जो आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा पूरी तरह सुरक्षित है यथा आवासीय संपत्ति प्राप्त हैं या प्राप्त होंगी या जो किराए पर हैं।	2,06,765.40	1,83,082.23
जिनमें से आवासीय इकाई खरीदने के लिए प्रति परिवार महानगरी क्षेत्रों (10 लाख से कम की जनसंख्या वाले) में ₹ 25 लाख तक एवं अन्य केंद्रों में ₹15 लाख तक प्राथमिक क्षेत्र के अग्रिमों में गिने जाएंगे	1,04,934.43	94,330.55
ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा		
वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा प्रतिभूत (कार्यालय भवन, खुदरा क्षेत्र, बहु-उद्देश्यीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या माल गोदाम क्षेत्र, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि गैर- निधि आधारित सीमा भी ऋण जोखिम में शामिल है।	27,364.60	20,761.65
iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण-जोखिमों में निवेश	877.99	614.48
क) आवासीय	877.99	603.28
ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	0	11.20
II) अप्रत्यक्ष ऋण-जोखिम		
राष्ट्रीय आवास बैंक(एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित और गैर-निधि आधारित ऋण-जोखिम	28,656.55	18,930.16
कुल	**2,63,664.55**	**2,23,388.52**

ख) पूंजी बाजार

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
1)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बांडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए ऐसे प्रत्यक्ष निवेश जिनकी राशि विशेष रूप से कारपोरेट-ऋण में निवेश नहीं की गई है।	4,026.53	3,727.32
2)	शेयरों (आइपीओ/ईएसओपी सहित)/बांडों/डिबेंचरों, तथा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश करने के लिए व्यक्तियों को शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर या बिना किसी जमानत के दिए गए अग्रिम	5.36	8.11
3)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहाँ शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों को अथवा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	9,339.52	7,358.66

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
4)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसे अग्रिम जिनके लिए शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों अथवा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति दी गई है, अर्थात जहाँ शेयरों/परिवर्तनशील बांडों/परिवर्तनशील डिबेंचरों/इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम की राशि की पूर्ण प्रतिभूति के रूप में अपर्याप्त है.	19.82	308.13
5)	शेयर दलालों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और शेयर दलालों एवं बाजार-नियामकों (मार्केट मेकर्स) की ओर से जारी गारंटियां	333.40	26.87
6)	संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा से नई कंपनी की इक्विटी में प्रमोटर के अंशदान का हिस्सा पूरा करने के लिए कारपोरेटों को शेयरों/बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर अथवा बिना जमानत के संस्वीकृत किए गए ऋण	516.87	285.76
7)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/शेयर निर्गमों के सापेक्ष कम्पनियों को दिए गए पूरक ऋण	शून्य	शून्य
8)	शेयरों या परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों या इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों के प्राथमिक शेयर निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा किया गया हामीदारी कारोबार.	शून्य	शून्य
9)	शेयर दलालों को मार्जिन क्रय-विक्रय के लिए वित्तपोषण	0.04	0.34
10)	उद्यम-पूंजी निधियों से संबंधित ऋण-जोखिम (पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत दोनों)	1,618.44	1,873.05
पूंजी बाजार में कुल ऋण-जोखिम		**15,859.98**	**13,588.24**

ग) कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना (एसडीआर)

वर्ष के दौरान एसडीआर के अंतर्गत ऋण को इक्विटी में निम्नलिखित उधारकर्ताओं के लिए परिवर्तित किया गया:

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	कंपनी का नाम	इक्विटी में परिवर्तित कुल राशि
1	कोस्टल प्रोजेक्टस लिमिटेड	25.86
2	आइवीआरसीएल	200.00
3	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लि.	24.12

घ) जोखिम श्रेणीवार देशगत ऋण-जोखिम

भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक के देशवार ऋण-जोखिम का वर्गीकरण निम्न तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न जोखिम वर्गों में किया गया है। यूएसए को छोड़कर किसी भी देश के लिए बैंक का देशगत जोखिम (निवल फंडेड) इसकी कुल ऋण आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है इसलिए यूएसए हेतु देशगत जोखिम का प्रावधान किया गया है.

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	निवल निधिक एक्सपोजर		किया गया प्रावधान	
	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
नगण्य	1.00	1.68	शून्य	शून्य
बहुत कम	69,481.69	52,107.06	78.60	56.89
कम	2,599.83	883.78	शून्य	शून्य
मध्यम कम	55,125.36	26,774.43	शून्य	शून्य
मध्यम	5,942.22	3,148.82	शून्य	शून्य
अधिक	6,914.11	5,790.96	शून्य	शून्य
अत्यधिक	2,790.41	2,296.82	शून्य	शून्य
प्रतिबंधित	4,182.70	3,390.41	शून्य	शून्य
ऋण अयोग्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग	**147,037.32**	**94,393.96**	**78.60**	**56.89**

ग) बैंक द्वारा यथोचित सीमा से अधिक ली गई एकल उधारकर्त्ता तथा समूह उधारकर्त्ता ऋण-जोखिम का ब्योरा:

निम्नलिखित मामलों में बैंक ने आरबीआई द्वारा निधारित विवेकपूर्णसीमा के अधिक एकल उधारकर्त्ता ऋण-जोखिम लिया:

(₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का नाम	ऋण-जोखिम की उच्चत्तम सीमा	संस्वीकृत सीमा (चरम स्तर)	सीमा के अधिक जोखिम की अवधि	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार बकाया
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (बीएचईएल)	23,672.22	25,021.05	अप्रैल 2015 से मार्च 2016	21,696.22

टिप्पणी :-

1. विवेकपूर्ण मानदंडों का कोई उल्लंघन नहीं है क्योंकि बीएचईएल के संबंध में ऋण जोखिम विवेकपूर्ण सीमाओं के अतिरिक्त 5 प्रतिशत ऋण जोखिम लेने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को दिए विवेकाधिकार के अंतर्गत है।
2. सभी ऋणी समूहों के लिए ऋण-जोखिम विवेकपूर्ण मानदंडों के अंदर है (वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान)

घ) अप्रतिभूत अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
क) बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	3,15,779.06	2,59,109.61
i) इनमें से अग्रिमों की राशि, जो शेयर, लाइसेंस, प्राधिकार आदि के रूप में मूर्त प्रतिभूतियों के प्रभार पर बकाया है.	2,183.46	5,832.72
ii) इन मूर्त प्रतिभूतियों का प्राक्कलित मूल्य (ऊपर(i) के अनुसार)	2,748.40	6,005.01

18.6 विविध :

क) अर्थदंडों का प्रकटन

शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

वित्तीय इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया, नई दिल्ली ने पीएमएलए अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत ₹ 0.05 करोड़ का दण्ड लगाया है।

चालू वर्ष के दौरान, हाँग काँग मौद्रिक प्राधिकरण ने एएमएल अध्यादेश की धारा 21 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की है और 75,43,000 हांग-कांग डॉलर का अर्थ दंड लगाया है। (पिछले वर्ष विवेकपूर्ण नियंत्रण एवं संकल्प प्राधिकरण, पेरिस, फ्रांस ने एसबीआई पेरिस शाखा पर 3,00,000 यूरो का अर्थ दंड लगाया है)।

ख) एसजीएल फार्मों के उल्लंघन पर लगाए गए अर्थ दंड

बैंक पर एसजीएल फार्मों के उल्लंघन पर किसी तरह का अर्थदंड नहीं लगाया गया है।

18.7 लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं

क) कर्मचारी - हितलाभ

i. नियत हितलाभ योजनाएं

1. कर्मचारी पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी योजना :

कर्मचारी की पेंशन बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी की स्थिति को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है :

(₹ करोड़ में)

	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी	
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
नियत हितलाभ-दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2015 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का आरंभ	51,616.04	45,236.99	7,182.35	6838.07
वर्तमान सेवा लागत	843.64	897.53	128.33	108.88
ब्याज लागत	4,237.68	4,193.47	589.67	639.36
पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	-
बीमांकिक हानि (लाभ)	6,212.17	4,537.90	451.06	533.18
संदत्त लाभ	(1,511.96)	(1,346.63)	(1,019.27	(937.14)
बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(2,246.16)	(1,903.22)	-	-
31 मार्च 2016 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	59,151.41	51,616.04	7,332.14	7182.35
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2015 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	49,387.97	42,277.01	7,110.25	7090.59
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	4,296.75	3,678.10	618.59	616.88
नियोक्ता द्वारा अंशदान	1,400.54	2,493.62	213.24	233.88
प्रदत्त हितलाभ	(1,511.96)	(1,346.63)	(1,019.27)	(937.14)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(162.93)	2,285.87	(43.04)	106.04
31 मार्च 2016 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का अंतिम शेष	53,410.37	49,387.97	6,879.77	7110.25
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2016 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	59,151.41	51,616.04	7,332.14	7,182.35
31 मार्च 2016 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	53,410.37	49,387.97	6,879.77	7,110.25
कमी/(अधिशेष)	5,741.04	2,228.07	452.37	72.10
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित) अंतिम शेष	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई परिवर्तन देयता इतिशेष	-	-	-	-
निवल देयता/(आस्ति)	5,741.04	2,228.07	452.37	72.10
तुलन-पत्र में शामिल की गई राशि				
देयताएँ	59,151.41	51,616.04	7,332.14	7,182.35
आस्तियाँ	53,410.37	49,387.97	6,879.77	7,110.25
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	5,741.04	2,228.07	452.37	72.10

(₹ करोड़ में)

	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी	
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित) अंतिम शेष	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई परिवर्तन देयता इतिशेष	-	-	-	-
कुल देयताएँ/आस्तियाँ	5,741.04	2,228.07	452.37	72.10
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	843.64	897.53	128.33	108.88
ब्याज लागत	4,237.68	4,193.47	589.67	639.36
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(4,296.75)	(3,678.10)	(618.59)	(616.88)
लेखे में ली गई पूर्व सेवा लागत (परिशोधित) अंतिम शेष	-	-	-	-
लेखे में ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) अंतिम शेष	-	-	-	-
वर्ष के दौरान शामिल निवल बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	6,375.10	2,252.03	494.10	427.14
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल किया गया है.	7,159.67	3,664.93	593.51	558.50
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और बीमांकिक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	4,296.75	3,678.10	618.59	616.88
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(162.93)	2,285.87	(43.04)	106.04
योजना आस्तियों पर बीमांकिक प्रतिलाभ	4,133.82	5,963.97	575.55	722.92
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के अथ और इतिशेष का समाधान				
1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता	2,228.07	2,959.98	72.10	(252.52)
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	7,159.67	3,664.93	593.51	558.50
बैंक द्वारा सीधे प्रदत्त	(2,246.16)	(1,903.22)	-	-
अन्य प्रावधानों के नामे	-	-	-	-
आरक्षित में मान्य	-	-	-	-
नियोक्ता का अंशदान	(1,400.54)	(2,493.62)	(213.24)	(233.88)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता/ (आस्ति)	5,741.04	2,228.07	452.37	72.10

31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना- आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी निधि
आस्तियों की श्रेणी	**योजना आस्तियों का %**	**योजना आस्तियों का %**
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	33.20%	23.13%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	22.59%	15.35%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ एवं बैंक जमा	39.51%	29.82%
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियाँ	--	27.79%
अन्य	4.70%	3.91%
योग	**100.00%**	**100.00%**

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन :

विवरण	**ग्रेच्युटी योजनाएं**		**ग्रेच्युटी योजनाएं**	
	चालू वर्ष	**पिछला वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
बट्टा दर	8.06%	8.21%	7.86%	8.21%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	8.06%	8.70%	7.86%	8.70%
वेतन बढ़ोतरी	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
पलायन दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
मृत्यु संख्या सारणी	आईएएलएम	आईएएलएम	आईएएलएम	आईएएलएम
	(2006-08) अल्टीमेट	(2006-08) अल्टीमेट	(2006-08) अल्टीमेट	(2006-08) अल्टीमेट

योजना में अधिशेष / कमी ग्रेच्युटी योजना

तुलन - पत्र में ली गई राशि	**31-03-2012 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2013 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2014 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2015 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2016 को समाप्त वर्ष**
वर्ष के अंत में देयता	6,462.82	7,050.57	6,838.07	7,182.35	7,332.14
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	5,251.79	6,549.31	7,090.59	7,110.25	6,879.77
अंतर	1,211.03	501.26	(252.52)	72.10	452.37
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत	300.00	200.00	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई ट्रांजिशन देयता	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	911.03	301.26	(252.52)	72.10	452.37

एक्सपिरियंस समायोजन

तुलन - पत्र में ली गई राशि :	31-03-2012 को समाप्त वर्ष	31-03-2013 को समाप्त वर्ष	31-03-2014 को समाप्त वर्ष	31-03-2015 को समाप्त वर्ष	31-03-2016 को समाप्त वर्ष
योजना देयता (लाभ)/हानि	367.64	459.56	210.19	(24.69)	326.09
योजना आस्ति लाभ/(हानि)	32.58	62.46	23.87	106.04	(43.09)

योजना में अधिशेष / कमी पेंशन

तुलन पत्र में ली गई राशि	31-03-2012 को समाप्त वर्ष	31-03-2013 को समाप्त वर्ष	31-03-2014 को समाप्त वर्ष	31-03-2015 को समाप्त वर्ष	31-03-2016 को समाप्त वर्ष
को समाप्त वर्ष					
वर्ष के अंत में देयता	36,525.68	39,564.21	45,236.99	51,616.04	59,151.41
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	27,205.57	35,017.57	42,277.01	49,387.97	53,410.37
अंतर	9,320.11	4,546.64	2,959.98	2,228.07	5,741.04
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई ट्रांजिशन देयता	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	9,320.11	4,546.64	2,959.98	2,228.07	5,741.04

एक्सपिरियंस समायोजन

योजना देयता पर (लाभ)/हानि	1,677.80	345.90	7,709.67	1,732.86	5,502.35
योजना आस्ति पर (हानि)/लाभ	130.16	419.58	335.40	2,285.87	(162.93)

भावी वेतन बढ़ोतरी का पूर्वानुमान, बीमांकिक मूल्यन का प्रतिफलन, मुद्रास्फीति का समावेशन, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारणों यथा रोजगार-बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति के आधार पर किया गया है. इस प्रकार के अनुमान बहुत लम्बी अवधि के लिए हैं और अतीत के सीमित अनुभव/सन्निकट भविष्य की अपेक्षाओं पर आधारित नहीं हैं। अनुभव जन्य साक्ष्य भी यही संकेत करते हैं कि बहुत लम्बी अवधि के दौरान सतत उच्च वेतन बढ़ोतरी करते रहना संभव नहीं है लेखा-परीक्षकों ने इसे स्वीकार किया है।

2. कर्मचारी भविष्य निधि

बैंक के भविष्य निधि न्यास में हुई ब्याज की कमी के संबंध में नियतिवादी दृष्टिकोण के अनुसार संचालित बीमांकिक मूल्यांकन ''कोई भी देयता''प्रतिबद्धता नहीं दिखाता, अतः वित्तीय वर्ष 2015-16 में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है।

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति को निम्न तालिका के माध्यम से दिखाया गया है :

(₹ करोड़ में)

	भविष्य निधि	
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2015 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का आरंभ	22,498.51	21,804.39
वर्तमान सेवा लागत	1,632.22	527.14
ब्याज लागत	2,026.72	1869.09
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	1,983.67	661.66
बीमांकिक हानि /(लाभ)	0.01	-
प्रदत्त लाभ	(2,981.43)	(2,363.77)
31 मार्च 2016 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	25,159.70	22,498.51
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2015 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	23,197.82	22,366.42
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	2,026.72	1,869.09
अंशदान	3,615.89	1,188.80
प्रदत्त हितलाभ	(2,981.43)	(2,363.77)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	126.32	137.28
31 मार्च 2016 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	25,985.32	23,197.82
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2016 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	25,159.70	22,498.51
31 मार्च 2016 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	25,985.32	23,197.82
कमी/(अधिशेष)	(825.62)	(699.31)
तुलन पत्र में शामिल न की गई निवल आस्ति	825.62	699.31
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	1632.22	527.14
ब्याज लागत	2,026.72	1869.09
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(2,026.72)	(1,869.09)
ब्याज में आई कमी को वापस किया गया	-	-
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल किया गया है।	1,632.22	527.14
तुलन-पत्र में ली गई प्रारम्भिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2015 को प्रारम्भिक निवल देयताएँ	-	-
उपरोक्तानुसार व्यय	1,632.22	527.14
नियोक्ता का अंशदान	(1,632.22)	(527.14)
तुलन-पत्र में ली गई निवल देयता /(आस्ति)	-	-

31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

	भविष्य निधि
आस्तियों की श्रेणी	**योजना आस्तियों का %**
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	40.36%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	20.55%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ एवं बैंक जमा	
सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बॉण्ड	34.15%
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियाँ	--
अन्य	4.94%
योग	**100.00%**

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन ;

विवरण	**भविष्य निधि**	
	चालू वर्ष	**पिछला वर्ष**
बट्टा दर	7.86%	8.21%
निर्धारित प्रतिलाभ	8.75%	8.75%
पलायन दर	2.00%	2.00%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%
मृत्यु संख्या सारणी	आइएएलएम (2006-08) अल्टीमेट	आइएएलएम (2006-08) अल्टीमेट

एसबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत देयता पर एक निर्धारित प्रतिलाभ दर लागू होती है। निधि के द्वारा ब्याज जमा किया जा रहा है। ब्याज की दर कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अंतर्गत जारी किए गए हैं अतः इसे परिभाषित हितलाभ योजना माना जाना चाहिए।

ii. नियत अंशदान योजना

बैंक ने 01 अगस्त 2010 या उसके बाद बैंक की सेवा में नियुक्त हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नई नियत अंशदान पेंशन योजना कार्यान्वित की है। इस योजना का प्रबंधन एनपीएस न्यास द्वारा पेन्शन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकार के देखरेख में किया जाएगा। एनपीएस के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. को केंद्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹191.18 करोड़ का अंशदान दिया है (पिछले वर्ष ₹145.51 करोड़ था)।

iii. दीर्घावधि कर्मचारी - हितलाभ (अनिधिक दायित्व)

(क) संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश)

निम्नलिखित तालिका में बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार संचयी क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों (अर्जित अवकाश) की स्थितियां दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश)	
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
हित लाभ दायित्व की वर्तमान राशि में बदलाव		
1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक हितलाभ दायित्व	3,756.50	3,079.47
चालू सेवा लागत	230.94	135.55
ब्याज लागत	308.41	287.62
बीमांकिक हानियां (लाभ)	590.64	681.86
प्रदत्त लाभ	(511.00)	(428.00)
31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार अभिनिर्धारित निवल लागत	4,375.49	3,756.50
लाभ एवं हानि खाते में अभिनिर्धारित निवल लागत		
चालू सेवा लागत	230.94	135.55
ब्याज लागत	308.41	287.62
बीमांकिक हानियां (लाभ)	590.64	681.86
हित लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 -''कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान'' में शामिल	1,129.99	1,105.03

(₹ करोड़ में)

	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश)	
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक निवल देयता	3,756.50	3,079.47
यथा उपर्युक्त व्यय	1,129.99	1,105.03
नियोजक का अंशदान	-	-
नियोजक द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष लाभ	(511.00)	(428.00)
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित निवल देयता / (आस्ति)	4,375.49	3,756.50

प्रमुख बीमांकिक अनुमान

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
बट्टा दर	7.86%	8.21%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%
पलायन दर	2.00%	2.00%
मृत्यु संख्या सारणी	आइएएलएम (2006-08) अल्टीमेट	आइएएलएम (2006-08) अल्टीमेट

(ख) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अन्य दीर्घ कालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए ₹ (-) 7.62 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ (-) 40.05 करोड़) की राशि का (प्रतिलेखन)/प्रावधान किया गया है और इसे लाभ एवं हानि खाते में कर्मचारियों को 'भुगतान एवं उनके प्रावधान' शीर्ष में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घाकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए किए गए प्रावधान का ब्योरा :

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	**दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	अवकाश यात्रा एवं गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण/उपयोग)	10.00	(51.00)
2	रुग्ण अवकाश	-	-
3	रजत जयंती अवार्ड	(7.79)	1.71
4	अधिवर्षिता पर पुनर्निपटान व्यय	(0.54)	6.22
5	रुग्ण अवकाश	-	-
6	सेवानिवृत्ति अवार्ड	(9.29)	3.02
	योग	**(7.62)**	**(40.05)**

ख) खंड सूचना

1. खंड अभिनिर्धारण

I) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नलिखित बैंक के प्राथमिक खंड है :-

- राजकोष
- कारपोरेट/थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा-निर्धारण और सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों से सम्बद्ध आंकड़ा संग्रहण और निष्कर्षण की पृथक व्यवस्था नहीं है. तथापि, रिपोर्ट करने की वर्तमान संगठनात्मक और प्रबंधकीय संरचना, उसमें सन्निहित जोखिम और प्रतिलाभ के आधार पर वर्तमान मूल-खंडों को निम्नवत पुनर्समूहित किया गया है :

i) **राजकोष** - राजकोष खंड में समस्त निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय और डेरीवेटिव्स संविदाएं शामिल हैं. राजकोष खंड की आय मूलतः व्यापार परिचालनों के शुल्क और इससे होने वाले लाभ/हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो की ब्याज-आय पर आधारित है.

ii) **कारपोरेट/थोक बैंकिंग** - कारपोरेट/थोक बैंकिंग खंड के अंतर्गत कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह और तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की ऋण- गतिविधियां सम्मिलित हैं. इनके द्वारा कारपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएं प्रदान की जाती हैं. इनके अंतर्गत विदेश स्थित कार्यालयों के गैर-कोष परिचालन भी शामिल हैं.

iii) **खुदरा बैंकिंग** - खुदरा बैंकिंग खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएं आती हैं. इन शाखाओं के कार्यकलाप में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से सम्बद्ध कारपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित- वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियां शामिल हैं. एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी इसी समूह में आते हैं.

iv) **अन्य बैंकिंग व्यवसाय** - जो खंड उपर्युक्त (क) से (ग) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं हुए हैं उन्हें इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

II) द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

i) **देशी परिचालन** - भारत में परिचालित शाखाएं/कार्यालय

ii) **विदेशी परिचालन** - भारत से बाहर परिचालित शाखाएं/ कार्यालय तथा भारत में परिचालित समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयां

III) अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य-निर्धारण

खुदरा बैंकिंग संसाधन-संग्रहण की प्राथमिक इकाई है. राज कोषीय एवं कारपोरेट/ थोक बैंकिंग एवं कोष खंड खुदरा बैंकिंग खंड से निधियाँ प्राप्त करते हैं. बाजार से सम्बद्ध निधि अंतरण मूल्य-निर्धारण (एमआरएफटीपी) शुरू किया गया है, जिसके अधीन निधीकरण केन्द्र (फंडिंग सेंटर) नामक एक पृथक इकाई सृजित की गई है. निधीकरण केन्द्र (फंडिंग सेंटर) उन निधियों को आनुमानिक रूप से खरीदता है, जो व्यवसाय इकाइयों में जमाराशियों या उधारराशियों के रूप में उद्भूत होती हैं और आस्ति सृजन करने में लगी व्यवसाय इकाइयों को इन निधियों का आनुमानिक विक्रय करता है।

IV) व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन

कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए व्यय जो सीधे कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालनों अथवा राजकोषीय परिचालन खंड से संबंधित हैं, तदनुसार आबंटित किए गए हैं. सीधे संबंध न रखने वाले व्यय प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किए गए हैं.

बैंक के पास ऐसी सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ हैं जिन्हें किसी खंड के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता, अतः इन्हें अनाबंटित श्रेणी में रखा गया है।

2. खंड सूचना

भाग क : प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

₹ करोड़ में

व्यवसाय खंड	राजकोष	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग	रिटेल बैंकिंग	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग
आय #	49,572.24 (41,095.95)	63,983.80 (61,445.90)	76,531.65 (71,248.38)	- (-)	1,90,087.69 (1,73,790.23)
अनाबंटित आय #					1,755.98 (1,182.73)
कुल आय					1,91,843.67 (1,74,972.96)
परिणाम #	8,246.77 (7,554.38)	-11,466.70 (-308.47)	18.967.10 (14,758.80)	- (-)	15,747.17 (22,004.71)
अनाबंटित आय (+) / व्यय (-) - निवल #					-1,973.12 (-2690.75)
कर पूर्व लाभ #					13,774.05 (19,313.96)
कर #					3,823.40 (6,212.39)
असाधारण लाभ #					शून्य शून्य
निवल लाभ #					9,950.65 (13,101.57)
अन्य सूचना :					
खंड आस्तियां *	5,07,261.72 (4,99,202.87)	8,74,603.31 (7,83,263.69)	8,57,750.16 (750,148.40)	- (-)	22,39,615.19 (20,32,614.96)
अनाबंटित आस्तियां *					19,447.84 (15,464.84)
कुल आस्तियां *					22,59,063.03 (20,48,079.80)
खंड देयताएं *	2,92,776.35 (3,08,334.71)	7,96,500.56 (6,88,172.53)	965,368.29 (8,68,722.52)	- (-)	20,54,645.20 (18,65,229.76)
अनाबंटित देयताएं *					60,143.40 (54,411.81)
कुल देयताएं *					21,14,788.60 (19,19,641.57)

(कोष्ठक के आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं)

भाग ख : द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

(₹ करोड़ में)

	देशीय		विदेशी		योग	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व #	1,78,322.68	1,64,304.43	11,765.01	9,485.80	1,90,087.69	1,73,790.23
परिणाम #	5,936.62	9,972.10	4,014.03	3,129.47	9,950.65	13,101.57
आस्तियां *	19,30,789.77	17,47,311.56	3,28,273.26	3,00,768.24	22,59,063.03	20,48,079.80
देयताएं*	17,86,515.34	16,18,873.33	3,28,273.26	3,00,768.24	21,14,788.60	19,19,641.57

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

* 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार

ग) संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

3 संबंधित पक्ष

क. अनुषंगियाँ

i. देशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
2. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
3. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
4. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
5. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

ii. विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई (मॉरीशस) लि.
2. एसबीआई कनाडा बैंक
3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)
4. कॉमर्शियल इन्डो बैंक एलएलसी, मास्को
5. पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया
6. नेपाल एसबीआई बैंक लि.
7. बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड

iii. देशीय गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
2. एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड
3. एसबीआई म्यूचुअल फंडट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
4. एसबीआई कैप सिक्यूरिटीज लि.
5. एसबीआई कैप वैंचर्स लि.
6. एसबीआई कैप ट्रस्टी कं. लि.
7. एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि.
8. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
9. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
10. एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लि.
11. एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्यूरीटीज सर्विसेज प्रा. लि.
12. एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
13. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
14. एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
15. एसबीआई फाउंडेशन

iv. विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई कैप (यूके)लि.
2. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लि.
3. एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि.
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेस लिमिटाडा

ख. संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियाँ

1. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
2. सी-एजटेकनोलॉजीज लि.
3. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
4. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लि.
5. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
6. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.
7. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.
8. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.

ग. सहयोगी

i. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्रप्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
4. इलाकाई देहाती बैंक
5. मेघालय ग्रामीण बैंक
6. लंगपी देहांगी रूरल बैंक
7. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
8. मिजोरम रूरल बैंक
9. नागालैंड रूरल बैंक‘
10. पूर्वांचल ग्रामीण बैंक
11. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
12. उत्कल ग्रामीण बैंक
13. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
14. वनांचल ग्रामीण बैंक
15. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
16. तेलंगाना ग्रामीण बैंक
17. कावेरी ग्रामीण बैंक
18. मालवा ग्रामीण बैंक

ii. अन्य

1. एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)
2. क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3. बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड

घ. बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष
2. श्री पी. प्रदीप कुमार, प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग समूह) (31.10.2015 तक)
3. श्री वी. जी. कन्नन, प्रबंध निदेशक (सहयोगी एवं अनुषंगी)
4. श्री बी. श्रीराम
   - प्रबंध निदेशक (राष्ट्रीय बैंकिंग समूह) (01.11.2015 तक)
   - प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग समूह) (02.11.2015 से)
5. श्री रजनीश कुमार
   - प्रबंध निदेशक (अनुपालन एवं जोखिम) (26.05.2015 से 01.11.2015 तक)
   - प्रबंध निदेशक (राष्ट्रीय बैंकिंग समूह) (02.11.2015 से)
6. श्री पी. के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक (अनुपालन एवं जोखिम) (02.11.2015 से)

2. वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों के साथ लेनदेन किए गए

लेखा मानक लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार ''सरकार-नियंत्रित उद्यम'' के रूप में संबंधित पक्ष के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों के बारे में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

3. लेनदेन एवं शेष राशियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग
क. 31 मार्च को बकाया			
उधार राशि	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
जमा राशि	39.07	शून्य	39.07
	(35.80)	(शून्य)	(35.80)
अन्य देयताएँ	शून्य	शून्य	शून्य
	(0.02)	(शून्य)	(0.02)
बैंकों में शेष	शून्य	शून्य	शून्य
	(2.12)	(शून्य)	(2.12)
अग्रिम	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
निवेश	41.55	शून्य	41.55
	(41.55)	(शून्य)	(41.55)
गैर-निधि प्रतिबद्धता (एलसी/बीजी)	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
ख) वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया			
उधार राशि	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
जमा राशि	51.95	शून्य	51.95
	(57.06)	(शून्य)	(57.06)

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग
अन्य देयताएँ	0.02	शून्य	0.02
	(0.02)	(शून्य)	(0.02)
बैंकों में शेष	2.12	शून्य	2.12
	(5.94)	(शून्य)	(5.94)
अग्रिम	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
निवेश	41.55	शून्य	41.55
	(41.55)	(शून्य)	(41.55)
गैर-निधि प्रतिबद्धता (एलसी/बीजी)	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
ग) 31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान			
आय- ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
खर्च-ब्याज	1.86	शून्य	1.86
	(2.78)	(शून्य)	(2.78)
लाभांश से अर्जित आय	27.32	शून्य	27.32
	(33.82)	(शून्य)	(33.82)
अन्य आय	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
अन्य व्यय	शून्य	शून्य	शून्य
	(3.09)	(शून्य)	(3.09)
भू-भाग/भवन और अन्य आस्तियाँ की बिक्री पर लाभ/(हानि)	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
प्रबंधन संविदाएँ	शून्य	1.58	1.58
	(शून्य)	(1.03)	(1.03)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं)

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकार के लेनदेन अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।

घ) परिचालन पट्टों के लिए देयताएं

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसर का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है :

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों में मुख्यतः कार्यालय परिसर और स्टाफ आवास शामिल हैं जो बैंक के विकल्प पर नवीकरण योग्य है।

क) गैर-निरस्तीकरण योग्य परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की देयता का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष के पश्चात नहीं	277.70	191.05
1 वर्ष के पश्चात और 5 वर्षों के पश्चात नहीं	1165.78	674.79
5 वर्षों के पश्चात	311.17	178.17
योग*	**1,754.65**	**1,044.01**

ख) परिचालन पट्टों के संबंध में लाभ एवं हानि खाते के लिए अभिनिर्धारित की गई राशि ₹2,110.27 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,659.09 करोड़) है।

ङ) प्रति शेयर उपार्जन*:

बैंक ने लेखा मानक 20, "प्रति शेयर उपार्जन" के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय की सूचना दी है. वर्ष के दौरान, कर के पश्चात निवल लाभ को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से अलग करके प्रति शेयर "मूल आय" की गणना की गई है. वर्ष के दौरान कोई भी कम किए गए मूल्य के संभाव्य इक्विटी शेयर बकाया नहीं हैं।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	746,57,30,920	746,57,30,920
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	29,70,46,122	0
वर्ष के अंत तक बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या*	776,27,77,042	746,57,30,920
प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	766,55,68,627	746,57,30,920
प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	766,55,68,627	746,60,06,199
निवल लाभ (₹ करोड़ में)	9,950.65	13,101.57
प्रति शेयर मूल आय (₹)	12.98	17.55
प्रति शेयर कम की गई आय (₹)	12.98	17.55*
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	1	1

* प्रति शेयर कम हुई उपार्जन राशि की गणना 1 अप्रैल 2016 को आबंटित इक्विटी शेयरों से प्राप्त राशि को ध्यान में रखकर की गई है।

च) आय पर कर का लेखांकन

i. वर्तमान कर :-

वर्तमान कर के रूप बैंक ने वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते से ₹4,003.27 करोड़ (पिछले वर्ष ₹6,719.11 करोड़) नामे किए हैं। भारत में वर्तमान कर की गणना आय कर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है और विदेशी अधिकार क्षेत्र में भुगतान कर में उपयुक्त कर छूट ली गई है।

i. आस्थगित कर :-

वर्ष के दौरान आस्थगित कर बाबत लाभ और हानि खाते में ₹ 245.47 करोड़ नामे किया गया। (पिछले वर्ष ₹ 477.56 करोड़ जमा किया गया)

iii. बैंक की बकाया निवल आस्थगित कर देयता (डीटीएल) ₹ 2,212.44 करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीएल ₹1,987.14 करोड़) रही, जिसमें अन्य देयताएं एवं प्रावधान के अंतर्गत शामिल की गई ₹ 2,684.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2,353.12 करोड़) और अन्य आस्तियों में शामिल की गई ₹472.52 करोड़ (पिछले वर्ष ₹365.98 करोड़) की आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए) शामिल है। डीटीए और डीटीएल की प्रमुख मदों का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
वेतन संशोधन के कारण नियत हितलाभ योजना के लिए प्रावधान	-	451.63
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	1,605.78	1,831.55
प्रावधान/निर्दिष्ट पुनर्संरचित मानक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान/आरबीआई के निर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंड के तहत मानक आस्तियाँ	1,791.21	1,132.65
अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान	238.29	-
विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि पर डीटीए	262.27	-
बट्टा का परिशोधन	11.79	-
विदेशी कार्यालयों के कारण	472.52	365.98
योग	**4,381.86**	**3,781.81**
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	174.61	155.22
प्रतिभूतियों पर ब्याज*	3,476.39	3,286.61
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii) के अधीन विशेष रिजर्व निर्मित	2,941.40	2,325.33
विदेशी कार्यालयों के कारण	1.90	1.79
योग	**6,594.30**	**5,768.95**
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ/ (देयताएँ)	**(2,212.44)**	**(1,987.14)**

छ) संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में निवेश

संयुक्त रूप से नियंत्रित निम्नलिखित कंपनियों के निवेशों में ₹ 38.43 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 38.28 करोड़) का बैंक का हिस्सा शामिल है :

क्र.सं.	कंपनी का नाम	राशि ₹ करोड़ में	देश	धारिता%
1	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	9.44 (9.44)	भारत	40%
2	सी-एजटेक्नोलॉजीज लि.	4.90 (4.90)	भारत	49%
3	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	2.25 (2.25)	सिंगापुर	45%
4	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	18.57 (18.57)	भारत	45%
5	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.	0.03 (0.03)	भारत	45%
6	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लि.#	0.93 (0.78)	बरमुडा	45%
7	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड- मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.	2.30 (2.30)	भारत	50%
8	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	0.01 (0.01)	भारत	50%

#एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि. के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से रखे गए शेयर के आधार पर कम्पनी ने 100% प्रावधान किया है।
(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं)

मानक एएस 27 की अपेक्षा के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में बैंक के हिस्से से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और वायदों की कुल राशि निम्नानुसार प्रकट की गई है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 16 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 15 की स्थिति के अनुसार
देयताएँ		
पूंजी और आरक्षितियाँ	174.57	159.14
जमा-राशियाँ	-	-
उधार-राशियाँ	5.31	8.15
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	101.07	76.93
योग	**280.95**	**244.22**
आस्तियाँ		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और जमा-राशियाँ	0.01	-
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	114.50	96.36
निवेश	9.00	9.69
अग्रिम	-	
अचल आस्तियाँ	31.02	35.75
अन्य आस्तियाँ	126.42	102.42
योग	**280.95**	**244.22**
पूँजी वायदे		
अन्य आकस्मिक देयताएँ	6.04	3.51
आय		
अर्जित ब्याज	6.75	6.09
अन्य आय	328.38	285.04
योग	**335.13**	**291.13**
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	0.96	1.23
परिचालन व्यय	260.30	223.70
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय	22.18	18.73
योग	**283.44**	**243.66**
लाभ	**51.69**	**47.47**

ज) आस्तियों की अपसामान्यता

प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की अपसामान्यता का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की अपसामान्यता" लागू होती हो।

झ) आकस्मिक देयताओं का विवरण (लेखा मानक 29)

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष है। बैंक को ऐसी उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का तात्विक प्रतिकूल प्रभाव बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर पड़ेगा. बैंक विभिन्न कर निर्धारण मामलों, जिनसे सम्बद्ध अपीलें विचाराधीन हैं, का भी एक पक्ष है.
2	अंशतः प्रदत्त निवेशों/जोखिम निधि पर देयताएँ	यह मद अंशतः चुकता निवेशों की चुकाने हेतु शेष राशि के प्रति देयता दर्शाती है। इसमें जोखिम पूंजी निधियों हेतु अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं ।
3	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	बैंक अपने सामान्य कार्य-व्यवसाय के भाग स्वरूप विदेशी विनिमय संविदाएं करता है जिसमें विदेशी मुद्रा को भविष्य में पूर्व-निर्धारित मूल्य पर खरीदने या बेचने का वायदा किया जाता है। वायदा विनिमय संविदाओं में विदेशी मुद्रा को भविष्य में संविदागत दर पर खरीदने या बेचने के लिए वायदा किया जाता है। आनुमानिक राशियों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेनों के संबंध में, बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार प्रतिसंतुलन लेनदेन करता है। इसके फलस्वरूप बकाया लेनदेनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार, अधिकांश सकल आनुमानिक राशि इस संविभाग की मूल राशि है, जबकि निवल बाजार जोखिम बहुत कम है।
4	ग्राहकों, बिलों एवं हुंडियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटियाँ	अपनी वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यवाहियों के एक भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण और गारंटी प्रदान करता है। प्रलेखी ऋण से बैंक के ग्राहकों की ऋण-अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यतः बैंक की ओर से अटल आश्वासन होती हैं कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होता है तो बैंक ऐसी स्थिति में उनका भुगतान करेगा।
5	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	बैंक अपने निजी खाते और ग्राहकों के लिए अंतर-बैंक सहभागिता से मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर विनिमय करता है। मुद्रा विनिमय पूर्व-निर्धारित दरों के आधार पर ब्याज/पूंजी को एक मुद्रा में से दूसरी मुद्रा में परिवर्तित करने के नकदी प्रवाहों की प्रतिबद्धताएं हैं। आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज की गई आनुमानिक राशि को संविदाओं के ब्याज अंश की गणना के बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे, इसमें संविदाओं की ऐसी आनुमानिक राशि भी शामिल है जो पूंजी खाते में डाली जानी है और जिसका प्रावधान नहीं किया गया, बैंक द्वारा सहयोगियों एवं अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्र, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि खाता के तहत बैंक की देयताएं और अन्य विविध आकस्मिक देयताएं भी शामिल हैं।

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट/न्यायालय के बाहर समझौता, अपीलों के निपटान, राशि के माँगे जाने, संविदागत बाध्यता, संबंधित पक्षों द्वारा माँग प्रस्ताव के अंतरण और उसे उद्भूत करने के दायित्व पर आधारित हैं।

ञ) आकस्मिक देयताओं के लिए किए गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक शेष	443.58	327.31
वर्ष के दौरान वृद्धि	190.90	206.59
वर्ष के दौरान उपयोग में लाई गई राशि	6.00	26.66
उपयोग में नहीं लाई गई राशि जिसे वर्ष के दौरान प्रतिवर्तित किया गया	227.38	63.66
अंतिम शेष	**401.10**	**443.58**

18.8 अतिरिक्त प्रकटन

1. प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ जिन्हें लाभ एवं हानि खाते में अभिनिर्धारित किया गया

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कराधान हेतु प्रावधान		
- चालू कर	4,003.27	6,719.11
- आस्थगित कर	245.47	-477.56
- आय कर / फ्रिंज लाभ कर का प्रतिलेखन	-425.34	-39.16
- अन्य कर	-	10.00
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	149.56	-590.07
प्रतिचक्रीय बफर से आहरण	-1,149.00	-382.00
अनार्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	29,880.77	17,487.41
पूनर्विन्यासित आस्तियों के लिए प्रावधान	-1,747.63	802.65
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	2,157.55	2,435.37
अन्य प्रावधान	192.50	469.95
योग	**33,307.15**	**26,435.70**

2. अस्थायी प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	25.14	25.14
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी	-	-
इतिशेष	**25.14**	**25.14**

3. आरक्षित निधि से आहरण

वर्ष के दौरान, आरक्षित निधि से कोई आहरण नहीं किया गया।

4. शिकायतों की स्थिति

क. शिकायतें

विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ में विचाराधीन शिकायतों की संख्या	30,896	21,413
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	12,22,250	16,34,042
वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	12,37,811	16,24,559
वर्ष के अंत में विचाराधीन शिकायतों की संख्या	15,335	30,896

एक कार्यदिवस में निपटान किए गए शिकायतों को शामिल नहीं किया गया है।

ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय:

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	15	9
वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	16	39
वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	31	33
वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	-	15

5. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान

बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विलम्बित मूलधन या ब्याज के भुगतान के कारण दायर किए गए मामलों की कोई सूचना नहीं है।

6. अनुषंगियों को जारी चुकौती आश्वासन पत्र :

बैंक ने अपनी अनुषंगियों की ओर से चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए हैं. 31 मार्च 2016 को चुकौती आश्वासन पत्रों की कोई राशि बकाया नहीं है परंतु पिछले वर्ष ₹ 715.16 करोड़ थी.

7. प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात (पीसीआर):

31 मार्च 2016 तक बैंक का अर्नजक आस्तियाँ अनुपात हेतु 60.69% प्रावधान किया गया है (पिछले वर्ष 69.13%)।

8. बैंक - बीमा व्यवसाय के संबंध में प्राप्त फीस/पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	379.94	281.16
एसबीआई जनरल इंश्योरेंसकं. लि.	82.25	62.86
मनु लाइफ फाइनैंसियल लि. एवं एनटीयूसी	1.65	0.57
टोकियो मैरिन, एसीई	0.16	0.21
योग	**464.00**	**344.80**

9. जमाराशियों / अग्रिमों तथा जोखिमों एवं अनर्जक आस्तियों का क्रेंद्रीकरण

क. जमाराशियों का केंद्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस वृहतम जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	1,13,783.78	1,01,148.22
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस वृहतम जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	6.57%	6.41%

ख. अग्रिमों का केंद्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस वृहतम उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिम	2,34,099.47	2,06,512.83
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस वृहतम उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिम का प्रतिशत	15.51%	15.46%

ग. ऋण - जोखिमों का केंद्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस वृहतम उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल ऋण-जोखिम	3,51,117.08	3,45,152.13
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल ऋण - जोखिम में बीस वृहतम उधारकर्ताओं/ग्राहकों के ऋण - जोखिम का प्रतिशत	14.93%	15.88%

घ. अनर्जक आस्तियों का केंद्रीकरण

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
शीर्ष चार अनर्जक आस्ति खातों के कुल ऋण - जोखिम	26,863.55	1,839.51

10. क्षेत्र-वार अनर्जक आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	चालू वर्ष			प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पिछला वर्ष		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	इस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में कुल अग्रिमों का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	इस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में कुल अग्रिमों का प्रतिशत
क	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	1,26,455.87	9,839.11	7.78	1,12,705.39	10,216.74	9.06
2	उद्योग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा बड़े)	91,144.42	11,602.30	12.73	65,699.72	7,087.13	10.79
3	सेवाएं	32,341.80	1,747.36	5.40	26,146.41	1,699.94	6.50
4	वैयक्तिक ऋण	89,625.80	1,033.79	1.15	90,352.32	1,202.51	1.33
	उप-योग (क)	**3,39,567.89**	**24,222.56**	**7.13**	**2,94,903.84**	**20,206.32**	**6.85**
ख	**गैर-प्राथमिकता प्राप्त**						
1	**कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप**	5,644.32	496.94	8.80	5,024.05	199.91	3.98
2	उद्योग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा बड़े)	7,22,102.72	67,674.75	9.37	6,66,218.20	31,152.77	4.68
3	सेवाएं	1,90,365.38	4,355.62	2.29	1,75,819.02	4,014.14	2.28
4	वैयक्तिक ऋण	2,51,819.51	1,422.93	0.57	1,93,458.59	1,152.20	0.60
	उप-योग (ख)	11,69,931.93	73,950.24	6.32	10,40,519.86	36,519.02	3.51
ग	**योग(क)+(ख)**	15,09,499.82	98,172.80	6.50	13,35,423.70	56,725.34	4.25

11. विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व

₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	कुल आस्तियाँ	3,28,273.26	3,00,768.24
2	कुल अनर्जक आस्तियाँ (सकल)	7,785.13	2,618.65
3	कुल राजस्व	11,765.01	9,485.80

12. तुलन-पत्र में शामिल न होने वाली प्रायोजित विशेष प्रयोजन वाली संस्थाएं (एसपीवी)

	प्रायोजित विशेष प्रयोजन वाली संस्था (एसपीवी) का नाम	
	देशी	विदेशी
चालू वर्ष	शून्य	शून्य
पिछला वर्ष	शून्य	शून्य

13. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	संख्या	राशि
1.	प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या	शून्य	शून्य
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी के बही खातों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	शून्य	शून्य
3.	तुलन पत्र की तिथि को एमएमआर के अनुपालन में बैंक द्वारा रखा गया कुल जोखिम की रकम		
	तुलन पत्र की तिथि को एमएमआर के अनुपालन में बैंक द्वारा रखा गया कुल जोखिम की रकम		
	क) तुलन पत्र से इतर जोखिम	शून्य	शून्य
	i) प्रथम हानि		
	ii) अन्य		
	ख) तुलन पत्र जोखिम	शून्य	शून्य
	i) प्रथम हानि		
	ii) अन्य		
4.	एमएमआर से इतर प्रतिभूतिकरण लेन - देन से संबंधित जोखिम की रकम		
	क) तुलन पत्र से इतर जोखिम		
	i) स्व-आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम	शून्य	शून्य
	1. प्रथम हानि		
	2. अन्य		
	ii) इतर पक्ष आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम	शून्य	शून्य
	1. प्रथम हानि		
	2. अन्य		
	ख) तुलन पत्र जोखिम		
	i) स्व-आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम	शून्य	शून्य
	1. प्रथम हानि		
	2. अन्य		
	ii) इतर पक्ष आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम	शून्य	शून्य
	1. प्रथम हानि		
	2. अन्य		

14 . ऋण चूक स्वैप

(₹ करोड़ में)

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क्र.सं	विवरण	संरक्षण क्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में	संरक्षण क्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में
1	वर्ष के दौरान हुए लेनदेनों की संख्या				
	क) उनमें से जो भौतिक रूप से निपटाएं गए/जाएंगे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) नकद निपटान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	वर्ष के दौरान क्रय/विक्रय की गई संरक्षण की मात्रा				
	क) उनमें सेजो भौतिक रूप से निपटाएं गए/ जाएंगे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) नकद निपटान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वर्ष के दौरान लेन-देन की संख्या जिनमें क्रेडिट इवेंट भुगतान प्राप्त/ प्रदत्त किए गए				
	क) वर्तमान वर्ष से संबंधित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) पिछले वर्ष से संबंधित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		संरक्षण क्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में	संरक्षण क्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में
4	पिछले वर्ष इसी तारीख से सीडीएस लेनदेन से सम्बंधित निवल आय / लाभ (खर्च/हानि)				
	क) प्रीमियम अदा/ प्राप्त किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) क्रेडिट इवेंट भुगतान				
	• अदा (आस्तियों के मूल्य की वसूली का निवल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	• प्राप्त (पूर्तियोग्य प्रतिबद्धता के मूल्य का निवल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	31 मार्च तक बकाया लेनदेन				
	क) लेनदेनों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) संरक्षण की मात्रा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6	वर्ष के दौरान लेनदेन की उच्चतम बकाया				
	क) लेनदेनों की संख्या (1 अप्रैल के अनुसार)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) संरक्षण की मात्रा (1 अप्रैल के अनुसार)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

15. अंतरा-समूह एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i.	अंतरा-समूह एक्सपोज़र की कुल राशि	9,251.34	15,442.79
ii.	शीर्ष बीस अंतरा-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	9,251.34	15,442.79
iii.	बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों के संबंध में कुल एक्सपोज़र की तुलना में अंतरा-समूह एक्सपोज़र का प्रतिशत	0.39	0.71
iv.	अंतरा-समूह एक्सपोज़र की सीमाओं के उल्लंघन और उस पर की गई विनियामक कार्रवाई का विवरण	शून्य	शून्य

16. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरित दावा न की गई देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
डीईएएफ को अंतरित राशियों का अथशेष	757.14	निरंक
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशियाँ	123.78	757.14
घटाएं: डीईएएफ द्वारा दावों की प्रतिपूर्ति की गई राशियाँ	शून्य	शून्य
डीईएएफ को अंतरित राशियों का इति शेष	880.92	757.14

17. अनारक्षित विदेशी मुद्रा एक्स्पोजर

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीओडी संख्या बीपी. बीसी 85/21.06.200 /2013-14 दिनांकित 15 जनवरी 2014 के अनुसार, बैंक ने पूंजी एवं प्रावधान आवश्यकता हेतु विदेशी मुद्रा जोखिम गैर-बचाव व्यवस्था के लिए ₹161.27 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 293.08 करोड़) की गयी है मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम एवं वृद्धिशील पूंजी के रूप में ₹237.62 करोड़ (पिछले वर्ष ₹408.44 करोड़) की व्यवस्था की गयी है।

18. चलनिधि सुरक्षा अनुपात :

क. एकल एलसीआर

चलनिधि सुरक्षा अनुपात (एलसीआर) मानक को इस उद्देश्य के साथ अपनाया गया है कि बैंक भार-रहित उच्च गुणवत्तायुक्त तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्तर रखें जिन्हें नकदी में परिवर्तित कर अत्यधिक तरलता तनाव परिदृश्य में 30 कैलेन्डर दिन की समयावधि हेतु तरलता आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

एलसीआर को इस प्रकार परिभाषित किया गया है- 'उच्च गुणवत्तायुक्त तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)' अगले 30 कैलेन्डर दिनों में कुल निवल नकदी बहिर्गमन

तरल आस्तियों में उच्च गुणवत्तायुक्त आस्तियाँ शामिल है जिनकी बिक्री त्वरित की जा सकती है या तनाव के परिदृश्य में निधि प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एचक्यूएलए के स्टॉक में दो श्रेणियों की आस्तियों को सम्मिलित किया गया है, अर्थात् स्तर 1 और स्तर 2 आस्तियाँ। स्तर 1 आस्तियाँ 0% हेयरकट मार्जिन वाली है जबकि स्तर 2, 2क आस्तियाँ न्यूनतम 15% हेयरकट मार्जिन और स्तर 2ख आस्तियाँ न्यूनतम 50% हेयरकट वाली हैं। कुल शुद्ध नगदी बहिर्गमन कुल अनुमानित नकद बहिर्गमन से कुल अनुमानित नकद अंतर्गमन के अगले 30 कैलेंडर दिनों से कम है। कुल अपेक्षित नकदी बहिर्प्रवाह की गणना विभिन्न वर्गों के या प्रकारों के देयताओं के बकाया शेषों तथा तुलन पत्र से इतर दरों की प्रतिबद्धताओं जिसके आधार पर इनका निर्धारण किया जाना है, उनको गुणा करके निकाला जाता है। कुल अपेक्षित नकदी अंतर्प्रवाह की गणना विभिन्न वर्गों के संविदागत प्राप्यों को अपेक्षित दरों पर गुणा करके की जाती है जिसका सकल कैप 75% कुल अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह का होता है।

क) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ में)

		वित वर्ष - 2015-16		तिमाही 4 - 2015-16	
	एलसीआर घटक	**कुल अभारित कीमत (औसत)**	**कुल भारित कीमत (औसत)**	**कुल अभारित कीमत (औसत)**	**कुल भारित कीमत (औसत)**
	उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)				
1	**कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)**		2,39,970		2,50,927
	नकदी बहिर्गमन				
2	फुटकर जमाराशियाँ और लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जमाराशियाँ, जिनमें से :				
	(i) स्थिर जमाराशियाँ	1,42,631	7,132	1,61,391	8,070
	(ii) कम स्थिर जमाराशियाँ	10,66,580	1,06,658	11,26,491	1,12,649
3	अप्रतिभूत थोक निधीयन जिनमें से :				
	(i) परिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	565	141	0	0
	(ii) गैर-परिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	3,77,180	2,27,113	3,72,702	2,27,461
	(iii) अप्रतिभूत उधार	0	0	0	0
4	प्रतिभूत थोक निधीयन	26,129	13	59,444	29
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से				
	(i) डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	70,333	70,333	76,881	76,881
	(ii) उधार उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्मगमन	0	0	0	0
	(iii) ऋण एवं तरलता सुविधाएं	1,85,287	26,327	2,08,731	29,801

(₹ करोड़ में)

		वित वर्ष - 2015-16		तिमाही 4 - 2015-16	
एलसीआर घटक		**कुल अभारित कीमत (औसत)**	**कुल भारित कीमत (औसत)**	**कुल अभारित कीमत (औसत)**	**कुल भारित कीमत (औसत)**
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	12,445	12,445	14,283	14,283
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	3,71,624	17,989	3,65,189	15,889
8	**कुल नकदी बहिर्गमन**	**22,52,774**	**4,68,151**	**23,85,112**	**4,85,063**
नकदी अंतर्वाह					
9	प्रतिभूति ऋणान्वयन (उदाहरणार्थ प्रतिवर्ती रेपो)	3,324	0	312	0
10	पूर्णतः निष्पादन करने वाले एक्सपोज़र से अंतर्वाह	1,34,289	1,17,996	1,41,656	1,23,564
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	39,325	31,188	41,950	32,873
12	**कुल नकदी अंतर्वाह**	**1,76,938**	**1,49,184**	**1,83,918**	**1,56,437**
13	**कुल एचक्यूएलए**		**2,39,970**		**2,50,927**
14	**कुल निवल नकदी बहिर्गमन**		**3,18,967**		**3,28,626**
15	**चलनिधि सुरक्षा अनुपात (%)**		**75.23%**		**76.36%**

उपरोक्त एलसीआर प्रकटीकरण टेंपलेट भारतीय स्टेट बैंक तथा इसकी विदेशी शाखाओं के भारित तथा अभारित एलसीआर के औसत मूल्य को दर्शाता है। औसत की गणना माह-अंत के निम्न के मूल्यों के आधार पर की गई है:

क. संपूर्ण वित्तीय वर्ष 2015-16

ख. मार्च 2016 को समाप्त तिमाही

ऊपर दर्शायी गई दोनों स्थितियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 70% से अधिक है (60% दिसंबर 2015 तक तथा 70% 1 जनवरी 2016 से)। बारह महीनों (वित्तीय वर्ष 15-16) के औसत के आधार पर बैंक का एलसीआर 75.23% आता है और 76.36% पिछले तीन महीने के औसत (तिमाही 4 वित्तीय वर्ष15-16) आधार पर होता है। तिमाही 4 वित्तीय वर्ष15-16 का औसत एचक्यूएलए ₹250,927 करोड़ था जिसमें लेवल1 की आस्तियां कुल एचक्यूएलए तथा नकदी, सीआरआर आधिक्य एवं विदेशी राष्ट्रों द्वारा जारी 0% जोखिम भारित मार्केटेबल सिक्यूरिटी का करीब 92% थीं। सरकारी प्रतिभूति कुल लेवल1 आस्ति का 88% है। तुलनपत्र के आकार में वृद्धि होने के कारण कुल निवल नकदी बहिर्गमन तिमाही 4 वित्तीय वर्ष15-16 में बढ़ा है। डेरिवेटिव एक्सपोजर समान अंतर्प्रवाह तथा बहिर्प्रवाह के कारण लगभग नगण्य है। पिछली तिमाही में यूएसडी महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा थी जिसका बैंक के तुलन पत्र में 5% अधिक हिस्सा था। तिमाही 4 वित्तीय वर्ष15-16 में औसत यूएसडी एलसीआर 82% था।

बैंक में तरलता प्रबंधन की व्यवस्था आस्ति एवं देयता प्रबंधन नीति (एएलएल) द्वारा सुनिश्चित की जाती है जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है। देशीय और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग ट्रेजरिज, आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) को रिपोर्ट करती है। बैंक के बोर्ड द्वारा आल्को को निधियन नीतियाँ निर्धारित करने का अधिकार दिया जाता है जिससे निधियन के स्रोत का विविधिकरण हो तथा यह सुनिश्चित हो सके कि वह बैंक की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। आल्को के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को आवधिक रूप में बोर्ड को रिपोर्ट किए जाते हैं। मासिक एलसीआर रिपोर्टिंग के साथ-साथ बैंक संरचनात्मक दैनिक तरलता विवरण तैयार करता है ताकि बैंक की तरलता आवश्यकताओं का निरंतर आधार पर मूल्यांकन किया जा सके। आगे, गतिशील तरलता रिपोर्ट भी तैयार किए जाते हैं ताकि तरलता आवश्यकताओं का पूर्वानुमान किया जा सके और तदनुसार कार्यनीति बनाई जा सके।

बैंक में एचक्यूएलए को मुख्यतः एसएलआर निवेश के रूप में बनाए रखता है जो एसएलआर की अनिवार्य आवश्यकताओं से अधिक रखा जाता है। खुदरा जमा कुल निधियन स्रोत का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और ऐसे निधियन स्रोत पर्याप्त विविधिकृत होते हैं। प्रबंधन का मानना है कि बैंक के पास भविष्य की अल्पावधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता कवर है।

ख. समेकित एलसीआर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2015 को जारी अपने पूरक दिशा-निर्देशों में 1 जनवरी 2016 से समेकित एलसीआर के कार्यान्वयन का अनुबंध किया है। तदनुसार, एसबीआई समूह समेकित एलसीआर की गणना कर रहा है।

एलसीआर समूह में छह देशीय बैंकिग तथा सात विदेशी बैंकिग सहायक शामिल हैं। ये हैं भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि., कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी,

मास्को, नेपाल एसबीआई बैंक लि., स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया) लि., एसबीआई कनाडा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मॉरिसस लि., पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया।

एसबीआई समूह एलसीआर तीन माह के औसत के आधार पर दिनांक 31 मार्च 2016 को 77.21% है जो निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

		वित्त वर्ष - 2015-16	तिमाही 4 - 2015-16
एलसीआर घटक			
1	**उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए))**		3,25,539
नकदी बहिर्गमन			
2	फुटकर जमाराशियाँ और लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जमाराशियाँ, जिनमें से :		
	(i) स्थिर जमाराशियाँ	2,42,670	12,134
	(ii) कम स्थिर जमाराशियाँ	14,19,909	1,41,991
3	अप्रतिभूत थोक निधीयन जिनमें से :		
	(i) परिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	4,540	1,127
	(ii) गैर-परिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	494,122	2,87,505
	(iii) अप्रतिभूत उधार	0	0
4	प्रतिभूत थोक निधीयन	66,768	5,872
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से		
	(i)डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	99,420	99,420
	(ii) उधार उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्मगमन	0	0
	(iii)ऋण एवं तरलता सुविधाएं	2,18,045	33,777
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	22,415	22,415
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	4,53,671	17,154
8	**कुल नकदी बहिर्गमन**	**30,21,560**	**6,21,395**
नकदी अंतर्प्रवाह			
9	प्रतिभूति ऋणान्वयन (उदाहरणार्थ प्रतिवर्ती रेपो)	1,440	331
10	पूर्णतः निष्पादन करने वाले एक्सपोज़र से अंतर्वाह	1,85,061	1,57,195
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	55,503	42,258
12	**कुल नकदी अंतर्वाह**	2,42,004	1,99,784
13	**कुल एचक्यूएलए**		3,25,539
14	**कुल निवल नकदी बहिर्गमन**		4,21,611
15	**चलनिधि सुरक्षा अनुपात (%)**		77.21%

समूह में एचक्यूएलए को मुख्यतः एसएलआर निवेश के रुप में बनाए रखता है जो एसएलआर की अनिवार्य आवश्यकताओं से अधिक रखा जाता है। खुदरा जमा कुल निधियन स्रोत का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और एसे निधियन स्रोत पर्याप्त विविधिकृत होते हैं। प्रबंधन का मानना है कि बैंक के पास भविष्य की अल्पावधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता कवर है।

19. अंतर कार्यालय खाता

शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और स्थानीय प्रधान कार्यालयों तथा कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं के बीच अंतरकार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाधान किया जा रहा है और चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते की राशि पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

20. पुनर्संरचना कंपनियों को आस्तियों की बिक्री

वर्ष के दौरान पुनर्संरचना कंपनियों को आस्तियों की बिक्री में हुई ₹461.39 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,803.19 करोड़) भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी बीपीबीसी सं 98 /21.04.132/ 2013-14, दिनांक 26 फरवरी 2014 के निर्देशों के अनुसार दो वर्षों की अवधि में परिशोधित की जा रही है। इसके फलस्वरुप, ₹1,509.79 करोड़ (पिछले वर्ष ₹623.78 करोड़) को 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खोते को नामे किया गया है। ₹1,131.01 करोड़ (गत वर्ष 2,179.42 करोड़) राशि 31 मार्च 2016 को अपरिशोधित है।

21. प्रति-चक्रीय प्रवधानीकरण बफर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने "अस्थायी प्रावधानों/प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर" पर दिनांक 30 मार्च 2015 के अपने परिपत्र क्रमांक डीबीआर सं. बीपी. बीसी. 79/21.04.048/2014-15 के माध्यम से बैंकों को 31 दिसंबर 2014 तक उनके द्वारा धारित प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर (सीसीपीबी) के 50% तक को संबंधित बैंकों के निदेशक बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान करने के लिए व्यवहार में लाने की अनुमति दी है। तदनुसार बैंक ने ₹1149 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹382 करोड़ का उपयोग किया गया) की सीसीपीबी का उपयोग बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति एवं बोर्ड की अनुमति से अनर्जक आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान करने के लिए किया है।

22. आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एओआर)

वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एओआर) के भाग स्वरूप बैंकों को कुछ अग्रिमों को पुनः वर्गीकृत/ अतिरिक्त प्रावधान पिछली दो तिमाहियों अर्थात् दिसंबर 2015 और मार्च 2016 को समाप्त तिमाही में करने की सूचना दी थी। बैंक ने तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित किया है।

23. खाद्यान्न क्रेडिट

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसरण में बैंक ने विवेकपूर्ण कदम के रूप में एक राज्य सरकार की बकाया खाद्यान क्रेडिट के लिए 7.5% का प्रावधान किया है जिसकी राशि ₹543.50 करोड़ की होती है।

24. स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास

वर्तमान वर्ष के दौरान कुछ आस्तियों जैसे एटीएम, कैश डिस्पेंसिंग मशीन, सिक्का डिस्पेंसिंग मशीन, कंप्यूटर सर्वर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग उपकरण की अनुमानित उपयोग अवधि में परिवर्तन किया गया है। वित्तीय विवरण पर इसका प्रभाव नगण्य माना गया है।

25. विदेश स्थित कार्यालयों से भारत में निधि के रिपैट्रिएशन पर विनिमय लाभ तथा विदेश स्थित कार्यालयों की पूंजी निधि के ऐतिहासिक लागत पर पुनर्स्थापन के कारण ₹2,033.83 करोड़ की राशि को अन्य आय में शामिल किया गया है।

26. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 16 जुलाई 2015 के परिपत्र के अनुसरण में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर तथा विकास निधि और अन्य संबंधित जमाओं की अनुसूची 11 तथा अन्य आस्तियों को अनुसूची 8 में पुनः वर्गीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप, ऐसी जमा पर ब्याज को अनुसूची 11 में निवेश से आय के बजाय अन्य में पुनः वर्गीकृत किया गया है।

27. जहाँ आवश्यक था वहाँ पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनः वर्गीकरण किया गया है ताकि वर्तमान वर्ष वर्गीकरण के अनुसार तालमेल बैठा सके। भारतीय रिज़र्व बैंक/लेखांकन मानदंडों के दिशा-निर्देशों के अनुसार जहाँ पहली बार आंकड़ों का प्रकटीकरण किया गया है वहां पिछले वर्ष के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

भारतीय स्टेट बैंक

नकदी प्रवाह विवरण 31मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ		13774,05,74	19313,96,20
समायोजन:			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		1700,30,45	1116,49,32
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल)		16,69,37	42,74,99
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ)/हानि (निवल)		151,67,43	0
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर (लाभ)/हानि		(108,00,00)	0
उचित मुल्य में आई कमी और अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान		26984,14,36	17908,05,50
मानक आस्तियों पर प्रावधान		2157,54,91	2435,37,49
निवेशों पर मूल्यह्रास (मूलवर्धन) के लिए प्रावधान		149,55,88	(590,07,29)
आकस्मिक देयताओं सहित अन्य प्रावधान		192,49,87	469,95,29
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों सहयोगियों में किए गए निवेशों से आय		(475,82,57)	(677,03,43)
पूंजीगत लिखतों पर ब्याज		3722,80,38	3822,78,30
		48265,45,82	43842,26,37
समायोजन:			
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)		153929,19,11	182384,74,02
पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार राशियों में वृद्धि/(कमी)		12902,76,40	22057,84,75
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगी बैंकों में निवेशों को छोड़कर अन्य निवेशों में वृद्धि/(कमी)		5954,00,84	(80924,33,06)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी		(190658,16,81)	(108105,72,87)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)		23446,33,07	34437,35,30
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		(34583,68,76)	(61812,21,44)
गैर-एकीकरण परिचालनों में निवेशों के निपरान पर एफसीटीओर में कमी		(873,92,35)	0
		18381,97,32	31879,93,07
कर वापसी/कर भुगतान		(7185,42,60)	(4258,90,17)
परिचालन कार्यकलाप से उत्पन्न/(में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(क)**	**11196,54,72**	**27621,02,90**
निवेश कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
अनुषंगियो/संयुक्त उद्यमों/सहयोगी बैंकों में निवेश में (वृद्धि)/कमी		(1593,77,02)	(1444,77,30)
अनुषंगियो/संयुक्त उद्यमों/सहयोगी बैंकों में किए गए निवेशों से आय		108,00,00	0
अनुषंगियो/संयुक्त उद्यमों/सहयोगी से प्राप्त लाभांश		475,82,57	677,03,43
अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		(2738,42,72)	(2490,36,07)
निवेश कार्यकलाप से उत्पन्न/(में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ख)**	**(3748,37,17)**	**(3258,09,94)**

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
इक्विटी शेयर के निर्गम पर से प्राप्त राशि		5384,49,57	0
इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गम (मोचन) से प्राप्त राशि		0	2970,00,00
पूंजीगत लिखतों का निर्गम (मोचन)		5902,84,20	(200,00,00)
पूंजीगत लिखतों पर ब्याज़		(3722,80,38)	(3822,78,30)
लाभांशों पर कर सहित प्रदत्त लाभांश		(3058,65,86)	(1236,33,43)
वित्तपोषण कार्यकलाप से प्राप्त /(में प्रयुक्त)निवल नकदी	(ग)	**4505,87,53**	**(2289,11,73)**
अंतरण आरक्षित निधियों पर विनिमय परिवर्तनों पर प्रभाव	(घ)	**757,82,36**	**132,33,71**
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि/(कमी)	(क)+(ख)+(ग)+(घ)	**12711,87,44**	**22206,14,94**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**154755,78,21**	**132549,63,27**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**167467,65,65**	**154755,78,21**

टिप्पणी

नकदी एवं नकदी समतुल्य:	**31.03.2016**	**31.03.2015**
नकदी एवं भा. रि. बैंक में जमाराशियां	129629,32,53	115883,84,35
बैंकों में जमाराशियां और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	37838,33,12	38871,93,86
योग	**167467,65,65**	**154755,78,21**

हस्ताक्षरी:

पी. के. गुप्ता
एम.डी. (सी एण्ड आर)

वी. जी. कन्नन
एम.डी. (ए एण्ड एस)

बी. श्रीराम
एम.डी. (सी बी जी)

निदेशक:
श्री संजीव मल्होत्रा
श्री एम. डी. माल्या
श्री दीपक आई. अमिन
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी
डॉ.गिरीश कुमार आहूजा
डॉ.पुष्पेन्द्र राय
श्री सुनील मेहता

अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मे. वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार

चेरीयन के बेबी
भागीदार: स.सं. 016043
फर्म पंजी. सं. 004532 S

कृते मे. वी. शंकर अय्यर एंड कं.
सनदी लेखाकार

अजय गुप्ता
भागीदार: स.सं.: 090104
फर्म पंजी. सं.: 109208 W

कृते मे. मनुभाई एंड शाह एल एल पी
सनदी लेखाकार

हितेश एम पोमल
भागीदार: स.सं.: 106137
फर्म पंजी. सं.: 106041W/W100136

कृते मे. चटर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस के चटर्जी
भागीदार: स.सं.: 003124
फर्म पंजी. सं.: 302114 E

कृते मे. एस एल छाजड एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस. एन. शर्मा
भागीदार: स.सं.: 071224
फर्म पंजी. सं.: 000709 C

कृते मे. मेहरा गोयल एंड कं.
सनदी लेखाकार

आर के मेहरा
भागीदार: स.सं.: 006102
फर्म पंजी. सं.: 000517 N

कृते मे. एस.एन. मुखर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार

सुदीप मुखर्जी
भागीदार: स.सं.: 013321
फर्म पंजी. सं.: 301079 E

कृते मे. एम. भास्कर राव एंड कं.
सनदी लेखाकार

एम वी रमण मूर्ति
भागीदार: स.सं.: 206439
फर्म पंजी. सं.: 000459 S

कृते मे. बंसल एंड कं.
सनदी लेखाकार

डी एस रावत
भागीदार: स.सं.: 083030
फर्म पंजी. सं.: 001113 N

कृते मे. मित्तल गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

अक्षय कुमार गुप्ता
भागीदार: स.सं.: 070744
फर्म पंजी. सं.: 001874 C

कृते मे. एसआरआरके शर्मा एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

एस आर आर के शर्मा
भागीदार: स.सं.: 18088
फर्म पंजी. सं.: 003790 S

कृते मे. बी छावछरिया एंड कं.
सनदी लेखाकार

क्षितिज छावछरिया
भागीदार: स.सं.: 061087
फर्म पंजी. सं.: 305123 E

कृते मे. जीएसए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

सुनील अग्रवाल
भागीदार: स.सं.: 083899
फर्म पंजी. सं.: 000257 N

कृते मे. अमित रे एंड कं.
सनदी लेखाकार

बासुदेव बनर्जी
भागीदार: स.सं.: 070468
फर्म पंजी. सं.: 000483 C

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 27 मई, 2016

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

प्रति

भारत के राष्ट्रपति,

वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक के 31 मार्च, 2016 की वित्तीय विवरणों जिनमें 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है, की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित की विवरणियां शामिल हैं:

   i) केन्द्रीय कार्यालय, 14 स्थानीय प्रधान कार्यालय, विश्व बाजार समूह, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय समूह, कारपोरेट लेखा समूह (केन्द्रीय), मध्य-कारपोरेट समूह (केन्द्रीय), तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह (केन्द्रीय), और 42 (बयालीस) शाखाओं के, जिनकी लेखापरीक्षा हमने की है;

   ii) 8,903 भारतीय शाखाएं, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों ने की तथा

   iii) विदेश स्थित 55 शाखाएं, जिनकी लेखा-परीक्षा स्थानीय लेखा-परीक्षकों ने की है।

   हमारे एवं अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप बैंक द्वारा चुना गया। तुलनपत्र एवं लाभ हानि खाते में 8,714 भारतीय शाखाओं (अन्य लेखांकन इकाईयों सहित) की विवरणियां भी शामिल है, जिनकी लेखा-परीक्षा नहीं हुई है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का हिस्सा अग्रिमों में 4.03%, जमाराशियों में 17.81%, ब्याज आय में 4.99% तथा ब्याज व्यय में 16.08% है।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन वर्ग का दायित्व

2. भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम - 1949 के प्रावधानों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा समाविष्ट लेखा - नीतियों एवं परंपराओं, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण एवं लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों, जो बैंक के वित्तीय स्थिति की सटीक और सही चित्र प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने की जिम्मेदारी बैंक-प्रबंधन की है। इस जिम्मेदारी के अंर्तगत वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण भी शामिल है, जो धोखाधड़ी या त्रुटिवश किसी भी प्रकार के वस्तुगत गलत बयानी से मुक्त है। इन जोखिमों के आकलन में प्रबंधन ने ऐसे आंतरिक नियंत्रणों का कार्यान्वयन किया है, जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं परिकल्पित प्रक्रियाओं जो परिस्थितियों के अनुरूप है, से संबंधित है, ताकि बैंक के सभी कार्यकलापों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण प्रभावी हो ।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

3. हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित अभिमत देने की है। हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करें एवं अपनी लेखापरीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें, ताकि हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में कोई वस्तुगत गलत विवरण नहीं दिए गए हैं।

4. लेखापरीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियों और प्रकटीकरणों के संबंध में लेखांकन साक्ष्य प्राप्त करने के लिए की जाने वाली निष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल हैं। जाँच के लिए चुनी गई पद्धतियाँ लेखापरीक्षक के विवेक, वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी वस्तुगत गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन पर आधारित होती है। इन जोखिम मूल्यांकनों का निर्धारण करते समय लेखापरीक्षक बैंक के वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को संज्ञान में लेते हैं, ताकि इन परिस्थतियों के लिए समुचित लेखा पद्धति की उचित प्रस्तुति की जा सके, लेकिन इसका उद्देश्य संस्था के आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशालीता के बारे में किसी भी प्रकार का अभिमत देना नहीं है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है।

5. हमे विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखासाक्ष्य हमारे लेखा अभिमत को आधार प्रदान करने लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

अभिमत

6. हमारे अभिमत में, बैंक की बहियों में दर्शाए गए एवं जहां तक हमें जानकारी है तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

   i) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं तत्संबंधी लेखा-टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर तुलनपत्र पूर्ण एवं सही है, जिसमें समस्त आवश्यक जानकारी शामिल है तथा उसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि

वह 31 मार्च 2016 को भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बैंक के कामकाज का सही और सटीक चित्र दर्शाता है;

ii) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं तत्संबंधी लेखा-टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर लाभ एव हानि खाता भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप, चालू वर्ष के लाभ का सही शेष दर्शाता है; तथा

iii) नकदी प्रवाह विवरण इस तिथि को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह का सही एवं सटीक चित्र प्रस्तुत करता है।

ध्यानाकर्षण

7. हम अनुसूची 18 के टिप्पणी 18 की 'लेखा-टिप्पणियों' की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे:

क) टिप्पणी 18.8 का पैरा 20: पुनर्निर्माण कंपनियों को आस्तियों की बिक्री पर ₹1,131.01 करोड़ की हानि का अपरिशोधन।

ख) टिप्पणी 18.8 का पैरा 21: वर्ष के दौरान ₹1,149 करोड़ का प्रतिचक्रीय बफर का उपयोग।

उपर्युक्त दर्शाए गए मामलों के संबंध में हमारे विचार सापेक्ष नहीं हैं।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः 'क' और 'ख' फार्मों में तैयार किए गए हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित जानकारी देते हैं ।

9. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 5 की सीमाओं का अतिक्रमण न करते हुए एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की अपेक्षाओं के अनुरूप एवं तत्संबंधी अपेक्षित प्रकटन की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए हम निम्नानुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, कि :

क) हमने जहाँ भी कोई जानकारी और स्पष्टीकरण माँगा है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक था, हमें वह जानकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है और हमने उसे संतोषजनक पाया है।

ख) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकार-क्षेत्र में ही हैं।

ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित पाई गई हैं।

10. हमारे अभिमत के अनुसार, तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मे. वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार

चेरीयन के बेबी
भागीदार: स.सं. 016043
फर्म पंजी. सं. 004532 S

कृते मे. वी. शंकर अय्यर एंड कं.
सनदी लेखाकार

अजय गुप्ता
भागीदार: स.सं.: 090104
फर्म पंजी. सं.: 109208 W

कृते मे. मनुभाई एंड शाह एल एल पी
सनदी लेखाकार

हितेश एम पोमल
भागीदार: स.सं.: 106137
फर्म पंजी. सं.: 106041W/W100136

कृते मे. चटर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस के चटर्जी
भागीदार: स.सं.: 003124
फर्म पंजी. सं.: 302114 E

कृते मे. एस एल छाजड एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस. एन. शर्मा
भागीदार: स.सं.: 071224
फर्म पंजी. सं.: 000709 C

कृते मे. मेहरा गोयल एंड कं.
सनदी लेखाकार

आर के मेहरा
भागीदार: स.सं.: 006102
फर्म पंजी. सं.: 000517 N

कृते मे. एस.एन. मुखर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार

सुदीप मुखर्जी
भागीदार: स.सं.: 013321
फर्म पंजी. सं.: 301079 E

कृते मे. एम. भास्कर राव एंड कं.
सनदी लेखाकार

एम वी रमण मूर्ति
भागीदार: स.सं.: 206439
फर्म पंजी. सं.: 000459 S

कृते मे. बंसल एंड कं.
सनदी लेखाकार

डी एस रावत
भागीदार: स.सं.: 083030
फर्म पंजी. सं.: 001113 N

कृते मे. मित्तल गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

अक्षय कुमार गुप्ता
भागीदार: स.सं.: 070744
फर्म पंजी. सं.: 001874 C

कृते मे. एसआरआरके शर्मा एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

एस आर आर के शर्मा
भागीदार: स.सं.: 18088
फर्म पंजी. सं.: 003790 S

कृते मे. बी छावछरिया एंड कं.
सनदी लेखाकार

क्षितिज छावछरिया
भागीदार: स.सं.: 061087
फर्म पंजी. सं.: 305123 E

कृते मे. जीएसए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

सुनील अग्रवाल
भागीदार: स.सं.: 083899
फर्म पंजी. सं.: 000257 N

कृते मे. अमित रे एंड कं.
सनदी लेखाकार

बासुदेव बनर्जी
भागीदार: स.सं.: 070468
फर्म पंजी. सं.: 000483 C

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 27 मई, 2016

भारतीय स्टेट बैंक

समेकित तुलन-पत्र 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची सं.	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी और देयताएँ			
पूंजी	1	776,27,77	746,57,31
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	2	179816,08,85	160640,96,97
अल्पांश हित		6267,40,44	5497,11,75
जमाराशियाँ	3	2253857,56,44	2052960,78,88
उधार राशियाँ	4	258214,39,05	244663,46,71
अन्य देयताएँ और प्रावधान	5	271965,91,64	235601,10,84
योग		**2970897,64,19**	**2700110,02,46**
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ	6	160424,56,91	144287,54,67
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	43734,89,64	44193,50,13
निवेश	8	705189,07,67	673507,48,44
अग्रिम	9	1870260,89,28	1692211,33,41
अचल आस्तियाँ	10	15255,68,28	12379,29,52
अन्य आस्तियाँ	11	176032,52,41	133530,86,29
योग		**2970897,64,19**	**2700110,02,46**
आकस्मिक देयताएँ	12	1184201,34,24	1190338,69,09
संग्रहण के लिए बिल		106611,67,61	105970,51,47
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	17		
लेखा - टिप्पणियाँ	18		

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वर्मा एण्ड वर्मा**
सनदी लेखाकार

(अरुंधति भट्टाचार्य)
अध्यक्ष

(चेरीयन के. बेबी)
भागीदार
सदस्यता क्र. : 16043
फर्म पंजी सं. : 0045325S

(पी. के. गुप्ता)
एम.डी. (सी एण्ड आर)

(वी. जी. कन्नन)
एम.डी. (ए एण्ड एस)

(बी. श्रीराम)
एम.डी. (सी बी जी)

कोलकाता
दिनांक : 27 मई 2016

अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी: 5000,00,00,000 शेयर ₹ 1प्रति शेयर (पिछले वर्ष 5000,00,00,000 शेयर ₹ 1 प्रति शेयर)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी: 776,35,98,072 इक्विटी शेयर, प्रति ₹ 1(पिछले वर्ष 746,65,61,670 इक्विटी शेयर, ₹ 1 प्रति इक्विटी शेयर)	776,35,98	746,65,61
अभिदत्त और संदत्त पूंजी: 776,27,77,042 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर, (पिछले वर्ष ₹1 प्रति इक्विटी शेयर के 746,57,30,920)	776,27,77	746,57,31
[उपर्युक्त में प्रति ₹1 के 14,45,93,240 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रति ₹1 के 16,04,31,560 ईक्विटी शेयर) सम्मिलित हैं, जो 1,44,59,324 (पिछले वर्ष 1,60,43,156) वैश्विक डिपाजिटरी के रूप में हैं]**		
योग	**776,27,77**	**746,57,31**

अनुसूची - 2 आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I	**सांविधिक आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	57789,72,97		52885,09,44	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	3709,43,37		4904,63,53	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	61499,16,34	-	57789,72,97
II	**पूंजी आरक्षित निधियाँ #**				
	अथशेष	2816,00,26		2500,48,95	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	538,20,31		315,51,31	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	1,09	3354,19,48	-	2816,00,26
III	**शेयर प्रीमियम**				
	अथशेष	41444,68,60		41444,68,60	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	8333,44,99		-	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	8,65,88	49769,47,71	-	41444,68,60
IV	**विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	6765,70,93		6759,69,99	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	937,97,19		98,24,78	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	890,05,13	6813,62,99	92,23,84	6765,70,93

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
V	**पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	-		-	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1374,03,37		-	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	1374,03,37		
VI	**राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां**				
	अथशेष	49208,96,59		41001,62,17	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन ##	4885,36,61		8228,28,70	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	368,57,53	53725,75,67	20,94,28	49208,96,59
VII	**लाभ और हानि खाते की शेष**		3279,83,29		2615,87,62
योग			**179816,08,85**		**160640,96,97**

\# इसमें समेकन पर पूंजीगत आरक्षित निधि ₹242,83,39 हजार (पिछले वर्ष ₹ 237,49,80 हजार) शामिल है

\## समेकन समायोजनों को घटाकर

अनूसूची - 3 जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क.	**I.**	**माँग जमाराशियाँ**		
		(i) बैंकों से	6740,88,18	7247,03,57
		(ii) अन्य से	163938,91,29	145818,36,10
	II.	**बचत बैंक जमाराशियाँ**	744908,74,55	656490,39,45
	III.	**सावधि जमाराशियाँ**		
		(i) बैंकों से	9082,28,40	11852,80,26
		(ii) अन्य से	1329186,74,02	1231552,19,50
	योग		**2253857,56,44**	**2052960,78,88**
ख.	I.	भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	2143972,00,39	1948918,04,67
	II.	भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	109885,56,05	104042,74,21
	योग		**2253857,56,44**	**2052960,78,88**

अनुसूची 4 - उधार-राशियाँ

(000को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I	**भारत में उधार-राशियाँ**				
	(i) भारतीय रिज़र्व बैंक		3391,79,00		5798,75,00
	(ii) अन्य बैंक		3686,76,87		3579,39,47
	(iii) अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण		10547,50,98		18761,45,07
	(iv) पूंजीगत लिखत				
	क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)	3849,72,60		3890,00,00	
	ख) गौण ऋण एवं बांड	53873,63,80	57723,36,40	47929,81,20	51819,81,20
योग			**75349,43,25**		**79959,40,74**
II.	**भारत के बाहर से उधार-राशियाँ**				
	(I) भारत के बाहर से उधार राशियाँ और पुनर्वित		178661,48,05		160735,38,97
	(II) पूंजीगत लिखत				
	क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)	4140,93,75		3906,25,00	
	ख) गौण ऋण एवं बांड	62,54,00	4203,47,75	62,42,00	3968,67,00
योग			**182864,95,80**		**164704,05,97**
कुल योग (I व II)			**258214,39,05**		**244663,46,71**
उपरोक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार-राशियाँ			**13591,47,33**		**13595,79,97**

अनुसूची - 5 अन्य देयताएँ और प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	संदेय बिल	23335,72,69	24904,60,85
II.	अंतर-बैंक समायोजन (निवल)	237,92,52	321,30,21
III.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	37419,45,02	39770,62,75
IV.	प्रोद्भूत ब्याज	29833,04,28	25563,20,50
V.	आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	2930,88,61	2667,22,18
VI.	बीमा व्यवसाय के पॉलिसीधारकों से संबंधित देयताएं	78668,25,79	70098,11,58
VII.	अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	99540,62,73	72276,02,77
योग		**271965,91,64**	**235601,10,84**

अनुसूचियाँ

अनुसूची - 6 नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं)	17787,02,59	17753,63,55
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशियाँ		
(i) चालू खाते में	142637,54,32	126533,91,12
(ii) अन्य खातों में	-	-
योग	**160424,56,91**	**144287,54,67**

अनुसूची - 7 बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में		
(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
(क) चालू खातों में	288,01,40	247,81,87
(ख) अन्य जमा खातों में	2170,64,23	2244,22,90
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि		
(क) बैंकों में	3722,29,44	3799,23,66
(ख) अन्य संस्थाओं में	37,97,35	-
योग	**6218,92,42**	**6291,28,43**
II. भारत के बाहर		
(i) चालू खातों में	26911,87,69	22355,46,00
(ii) अन्य जमा खातों में	1571,46,56	2631,23,59
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	9032,62,97	12915,52,11
योग	**37515,97,22**	**37902,21,70**
कुल योग (I एवं II)	**43734,89,64**	**44193,50,13**

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I	**भारत में निवेश :**		
	(I) सरकारी प्रतिभूतियाँ	532290,24,22	517554,20,64
	(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	3759,80,59	3516,13,23
	(iii) शेयर	23506,08,44	27460,41,25
	(iv) डिबेंचर और बांड	61387,92,23	49626,98,14
	(v) सहयोगी एवं अनुषंगियां	2456,08,15	2283,02,14
	(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड के यूनिट, कमर्शियल पेपर इत्यादि)	41525,68,15	41954,66,96
योग		**664925,81,78**	**642395,42,36**
II	**भारत के बाहर निवेश**		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियां (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं)	12291,86,27	7937,53,43
	(ii) सहयोगी	91,26,16	76,18,20
	(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर इत्यादि)	27880,13,46	23098,34,45
योग		**40263,25,89**	**31112,06,08**
	कुल योग (I एवं II)	**705189,07,67**	**673507,48,44**
III.	**भारत में निवेश**		
	(i) निवेशों का सकल मूल्य	666116,72,04	642857,88,24
	(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान/मूल्यह्रास	1190,90,26	462,45,88
	(iii) निवल निवेश (ऊपर I के अनुसार) **योग**	**664925,81,78**	**642395,42,36**
IV.	**भारत के बाहर निवेश**		
	(i) निवेशों का सकल मूल्य	40360,83,74	31448,21,49
	(ii) घटाएँ: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास	97,57,85	336,15,41
	(iii) निवल निवेश (ऊपर II के अनुसार) **योग**	40263,25,89	**31112,06,08**
कुल योग (III एवं IV)		**705189,07,67**	**673507,48,44**

अनुसूचियाँ

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क) I. क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	105904,33,41	108753,54,27
II. कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय ऋण	768139,02,40	715170,45,86
III. सावधि ऋण	996217,53,47	868287,33,28
योग	**1870260,89,28**	**1692211,33,41**
ख) I. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित हैं)	1449464,11,29	1338415,24,90
II. बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	65407,28,51	54987,35,00
III. अप्रतिभूत	355389,49,48	298808,73,51
योग	**1870260,89,28**	**1692211,33,41**
ग) I. भारत में अग्रिम		
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	475038,00,97	425714,33,30
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	163126,02,25	121196,09,53
(iii) बैंक	2541,75,87	1263,17,82
(iv) अन्य	952633,31,09	899895,18,92
योग	**1593339,10,18**	**1448068,79,57**
II. भारत के बाहर अग्रिम		
(i) बैंकों से प्राप्य	71750,72,87	49750,01,71
(ii) अन्यों से प्राप्य		
(क) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	15298,95,44	28523,86,79
(ख) सिंडीकेट ऋण	92239,49,49	76503,24,02
(ग) अन्य	97632,61,30	89365,41,32
योग	**276921,79,10**	**244142,53,84**
कुल योग [(ग -I एवं ग - II)]	**1870260,89,28**	**1692211,33,41**

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. परिसर				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	4672,16,65		4323,51,56	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1835,36,27		355,12,36	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	2,39,36		6,47,27	
अद्यतन मूल्यह्रास	672,31,88	5832,81,68	572,01,06	4100,15,59
II. अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	23192,34,20		20473,94,21	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3056,76,25		3704,27,88	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	502,26,24		985,87,89	
अद्यतन मूल्यह्रास	17125,95,43	8620,88,78	15332,16,54	7860,17,66
III. पट्टाकृत आस्तियाँ				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	329,83,42		343,55,90	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,09,22		11,72,44	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	209,40,98		25,44,92	
आज तक का मूल्यह्रास (प्रावधानों सहित)	101,52,99		306,48,56	
	20,98,67		23,47,86	
घटाएँ : पट्टा समायोजन खाता	47,045	16,28,22	47,045	18,64,41
IV निर्माणाधीन आस्तियां (परिसर सहित)		785,69,60		400,31,86
योग (I, II, III एवं IV)		**15255,68,28**		**12379,29,52**

अनुसूचियाँ

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
(I) अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	2700,12,71	2625,04,07
(II) प्रोद्भूत ब्याज	21428,47,87	20948,92,59
(III) अग्रिम रूप से प्रदत कर / स्रोत पर काटा गया कर	15697,31,41	11790,89,06
(IV) लेखन सामग्री और स्टांप	140,48,46	137,51,42
(V) दावों के निपटान से प्राप्त की गईं गैर-बैंकिंग आस्तियाँ	52,20,86	24,17,35
(VI) आस्थगित कर अस्तियाँ (निवल)	1161,66,36	949,49,97
(VII) प्राथमिकता प्राप्त् क्षेत्र में ऋणान्वयन की कमी को पूरा करने के लिए नाबार्ड/सिडबी/ एनएचबी आदि के पास रखी हुई जमाराशियाँ #	60047,16,38	42289,78,98
(VIII) अन्य #	74805,08,36	54765,02,85
योग	**176032,52,41**	**133530,86,29**

इसमें समेकन आधार पर साख ₹ 945,21,86 हजार शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 945,21,86 हजार) शामिल है।

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. समूह के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	16060,79,90	16967,68,59
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	157,84,11	464,57,92
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता	655899,96,45	695217,28,45
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
(क) भारत में	164515,57,51	151058,82,39
(ख) भारत के बाहर	88084,20,47	67589,77,46
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	131160,23,60	125913,03,37
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	128322,72,20	133127,50,91
योग	**1184201,34,24**	**1190338,69,09**
संग्रहण के लिए बिल	106611,67,61	105970,51,47

भारतीय स्टेट बैंक

समेकित लाभ और हानि खाता 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची सं.	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	221854,84,37	207974,33,97
अन्य आय	14	51016,18,48	49315,16,86
योग		**272871,02,85**	**257289,50,83**
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	143047,35,65	133178,64,45
परिचालन व्यय	16	73717,06,84	73848,01,22
प्रावधान और आकस्मिक व्यय		43363,31,29	32745,48,66
योग		**260127,73,78**	**239772,14,33**
III. लाभ			
वर्ष के लिए निवल लाभ (सहयोगियों और अल्पांश हित में हिस्सेदारी के लिए समायोजन करने के पूर्व)		12743,29,07	17517,36,50
जोड़ें : सहयोगियों के लाभ में हिस्सेदारी		275,81,61	314,44,18
घटाएं : अल्पांश हित		794,51,18	837,50,76
समूह के लिए निवल लाभ		12224,59,50	16994,29,92
आगे लाया गया शेष		2615,87,62	2032,37,15
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि		**14840,47,12**	**19026,67,07**
IV. विनियोजन			
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण		3709,43,37	4904,63,53
पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण		5388,68,06	8301,62,00
वर्ष के दौरान पिछले वर्ष हेतु लाभांश का भुगतान (लाभांश पर कर सहित)		80	-
वर्ष के लिए अंतिम लाभांश		2018,32,20	2648,17,28
लाभांश पर कर		444,19,40	556,36,64
तुलनपत्र में ले जाई गई शेषराशि		3279,83,29	2615,87,62
योग		**14840,47,12**	**19026,67,07**
प्रति शेयर मूल आय		₹ 15.95	₹ 22.76
प्रति शेयर कम की गई आय		₹ 15.95	₹ 22.76
विशिष्ट लेखा नीतियां	17		
लेखा - टिप्पणियाँ	18		

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वर्मा एण्ड वर्मा**
सनदी लेखाकार

(अरुंधति भट्टाचार्य)
अध्यक्ष

(चेरीयन के. बेबी)
भागीदार
सदस्यता क्र. : 16043
फर्म पंजी सं. : 0045325S

(पी. के. गुप्ता)
एम.डी. (सी एण्ड आर)

(वी. जी. कन्नन)
एम.डी. (ए एण्ड एस)

(बी. श्रीराम)
एम.डी. (सी बी जी)

कोलकाता
दिनांक : 27 मई 2016

अनुसूचियाँ

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	157001,74,81	153144,59,00
II. निवेशों पर आय	57922,72,37	48952,27,42
III. भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	1186,80,31	1033,54,96
IV. अन्य	5743,56,88	4843,92,59
योग	**221854,84,37**	**207974,33,97**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	17662,46,76	15841,75,18
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ/ (हानि) (निवल)	8116,67,73	9671,95,41
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि) (निवल)	(3144,68,18)	1786,05,64
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / (हानि) (निवल)	(21,05,23)	(51,28,58)
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ / (हानि) (निवल)	2539,37,79	2385,78,18
VI. भारत/विदेश स्थित सहयोगियों से प्राप्त लाभांश	7,52,34	17,38,47
VII. वित्तीय पट्टे से आय	-	5,05
VIII. क्रेडिट कार्ड सदस्यता/सेवा शुल्क	981,08,93	750,80,67
IX. बीमा प्रीमियम आय (निवल)	16636,87,72	13628,73,49
X. विविध आय	8237,90,62	5283,93,35
योग	**51016,18,48**	**49315,16,86**

अनुसूची 15 - दिया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज	132402,04,61	121588,38,03
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधार-राशियों पर ब्याज	4893,83,34	5218,58,00
III. अन्य	5751,47,70	6371,68,42
योग	**143047,35,65**	**133178,64,45**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	32525,59,82	31117,61,37
II. भाड़ा, कर और बिजली खर्च	4939,78,70	4506,67,55
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री	511,61,80	510,09,33
IV. विज्ञापन और प्रचार	609,67,64	796,87,12
V. (क) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास	4,05,74	5,18,40
(ख) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पट्टाकृत आस्तियों के अतिरिक्त)	2248,14,79	1576,30,98
VI. निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	7,71,33	5,59,20
VII. लेखा/परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	285,40,65	262,91,23
VIII. विधि प्रभार	362,14,06	322,29,26
IX. डाक व्यय, तार और टेलीफोन आदि	812,91,81	854,98,57
X. मरम्मत और अनुरक्षण	797,06,39	730,45,95
XI. बीमा	2228,56,82	2080,02,62
XII. अन्य परिचालन व्यय-क्रेडिट कार्ड परिचालन से संबंधित	1163,24,81	551,21,23
XIII. अन्य परिचालन व्यय बीमा व्यवसाय से संबंधित	17930,19,27	21972,48,10
XIV. अन्य व्यय	9290,93,21	7931,53,31
योग	**73717,06,84**	**73224,24,22**

अनुसूची 17- महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ :

क. तैयार करने का आधार :

संलग्न वित्तीय विवरण, जब तक कि अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो, अवधिगत लागत आधार के अनुसार लेखा के प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए गए हैं और भारत में सामान्यत: मान्य लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के सभी महत्त्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप हैं । इन सिद्धांतों में प्रयोज्य सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996, कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित विनियामक मानदण्ड/दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक, और भारत में प्रचलित लेखा प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी इकाइयों के मामले में विदेशी कंपनियों पर लागू सामान्यत: मान्य लेखाकरण सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशियाँ तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और यथोचित हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

ग. समेकन का आधार:

1. समूह **(जिसमें 30 अनुषंगियाँ, 8 संयुक्त उद्यम और 20 सहयोगी शामिल हैं)** के समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं :

   क. भारतीय स्टेट बैंक (मूल कंपनी) के लेखा परीक्षित खाते।

   ख. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों के लिए जारी लेखा मानक 21 के अनुसार सभी अंत: समूह भौतिक बकाया/लेनदेन, गैर-वसूलीकृत लाभ/हानि को अलग करके तथा असमरूप लेखा नीतियों के लिए जहां आवश्यक हुआ है वहां आवश्यक समायोजन करने के उपरांत अनुषंगियों की आस्ति/देयता/आय/व्यय का (मूल कंपनी की इन्हीं मदों से) क्रमश: अक्षरश: समेकन किया गया है।

   ग. संयुक्त उद्यमों का समेकन : भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के 'संयुक्त उद्यमों में हितों पर वित्तीय सूचना से संबंधित लेखा मानक-27 के अनुसार समानुपातिक समेकन किया गया है।

   घ. सहयोगियों में किए गए निवेश का लेखाकरण 'ईक्विटी-पद्धति" के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के ''समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश हेतु लेखाकरण से संबंधित लेखा मानक 23 के अनुसार किया गया है।

   ङ) ''कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना'' से संबंधित आरबीआई परिपत्र के अनुसार, कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना के भाग के रूप में कंपनियों में प्राप्त किए गए नियंत्रण हित पर न तो समेकन के लिए विचार किया गया है और न ही ऐसे निवेश को अनुषंगी/सहयोगी में निवेश के रूप में समझा गया है कारण कि यह नियंत्रण कार्यक्षम प्रकृति का है, भागीदारी का नहीं है।

2. अनुषंगी कंपनियों में समूह के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की ईक्विटी में समूह के अंश के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में साख/पूंजी आरक्षिती के रूप में दिखाया गया है।

3. समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हित निम्नवत है:

   क. जिस तिथि को किसी अनुषंगी में निवेश किया गया है, उस तिथि को अल्पांश हित की ईक्विटी-राशि, और

   ख. मूल कंपनी और अनुषंगी के स्थापित होने की तिथि से आय आरक्षितियों/हानि (ईक्विटी) में अल्पांश-शेयर का उतार-चढ़ाव।

घ. महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. आय निर्धारण

1.1 इससे अन्यथा किए गए उल्लेख को छोड़कर आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है। विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों के संबंध में आय का अभिज्ञान उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार किया गया है, जिस देश में वे कार्यालय/ इकाइयाँ स्थित हैं ।

1.2 निम्नलिखित को छोड़कर लाभ और हानि खाते में निर्धारण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है (i) अग्रिमों, पट्टों और निवेशों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक/ विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों के मामले में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकरण कहलाएंगे) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) निवेशों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iii) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय ट्रेडिंग के रूप में नामित जिसे नकदी आधार पर लेखे में लिया गया है।।

1.3 निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ या हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है, तथापि, परिपक्वता तक रखे गए' श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ को (प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित निधि हेतु अंतरित की जाने वाली आवश्यक राशि को घटाने के बाद) "पूंजी आरक्षित खाते" में विनियोजित किया गया है।

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि के लिए पट्टे की बकाया निवल पर पट्टे की ब्याज दर का उपयोग करके किया गया है। 01 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल के समान राशि को आईसीएआई द्वारा जारी लेखा-मानक 19 -पट्टा के अनुसार अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है। पट्टा किरायों का मूल राशि और वित्त आय में प्रभाजन वित्त पट्टों से सम्बद्ध बकाया निवल प्रावधानों के नियत आवधिक प्रतिफल के परावर्ती स्वरूप के आधार पर किया गया है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल निवेश राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

1.5 "परिपक्वता तक रखे गए" श्रेणी में विनिधान पर आय (ब्याज को छोड़कर) का अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नानुसार निर्धारण किया गया है :

i. ब्याज-प्राप्त करने वाली प्रतिभूतियों के संदर्भ में इसे बिक्री/शोधन के समय निर्धारण किया गया है।

ii. शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर, इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.6 जहाँ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्घ होता है वहाँ लाभांश को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.7 (i) आस्थगित भुगतान गारंटियों पर गारंटी कमीशन का आकलन गारंटी की पूरी अवधि के लिए किया गया है और (ii) सरकारी व्यवसाय पर कमीशन एवं एटीएम इंटरचेज फीस का निर्धारण प्रोद्भवन आधार पर किया गया है; और (iii) पुनर्संरचित खातों पर एकमुश्त फीस जिसे पुनर्संरचना अवधि के दौरान प्रभावित किया गया है, इन तीनों को छोड़कर अन्य सभी कमीशन और शुल्क - आय का निर्धारण वसूली के बाद किया गया है।

1.8 विशेष गृह ऋण योजना (दिसंबर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत भुगतान किया गया एक बारगी बीमा प्रीमियम ऋण की 15 वर्षों की औसत ऋण अवधि में परिशोधित किया गया है।

1.9 बांड जारी करने/जमाराशियों के संबंध में भुगतान/वहन की गई दलाली, कमीशन आदि को संबंधित बांडों/जमाराशियों की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है और निर्गम के संबंध में उठाए गए खर्च को प्रारंभ में ही प्रभारित कर दिया गया।

1.10 एनपीए की बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अनुसार हिसाब में ली गई है:

i बैंक जब भी अपनी वित्तीय आस्तियों की बिक्री प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनी (आर सी) को बिक्री करता है, तो उन्हें बहियों से हटा दिया जाता है।

ii यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीची) (अर्थात प्रावधान राशि घटाने के बाद बही मूल्य) से कम मूल्य पर की जाती है, तो मूल्य में आई कमी की राशि को बिक्री वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में बिक्री वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में नामें कर दिया जाता है।

iii यदि यह बिक्री एनबीवी से अधिक मूल्य पर हो, तो अतिरिक्त प्रावधान राशि को प्राप्ति वर्ष में रिवर्स कर दिया जाता है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैकं द्वारा अनुमत किया गया है।

1.11 **गैर-बैंकिंग इकाइयाँ**

मर्चेंट बैंकिंग:

क. ग्राहक के साथ हुए करार के अनुसार निर्गम-प्रबंधन और परामर्श शुल्क प्रभाव अंतरण को घटाकर शामिल किया गया है।

ख. सुपुर्द नियत-कार्य के पूरा होने के बाद निजी नियोजन शुल्क को शामिल किया गया है।

ग. शेयर दलाली कार्यकलाप से संबंधित दलाली आय को लेनदेन करने की तिथि पर शामिल किया गया है और उसमें स्टाम्प शुल्क एवं लेनदेन संबंधी व्यय शामिल हैं तथा योजना के लिए दी गई प्रोत्साहन राशियाँ शामिल नहीं है।

घ. सार्वजनिक निर्गमों से संबंधित कमीशन को सार्वजनिक निर्गम के आबंटन की प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात बिचौलियों से सूचना प्राप्त होने पर लेखे में लिया गया है।

ड. सार्वजनिक निर्गम/म्यूचुअल फंड/अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित दलाली आय को ग्राहकों/बिचौलियों से राशि और सूचना प्राप्त होने के बाद लेखे में लिया गया है।

च. निक्षेपागार आय - वार्षिक अनुरक्षण प्रभार प्रोद्भवन आधार पर शामिल किए गए हैं और लेनदेन प्रभार लेनदेन की संव्यवहार तिथि को शामिल किए गए हैं।

आस्ति प्रबंधन:

क. संबंधित योजनाओं में सहमत विशिष्ट दरों पर प्रबंधन शुल्क को आय में शामिल किया गया है। इन दरों को प्रत्येक योजना की निवल आस्ति के दैनिक औसत आधार पर लगाया गया है (इसमें जहाँ लागू हो अंतर-योजना विनिधान और संबंधित योजनाओं में कंपनी द्वारा किए गए विनिधानों को नहीं शामिल किया गया है) और यह सेबी (म्यूचुअल-फंड) विनियम 1996 द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप है।

ख. संविदा शर्तों के अनुसार, संविभाग सलाहकारी सेवा और संविभाग प्रबंधन सेवा से प्राप्त आय को प्रोद्भवन आधार पर शामिल किया गया है।

ग. प्रतिस्थापन अधिकार के अंतर्गत कंपनी द्वारा अभिगृहीत योजनाओं के अंतरित निवेशों की वसूली प्राप्ति आधार पर लेखे में ली गई है। निधिक गारंटित योजनाओं से होने वाली वसूली को प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में माना गया है।

घ. योजना व्यय: निर्धारित दरों से अधिक योजना व्ययों और नई फंड पेशकश से संबंधित व्ययों को सेबी (म्यूचुअल फंड विनियमन, 1996 की अपेक्षाओं के अनुसार लाभ और हानि खाते में उसी वर्ष में शामिल किया गया है जिसमें वे वहन किए गए।

ङ असीमित अवधि वाली ईक्विटी संबद्ध कर बचत योजनाओं और सुव्यवस्थित निवेश योजनाओं (एसआईपी) से संबंधित निवेशों पर प्रदत्त दलाली तथा/अथवा प्रोत्साहन राशि को 36 महीनों की अवधि के दौरान और अन्य योजनाओं के मामले में क्लो बैक अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है। सीमित अवधि वाली योजनाओं के मामले में, दलाली की राशि को योजनाओं की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है।

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

क. सदस्यता ग्रहण शुल्क केवल सदस्यता ग्रहण का अधिकार प्रदान करती है और न कि अन्य कोई अधिकार/विशेषाधिकार और इसलिए प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ख. विनिमय आय को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ग. कुल अनिर्धारित प्राप्तियों को, जिन्हें पूर्ण एवं सही सूचना के अभाव में ग्राहकों के खातों में जमा या समायोजित नहीं किया जा सका, तुलन-पत्र में देयता के रूप में समझा गया है। अपलिखित किए गए खातों वाले ग्राहकों के संबंध में 6 महीने से अधिक और 3 वर्षों तक की अनुमानित अनिर्धारित प्राप्तियों को तुलन-पत्र की तिथि को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है। इसके अतिरिक्त, 3 वर्षों से अधिक की समाधान नहीं हुई अनिर्धारित प्राप्तियों को भी तुलन-पत्र की तिथि को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है। तीन वर्षों से अधिक के गतावधि वाले चेक की देयता को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है।

घ. सभी अन्य आय/सेवा शुल्क संबंधित लेनदेन के समय दर्ज किए गए हैं।

फैक्टरिंग :

फैक्टरिंग प्रभार कंपनी द्वारा निर्धारित लागू दरों पर ऋणों की फैक्टरिंग पर उपचित हुए हैं। प्रक्रिया प्रभारों को तभी आय के रूप में शामिल किया गया है जब प्रलेखों के निष्पादन के पश्चात इसके प्राप्त होने की पर्याप्त निश्चितता हो। सभी सक्रिय मानक खातों के संबंध में सुविधा निरंतरता शुल्क (एफसीएक) की गणना की गई है और अगले सम्पूर्ण वित्त वर्ष के लिए उसे मई महीने में प्रभारित किया गया है। एक मई को एफसीएफ के प्रोद्भवन की तिथि के रूप में समझा गया है।

जीवन बीमा:

क. पॉलिसी धारकों से देय होने पर, असंबद्ध व्यवसाय प्रीमियम (सेवाकर को घटाने के बाद) को आय के रूप में लिया जाता है। संबद्ध व्यवसाय के मामले में एसोसिएटेड इकाइयों के

आबंटन के समय प्रीमियम आय का निर्धारण किया जाता है। विभिन्न बीमा उत्पादों के मामले में प्रीमियम आय उस तारीख से आय के रूप में लिया जाता है, जिस तारीख से पॉलिसी मूल्य जमा किया जाता है। कालातीत पॉलिसियों को जब तक पुन:प्रवर्तित नहीं किया जाता, तब तक ऐसी पॉलिसियों के वसूल न किए गए प्रीमियम को हिसाब में नहीं लिया जाता है।

ख. टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप में समझा गया है।

ग. संबद्ध निधियों से आय; जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, पॉलिसी प्रबंधन प्रभार, मृत्यु प्रभार आदि शामिल है; पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूल किए गए हैं और वसूली होने पर शामिल किए हैं।

घ. पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम को पुनर्बीमाकर्ता के साथ हुई संधि अथवा सैद्धांतिक व्यवस्था की शर्तों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

ङ. दिए गए लाभ:

- जहाँ प्रयोज्य हो, दावा-व्यय में पॉलिसी लाभ एवं दावा निपटान व्यय शामिल होते हैं।
- मृत्यु और अनुवृद्धि से संबंधित दावों की सूचना प्राप्त होने पर उन्हें हिसाब में लिया जाता है। अवधि के अंत की सूचनाओं पर ऐसे दावों की गणना के लिए विचार किया जाता है।
- परिपक्वता से संबंधित दावों को पॉलिसी की परिपक्वता तिथि को हिसाब में लिया जाता है।
- उत्तरजीविता और वार्षिकी लाभों की गणना उस समय की जाती है, जब वे देय होते हैं।
- अभ्यर्पणों को सूचित किए जाने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों में व्यपगत पॉलिसियों पर देय राशि सम्मिलित होती है और इसे देय होने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों और पॉलिसी व्यपगत होने का प्रकटीकरण वसूली योग्य प्रभारों को घटाकर किया जाता है।
- न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत विवादित दावों का उनके द्वारा निराकृत करने पर प्रबंधन के विवेकानुसार इन दावों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करके निपटान करने के लिए प्रावधान किया गया है।
- पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूल की जाने वाली राशियों को संबंधित दावों की अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है और उन्हें दावों से घटाया जाता है।

च. कमीशन जैसे अधिग्रहण खर्च, चिकित्सा शुल्क आदि ऐसे खर्च हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकृत बीमा संविदाओं के आधिग्रहण से संबंधित होते हैं और इनका भुगतान व्यय के समय ही कर दिया जाता है।

छ. **बीमा पालिसियों के लिए देयता** : सभी जीवन बीमा पालिसियों की बीमांकिक देयता की गणना - बीमा अधिनियम 1938 और आईआरडीए द्वारा जारी नियमों व विनियमों और परिपत्रों के अनुसार तथा इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चूअरीज़ ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित मार्गदर्शी नोटों के अनुसार - नियुक्त किए गए बीमांकनकर्ता द्वारा की जाती है।

गैर-संबद्ध व्यवसाय के संबंध में देयता की गणना भावी सकल प्रीमियम मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करके की जाती है। वर्तमान और भावी अनुभव को ध्यान में रखते हुए भावी अनुमानों के आधार पर एक सुनिश्चित देयता की गणना की जाती है। संबद्ध व्यवसाय से संबंधित इकाई देयता को मूल्यन तिथि को लागू निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) का उपयोग करके पॉलिसी धारकों के नाम में विद्यमान इकाइयों के मूल्य के अनुरूप लिया जाता है। विभिन्न बीमा पॉलिसियों का मूल्यांकन यूएलआईपी व्यवसाय का मूल्यांकन पद्धति के अनुरूप ही किया जाता है कारण कि पॉलिसी धारक के खाते में पड़ी हुई जमा राशि को और खर्च पूरा करने के लिए खर्चों की पर्याप्तता के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान को देयता के रूप में समझा जाता है।

साधारण बीमा :

क. प्रत्यक्ष व्यवसाय और स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम (पुनर्नियोजन प्रीमियम सहित) को सेवा कर घटाने के बाद 1/365 पद्धति के अनुसार सकल आधार पर संविदा अवधि या जोखिम अवधि, जो भी उपयुक्त हो, में आय के रूप में दिखाया गया है। प्रीमियम में होने वाले अन्य अनुवर्ती संशोधन को शेष जोखिम

अवधि या संविदा अवधि के प्रीमियम के रूप में दिखाया गया है। पॉलिसियों के रद्द होने से प्रीमियम आय में होने वाले समायोजनों को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह रद्द की गई है।

ख. बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि में आय के रूप में दिखाया गया है जिस अवधि में पुनर्बीमा जोखिम बंद की गई है। पुनर्बीमा संधियों के अंतर्गत लाभ कमीशन, जहां कहीं लागू हो, को लाभ के अंतिम निर्धारण वाले वर्ष में आय के रूप में दिखाया गया है, जिस प्रकार पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सूचित किया गया है और उसे बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन के साथ रखा गया है।

ग. बंद की गई आनुपातिक पुनर्बीमा पॉलिसी के संबंध में, बंद की गई पुनर्बीमा पॉलिसी की लागत जोखिम की शुरुआत होने के आधार पर उपचित हुई है। गैर/आनुपातिक पुनर्बीमा लागत को देय होने के समय दिखाया गया है। गैर आनुपातिक पुनर्बीमा लागत को पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के अनुसार हिसाब में लिया गया हैं। अन्य कोई अनुवर्ती संशोधन होने पर, प्रीमियमों को वापस या निरस्त करने को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह देय होता है।

घ. पुनर्बीमा प्राप्य स्वीकृतियों को बीमाकर्ताओं से वापस प्राप्त मात्रा में हिसाब में लिया गया है।

ङ अधिग्रहण लागतें जैसे कमीशन, पॉलिसी निर्गम व्यय आदि ऐसी लागतें हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकरण व्यवसाय संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित हैं और उस अवधि में व्यय की गई हैं जिसमें वे उपस्थित हुई हैं। अधिग्रहण लागत निर्धारण मुख्यतया लागतों और बीमा संविदाओं के निष्पादन (अर्थात जोखिम की शुरुआत) के आधार पर किया जाता है।

च. दावे को नुकसान होने की सूचना प्राप्त होने पर दिखाया गया है। तुलनपत्र को देय बकाया दावों से संबंधित प्रावधान में से पुनर्बीमा, अवशिष्ट मूल्य और प्रबंधन द्वारा अनुमानित अन्य वसूलियों को घटाया गया है।

छ. दावा संबंधी देयताएं जो किसी लेखा जिनके लिए उपचित हो गई हैं परंतु :

- जिसे लेखा अवधि की समाप्ति से पूर्व सूचित या दावा नहीं किया गया है (आईबीएनआर) या

- पर्याप्त रूप से सूचित नहीं की गई है (अर्थात इस टिप्पणी के साथ सूचित की गई कि संभावित दावा राशि का एक उचित अनुमान लगाने के लिए सूचना अपर्याप्त के साथ सूचित की गई है) (आईबीएनईआर) से संबंधित प्रावधान वह राशि है जो आईआरडीए की सहमति से भारतीय बीमांकिक सोसायटी द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणियों और इस संबंध में आईआरडीए द्वारा जारी अन्य निर्देशों के अनुसार बीमांकिक सिद्धांतों के आधार पर नियुक्त बीमांकनकर्ता/परामर्शी बीमांकनकर्ता द्वारा निर्धारित की गई है।

अभिरक्षा एवं निधि लेखांकन सेवाएं :

आय का निर्धारण उस सीमा तक किया गया है कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है और इस आय का विश्वासपूर्वक मापन किया जा सकेगा।

पेंशन निधि परिचालन :

प्रबंधन शुल्क को कंपनी और एनपीएस न्यासियों के बीच हुए निवेश प्रबंधन करार (आईएमए) के अनुसार तैयार की गई संबद्ध योजनाओं में प्रत्येक योजना की दैनिक निवल आस्तियों के आधार पर शामिल किया गया है। यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है। कंपनी सेवा कर को घटाकर लेखों में आय प्रस्तुत करती है।

न्यासी परिचालन :

म्यूचुअल फंड ट्रस्टीशिप फीस का निर्धारण संबंधित योजनाओं के लिए सहमत की गई विशिष्ट दरों पर किया गया है और प्रत्येक योजना की औसत दैनिक निवल आस्तियों के आधार पर लागू की गई है (अंतर योजना निवेश, स्थायी जमाराशियों में निवेश, आस्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा किए गए निवेश और आस्थगित राजस्व व्यय, जहाँ कहीं लागू हो को छोड़कर), तथा सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 के अंतर्गत निर्दिष्ट की गई सीमाओं के अनुरूप है।

कारपोरेट ट्रस्टीशिप एक्सेप्टेंस फीस का निर्धारण ट्रस्टीशिप असाइनमेंट की स्वीकृति या के निष्पादन, जो भी पहले हो, पर किया गया है। कारपोरेट ट्रस्टीशिप सेवा प्रभार ग्राहकों के साथ हुए ट्रस्टीशिप संविदाओं/करारों के अनुसार निर्धारित/प्रोद्भूत किए गए हैं।

2. निवेश

सरकारी प्रतिभूति लेनदेन 'सेटलमेंट डेट' को दर्ज किए गए हैं। सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य प्रतिभूतियों में किए गए निवेश "क्रय-विक्रय तिथि" को दर्ज किए गए हैं।

2.1 वर्गीकरण

निवेशों को 3 श्रेणियों यथा - "परिपक्वता तक रखे गए", "विक्रय के लिए उपलब्ध" और "व्यवसाय के लिए रखे गए" में वर्गीकृत किया गया है।

2.2 वर्गीकरण का आधार :

i. उन निवेशों को 'परिपक्वता तक रखे गए' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें बैंक द्वारा परिपक्वता तक रखा जाता है।

ii. उन निवेशों को 'व्यवसाय के लिए रखे गए' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर सिद्धांतत: पुनर्विक्रय हेतु रखा जाता है।

iii. जिन निवेशों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. प्रत्येक निवेश को इसके क्रय के समय 'परिपक्वता तक रखे गए', 'विक्रय के लिए उपलब्ध' या 'व्यवसाय के लिए रखे गए' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और उसके पश्चात श्रेणियों में परस्पर परिवर्तन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

2.3 मूल्य-निर्धारण :

क. बैंकिंग व्यवसाय

i. किसी निवेश की अधिग्रहण लागत का निर्धारण करने में:

क. अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।

ख. निवेशों के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर आदि का उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है ।

ग. ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय मद के रूप में माना गया है और इन्हें लागत/बिक्री प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

घ. एएफएस और एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत निवेश की लागत का निर्धारण समूह इकाइयों की भारित औसत लागत प्रणाली के आधार पर और एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की लागत का निर्धारण एसबीआई द्वारा (पहले आए पहले जाए) आधार पर और अन्य समूह इकाइयों द्वारा भारित औसत लागत प्रणाली के आधार पर किया गया है।

ii. प्रतिभूतियों को एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में अंतरण, अंतरण की तिथि पर अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, इन तीनों में से न्यूनतम आधार पर किया गया है और ऐसे अंतरण पर हुआ मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है। तथापि, एचटीएम श्रेणी में अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य पर किया गया है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया और परिणामी मूल्यह्रास यदि कोई हो, तो उसके लिए प्रावधान किया गया है।

iii. राजस्व बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्य-निर्धारण **रखाव-लागत** आधार पर किया गया है ।

iv. **परिपक्वता तक रखे गए श्रेणी** : परिपक्वता तक रखे गए श्रेणी के अंतर्गत निवेश जब तक अंकित मूल्य से अधिक न हो, अधिग्रहण लागत आधार पर लिए गए हैं जिसमें प्रीमियम का परिशोधन स्थायी लागत आधार पर शेष परिपक्वता अवधि में किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को 'निवेशों पर ब्याज' शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति समायोजित किया गया है। अस्थायी निवेशों को छोड़कर प्रत्येक निवेश हेतु पृथक - पृथक रूप से ह्रास के लिए प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किए गए विनिधानों का मूल्यन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक-23 के अनुसार ईक्विटी लागत पर किया गया है।

v. **विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए रखी गई श्रेणियाँ**: एएफएस और एचएफटी श्रेणियों में रखे गए विनिधानों का पृथक-पृथक रूप से बाजार मूल्य या **विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित** उचित मूल्य के आधार पर पुनर्मूल्यन किया गया है, और प्रत्येक श्रेणी (अर्थात (i) सरकारी प्रतिभूतियों, (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, (iii) शेयर, (iv) बांड एवं डिबेंचर, (v) अनुषंगियां एवं संयुक्त उद्यम; और (vi) अन्य) के लिए केवल निवल मूल्यह्रास हेतु प्रावधान किया गया है तथा निवल मूल्यवृद्धि को लेखे

में नहीं लिया गया है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान होने पर, बाजार के लिए अलग करने के बाद प्रत्येक प्रतिभूति का मूल्य अपरिवर्तित रहा।

vi. यदि आस्ति प्रतिभूतिकरण कंपनी (एआरसी) को प्रतिभूति रसीदों के निर्गम के आधार पर एनपीए (वित्तीय) आस्तियाँ) की बिक्री की जाती है, तो प्रतिभूति रसीदों के निवेश का निर्धारण वित्तीय आस्ति के निवल में बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात बही मूल्य में से प्रावधान घटाकर) और प्रतिभूति रसीदों के मोचन मूल्य से कम मूल्य पर किया जाता है, और एससी/एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यन गैर-एसएलआर लिखतों के लिए लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, जिन मामलों में एससी/एआरसी द्वारा प्रतिभूति रसीदें संबंधित योजना में लिखतों को समनुदेशित की गई वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली राशि तक ही जारी की गई हो, उन मामलों में ऐसे लिखतों के मूल्यांकन हेतु निवल आस्ति मूल्य, एससी/एआरसी से प्राप्त को ध्यान में रखा गया है।

vii. देशीय कार्यालयों/इकाइयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों इकाइयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर निवेशों को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशीय इकाइयों कार्यालयों के निवेश निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं :

क. ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और यह 90 दिनों से अधिक अवधि से बकाया है।

ख. ईक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी के शेयरों को ₹1 प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे ईक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा ।

ग. यदि जारीकर्ता द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक - बही में अनर्जक आस्ति हो गई है, तो ऐसी स्थिति में उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में विनिधान को और जारीकर्ता द्वारा निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

घ. उपर्युक्त, शर्त आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगी, जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

ङ ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जिन्हें अग्रिम की प्रकृति के निवेश माना जाता है, उन पर अनर्जक निवेश के वही मानदंड लगेंगे जो निदेशों पर लागू होते हैं ।

च. विदेशी कार्यालयों के अनर्जक निवेश के संबंध में प्रावधान-स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों में से जो अधिक हो, उसके अनुसार किया गया है ।

viii. रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन के लिए लेखा प्रणाली (भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत आने वाले लेनदेन को छोड़कर)

(क) रेपो/रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची/खरीदी गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋणान्वयन और उधार देने संबंधी लेनदेन के रूप में लेखे में लिया गया है। तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्य एकमुश्त विक्रय/क्रय लेनदेन की तरह किया गया है और प्रतिभूतियों के मूल्य के ऐसे घट-बढ़ को रेपो/रिवर्स रेपो खातों और प्रति-प्रविष्टि का उपयोग करते हुए दर्शाया गया है। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है और आय को ब्याज व्यय/आय के रूप में जैसी भी स्थिति हो, लेखे में लिया गया है। रेपो खाते के शेष को अनुसूची-4 (उधारियाँ) और रिवर्स रेपो खाते के शेष को अनुसूची-7 (बैंकों में जमा और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य राशि) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय/विक्रय की गई प्रतिभूतियों को निवेश खाते में नामे/जमा किया गया है और उनको लेनदेन की परिपक्वता की तिथि पर प्रतिवर्तित किया गया है । उन पर व्यय/अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है ।

ख. बीमा व्यवसाय

जीवन और साधारण बीमा अनुषंगियों के मामले में निवेश बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर जारी विभिन्न अन्य परिपत्रों या अधिसूचनाओं के अनुसार किए गए हैं।

(i) गैर-संबद्ध बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन :-

- सरकारी प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों का अवधिगत लागत के आधार पर परिशोधन के अध्यधीन उल्लेख किया गया है।
- सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों का तुलन पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (‘एनएसई’) या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, मुंबई (‘बीएसई’) पर बाजार बंद होने के समय उद्घृत आखिरी मूल्य में से निचले मूल्य को शामिल किया जाता है।
- प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के मामले में, उधार दिए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन यथा उल्लिखित इक्विटी शेयरों की मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है। असूचीबद्ध प्रतिभूतियों का आंकन परंपरागत लागत पर किया गया है।
- म्यूचुअल फंड यूनिटों में निवेश का जीवन बीमा में पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर और साधारण बीमा में तुलन पत्र की तारीख को मूल्यांकन किया गया है।
- वैकल्पिक निवेश निधियों के निवेश का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध एनएवी के आधार पर किया गया है।
- शेयरधारकों के निवेशों और गैर-संबद्ध पॉलिसीधारकों के निवेशों के संबंध में सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण होने वाले अवसूल लाभ या हानियाँ ‘‘आय और अन्य आरक्षितियाँ (अनुसूची 2)’’ में और ‘‘बीमा व्यवसाय में पॉलिसीधारकों से संबंधित देयताएँ (अनुसूची 5)’’ क्रमश: तुलन पत्र में लिए जाते हैं।

(ii) संबद्ध व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन :-

- एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (‘क्रिसिल’) से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है सिवा भारत सरकार के स्क्रिपों के जिनका मूल्यांकन निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरीवेटिव) संघ (एफआईएमएमडीए) से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है। एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रिसिल बांड वैल्युअर के आधार पर किया जाता है। एक वर्ष या उससे कम की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी और अन्य ऋण प्रतिभूतियों की अपरिशोधित और औसत लागत को प्रतिभूतियों की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है। ऐसे मूल्यांकन से होने वाले अवसूल लाभ या हानियों को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।
- सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों का तुलन पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया जाता है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (‘एनएसई’) के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्धृत मूल्य का उपयोग किया जाता है। एनएसई में सूचीबद्ध न किए गए ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बीएसई के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्धृत मूल्य पर किया जाता है।

- प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के मामले में, उधार दिए गए ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन ईक्विटी शेयरों की मूल्यन नीति के अनुसार किया जाता है, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है।
- म्यूचुअल फंड यूनिटों में किए गए निवेशों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है।
- असूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों का आंकन परंपरागत लागत आधार पर किया गया है।
- ईक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण होने वाले अवसूल लाभों या हानियों को लाभ और हानि खाते में दिखाया जाता है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान

3.1 ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है । ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँ:

i. सावधि ऋणों के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है;

ii. ओवरड्राफ्ट या नकदी-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता ''असंयत'' (''आउट ऑफ आर्डर'') रहता है, अर्थात यदि बकाया शेष राशि लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा /आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या कोई राशि तुलनपत्र की तिथि को लगातार 90 दिनों के लिए जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;

iv. कृषि अग्रिमों के संबंध में, (क) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल-ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं; और (ख) कृषि अग्रिमों के संबंध में, अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं।

3.2 अनर्जक आस्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अव-मानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

i. अव-मानक : ऐसी कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रही है ।

ii. संदिग्ध : ऐसी कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अव-मानक श्रेणी में रही है ।

iii. हानिप्रद : ऐसी कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि का पता चल गया है किंतु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है ।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, पर इसमें निम्नलिखित निर्धारित न्यूनतम प्रावधान मानदंडों को ध्यान में रखा गया है:

अव-मानक आस्तियाँ :	i.	कुल बकाया राशि पर 15% का सामान्य प्रावधान
	ii.	उन ऋण जोखिमों के लिए, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य शुरू से ही 10% से अधिक नहीं है)
	iii.	इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण खातों में अप्रतिभूत राशि जिसमें कतिपय रक्षोपाय जैसे एस्क्रो खाते उपलब्ध हैं - 20%
संदिग्ध आस्तियाँ :		
- प्रतिभूत भाग :	i.	एक वर्ष तक - 25%
	ii.	एक से तीन वर्ष तक - 40%
	iii.	तीन वर्ष से अधिक - 100%
- अप्रतिभूत भाग :		100%
हानिप्रद आस्तियाँ :		100%

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के ऋण और अग्रिम खातों का वर्गीकरण तथा अनर्जक अग्रिमों के संबंध में प्रावधान स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में से जो अधिक कठोर था, के अनुसार किए गए हैं।

3.5 अग्रिम कतिपय ऋण हानि प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटाकर दर्शाए गए हैं।

3.6 पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान करने के अलावा, पुनर्संरचना से पूर्व और के बाद ऋण के उचित मूल्य की अंतर राशि के लिए प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त के कारण, उचित मूल्य में हुई कमी और त्याग किए गए ब्याज के प्रावधान को अग्रिमों में से घटाया गया है।

3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक आस्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है ।

3.8 पूर्ववर्ती वर्षो में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों की वसूली गई राशि को आय के रूप में दिखाया गया है।

3.9 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची-5 के 'अन्य देयताएं एवं प्रावधान - अन्य' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए हैं और निवल अनर्जक आस्तियां निकालने के लिए इन पर विचार नहीं किया गया है।

4. अस्थायी प्रावधान

बैंक में अग्रिमों, विनिधानों और सामान्य प्रयोजन के लिए अलग-अलग अस्थायी प्रावधान करने और उनका उपयोग करने की अनुमोदित नीति लागू है। सृजित किए जाने वाले अस्थायी प्रावधानों की राशि का प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में आकलन किया जाता है। अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से इस नीति में निर्दिष्ट की गई असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आने वाली आकस्मिकताओं के लिए ही किया गया है।

5. बैंकिंग इकाइयों के लिए देशवार ऋण-जोखिम संबंधी प्रावधान

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए कतिपय प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है, तथा यह प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 में ''अन्य देयताएं एवं प्रावधान-अन्य'' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरीवेटिव्स :

6.1 बैंक तुलनपत्र के/तुलनपत्र के बाहर की आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए अथवा व्यापार प्रयोजनों हेतु विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर विनिमय, मुद्रा विनिमय और परस्पर मुद्रा ब्याज दर विनिमय तथा वायदा दर करार जैसी डेरीवेटिव्स संविदाएं करता है। तुलनपत्र की आस्तियों एवं देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए की गई विनिमय संविदाओं की रूपरेखा इस ढंग से तैयार की जाती है कि वे तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों के साथ प्रतिकूल एवं क्षतिपूर्ति प्रभाव को सहन कर सकें। ऐसे डेरीवेटिव्स लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव के साथ जुड़ा हुआ है और इसे प्रतिरक्षा लेखा सिद्धांतों के अनुसार लेखों में लिया गया है।

6.2 प्रतिरक्षा के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव्स संविदाएं प्रोद्भूत आधार पर दर्ज की गई हैं। जब तक अंतर्निहित आस्तियों/देयताओं को भी बाजार मूल्य पर बही में शामिल नहीं कर दिया जाता, तब तक प्रतिरक्षा संविदाओं को बाजार मूल्य पर बही में शामिल नहीं किया जाता है।

6.3 उपर्युक्त को छोड़कर, अन्य सभी डेरीवेटिव्स संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यत: स्वीकृत प्रथाओं के अनुसार बाजार मूल्य पर बही में शामिल की गई हैं। बाजार मूल्य पर बही में शामिल किए गए डेरीवेटिव्स संविदाओं के संबंध में, बाजार मूल्य में हुए परिवर्तनों

को परिवर्तन की अवधि से लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है। डेरीवेटिव्स संविदाओं के अधीन प्राप्त होने वाली कोई भी राशि 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय होती है, तो उसे लाभ और हानि खाते के जरिए ''उचंत परिणत प्राप्य राशि खाते'' में प्रतिवर्तित किया जाता है। यदि डेरीवेटिव संविदाओं में भविष्य में और अधिक निपटारे का प्रावधान है और यदि डेरीवेटिव संविदा अतिदेय प्राप्य राशि का 90 दिन तक भुगतान प्राप्त न होने पर समाप्त नहीं की जाती है तो भविष्य में प्राप्त राशियों की बाजार मूल्य पर बहियों में अंकित घनात्मक राशि को लाभ और हानि खाते से ''उचंत बाजार मूल्य घनात्मक राशि खाते'' में प्रतिवर्तित किया जाता है।

6.4 प्रदत्त या प्राप्त विकल्प प्रीमियम को विकल्प की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में दर्ज किया गया है। बेचे गए विकल्पों पर प्राप्त प्रीमियम और खरीदे गए विकल्पों पर प्रदत्त प्रीमियम के शेष को फॉरेक्स ओवर दि काउंटर विकल्पों के बाजार मूल्य निकालने हेतु शामिल किया गया है।

6.5 एक्सचेंज में क्रय-विक्रय किए गए डेरीवेटिव्ज तथा व्यापार के उद्देश्य से किए गए ब्याज दर वायदा सौदों को एक्सचेंज द्वारा दी गई दरों के आधार पर प्रचलित बाजार दरों पर मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

7. **अचल आस्तियां मूल्यह्रास और परिशोधन**

7.1 अचल आस्तियों का संचित मूल्यह्रास से कम लागत पर अंकन किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागत और व्यावसायिक शुल्क तथा आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई फीस शामिल हैं। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को/इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं।

7.3 एसबीआई के मामले में इस देशीय परिचालन के संबंध में मूल्यह्रास की दरें और मूल्यह्रास दर्शाने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है:

1	कंप्यूटर	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग है	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
3	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है और सॉफ्टवेयर विकसित करने का खर्च	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
4	ऑटोमेटेड टैलर मशीन/कैश डिपॉजिट मशीन/ क्वाइन डिस्पेंसर/क्वाइन वेंडिंग मशीन	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
5	सर्वर	सीधी रेखा पद्धति	25.00% प्रति वर्ष
6	नेटवर्क उपकरण	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
7	अन्य अचल आस्तियां	सीधी रेखा पद्धति	आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर। प्रमुख अस्थायी आस्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार रहता है:
			परिसर - 60 वर्ष वाहन - 5 वर्ष जमा सुरक्षा लॉकर - 20 वर्ष फर्नीचर व फिक्सचर - 10 वर्ष

7.4 वर्ष के दौरान देशीय परिचालनों के लिए प्राप्त की गई आस्तियों के संबंध में, वर्ष के दौरान आस्ति को काम में लिए गए दिनों के लिए यथानुपातिक आधार पर मूल्यह्रास लगाया गया है।

7.5 ऐसी मदें जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1,000 से कम हो, उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि हो, तो को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराया उसी वर्ष के खर्च के रूप में दर्शाया गया है।

7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है।

7.8 विदेशी कार्यालयों/इकाइयों द्वारा धारित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

8. पट्टे:

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंडों का उपर्युक्त अनुच्छेद 3 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार इन वित्तीय पट्टों में भी प्रयोग किया गया है।

9. आस्तियों की अपसामान्यता

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की अग्रानीत राशि की वसूली संदिग्ध है, तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्ति की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति के अग्रानीत मूल्य की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है, तो लेखे में दर्शाई जानेवाली अपसामान्यता का माप उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति के अग्रानीत मूल्य और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव

10.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है ।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडई) की अंतिम तत्काल दरों के प्रयोग से दी गई है ।

iii. विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दर के प्रयोग से दी गई है ।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना फेडई की अंतिम तत्काल दर के प्रयोग से की गई है ।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वताओं के लिए फेडई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरें आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, के आय या व्यय के रूप में दिखाया गया है।

viii. खुले विकल्प वाले मुद्रा वायदा लेनदेन में विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ/हानि को एक्सचेंज क्लिअरिंग हाउस के साथ दैनिक आधार पर निपटान किया गया है और ऐसे लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं/इकाइयों और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन:

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को फेडई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर विनिमय किया गया है।

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय का फेडई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत की अंतिम दर पर विनिमय किया गया है।

iii. निवल विनिधान के निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिती में किया गया है।

iv. विदेशी कार्यालयों/अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों की विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई आस्तियों एवं देयताओं का विदेशी कार्यालयों/अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों की स्थानीय मुद्रा के अलावा उस देश के लिए लागू हाजिर दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में विनिमय किया गया है।

ख. समाकलित परिचालन:

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को फेडई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है ।

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रानीत विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के प्रयोग से की गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ:

11.1 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, आकस्मिक अवकाश आदि की बट्टारहित राशि को, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

11.2 नौकरी उपरांत हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजना

क. बैंक एक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है। बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता हैं। इस अंशदान को इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जात है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो, तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रबंध किया जाता है।

ख. समूह की कंपनियाँ, ग्रेच्युटी, पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करती हैं।

ग. समूह की कंपनियाँ, सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करती हैं। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने अथवा नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है । यह राशि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य राशि, जो ₹10 लाख की अधिकतम राशि के अध्यधीन होगी, से अधिक नहीं होनी चाहिए । यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का वार्षिक अंशदान स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

घ. समूह की कुछ कंपनियाँ सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करती हैं। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक

भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और पेंशन का यह नियमित भुगतान कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। यह हितलाभ नियमानुसार विभिन्न चरणों में प्राप्त होता है। कंपनियाँ इस राशि का वार्षिक अंशदान स्वतंत्र बाह्य वास्तविक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करती हैं।

ङ नियत हितलाभ प्रावधान लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर वास्तविक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया गया है। वास्तविक लाभ/हानि को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

ii. नियत अंशदान योजनाएं

बैंक 1 अगस्त, 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा में शामिल हुए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है, और बैंक की सेवा में आने वाले ऐसे नए अधिकारियों/कर्मचारियों को विद्यमान एसबीआई पेंशन योजना के सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं बनाया जा रहा है। इस योजना के अनुसार संबंधित कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% इस योजना में अंशदान करता है और साथ में उतनी ही राशि बैंक द्वारा अंशदान की जाती है। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक, इन अशदानों की राशि को बैंक में जमाराशियों के रूप में रखा जाता है और भविष्य निधि शेष के चालू खाते में लागू होने वाली दर से इस राशि पर ब्याज अर्जित होता है। बैंक इन अंशदानों और इन पर दिए जाने वाले ब्याज को संबंधित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या की प्राप्ति पर, समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ :

क. समूह का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थितियों, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा रियायत सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है । इस प्रकार की दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत का वित्तपोषण समूह इकाइयों द्वारा आंतरिक स्तर पर किया गया है।

ख. अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया गया है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों में नियोजित कर्मचारियों से संबंधित कर्मचारी लाभ का मूल्यांकन किया गया है और उसे संबंधित स्थानीय कानूनों/विनियमों के अनुसार लेखे में लिया गया है।

12. आय पर कर

समूह द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर तथा आस्थगित कर प्रभार की कुल राशि आय कर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 तथा लेखा मानक 22, जो आय पर कर के लेखा से संबन्धित है, ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं तें हुए परिवर्तन भी समाविष्ट है। आस्थगित कर-आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष के कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रेनित हानि के बीच के अवधिगत विभेद के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है।

आस्थगित कर आस्तियां और देयताएं को कर दर और कर नियमों द्वारा आंका जाता है जिसे तुलन-पत्र के दिन या उसके बाद अधिनियमन किया गया हो। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंधन के विवेक के आधार पर कि क्या उनकी वसूली हाने की संभावना है/होना निश्चित है।

समेकित वित्तीय विवरण में आय कर भुगतान मूल कंपनी और इसकी अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के अलग वित्तीय विवरणों में उनके लागू नियमों के अनुसार दिखाई गई कर भुगतान की कुल राशियां है।

13. प्रति शेयर आय

13.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 20 - 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना करोपरांत निवल लाभ (अल्पांश को छोड़कर) को उस वर्ष के लिए शेष ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना वाले ईक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ'' के अनुसार जारी पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही बैंक प्रावधानों का समावेश करता है, यह संभव है कि दायित्व की चुकौती में आर्थिक लाभ को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी और तभी इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन किया जा सकता है।

14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी; अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसका समावेश नहीं किया गया है, क्योंकि

क. यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा; अथवा

ख. दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है. इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त विरली परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है, को छोड़कर प्रावधान किया गया है।

14.3 बैंक के डेबिट कार्ड को दिये जाने वाले रिवार्ड पॉईंट्स के लिए प्रावधान बीमांकिक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

14.4 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

15. बुलियन लेनदेन

बैंक अपने ग्राहकों को ब्रिकी करने के लिए बुलियन आयात परेषण आधार पर करता है जिसमें बहुमूल्य धातु बार की शामिल है। आयात पूर्णतया बैक टू बैक आधार पर किए जाते हैं और आपूर्तिकर्ता द्वारा उद्धृत इस मूल्य के आधार पर ग्राहकों के लिए इसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। बैंक इस थोक बुलियन लेनदेन पर फीस अर्जित करता है। इस फीस को कमीशन आय की श्रेणी में रखा गया है। बैंक सोना जमा भी रखता है और उधार भी देता है। इन्हें यथास्थिति जमाराशियाँ अग्रिम माना जाता है और दिए गए/प्राप्त ब्याज को दिए गए ब्याज/आय की श्रेणी में रखा जाता है।

16. विशेष रिज़र्व:

आय और अन्य रिज़र्व में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) अंतर्गत सृजित विशेष सम्मिलित हैं। निदेशक बोर्ड ने एक संकल्प पारित करके रिज़र्व सृजन हेतु अनुमोदन किया है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि विशेष रिज़र्व हटाने की उनकी कोई मंशा नहीं है।

17. शेयर जारी करने के व्यय

शेयर जारी करने के व्यय शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाए गए हैं।

अनुसूची 18
लेखा-टिप्पणियाँ:

1. उन अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों की सूची जिन्हें शामिल करके समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं:

1.1 समय निम्नांकित 30 अनुषंगियों, 8 संयुक्त उद्यमों और 20 सहयोगियों (मूल संस्था भारतीय स्टेट बैंक के साथ समूह में सम्मिलित) को शामिल किया गया है। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय जिसमें 18 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वर्ष के दौरान उनके विलय/बहिर्गमन की संबंधित तारीख सेतक सम्मिलित है। :

क) अनुषंगियां

			समूह का हिस्सा (%)	
क्र सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन-देश	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	भारत	75.07	75.07
2)	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	भारत	100.00	100.00
3)	स्टेट बैंक आफ मैसूर	भारत	90.00	90.00
4)	स्टेट बैंक आफ पटियाला	भारत	100.00	100.00
5)	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	भारत	79.09	78.91
6)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
7)	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
8)	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
9)	एसबीआई कैप्स वेंचर्स लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
10)	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	भारत	71.58	71.58
11)	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
12)	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	भारत	86.18	86.18
13)	एसबीआई पेंशन फण्ड्स प्रा. लिमिटेड	भारत	92.60	92.60
14)	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेस प्रा. लिमिटेड@	भारत	65.00	65.00
15)	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.@	भारत	74.00	74.00
16)	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	100.00	100.00
17)	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	100.00	100.00
18)	स्टेट बैंक आफ इंडिया (कैलेफोर्निया)	यूएसए	100.00	100.00
19)	एसबीआई (मॉरीशस) लि.	मॉरीशस	96.60	96.60
20)	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	99.00	99.00
21)	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.	बोत्सवाना	100.00	100.00
22)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेस लिमिटाडा	ब्राजील	100.00	-
23)	एसबीआई कैप (यूके) लि.	यूके	100.00	100.00
24)	एसबीआई काड्र्स एण्ड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड @	भारत	60.00	60.00
25)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.@	भारत	63.00	63.00
26)	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.@	भारत	74.00	74.00
27)	कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी मॉस्को @	रूस	60.00	60.00
28)	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	55.10	55.10
29)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि. @	मॉरीशस	63.00	63.00
30)	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	100.00	100.00

@ ऐसी कंपनियाँ जो शेयरधारक करार के अनुसार संयुक्त नियंत्रण वाली इकाइयां हैं। फिर भी ये 'वित्तीय विवरणों का समेकन' से संबंधित एएस 21 के अनुसार समेकित की गई हैं क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक की इन कंपनियों में 50% से अधिक हिस्सेदारी है।

ख) संयुक्त उद्यम

समूह का हिस्सा (%)

क्र सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन-देश	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	सी-एज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	भारत	49.00	49.00
2)	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	भारत	40.00	40.00
3)	एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.	भारत	45.00	45.00
4)	एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा.लि.	भारत	45.00	45.00
5)	मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.	सिंगापुर	45.00	45.00
6)	मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.	बेरमुडा	45.00	45.00
7)	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-मैनेजमेंट कम्पनी प्रा. लि.	भारत	50.00	50.00
8)	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कम्पनी प्रा. लि.	भारत	50.00	50.00

ग) सहयोगी

समूह का हिस्सा (%)

क्र सं.	सहयोगी का नाम	निगमन-देश	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	35.00	35.00
2)	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
3)	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
4)	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	35.00	35.00
5)	मेघालय रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
6)	लांगपी देहांगी रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
7)	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
8)	मिजोरम रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
9)	नागालैंड रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
10)	पूर्वांचल बैंक	भारत	35.00	35.00
11)	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
12)	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
13)	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
14)	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
15)	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	26.27	26.27
16)	तेलंगाना ग्रामीणा बैंक	भारत	35.00	35.00
17)	कावेरी ग्रामीणा बैंक	भारत	31.50	31.50
18)	मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
19)	दि क्लियरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	भारत	24.42	29.22
20)	बैंक आफ भूटान लि.	भूटान	20.00	20.00

क. अप्रैल 2015 के माह में, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, जो भारतीय स्टेट बैंक की एक देशीय बैंकिंग अनुषंगी है, ने राइट इश्यू के तहत ₹10/- प्रति शेयर अंकित मूल्य के और ₹390/- प्रति शेयर प्रीमियम के हिसाब से ₹379.26 करोड़ की राशि के भारतीय स्टेट बैंक को 94,81,518 इक्विटी शेयर आबंटित किए और एसबीआई का हित बढ़कर 78.91% से 79.09% हो गया।

ख. मार्च 2016 के माह में, भारतीय स्टेट बैंक ने दि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसबीआई की एक सहयोगी संस्था) में अपने 4.80% हित को बेच दिया जिसके बाद एसबीआई का हित घटकर 26.00% से 21.20% हो गया और समूह का हित घटकर 29.22% से 24.42% हो गया।

ग. "स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना) लिमिटेड" जो एसबीआई की एक विदेशी बैंकिंग अनुषंगी है, का नाम दिनांक 1 जुलाई 2015 से बदलकर "बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड" कर दिया गया है।

घ. "स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाड़ा)" जो एसबीआई की एक विदेशी बैंकिंग अनुषंगी है, का नाम दिनांक 1 मार्च 2016 से बदलकर ''एसबीआई कनाड़ा बैंक'' कर दिया गया है।

ङ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेस लिमिटाडा, जो एसबीआई की एक विदेशी बैंकिंग अनुषंगी है, ने वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान अपने परिचालन शुरू कर दिए। इस प्रकार इसे समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

च. एसबीआई फाउंडेशन, (एक अलाभकारी कंपनी) ने 26 जून 2015 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7(2) के अंतर्गत एसबीआई की एक अनुषंगी के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया है जिससे कि समूह के सीएसआर कार्यकलापों पर ध्यान दिया जा सके। चूंकि यह एक अलाभकारी कंपनी है, इसलिए समूह के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय समेकन हेतु एसबीआई फाउंडेशन पर विचार नहीं किया गया है। अगस्त 2015 के माह में, एसबीआई ने ₹10 प्रति शेयर के अंकित मूल्य वाले 10,00,000 शेयरों के आधार पर 1 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई है।

छ. एसबीआई होम फाइनैंस लि. जो एक सहयोगी संस्था है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक का हित 25.05% है, परिसमापन के अधीन है, इसलिए समेकित वित्तीय विवरणों में इस पर विचार नहीं किया गया है।

1.2 समूह के वित्त वर्ष 2015-16 के समेकित वित्तीय विवरणों में एक अनुषंगी (एसबीआई कनाड़ा बैंक) और 8 सहयोगियों (बैंक ऑफ भूटान लि. और 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं, जिनके परिणाम ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।

2. शेयर पूंजी :

2.1 वर्ष के दौरान, एसबीआई ने भारत सरकार से ₹5393.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,970 करोड़) की आवेदन राशि प्राप्त की है जिसमें शेयर प्रीमियम के रूप में ₹5373.34 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2959.95 करोड़) शामिल हैं जो भारत सरकार को आबंटित प्रति ₹1/- के 19,65,59,390 (पिछले वर्ष 10,04,77,012) इक्विटी शेयर के अधिमानी निर्गम के तहत प्राप्त हुई है। इक्विटी शेयरों का आबंटन 29 सितंबर 2015 को किया गया।

2.2 एसबीआई ने 31 मार्च 2015 को भारत सरकार से ₹2,970 करोड़, जिसमें ₹2,959.95 करोड़ की प्रीमियम राशि शामिल है, की आवेदन राशि प्राप्त की है। यह राशि भारत सरकार को आबंटित किए गए ₹1 प्रति शेयर अंकित मूल्य के 10,04,77,012 इक्विटी शेयरों के अधिमानी इश्यू के लिए प्राप्त हुई थी। इक्विटी शेयरों का आबंटन 1 अप्रैल 2015 को किया गया।

2.3 राइट इश्यू-2008 के भाग के रूप में दिनांक 16.07.2015 को प्रति ₹1/- के ऐसे 9,720 इक्विटी शेयर, जिनका आबंटन प्रास्थगित कर दिया गया था, जारी किए गए और ₹9,720 की राशि शेयर पूंजी खाते में और ₹15,35,760.00 की राशि शेयर प्रीमियम खाते में जमा की गई। प्रति ₹1 के शेष 8,21,030 (पिछले वर्ष प्रति ₹1 के 8,30,750 इक्विटी शेयर), जारी करने के बाद भी रोककर रखे गए हैं क्योंकि उनका हक विवादित या निर्णयाधीन है।

2.4 शेयर जारी करने से संबंधित खर्चः ₹8.66 करोड़ (पिछले वर्ष निरंक) शेयर प्रीमियम खाते में नामे किए गए।

3. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

3.1 कर्मचारी - हितलाभ

3.1.1 नियत हितलाभ योजनाएँ

3.1.1.1 कर्मचारी पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना

निम्नतालिका में लेखा मानक-15 (संशोधित 2005) की अपेक्षानुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना की स्थिति प्रदर्शित की गई है:

₹ करोड़ में

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2015 को प्रारंभिक नियत हितलाभ दायित्व	**64,529.56**	**56,863.05**	**9,543.10**	**9,176.98**
वर्तमान सेवा लागत	1,360.54	1,561.91	256.26	219.45
ब्याज लागत	5,276.63	5,070.61	778.43	833.14
पिछली सेवा लागत (निहित हित लाभ)	निरंक	निरंक	0.03	(0.02)
बीमांकिक हानियां/(लाभ)	6,909.53	5,083.47	652.16	529.94
प्रदत्त हितलाभ	(2,665.72)	(2,146.26)	(1,331.74)	(1,216.39)
एसबीआई द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(2,246.16)	(1,903.22)	निरंक	निरंक
31 मार्च 2016 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	**73,164.38**	**64,529.56**	**9,898.24**	**9,543.10**
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2015 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	**61,886.14**	**53,143.82**	**9,362.94**	**9,206.33**
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	5,341.46	4,719.23	798.31	794.11
नियोक्ताओं द्वारा अंशदान	2,322.17	3,731.53	383.63	471.60
प्रदत्त हितलाभ	(2,665.72)	(2,146.26)	(1,331.74)	(1,216.39)
योजना आस्ति बीमांकिक लाभ/(हानियाँ)	(70.08)	2,437.82	36.58	107.29
31 मार्च 2016 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	**66,813.97**	**61,886.14**	**9,249.72**	**9,362.94**
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2016 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	73,164.38	64,529.56	9,898.24	9,543.10
31 मार्च 2016 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	66,813.97	61,886.14	9,249.72	9,362.94
कमी/(अधिशेष)	6,350.41	2,643.42	648.52	180.16
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
निवल देयता/(आस्ति)	**6,350.41**	**2,643.42**	**648.52**	**180.16**
तुलनपत्र में ली गई राशि				
देयताएँ	73,164.38	64,529.56	9,898.24	9,543.10
आस्तियाँ	66,813.97	61,886.14	9,249.72	9,362.94
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	6,350.41	2,643.42	648.52	180.16
शामिल नहीं की गई पिछली सेवा लागत (निहित) अंतिम शेष	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
निवल देयता/(आस्ति)	**6,350.41**	**2,643.42**	**648.52**	**180.16**
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	1,360.54	1,561.91	256.26	219.45
ब्याज लागत	5,276.63	5,070.61	778.43	833.14
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(5,341.46)	(4,719.23)	(798.31)	(794.11)

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
शामिल की गई पिछली सेवा लागत (परिशोधित)	निरंक	187.10	0.03	51.57
शामिल की गई पिछली सेवा लागत (निहित हितलाभ)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
वर्ष के दौरान शामिल की गई निवल बीमांकिक हानियां / (लाभ)	6,979.61	2,645.65	615.58	422.65
नियत हितलाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 'कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' में शामिल की गई है.	**8,275.32**	**4,746.04**	**851.99**	**732.70**
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और वास्तविक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	5,341.46	4,719.23	798.31	794.11
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(70.08)	2,437.82	36.58	107.29
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	**5,271.38**	**7,157.05**	**834.89**	**901.40**
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के प्रारंभिक और अंतिम शेष का समाधान				
1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता	**2,643.42**	**3,532.13**	**180.16**	**(80.94)**
विलय और अधिग्रहण पर निवल देयता	8,275.32	4,746.04	851.99	732.70
एसबीआई द्वारा सीधे भुगतान किया गया	(2,246.16)	(1,903.22)	निरंक	निरंक
नियोक्त का अंशदान	(2,322.17)	(3,731.53)	(383.63)	(471.60)
पिछली सेवा लागत	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	**6,350.41**	**2,643.42**	**648.52**	**180.16**

31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना - आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी निधि
	योजना आस्तियों का %	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	31.19%	22.45%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	22.30%	14.65%
ऋण प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमाराशियाँ	39.79%	29.49%
बीमाकर्ता प्रबंध अधीन निधियाँ	1.21%	28.86%
अन्य	5.51%	4.55%
योग	**100.00%**	**100.00%**

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन :

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	8.00% to 8.10%	8.21% to 8.21%	7.86% to 8.10%	8.21% to 8.21%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	8.00% to 9.00%	8.21% to 9.00%	7.86% to 9.00%	8.00% to 9.00%
वेतन वृद्धि	5.00% to 5.00%	5.00% to 5.00%	5.00% to 5.00%	5.00% to 5.00%

भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, जिसका बीमांकिक मूल्यांकन घटकों में किया गया है, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारणों यथा नियोजन - बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इस प्रकार के अनुमान अत्यंत दीर्घ अवधि के लिए हैं और अतीत के सीमित अनुभव /सन्निकट भविष्य की अपेक्षाओं पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी यही संकेत करते हैं कि अत्यंत दीर्घ अवधि के दौरान - सतत उच्च वेतनवृद्धि करते रहना संभव नहीं है जिस पर लेखा-परीक्षकों ने भरोसा किया है।

3.1.1.2 कर्मचारी भविष्य निधि

भारतीय स्टेट बैंक भविष्य निधि न्यास में ब्याज कमी के संबंध में बीमांकिक मूल्यन किया गया है। निर्धारक पद्धति के अनुसार "शून्य" देयता है, इसलिए वित्त वर्ष 2015-16 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

एसबीआई द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीकांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति नीचे तालिका में दी गई हैं:-

₹ करोड़ में

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2015 को प्रारंभिक नियत हितलाभ दायित्व	22,498.51	21,804.39
वर्तमान सेवा लागत	1,632.22	527.14
ब्याज लागत	2,026.72	1,869.09
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	1,983.67	661.66
बीमांकिक हानियां/(लाभ)	0.01	-
प्रदत्त हितलाभ	(2,981.43)	(2,363.77)
31 मार्च 2016 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	25,159.70	22,498.51
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2015 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	23,197.82	22,366.42
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	2,026.72	1,869.09
अंशदान	3,615.89	1,188.80
प्रदत्त हितलाभ	(2,981.43)	(2,363.77)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ /(हानियाँ)	126.32	137.28
31 मार्च 2016 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	25,985.32	23,197.82
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2016 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	25,159.70	22,498.51
31 मार्च 2016 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	25,985.32	23,197.82
कमी/(अधिशेष)	(825.62)	(699.31)
तुलनपत्र में नहीं ली गई निवल आस्ति	825.62	699.31
लाभ एवं हानि खाते में नहीं ली गई निवल आस्ति		
वर्तमान सेवा लागत	1,632.22	527.14
ब्याज लागत	2,026.72	1,869.09
योजना - आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(2,026.72)	(1,869.09)
प्रतिवर्तित ब्याज कमी	-	-
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत को अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल किया गया है.	1,632.22	527.14
तुलनपत्र में ली गई प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता/(आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2015 को प्रारंभिक निवल देयताएँ	-	-
उपरोक्त अनुसार व्यय	1,632.22	527.14
नियोक्ता का अंशदान	(1,632.22)	(527.14)
तुलन पत्र में ली गई निवल देयता/(आस्ति)	-	-

31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना - आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	भविष्य निधि
	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	40.36%
ऋण प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमाराशियाँ	20.55%
सार्वजनिक और निज़ी क्षेत्र बांड	34.15%
बीमाकर्ता प्रबंध अधीन निधियाँ	-
अन्य	4.94%
योग	100.00%

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन :

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.86%	8.21%
निश्चित प्रतिलाभ	8.75%	8.75%
पलायन दर	2.00%	2.00%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%
मृत्यु संख्या सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी भविष्य निधि की देयता पर गारंटीकृत प्रतिफल लागू होता है। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अंतर्गत यथा घोषित ब्याज की दर से इस निधि में ब्याज जमा किया जाता रहा है और इसलिए इसे एक नियत हितलाभ योजना के रूप में समझा गया है।

3.1.2 नियत अंशदान योजनाएँ

3.1.2.1 कर्मचारी भविष्य निधि

समूह द्वारा (एसीबीआई को छोड़कर) भविष्य निधि योजना के खर्च के रूप में ₹ 36.98 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 33.30 करोड़) की राशि दर्शाई गई है और इसे लाभ एवं हानि खाते में 'कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान' शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है.

3.1.2.2 नियत अंशदायी पेंशन योजना

भारतीय स्टेट बैंक के दिनांक 1 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए और देशीय बैंकिंग अनुषंगियों के दिनांक 1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नियत अंशदायी पेंशन योजना लागू है। इस योजना का प्रबंध पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में एनपीएस ट्रस्ट के पास है। नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एनपीएस के लिए केंद्रीय अभिलेखाकार अभिकरण नियुक्त किया गया है। वर्ष के दौरान, इस योजना में ₹ 266.32 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 200.10 करोड़) का अंशदान किया गया।

3.1.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ (अनिधिक दायित्व)

3.1.3.1 संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश)

निम्नलिखित तालिका में स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार एसबीआई की संचयी क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों (अर्जित अवकाश) की स्थिति दर्शायी गई है:

₹ करोड़ में

	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश)	
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
हित लाभ दायित्व की वर्तमान राशि में बदलाव		
1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक हितलाभ दायित्व	3,756.50	3,079.47
चालू सेवा लागत	230.94	135.55
ब्याज लागत	308.41	287.62
बीमांकिक हानियां (लाभ)	590.64	681.86
प्रदत्त लाभ	(511.00)	(428.00)
31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार अभिनिर्धारित निवल लागत	4,375.49	3,756.50
लाभ एवं हानि खाते में अभिनिर्धारित निवल लागत		
चालू सेवा लागत	230.94	135.55
ब्याज लागत	308.41	287.62
बीमांकिक हानियां (लाभ)	590.64	681.86
हित लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 -''कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान'' में शामिल	1,129.99	1,105.03
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक निवल देयता	3,756.50	3,079.47
यथा उपर्युक्त व्यय	1,129.99	1,105.03
नियोजक का अंशदान	-	-
नियोजक द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष लाभ	(511.00)	(428.00)
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित निवल देयता / (आस्ति)	4,375.49	3,756.50

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
बट्टा दर	7.86%	8.21%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%
पलायन दर	2.00%	2.00%
मृत्यु संख्या सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश) (एसबीआई को छोड़कर)

सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण सहित अर्जित अवकाश (नकदीकरण) के संबंध में समूह (एसबीआई को छोड़कर) द्वारा ₹167.78 करोड़ (पिछले वर्ष ₹124.26 करोड़) की राशि का प्रावधान किया गया है और इसे लाभ एवं हानि खाते में 'कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान' शीर्ष में शामिल किया गया है।

3.1.3.2 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ

अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के संबंध में समूह द्वारा ₹21.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹12.55 करोड़) की राशि का प्रावधान किया गया है और इसे लाभ एवं हानि खाते में 'कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान' शीर्ष में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए किए गए प्रावधान का ब्योरा :

₹ करोड़ में

क्र. सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवकाश यात्रा एवं गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण/उपयोग)	25.85	(21.66)
2	रुग्ण अवकाश	(1.43)	6.46
3	रजत जयंती अवार्ड	3.11	11.15
4	अधिवर्षिता पर पुनर्निपटान व्यय	2.74	13.23
5	रुग्ण अवकाश	निरंक	निरंक
6	सेवानिवृत्ति अवार्ड	(8.92)	3.37
योग		**21.35**	**12.55**

3.1.4 ऊपर सूची में दिए गए कर्मचारी हितलाभ भारत में स्थित समूह के कर्मचारियों के हैं। विदेश स्थित कारोबार से जुड़े कर्मचारियों को उपर्युक्त योजना में शामिल नहीं किया गया है।

3.2 खंड सूचना

3.2.1 खंड अभिनिर्धारण

क) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नांकित खंडों का अभिनिर्धारण/पुनर्वर्गीकरण प्राथमिक खंडों के रूप में किया गया।

- राजकोष
- कारपोरेट/थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- बीमा व्यवसाय
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा-निर्धारण और सूचना पद्धति में उपरोक्त खंडों से सम्बद्ध आंकड़ा संग्रहण और निष्कर्षण की पृथक प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है। तथापि, रिपोर्ट करने की वर्तमान संगठनात्मक और प्रबंधकीय संरचना, उनमें सन्निहित जोखिम और प्रतिलाभ के आधार पर वर्तमान मूल - खंडों के आंकड़ों की निम्नवत गणना की गई है:

क) राजकोष: राजकोष खंड में समस्त विनिधान पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय और डेरीवेटिव्स संविदाएं शामिल हैं। कोष खंड की आय मूलत: व्यापार - परिचालनों के शुल्क और इससे होने वाले लाभ/हानि तथा विनिधान पोर्टफोलियो की ब्याज आय पर आधारित है।

ख) कारपोरेट/थोक बैंकिंग: कारपोरेट/थोक बैंकिंग खंड के अंतर्गत कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह और तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की ऋण गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। इनके द्वारा कारपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इनके अंतर्गत विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों के गैर - कोष परिचालन भी शामिल हैं।

ग) खुदरा बैंकिंग: खुदरा बैंकिंग खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएं आती हैं। इन शाखाओं के कार्यकलाप में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से सम्बद्ध कारपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी इसी समूह में आते हैं।

घ) बीमा व्यवसाय: बीमा व्यवसाय खण्ड में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. के परिणाम शामिल हैं।

ङ) अन्य बैंकिंग व्यवसाय: ऐसे खण्ड जो उपर्युक्त (क) से (घ) के अंतर्गत प्राथमिक खण्ड के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें इस प्राथमिक खण्ड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस खण्ड में समूह की एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि. को छोड़कर सभी गैर-बैंकिंग अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के परिचालन शामिल हैं।

ख) **गौण (भौगोलिक खंड):**

क) **देशीय परिचालन के अंतर्गत** - भारत में परिचालित शाखाएँ, अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम कार्यालय आते हैं।

ख) **विदेशी परिचालन के अंतर्गत** - भारत से बाहर परिचालित शाखाएँ, अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम तथा भारत में परिचालित समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयाँ आती हैं।

ग) **अंतर-खंडीय अंतरणों का कीमत-निर्धारण**

खुदरा बैंकिंग खंड प्राथमिक संसाधन संग्रहण इकाई है। कारपोरेट/थोक बैंकिंग और कोष खंड को खुदरा बैंकिंग खंड से निधियाँ प्राप्त होती हैं। बाजार से संबंधित निधि अंतरण कीमत निर्धारण (एमआरएफटीपी) अपनाया जाता है, जिसके अंतर्गत निधीयन केंद्र नाम से एक अलग इकाई सृजित की गई है। निधीयन केंद्र इकाई उन निधियों की अनुमानिक खरीदारी करती है जो व्यवसाय इकाइयों द्वारा जमाराशियों या उधारों के रूप में जुटाई जाती हैं और यह आस्ति-सृजन में संलग्न व्यवसाय इकाइयों को निधियों की आनुमानिक बिक्री भी करती है।

घ) **आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन**

कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए व्यय जो सीधे कॉरपोरेट/थोक और रिटेल बैंकिंग परिचालन खंड अथवा कोष परिचालन खंड से संबंधित हैं, तदनुसार आबंटित किए गए हैं। सीधे संबंध न रखने वाले व्यय प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किए गए हैं।

समग्र उद्यम से संबंधित ऐसी आय और व्यय जिन्हें किसी खंड को आबंटित करने का तार्किक आधार नहीं है, उन्हें "अनाबंटित व्यय" के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है।

3.2.2 खंडवार सूचना

भाग क: प्राथमिक (व्यवसाय) खंड

₹ करोड़ में

व्यवसाय खण्ड	कोष	कारपोरेट/थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	बीमा व्यवसाय	अन्य बैंकिंग परिचालन	परित्याग	योग
आय	61,296.54 (51,426.82)	86,837.57 (85,230.94)	97,196.40 (90,781.04)	20,870.02 (24,476.88)	4,869.88 (4,144.11)		2,71,070.41 (2,56,059.79)
अनाबंटित आय							1,800.62 (1,229.72)
कुल आय							2,72,871.03 (2,57,289.51)
परिणाम	9,071.69 (6,890.86)	-11,271.53 (1,945.87)	20,936.37 (18,355.51)	932.55 (843.39)	1,375.21 (1,361.91)		21,044.29 (29,397.54)
अनाबंटित आय (+) / व्यय (–) निवल							-2,867.51 (-3,542.97)
परिचालन लाभ (पीबीटी)							18,176.78 (25,854.57)
कर							5,433.50 (8,337.20)
असाधारण लाभ/हानि							- (-)
निवल लाभ - सहयोगियों और अल्पांश हित में लाभ में हिस्सेदारी के पूर्व							12,743.28 (17,517.37)

₹ करोड़ में

व्यवसाय खण्ड	कोष	कारपोरेट/थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	बीमा व्यवसाय	अन्य बैंकिंग परिचालन	परित्याग	योग
जोड़े : सहयोगियों में लाभ में हिस्सेदारी							275.82 (314.44)
घटाएँ : अल्पांश हित							794.51 (837.51)
निवल लाभ समूह के लिए							12,224.59 (16,994.30)
अन्य सूचना :							
खंड आस्तियाँ	6,51,194.08 (6,21,415.72)	11,31,334.93 (10,35,530.32)	10,54,672.01 (9,31,543.92)	87,073.44 (76,948.47)	17,298.70 (13,468.53)		29,41,573.16 (26,78,906.96)
अनाबंटित आस्तियाँ							29,324.48 (21,203.06)
कुल आस्तियाँ							29,70,897.64 (27,00,110.02)
खंड देयताएँ	3,59,351.71 (3,66,954.63)	10,74,172.76 (9,58,490.64)	11,82,374.63 (10,59,909.52)	81,602.86 (72,072.91)	12,473.12 (9,110.23)		27,09,975.08 (24,66,537.93)
अनाबंटित देयताएँ							80,330.19 (72,184.55)
कुल देयताएँ							27,90,305.27 (25,38,722.48)

भाग ख: द्वितीयक (भौगोलिक) खण्ड

₹ करोड़ में

	देशीय परिचालन	विदेशी परिचालन	योग
आय	2,59,965.33 (2,46,689.00)	12,905.70 (10,600.51)	2,72,871.03 (2,57,289.51)
निवल लाभ	8,172.53 (12,806.58)	4,052.06 (4,187.72)	12,224.59 (16,994.30)
आस्तियाँ	26,19,303.39 (23,78,661.71)	3,51,594.25 (3,21,448.31)	29,70,897.64 (27,00,110.02)
देयताएँ	24,42,680.61 (22,20,650.02)	3,47,624.66 (3,18,072.46)	27,90,305.27 (25,38,722.48)

(i) आय/व्यय पूरे वर्ष हेतु है। आस्तियों /देयताओं का विवरण दिनांक 31 मार्च 2016 का है।

(ii) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

3.3 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

3.3.1 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण:

क) संयुक्त उद्यम:

1. सी एज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड.
2. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.
3. एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.
4. एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा.लि.
5. मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.
6. मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.
7. ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमन्ट फंड - मैनेजमेंट कम्पनी प्रा. लि.
8. ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेन्ट फंड - ट्रस्टी कम्पनी प्रा. लि.

ख) सहयोगी

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
4. इलाकाई देहाती बैंक
5. कावेरी ग्रामीण बैंक
6. लंगपी देहांगी रूरल बैंक
7. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
8. मालवा ग्रामीण बैंक
8. कृष्णा ग्रामीणा बैंक
9. मेघालय रूरल बैंक
10. मिजोरम रूरल बैंक
11. नागालैंड रूरल बैंक
12. पूर्वांचल बैंक
13. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक
14. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
15. तेलंगाना ग्रामीण बैंक
16. उत्कल ग्रामीण बैंक
17. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
18. वनांचल ग्रामीण बैंक

ii) अन्य

19. दि क्लियरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
20. बैंक आफ भूटान लि.
21. एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड (परिसमापनाधीन)

ग) बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष
2. श्री पी. प्रदीप कुमार, प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग समूह) (31.10.2015 तक)
3. श्री वी. जी. कन्नन, प्रबंध निदेशक (सहयोगी एवं अनुषंगी)
4. श्री बी. श्रीराम
   - प्रबंध निदेशक (राष्ट्रीय बैंकिंग समूह) (01.11.2015 तक)
   - प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग समूह) (02.11.2015 से)
5. श्री रजनीश कुमार
   - प्रबंध निदेशक (अनुपालन एवं जोखिम) (26.05.2015 से 01.11.2015 तक)
   - प्रबंध निदेशक (राष्ट्रीय बैंकिंग समूह) (02.11.2015 से)
6. श्री पी. के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक (अनुपालन एवं जोखिम) (02.11.2015 से)

3.3.2 वर्ष के दौरान जिन पक्षों से लेनदेन किए गए:

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार 'सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम' के रूप में संबंधित पक्षों के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंधियों के बारे में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेन का प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

3.3.3 लेनदेन और शेष राशियाँ:

₹ करोड़ में

विवरण	सहयोगी/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके संबंधी	योग
वर्ष 2015-16 के दौरान लेनदेन	- (-)	- (-)	- (-)
प्राप्त ब्याज	1.86 (2.78)	- (-)	1.86 (2.78)
प्रदत्त ब्याज	27.32 (33.82)	- (-)	27.32 (33.82)
लाभांश के रूप में अर्जित आय	3.46 (-)	- (-)	3.46 (-)
अन्य आय	5.70 (9.01)	- (-)	5.70 (9.01)
अन्य व्यय	399.08 (308.94)	1.58 (1.03)	400.66 (309.97)
प्रबंधन संविदा			
31 मार्च 2016 को बकाया			
देय राशियाँ			
जमा	39.26 (36.06)	- (-)	39.26 (36.06)
अन्य देयताएं	42.23 (29.45)	- (-)	42.23 (29.45)
प्राप्य राशियाँ			
बैंको में शेष	- (2.12)	- (-)	- (2.12)
निवेश	41.55 (41.55)	- (-)	41.55 (41.55)
अग्रिम	0.33 (0.24)	- (-)	0.33 (0.24)
अन्य आस्तियां	0.13 (0.34)	- (-)	0.13 (0.34)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशियाँ			
उधार राशियाँ	- (-)	- (-)	- (-)
जमा	52.32 (57.32)	- (-)	52.32 (57.32)
अन्य देयताएँ	74.90 (87.46)	- (-)	74.90 (87.46)
बैंकों में शेष	2.12 (5.94)	- (-)	2.12 (5.94)
अग्रिम	0.37 (0.52)	- (-)	0.37 (0.52)
निवेश	41.55 (41.55)	- (-)	41.55 (41.55)
अन्य आस्तियाँ	0.13 (0.34)	- (-)	0.13 (0.34)
गैर-निधि वचनबद्धताएं	- (-)	- (-)	- (-)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ किए गए आंकड़ों की दृष्टि से प्रकटन योग्य लेनदेन नहीं हैं।

3.4 पट्टे:

3.4.1 वित्तीय पट्टे

01 अप्रैल 2001 को या उसके पश्चात् वित्तीय पट्टों पर दी गई आस्तियाँ : इन वित्तीय पट्टों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान बकाया		
1 वर्ष से कम	4.79	5.12
1 से 5 वर्ष तक	3.29	5.43
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	**8.08**	**10.55**
देय ब्याज लागत		
1 वर्ष से कम	0.63	0.89
1 से 5 वर्ष तक	0.39	0.51
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	**1.02**	**1.40**
देय न्यूनतम पट्टा भुगतानों की वर्तमान राशि		
1 वर्ष से कम	4.16	4.23
1 से 5 वर्ष तक	2.90	4.92
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	**7.06**	**9.15**

3.4.2 परिचालन पट्टा

परिचालन पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर और स्टाफ आवास शामिल हैं जो समूह इकाइयों के विकल्प के अनुसार नवीकरण योग्य हैं।

रद्द नहीं होने वाले परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों के विवरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष तक	335.87	262.05
1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	1,285.14	836.60
5 वर्ष से अधिक	341.41	222.21
कुल	**1,962.42**	**1,320.86**
इस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में ली गई पट्टा भुगतानों की राशि		

इस वर्ष लाभ एवं हानि खाते में ली गई पट्टा भुगतानों की राशि ₹ 2,181.50 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,744.10 करोड़) है।

3.5 प्रति शेयर उपार्जन:

बैंक ने लेखा मानक 20 - 'प्रति शेयर उपार्जन' के अनुसार प्रत्येक ईक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय की सूचना दी है। वर्ष के दौरान, कर पश्चात निवल लाभ अल्पांश को छोड़कर बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से अलग करके प्रति शेयर 'मूल आय' की गणना की गई है।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल और कम किए गए		
वर्ष के आरंभ में बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या	746,57,30,920	746,57,30,920
वर्ष के दौरान जारी ईक्विटी शेयरों की संख्या	29,70,46,122	-
वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या	776,27,77,042	746,57,30,920
मूल प्रति शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या	766,55,68,627	746,57,30,920
कम की गई प्रति शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	766,55,68,627	746,60,06,199
समूह के लिए निवल लाभ (अल्पांश के अलावा) (₹ करोड़ में)	12,224.59	16,994.30
मूल आय प्रति शेयर (₹)	15.95	22.76
कम की गई प्रति शेयर आय (₹)	15.95	22.76*
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	1.00	1.00

* प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के समय अप्रैल 1, 2016 को आबंटित ईक्विटी शेयरों के लिए प्राप्त राशि को ध्यान में रखा गया हैं।

3.6 आय पर करों का लेखाकरण

i) वर्ष के दौरान, आस्थगित कर के कारण ₹83.18 करोड़ लाभ और हानि खाते में नामे किए गए थे (पिछले वर्ष ₹1,049.64 करोड़ जमा किए गए थे)।

ii) प्रमुख मदों में आस्थगित कर आस्ति और देयता का मदवार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
वेतन संशोधन के कारण दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	1.26	954.34
दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान #	2,092.14	2,235.65
आरबीआई के विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार विनिर्दिष्ट पुनर्संरचित मानक आस्तियों/मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान/ अतिरिक्त प्रावधान	2,136.25	1,745.05
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	5.18	(0.23)
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	1,214.43	195.67
अन्य	1,434.89	690.95
योग	**6,884.15**	**5,821.43**
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	236.11	210.79
प्रतिभूतियों पर ब्याज	3,863.93	3,660.78
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	4,043.24	3,196.64
अन्य	510.09	470.94
योग	**8,653.37**	**7,539.15**
निवल आस्थगित कर आस्तियां (देयताएं)	**(1,769.22)**	**(1,717.72)**

3.7 आस्तियों की अपसामान्यता:

बैंक प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की अपसामान्यता का कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर लेखा मानक 28 - 'आस्तियों की अपसामान्यता' लागू हो।

3.8 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ

➢ **लाभ एवं हानि खाते में लिए गए प्रावधान और आकस्मिक देयताएं**

₹ करोड़ में

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	कराधान के लिए प्रावधान		
	- वर्तमान कर	5,350.36	9,375.30
	- आस्थगित कर	83.18	(1,049.64)
	- अन्य कर	(0.04)	11.54
ख)	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	38,024.06	20,634.68
ग)	पुनर्संरचित आस्तियों के लिए प्रावधान	(2,912.87)	1,563.63
घ)	मानक आस्तियों पर प्रावधान	2,284.22	2,918.48
ङ)	विनिधानों में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	320.96	(663.07)
च)	अन्य प्रावधान	213.45	578.34
योग		**43,363.32**	**33,369.26**

(कोष्ठक के आंकड़े क्रेडिट दर्शाते हैं।)

➢ **आस्थिर प्रावधान :**

₹ करोड़ में

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	अथशेष	222.05	362.37
ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
ग)	वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी	28.29	140.32
घ)	**अंतिम शेष**	**193.76**	**222.05**

आकस्मिक देयताओं आस्ति मानक 29 का ब्योरा :

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	समूह के विरुद्ध ऐसे दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं.	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में मूल कंपनी और उसके घटक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष हैं। समूह को ऐसी उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का तात्विक प्रतिकूल प्रभाव समूह की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाहों पर पड़ेगा। यह समूह बकाया अपीलों के संबंध में विभिन्न कर मामलों के लिए पक्षकार हैं।
2	आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों/वेंचर फंड से संबंधित देयता	इस मद में आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों की देयता के संबंध में प्रदत्त नहीं की गई राशि प्रस्तुत की गई है। इसमें वेंचर कैपिटल फंड के लिए आहरित नहीं की गई प्रतिबद्धताओं की राशि शामिल है।
3	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	समूह अपने निजी खाते और ग्राहकों की अंतर-बैंक सहभागिता से विदेशी विनिमय संविदा, मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर विनिमय करता है। वायदा विनिमय संविदाओं की प्रतिबद्धता विदेशी मुद्रा को भविष्य में संविदागत दर पर खरीदने या बेचने के लिए है। मुद्रा विनिमयों की प्रतिबद्धताएँ पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा के विपरीत दूसरी मुद्रा की ब्याज/मूल राशि के रूप में विनिमय नकदी प्रवाह के लिए हैं। ब्याज दर विनिमय की प्रतिबद्धताएँ स्थिर विनिमय एवं अस्थिर ब्याज दर नकदी प्रवाह के लिए हैं। आनुमानिक राशियाँ, जिन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है, संविदाओं के ब्याज अंश के परिकलन हेतु न्यूनतम मापदंड के रूप में प्रयुक्त विशिष्ट राशियाँ है।
4	ग्राहकों, बिलों एवं हुंडियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटियाँ	अपने वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलाप के अंतर्गत समूह अपने ग्राहकों की ओर से, प्रलेखी ऋण और गारंटी प्रदान करता है। प्रलेखी ऋण से समूह के ग्राहकों की ऋण अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यत: बैंक की ओर से अटल आश्वासन होती हैं कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होता है, तो बैंक ऐसी स्थिति में उनका भुगतान करेगा।

5	अन्य मदें जिनके लिए समूह आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	समूह अपने निजी खाते से और ग्राहकों की अंतर-बैंक सहभागिता से करेंसी ऑप्शन, वायदा दर करार, करेंसी स्वैप्स और ब्याज दर स्वैप्स करता है। करेंसी स्वैप्स की प्रतिबद्धताएं पूर्व-निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा के सामने दूसरी मुद्रा की ब्याज/मूल राशि के रूप में विनिमय नकदी प्रवाह के लिए हैं। आनुमानिक राशियां जिन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में रिकार्ड किया जाता है, ऐसी विशिष्ट राशियां होती हैं जिनका संविदाओं के ब्याज घटक के आकलन हेतु बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इन्हें पूंजी खाते के संबंध में निष्पादित किए जाने वाले संविदाओं की अनुमानित राशि में भी शामिल किया जाता है और इन्हें सहयोगी एवं अनुषंगी की ओर से एसबीआई द्वारा जारी व्यवस्था पत्र, जमाकर्ता शिक्षा योजना के अंतर्गत एसबीआई की देयता और जागरूकता निधि के अंतर्गत एसबीआई की देयताओं और अन्य विविध आकस्मिक देयताओं के प्रावधान की गई राशि में शामिल नहीं किया जाता है।

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट के निर्णय/न्यायालय के बाहर समझौतों, अपीलों के निपटान, राशि के माँगे जाने, संविदागत बाध्यताएँ, संबंधित पक्षों द्वारा माँग प्रस्ताव के अंतरण और उसे उद्भूत करने जैसी भी स्थिति हो, के दायित्व पर आधारित हैं।

➢ **आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों में उतार-चढ़ाव :**

₹ करोड़ में

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	**पिछला वर्ष**	1,077.91	790.46
ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	240.83	378.00
ग)	वर्ष के दौरान आहरण में कमी	286.02	26.88
घ)	वर्ष के दौरान प्रतिवर्तित अनुपयोजित राशि	314.51	63.67
ड)	**अंतिम शेष**	**718.21**	**1,077.91**

4. अंतर कार्यालय खाता

शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और स्थानीय प्रधान कार्यालयों तथा कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं के बीच अंतर कार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाधान किया जा रहा है और चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

5. स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास

वर्तमान वर्ष के दौरान कुछ आस्तियों जैसे एटीएम, कैश डिस्पेंसिंग मशीन, सिक्का डिस्पेंसिंग मशीन, कंप्यूटर सर्वर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग उपकरण की अनुमानित उपयोग अवधि में परिवर्तन किया गया है। वित्तीय विवरण पर इसका प्रभाव नगण्य माना गया है।

6. पुनर्संरचना कंपनियों को आस्तियों की बिक्री

वर्ष के दौरान पुनर्संरचना कंपनियों को की गई आस्तियों की बिक्री के कारण आई कमी की राशि ₹1,669.24 करोड़ (पिछले वर्ष ₹3,897.04 करोड़) को भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी. बीपी.बीसी.98/21.04.132/2013-14 दिनांक 26 फरवरी 2014 के निर्देशों के अनुसार दो वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, ₹ 2,397.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 887.13 करोड़) को 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाते में नामे किया गया है। 31 मार्च 2016 को अपरिशोधित राशि ₹2,281.20 करोड़ (पिछले वर्ष ₹3,009.91 करोड़) है।

7. प्रतिचक्रीय बफर प्रावधान (सीसीपीबी)

भारतीय रिजर्व बैंक ने "अस्थायी प्रावधानों/प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर" पर दिनांक 30 मार्च 2015 के अपने परिपत्र क्रमांक डीबीआर.सं.बीपी.बीसी 79/21.04.048/2014-15 के माध्यम से बैंकों को 31 दिसंबर 2014 तक उनके द्वारा धारित 50 प्रतिशत प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर अनर्जक आस्तियों (सीसीपीबी) के लिए व्यवहार में लाने की अनुमति दी है जिससे कि बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सके। तदनुसार, एसबीआई ने ₹1,149 करोड़ (पूर्व वर्ष ₹382 करोड़) और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर ने ₹21.78 करोड़ (पिछले वर्ष कुछ नहीं) का उपयोग बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तथा बोर्ड की अनुमति से अनर्जक आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान करने के लिए किया है।

8. आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एओआर)

वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के भाग के रूप में, एसबीआई और इसकी देशीय बैंकिंग अनुषंगियों को दिसंबर 2015 और मार्च 2016 को समाप्त हुई तिमाहियों के लिए कतिपय अग्रिम खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान/पुनःवर्गीकरण करने के लिए सूचित किया गया है। तदनुसार, उन्होंने आरबीआई निर्देशों का कार्यान्वयन किया है।

9. खाद्यान्न क्रेडिट

भारतीय रिजर्व बैंक अनुदेशों के अनुसार, हितधारकों की अनुमति से एसबीआई और इसकी देशीय बैंकिंग अनुषंगियों ने एक राज्य सरकार के खाद्यान ऋणों की बकाया राशि के संबंध में 7.5% का प्रावधान किया है जिसकी राशि ₹715.98 करोड़ है।

10. विदेश स्थित कार्यालयों से भारत में निधि के रिपैट्रिएशन पर विनिमय लाभ तथा विदेश स्थित कार्यालयों के पूंजी निधि के ऐतिहासिक लागत पर पुनर्स्थापन के कारण ₹2,033.83 करोड़ की राशि को अन्य आय में शामिल किया गया है।

11. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के संबंध में, आईआरडीए ने बीमा कंपनी अधिनियम, 1938 की धारा 34(1) के अंतर्गत आईआरडीए/लाइफ/ओआरडी/विविध/228/10/2012 दिनांक 5 अक्तूबर 2012 के अनुसार मास्टर पॉलिसीधारकों को प्रदत्त की गई प्रशासनिक प्रभार राशि ₹84.32 करोड़ का संवितरण करने और आदेश क्रमांक आईआरडीए/लाइफ/ओआरडी/विविध/083/03/2014 दिनांक 11 मार्च 2014 के अनुसार कॉरपोरेट एजेंटों को प्रदत्त किए गए कमीशन की आधिक्य राशि ₹275.29 करोड़ को क्रमशः सदस्यों या लाभार्थियों को वापस करने के निदेश जारी किए हैं। इस कंपनी ने उक्त निदेशों/आदेशों के विरुद्ध अपील प्राधिकारी (अर्थात वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) और प्रतिभूति अपील प्राधिकरण (एसएटी) के पास अपील दायर की है। चूंकि अंतिम आदेश बकाया है, इसलिए उक्त राशियों को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

12. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के संबंध में स्थायी आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को अनुसूची 2 ''आरक्षित निधि और अधिशेष'' के अंतर्गत 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' में बताया गया है।

13. लाइफ और जनरल बीमा अनुषंगियों के विनिधानों को बैंकों द्वारा अनुपालन की गई लेखाकरण नीतियों के अनुसार इनको फिर से शामिल न करके आईआरडीए (विनिवेश विनियमन) 2000 के अनुसार लेखों में दिखाए गए हैं। 31 मार्च 2016 को बीमा कंपनियों के विनिधान कुल विनिधान का लगभग 11.03% (पिछले वर्ष 9.97%) रहे।

14. भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी क्रमांक बीपी.बीसी. 42/21.01.02/ 2007-08 के अनुसार, रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयरों (यदि कोई हो) को देयता माना गया है और उन पर भुगतान किए जाने वाले कूपन को ब्याज माना गया है।

15. वर्तमान आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखा गया है। तदनुसार, मूल कंपनी और उसकी अनुषंगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अतिरिक्त सांविधिक सूचनाओं को, जो महत्वपूर्ण नहीं है, यहां समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं किया गया है, जो आईसीएआई द्वारा लेखा मानक परिभाषा के अनुसार तैयार किए गए हैं।

16. जहाँ आवश्यक था वहाँ पिछले वर्ष के आँकड़ों का पुनः समूहन/पुनः वर्गीकरण किया गया है ताकि वर्तमान वर्ष वर्गीकरण के अनुसार तालमेल बैठा सके। भारतीय रिज़र्व बैंक/लेखांकन मानदंडों के दिशा-निर्देशों के अनुसार जहाँ पहली बार आंकड़ों का प्रकटीकरण किया गया है, वहाँ पिछले वर्ष के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वर्मा एण्ड वर्मा**
सनदी लेखाकार

(चेरीयन के. बेबी)
भागीदार
सदस्यता क्र. : 16043
फर्म पंजी सं. : 0045325S

(अरुंधति भट्टाचार्य)
अध्यक्ष

(पी.के. गुप्ता)
एम.डी. (सी एण्ड आर)

(वी.जी.कन्नन)
एम.डी. (ए एण्ड एस)

(बी. श्रीराम)
एम.डी. (सी बी जी)

कोलकाता
दिनांक : 27 मई 2016

भारतीय स्टेट बैंक

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 को समाप्त वष पिछला वर्ष ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
कर-पूर्व निवल लाभ		17658,09,16	25331,49,77
समायोजन:			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		2252,20,53	1581,49,38
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल)		21,05,23	51,28,58
विनिधानों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल)		(11,85,66)	-
विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ/हानि (निवल)		3144,68,18	(1786,05,64)
अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान		35111,18,68	22198,30,58
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		2284,21,68	2918,47,70
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		320,96,40	(663,06,38)
अन्य प्रावधान		213,44,87	578,33,91
सहयोगियों के लाभ में हिस्सा (विनिधान कार्यकलाप)		(275,81,61)	(314,44,18)
सहयोगियों के लाभांश (विनिधान कार्यकलाप)		(7,52,34)	(17,38,47)
पूंजी लिखतों पर संदत्त ब्याज (वित्तीय कार्यकलाप)		4797,86,72	4894,70,92
उप योग		65508,51,84	54773,16,17
समायोजन:			
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)		200896,77,56	214108,43,23
पूंजीगत लिखतों को छोड़कर उधार राशियों में वृद्धि/(कमी)		7412,56,39	19761,57,51
अनुषंगी एवं सहयोगियों में निवेश को छोड़कर विनिधानों में (वृद्धि)/कमी		(34959,09,82)	(91344,03,30)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी		(213160,74,55)	(136132,95,39)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)		37187,01,71	45919,41,32
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		(38436,00,12)	(73270,85,58)
गैर-एकीकृत परिचालनों में निवेशों के निपटान पर एफसीटीआर में कमी		(873,92,35)	-
उप योग		23575,10,66	33814,73,96
प्रदत्त कर		(9498,42,83)	(7517,36,65)
परिचालन कार्यकलाप द्वारा उपलब्ध निवल नकदी (प्रवाह)	**(क)**	14076,67,83	26297,37,31
विनिधान कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
सहयोगियों के विनिधानों में (वृद्धि)/कमी		99,53,30	1,37,27
अनुषंगी एवं सहयोगियों से प्राप्त लाभांश		7,52,34	17,38,47
अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		(3775,61,16)	(3452,29,40)
समेकन पर साख में (वृद्धि)/कमी		-	3,13,15
विनिधान कार्यकलाप द्वारा उपलब्ध कराई गई निवल नकदी	**(ख)**	(3668,55,52)	(3430,40,51)
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
ईक्विटी शेयर पूंजी निर्गम से प्राप्त राशि		5384,49,57	-

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 को समाप्त वष पिछला वर्ष ₹
बकाया आबंटन शेयर आवेदन राशि प्राप्त		-	2970,00,00
पूंजीगत लिखतों में (वृद्धि)/कमी		6138,35,95	1142,18,25
पूंजी लिखतों पर संदत्त ब्याज		(4797,86,72)	(4894,70,92)
संदत्त लाभांश उस पर कर सहित		(3058,65,86)	(1236,33,43)
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों द्वारा संदत्त लाभांश कर		(88,16,60)	(122,38,00)
अल्पांश हित में (वृद्धि)/कमी		770,28,69	587,96,68
वित्तीय कार्यकलाप से/(में प्रयुक्त) सृजित निवल नकदी	**(ग)**	**4348,45,03**	**(1553,27,42)**
रूपांतरण आरक्षित पर विनिमय उतार-चढ़ाव का प्रभाव	**(घ)**	**921,84,41**	**6,00,95**
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (क)+(ख)+(ग)+(घ)		15678,41,75	21319,70,33
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		188481,04,80	167161,34,47
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		204159,46,55	188481,04,80
नकदी और नकदी समतुल्य		31.03.2016	31.03.2015
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियां		160424,56,91	144287,54,67
बैंकों में जमाराशियां और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन राशि)		43734,89,64	44193,50,13
योग		**204159,46,55**	**188481,04,80**

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वर्मा एण्ड वर्मा**
सनदी लेखाकार

(अरुंधति भट्टाचार्य)
अध्यक्ष

(चेरीयन के. बेबी)
भागीदार
सदस्यता क्र. : 16043
फर्म पंजी सं. : 0045325S

(पी.के. गुप्ता)
एम.डी. (सी एण्ड आर)

(वी.जी.कन्नन)
एम.डी. (ए एण्ड एस)

(बी. श्रीराम)
एम.डी. (सी बी जी)

कोलकाता
दिनांक : 27 मई 2016

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

प्रति
निदेशक बोर्ड
भारतीय स्टेट बैंक
कॉरपोरेट केन्द्र
स्टेट बैंक भवन, मुंबई

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक (इस बैंक), इसकी अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (इस समूह) की 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार संलग्न समेकित तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ एवं हानि खाता तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और इन समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित अन्य विवरणात्मक सूचना की लेखा-परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन वर्ग की जिम्मेदारी

2. इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधन जिम्मेदारी है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानक-21 -''समेकित वित्तीय विवरण'', लेखा मानक-23 - ''समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश का लेखा'' और लेखा-मानक-27 - ''संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्ट'' और भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और भारत में स्वीकार्य सामान्यतः अन्य लेखा सिद्धांतों की अपेक्षाओं के अनुसार हैं और भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन की इस जिम्मेदारियों में एसबीआई समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की रूपरेखा, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल हैं जो सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं और विषय-वस्तु संबंधी गलत विवरणों से मुक्त हैं जो चाहे धोखाधड़ी या गलती के कारण आ गए हों। हमें सूचित किया गया है कि इन जोखिमों का निर्धारण करने के लिए, समूह की अलग-अलग इकाइयों ने ऐसे आंतरिक नियंत्रण कार्यान्वित किए हैं जो ऐसी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं जिससे कि समूह की सभी गतिविधियों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रभावी हो।

लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी लेखा-परीक्षा पर आधारित अभिमत देने की है. हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है. इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करें एवं अपनी लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें, ताकि हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में कोई वस्तुगत गलत विवरण नहीं दिए गए हैं।

4. लेखा-परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियों और प्रकटीकरणों के संबंध में लेखांकन साक्ष्य प्राप्त करने के लिए की जाने वाली निष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल है। जाँच के लिए चुनी गई पद्धतियाँ लेखा-परीक्षक के विवेक, वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी वस्तुगत गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन पर आधारित होती है. इन जोखिम मूल्यांकनों का निर्धारण करते समय लेखा-परीक्षक बैंक के वित्तीय विवरणियों को तैयार करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को संज्ञान में लेते हैं ताकि इन परिस्थितियों के लिए समुचित लेखा पद्धति की उचित प्रस्तुति की जा सके, लेकिन इसका उद्देश्य संस्था के आंतरिक नियंत्रणों के प्रभावशीलता के बारे में किसी भी प्रकार का अभिमत देना नहीं है। लेखा-परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है।

5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखासाक्ष्य हमारे लेखा अभिमत को आधार प्रदान करने लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

अभिमत

6. हमारे अभिमत में और हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टों, प्रबंधन द्वारा यथा प्रस्तुत एक अनुषंगी और कतिपय सहयोगियों के अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचना पर हमारे द्वारा विचार किए जाने पर, संलग्न समेकित वित्तीय विवरण सही एवं उचित हैं और भारत में स्वीकार्य सामान्यतः लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं;

   (क) 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार समूह की स्थिति के संबंध में समेकित तुलन-पत्र,

   (ख) इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित लाभ एवं हानि खाते में समेकित लाभ के संबंध में; और

   (ग) इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के नकदी प्रवाह के समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में।

ध्यानाकर्षण

7. हम समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 - 'लेखा-टिप्पणियों' की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे:

   क) टिप्पणी क्र. 6 : पुनर्निर्माण कंपनियों को आस्तियों की बिक्री पर हानि के कारण ₹2,281 करोड़ का अपरिशोधन।

   ख) टिप्पणी क्र. 7 : वर्ष के दौरान ₹1,171 करोड़ के प्रति चक्रीय सुरक्षित राशि (Buffer) का उपयोग करना।

   उपर्युक्त विषयों के संदर्भ में हमारे विचार सापेक्ष नहीं है।

अन्य मामले

8. इन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं :

   (क) हमारे सहित 14 (चौदह) संयुक्त लेखा-परीक्षकों ने बैंक के लेखा-परीक्षितत खातों की लेखा-परीक्षा की है, जो 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार ₹22,59,063 करोड़ की कुल आस्तियां, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹191,843 करोड़ का कुल राजस्व, और ₹12,711 करोड़ का निवल नकदी प्रवाह प्रकट करते हैं;

   (ख) अन्य लेखा-परीक्षकों ने 29 (उनतीस) अनुषंगियों, 8 (आठ) संयुक्त उद्यमों और 12 (बारह) सहयोगियों के लेखा-परीक्षित खातों की लेखा-परीक्षा की है, जो 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार ₹7,26,950 करोड़ की कुल आस्तियों में समूह का अंश, इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹83,228 करोड़ के कुल राजस्व में समूह का अंश, ₹3,499 करोड़ के निवल नकदी प्रवाह में समूह का अंश, और सहयोगियों से ₹177 करोड़ के लाभ में समूह का अंश प्रकट करते हैं;

   (ग) 1 (एक) अनुषंगी और 8 (आठ) सहयोगियों के अलेखा-परीक्षित खाते 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार ₹4,114 करोड़ की कुल आस्तियां, इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹146 करोड़ का कुल राजस्व, ₹49 करोड़ का निवल नकदी प्रवाह और सहयोगियों से ₹78 करोड़ के लाभ में समूह का अंश प्रकट करते हैं।

   ये वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय सूचना प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई हैं। जहाँ तक इनका ऐसी अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और अनुषंगियों के कार्यों से संबंध है, उसके बारे में हमारा अभिमत पूर्ण रूप से अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट और उपर्युक्त संदर्भित अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है।

9. इस समूह की एक अनुषंगी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लेखा-परीक्षकों ने रिपोर्ट दी है कि ; चालू जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए देयताओं के बीमांकिक मूल्यांकन की जिम्मेदारी इस कंपनी के नियुक्त बीमांकक (''नियुक्त बीमांकक'') की है। चालू जीवन बीमा पॉलिसियों और ऐसी पॉलिसियों के संबंध में, जिनका प्रीमियम बंद हो गया है परंतु देयता 31 मार्च 2016 तक बनी हुई है, इनकी देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया है और हमारा अभिमत है कि ऐसे मूल्यांकन का पूर्वानुमान प्राधिकारी की सहमति से भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (''आईआरडीएआई / ''प्राधिकरण'') और भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं मानदंडों पर आधारित है। इस कंपनी के स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारा अभिमत चालू जीवन बीमा पॉलिसियों और ऐसी पॉलिसियों के संबंध में, जिनका प्रीमियम बंद हो गया है परंतु देयता 31 मार्च 2016 तक बनी हुई है, देयताओं का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त बीमांकक द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र पर आधारित है।

   इन मामलों के संदर्भ में हमारे विचार सापेक्ष नहीं है।

10. 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा अन्य लेखा-परीक्षक ने की थी जिन्होंने दिनांक 22 मई 2015 की अपनी रिपोर्ट में उन विवरणों के बारे में अपरिवर्तित अभिमत दिया है।

कृते **वर्मा एण्ड वर्मा**
सनदी लेखाकार

चेरीयन के. बेबी
भागीदार
सदस्यता क्र. 16043
फर्म पंजीकरण सं. : 004532S

कोलकाता
दिनांक : 27 मई 2016

स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित) 31.03.2016 को

डीएफ-1 : लागू करने का कार्यक्षेत्र

भारतीय स्टेट बैंक मूल कंपनी है, जिस पर बेसल-III मानदंड लागू होते हैं। इस समूह के समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक/मार्गदर्शी नोट शामिल होते हैं।

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

क. समूह की उन इकाइयों की सूची, जिन्हें 31.03.2016 को समाप्त अवधि के लिए समेकित करने पर विचार किया गया

निम्नलिखित अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी बैंकों को शामिल कर भारतीय स्टेट बैंक समूह के समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं:

क्र.सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है, तो उसके कारण दें।
1	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
2	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
3	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
4	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
5	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
6	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
7	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
8	एसबीआई कैप वेंचर्स लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
9	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
10	एसबीआई कैप (यूके) लि.	यू.के.	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
11	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
12	एसबीआई डीएफएचआई लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
13	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
14	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
15	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
16	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र.सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है, तो उसके कारण दें।
17	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
18	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
19	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लि.	मारीशस	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
20	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
21	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	यूएसए	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
22	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
23	कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को	रूस	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
24	एसबीआई (मारीशस) लि.	मारीशस	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
25	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
26	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
27	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.	बोत्सवाना	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
28	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा	ब्राजील	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
29	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
30	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
31	सी-एड्ज टेक्नोलॉजीस लि.	भारत	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
32	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि.	भारत	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
33	एसबीआई मैकेवेरी इन्फास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित) 31.03.2016 को

क्र.सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है, तो उसके कारण दें।
34	एसबीआई मैकेवेरी इन्फास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
35	मैकवेरी एसबीआई इन्फास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	सिंगापुर	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
36	मैकवेरी एसबीआई इन्फास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.	बरमुडा	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
37	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
38	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
39	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
40	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
41	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
42	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
43	मेघालय रूरल बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
44	लांग्पी देहांगी रूरल बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
45	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
46	मिज़ोरम रूरल बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
47	नागालैंड रूरल बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

क्र.सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है, तो उसके कारण दें।
48	पूर्वांचल बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
49	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
50	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
51	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
52	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
53	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
54	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
55	कावेरी ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
56	मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
57	दि क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
58	बैंक ऑफ भूटान लि.	भूटान	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

ख. समूह की उन संस्थाओं की दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार सूची, जिन्हें लेखा और नियंत्रक दोनों के समेकन में शामिल नहीं किया गया है

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ है	संस्था का प्रमुख कार्य-कलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	संस्था के पूंजीगत लिखतों में बैंक के निवेशों को नियंत्रक द्वारा मान्यता	कुल तुलन पत्र आस्तियां (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)
1	एसबीआई फाउंडेशन	भारत	लाभ के लिए कंपनी नहीं है, कारपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों पर ध्यान देने के लिए है।	0.96	100 प्रतिशत	1250 प्रतिशत पर जोखिमभारिता	0.96 प्रतिशत
2	एसबीआई होम फाइनैंस लि.	भारत	परिसमापन के अधीन	लागू नहीं	25.05 प्रतिशत	पूरा प्रावधान उपलब्ध	लागू नहीं

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

ग. विनियामक समेकन में शामिल समूह की संस्थाओं की दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार सूची

समेकन के विनियामक क्षेत्र में शामिल की गई समूह की संस्थाओं की सूची निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में))

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)$	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)
1	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	भारत	बैंकिंग सेवाएँ	6,742.80	110,336.27
2	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	भारत	बैंकिंग सेवाएँ	10,399.63	164,596.78
3	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	भारत	बैंकिंग सेवाएँ	5,241.79	82,975.00
4	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	भारत	बैंकिंग सेवाएँ	7,886.99	131,036.21
5	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	भारत	बैंकिंग सेवाएँ	6,021.12	114,506.78
6	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	भारत	मर्चेंट बैंकिंग एवं परामर्शक सेवाएँ	1,078.65	1,189.28
7	एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लि.	भारत	सिक्युरिटीज ब्रोकिंग और इसकी सहायक सेवाएँ तथा वित्तीय उत्पादों का अन्य पक्ष को वितरण	115.97	211.43
8	एसबीआईकैप वेंचर्स लि.	भारत	आस्ति प्रबंधन कंपनी वेंचर फंड के लिए	27.24	28.89
9	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लि.	भारत	कारपोरेट ट्रस्टीशिप कार्यकलाप	52.67	54.27
10	एसबीआईकैप (यूके) लि.	यू.के.	कारपोरेट वित्त व्यवस्था और सलाहकारी सेवाएँ	15.66	15.77

(₹ करोड़ में))

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है) $	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)
11	एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	व्यवसाय एवं प्रबंधन परामर्शी सेवाएँ	63.55	64.09
12	एसबीआई डीएफएचआई लि.	भारत	सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक डीलर	1,001.28	5,836.20
13	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	भुगतान समाधान सेवाएं	2.19	2.49
14	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	भारत	फैक्टरिंग कार्यकलाप	322.81	889.18
15	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.	भारत	उन्हें आबंटित एन पी एस ट्रस्ट की आस्तियों का प्रबंधन	34.08	34.33
16	एसबीआई- एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	कस्टोडियल सेवाएँ और फंड अकाउंटिंग सेवाएँ	87.68	92.26
17	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज कंपनी प्रा. लि.	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए ट्रस्टीशिप सेवाएँ	20.78	20.80
18	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए आस्ति प्रबंधन सेवाएँ	630.91	782.11
19	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लि.	मारीशस	निवेश प्रबंधन सेवाएँ	1.07	1.30
20	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	क्रेडिट कार्ड व्यवसाय	1,155.04	7,843.42
21	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	यूएसए	बैंकिंग सेवाएँ	754.98	4,365.62
22	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	बैंकिंग सेवाएँ	672.07	4,114.12
23	कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को	रूस	बैंकिंग सेवाएँ	174.65	631.20
24	एसबीआई (मारीशस) लि.	मारीशस	बैंकिंग सेवाएँ	1,247.82	7,158.78
25	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	बैंकिंग सेवाएँ	596.27	2,194.40
26	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	बैंकिंग सेवाएँ	394.52	4,505.23
27	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.	बोत्सवाना	बैंकिंग सेवाएँ	32.57	242.01
28	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा	ब्राजील	प्रतिनिधि कार्यालय सेवाएं	1.64	1.92

$ ईक्विटी कैपिटल और रिजर्व तथा आरक्षित निधि एवं अधिशेष (सरप्लस) शामिल हैं

(घ) सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि, जो विनियामक समेकन क्षेत्र में शामिल नहीं हैं अर्थात जो घटा दी गई हैं:

अनुषंगी का नाम/उस देश का नाम जिसमें निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूंजी की कमी
निरंक				

स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित) 31.03.2016 को

(ङ) बीमा संस्थाओं में बैंक के उन कुल हितों की सकल राशि (अर्थात वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम-भारित हैं :

बीमा संस्था का नाम/ उस देश का नाम जिसमें निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूर्ण कटौती पद्धति का उपयोग न करके जोखिम भार पद्धति का उपयोग करने पर नियंत्रक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
निरंक				

(च) बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या नियंत्रक पूंजी के अंतरण में कोई प्रतिबंध या बाधा : निरंक

डीएफ-2 पूंजी पर्याप्तता 31 मार्च 2016 का

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) वर्तमान एवं भविष्य की गतिविधियों के लिए अपनी पूंजी पर्याप्तता की स्थिति के आकलन की बैंक की पद्धति का संक्षिप्त विवेचन	■	भारतीय रिज़र्व बैंक की नई पूंजी पर्याप्तता संरचना (एनसीएएफ) संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक और उसकी बैंकिंग अनुषंगियां वार्षिक आधार पर आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) शुरू करती है। इस आईसीएएपी में पूंजी आयोजन प्रक्रिया का ब्योरा दिया जाता है और इसमें निम्नलिखित जोखिमों के मापन, निगरानी, आंतरिक नियंत्रण, रिपोर्टिंग, पूंजी अपेक्षा और तनाव परीक्षण शामिल करते हुए मूल्यांकन किया जाता है।
		▶ ऋण जोखिम ▶ परिचालन जोखिम ▶ चलनिधि जोखिम ▶ अनुपालन जोखिम ▶ पेंशन निधि दायित्व जोखिम ▶ प्रतिष्ठा जोखिम ▶ ऋण जोखिम अल्पीकरण से छूट गए जोखिम ▶ निपटान जोखिम ▶ बाजार जोखिम ▶ ऋण केन्द्रीकरण जोखिम ▶ बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम ▶ देश जोखिम ▶ नव व्यवसाय जोखिम ▶ कार्यनीतिक जोखिम ▶ मॉडल जोखिम ▶ कन्टेजन जोखिम ▶ प्रतिभूतिकरण जोखिम
	■	भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उसके अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के पूर्वानुमानित निवेश एवं भारतीय स्टेट बैंक एवं उसकी सहयोगी अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों (देशीय एवं विदेशी) के अग्रिमों की पूर्वानुमानित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए और 3 से 5 वर्ष की मध्यावधि में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए वार्षिक रूप में अथवा आवश्यकता के अनुसार अस्थिरता विश्लेषण किया जाता है। यह विश्लेषण भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक समूह के लिए अलग-अलग किया जाता है।
	■	3 से 5 वर्ष की मध्यावधि के दौरान बैंक के एवं समूह के लिए संपूर्ण रूप में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) विनियामक द्वारा निर्धारित प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता अनुपात से अधिक रहने का अनुमान है। तथापि, पर्याप्त पूंजी बनाए रखने के लिए जब-जब जरूरत हो, ऋण लिखत के अतिरिक्त गौण ऋण और बेमीयादी ईक्विटी लिखतों के जरिए अपने पूंजीगत संसाधन बढ़ाने का विकल्प बैंक के पास होगा।
	■	आस्तियों की संवृद्धि के लिए पूंजी की आवश्यकता और विभिन्न स्थानीय विनियामक अपेक्षाओं और विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने हेतु अपेक्षित पूंजी का निर्धारण विदेशी अनुषंगियों के लिए पूंजी की कार्यनीतिक योजना में शामिल है। हर अनुषंगी की सीईटी 1/एटी1 और श्रेणी-2 पूंजी जुटाने की क्षमता के बारे में संतुष्टि कर लेने के बाद मूल बैंक पूंजी बढ़ाने की योजना का अनुमोदन करता है, ताकि पूंजी का स्तर बढ़ाने के साथ-साथ पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) बनाए रखने में सहायता मिल सके।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ख)	**ऋण जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता**	
	▶ मानक पद्धति के अनुसार पोर्टफोलियो	₹1,31,950.57 करोड़
	▶ निवेश का प्रतिभूतिकरण	शून्य
	कुल	₹1,31,950.57 करोड़
(ग)	**बाजार जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता**	
	▶ (मानक अवधि पद्धति)	
	• ब्याज दर जोखिम	₹ 7,620.98 करोड़
	• विदेशी मुद्रा जोखिम (जिसमें स्वर्ण शामिल है)	₹174.59 करोड़
	• इक्विटी जोखिम	₹3,460.35 करोड़
	कुल	₹11,255.92 करोड़
(घ)	**परिचालन जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता**	
	• मूल संकेतक पद्धति	₹14,928.04 करोड़
	• मानक पद्धति (यदि लागू हो)	
	कुल	₹14,928.04 करोड

(ङ) सामान्य ईक्विटी टियर 1, टियर 2 एवं कुल पूंजी अनुपाल:

दिनांक 31.03.2016 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात

		सीईटी 1 (%)	श्रेणी-1(%)	योग (%)
• शीर्ष समेकित समूह के लिए, तथा • बैंक की महत्वपूर्ण अनुषंगियों के लिए (एकल या उप-समेकित जो इस पर निर्भर है कि मानदंड किस प्रकार लागू किए जाते हैं)	एसबीआई समूह	9.67	9.87	12.92
	भारतीय स्टेट बैंक	9.81	9.92	13.12
	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	8.81	8.97	11.06
	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	8.90	9.27	11.62
	स्टेट बैंक आफ मैसूर	9.01	9.28	12.43
	स्टेट बैंक आफ पटियाला	8.12	8.32	11.50
	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	8.90	9.19	11.60
	एसबीआई (मारीशस) लि.	20.09	20.09	21.14
	एसबीआई कनाडा बैंक	17.76	17.76	20.47
	भारतीय स्टेट बैंक (केलिफोर्निया)	16.39	16.39	17.64
	कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एलएलसी मॉस्को	34.37	34.37	34.37
	पीटी बैंक एसबीआई, इंडोनेशिया	40.24	40.24	40.24
	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	12.21	12.21	15.11
	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.	20.26	20.26	20.26

डीएफ-3 : ऋण जोखिम : सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण

पिछले बकायों और ह्रासित आस्तियों की परिभाषा (लेखाकरण के उद्देश्य से)

अनर्जक आस्तियां

कोई भी आस्ति ऐसी स्थिति में अनर्जक आस्ति बन जाती है, जब वह बैंक के लिए आय अर्जित करना बंद कर देती है। दिनांक 31 मार्च 2006 से ऐसे अग्रिमों को अनर्जक आस्ति (एनपीए) माना जाता है, जहां :

i. किसी मीयादी ऋण के ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है;

ii. कोई ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) खाता 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अनियमित' रहता है;

iii. खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहता है;

iv. अन्य प्रकार के खातों में प्राप्य राशि 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है;

v. अल्प अवधि फसलों के लिए संस्वीकृत कोई ऋण तब एनपीए माना जाता है, जब मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसली मौसमों के लिए अतिदेय रहता है। दीर्घावधि फसलों के लिए तब एनपीए माना जाता है, जब मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहता है; और

vi. कोई खाता तभी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जब किसी तिमाही में लगाया गया ब्याज तिमाही की समाप्ति से 90 दिन के अंदर अदा न किया गया हो।

vii. प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के मामले में चलनिधि सुविधा की राशि प्रतिभूतिकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 1 फरवरी 2006 के दिशानिर्देशों के अनुसार 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है

viii. व्युत्पन्न लेनदेनों के मामले में ऐसी अतिदेय प्राप्य राशियां जो किसी व्युत्पन्न संविदा के बाजार मूल्य के सकारात्मक मार्क को बताती हैं, भुगतान हेतु देय तारीख से 90 दिनों के लिए अतिदेय होती हैं।

'अनियमित श्रेणी'

किसी खाते को उस स्थिति में 'अनियमित' माना जाता है, जब उसमें बकाया राशि निरंतर संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक रहे।

यदि किसी मूल परिचालन खाते में बकाया राशि संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम हो, किंतु बैंक के तुलन-पत्र की तिथि को लगातार 90 दिनों तक कोई राशि जमा न की गई हो अथवा इस अवधि के दौरान लगाए गए ब्याज को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि जमा न की गई हो, तो ऐसे खाते को 'अनियमित' माना जाएगा।

'अतिदेय'

किसी ऋण सुविधा के तहत ऋणी द्वारा बैंक को देय कोई भी राशि तब 'अतिदेय' मानी जाती है, जब वह बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को अदा न की गई हो।

▶ बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा

बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन नीति विद्यमान है, जिसकी प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है। कुछ वर्षों से अवधारणाओं के जन्म लेने और प्राप्त अनुभवों से इस नीति और कार्यविधि में परिष्कार आया है। नीति एवं कार्य-विधियां बेसल-II और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई हैं।

ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में ऋण जोखिम की पहचान, उसका निर्धारण, उसका मापन, जोखिम की निगरानी तथा उसका नियंत्रण शामिल है।
ऋण जोखिम की पहचान और निर्धारण में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं ;

i. प्रतिपक्ष जोखिम का निर्धारण करने के लिए ऋण जोखिम निर्धारण मॉडल/स्कोरिंग मॉडल तैयार और परिष्कृत करना। इसके लिए विभिन्न जोखिमों को ध्यान में रखा जाता है। इन जोखिमों को मोटे तौर पर वित्तीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और प्रबंधन जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हर एक का अलग-अलग स्कोर तैयार किया जाता है।

ii. औद्योगिक अनुसंधान करना, जिनसे बड़े/महत्वपूर्ण उद्योगों को संभालने के लिए मात्रात्मक जोखिम मापदंड निर्धारित किए और नीतिगत उपचार सुझाए जा सके। इसके लिए समय-समय पर उद्योगों/क्षेत्रों के लिए सामान्य दृष्टिकोण पर परामर्श दिया जाता है।

ऋण जोखिम के मापन में ऋण जोखिम के सभी घटकों यथा- चूक की संभावना, ऋण चुकौती में चूक करने पर हुई हानि और ऋण चुकौती में चूक करने से जुड़ी जोखिम आदि की गणना की जाती है।

ऋण जोखिम की निगरानी और नियंत्रण में जोखिम सीमाएँ निर्धारित करना शामिल है, जिससे एकल ऋणी, ऋणी समूह और उद्योगों को दिए गए ऋणों में समुचित विविधता लाया जा सके। बेहतर जोखिम प्रबंधन और ऋण जोखिम के संकेंद्रीकरण से बचने के लिए, व्यक्तिगत ऋणियों, ऋणी समूह कंपनियों, बैंकों, वैयक्तिक ऋणियों, गैर-कारपोरेट इकाइयों, पूंजी बाजार, भू-संपदा आदि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के विवेकपूर्ण जोखिम मानदंडों से संबंधित आंतरिक दिशा-निर्देश विद्यमान हैं। इकाइयों द्वारा ऋण जोखिम दबाव परीक्षण किए जाते हैं, जिससे जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके।

बैंक के पास एक ऐसी ऋण नीति भी है, जो सुनिश्चित करती है कि संविभाग के अंदर प्रत्येक आस्ति की गुणवत्ता में अनावश्यक ह्रास न हो। इसके साथ-साथ संविभाग स्तर पर आस्तियों की समग्र गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना भी इसका उद्देश्य है। इसके लिए लचीलापन एवं नवोन्मेषन के लिए काफी संभावना रखते हुए ऋण बेसिक्स, मूल्यांकन निपुणता, प्रलेखीकरण मानदंड एवं संस्थात्मक चिंताओं व कार्यनीतियों की जागरूकता संबंधी एकसमान दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

मूल्यांकन, कीमत-निर्धारण, ऋण अनुमोदन प्राधिकार, प्रलेखीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी, ऋण सुविधाओं की समीक्षा और नवीकरण, समस्याग्रस्त ऋणों का प्रबंधन, ऋण निगरानी आदि ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलू से संबंधित प्रक्रियाएँ और नियंत्रण बैंक में विद्यमान हैं। ऋण लेखा-परीक्षा प्रणाली भी बैंक में मौजूद है। दस करोड़ रुपए और इससे अधिक की जोखिम वाले वाणिज्यिक ऋण संविभाग की गुणवत्ता को निरंतर उन्नत बनाना इस प्रणाली का लक्ष्य है। ऋण लेखा-परीक्षा में ऋण मंजूरी के विभिन्न स्तरों पर किए गए निर्णयों की लेखा-परीक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा प्रणाली के अंतर्गत मंजूरी पूर्व की प्रक्रियाओं और मंजूरी के बाद की स्थिति दोनों की लेखा-परीक्षा की जाती है। ऋण लेखापरीक्षा चयनित जोखिमों की जांच करती है और जोखिम कम करने के उपाय भी सुझाती है।

डीएफ-3 : 31 मार्च 2016 तक का मात्रात्मक प्रकटीकरण (बीमा संस्थाएं, संयुक्त उद्यम एवं गैर-वित्तीय संस्थाएं शामिल नहीं हैं)

सामान्य प्रकटीकरण :		**राशि करोड़ रुपये में**	
मात्रात्मक प्रकटीकरण	**निधि आधारित**	**गैर-निधि आधारित**	**योग**
(ख) ऋण जोखिम की कुल राशि	1928714.97	467472.30	2396187.27
(ग) जोखिम राशि का भौगोलिक संवितरण : निधि आधारित/गैर-निधि आधारित			
विदेशी	280212.88	39797.83	320010.71
देशीय	1648502.09	427674.47	2076176.56
(घ) जोखिम राशि का उद्योग के प्रकार के अनुसार वितरण		कृपया तालिका 'क' देखे	
निधि आधारित/गैर-निधि आधारित अलग-अलग		कृपया तालिका 'ख' देखे	
(ड.) आस्तियों का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण			
(च) अनर्जक आस्तियों की राशि (कुल) अर्थात (I से iv का योग)			123463.87
i. अवमानक			38661.95
ii. संदिग्ध 1			40330.01
iii संदिग्ध 2			32513.19
iv. संदिग्ध 3			8988.19
v. हानिप्रद			2970.53
(छ) निवल अनर्जक आस्तियां			69809.03
(ज) अनर्जक आस्ति अनुपात			
i) सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां			6.40
ii) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां			3.73
(झ) अनर्जक आस्तियों में वृद्धि-कमी (कुल)			
i) प्रारंभिक शेष			74613.37
ii) वृद्धि			91899.40
iii) कमी			43048.90

स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित) 31.03.2016 को

सामान्य प्रकटीकरण :		राशि करोड़ रुपये में	
मात्रात्मक प्रकटीकरण	**निधि आधारित**	**गैर-निधि आधारित**	**योग**
iv) अंतिम शेष			123463.87
(ञ) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में वृद्धि-कमी			
i) प्रारंभिक शेष			36812.67
ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान			36859.34
iii) अपलेखन			20001.37
iv) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन			15.80
v) अंतिम शेष			53654.84
(ट) अपलेखन एवं वसूलियाँ जो आय मे सीधे बुक की गई हैं।			668.85
(ठ) अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि			372.24
(ड) निवेशों के मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों में वृद्धि-कमी			
i) प्रारंभिक शेष			678.28
ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान			801.76
iii) जोड़ें : विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यन समायोजन			0.00
iv) अपलेखन			335.98
v) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन			448.42
vi) अंतिम शेष			695.64
(च) प्रमुख उद्योग अथवा प्रति पक्ष प्रकार द्वारा			
(i) अलाभकारी आस्ति की राशि, यदि संभव हो तो अलग से दिए गए पिछले बकाया ऋण			70423.13
(ii) विशिष्ट एवं सामान्य प्रावधान एवं			6237.98
(iii) वर्तमान अवधि के दौरान विशिष्ट प्रावधान एवं बट्टे खाते में डाली गई राशि			1156.17
(छ) विशिष्ट एवं सामान्य प्रावधान सहित महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों द्वारा अलग से दिए गए पिछले बकाया ऋण एवं अलाभकारी आस्ति की राशि			66439.66
प्रावधान			3992.12

तालिका-क : डीएफ-3 (घ) दिनांक 31.03.2016 को एक्सपोजर का औद्योगिक वितरण

(राशि करोड़ रुपये में)

कोड	**उद्योग**	**निधि आधारित (शेष राशियां)**			**गैर-निधि आधारित (शेष राशियां)**
		मानक	**अनर्जक**	**कुल**	
1	कोयला	2,993.74	1,425.07	4,418.81	3023.83
2	खदान	8,288.48	630.58	8,919.06	2930.15
3	लोह एवं इस्पात	111,655.25	22,696.56	134,351.81	29781.90
4	धातु उत्पाद	47,772.99	2,271.14	50,044.13	10395.09
5	सभी अभियांत्रिकी	38,619.06	5,574.56	44,193.62	75732.29
5.1	जिसमें से इलेक्ट्रानिक	10,358.59	768.34	11,126.93	8778.68
6	बिजली	35,722.05	243.16	35,965.21	1012.85
7	सूती वस्त्र	30,021.99	4,818.55	34,840.54	5333.42
8	जूट वस्त्र	453.60	55.41	509.01	65.68
9	अन्य वस्त्र	26,233.58	3,409.26	29,642.84	3034.36
10	चीनी	9,603.16	687.69	10,290.85	950.71
11	चाय	748.79	119.21	868.00	25.86

कोड	उद्योग	निधि आधारित (शेष राशियां)			गैर-निधि आधारित (शेष राशियां)
		मानक	अनर्जक	कुल	
12	खाद्य प्रसंस्करण	34,179.36	5,542.92	39,722.28	2787.13
13	वनस्पति तेल एवं वनस्पति	5,226.36	1,279.86	6,506.22	6072.66
14	तंबाकू/तंबाकू उत्पाद	654.92	11.80	666.72	282.51
15	कागज/कागज उत्पाद	5,150.95	1,095.82	6,246.77	881.08
16	रबड़/रबड़ उत्पाद	4,742.98	216.69	4,959.67	1531.27
17	रसायन/रंग/रोगन आदि	73,770.59	4,989.82	78,760.41	41907.45
17.1	जिसमें उर्वरक	12,141.75	52.94	12,194.69	5368.80
17.2	जिसमें पेट्रोरसायन	40,471.74	1,262.89	41,734.63	31090.07
17.3	जिसमें दवाइयां एवं औषधियाँ	9,425.59	2,755.23	12,180.82	1727.95
18	सीमेंट	8,481.33	701.30	9,182.63	2572.11
19	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	2,499.98	82.80	2,582.78	474.68
20	रत्न एवं आभूषण	12,952.88	2,070.69	15,023.57	2666.88
21	निर्माण	20,512.05	525.59	21,037.64	4242.96
22	पेट्रोलियम	49,734.19	1,137.65	50,871.84	18499.59
23	आटोमोबाइल एवं ट्रक	14,884.47	215.08	15,099.55	6294.37
24	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3,446.40	587.55	4,033.95	7756.05
25	आधारिक संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर)	282,530.90	15,029.26	297,560.16	93883.74
251	जिसमें बिजली	166,194.82	3,955.23	170,150.05	25257.43
252	जिसमें दूरसंचार	27,331.64	559.77	27,891.41	23055.29
253	जिसमें मार्ग एवं बंदरगाह	30,930.20	4,325.25	35,255.45	16760.64
26	अन्य उद्योग	161,367.04	12,756.97	174,124.01	53553.99
27	एनबीएफसी एवं शेयरों की खरीद-फरोख्त	196,674.59	9,836.64	206,511.23	55342.57
28	शेष अग्रिम	616,284.17	25,452.24	641,736.41	36437.10
	योग	**1,805,251.10**	**123,463.87**	**1,928,714.97**	**467472.30**

तालिका - ख डीएफ-3 (ङ) भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) 31.03.2016* की स्थिति के अनुसार शेष आस्तियों का संविदागत परिपक्वता विवरण

(₹ करोड़ में)

	अंतर्वाह	1-14 दिन	15-30 दिन	31 दिन एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक	कुल
1	नकदी	17523.37	0.26	0.51	4.31	13.48	3.33	8.56	0.00	0.00	**17553.82**
2	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाशेष	49578.49	1560.35	1274.22	1473.10	4019.48	16000.99	26830.35	10586.70	31313.87	**142637.55**
3	अन्य बैंकों के पास जमाशेष	33167.99	1489.13	1287.49	1998.97	2210.45	911.19	3372.93	0.00	22.79	**44460.94**
4	निवेश	18283.22	3415.59	11068.11	11336.81	18350.74	29471.97	111843.44	78544.10	356023.26	**638337.24**
5	अग्रिम	115536.72	28229.30	56659.84	60484.72	66958.22	100337.69	853996.62	221617.79	369721.41	**1873542.31**
6	अचल आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.29	11.66	43.37	14639.00	**14709.32**
7	अन्य आस्तियां	52308.05	9174.29	3044.28	7356.72	8864.14	9917.15	9526.63	8304.25	63050.62	**171546.13**
	कुल	**286397.84**	**43868.92**	**73334.45**	**82654.63**	**100416.51**	**156657.61**	**1005590.19**	**319096.21**	**834770.95**	**2902787.31**

टिप्पणियां*

i) बीमा संस्थाएँ, गैर-वित्तीय संस्थाएँ, संयुक्त उद्यम, विशेष प्रयोजन माध्यम एवं अंत:-समूह समायोजन शामिल नहीं किए गए हैं।

ii) निवेशों में अलाभकारी निवेश एवं अग्रिमों में अलाभकारी अग्रिम शामिल हैं।

iii) 23 मार्च 2016 के भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर समूहन संरचना (बकेटिंग) को संशोधित किया गया है।

डीएफ-4 : ऋण जोखिम : मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत संविभागों का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) मानकीकृत पद्धिति के अंतर्गत आने वाले संविभाग के लिए

- **प्रयुक्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम, साथ में यदि कोई परिवर्तन हुए हों तो उनके कारण भी**

  भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक ने देशीय और विदेशी ऋण जोखिमों की रेटिंग के लिए क्रमशः केयर, क्रिसिल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग, एसएमईआरए और ब्रिकवर्क (देशीय ऋण रेटिंग एजेंसियों) तथा फिच, मूडीज एवं एसएंडपी (अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों) का अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों के रूप में चयन किया है, जिनकी रेटिंगों का जोखिम भारित आस्तियों तथा पूंजी ऋण भार के परिकलन के लिए प्रयोग किया जाता है।

- **ऋण जोखिम के प्रकार, जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी उपयोग में लाई गई**

  (i) एक वर्ष से कम या एक वर्ष के बराबर की संविदात्मक परिपक्वता वाले ऋण जोखिम हेतु (कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों को छोड़कर), अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई अल्पावधि रेटिंग उपयोग में लाई गई।

  (ii) देशीय कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों (अवधि का विचार किए बिना) के लिए और 1 वर्ष से अधिक के मीयादी ऋण निवेश हेतु, लांग टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।

- **बैंकिंग बही में तुलना योग्य आस्तियों के अंतरण हेतु पब्लिक इश्यू रेटिंगों को उपयोग में लाई गई प्रक्रिया का विवरण**

  बैंक की बाह्य श्रेणीकरण एप्लिकेशन ढांचे के प्रमुख पहलू निम्नानुसार हैं:

  - ऋण श्रेणीकरण एजेंसियों द्वारा विशेष रूप से बैंक के दीर्घावधि एवं अल्पावधि ऋणों के लिए दी गई सभी दीघावधि एवं अल्पावधि श्रेणियों को बैंक द्वारा इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग माना जाता है।
  - विदेशी सॉवरिन एवं विदेशी बैंक ऋण निर्गमकर्ता द्वारा उन्हें दी गई श्रेणी के आधार पर जोखिम भारित होते हैं।
  - बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सुविधा/उधारकर्ता की बाह्य श्रेणी की पिछले 15 महीनों की अवधि में कम से कम एक बार ईसीएआई द्वारा समीक्षा की जाती है और यह इसे लगाए जाने की तारीख को चालू है।
  - जहां कई ऋण श्रेणी ऐजेंसियों द्वारा एक ही संस्था को बहुविध जारीकर्ता श्रेणियां दी जाती हैं, तो इस संबंध में जहां किसी सुविधा के लिए दो श्रेणियां दी गई हों, तो वहां कम श्रेणी, और जहां तीन अथवा उससे अधिक श्रेणियां दी गई हों, तो दूसरी कम श्रेणी का इस्तेमाल किया जाता है।

  निम्नलिखित मामलों में उसी ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष के अन्य अनरेटिड एकस्पोजरों के लिए लांग टर्म इश्यू स्पेशिफिक रेटिंग्ज (बैंक के स्वयं के ऋण जोखिमों या उसी ऋणी ग्राहक/प्रतिपक्ष द्वारा जारी किए गए अन्य ऋण) अथवा जारीकर्ता (ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष) रेटिंग उपयोग में लाई गई।

  - इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग या जोखिम भार की तुलना में जारीकर्ता रेटिंग मैप यदि अनरेटिड एक्सपोजरों के समतुल्य या अधिक है, तो उसी प्रतिपक्ष के किसी अन्य अनरेटिड ऋण जोखिम के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रेटिंग और यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से रेटिड ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे कम हो, तो वही जोखिम भार लागू किया गया।
  - उन मामलों में जहां ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष ने कोई ऋण जारी किया है (जो बैंक से उधारी नहीं है), यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से कतिपय रेटिंग वाले ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे अधिक थी और बैंक के अनरेटिड एक्सपोजर की परिपक्वता रेटिड डैट की परिपक्वता के बाद की नहीं थी, तो उस ऋण को दी गई रेटिंग बैंक के अनरेटिड एक्सपोजर के लिए उपयोग में लाई गई।

31.03.2016 को मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि करोड़ रुपये में)

ख)	जोखिम कम करने के पश्चात मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण निवेश हेतु प्रत्येक जोखिम वर्ग के अंतर्गत बैंक की बकाया (श्रेणीबद्ध एवं अश्रेणीबद्ध) राशियों के अलावा अन्य घटाई गई राशियां	
	100% से कम जोखिम भार : ₹	1512863.16
	100% जोखिम भार : ₹	560379.61
	100% से अधिक जोखिम भार : ₹	320061.05
	घटाई गई ₹	2883.45
	कुल ₹	**2396187.27**

डीएफ-5 ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत पद्धति के अनुसार प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) निम्नलिखित सहित ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में सामान्य मात्रात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा

▶ **तुलन पत्र में शामिल और शामिल न की गई निवलीकरण नीतियाँ और प्रक्रियाएँ और बैंक इनका किस सीमा तक उपयोग करता है**

तुलन-पत्र की निवलीकरण जोखिम मदें ऐसे ऋणों/अग्रिमों और जमाराशियों तक सीमित रहती है, जिनके लिए बैंक के पास प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार, दस्तावेजी प्रमाण सहित विशिष्ट ग्रहणाधिकार है। बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन निवल ऋण जोखिम के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है ;

जहां बैंक,

क. के पास यह निर्णय लेने का ठोस कानूनी आधार है कि वह निवल राशि की वसूली/समायोजन करार को प्रत्येक अधिकार क्षेत्र में लागू कर सकता है, भले ही प्रतिपक्ष दिवालिया क्यों न हो;

ख. किसी भी समय उसी प्रतिपक्ष के ऋण/अग्रिम तथा जमाराशियों का निवल वसूली का निर्धारण करार के अनुसार कर सकता है; तथा

ग. निवलीकरण के आधार पर संबंधित जोखिमों की निगरानी तथा नियंत्रण करता है, वह अपनी पूंजी पर्याप्तता के आकलन के आधार के रूप में ऋणों/अग्रिमों तथा जमा-राशियों का निवल जोखिम के रूप में प्रयोग कर सकता है। ऋण/अग्रिम को जोखिम तथा जमाराशियों को संपार्श्विक माना गया है।

▶ **संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं**

बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन के लिए एकीकृत नीति विद्यमान है, जिसकी प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है। ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन, पूंजी-परिकलन के लिए प्रयुक्त ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के प्रति बैंक के दृष्टिकोण को इस नीति के भाग ख में स्पष्ट किया गया है।

इस नीति का उद्देश्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का इस ढंग से वर्गीकरण और मूल्यांकन करना है कि उनके प्रकटीकरण के लिए नियामक पूंजी समायोजन किया जा सके।

इस नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिससे ऋण जोखिम के लिए समुचित रूप से प्रति संतुलन करने के पश्चात संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य के समान ऋण जोखिम राशि कारगर ढंग से घटाकर संपार्श्विक प्रतिभूति का पूर्ण रूप से समायोजन किया जा सकता है। इस नीति में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान दिया गया है ;

(i) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का वर्गीकरण
(ii) स्वीकार्य जोखिम न्यूनीकरण तकनीक
(iii) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के लिए प्रलेखीकरण और विधिक प्रक्रिया
(iv) संपार्श्विक प्रतिभूति का मूल्यांकन
(v) मार्जिन और संतुलन अपेक्षाएं
(vi) संपार्श्विक प्रतिभूति की अभिरक्षा
(vii) बीमा
(viii) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों की निगरानी
(ix) सामान्य दिशा-निर्देश

▶ **बैंक द्वारा मुख्यतया जिस प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियां ली गई हैं, उनका ब्यौरा**

मानकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत सामान्यतया निम्नलिखित संपार्श्विक प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के रूप में मान्यता प्राप्त है:

- नकदी या नकदी समतुल्य (बैंक जमाराशियां/एनएससी/किसान विकास पत्र/एलआईसी पॉलिसी आदि)
- स्वर्ण
- केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां
- ऐसी ऋण प्रतिभूतियां, जिन्हें अल्पावधि ऋण लिखतों के लिए बीबीबी या बेहतर/पीआर3/पी3/एफ3/ए3 रेटिंग प्राप्त है

म्यूचुअल फंड इकाइयों का विनियमन प्रतिभूति विनियामक द्वारा किया जाता है।

▶ **मुख्यतया जिस प्रकार के प्रतिपक्षीय गारंटीकर्ता स्वीकार किए जाते हैं, उनका ब्योरा और उनकी ऋण-पात्रता**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बैंक निम्नलिखित संस्थाओं को पात्र गारंटीकर्ताओं के रूप में स्वीकार करती है :

- सरकार, सरकारी संस्थाएं (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (बीआईएस) सहित), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), यूरोपीय केंद्रीय बैंक और यूरोपीय समुदाय तथा बहुपक्षीय विकास बैंक, निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइजेस (सीजीटीएमएसई), सरकारी उपक्रम, बैंक और प्राथमिक व्यापारी (प्राइमरी डीलर) जिनका जोखिम भार प्रतिपक्ष की तुलना में कम हो।

- अन्य गारंटीकर्ता जिनकी बाह्य रेटिंग एए या उससे बेहतर हो। यदि गारंटीकर्ता कोई मूल, संबद्ध कंपनी या अनुषंगी हो, तो उनका जोखिम भार बाध्यताधारी (आब्लिगर) के जोखिम भार से कम होना चाहिए, ताकि बैंक द्वारा गारंटी को स्वीकार किया जा सके। गारंटीकर्ता की रेटिंग उस संस्था की रेटिंग के बराबर होनी चाहिए, जिसकी उस संस्था की सभी देयताओं और बाध्यताओं में (गारंटियों सहित) हिस्सेदारी है।

▶ **जोखिम न्यूनीकरण मदों के भीतर अधिक जोखिम वाले (बाजार या ऋणों) के बारे में जानकारी:**

बैंक का आस्ति-संविभाग भलीभांति विविधीकृत है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियां प्राप्त की गई हैं, यथा :-

- ऊपर सूचीबद्ध पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियां
- सरकार और अच्छी रेटिंग कंपनियों द्वारा दी गई गारंटियां
- प्रतिपक्ष की अचल आस्तियां और चालू आस्तियां

31 मार्च 2016 को मात्रात्मक प्रकटीकरण

		(राशि करोड़ रुपये में)
(ख)	अलग से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल ऋण जोखिम (जहां लागू हो, तुलन-पत्र में शामिल या न शामिल ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात) वह होती है, जो कटौतियां लागू करने के पश्चात पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित है।	252267.31
(ग)	अलग से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल ऋण जोखिम (तुलन-पत्र में शामिल या न शामिल ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात, जहां लागू है) वह होती है, जो गारंटियों/ऋण व्युत्पन्नों द्वारा सुरक्षित किया गया है। (जहां कहीं भी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमत हो)	24660.19

डीएफ-6 : प्रतिभूतिकरण जोखिम : मानकीकृत पद्धति संबंधी प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) प्रतिभूतिकरण के गुणात्मक प्रकटीकरण की सामान्य अपेक्षा, जिसमें उसका विवेचन भी शामिल है :	
प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के संबंध में बैंक के लक्ष्य। साथ ही वह सीमा, जहां तक ये गतिविधियां प्रतिभूतिकृत ऋणों की अंतर्निहित जोखिम को बैंक से दूर अन्य संस्थाओं को अंतरित करती हैं।	निरंक
प्रतिभूतिकृत आस्तियों में अंतर्निहित अन्य जोखिमों (जैसे नकदी जोखिम) का स्वरूप।	लागू नहीं
प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में बैंक द्वारा अदा की गई विभिन्न प्रकार की भूमिकाएँ (उदाहरणार्थ प्रवर्तक, निवेशक, सेवा-प्रदाता, ऋण वृद्धि प्रदाता, चलनिधि प्रदाता, विनिमय प्रदाता@, संरक्षण प्रदाता#) और उनमें से प्रत्येक में बैंक की संबद्धता की सीमा;	
@ नियामक के नियमों के अंतर्गत अनुमत होने पर बैंक द्वारा संबंधित आस्तियों के ब्याज दर/करेंसी संबंधी जोखिम को कम करने के लिए ब्याज दर अदला-बदली अथवा करेंसी अदला-बदली के रूप में प्रतिभूतिकरण संरचना में सहायता उपलब्ध कराई हो सकती है,	
# नियामक के नियमों के अंतर्गत अनुमत होने पर गारंटियों, ऋण डेरीवेटिव्स या ऐसे ही किसी अन्य उत्पाद के जरिए बैंक किसी प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए ऋण सुरक्षा प्रदान कर सकता है।	लागू नहीं
प्रतिभूतिकरण निवेशों के ऋण और बाजार जोखिमों में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी के लिए उपलब्ध प्रक्रियाओं का वर्णन (उदाहरण के लिए एनसीएएफ पर 1 जुलाई 2012 के मास्टर सर्कुलर के पैरा 5.16.1 में बताए गए अनुसार संबंधित आस्तियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव का प्रतिभूति निवेशों पर कैसा प्रभाव पड़ता है।)	लागू नहीं
प्रतिभूतिकरण निवेशों में बरकरार जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण पद्धतियों के उपयोग से संबंधित बैंक की नीति का वर्णन;	लागू नहीं
(ख) प्रतिभूतिकरण गतिविधियों पर बैंक की लेखांकन नीतियों का सारांश, जिसमें निम्नलिखित शामिल है :	
क्या लेनदेन को बिक्री या वित्तपोषण माना गया है ;	लागू नहीं

	प्रतिभूतिकरण की स्थिति को यथावत बनाए रखने या नई खरीद का मूल्यांकन करने में लागू की गई पद्धतियां और प्रमुख पूर्वानुमान (जानकारियों सहित)	लागू नहीं
	पिछली अवधि से पद्धतियों और प्रमुख धारणाओं में हुए परिवर्तन और परिवर्तनों का प्रभाव	लागू नहीं
	तुलनपत्र की देयताओं को उन व्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए अपनाई गई नीतियां, जिनके अंतर्गत प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना बैंक के लिए आवश्यक हो सकता है।	लागू नहीं
(ग)	बैंक के लेखों में प्रतिभूतिकरण के लिए किन ईसीएआई का उपयोग किया गया है और प्रत्येक एजेंसी का किस प्रकार के प्रतिभूतिकरण जोखिम के लिए उपयोग किया गया।	लागू नहीं
	मात्रात्मक प्रकटन : बैंकिंग बही	
(घ)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि	निरंक
(ङ)	ऋण जोखिमों से बचाव के लिए किए गए प्रतिभूतिकरण से चालू अवधि के दौरान हुई किन हानियों को बैंक द्वारा लेखों में शामिल किया गया है। प्रत्येक ऋण जोखिम का अलग-अलग (जैसे क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, वाहन ऋण आदि का संबंधित प्रतिभूति सहित विस्तृत ब्योरा) विवरण दें।	निरंक
(च)	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों की राशि	निरंक
(छ)	(च) में से प्रतिभूतिकरण से पूर्व एक वर्ष के अंदर प्रवर्तित आस्तियों की राशि	लागू नहीं
(ज)	प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार) और उस ऋण की बिक्री से हुए ऐसे लाभ या हानियां, जिन्हें लेखों में शामिल नहीं किया गया है।	निरंक
(झ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	
	तुलन-पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों, जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है, का ऋण के स्वरूप सहित विवरण	निरंक
	तुलन-पत्र में न शामिल प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके प्रकार के अनुसार विवरण	निरंक
(ञ)	यथावत बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों और उनसे संबंधित पूंजी खर्चों की कुल राशि। राशि ऋण जोखिमवार अलग-अलग दिखाई जाए और नियामक द्वारा अलग-अलग ऋण जोखिमों के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के अनुरूप उनके अलग-अलग जोखिम भार का भी उल्लेख करें।	निरंक
	ऐसे ऋण जोखिम, जिन्हें टियर I पूंजी में से पूर्णतया घटा दिया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण संवर्धन आई/ओ तथा कुल पूंजी से (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार) घटाए गए अन्य ऋण जोखिम	लागू नहीं
	मात्रात्मक प्रकटन : क्रय-विक्रय वही	
(ट)	बैंक द्वारा प्रतिभूत उन जोखिमों की कुल राशि जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिम यथावत् बनाए रखा है और जिसका बाजार जोखिम पद्धति के अनुसार आकलन किया जाना है। ऋण जोखिम के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें।	निरंक
(ठ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	
	तुलन-पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के प्रकार सहित अलग-अलग विवरण, जिन्हें यथावत बनाए रखा गया गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है।	निरंक
	तुलन-पत्र में शामिल नहीं किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके प्रकार के अनुसार अलग-अलग विवरण दें।	निरंक
(ड)	**उन प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों की कुल राशि, जो निम्नलिखित के लिए यथावत बनाई रखी गईं या खरीद गईं:**	
	विशिष्ट जोखिम को देखते हुए व्यापक जोखिम उपयोग के अंतर्गत यथावत बनाए रखे गए या नए खरीदे गए प्रतिभूतिकरण जोखिम, और	निरंक
	विशिष्ट जोखिम जिसे अलग-अलग जोखिम भार बांड में विभाजित किया गया है, के प्रतिभूतिकरण ढांचे के अध्यधीन प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम	निरंक
(ढ)	**निम्नलिखित की कुल राशि :**	
	प्रतिभूतिकरण ढाँचे जिसे अलग अलग जोखिम भार बांड में विभाजित किया गया है, के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम की पूंजीगत आवश्यकताएं	निरंक
	ऐसे ऋण जोखिम, जिन्हें टियर I पूंजी में से पूर्णतया घटा दिया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण संवर्धन आई/ओ तथा कुल पूंजी से (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार) घटाए गए अन्य ऋण जोखिम	निरंक

डीएफ-7 व्यापार बही में बाजार जोखिम

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण :

(1) बाजार जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता की गणना हेतु मानकीकृत अवधि पद्धति के अंतर्गत निम्नलिखित संविभाग सम्मिलित हैं:

- 'व्यापार के लिए रखी गई' और 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली प्रतिभूतियां।
- 'व्यापार के लिए रखी गई' श्रेणी वाली विदेशी मुद्रा और 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी वाले म्यूचुअल फंड
- समस्त डिरेव्हिटिव स्थितियाँ, उन डिरेव्हिटिव को छोड़कर जो बैंकिंग बहियों के बचाव के लिए उपयोग किए जाते हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक की अनिवार्यता के अनुसार बचाव प्रभाविता परीक्षण पर खरे उतरते हैं।

2) बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित अभिशासन संरचना के अनुसार बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग के एक भाग के रूप में बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) कार्य कर रहा है।

3) बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग राजकोष परिचालनों से संबद्ध बाजार जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी है।

4) प्रत्येक आस्ति वर्ग के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुस्पष्ट बाजार जोखिम प्रबंधन मानदंडों सहित निम्नलिखित नीतियों को लागू किया गया है :

क) बाजार जोखिम प्रबंधन नीति
ख) बाजार जोखिम सीमाओं की समीक्षा (व्यापार बही)
ग) निवेश नीति
घ) ब्याज दर प्रतिभूतियों एवं ईक्विटी में व्यापार के लिए नीति
ड) डेरीवेटिव्स व्यापार नीति
च) विदेशी मुद्रा व्यापार नीति
छ) जोखिम मूल्य नीति
ज) दबाव परीक्षण नीति
झ) मॉडल प्रमाणीकरण नीति
ञ) मूल्यांकन नीति

5) जोखिम निगरानी एक सतत प्रक्रिया है और इसमें जोखिम प्रोफाइलों का विश्लेषण किया जाता है तथा उनकी सूचना बाजार जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति और शीर्ष प्रबंधन को नियमित अंतराल पर दी जाती है।

6) जोखिम प्रबंधन और उसकी रिपोर्टिंग सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार आशोधित अवधि, पीवी 01, ऑप्शन ग्रीक, अधिकतम अनुमत जोखिम, जोखिम मूल्य, संकेंद्रित जोखिम सीमाएं, कट लॉस ट्रिगर एवं मैनेजमेंट एक्शन ट्रिगर जैसे मानदंडों के आधार पर की जाती है।

7) बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित फॉरेक्स ओपन पोजीशन सीमा (दिन/रात), हानि नियंत्रण सीमा, सकल अंतराल सीमा, वैयक्तिक अंतराल सीमा की निगरानी की जाती है और कोई अपवाद हो तो बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की बाजार जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट किए जाते हैं।

8) मूल्य जोखिम की गणना प्रतिदिन की जाती है। मूल्य जोखिम का पश्च-परीक्षण प्रतिदिन किया जाता है। मूल्य जोखिम के अनुपूरक के रूप में दबाव परीक्षण तिमाही अंतराल पर किया जाता है। इनके परिणाम बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की बाजार जोखिम प्रबंधन समिति को सूचित किए जाते हैं।

9) विदेश स्थित कार्यालय अपने देश के स्थानीय विनियामक की अपेक्षाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारणों के अनुसार अपने निवेश संविभाग की जोखिम निगरानी करते हैं। कतिपय संविभागों के किसी एक विनिधान के लिए हानि नियंत्रण सीमा और जोखिम सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

10) बाजार जोखिम के पूंजी प्रभार की गणना के लिए बैंक ने आंतरिक मॉडल पद्धति के नाम से उन्नत पद्धति अपनाने का निर्णय किया है और इस बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक को आशय पत्र प्रस्तुत किया है।

(ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण
बाजार जोख़िम के लिए पूंजी प्रभार

मानक माप पद्धति के अंतर्गत बैंक बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार निम्नानुसार बनाए रखता है:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2016
ब्याज दर जोखिम (डेरीवेटिव्स सहित)	7620.98
इक्विटी स्थिति जोखिम	3460.35
विदेशी विनिमय जोखिम	174.59
कुल	**11255.92**

डीएफ-8 : परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन

- परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग भारतीय स्टेट बैंक के साथ-साथ उसके प्रत्येक सहयोगी बैंक में कार्यरत है, जो परिचालन जोखिम अभिशासन के समन्वित तंत्र का ही हिस्सा है और यह अपने-अपने मुख्य जोखिम अधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य करता है। मुख्य जोखिम अधिकारी प्रबंध निदेशक (अनुपालन एवं जोखिम) को रिपोर्ट करते हैं।
- समूह की अन्य इकाइयों में परिचालन जोखिम संबंधी मुद्दों का निपटान व्यवसाय मॉडल की अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित इकाइयों के मुख्य जोखिम अधिकारियों के समग्र नियंत्रण में किया जा रहा है।

ख. परिचालन जोखिम को नियंत्रित और कम करने संबंधी नीतियां

देशीय बैंकिंग संस्थाएँ (भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंक)

भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में निम्नलिखित नीतियां, संरचना प्रलेख एवं मैनुअल लागू हैं :

नीतियाँ एवं संरचना प्रलेख

- परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति बैंक में लागू है, जिसका उद्देश्य परिचालन जोखिमों की व्यवस्थित एवं समय रहते पहचान, आकलन, मापन, निगरानी, न्यूनीकरण एवं रिपोर्ट करने हेतु स्पष्ट एवं ठोस परिचालन जोखिम प्रबंधन तंत्र की स्थापना करना है,
- आँकड़ा नुकसान प्रबंधन
- बाहरी नुकसान आँकड़ा प्रबंधन नीति
- सूचना सुरक्षा (आई एस) नीति
- सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) नीति
- व्यवसाय निरंतरता योजना संबंधी नीति (बीसीपी)
- व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली नीति (बीसीएमएस)
- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों संबंधी नीति और धन शोधन निवारक (एएमएल)/आतंकवाद वित्तीयन निवारक उपाय नीति
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति
- बैंक की आउटसोर्सिंग नीति
- बीमा नीति
- परिचालन जोखिम निर्वहन क्षमता संरचना (एसबीआई) प्रलेख
- परिवर्तन प्रबंधन संरचना प्रलेख
- पूंजी परिकलन संरचना प्रलेख

मैनुअल

- परिचालन जोखिम प्रबंधन मैनुअल
- आंकड़ा नुकसान मैनुअल
- व्यवसाय निरंतरता आयोजना (बीसीपी) मैनुअल
- व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस)

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयां

गैर-बैंकिंग व्यावसायिक इकाइयों के लिए उनके व्यावसायिक मॉडल से संबंधित और विदेशी बैंकिंग इकाइयों के संबंध में विदेशी विनियामकों की आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां और मैनुअल विद्यमान हैं। कुछ अन्य विद्यमान नीतियाँ हैं- आपदा पुनरुत्थान योजना/व्यवसाय निरंतरता योजना, दुर्घटना रिपोर्टिंग तंत्र, निअर मिस इवेंट्स रिपोर्टिंग तंत्र, आउटसोर्सिंग नीति आदि।

ग. कार्यनीतियां और प्रक्रियाएं

देशीय बैंकिंग संस्थाएँ (भारतीय स्टेट बैंक एवं सहयोगी बैंक)

उन्नत मापन पद्धति (समानांतर रन)

- जोखिम संस्कृति और परिचालन जोखिम प्रबंधन को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के अतिरिक्त मंडलों में विभिन्न स्तरों पर आरएमसीएओ, आरएमसीसी और जोखिम प्रबंधन समिति तथा व्यवसाय एवं सहयोग समूह (आरएनसी-एनबीजी, आरएमसी-आईबीजी, आरएमसी-जीएमयू, आरएमसी-सीबीजी, आरएमसी-एमसीजी, आरएमसी-एसएएमजी एवं आरएमसी-आईटी) विद्यमान हैं।
- परिचालन जोखिमों से आंतरिक एवं बाह्य नुकसान के लिए एक व्यापक डेटा आधार बासेल निर्धारित 8 व्यवसाय लाइन और 7 प्रकार के नुकसान के लिए तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यह एएमए प्रक्रिया का एक भाग है। शाखाओं, संसाधन केंद्रों और कार्यालयों से नुकसान डेटा, जिसमें नुकसान होते-होते बची घटनाओं का डेटा भी शामिल है, मंगाने के लिए एक्सेल आधारित प्रारूप (टेंप्लेट) तैयार किया गया है, ताकि जोखिम प्रबंधन बेहतर हो सके।
- जोखिम और नियंत्रण स्व-निर्धारण कार्य को कार्यशालाओं के माध्यम से करने के लिए एक्सेल आधारित टेंप्लेट प्रारंभ किया गया है, जिसमें निहित जोखिम तथा अवशिष्ट जोखिम जानने, वर्तमान नियंत्रण परिवेश की प्रभाविता जानने और मूल्यांकित करने और जोखिम स्तरों के वर्णन के लिए हीट मैप्स का प्रावधान है। वर्ष के दौरान लगभग 2035 शाखाओं/संसाधन केंद्रों ने आरसीएसए कवायद में हिस्सा लिया। आरसीएसए कवायद से सामने आई शीर्ष जोखिमों को कम करने की योजना पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है।
- संपूर्ण व्यवसाय और समूहों के लिए प्रमुख जोखिम संकेतक प्रारंभिक और निगरानी तंत्र के साथ चयनित किए गए हैं। जोखिम प्रबंधन समिति, परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति इन संकेतकों पर नजर रखती है।
- बैंक समय-समय पर एएमए प्रयोग परीक्षण भी करते हैं।
- परिचालन जोखिम की गणना और निगरानी के लिए बेसल II में निर्धारित उन्नत मापन पद्धति (एएमए) के अंतर्गत आवश्यक आंतरिक प्रणालियाँ भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में विद्यमान है।
- उन्नत मापन पद्धति (एएमए) पर माइग्रेट करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन दे चुका है तथा सहयोगी बैंकों ने आशय पत्र दिए हैं।

अन्य

देशीय बैंकिंग संस्थाओं में परिचालन जोखिम प्रबंधन नियंत्रित और कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं -

- बैंक द्वारा "अनुदेशावलियाँ" (सामान्य अनुदेश मैनुअल, ऋण एवं अग्रिम मैनुअल) जारी की गई हैं, जिनमें बैंकिंग के विभिन्न प्रकार के लेनदेन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में किए गए संशोधन और आशोधन सभी कार्यालयों को परिपत्र भेजकर कार्यान्वित किए जाते हैं। दिशा-निर्देशों और अनुदेश जॉब कार्डों, ई-परिपत्रों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से भी प्रसारित किए गए हैं।
- व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर) इकाइयों से संबंधित मैनुअल और परिचालन अनुदेश।
- वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन, जिसमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय एवं गैर वित्तीय लेनदेनों के लिए विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के संस्वीकृति अधिकारों का ब्योरा दिया गया है।
- स्टाफ प्रशिक्षण- बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों और ज्ञानार्जन केंद्रों में विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जोखिम प्रबंधन माड्यूलों के हिस्से के रूप में परिचालन जोखिम की जानकारी शामिल की गई है।
- धोखाधड़ियों से इतर संभावित परिचालन जोखिम वाले अधिकांश मामलों के लिए बैंक द्वारा बीमा कराया गया है।
- आंतरिक लेखा-परीक्षक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता की जांच एवं मूल्यांकन तथा प्रभावकारिता और कतिपय नियंत्रण कार्यविधियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी हैं। वे स्थापित प्रणालियों की समीक्षा भी करते हैं, जिससे विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं, आचार संहिता और नीतियों एवं कार्यविधियों के कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
- किसी भी आपदा के बाद व्यवसाय निरंतरता तथा महत्वपूर्ण कार्य प्रक्रियाओं को दुबारा प्रारंभ करने के लिए एक सुदृढ़ व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन नीति और मैनुअल भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में विद्यमान है।

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग संस्थाएँ

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग संस्थाओं में प्रणालियों एवं कार्यविधियों और रिपोर्टिंग के रूप में पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

घ. जोखिम रिपोर्टिंग एवं मापन प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप

- धोखाधड़ी पर रिपोर्टों के शीघ्र प्रेषण की प्रणाली समूह की सभी संस्थाओं में विद्यमान है।
- निवारक सतर्कता की व्यापक प्रणाली समूह की सभी संस्थाओं में स्थापित की गई है।
- आरसीएसए से सामने आई महत्वपूर्ण जोखिमों और डेटा लॉस के बारे में शीर्ष प्रबंधन को नियमित रूप से सूचित किया जाता है।
- 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन जोखिम हेतु पिछले 3 वर्षों की औसत सकल आय के 15% के पूंजी प्रभार के साथ मूल संकेतक पद्धति अपनायी गई है। बीमा कंपनियाँ इसका अपवाद हैं।

डीएफ-9 : बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

1. गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम :

आंतरिक एवं बाह्य कारणों से बैंक की ब्याज दर में होने वाले उतार-चढ़ाव से निवल ब्याज आय तथा आस्तियों एवं देयताओं के मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव को ब्याज दर जोखिम कहा जाता है। आंतरिक कारणों में बैंक की आस्तियों एवं देयताओं की संरचना, गुणवत्ता, परिपक्वता, ब्याज दर तथा जमाराशियों, उधार, ऋणों एवं निवेशों की पुनर्मूल्यन अवधि शामिल है। बाह्य कारणों के अंतर्गत सामान्य आर्थिक स्थितियाँ आती हैं। बढ़ती अथवा घटती ब्याज दरों का बैंक पर प्रभाव इस तथ्य पर निर्भर करता है कि तुलन-पत्र आस्ति संवेदी है या देयता संवेदी।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तुलन-पत्र जोखिमों की अनवरत पहचान एवं विश्लेषण तथा बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन नीति के जरिए इन जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए मापदंड निर्धारित करने हेतु उपयुक्त प्रणालियाँ एवं कार्यविधियाँ तैयार करने के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति जिम्मेदार है। अतः आस्ति देयता प्रबंधन समिति जोखिमों एवं प्रतिलाभों, निधीयन एवं विनियोजन, बैंक के ऋण एवं जमाराशि दरों के निर्धारण तथा बैंक की निवेश संबंधी गतिविधियों के संबंध में निदेश देने आदि की निगरानी एवं नियंत्रण करती है। निर्दिष्ट प्रकार के जोखिमों (उदाहरण के लिए ब्याज दर, चलनिधि आदि) के लिए निवेश के स्वीकृत स्तर निर्धारित कर आस्ति देयता प्रबंधन समिति बाजार जोखिम कार्यनीति भी विकसित करती है। निदेशक बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति आस्ति देयता प्रबंधन के लिए प्रणाली के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती है और आवधिक तौर पर उसकी कार्यपद्धति की समीक्षा करती है तथा दिशानिर्देश देती है। यह बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु आस्ति देयता प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों की समीक्षा करती है।

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिये ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों और देयताओं दोनों में ब्याज दर में एक समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।

1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अवधि अंतर विश्लेषण के अधीन ब्याज दर संवेदनशीलता के जरिए बैंक की आस्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक तिमाही अंतराल पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। बाजार ब्याज दर में हुए परिवर्तनों को देखते हुए आस्ति एवं देयताओं के मूल्य में हुए परिवर्तनों को अभिनिर्धारित करते हुए अवधि अंतर विश्लेषण के माध्यम से ईक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तनों के प्रभाव की निगरानी की जाती है। ईक्विटी के मूल्य में (आरक्षितियों सहित) और आस्ति एवं देयताओं की ब्याज दर में 2% समान अंतर के बीच परिवर्तन का अनुमान है।

1.3 विभिन्न ब्याज जोखिमों की निगरानी के लिए निम्नलिखित विवेकपूर्ण सीमाओं का निर्धारण किया गया है:

बाजार दर अस्थिरता के कारण परिवर्तन	अधिकतम प्रभाव (पूँजी एवं आरक्षितियों के प्रतिशत के रूप में)
निवल ब्याज आय में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं दोनों के लिए ब्याज दरों में 1% परिवर्तन के साथ)	5%
ईक्विटी के बाजार मूल्य में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं के लिए ब्याज दरों में 2% परिवर्तन के साथ)-केवल बैंकिंग बहियां	20%

1.4 बाजार जोखिम के कारण समग्र प्रतिकूल प्रभाव को पूँजी एवं आरक्षितियों की 20% की सीमा तक सीमित करना विवेकपूर्ण सीमा का उद्देश्य है, जबकि शेष पूँजी एवं आरक्षितियाँ ऋण एवं परिचालन जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती है।

2. परिमाणात्मक प्रकटीकरण (स्टेट बैंक समूह) (मार्च 2016)

जोखिम पर अर्जन (ईएआर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल ब्याज आय पर प्रभाव
आस्ति और देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 100 आधार अंकों के अंतर का निवल ब्याज आय पर प्रभाव	7472.10

ईक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीई)

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल ब्याज आय पर प्रभाव
आस्तियों और देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 200 आधार अंकों के अंतर का ईक्विटी बाजार मूल्य (एमवीई) पर प्रभाव	13762.16
आस्तियों और देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 100 आधार अंकों के अंतर का ईक्विटी बाजार मूल्य (एमवीई) पर प्रभाव	6881.08

डीएफ-10 : काउंटरपार्टी ऋण जोखिम एक्सपोजर का सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

किसी लेनदेन के नकदी प्रवाह के पूर्ण समाधान से पूर्व उससे व्युत्पन्न लेनदेन की काउंटरपार्टी की चूक से उत्पन्न जोखिम काउंटरपार्टी ऋण जोखिम कही जाती है। इस जोखिम को कम करने के लिए डेरीवेटिव लेनदेन केवल उन्हीं काउंटरपार्टियों के साथ किए जाते हैं, जिन्हें ऋण सीमाएँ अनुमोदित की गई हैं। बैंकों की काउंटरपार्टी सीमा का आकलन अनेक वित्तीय मापदंडों जैसे नेटवर्थ, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, रेटिंग आदि को ध्यान में रखकर आंतरिक मॉडलों का उपयोग करके किया गया है। कारपोरेटों की डेरीवेटिव लिमिट का आकलन और संस्वीकृति नियमित मूल्यांकन के हिस्से के रूप में नियमित क्रेडिट लिमिट के साथ की गई है।

बैंक ने ऐसे किसी बैंक के साथ कोई कोलेट्रल करार (ऋण सहायता सहित या समतुल्य) नहीं किया है, जिसके लिए कोलेट्रल रखना आवश्यक हो। बैंक द्विपक्षीय निवलीकरण को नहीं मानता है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	आनुमानिक	वर्तमान ऋण राशि
क) ब्याज दर विनिमय	95778.88	1931.00
ख) करेंसी विनिमय	20560.57	754.81
ग) करेंसी विकल्प	5806.16	57.24
घ) विदेशी मुद्रा संविदाएँ	393344.11	4339.51
ङ) करेंसी वायदा	0.00	0.00
च) वायदा दर करार	19.88	0.01
छ) अन्य (विदेशी विनिमय)	0.00	0.00
योग	**515509.60**	**7082.57**
ऋण व्युत्पन्न लेनदेन	निरंक	

डीएफ-11: पूंजी के घटक

बेसल III सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप जो विनियामक समायोजन के दौरान (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक) प्रयोग में लाया जाना है)		राशियों की गणना बेसल III पूर्व के मानदंडों के अनुसार की जाए	संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
साझा ईक्विटी टियर I पूंजी (सीईटी 1): इंस्ट्रूमेंट और रिज़र्व			
1	सीधे जारी की गई अर्हता-प्राप्त शेयर पूंजी और संबंधित स्टॉक सरप्लस (शेयर प्रीमियम)	50545.76	ए1+बी3
2	प्रतिधारित उपार्जन	115616.69	B1+B2+B7 9#) +B8
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य रिज़र्व)	5726.41	B5*75%+B6*45%
4	सीधे जारी की गई पूंजी जो सीईटी 1 से फेज आउट के अध्यधीन होगी (केवल गैर-संयुक्त पूंजी कंपनियों पर ही लागू)		
	1 जनवरी, 2018 तक छूट प्राप्त सरकारी क्षेत्र पूंजी अंत:क्षेपण		
5	अनुषंगियों द्वारा जारी साझा शेयर पूंजी और अन्य पक्षों द्वारा धारित (राशि ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत)	3613.55	
6	विनियामक समायोजनों के पूर्व साझा ईक्विटी टियर I पूंजी	175502.41	
विनियामक समायोजनों के पूर्व साझा ईक्विटी टियर I पूंजी			
7	विवेकपूर्ण मूल्य समायोजन	756.18	189.04	D*80
8	गुडविल (संबंधित कर देयता घटाकर)	1824.95	456.24	
9	बंधक की पूर्ति के अधिकार से इतर अमूर्त (संबंधित कर देयता घटाकर)	57.40		
10	आस्थगित कर आस्तियाँ			
11	कैश फ्लो हेज रिज़र्व			
12	संभावित हानियों की तुलना में प्रावधानों के लिए रखी गई पूंजी में कमी			
13	बिक्री पर प्रतिभूतीकरण लाभ			
14	उचित मूल्य देयताओं में स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण लाभ व हानि			
15	नियत लाभ पेंशन फंड निवल आस्तियाँ			
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलनपत्र में प्रदत्त पूंजी में से पहले कम न किए गए हों तो)	202.61	37.70	
17	साझा ईक्विटी में पारस्परिक प्रति-धारिताएँ	134.09	33.47	
18	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर हैं और जहाँ पात्र अधिविक्रय को घटाने के बाद जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	0.00		
19	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश, जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर हैं (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	0.00		
20	बंधक चुकौती अधिकार (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)			
21	अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियाँ (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि संबंधित कर देयता को घटाने के बाद)	0		

बेसल III सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप जो विनियामक समायोजन के दौरान (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक) प्रयोग में लाया जाना है)			राशियों की गणना बेसल III पूर्व के मानदंडों के अनुसार की जाए	संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
22	15% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	0		
23	जिसमें : वित्तीय संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़ी राशि का निवेश			
24	जिसमें : बंधक शोधन अधिकार			
25	जिसमें : अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियाँ			
26	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ)	1098.00	274.50	
26क	जिसमें : असमेकित बीमा अनुषंगियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	1077.44	269.36	
26ख	जिसमें : असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश			
26ग	जिसमें : आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की ईक्विटी पूंजी में कमी, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई है			
26घ	जिसमें : अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	20.56	5.14	
	बेसल III से पूर्व के मानदंडों के आधार पर निकाली गई राशियों के लिए साझा टियर 1 ईक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन			
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें] उदाहरण के लिए : एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर वसूल न की गई हानियों में से निकाली गई राशि (भारतीय परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं)			
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें]			
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें]			
27	कटौतियाँ करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर I और टियर II के कारण साझा टियर I ईक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन			
28	साझा टियर I ईक्विटी में कुल विनियामक समायोजन	4073.23		
29	साझा ईक्विटी टियर I पूंजी (सीईटी 1)	171429.18		
अतिरिक्त टियर I पूंजी (एटी 1) : लिखत				
30	सीधे जारी किए गए अर्हता-प्राप्त अतिरिक्त टियर I लिखत और संबंधित स्टॉक आधिक्य (31+32)			
31	जिसमें : लागू लेखा मानकों के तहत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर)			
32	जिसमें : लागू लेखा मानकों के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर)			
33	अतिरिक्त टियर I में से कम होने वाले सीधे जारी किए गए पूंजीगत लिखत	3031.58		
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टियर I लिखत (और सीईटी 1 लिखत, जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं किए गए हैं) (राशि ग्रुप एटी 1 में अनुमत)	1547.51		
35	जिसमें : अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत, जो कम होने वाले हैं	1047.00		
36	विनियामक समायोजनों के पूर्व अतिरिक्त टियर I पूंजी	4579.09		
अतिरिक्त टियर I पूंजी (एटी 1) : विनियामक समायोजन				
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर I लिखतों में निवेश			
38	अतिरिक्त टियर I लिखतों में पारस्परिक प्रति-धारिताएँ	239.84	59.96	

स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित) 31.03.2016 को

	बेसल III सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप जो विनियामक समायोजन के दौरान (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक) प्रयोग में लाया जाना है)	राशियों की गणना बेसल III पूर्व के मानदंडों के अनुसार की जाए	संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
39	विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर की बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को घटाने के बाद, जहाँ जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
40	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश, जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर है (पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को छोड़कर)		
41	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (41क+41ख)		
41क	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर I पूंजी में निवेश		
41ख	आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की, जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया है, अतिरिक्त टियर I पूंजी में कमी		
	बेसल III से पूर्व के मानदंडों के आधार पर निकाली गई राशियों पर अतिरिक्त टियर I ईक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन	788.77	
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें, जैसे - डीटीए]		
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें। जैसे - मौजूदा समायोजन जिनके द्वारा टियर I में से 50% की कटौती की गई है]		
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें]		
42	कटौतियाँ करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर II के कारण साझा टियर I ईक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन		
43	अतिरिक्त टियर I पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	1028.61	
44	अतिरिक्त टियर I पूंजी (एटी1)	3550.48	
44क	अतिरिक्त टियर II पूंजी (एटी1)		
	जिसे पूंजी पर्याप्तता में शामिल किया गया है	3550.48	
45	टियर II पूंजी (टी 1 = सीईटी 1 + एटी 1) [29+44 क]	174979.66	
टियर II पूंजी : लिखत और प्रावधान			
46	सीधे जारी किए गए अर्हता-प्राप्त अतिरिक्त टियर II लिखत और संबंधित स्टॉक आधिक्य	12500.00	
47	सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत, जो टियर II से कम होने वाले हैं	18962.16	
48	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्षों द्वारा धारित टियर II लिखत (और सीईटी 1 और एटी 1 लिखत, जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं किए गए) (टियर II समूह में अनुमत राशि)	7763.15	
49	जिसमें : अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत, जो कम होने वाले हैं		
50	प्रावधान	15029.06	
51	विनियामक समायोजनों के पूर्व टियर II पूंजी	54254.37	
टियर II पूंजी : विनियामक समायोजन			
52	स्वयं के टियर II लिखतों में निवेश	79.21	
53	टियर II लिखतों में पारस्परिक प्रति-धारिताएँ	6.14	

बेसल III सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप जो विनियामक समायोजन के दौरान (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक) प्रयोग में लाया जाना है)		राशियों की गणना बेसल III पूर्व के मानदंडों के अनुसार की जाए		संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
54	विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर की बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को घटाने के बाद, जहाँ जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)			
55	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश, जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर है (पात्र अधिविक्रयों की स्थितियों को छोड़कर)			
56	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (56क+56ख)			
56क	जिसमें : असमेकित बीमा अनुषंगियों की टियर II पूंजी में निवेश			
56ख	जिसमें : आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई है, टियर II पूंजी में कमी			
	बेसल III से पूर्व के मानदंडों के आधार पर निकाली गई राशियों पर साझा टियर I इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन	134.68	0	
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें। जैसे - मौजूदा समायोजन, जिनमें टियर II में से 50% की कटौती की गई है]			
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें]			
57	टियर II पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	220.03		
58	टियर II पूंजी (टी 2)	54034.34		
58क	पूंजी पर्याप्तता के लिए गणना की गई टियर II पूंजी	54034.34		
58ख	अतिरिक्त टियर I पूंजी, जिसकी गणना टियर II पूंजी के रूप में की गई है	0		
58ग	पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर II पूंजी [58क +58ख]	54034.34		
59	कुल पूंजी (टीसी = टी 1 + टी 2) [45 +58ग]	229014.00		
	बेसल III से पूर्व के मानदंडों के आधार पर निकाली गई राशियों से संबंधित जोखिम भारित आस्तियाँ			
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें]			
	जिसमें :			
60	कुल जोखिम भारित आस्तियाँ (60क+60ख+60ग)	1772683.61		
60क	जिसमें : कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियाँ	1466117.50		
60ख	जिसमें : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियाँ	140698.95		
60ग	जिसमें : कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियाँ	165867.16		
पूंजी अनुपात				
61	साझा ईक्विटी टियर I (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.67%		
62	टियर I (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.87%		
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.92%		
64	संस्था विशेष सुरक्षित पूंजी आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता और पूंजी संरक्षण तथा प्रतिचक्रीय सुरक्षित पूंजी आवश्यकता, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त)	6.125%		
65	जिसमें : पूंजी संरक्षण सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	0.625%		

स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित) 31.03.2016 को

बेसल III सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप जो विनियामक समायोजन के दौरान (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक) प्रयोग में लाया जाना है)		राशियों की गणना बेसल III पूर्व के मानदंडों के अनुसार की जाए	संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
66	जिसमें : बैंक विशेष की प्रतिचक्रीय सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	0%	
67	जिसमें : जी-एसआईबी सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	0%	
68	सुरक्षित पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपलब्ध साझा टियर I ईक्विटी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		
राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल III से भिन्न हो)			
69	राष्ट्रीय साझा ईक्विटी टियर I न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	5.50%	
70	राष्ट्रीय टियर I न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	7.00%	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	9.00%	
कटौती के लिए प्रारंभिक सीमा से कम राशियाँ (जोखिम भार के पूर्व)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में छोटी राशि के निवेश		
73	वित्तीय संस्थाओं के साझा स्टॉक में बड़ी राशि के निवेश	514.51	
74	बंधक शोधन अधिकार (संबंधित कर देयता घटाकर)		
75	अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता घटाकर)	1123.86	
टियर 2 में प्रावधान शामिल करने पर लागू उच्चतम सीमाएं			
76	मानकीकृत पद्धति के आधार पर निकाली गई जोखिम राशियों को टियर II में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने से पहले)	15029.06	
77	मानकीकृत पद्धति के आधार पर टियर II में प्रावधान शामिल करने की उच्चतम सीमा	18326.47	
78	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण पद्धति के अधीन ऋण जोखिमों को टियर II में शामिल करने से संबंधित पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने के पूर्व)	0	
79	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण पद्धति के अधीन टियर II के प्रावधान शामिल करने की उच्चतम सीमा	0	
पूंजी लिखत, जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन हैं (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू)			
80	सीईटी 1 लिखतों की उच्चतम सीमा, जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन है		
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)		
82	एटी 1 लिखतों की वर्तमान उच्चतम सीमा, जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन हैं		
83	उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)		
84	टी 2 लिखतों की उच्चतम सीमा, जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन है		
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)		

*बी 6 आय और अन्य रिजर्व एकीकरण और विकास निधि (₹ 5 करोड़) को घटाकर निकाले गए हैं

डीएफ-12: पूंजी घटक - समाधान संबंधी अपेक्षाएँ

31.03.2016 को स्टेट बैंक समूह का समेकित तुलन पत्र, बेसल III के अनुसार

चरण-1

(₹ करोड़ में)

		वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र रिपोर्टिंग की तारीख को	समेकन की विनियामक परिधि में तुलन पत्र रिपोर्टिंग की तारीख को
क	**पूंजी और देयताएं**		
I	**प्रदत्त पूंजी**	776.28	776.28
	आरक्षितियाँ और अधिशेष	179,816.08	174,876.78
	आधे से कम हित	6,267.40	4,845.05
	कुल पूंजी	**186,859.76**	**180,498.11**
ii	**जमाराशियाँ**	**2,253,857.57**	**2,254,956.55**
	जिनमें : बैंकों से जमाराशियाँ	15,823.17	15,823.17
	जिनमें : ग्राहकों से जमाराशियाँ	2,238,034.40	2,239,133.38
	जिनमें : अन्य जमाराशियाँ (कृपया स्पष्ट करें)		
iii	**उधार**	**2,58,214.39**	**258,279.24**
	जिनमें : भारतीय रिज़र्व बैंक से	3,391.79	3,391.79
	जिनमें : बैंकों से	143,753.48	143,753.48
	जिनमें : अन्य संस्थानों और एजेंसियों से	49,142.28	49,136.96
	जिनमें : अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	-	-
	जिनमें : पूंजीगत लिखत	61,926.84	61,997.01
iv	**अन्य देयताएँ और प्रावधान**	**271,965.92**	**190,496.27**
	कुल	**2,970,897.64**	**2,884,230.17**
ख	**आस्तियाँ**		
i	**नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाशेष**	**160,424.57**	**160,176.83**
	बैंकों के पास जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	43,734.90	41474.78
ii	**निवेश**	**705,189.08**	**625,327.19**
	जिनमें : सरकारी प्रतिभूतियाँ	544,582.10	510,062.11
	जिनमें : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	3,759.81	0.13
	जिनमें : शेयर	23,509.71	5,350.30
	जिनमें : डिबेंचर और बांड	89,080.26	73,190.28
	जिनमें : अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम/सहयोगी	2,547.34	1,963.99
	जिनमें : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि)	41,709.86	34,760.38
iii	**ऋण और अग्रिम**	**1,870,260.89**	**1,870,136.85**
	जिनमें : बैंकों को ऋण और अग्रिम	74,292.49	74292.49
	जिनमें : ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1,795,968.40	1,795,844.36
iv	**अचल आस्तियाँ**	**15,255.68**	**14,709.06**
v	**अन्य आस्तियाँ**	**175,087.30**	**171,460.24**
	जिनमें : गुडविल और अमूर्त आस्तियाँ	2,281.19	2,281.19
	जिनमें : आस्थगित कर आस्तियाँ	1,161.66	1,154.32
vi	**समेकन पर गुडविल**	**945.22**	**945.22**
vii	**लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष**	**-**	**-**
	कुल आस्तियाँ	**2,970,897.64**	**2,884,230.17**

स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित) 31.03.2016 को

चरण-2

(₹ करोड़ में)

		वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र	समेकन की विनियामक परिधि में तुलन पत्र	संदर्भ क्रमांक
		रिपोर्टिंग की तारीख को	रिपोर्टिंग की तारीख को	
क	**पूंजी और देयताएँ**			
i	**प्रदत्त पूंजी**	776.28	776.28	ए
	जिनमें : सीईटी1 के लिए पात्र राशि	776.28	776.28	ए1
	जिनमें : एटी1 के लिए पात्र राशि	.	.	ए2
	आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	179,816.08	174,876.78	बी
	जिनमें : सांविधिक आरक्षित निधि	61,499.16	61,499.16	बी1
	जिनमें : पूंजीगत आरक्षित निधि	3,354.19	3,352.59	बी2
	जिनमें : शेयर प्रीमियम	49,769.48	49,769.48	बी3
	जिनमें : निवेश आरक्षित निधि	1,300.79	1,300.79	बी4
	जिनमें : विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि	6,813.63	6,810.79	बी5
	जिनमें : पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि	1,374.03	1,374.03	बी6
	जिनमें : आय और अन्य आरक्षित निधि	52,424.97	49,895.28	बी7
	जिनमें : लाभ और हानि खाते में शेष	3,279.83	874.66	बी8
	आधे से कम हिस्सेदारी	6,267.40	4,845.05	
	कुल पूंजी	**186,859.76**	**180,498.11**	
ii	**जमाराशियाँ**	**2,253,857.57**	**2,254,956.55**	
	जिनमें : बैंकों से जमाराशियाँ	15,823.17	15,823.17	
	जिनमें : ग्राहक से जमाराशियाँ	2,238,034.40	2,239,133.38	
	जिनमें : अन्य जमाराशियाँ	-	-	
iii	**उधार**	**258,214.39**	**258,279.24**	
	जिनमें : भारतीय रिज़र्व बैंक से	3,391.79	3,391.79	
	जिनमें : बैंकों से	143,753.48	143,753.48	
	जिनमें : अन्य संस्थानों और एजेंसियों से	49,142.28	49,136.96	
	जिनमें : अन्य (कृपया स्पष्ट उल्लेख करें)	-	-	
	जिनमें : पूंजीगत लिखत	61,926.84	61,997.01	
iv	**अन्य देयताएँ और प्रावधान**	**271,965.92**	**190,496.27**	
	जिनमें : गुडविल से संबंधित डीटीएल	-	-	
	जिनमें : अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल	-	-	
	कुल	**2,970,897.64**	**2,884,230.17**	
ख	**आस्तियाँ**			
i	**नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाशेष**	**160,424.57**	**160,176.83**	
	बैंकों के पास जमाशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	**43,734.90**	**41,474.78**	
ii	**निवेश**	**705,189.08**	**625,327.19**	
	जिनमें : सरकारी प्रतिभूतियाँ	544,582.10	510,062.11	
	जिनमें : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	3,759.81	0.13	
	जिनमें : शेयर	23,509.71	5,350.30	
	जिनमें : डिबेंचर और बांड	89,080.26	73,190.28	
	जिनमें : अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम /सहयोगी	2,547.34	1,963.99	
	जिनमें : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि	41,709.86	34,760.38	
iii	**ऋण और अग्रिम**	**1,870,260.89**	**1,870,136.85**	
	जिनमें : बैंकों को ऋण और अग्रिम	74,292.49	74,292.49	
	जिनमें : ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1,795,968.40	1,795,844.36	
iv	**अचल आस्तियाँ**	**15,255.68**	**14,709.06**	
v	**अन्य आस्तियाँ**	**175,087.30**	**171,460.24**	
	जिनमें : गुडविल	-	-	
	जिनमें : अन्य अमूर्त आस्तियाँ (एमएसआर को छोड़कर)	2,281.19	2,281.19	
	जिनमें : आस्थगित कर आस्तियाँ	1,161.66	1,154.32	सी
vi	**समेकन पर गुडविल**	**945.22**	**945.22**	डी
vii	**लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष**	**-**	**-**	
	कुल आस्तियाँ	**2,970,897.64**	**2,884,230.17**	

चरण 3

(₹ करोड़ में)

साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) : लिखत एवं आरक्षित निधियाँ

		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी का घटक	संदर्भ क्र. (डीएफ-12 : चरण 2 के संबंध में)
1	सीधे जारी की गई अर्हता-प्राप्त साझा शेयर पूंजी (और गैर स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) और संबंधित स्टॉक अधिशेष	50545.76	A1+B3
2	प्रतिधारित उपार्जन	115616.69	B1+B2+B7 (#)+B8
3	संचित अन्य व्यापक आय (अन्य कोई भी रिज़र्व)	5726.41	
4	सीधे जारी की गई पूंजी जो सीईटी 1 से हटने वाली है (केवल गैर-संयुक्त पूंजी कंपनियों पर ही लागू)	0	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्षों द्वारा धारित साझा शेयर पूंजी (समूह की सीईटी 1 में अनुमत राशि)	3613.55	
6	विनियामक समायोजनों के पूर्व साझा ईक्विटी टियर I पूंजी	175502.41	
7	विवेकपूर्ण मूल्य समायोजन	0	
8	गुडविल (संबंधित कर देयता घटाकर)	756.18	D*80%

* बी7 : आय और अन्य आरक्षित निधियाँ एकीकरण और विकास निधि (₹ 5 करोड़) को घटाकर दिखाई गई हैं

डीएफ 16-ईक्विटी: बैंकिंग बही स्थिति के संबंध में प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. ईक्विटी जोखिम से संबंधित सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण में ये भी शामिल हैं:

■ ऐसी धारिताएं, जिनसे पूंजीगत लाभ होने की संभावना है और संबंध एवं कार्यनीतिक कारणों सहित अन्य उद्देश्यों के अंतर्गत ली गई धारिताओं के बीच अंतर	सहयोगियों, अनुषंगियों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में परिपक्वता तक रखी गई (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत सभी ईक्विटी निवेश (देशीय) किए जाते हैं। ये कार्यनीतिक स्वभाव के होते हैं।
■ बैंकिंग बहियों में ईक्विटी धारिता के मूल्यन एवं लेखांकन संबंधी प्रमुख नीतियों में चर्चा। इसमें इन सभी प्रथाओं के महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रमुख धारणाओं एवं प्रथाओं को प्रभावित करने वाले मूल्यन सहित प्रयुक्त लेखांकन तकनीक एवं मूल्यन पद्धतियां शामिल हैं।	एचटीएम प्रतिभूतियों के लेखांकन एवं मूल्यन के संबंध में बैंक के वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट की अनुसूची 17-सी-1 पैरा 1.3 एवं सी-2 पैरा 2.3 में बताए गए अनुसार।

स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित) 31.03.2016 को

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2016 को गुणात्मक प्रकटीकरण		
1.	तुलनपत्र में सूचित निवेशों का मूल्य तथा उन निवेशों का वास्तविक मूल्य; उद्धृत प्रतिभूतियों के लिए सार्वजनिक रूप से उद्धृत शेयर मूल्यों की तुलना जहां शेयर का मूल्य वास्तविक मूल्य से काफी अलग है।	1316.53
2.	निवेशों के प्रकार, साथ ही राशि जिसे इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: - सार्वजनिक रूप से ट्रेडेड - निजी रूप से धारित	 3424.25 7988.93
3.	संदर्भाधीन अवधि के दौरान बिक्री एवं परिसमापन से प्राप्त संचयी लाभ (हानियां)	3.16
4.	न वसूल किया गया लाभ (हानि)	40.33
5.	कुल नवीनतम पुनर्मूल्यन लाभ (हानि)	0.66
6.	टियर I तथा/अथवा टियर II पूंजी सम्मिलित उपर्युक्त अन्य कोई भी राशि	0.35
7.	बैंक की पद्धति के अनुरूप उपयुक्त ईक्विटी समूहन द्वारा खंडित पूंजी, समग्र राशियां एवं उन ईक्विटी निवेशों का प्रकार, जो किसी पर्यवेक्षण अंतरण अथवा विनियामक पूंजी आवश्यकताओं से संबंधित ग्रांडफादरिंग प्रावधानों के अधीन होते हैं।	15.24

तालिका डीएफ-17: लेखा आस्तियों बनाम लीवरेज अनुपात एक्पोजर के मापन की तुलना का सार

31 मार्च 2016 को लीवरेज विवरणी

भारतीय स्टेट बैंक (समूह)

डीएफ-17- लेखा आस्तियों बनाम लीवरेज अनुपात एक्पोजर के मापन की तुलना का सार

	मद	**रुपए (मिलियन में)**
1.	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	29708976.40
2.	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेश के लिए समायोजन जिनका लेखांकन प्रयोजन से समेकित किया जाता है, परंतु इसे विनियामक समेकन की परिधि से बाहर किया जाता है	-866674.50
3.	परिचालन लेखांकन ढांचे के परिणामस्वरूप तुलनपत्र में हिसाब में ली गई काल्पनिक आस्तियों के लिए समायोजन, पर इन्हें लीवरेज अनुपात एक्सपोजर में शामिल नहीं किया जाता है।	0
4.	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	149,596.77
5.	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन (अर्थात् रेपो एवं इसी प्रकार के प्रतिभूतिकृत ऋण) के लिए समायोजन	995813.60
6.	तुलनपत्र इतर मदों (अर्थात् तुलनपत्र इतर निवेशों के ऋण बराबर राशियों में अंतरण) के लिए समायोजन	3467274.73
7.	अन्य समायोजन	-51018.36
8.	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	33403968.54

तालिका डीएफ-18: 31 मार्च 2016 को लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकण प्रारूप

	डीएफ-18: लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकण प्रारूप	(₹ मिलियन में)
	मद	
	तुलनपत्र निवेशों पर	
1	तुलनपत्र मदों पर (व्युत्पन्न एवं एसएफटी को छोड़कर परंतु संपार्श्विक को मिलाकर)	28842301.80
2	(बेसल III, टियर I की पंजी के निर्धारण में घटाई गई आस्ति राशियां)	-51018.36
3	**कुल तुलनपत्र निवेश (व्युत्पन्न एवं एसएफटी को छोड़कर) (लाइन 1 एवं 2 का योग)**	**28791283.44**
	व्युत्पन्न निवेश	
4	सभी व्युत्पन्न लेनदेनों से संबंधित रिप्लेसमेंट लागत (अर्थात् पात्र नकद अंतर मार्जिन का निवल)	58,540.73
5	सभी व्युत्पन्न लेनदेनों से संबंधित पीएफई के लिए एड-ऑन राशियां	91,056.04
6	दिए गए व्युत्पन्न संपार्श्विक जहां परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुरूप तुलनपत्र आस्तियों से घटाया गया, का कुल	0
7	(व्युत्पन्न लेनदेनों में दिए गए नकद अंतर मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों से कटौती)	0
8	(क्लाइंट क्लियर्ड ट्रेड एक्सपोजर के छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	0
9	लिखित ऋण व्युत्पन्न की समायोजित प्रभावी काल्पनिक राशि	0
10	(लिखित ऋण व्युत्पन्नों के लिए समायोजित प्रभावी काल्पनिक ऑफसेट एवं एड-ऑन कटौतियां)	0
11	**कुल व्युत्पन्न निवेश (लाइन 4 से 10 का योग)**	**149,596.77**
	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन निवेश	
12	विक्रय लेखांकन लेनदेनों के लिए समायोजन करने के बाद सकल एसएफटी आस्तियां (निवल को हिसाब में लिए बिना)	995813.60
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के देय नकद एवं प्राप्य नकद की निवल राशि)	0
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर निवेश	0
15	एजेंट लेनदेन निवेश	0
16	कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन निवेश (लाइन 12 से 15 का योग)	995813.60
	अन्य तुलनपत्र इतर निवेश	
17	सकल काल्पनिक राशि पर तुलनपत्र इतर निवेश	9266142.40
18	(ऋण बराबर राशियों में बदलने के लिए समायोजन)	-5798867.67
19	**तुलनपत्र इतर मदें (लाइन 17 एवं 18 का योग)**	**3467274.73**
	पूंजी एवं कुल निवेश	
20	**टियर I श्रेणी की पूंजी**	**1749796.56**
21	**कुल निवेश (लाइन 3, 11, 16 एवं 19 का योग)**	**33,403,968.54**
	लीवरेज अनुपात	
22	**बेसल III लीवरेज अनुपात**	**5.24**

स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित) 31.03.2016 को

तालिका डीएफ-जीआर: 31 मार्च 2016 को समूह जोखिम पर अतिरिक्त प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	
समूह की संस्थाओं के संबंध में (विदेश स्थित बैंकिंग संस्थाएं, देशीय बैंकिंग एवं गैर-बैंकिंग संस्थाएं)	
निम्नलिखित पर सामान्य प्रकटीकरण	
कारपोरेट अभिशासन प्रथाएं	कारपोरेट अभिशासन की अच्छी प्रथाएं अपनाने वाली समूह की सभी संस्थाएं
प्रकटीकरण प्रथाएं	कारपोरेट अभिशासन की अच्छी प्रथाएं अपनाने/अनुपालन करने वाली समूह की सभी संस्थाएं
अंतर समूह लेनदेनों के संबंध में स्वतंत्र नीति (आर्मस् लेंग्थ)	स्टेट बैंक समूह के भीतर सभी अंतर समूह लेनदेन स्वतंत्र नीति (आर्मस् लेंग्थ) के अनुसार किए गए हैं। यह उनकी वाणिज्यिक शर्तों एवं प्रतिभूति देने जैसे मामलों के संबंध में किए गए हैं।
सामान्य विपणन, ब्रांडिंग एवं एसबीआई के चिह्न का इस्तेमाल करना	समूह की किसी संस्था द्वारा एसबीआई के चिह्न का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं किया गया है, जिससे आम जनता को लगे कि समूह की इकाई के सामान्य विपणन, ब्रांडिंग को एसबीआई का स्पष्ट समर्थन है।
वित्तीय सहायता# यदि कोई हो तो, उसके विवरण	समूह की किसी भी संस्था ने समूह की अन्य किसी संस्था को वित्तीय सहायता न तो दिया है न ही लिया है।
समूह जोखिम प्रबंधन नीति की सभी अन्य प्रसंविदाओं का अनुपालन	समूह की संस्थाओं द्वारा समूह जोखिम प्रबंधन नीति की सभी प्रसंविदाओं का अनुपालन किया गया है।

समूह के भीतर किए गए निम्नलिखित लेनदेन मोटे तौर पर 'वित्तीय सहायता' माने गए हैं:

क) समूह में एक कंपनी से दूसरी कंपनी को पूंजी या आय का अनुपयुक्त अंतरण;

ख) समूह की इकाइयों को जिस स्वतंत्र नीति का पालन करते हुए कारोबार करना होता है, उसका उल्लंघन करना;

ग) समूह के भीतर हर कंपनी की ऋण चुकौती क्षमता, नकदी की स्थिति और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव;

घ) पूँजीगत अथवा अन्य नियामक अपेक्षाओं का पालन न करना;

ड) 'प्रति चुकौती में चूक संबंधी शर्तों' को लागू करना, जिनके अंतर्गत किसी संबद्ध कंपनी द्वारा की गई किसी वित्तीय या अन्य चूक को बैंक के अपने दायित्वों की पूर्ति में चूक माना जाता है।

*सम्मिलित कंपनियाँ

बैंकिंग - देश में स्थित	**बैंकिंग - विदेश स्थित**	**गैर-बैंकिंग**
भारतीय स्टेट बैंक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	एसबीआई कनाड़ा बैंक	एसबीआई काड्र्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	एसबीआई मारीशस लि.	एसबीआई डीएफएचआई लि.
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	कमर्शिएल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
		एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.
		एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज़ सर्विसेज़ प्रा. लि.
		एसबीआई पेमेंट सर्विसेज़ प्रा. लि.

विनियामक पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित प्रकटीकरण (डीएफ-13) और विनियामक पूंजी लिखतों से संबंधित पूर्ण निबंधन एवं शर्तों (डीएफ-14) को बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in/www.statebankofindia.com पर कॉरपोरेट अभिशासन बेसल - 3 प्रकटीकरण खण्ड लिंक के अंतर्गत अलग-अलग प्रकट किए गए हैं।

31 मार्च 2016 को ग्लोबल सिस्टेमिकली इम्पोरटेंट बैंक (G-SIBs) के निर्धारण संकेतकों से संबंधित प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट पर एक अलग लिंक http://www.sbi.co.in/portal/web/corporate-governance/g-sib-indicators के अंतर्गत अलग से प्रकट किए गए हैं।

भारतीय स्टेट बैंक
प्रॉक्सी फार्म

फालियो क्र. _____

डीपी/ग्राहक आई.डी. क्र._____

मैं/हम, _____

निवासी _____

बैंक के कारपोरेट केंद्र में शेयरधारकों के रजिस्टर में दर्ज भारतीय स्टेट बैंक के _____

शेयर/ शेयरों का धारक हूँ/शेयरों के धारक हैं और एतदद्वारा _____

_____ निवासी _____ को (या उसकी

अनुपस्थिति में _____ निवासी _____ को)

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की _____ में दिनांक _____

को, और उसके किसी स्थगन के बाद होने वाली सभा में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी तरफ से मत देने हेतु अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

दिनांकित_____ के _____ दिवस को

15 पैसे
रसीदी
टिकट

यदि प्रॉक्सी का लिखत एकल शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा अथवा लिखित रूप में यथास्थिति उसके मुख्तार (अटर्नी) द्वारा हस्ताक्षरित न हो अथवा संयुक्त धारक के मामले में रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित या उसके मुख्तार द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत न हो अथवा किसी कंपनी के मामले में उसकी सामान्य सील के अंतर्गत निष्पादित न किया गया हो अथवा लिखित रूप में यथाविधि प्राधिकृत मुख्तार द्वारा हस्ताक्षरित न हो, तो वह वैध नहीं होगा।

यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारणवश अपना नाम न लिख सकता हो तथा यदि उस पर (प्रॉक्सी पत्र) उसके अंगूठे का निशान है, जिसे किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, जस्टिस ऑफ द पीस, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेस ने अथवा किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय स्टेट बैंक के किसी अधिकारी ने अधिप्रमाणित किया हो, तो प्रॉक्सी का वह लिखत यथेष्ट रूप में हस्ताक्षरित माना जाएगा।

यदि प्रॉक्सी कंपनी द्वारा नियुक्त न हो, तो वह भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय बोर्ड का निदेशक/स्थनीय बोर्ड का सदस्य/भारतीय स्टेट बैंक का ऐसा शेयरधारक होना चाहिए, जो भारतीय स्टेट बैंक का अधिकारी या कर्मचारी न हो।

यदि प्रॉक्सी पत्र यथाविधि स्टांपित न हो और उसे मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार पत्र (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा किसी नोटरी पब्लिक अथवा न्यायाधीश द्वारा प्रमाणित उस अधिकार पत्र अथवा प्राधिकार पत्र की एक प्रति, कारपोरेट केंद्र या इसके स्थान पर अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक द्वारा समय-समय पर नामित अन्य कार्यालय में सभा के लिए नियत तिथि के स्पष्टतः 7 दिन पूर्व जमा न किया जाए, तो वह (प्रॉक्सी पत्र) वैध नहीं होगा (यदि मुख्तारनामा पहले से बैंक के पास पंजीकृत है, तो मुख्तारनामा या अन्य मुख्तारनामा या अन्य मुख्तारनामे के फोलियो क्रमांक और पंजीकरण क्रमांक का भी उल्लेख किया जाए)।

भारतीय स्टेट बैंक, शेयर एवं बांड विभाग, कारपोरेट केंद्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021 को प्रॉक्सी फार्म मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पत्र स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक
शेयरधारकों की वार्षिक महासभा उपस्थिति पर्ची

दिनांक : ☐☐☐☐☐☐☐☐

फोलियो क्र: ☐☐☐☐☐☐☐☐

डी.पी./ग्राहक आई.डी क्र: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

शेयरधारक/प्रथम धारक का पूरा नाम: _____

(शेयर प्रमाणपत्र पर लिखे/डी.पी. रिकार्ड के अनुसार)

पंजीकृत पता : _____ पिन ☐☐☐☐☐☐

कुल धारित शेयरों की संख्या : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

शेयर प्रमाणपत्र क्रमांक (धारित शेयर कागजी रूप में होने पर) ☐☐☐☐☐☐☐ से ☐☐☐☐☐☐☐ तक

क्या भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम आर. 31* के अनुसार मत देने का अधिकार है: हाँ/नहीं

यदि हाँ, तो मतों की संख्या, जिनके लिए वह अधिकृत है (मतपत्र दवारा मतदान के मामले में):

शेयरधारक के तौर पर व्यक्तिगत रूप में							
प्रॉक्सी के रूप में							
विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में							
योग							

हस्ताक्षर अनुप्रमाणित (शेयरधारक के हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम:

सील/मोहर:

नोट:

I. भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधकों/प्रभाग प्रबंधकों को (जिनके हस्ताक्षर सर्कुलेट किए गए हैं), उस शाखा में खाता रखने वाले शेयरधारकों द्वारा शेयरधारक होने का समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, उनके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

II. यदि शेयरधारक भारतीय स्टेट बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक का खाताधारक है, तो उसके हस्ताक्षरों का अनुप्रमाणन उस बैंक के शाखा प्रबंधक शाखा की मोहर/स्टांप के साथ अनुप्रमाणित कर सकते हैं।

III. वैकल्पिक रूप में, शेयरधारक अपने हस्ताक्षर नोटरी या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा अनुप्रमाणित करवाएं।

IV. शेयरधारकों के हस्ताक्षर सभा स्थल पर भारतीय स्टेट बैंक के निर्दिष्ट अधिकारियों से भी अनुप्रमाणित करवाए जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी पहचान का कोई संतोषप्रद प्रमाण जैसे-पासपोर्ट, फोटो वाला ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान कार्ड या इसी प्रकार का अन्य कोई स्वीकार्य प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

*विनियम 31-मतदान के अधिकारों का निर्धारण:

I. अधिनियम की धारा 11 में दिए गए प्रावधान के अध्यधीन ऐसे प्रत्येक शेयरधारक जो महासभा की तारीख से तीन महीनों पहले शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, को उसके द्वारा धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए एक मत देने का अधिकार होगा।

II. प्रत्येक शेयरधारक जो केंद्र सरकार से भिन्न है और कंपनी नहीं है, जिसे उपर्युक्तानुसार मत देने का अधिकार है और जो व्यक्तिशः अथवा प्रॉक्सी अथवा कंपनी होने के कारण प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी दवारा उपस्थित है, को हाथ दिखाकर मत देने अथवा मतदान कराए जाने की स्थिति में ऐसी बैठक की तारीख से पूर्व के तीन महीनों की पूरी अवधि के लिए उसके द्वारा धारित प्रत्येक 50 शयरों के लिए एक मत देने का अधिकार होगा।

III. केंद्र सरकार की ओर से प्रतिनिधि के रूप में विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति को हाथ दिखाने पर एक मत अथवा मतदान कराए जाने की स्थिति में ऐसी बैठक की तारीख से पूर्व के तीन महीनों की पूरी अवधि के लिए उसके द्वारा धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए एक मत देने का अधिकार होगा।

शेयरधारक (कों) के उपयोग के लिए

मेसर्स डेटामेटिक्स फाइनैंशियल सर्विसेज लि.,
यूनिट:भारतीय स्टेट बैंक
प्लॉट नं. बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन,
एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व)
मुंबई-400 093

टेलिफोन नं. 022-66712198/2199/2202

निवेशक द्वारा क्रेडिट क्लियरिंग व्यवस्था के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में भुगतान प्राप्त करने का विकल्प देने के लिए

1. निवेशक का नाम
   (i) _____
   (ii) _____
   (iii) _____
2. वर्तमान पता
   _____
   _____
   _____
   पिन: _____
   टेलि.नं. और मोबाइल नं _____
   (भविष्य में पत्राचार और ई-वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए)
3. फोलियो नं _____ (केवल कागजी स्वरुप वाले शेयरों के मामले में)
4. पीएफ सूचकांक: _____
   (केवल एसबीआई के उन कर्मचारियों द्वारा भरे जाने के लिए जिनके पास एसबीआई के शेयर हैं)
5. बैंक खाते का ब्योरा
   क. बैंक का नाम: _____
   ख. शाखा का नाम: _____
   (पूरा पता)
   _____
   पिन: _____
   ग. बैंक शाखा का 9 अंकों का एमआईसीआर कोड
   ☐☐☐☐☐☐☐☐☐
   (जैसे बैंक द्वारा जारी एमआईसीआर चेक में दिया गया है)
   घ. खाते का प्रकार: .....
   (बचत बैंक खाता (कोड 10) या चालू खाता (कोड 11) या कैश क्रेडिट (कोड 13)
   ड. खाता सं. (जैसे चेकबुक में दी गई है। कृपया एक कोरा "रद्द" चेक या उसकी फोटो प्रति संलग्न करें)
   ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर दिया गया ब्योरा ठीक और पूरा है। यदि अपूर्ण या गलत जानकारी के कारण लेनदेन में विलंब होता है या यह पूरा नहीं हो पाता है तो भारतीय स्टेट बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

स्थान:

दिनांक: (प्रथम धारक के हस्ताक्षर)

द्रष्टव्य:

1. इलेक्ट्रॉनिक (डीमैट) में शेयरधारिता वाले शेयरधारक (कों) से अनुरोध है कि वे ऊपर दिया गया समस्त ब्योरा अपने डीपीआईडी/क्लाइंट आईडी के साथ अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को सूचित कर दे (दें)।
2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कागज रूप में धारित शेयरों को डीमैट खाते में लाने के लिए विकल्प दें।
3. शेयरधारकों/बांडधारकों से अनुरोध है कि वे नामांकन सुविधा का लाभ उठाएँ।
4. नामांकन फॉर्म बैंक की वेबसाइट पर कारपोरेट अभिशासन/शेयरधारक सूचना नामांकन फॉर्म लिंक के अंतर्गत अपलब्ध है।
5. नवीनतम जानकारी के लिए www.sbi.co.in कारपोरेट अभिशासन/शेयरधारक सूचना देखें।

एक ग्रीन पहल

प्रिय शेयरधारक,

कॉरपोरेट अभिशासन में ग्रीन पहल

सेबी दिशा-निर्देशों के अनुसार, हम उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रानिक स्वरूप में वार्षिक रिपोर्ट भेज रहे हैं, जिनके ई-मेल पते हमारे पास उपलब्ध हैं।

आपका बैंक चाहता है कि इस ''ग्रीन पहल'' में आप भी बैंक के साथ सहभागिता करें, जिससे कि बैंक आपको इलेक्ट्रानिक ढंग से, अर्थात ई-मेल के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट व अन्य सूचनाएं भेज सके। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान होगा अपितु सूचनाएं भी शीघ्र भेजी जा सकेंगी और सूचनाएं भेजने में होने वाली देरी व नुकसान से बचा जा सकेगा। यदि आपके पास शेयर डीमैट स्वरूप में हैं, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास अपनी ई-मेल आईडी को अद्यतन करके इस पहल में हमारे साथ जुड़ें। कागजी स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपनी अद्यतन सूचना/परिवर्तन sbigreenar@dfssl.comई-मेल के माध्यम से रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), मेसर्स डाटामैटिक्स फाइनैंसियल सर्विसेज लि. के पास भेज दें।

यद्यपि आप में से अधिकांश शेयरधारकों के पास अधिकांश डीमैट शेयर ही हैं, फिर भी कुछ शेयरधारकों के पास अभी भी कागजी स्वरूप वाले शेयर हैं। आपके पास रखे हुए कागजी स्वरूप वाले शेयरों को आसानी से डीमैट स्वरूप में बदला जा सकता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में। शेयरों को डीमैट बनाने के फायदें निम्नलिखित हैं :

- प्रतिभूतियों (शेयरों) का तुरंत ट्रांसफर, प्रतिभूतियों के ट्रांसफर पर कोई स्टांप ड्यूटी नहीं।
- कागजी स्वरूप में प्रतिभूतियां रखने से जुड़ी हुई जोखिमों में कमी, जैसे शेयरों का चोरी होना, आग, रख-रखाव में लापरवाही आदि के कारण शेयरों का नुकसान।
- डीपी के पास दर्ज पते में परिवर्तन करने से उन सभी कंपनियों के पास दर्ज आपके पते में इलेक्ट्रानिक ढंग से अपने आप परिवर्तन हो जाएगा, जिन कंपनियों की प्रतिभूतियों में आपने निवेश कर रखा है जिससे उन प्रत्येक कंपनियों के साथ अलग से पत्र-व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- प्रतिभूतियों का प्रेषण डीपी द्वारा किया जाता है, जिससे कंपनियों के साथ पत्र-व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- ईक्विटी, ऋण लिखतों और सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों को एक खाते में ही रखा जाता है।
- बोनस/विभाजन/समेकन/विलय आदि के मामले में डीमैट खाते में शेयर अपने आप जमा हो जाते हैं।

यदि आपके पास कागजी स्वरूप में शेयर हैं, तो कृपया डीमैट खाता खोलने के लिए अपनी पसंद की किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) (जैसे एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लिमिटेड से टोल फ्री नंबर 1800223345, ई-मेल helpdesk@sbicapsec.com) से संपर्क करें। डीमैट आवेदन फॉर्म (डीआरए) भरकर और उसके साथ संबंधित शेयर प्रमाणपत्र लगाकर उसे अपनी डीपी के पास भेज दें, जिससे आपके शेयरों को डीमैट में बदला जा सके। शेयरों को इलेक्ट्रानिक स्वरूप में बदल कर स्वतः ही आपके डीमैट खाते में जमा कर दिया जाएगा।

यदि आप लाभांश चेक के रूप में लाभांश प्राप्त कर रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने बैंक खाते का ब्योरा डीपी/आरटीए, जैसी भी स्थिति हो, के पास प्रस्तुत कर दें/अद्यतन करा लें जिससे लाभांश की राशि सीधे आपके खाते में जमा की जा सके।

हमें विश्वास है कि आपके बैंक द्वारा शुरू की गई इस ''ग्रीन पहल'' का आप सम्मान करेंगे और हम आशा करते हैं कि इस प्रयास में आप उत्साहपूर्वक भाग लेंगे।

शेयरधारकों का ध्यान भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 38ए की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसे भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2010 में दिनांक 15.09.2010 से शामिल किया गया है। उक्त धारा के अनुसार, स्टेट बैंक द्वारा घोषित लाभांश को उसकी घोषणा की तिथि से 30 दिन के अंदर किसी शेयरधारक को प्रदत्त नहीं किया गया हो, या जिसके लिए पात्र शेयरधारक द्वारा दावा नहीं किया गया हो, "अप्रदत्त लाभांश खाता" नामक एक विशेष खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त संशोधन के पूर्व की अवधि की सभी अप्रदत्त लाभांश राशि को उक्त "अप्रदत्त लाभांश खाते" में पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया है। स्टेट बैंक के अप्रदत्त लाभांश खाते में यथा उपर्युक्त ट्रांसफर की गई कोई भी राशि ट्रांसफर की तिथि से सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त या अदावाकृत रहती है, तो उसे बैंक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत स्थापित "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि" में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और बाद में उसका उपयोग उक्त धारा में विनिर्दिष्ट किए गए ढंग एवं प्रयोजन के लिए किया जाएगा। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी शेयरधारकों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें देय होने वाले लाभांश का उन्होंने तुरंत दावा कर लिया है।

टिप्पणी

टिप्पणी

भारतीय स्टेट बैंक
हर भारतीय का बैंक

जीत लो दुनिया को

एसबीआई ग्लोबल एड-वैन्टेज

विदेश में शिक्षा के लिए ऋण

✓ विदेश में पूर्णकालीन पाठ्यक्रमों* के लिए
✓ आकर्षक ब्याज दर
✓ ऋण राशि रु.२० लाख से रु.१.५ करोड़ तक
✓ १० वर्ष तक चुकौती

अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.sbi.co.in देखें या

1800-425-3800/1800-11-22-11 (टोल फ्री) या 080-26599990

पर कॉल करें।

*शर्तें लागू।

स्टेट बैंक भवन
कारपोरेट केंद्र,
मादाम कामा मार्ग, मुंबई,
महाराष्ट्र - 400 021

Follow us on :

theofficialsbi statebankofindiaofficial